मद संख्या	विषय
MS/08/2022 PCE PCEE	(अ) भोपाल मंडल में रेल कॉलोनियो की दुर्दशा को सुधारने एवं नये रेल आवासो का निर्माण के संबंध में। (ब) भोपाल मंडल में गुना एवं इटारसी रेल आवासों की विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं विषयक । (अ) भोपाल मंडल के बड़े स्टेशनों की लगभग सभी रेल कॉलोनियों बहुत पुरानी हो चुकी है उनमे सीवेज , पीने का पानी टॉयलेट दरवाजे खिडकी फर्स आदि की हालत बहुत खराब स्थिति में है। कॉलोनियो की जर्जर स्थिति के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। उक्त कॉलोनियो की तत्काल समुचित मरम्मत करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही इनके स्थान पर नये आवासों का निर्माण की भी जरूरत है। अतः कॉलोनियों की दुर्दशा को सुधारने के साथही नये आवासों का निर्माण किया जाये। 1. (ब) गुना में रिप्लेसेंट आधार पर बने आवास लगभग 2 वर्ष से इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं होने से आबंटित नहीं हो पा रहे हैं। कृप्या इन आवासों में इलेक्ट्रिक वायरिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करा कर आबंटित करायें जायें। 2. (स) इसी प्रकार नया यार्ड इटारसी स्थित रेल आवासों में आज भी लगभग 30 वर्ष पुरानी बैटन वायरिंग (लकड़ी की पट्टी पर वायरिंग) ही चल रही है, जिसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है, पूरी वायरिंग अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। जिसके कारण आवासो में रहने वाले कर्मचारी एवं उनके परिवार को काफी असुविधा हो रही है। अतः संघ की मांग है कि नया यार्ड इटारसी स्थित रेल आवासों की रिवायरिंग तुरन्त करायी जायें ताकि रेल कर्मचारी एवं उनके परिवारजन किसी दुर्घटना का शिकार न हो और सुविधापूर्वक रह सकें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- (अ) भोपाल मण्डल में आवासों की मरम्मत का कार्य कराया गया है। गत वर्ष 2493आवासों में पुताई का कार्य कराया गया । 1325 आवास में फ्लोर मरम्मत का कार्य किया गया , 9968 मी. नई पाईप लाईन बिछाई गयी । 1420 दरवाजे एवं 1124 खिडकियां एवं 1823 पूर्ण रूप से आवास ठीक कराये गये। 4417 सेपटिक टंक सीवर लाईन के कार्य कराये गये एवं भोपाल मण्डल में निम्नानुसार स्टेशनो पर आवासों की भारी मरम्मत आदि के अलग-अलग टेन्डर आवर्ड किये जा चुके है । जिसकी अनुमानित लागत उनके समक्ष दर्शायी गयी है । अतः कार्य प्रगति पर है । भोपाल में 254.63 लाख + 1.20 करोड़ रोड रिपेयर+10 करोड़ आवास मरम्मत। इटारसी में 201.35 लाख + 3.00 करोड़ रोड रिपेयर हरदा एवं इटारसी 149.82 लाख। विदिशा सॉची में 81.31 लाख गुलाबगंज सोरई 14.32 लाख सुमेर सलामतपुर पवई 79.15 लाख गंजबासोदा में 84.17 लाख हरदा में 131.41 लाख। बीना में 289.39 लाख गुना में 153.49 लाख होशगांबाद एवं बरखेडा में 69.99लाख सुखीसेवनिया मण्डीदीप में 81.58लाख शिवपुरी उपमण्डल में 40 लाख शाजापुर एवं शिवपुरी में 60 लाख ब) मद विद्युत् विभाग से सम्बंधित है| स) मद विद्युत् विभाग से सम्बंधित है| **PCEE**- 1.(ब) इस आवासों की वायरिंग पूर्ण हो चुकी है एवं आवंटन भी हो चुका है।

	2.(स) उक्त रेल आवासों में रिवायरिंग का कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक 8 आवासों की वायरिंग पूर्ण हो गयी है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः-विद्युत विभाग द्वारा संघ को पोजिशन दी जाएगी। पीसीई – निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCE:-पीसीई- (अ) भोपाल मण्डल में आवासों की मरम्मत का कार्य कराया गया है। गत वर्ष **2500**आवासों में पुताई का कार्य कराया गया। **1330** आवास में फ्लोर मरम्मत का कार्य किया गया, **9968** मी. नई पाईप लाईन बिछाई गयी । **1429** दरवाजे एवं **1134** खिडकियां एवं **1833** पूर्ण रूप से आवास ठीक कराये गये। **4422** सेपटिक टैंक सीवर लाईन के कार्य कराये गये है ब) मद विद्युत् विभाग से सम्बंधित है। स) मद विद्युत् विभाग सेसम्बंधित है। **PCEE:-** **कार्यवृत्त दिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीईः–टिप्पणी यथावत ।**
MS/48/2022 DGM , PCEE	महाप्रबंधककार्यालय की समस्याओ के संबंध में। महाप्रबंधक कार्यालय, पमरे, जबलपुर में विभिन्न विभागो के कार्यालय है। जिनमें लगभग 1500 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। पमरे के जोन के गठन को 19 वर्ष हो चुके है परन्तु अब तक कर्मचारियो को पर्याप्त सुविधाएँ नही मिल सकी है संघ निम्न समस्याओ को रेल प्रशासन के समक्ष त्वरित समाधान के लिए रख रहा है। संघ के निरंतर अनुरोध उपरांत मुख्यालय के एकाउंटस , विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में एयर कूलर लगा दिये गये है एवं चालू कर दिया गया है। इसके लिये संघ प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता है। परन्तु संघ को कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभाग में लगाये गये कूलर्स का इस वर्ष रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः संघ पुनः अनुरोध करता है कि मुख्यालय के अन्य विभागों में भीएयर कूलिंग की शीघ्र व्यवस्था कराये एवं लगाये गये एयर कूलिंग के बेहतर मेंटेनेस/रखरखाव हेतु समुचित उपाय किये जाएं। मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण एवं सुव्यवस्थित किये जाने बावत्। मुख्यालय में कर्मचारियों को दो पहिया वाहन पार्किंग करने हेतु जगह की कमी हो रही है क्योंकि वर्तमान में एनेक्स-- 2 भवन स्थित पार्किंग हटा दिये जाने के कारण एस एंड टी एवं ऑडिट विभाग के कर्मचारियों के वाहन भी महाप्रबंधक कार्यालय में पार्किंग हो रहे हैं। कर्मचारियों के वाहन धूप-बरसात से खराब हो रहे हैं। अतः संघ मुख्यालय महाप्रबंधक कार्यालय में दो पहिया वाहनों के पार्किंग के महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के विस्तारित एवं सुव्यवस्थित करने का अनुरोध है। ऊपर लगाई गई शेड सीट जगह जगह से टूट गई है जिससे बरसात के पानी का पूरे कॉरीडोर में फैलने से भारी परेशानी हो रही है। अतः कॉरिडोर के शेड की सीट को बदला जाए । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध "फर्नीचर (टेबिल चेयर) वर्षों पुराना होने की वजह से काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। DGM कार्यालय से जारी फर्नीचर मॉड्यूल ग्रेड पे (लेवल) वाइज फर्नीचर निर्धारित किया गया था परन्तु अब तक कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुरूप फर्नीचर रेल प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया है। कुछ विभागो में मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है जबकि ज्यादातर विभागो में उक्त सुविधा अपेक्षित है। अतः संघ मांग करता है कि महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागों में पुराना फर्नीचर बदल कर मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ।

	संघ इस संबंध में पीएनएम में विस्तृत चर्चा चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **DGM** - (1) इस संबंध में विघुत विभाग को पत्र भेजा गया है । अग्रिम कार्यवाही विघुत विभाग द्वारा की जानी है। (2) शीट ठीक करा दी गयी है। अतः इस कार्यालय से मद को समाप्त किया जाये। इस कार्य का जवाब मद क्र. 107/2023 में दिया जा चुका है। पीसीई- 1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है। विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ करने से पहले IOW का ऑफिस शिफ्ट किया जाना है जिसके लिये रिक्त कवार्टर में शिफ्ट करने हेतु आवेदन किया है। आवंटन होने के बाद कार्य किया जायेगा। 3.महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के ऊपर लगाई गई शेड सीट को बदल दिया गया है। मद समाप्त किया जाए। 4. महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ''फर्नीचर उपलब्ध करने का कार्य इंजीनियरिंग विभाग से सम्बंधित नहीं है GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है। **PCEE**-मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** पीसीई -इस सम्बंध में आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि-मं.वित्त प्रबंधकजबलपुर के पास भेजा गया है। **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1.इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. मुख्यालय में वाहन स्टेंड के विस्तारीकरण के कार्य हेतु IOW ऑफिस को अन्यत शिफ्ट कर दिया गया है एवं कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। मद समाप्त किया जाये। 3. महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के ऊपर लगाई गई शेड सीट को बदल दिया गया है। मद समाप्त किया जाए। 4. महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ''फर्नीचर उपलब्ध करने का कार्य इंजीनियरिंग विभाग से सम्बंधित नहीं है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीई–साइकिल स्टैंड में शेड लगाने की कार्यवाही की जाएगी मद समाप्त**
MS/49/2022 PCE	भोपाल-होशंगाबाद खंड में एसएसई पीवे का एक नया डिपो औबेदुल्लागंज में निर्मित किये जाने के संबंध में । भोपाल में भोपाल होशंगाबाद तक तीसरी लाइन पूर्ण होने के लगभग है बरखेड़ा - बुदनी खंड के अतिरिक्त पूरे खंड में तीसरी लाइन पर परिचालन पूर्ण गति से हो रहा है। भोपाल होशंगाबाद 86 किलोमीटर का खंड है। पहले यदि दोनो लाइनो के किलोमीटर जोड़ दिये जाये तो 172 किलोमीटर होता था परन्तु वर्तमान परिद्दश्य में यह तीसरी लाइन होने के बाद 250 किलोमीटर हो रहा है। अतः डेढ़ गुनी रेल खंड

	बढ़ चुका है है। यानि वर्तमान ट्रैक का 50 प्रतिशत ट्रेक बढ़ाया जा चुका है। अतः संघ का कथन है कि भोपाल-होशंगाबाद खंड में एसएसई पीवे का एक नया डिपो औबेदुल्लागंज में निर्मित किया जायें। ताकि वर्तमान यार्ड स्टिक के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या एवं पर्यवेक्षक की संख्या में इजाफा हो तथा गाड़ियों का संचालन भी पूर्व संरक्षा व सुरक्षा से हो सकें। तथा कर्मचारियो एवं पर्यवेक्षकों पर कार्य का बोझ पूर्व की तरह बना रहें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी उक्त संबध में ओबदुल्लागंज में नया डिपो निर्माण हेतु नये क्षेत्राधिकार का प्रस्ताव बनाकर 15.06.2024 तक मुख्यालय प्रस्तावित किया गया था । जिसे मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.11.2024 को अनुमति प्रदान की गई है। शीघ्र ही कार्य को IRPSM पर वेटिंग हेतु प्रोसेस किया जायेगा। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- उक्त संबध में ओबदुल्लागंज में नया डिपो निर्माण हेतु नये क्षेत्राधिकार का प्रस्ताव मुख्यालय द्वारा दिनांक- 11.11.2024 को स्वीकृति कर दिया गया है। कार्य वर्तमान में IRPSM पर वेटिंग एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरांत आगे की कार्यवाही की जायेगी। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीई–एसएंडटी एवं इलेक्ट्रिक वभाग से इस्टीमेट प्राप्त हो गए है। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
MS/67/2023 PCE	कोटा मण्डल की रेलवे कालोनी में निवासरत कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में । उपरोक्त विषय में कोटा मण्डल की थूरिया एवं डाढदेवी रेलवे कालोनी में निवासरत कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में, संघ द्वारा बार बार प्रशासन को अवगत किया जाता रहा है किन्तु अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है जिसके कारण कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस संबंध में संघ निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है: 1. **कार्यवृत्तदिनांक11 / 12.3.2025**की बैठक में उप मद क्रं **1** समाप्त। 2. वहीं दूसरी ओर रेलवे कालोनी डाढदेवी के लिए किसी प्रकार का कोई सडक मार्ग उपलब्ध नही है। यहां तक कि आपात स्थिति में रेलवे मरम्मत व किसी भी प्रकार की आपातकालीन मेडीकल सुविधा हेतु डाढदेवी स्टेशन पर शीघ्र पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता है। बरसात के दिनों में तो और हालत खराब हो जाती है, बच्चों की पढाई तक बाधित हो जाती है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- 1. थूरिया स्टेशन पर गेट सं. 25 पर अण्डरपास बनाने के दौरान कालॉनी रास्ते में विभिन्न एसएण्टी केबल होने के कारण कई रिमाइन्डर देने के पश्चात भी एसएण्टी विभाग द्वारा केबलों को समय पर शिफ्ट नहीं किया गया था , जिसके कारण कालोनी के लिये रास्ता नहीं दिया जा सका। बाद में एलएचएस सं. 26 से कॉलोनी के रास्ते को मोरम डालकर स्थायी रूप से जोड़ दिया गया था जिसे भविष्य में पक्का सीसी रोड बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में रास्ते से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं। 2. डाढ़देवी से NH-27 तक जाने के लिये रोड बनाने का प्रस्ताव अम्ब्रेला वर्क 2025-26 में स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जा रहा है। **PCSTE::**दाढ़देवी स्टेशन पर रेलवे कालोनी एवं रास्ते पर सिगनल की कोई केबिल नही है एवं थूरिया स्टेशन के एलसी 25 पर केबिल शिफ्टिंग का कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। बाकी केबल शिफ्टिंग के लिये इंजीनियरिंग विभाग को दिनांक 21.06.2024 को इस्टीमेट भेजा जा चुका है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

	पीसीएसटीईः- 1 मद समाप्त 2. दाढ़देवी स्टेशन पर केबल शिफ्टिंग का 34 लाख का इस्टीमेट इंजीनियरिंग विभाग को दिया गया है। इस्टीमेट स्वीकृत होते ही कार्य कर दिया जाएगा। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- 2. डाढ़देवी से NH-27 तक जाने के लिये रोड बनाने का प्रस्ताव अम्ब्रेला वर्क 2025-26 में स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जा रहा है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीई–जांचकर के चर्चा की जाएगी ।
MS/111/2023 PCOM	आवधिक स्थानांतरण एवं आवधिक स्थानांतरण निति के संबंध मे। उपरोक्त विषय में संघ आपको अवगत कराना चाहता है कि मण्डल में कई पद ऐसे है जो कि संवेदनशील पदों की श्रेणी में आते हैं उसके उपरांत आवधिक स्थानांतरण के आदेश जारी करते समय इन पदों का आकलन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ यह भी अवगत कराना चाहता है कि मण्डल में कई कर्मचारी विगत कई वर्षो से एक ही स्थान पर संवेदनशील पद पर कार्यरत है परन्तु उन्हें आवधिक स्थानांतरण के समय इन कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जाता है जो कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। संघ आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है- 1. गंगापुरसिटी में यातायात निरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री आर पी मंगल विगत कई वर्षों से गंगापुरसिटी में कार्यरत है परन्तु उन्हें आवधिक स्थानांतरण की सूची में शामिल नहीं किया गया है। 2. मण्डल मुख्य टिकिट निरीक्षक नाम का कोई पद कैडर पर नहीं है। उसके उपरांत भी एक कर्मचारी को इस पद पर पदस्थ किया गया है जबकि नीति के अनुसार कैडर पोस्ट के बिना किसी भी कर्मचारी को पदस्थ नहीं किया जा सकता है। 3. संघ ने अपने पीएनएम मद संख्या 24/20 के माध्यम से प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि प्रतिवर्ष श्री आर.सी.मीना एसएसई (पीवे) सैक्शनल इंचार्ज सवाईमाधोपुर को हजारों रूपये प्रतिमाह का यात्रा भत्ता देकर रेलवे राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। श्री आर.सी.मीना विगत दस वर्षों से भी अधिक समय से उसी स्थान पर कार्यरत है। संघ का अनुरोध है कि उक्त मदों पर शीघ्र संज्ञान लेकर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। संदर्भ : संघ/पीएनएम / कोटा डीआरएम / 30 2022 दिनांक 08.06.2022 रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निति के तहत् आवधिक स्थानांतरण की परिधि में आने वाले कर्मचारी जो संवेदनशील पद पर कार्यरत है, को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए चार वर्षो या अधिक हो जाते है , को अन्यत्र स्थानांतरण करने का प्रावधान है। इस संबंध में स्टेशन मास्टर कोटि के साथ यातायात निरीक्षक एवं मुवमेन्ट निरीक्षक की वरियता भी सम्मिलित है एवं स्टेशन मास्टर वरियता ग्रुप से ही कर्मचारियो को यातायात निरीक्षक में पदस्थापित किया जाता है। यातायात निरीक्षक को संबन्धित सेक्शन मे कार्यरत कर्मचारियों के टीए बिल/ओवर टाईम बिल प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां दी हुई है। इसके साथ ही कर्मचारी रिलिफ का कार्य भी इनके द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार समस्त आवंटित कार्यो के मददेनजर यातायात निरीक्षक का पद भी संवेदनशील पद की श्रेणी मे आता है एवं आवधिक स्थानांतरण निति के प्रावधान इन पर भी लागू होते है परंतु कोटा मण्डल पर यातायात निरीक्षको को आवधिक स्थानांतरण की परिधि से मुक्त रखा गया है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि परिचालन विभाग मे यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत स्टेशन अधीक्षक को

	आवधिक स्थानांतरण की निति के तहत् एक स्थान पर चार वर्ष से अधिक कार्यरत होने पर तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण करने का कष्ट करे । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । संदर्भ :- संघ/पीएनएम/कोटा यातायात / 47 दिनांक 18.10.2022 **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 3. श्री आर.सी.मीना एसएसई/पीवे Sectional इंजार्च सवाईमाधोपुरके स्थानांतरण के आदेश प्रक्रियाधीन है। कृपया मद समाप्त करें। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 3. श्री आर.सी.मीना SSE/P.Way /Sectional innharge SWM के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.04.2024 को जारी कर दिये गए हैं। वर्तमान में SSE/P.Way/South/Sectional /SWM के पद पर कार्यरत हैं। कृपया मद समाप्त किया जाये। **कार्यवृत्त दिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीई– 03 मद समाप्त ।
MS/112/2023 PCE	ट्रेक मशीन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में । उपरोक्त विषय में पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मण्डल के ट्रेक मशीन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने निम्न ज्वंलत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर निराकरण करने हेतु अनुरोध किया है- 1. 21-07 के कार्य प्रणाली लागू करने बाबत- भारतीय रेल के कई मण्डलों में 21 दिन लगातार डयूटी करने के बाद 07 दिन का विश्राम दिये जाने का रोस्टर लागू है किन्तु पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मण्डल में इस तरह कर कोई रोस्टर लागू नही किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने से रेलवे का कार्य भी बाधित नही होगा व कर्मचारियों को भी अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने में परेशानी नही होगी। 2. सेफ्टी शूज की सप्लाई करने बाबत्- ट्रेक मशीन विभाग में कार्यरत आर्टीजनों को सेफ्टी शूज की सप्लाई की जाती रही है किन्तु कुछ समय से यह सप्लाई बन्द कर दी गई है जिसके कारण कर्मचारियों को डयूटी के दौरान स्वयं के खर्चे से सेफ्टी शूज खरीदने पड रहे है। अतः संघ का अनुरोध है कि ट्रेक मशीन विभाग के कर्मचारियों को सेफ्टी शूज की सप्लाई सुनिश्चित की जायें । 3. रिश्क एवं हार्डशिप भत्ते का भुगतान करने बाबत-ट्रेक मशीन स्टॉफ विषम परिस्थितियों में ट्रेक पर कार्य करता है जिससे उन्हे जान माल का खतरा बना रहा है। पूर्व में भी डयूटी के दौरान कई ट्रेक मशीन स्टॉफ की मृत्यू हो चुकी है। अतः ट्रेक मशीन विभाग के कर्मचारियों को रिश्क एवं हार्डशिप भत्ते का भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है संदर्भ :- संघ/पीएनएम/कोटा डीआरएम / 30 दिनांक 08.06.2022 **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई-1.TMC/HQ- ट्रेक मशीन विभाग में 21/07 रोस्टर हेतु स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अतः प्रत्येक मंडल में वर्तमान में एक-एक मशीन पर 21/07 रोस्टर लागू किया गया है। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो जाने पर उपरोक्त रोस्टर लागू कर दिया जाएगा।

	रेल प्रशासन उक्त रोस्टर लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। परंतु रिक्तियों के भरने तक यथा स्थिति कार्य संचालन किया जा रहा है। 2. रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक 2024/E/(W)/20/2 दिनांक 10/04/2024 के अनुसार ट्रेकमशीन विभाग में कार्यरत आर्टीजन को सेफ्टी शूज़ की आपूर्ति करने का नीतिगत निर्णय महाप्रबंधक स्तर पर लिया जाना है। क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। अतः इस विषय़ में आवश्यक प्रस्ताव महाप्रबंधक महोदय को भेजा जाएगा। 3. रिस्क एवं हार्डशिप भत्तों का भुगतान करने बावत् विषय रेलवे बोर्ड से संबंधित है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1.TMC/HQ- ट्रेक मशीन विभाग में 21/07 रोस्टर हेतु स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अतः प्रत्येक मंडल में वर्तमान में एक-एक मशीन पर 21/07 रोस्टर लागू किया गया है। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो जाने पर उपरोक्त रोस्टर लागू कर दिया जाएगा। रेल प्रशासन उक्त रोस्टर लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। परंतु रिक्तियों के भरने तक यथा स्थिति कार्य संचालन किया जा रहा है। 2. रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक 2024/E/(W)/20/2 दिनांक 10/04/2024 के अनुसार ट्रेकमशीन विभाग में कार्यरत आर्टीजन को सेफ्टी शूज़ की आपूर्ति करने का नीतिगत निर्णय महाप्रबंधक स्तर पर लिया जाना है। क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। अतः इस विषय़ में आवश्यक प्रस्ताव महाप्रबंधक महोदय को भेजा जाएगा। (Vacancy postion Attached) 3. रिस्क एवं हार्डशिप भत्तों का भुगतान करने बावत् विषय रेलवे बोर्ड से संबंधित है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCE :—1. वर्तमान में तीनों मंडलों में एक—एक मशीन पर प्रायोगिक तौर पर 21/7 का रोस्टर चलाया गया था, इसे आगे बढ़ाते हुए एक—एक मशीन पर 21/7 का रोस्टर क्रमशः लाग ्किया जाएगा । 2 प्रक्रियाधीनहै । 3. प्रस्तावबनाकररेलवेबोर्डकोभेजीजाएगी ।
MS/117/2023Dy.CPO/IR PCE	भोपाल मंडल में विदिशा व गंज बसौदा स्टेशनो पर सामुदायिक भवन निर्माण तथा सब डिवीजन में इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित समस्याएँ । विदिशा एवं गंजबासौदा स्टेशनों पर कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हेतु शासकीय सामुदायिक भवन ना होने के कारण अन्यत्र बाहरी स्थान पर अधिक व मनमानी राशि का भुगतान करना पडता है। अतः संघ मांग करता है कि कर्मचारियों के हित में विदिशा व गंजबासौदा स्टेशनों पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए। ब. समस्त बिभागीय ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों विशेष तौर पर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को जो सेफ्टी शूज़ विगत 02 बर्षो से प्रदान किए जा रहे हैं वह बहुत ही निम्न स्तर क्वालिटी के होते है और 10-15 दिन में ही खराब हो जाते हैं। अतः संघ मांग करता है कि यूनिफार्म भत्ते के समान ही शेफ्टी शूज भत्ता जिसमें मार्केट रेट के आधार पर उचित राशि निर्धारित कर वेतन पत्रक के माध्यम से भुगतान किया जाए। जिससे कर्मचारी अपने लिए अच्छी गुणवत्ता के शूज़ खरीद सकेंगे। स. विदिशा- उपमंडल के तहत आने वाले विदिशा, गंज बासौदा, पबई, गुलाबगंज, सुमेर स्टेशनों पर 50 से 60 बर्ष पूर्व के रेल आवासों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जिनमें पहले कई बार मेजर रिपेयरिंग का कार्य भी हो चुका है और अब वह किसी भी प्रकार से रिपेयर्स की स्थिति में नहीं है। अतः संघ मांग करता है कि शीघ्र ही ऐसे समस्त आबासों को चिन्हित कर खंडहर करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए । जिससे

	कि इन आबासों के स्थान पर कर्मचारियों के निवास हेतु नये आबासो का निर्माण हो सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **Dy.CPO/IR-**वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/भोपाल एवं वरि. मंडल अभियंता (सम) भोपाल को इस कार्यालय का संदर्भित पत्र दिनांक 30.11.2023 को दिया गया था। उपरोक्तमद मंडल स्तर का है एवं इस कार्यालय संदर्भित पत्र आपको प्रषित किया जा चुका है। कृपया मद समाप्त करें। पीसीई- (अ) उक्त कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ब) सभी सेफ्टी शूज भारतीय मानक निजी सुरक्षा उपस्कर आईएस 15298भाग- 2 2011 15020345:2004 अनुरुप नियमानुसार RITES द्वारा निरीक्षण कराकर न्यूनतम बोली वाली फर्म से खरीदा जा रहे है।यह एक नीतिगत मामला है। इसका निर्णय रेलवे बोर्ड दवारा लिया जायेगा। (स) विदिशा उपमंडल में 58 खंडहर आवासों के चिन्हित किया गया है तथा प्रपोजल स्वीकृत हो चुका है। खंडहर आवासों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। जिसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- (अ) विदिशा स्टेशन के सामुदायिक भवन का कार्य मार्च 2025 में पूर्ण कर लिया गया है एवं यह उपयोग में भी लाया जा रहा है। गंजबासौदा सामुदायिक भवन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग प्राप्त होने पर प्रस्तावित किया जायेगा। ब) सभी सेफ्टी शूज भारतीय मानक निजी सुरक्षा उपस्कर आईएस 15298भाग- 2 2011 15020345:2004 अनुरुप नियमानुसार RITES द्वारा निरीक्षण कराकर न्यूनतम बोली वाली फर्म से खरीदा जा रहे है। यह एक नीतिगत मामला है। इसका निर्णय रेलवे बोर्ड दवारा लिया जायेगा। (स) विदिशा उपमंडल में 58 खंडहर आवासों के चिन्हित किया गया था जिसमें 56 खंडहर आवासों को तोड़ने का कार्य कर लिया गया है। शेष 02 आवासों को तोड़ने का कार्य 15 जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
MS/04/2024 PCE PCSTE PCEE Dy.CPO/HQ	यार्ड स्टिक के अनुरूप पद सृजन के संबंध में । बरखेड़ा बुंदनी खंड में तृतीय लाइन होने पर सिगनल टीआरडी एवं पीवे का कार्य लगभग डेढ़ बुना बढ़ गया है। अतः नये कार्य हेतु नये मैनपॉवर की व्यवस्था यार्ड स्टिक के अनुसार की जावे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** अतः उक्त मद को समाप्तव किया जाये। पीसीई- अ) बीना से इटारसी एवं रुठीयाई गुना थर्ड लाईन के लिये 734 नये पदों के सृजन हेतु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को दिनांक 09.04.2019 को पमरे. प्रबंधक कार्मिक द्वारा पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने पर नये पदों को भरा जायेगा। (ब) भोपाल में बढ़े हुये ITKM गणना की गयी है एवं नए मेन पावर की व्यवस्था की जायेगी। **DyCPO/HQ-**Remark- 1. भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 3. भोपाल मण्डल से इंजीनियरिंग विभाग में पदों के सृजन हेतु कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। **PCSTE:-**रेलवे बोर्ड के पत्र क्र.E(MPP)2019/1/16 dt 28/12/2022 RBE No. 170/2022 (Revision of Norms/ Yardstick for Non-Gazetted Group-C Signalling staff) के अनुसार

	वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुसार सिगनलिंग के लिये 420 नये पद एवं टेलीकॉम के लिए 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि. मं. वित्त प्रबंधक /भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल द्वारा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है, सिगनलिंग असेट्स के लिये 804 अतिरिक्त नये पदों का सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल के माध्यम से कार्मिक विभाग /मुख्यालय जबलपुर को भेजा गया है, प्रस्ताव PCPO कार्यालय मे प्रक्रियाधीन है। इन पदों का रेलवे बोर्ड द्वारा सृजित किये जाने पर तृतीय लाइन के लिये अतिरिक्त पद दिया जाना संभव होगा। **PCEE**-रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.2019 के पत्र द्वारा टीआरडी विभाग की यार्ड स्टिक को रिवाइज्ड कर 0.22 प्रति टीकेएम कर दिया गया, इस प्रकार नई यार्ड स्टिक के अनुसार नए पदो ंके सृजन की आवष्यकता नहीं रह गयी तथा उपलब्ध स्टाफ से ही कार्य करवाया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	DyCPO/HQ- 1- भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14-01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- (अ) बीना से इटारसी एवं रुठीयाई गुना थर्ड लाईन के लिये 734 नये पदों के सृजन हेतु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को दिनांक 09.04.2019 को पमरे. प्रबंधक कार्मिक द्वारा पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने पर नये पदों को भरा जायेगा। (ब) भोपाल में बढ़े हुये ITKM गणना की गयी है एवं नए मेन पावर की व्यवस्था की जायेगी।
MS/16/2024PCEE PCME PCMM PCE PCSTE	मंडल में उच्च गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराने के संबंध में। संदर्भः- (1) रेलवे पत्र क्र.- 2017/Transt. cell/civil/03, दि-05.02.2018 (2) रेलवे पत्र क्र.- 2018/TF cell/S&T/S&T Uniform, दिक-05.03.2019 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) ट्रैकमैन/कीमैन/पेट्रोलमैन, सिग्नल के टेक्नीशियन / हेल्पर , TRD के टेक्नीशियन / हेल्पर एवं मैकेनिकल के ART व ARME में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक बार रेन कोर्ट, दो वर्ष में एक बार विण्टर जैकेट , एक वर्ष में दो बार सेफ्टी शूज , ल्यूमिनियस वेस्ट एक वर्ष में दो बार , ट्राँई कलर टॉर्च वर्ष में एक बार प्रदान किया जाना है। जिसकी कीमत भी उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार क्रमशः रू-1200, रू.-2500, रु.-1400, रू.-500 और रू. 1000 निर्धारित किया गया है लेकिन संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) के अनुसार जिन कर्मचारियों को प्रोटेटिक्व गियर्स दिया जाना है जितने समय में दिया जाना है वह नहीं दिया जा रहा है न ही रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार उस गुणवत्ता का दिया जा रहा है जबकि रेलवे बोर्ड ने कम्पनी तक भी निर्धारित किया है। सेफ्टी शूज ऐसा दिया जा रहा है जिसका ग्रिप अच्छा न होने के कारण कर्मचारी गिरकर घायल हो रहे हैं। संघ का कथन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार व जो समय सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का वितरण सुनिश्चित किया जाये नहीं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित रकम का भुगतान वेतन पत्रक के माध्यम से किया जाये जिस प्रकार यूनिफार्म का किया जाता है जिससे कर्मचारी गुणवत्ता व नाप के अनुसार खरीद कर प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर सके। जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME - इस मद के अनुसार यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानो में वर्ष 2023-24 में दिय गये सभी (प्रोटेक्टिव गियर्स) रेन कोट , विण्टर जेकेट ,ल्यूमिनियसवेस्ट ,सेफ्टी सूज उच्च गुणवत्ता के प्रदान किये गये है। पी.सी.एम.एम. - कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किया जा रहा है |इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralisedप्रोक्योरमेंट किया जा रहा है।

	अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। सडिपुका/भोपाल :- कारख़ाना भोपाल में सेफ़्टी शूज का Dimension & IS Specification के हिसाब से खरीदा जा रहा है | **PCEE**-भोपाल मंडल- टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को रेनकोट, विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज़ रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट , ट्राई कलर टॉर्च नियमानुसार दिये जा रहे है एवं मंडल के कर्मचारियों के सेफ्टी गियर्स की गुणवत्ता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल- जबलपुर मंडल के टीआरडी विभाग के हेल्पर्स एवं टेक्नीषियनों को रेन कोट , विन्टर जैकेट, सेफ्टी शूज एवं ल्यमिनस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त पीसीएमएमः- अच्छी गुणवत्ता के जूते जूलाई 25 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा। पीसीएसटीईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएमईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई-Annexure- A,B C संलग्न हैं। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCE :—टिप्पणी यथावत ।
MS/18/2024PCE	कटंगी-गोदावली (सिंगरौली खण्ड) खण्ड में लाइनों की दोहरीकरण के कारण इंजीनियरिंग डिपो का ETKM के आधार पर SSE डिपो एवं स्टाफ संख्या का पुनः निर्धारण करने बावत्। सिंगरौली खंड KM-1088/10 से 1335/10 कुल 247 किमी. का खंड है। जो पूर्व में इकहरी लाईन सेक्शन था। जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) के तीन डिपो खन्ना बंजारी , व्योहारी और सरईग्राम के माध्यम से 247 किमी. ट्रैक का अनुरक्षण कार्य किया जाता है। वर्तमान में लगभग 150 किमी. से अधिक लाईन का दोहरीकरण हो चुका है और गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है जबकि पूरे सेक्शन में व्यवस्थाएँ सिंगल लाईन के अनुसार है जिससे कई समस्याएँ हो रही है और अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत है- 1.) कटंगी-गोदावली खण्ड को सिंगल लाईन के आधार पर तीन वरिष्ठ खण्ड इंजीनियरिंग डिपो खन्ना बंजारी, व्योहारी और सरईग्राम में बँटवारा किया गया है और तीनों डिपो के माध्यम से पूरे सेक्शन का अनुरक्षण कार्य कराया जाता है लेकिन वर्तमान में लगभग 150 किमी. डबल लाईन हो गया है और आने वाले कुछ माह में शेष सिंगल लाईन भी डबल लाईन हो जायेगा। दोहरीकरण होने के बाद भी पूरे सेक्शन में इंजीनियरिंग डिपो में SSE/JE एवं ट्रैकमेन्टेनर के पूर्व स्वीकृत पदों जो कि इकहरी लाईन के अनुसार है जिसके कारण अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः ETKM के अनुसार पुनः PWI डिपो का कार्यक्षेत्र का बैटवारा किया जाये एवं कम से कम 03 डिपो से 06 डिपो बनाया जाये जिससे अनुरक्षण कार्य रेलवे इंजीनियरिंग मैन्यूल के हिसाब से किया जा सके। 2.) डिपो के अनुसार ही मेठ और चाभीदार के क्षेत्र का बँटवारा डबल लाईन के अनुसार किया जाये। डबल

	लाईन में चाभीदार की बीट 04 किमी. की है एवं सिंगल लाईन में बीट 06 किमी. की है लेकिन अभी भी चाभीदार को सिंगल लाईन के अनुसार चलाई जा रही है। जैसे-शंकरपुर-भदौरा खण्ड। इस तरह मुकद्दम और चाभीदार के पदों को बढ़ाया जाये। 3.) डिपो के बढ़ने के कारण इस खण्ड में ट्रैकमैन के स्वीकृति पदों को बढ़ाया जाये जिससे इस खंड के ट्रैक का अनुरक्षण/निगरानी उच्च गुणवत्ता की हो सके। 4.) सिंगल लाईन से डबल लाईन होने के कारण अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और उसकी सतत् निगरानी हो सके इसलिए इस सेक्शन में JE, SSE के पदों को बढ़ाने साथ कम से कम दो ADEN का स्थापना किया जाय। अतः संघ माँग करता है कि रेल प्रशासन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करे जिससे सिंगरौली खंड में रेलपथों का अनुरक्षण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ किया जा सके एवं संरक्षा पूर्वक गाड़ियों का संचालन हो सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- (1) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शनके लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को इस कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (2) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शन के लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को इस कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (3) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शनके लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को इस कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (4) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शन के लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को इस कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.011.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। ADEN के स्थापना का कार्य मुख्यालय कार्मिक विभाग के इंजीनियरिंग अनुभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- (1) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शनके लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंडल कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (2) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शन के लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंडल कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (3) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शनके लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंडल कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। (4) जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शन के लिये 2334 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंडल कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.011.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज दिया गया है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>**

	PCE :–टिप्पणी यथावत।
MS/30/2024PCE	SSE/PW/LKE ने ऑफिस, ट्रॉलीमैंन व अन्य निजी कार्य में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में। (A) उपरोक्त विषय में SSE/PW/LKE ऑफिस व अन्य निजी कार्य में 2400 ग्रेड पे व 2800 ग्रेड पे के निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहें है- 1. श्री रामफुल बैरवा (ग्रेड पे 2800) 5. श्री रामजीलाल (ग्रेड पे 2400) 2. श्री सुरेश मीणा (ग्रेड पे 2800) 6. श्री राजेश कुमार (ग्रेड पे 2400) 3. श्री जितेन्द्र कुमार (ग्रेड पे 2800) 7. श्री मुकेश सुवालका (ग्रेड पे 2400) 4. श्री रामसिंह मीणा (ग्रेड पे 2400) 8. श्री ओमप्रकाश (ग्रेड पे 2400) तथा JE/PW/KPZ ने ट्रोलीमैन व निजी कार्य में निम्नलिखित 2400 ग्रेड पे व 2800 ग्रेड पे के कर्मचारी से कार्य करवा रहे है- 1. लोकेश मीणा (ग्रेड पे 2800) 3. कमलेश मीणा (ग्रेड पे 1800) 2. शाहजाद अली (ग्रेड पे 2400) इस संबंध में वरि. कर्मचारियों से ऑफिस का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि उनके कार्य अनुभव व उनका सहयोग ऑफिस की जगह ट्रेक पर ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान में उनसे कनिष्ठ कर्मचारी ट्रेक पर कार्य कर रहे है और SSE/PW/LKE का अन्य कर्मचारियों से पक्षपात रवैया भी अपनाते है। जो की रेलवे की संरक्षानुसार सही नहीं है। रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी ही ऑफिस का कार्य कर सकते हैं। (B)SSE/PW/IDG ऑफिस, ट्रॉलीमैंन व अन्य निजी कार्य में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में। उपरोक्त विषय में SSE/PW/IDG ऑफिस, ट्रॉलीमैंन व अन्य निजी कार्य में में 2400 ग्रेड पे व 2800 ग्रेड पे के निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहें है- 1. श्री दिनेश गुर्जर (ग्रेड पे 2800) 3. श्री धर्मराज मीणा (ग्रेड पे 2400) 2. श्री धनराज गुर्जर (ग्रेड पे 2400) 4. श्री महावीर गुर्जर (ग्रेड पे 2400) इस संबंध में वरि. कर्मचारियों से ऑफिस व ट्रॉलीमैन का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि उनके कार्य अनुभव व उनका सहयोग ऑफिस की जगह ट्रेक पर ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान में उनसे कनिष्ठ कर्मचारी ट्रेक पर कार्य कर रहे है। रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी ही ऑफिस व ट्रॉलीमैन का कार्य कर सकते हैं। संघ का अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। संघ/पीएनएम/ सवाईमाधोपुर / 76 दिनांक 10.10.2023(सी) (C) SSE/PW/SWM ऑफिस, ट्रॉलीमैंन व अन्य निजी कार्य में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में । उपरोक्त विषय में SSE/PW/SWM ऑफिस, ट्रॉलीमैन व अन्य निजी कार्य में में 2400 ग्रेड पे व 2800 ग्रेड पे के निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहें है- 1. श्री केदार मीणा (ग्रेड पे 2800) 3. श्री देशराज मीणा (ग्रेड पे 2800) 2. श्री नन्दपाल (ग्रेड पे 2800) 4. श्री रिंकू खंगार (ग्रेड पे 2800) इस संबंध वरि. कर्मचारियों से ऑफिस व ट्रॉलीमैन का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि उनके कार्य अनुभव व उनका सहयोग ऑफिस की जगह ट्रेक पर ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान में उनसे कनिष्ठ कर्मचारी ट्रेक पर कार्य कर रहे है। रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी ही ऑफिस व ट्रॉलीमैन का कार्य कर सकते हैं। संघ का अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। संघ/पीएनएम/ सवाईमाधोपुर / 77 दिनांक 10.10.2023 उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- A.(1) कर्मचारी रामफुल बैरवा ग्रेड-पे 2800 की उम्र 59 वर्ष है। कर्मचारी से शारीरिक क्षमता के अनुसार गैंग मे कार्य लिया जा रहा है।

	2. कर्मचारी श्री सुरेश मीणा ग्रेड-पे 2800 का स्थानान्तरण गंगापुर सिटी हो गया है। यह कर्मचारी वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन कार्यरत नहीं है। (मद समाप्त किया जाये) 3. कर्मचारी श्री जितेन्द्र कुमार ग्रेड-पे 2800/- यूनिट संख्या 45 की-मेन के पद पर कार्यरत है। (मद समाप्त किया जाये) 4. कर्मचारी श्री रामसिंह मीणा ग्रेड-पे 2400/- का स्थानान्तरण सवाई-माधोपुर हो गया है। यह कर्चारी वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन कार्यत नहीं है। (मद समाप्त किया जाय़े) 5. श्री ओम प्रकाश ग्रेड-पे 2400/- आरआरवी चालक के रूप में काम लिया जा जा रहा है। क्योंकि कार्यालय में कोई भी आरआरवी चालक उपलब्ध नहीं है। 6. श्री राजेश कुमार ग्रेड-पे 2400/- यह कर्मचारी यूनिट संख्या 46 में कार्यरत है। (मद समाप्त किया जाये) (7) श्री मुकेश सुवालका ग्रेड-पे 2400 इस नाम का कोई कर्मचारी एस.एस.ई./पीवे लाखेरी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। 8. श्री रामजीलाल ग्रेड-पे 2400/- पिछले 10 वर्षों से ट्रालीमेंन का कार्य कर रहा है। कर्मचारी ट्रॉलीमैन के सभी कार्य अच्छी तरह से जानता है व कर्मचारी विश्वासपात्र है और पढ़ालिखा है व आज्ञाकारी है। अतः ग्रेड-पे 1800 का उपयुक्त कर्मचीरी मिलने पर, कर्मचारी को पुनः मूल पद पर भेज दिया जायेगा। 1. श्री लोकेश मीना ग्रेड-पे 2800 कर्मचारी ट्रॉलीमैन के सभी कार्य अच्छी तरह से जानता है व कर्मचारी विश्वासपात्र है और पढ़ालिखा है व आज्ञाकारी है। ग्रेड-पे 1800 का उपयुक्त कर्मचारी मिलने पर कर्मचारी को पुनः मूल पद पर भेज दिया जायेगा। 2. श्री शहजाद अली ग्रेड-पे 2400/- पिछले 20 वर्षों से ट्रॉलीमैन का कार्य कर रहा है। कर्चारी ट्रॉलीमैन के सभी कार्य अच्छी तरह से जानता है व कर्चारी विश्वासपात्र है र पढ़ालिका हे व आज्ञाकारी है। ग्रेड-पे 1800/- का उपयुक्तकर्चारी मिलने पर कर्चारी को पुनः मूल पद पर भेज दिया जावेगा। 3. श्री कमलेश मीणा ग्रेड-पे 1800/- ट्रालीमैन का कार्य रहा है. कर्मचारी ट्रॉलीमैन के सभी कार्य अच्छी तरह से जानता है। जो कि ट्रेक के सेफ्टी के कार्य अच्छी तरह से समझता है व कर्मचारी विश्वासपात्र है और पढ़ालिखा है व आज्ञाकारी है। (B) दिनांक 22/23.01.2025 को मंडल स्तर पर पीएनएम मीटिंग में चर्चा उपरांत इन मदों को समाप्त किया जा चुका है। 1. (1) कर्मचारी श्री दिनेश गुर्जर ग्रेड-पे 2800 कर्मचारी ट्रॉलीमेन के सभी कार्य अच्छी तरह से जानता है जो कि ट्रेक के सेफ्टी के कार्य अच्छी तरह से समझता है । कर्मचारी विश्वास पात्र है, पढ़ा-लिखा है व आज्ञाकारी है। ग्रेड-पे 1800 उपयुक्त कर्मचारी मिलने पर पुनः मूल पद पर भेज दाय जायेगा। (मद समाप्त) 2. धनराज गुर्जर ग्रेड पे 2400 इस नाम का कर्मचारी एस.एस.ई./पी-वे. इन्द्रगढ़, कार्यालय में कार्यरत नहीं है। (मद समाप्त) 3. कर्मचारी श्री धर्मराज मीना ग्रेड-पे 2800/- कर्मचारी ट्रॉलीमैन के सभी कार्य अच्छी तरह जानता है व कर्मचारी विश्वासपात्र है और पढ़ा-लिखा है व आज्ञाकारी है। ग्रेड-पे 1800 का उपयुक्त कर्मचारी मिलने पर कर्मचारी को पुनः मूल पद पर भेज दिया जायेगा। (मद समाप्त) 4. महावीर गुर्जर इस नाम का कर्मचारी एस.एस.ई./पी-वे इन्द्रगढ़ कार्यालय में कार्यरत नहीं है। (मद समाप्त) (C) दिनांक 22/23.01.2025 को मंडल स्तर पर पीएनएम मीटिंग में चर्चा उपरांत इन मदों को समाप्त किया जा चुका है। (1) कर्मचारी श्री केदार मीना ग्रेड-पे 2800/- युनिट नं 62-ए में की-मैन पद कार्यरत है। (मद समाप्त) (2) कर्मचारी श्री नन्दपाल मीना ग्रेड-पे 2800/- युनिट नं. 53 में की-मेन के पद कार्यरत है। (मद समाप्त) (3) श्री देशराज मीना, एस.एस.ई/ पीवे/लेखेरी के अधीन कार्यरत है।

	(4)श्री रिंकू खंगार का स्थानांतरण सहायक ट्रेकमशीन पर हो गया है। (मद समाप्त) पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- A,B एवं C दिनांक 22 एवं 23/01/2025 को मंडल स्तर की पीएनएम मीटिंग में चर्चा के उपरांत इन मदों को समाप्त किया जा चुका है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCE :—प्रकरण की पुनः जांच की जाएगी ।
MS/35/2024PCE	एसटीएम स्टाफ की समस्याओ के निराकरण करने के संबंध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत एसटीएम स्टाफ ने संघ को अवगत कराया है कि उन्हे प्रतिदिन के कार्य मे निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है:- 1. एसटीएम मशीन पर जहां 8 स्टाफ की टीम की आवश्यकता होती है तथा कैडर भी है उसके स्थान पर 4 से 6 तकनी. से कार्य लिया जा रहा है और उनके साथ हेल्पर भी नही दिये जाते है जिसके कारण उन्हे हेल्पर का कार्य भी करना पड़ रहा है। 2. एसटीएम डिपो मे काफी समय से पुरानी मशीन को बदला नही गया है। उन्हे बदलने की आवश्यकता है। दूसरी ओर मशीने उपलब्ध होती भी है तो उन्हे नही दिया जाता है और यह मशीने स्टोर में ही रखे-रखे खराब हो जाती है। 3. एसटीएम स्टाफ का कार्य जोखिम भरा होता है अतः प्रत्येक साइट पर First Aid Kit की आव यकता है क्योकि कार्य के दौरान अगर कोई कर्मचारी चोटिल हो जाता है तो कर्मचारी को First Aid Kit नहीं होने के कारण समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। 4. स्टाफ को ब्लॉक देर तक के लिए मिलता है तो वहां से मुख्यालय वापस जाने के लिए कोई गाड़ी नही मिलती है और कर्मचारी को अपनी अलग-अलग व्यवस्था करनी पड़ती है।इसके अतिरिक्ति उनका टीए भी काट दिया जाता है। 5. एसटीएम स्टाफ की काफी दिनों से पिन-पोइंटिग नही हुई है, उसे भभीघ्र करवाने की आव यकता है। 6. एसटीएम के कर्मचारियों को कार्य के लिये लगातार बाहर भेजा जाता है किन्तु टीए यात्रा भत्ता 15 दिन से अधिक पास नही किये जा रहे है। 7. तकनी. को सामान रखने के लिए टूल बाक्स नही है जिसके कारण कर्मचारी को प्रतिदिन सामान इधर-उधर रखना पडता है। 8. सभी कर्मचारियों को लाइन पर Rotaionमे भेजा जाये। कई कर्मचारी लगातार जा रहे है एवं कई कर्मचारी एक माह से नही जा रहे है। अगर कर्मचारियो को Rotaionमे लगाया जाता है तो 15 दिन टीए की परेशानी नही आयेगी। 9. कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये गये सेफ्टी शूज की गुणवत्ता खराब है। 10. मानव रहित लेवल कॉसिंग की हट को रेस्ट रूम मे परिवर्तित किया जाये ताकि कर्मचारी वहां बैठकर लंच आदि कर सके। 11. एसटीएम में कार्यरत तकनी से ड्यूटी के अनुसार आवंटित कार्य न करा कर दुसरा कार्य भी कराया जाता है। इसे रोका जाये। अतः संघ का अनुरोध है कि एसटीएम स्टाफ की उक्त समस्याओ का भीघ्र निराकरण करने का कश्ट करे तथा की गई कार्यवाही से संघ को अवगत करायें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- 1.पिन प्वाइंटिंग के अनुसार हर डिपो में एस.टी.एम. टेक्नीशियन का कार्य डिपो में उपलब्ध एस.टी.एम. मशीनो का रख रखाव करना एवं आवश्कता होने पर संचालन करना भी होता है। किसी भी

एस.टी.एम. मशीन के संचालन में 08 टेक्नीशियन की आवश्कता नही होती है।

2.उक्त संबंध एसटीएम मशीनों की खरीदी समय-समय पर डिपो की आवश्कतानुसार स्वीकृत कार्यो में उपलब्ध एस.टी.एम. मद से की जाती है। जिसकी आपूर्ति सीधे एसएसई/पीवे में की जाती है। मशीन खराब होने पर उनका आवश्कतानुसार रिपेयर कराया जाता है। जिन मशीनों की को डल लाइफ पूरी हो जाती है, उसे कंडम करके आवश्कतानुसार खरीदी जाती है।

3.उक्त संबंध First Aid Kit की आपूर्ति रेलवे अस्पताल से समय समय पर करायी जाती है।

4.उक्त संबंध में मुख्यालय से 08 किमी. दूर काम करने पर नियामानुसार ही टी.ए. दिया जाता है।

5. एस.टीएम. स्टाफ की पिन प्वाईटिंग 12/12/2024 को कर दी गई है।

6.उक्त संबंध में मुख्यालय से 08 किमी. दूर काम करने पर नियामानुसार ही टी.ए. दिया जाता है।

7.उक्त संबंध स्माल ट्रेक मशीन का टूल बॉक्स स्माल टेªक मशीन के डिपो में रखा जा सकता है, अथवा सेक्शन में उपलब्ध गेंग टूल बाक्स में रखा जा सकता है।

8.उक्त संबंध में कर्मचारी को रोटेशन से लगाने के निर्देष दिये गये हैं।

9.सभी सेफ्टी शूज भारतीय मानक निजी सुरक्षा उपस्कर आई.एस. 15298 भाग-2/2011 15020345:2004अनुरूप नियमानुसार RITES द्वारा निरीक्षण कराकर न्यूनतम बोली वाली फर्म से खरीदी जा रहे हैं।

10. मानव रहित लेवल कार्सिंग की हट को रेस्ट रूम में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है.

11.एस.टी.एम. में कार्यरत तकनी. से ड्यूटी के अनुसार ही आवंटित कार्य कराया जा रहा है।

पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

निरंक

प्रशासनिक टिप्पणी

पीसीई- 1.पिन प्वाइंटिंग के अनुसार हर डिपो में एस.टी.एम. टेक्नीशियन का कार्य डिपो में उपलब्ध एस.टी.एम. मशीनों का रख रखाव करना एवं आवश्कता होने पर संचालन करना भी होता है। किसी भी एस.टी.एम. मशीन के संचालन में 08 टेक्नीशियन की आवश्कता नहीं होती है।

2.उक्त संबंध एसटीएम मशीनों की खरीदी समय-समय पर डिपो की आवश्कतानुसार स्वीकृत कार्यो में उपलब्ध एस.टी.एम. मद से की जाती है। जिसकी आपूर्ति सीधे एसएसई/पीवे में की जाती है। मशीन खराब होने पर उनका आवश्कतानुसार रिपेयर कराया जाता है। जिन मशीनों की को डल लाइफ पूरी हो जाती है, उसे कंडम करके आवश्कतानुसार खरीदी जाती है।

3.उक्त संबंध First Aid Kit की आपूर्ति रेलवे अस्पताल से समय समय पर करायी जाती है।

4.उक्त संबंध में मुख्यालय से 08 किमी. दूर काम करने पर नियामानुसार ही टी.ए. दिया जाता है।

5. एस.टीएम. स्टाफ की पिन प्वाईटिंग 12/12/2024 को कर दी गई है।

6.उक्त संबंध में मुख्यालय से 08 किमी. दूर काम करने पर नियामानुसार ही टी.ए. दिया जाता है।

7.उक्त संबंध स्माल ट्रेक मशीन का टूल बॉक्स स्माल ट्रैक मशीन के डिपो में रखा जा सकता है, अथवा सेक्शन में उपलब्ध गेंग टूल बाक्स में रखा जा सकता है।

8.उक्त संबंध में कर्मचारी को रोटेशन से लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

9.सभी सेफ्टी शूज भारतीय मानक निजी सुरक्षा उपस्कर आई.एस. 15298 भाग-2/2011 15020345:2004अनुरूप नियमानुसार RITES द्वारा निरीक्षण कराकर न्यूनतम बोली वाली फर्म से खरीदी जा रहे हैं।

10. मानव रहित लेवल कार्सिंग की हट को रेस्ट रूम में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है.

11.एस.टी.एम. में कार्यरत तकनी. से ड्यूटी के अनुसार ही आवंटित कार्य कराया जा रहा है।

<u>**कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025**</u>

	PCE :–टिप्पणी यथावत।
MS/38/2024 PCE PCEE PCOM	न्यू मझगवाँ फाटक (NMWP) स्टेशन को बिना मूलभूत सुविधाओं के शुरू करने के संबंध में । उपरोक्त विशयांतर्गत संघ को शिकायत मिली है कि कटनी-बीना खण्ड में न्यू मझगवाँ फाटक मझगवाँ फाटक स्टेशन से अलग नया स्टेशन बनाया गया। यह कार्य मुख्यालय पत्र क्र.-HQ/WCR LN. WCR/JBP/T-541/NI/HDU-NMWP, दिनांक-08.04.2024 (Notification No.-07/2024) एवं जबलपुर मंडल के पत्र क्र. -JBP Division E-Office file No.-219919, दिनाँक 26.03.2024 द्वारा निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। उक्त NI कार्य पूरा कर दिनोंक-28.04.2024 को न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन ओपन कर दिया गया। संघ द्वारा ओपन करने के पूर्व मौखिक रूप से न्यू मझगवाँ फाटक (NMVP) स्टेशन के मूलभूत समस्याओं को बताया गया लेकिन उन समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया जो कि निम्नवत् है- स्टेशन में आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है थोड़ा-सा बारिश हो जाने पर एक किमी पैदल जाना पड़ता है वाहन जाने को कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। स्टेशन बिल्डिंग के विपरीत DN Side में काँटेवालों को सिंगनल एक्सचेंज के लिए कोई जगह / सुविधा नहीं है। स्टेशन में पानी की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर पैनल रूम के सामने शेड की व्यवस्था नहीं है जिससे बारिश का पानी पैनल रूम में आता है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के वाहन को खड़ा करने के लिए कोई शेड नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में Exhaust की सुविधा नहीं है। स्टेशन में स्टोर्स रूम की सुविधा नहीं है। स्टेशन में रेस्ट रूम की सुविधा नहीं है। संघ का कथन है कि न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन में बिना मूलभूत सुविधाओं को बिना पूरा किये चालू कर दिया गया जिससे कर्मचारियों को कार्य के दौरान समस्या हो रही है। अतः संघ माँग करता है कि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाय एवं की गयी कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाय। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- उक्त मद में दिये गए सभी कार्य इरकॉन द्वारा किये जा रहे हैं। साथ ही मुख्य इंजीनियर/सामान्य महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु जनरल मैनेजर इरकॉन/कटनी को पत्र क्रमांक- डब्ल्यू.एच्क्यू/101/पीएनएम/डब्ल्यू.सी.आर.एम.एस-71 दिनांक 04.06.2024 को लिखा गया। 1. स्टेशन में आने-जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है। 2. स्टेशन विल्डिंग के विपरीत डाउन में सेस पर कांटेवाले को सिंगन्ल एक्सचेंज करने के साथ संयुक्त निरीक्षण के पश्चात उचित सुविधा इरकॉन द्वार प्रदान कर दी जावेगी। 3. स्टेशन में बोरवेल की व्यवस्था की गयी है। जिससे पेयज की आपूर्ति 24 आंटे तक सुनिश्चित है। 4. स्टेशन विल्डिंग का निर्माण स्टेण्डर्ड ड्राइंग के अनुसार किया गया है।। जिसमे स्टेशन बिल्डिंग के साथ बराम्दा की व्यवस्था की गई है। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। 5. न्यू मझंगवां स्टेशन परिसर में विद्युत की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की जानी है। इस हेतु विद्युत विभाग के थ निरीक्षम कर प्रकाश व्यवस्था इसकॉन द्वारा कर दीय जायेगी। 6 वाहन खड़े करने के लिये स्टेशन के सामने उपयुक्त स्थान उपलब्ध हे और अनुमोदित नक्शे में शेड नहीं है। शेड का निर्माण करा दया जायेगा।.

	7. वीडीयू कक्ष में खिड़कियों के माध्यम से वेन्टीलेशन की सुविधा उपलब्ध है। 8. वीडीयू कक्ष का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है। 9. स्टेशन बिल्डिंग के समीप एक अतिरिक्त रूम बनाया गया है। जिसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. स्टेशन बिल्डिंग में अनुमोदित नक्शे के अनुसार रूम दिये गए हैं। जिसमें रेस्ट रूम का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह पैसेंजर यार्ड नहीं है। **PCEE**- यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- उक्त मद में दिये गए सभी कार्य इरकॉन द्वारा किये जा रहे हैं। साथ ही मुख्य इंजीनियर/सामान्य महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु जनरल मैनेजर इरकॉन/कटनी को पत्र क्रमांक- डब्ल्यू.एच्क्यू/101/पीएनएम/डब्ल्यू.सी.आर.एम.एस-71 दिनांक 04.06.2024 को लिखा गया। 1. स्टेशन में आने-जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है। नये मार्ग के लिये निर्माण विभाग डब्लयू.सी.आर. से अनुमति मांगी गई है। 2.यह कार्य रेलवे द्वारा किया जाना था, जिसे रेलवे द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। 3. स्टेशन में बोरवेल की व्यवस्था की गयी है। जिससे पेयजल की आपूर्ति 24 घंटे तक सुनिश्चित है। 4. स्टेशन विल्डिंग का निर्माण स्टेण्डर्ड ड्राइंग के अनुसार किया गया है।। जिसमे स्टेशन बिल्डिंग के साथ बराम्दा की व्यवस्था की गई है। 5. न्यू मझंगवां स्टेशन परिसर में विद्युत की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की जानी है, इस हेतु रेलवे-विद्युत विभाग से अनुमोदित नक्शा उपलब्ध हेने पर शेड का निर्माण करा दिया जायेगा। 6. वाहन खड़े करने के लिये स्टेशन के सामने उपयुक्त स्थान उपलब्ध है और अनुमोदित नक्शे में शेड नहीं है। शेड बनाने के लिये रेलवे द्वारा अनुमोदित स्केच नहीं दिया गया है। उपलब्ध होने पर शेड का निर्माण करा दिया जायेगा। 7. वीडीयू कक्ष में खिड़कियों के माध्यम से वेन्टीलेशन की सुविधा उपलब्ध है। 8. वीडीयू कक्ष का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है। 9. स्टेशन बिल्डिंग के समीप एक अतिरिक्त रूम बनाया गया है। जिसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. स्टेशन बिल्डिंग में अनुमोदित नक्शे के अनुसार रूम दिये गए हैं। जिसमें रेस्ट रूम का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह पैसेंजर यार्ड नहीं है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCE :–टिप्पणी यथावत ।
MS/41/2024 PCOM PCE PCEE	कटनी न.क.ज. के परिचालन विभाग के कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में । परिचालन कर्मचारियों के ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत 1. नवनिर्मित EI बिल्डिंग A केबिन B केबिन परिचालन VDU कक्षा में एक का प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे रहने के कारण उसे कक्ष का तापमान सामान्य तापमान से अधिक है अतः A केबिन B केबिन VDU कक्ष में एक का प्रावधान किया जाए जिससे स्टेशन मास्टर VDU का ऑपरेशन के साथ ट्रेन का संचालन सुचारु ढंग से कर सके । 2. न.क.ज. में MI ऑफिस जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर है एवं वाहन के टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है जबकि महिला पॉइंट्समैन भी वहां कार्य करती हैं अतः वहां नया MI कक्ष टॉयलेट के साथ बनाया जाये।

3. न.क.ज. की यार्ड में डिपार्चर यॉर्ड एवं न्यू यॉर्ड की बिल्डिग पुरानी है जो बरसात में लीकेज होता है जिससे स्टेशन मास्टर का कार्यस्थल की स्थिति ठीक नहीं है एवं शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है अथवा डिपार्चर / न्यू यार्ड की नई बिल्डिंग बनाई जाए एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाए।

4. जबलपुर मंडल में स्टेशन मास्टर का ड्यूटी रोस्टर ऐसा बनाया गया है जिसमें सात नाइट लगातार करना पड़ता है जिससे स्टेशन मास्टर / कांटेवाले के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और भारी संख्या में स्टेशन मास्टर चिकित्सा विकोटीकृत हो रहे हैं साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं अतः 04 नाइट रोस्टर लागू किया जाए।

5. जबलपुर मंडल में जबलपुर सतना कटनी मुंडवारा RRI में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी व व उमस होने के कारण कार्य में समस्या होती है गर्मी में कूलर कक्ष के अंदर लगा दिया जाता है जिससे उमस के साथ-साथ आवाज होने के कारण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है इस समस्या को देखते हुए कई अधिकारी पूर्व में अपने निरीक्षण के दौरान RRI कक्ष में AC लगाने का जिक्र किए हैं लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया। अतः पैनल कक्ष में AC लगाया जाए ।

6.जबलपुर मंडल में जी स्टेशनों में अत्यधिक लोडिंग /अनलोडिंग किए जाते हैं एवं साथ में ट्रेन संचालन भी कियाजाता है ऐसे स्टेशनों में ऑउटडोर स्टेशन मास्टर का प्रावधान किया जाए जैसे दमोह झुकेही, बरगवा, मदनपुर आदि।

7. रोड साइड स्टेशनों में स्टेशन के साथ कॉलोनी की सफाई कार्य स्टेशन मास्टर के द्वारा कराया जाता है लेकिन कार्यरत स्टेशन मास्टर के लिए सफाई कार्य की निगरानी कर पाना मुश्किल हो रहा है तथा सफाई कार्य से स्टेशन मास्टर को अलग किया जाए।

8. कटनी मुड़वारा में स्टेशन प्रबंधक कक्ष और VIP कक्ष एक ही जिसके कारण कभी-कभी कार्य आबादी में किसी VIP का परिवार सहित आगमन पर स्टेशन प्रबंधक को परेशानी का सामना करना पड़ता है अतः स्टेशन मास्टर कक्षा को VIP कक्ष से अलग बनाया जाए।

9. कटनी लॉबी से जिस मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाया जाता है वहां से ड्यूटी ऑन करने के बाद लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर कटनी मुंडवारा / कटनी साउथ जाते हैं तो वहां कई बार गाड़ियां दो-तीन घंटे लेट हो जाती हैं उस स्थिति में लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर को स्टेशनों में कोई रूम नहीं है जहां बैठकर गाड़ी का इंतजार कर सके प्लेटफार्म पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। अतः एक रूम की फर्नीचर एवं टॉयलेट के साथ व्यवस्था किया जाए ।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।

प्रशासनिक टिप्पणी

पीसीई-1. क्रमांक 1,4,5,6,एवं 7 इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है।

टॉयलेट के कार्य का प्रस्ताव रेवेन्यू 2024-25 में प्रक्रियाधीन है एवं महिला पॉइंसमैन के टॉयलेट का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।

3. उक्त कार्य करा दिया गया है। कृपया मद समाप्त किया जाये। PCEE-Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.

PCOM- 1- नकज ए एवं बी केबिन में 1 एवं नकज सी केबिन में 4 एसी लगा दिये गये है।

2- इस हेतु इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार किया जायेगा।

3-नकज यार्ड के डिपार्चर यार्ड एवं न्यू यार्ड की नई बिल्‌्डिग का निर्माण करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा पत्र क्रमांक JBP.T.O.NKJ.39.KTE-SGRL-SGRL Doubling दिनांक 12.10.2023 के अनुसार IRCON को पत्र लिखा गया है।

4- जबलपुर, सतना एवं सागर स्टेशनों पर 4 नाईट ड्यूटी रोस्टर प्रायोगिक तौर पर लागू किया जायेगा। परन्तु सागर स्टेशन पर रिपोर्ट अप्राप्त है एवं जबलपुर एवं सतना में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की आपसी सहमति न होने के कारण लागू नही किया जा सका।

5-जबलपुर मंडल के समस्त आरआरआई में एसी लगाने हेतु कार्यवाही की गयी थी परन्तु इलैक्ट्रिकल विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।

	6- दमोह, झुकेही, बरगंवा एवं भदनपुर स्टेषनों आउटडोर स्टेषन मास्टर का प्रावधान किये जाने के लिये अतिरिक्त स्टेषन मास्टर के पदों के सृजन करने की आवष्यकता होगी। पदों को सृजन करने हेतु मनी वैल्यू मंडल वैकेंसी बैंक में उपलब्ध नही है। 7-रोड साइड स्टेषनों एवं कालोनियों की सफाई हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा आउटसोर्स किया गया था जिसे लगभग पिछले 4 वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा पुनः आउटसोर्स करने हेतु छैळ- 5 एवं 6 श्रेणी के 21 बडे स्टेषनों की साफ-सफाई को ठेका Gem के माध्यम से (BRGW, VST, MWJ, UDR, BEHR, UHR, JTW, PHA, MKRN, KYE ,BNU ,NWR, KTE-S SHR, SBD,SGP, SRID, KY, BKH, SCKR, KKB) के साफ सफाई का ठेका अवार्ड कर दिया गया है जो कि पार्टी के द्वारा साफ सफाई का कार्य चालू कर दिया गया है। वर्तमान में अन्य स्टेषन प्रबंधक द्वारा अग्रदाय धन से रेल परिसर/स्टेषन/कालोनी की सफाई करायी जा रही है। वर्तमान में निम्नलिखित स्टेशन पर सफाई का कार्य ठेका पर किया जा रहा है। Cleaning Contract SN STATION SN STATION 1 PPI 18 SBD 2 BKH 19 UHR 3 SGP 20 MYR 4 GAR 21 BNU 5 SCKR 22 DMO 6 KY 23 STA 7 NU 24 JTW 8 SRID 25 REWA 9 KKB 26 KMZ 10 MML 27 PHA 11 JBP 28 KYE 12 SHR 29 MKRN 13 SBD 30 SGO 14 KTES 31 NKJ 15 KTE 32 VST 16 JKE 33 BEHR 17 NWR 34 BRGW 8-कटनी मुडवारा स्टेषन पर वीआईपी कक्ष बनाने हेतु सर्वे कराने हेतु दिनांक 06.10.2023 को पत्र लिखा गया था सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पष्चात ई-ऑफिस फाइल नं. 224822 दिनांक 26.10.2023 को वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजा गया है। अमृत भारत स्कीम के तहत की जा सकती है। 9-वर्तमान में आरआरआई केएमजेड एवं कटनी साउथ स्टेषन मास्टर कक्ष में लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर को पर्याप्त छाया, बैठने एवं पानी की व्यवस्था है गाडियां लेट होने के कारण वहां बैठकर गाडी का इंतजार कर सकते है। **PCEE**- Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.
	पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- क्रमांक 1,4,5,1,4,1. 1,4,5,6,एवं 7 इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2.टॉयलेट के कार्य का प्रस्ताव रेवेन्यू 2024-25 में प्रक्रियाधीन है एवं महिला पॉइंसमैन के टॉयलेट का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा। 3. उक्त कार्य करा दिया गया है। कृपया मद समाप्त किया जाये। 8. मंडल रेल प्रबंधक परिचालन कार्या./जबलपुर के द्वारा अपने पत्र क्रं. जबल/टी/2024/वेसेरेमसं/23/4 दिनांक- 09.10.2023 के माध्यम से वरि.खंड अभि. (विद्युत) कटनी, वरि.खंड अभि.(कार्य)कटनी, मुख्य वाणिज्य निरी./एन.के.जे., स्टेशन प्रबंधक/कटनी मुड़वारा के संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया गया तथा कटनी मुड़वारा स्टेशन पर VIP रूम का सर्वे किये जाने के संबंध में एवं निरीक्षण उपरांत वर्तमान

	स्थिति एवं प्रस्तावित स्थिति की जानकारी से अवगत कराने के संबंध में आदेशित किया गया। निरीक्षण उपरांत संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा कटनी मुड़वारा स्टेशन के कक्षों की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित स्थिति निम्नानुसार रखी गई है। वर्तमान स्थिति--प्रस्तावित स्थिति (i) स्टेशन प्रबंधक कक्ष सह VIP कक्ष (कार्यालय अधीक्षक कक्ष सहित)-- मु.टि.निरी.कक्ष सह रिकार्ड रूम कक्ष सह (ii) मु.टि.निरी.कक्ष--VIP कक्ष/रूम (iii) उप.स्टे.प्रबंधक (परि.)कक्ष --स्टे.प्रबंधक कक्ष (कार्यालय अधीक्षक कक्ष सहित) उपरोक्त परिवर्तन के पश्चात स्टेशन प्रबंधक एवं VIP रूम प्रथक-प्रथक हो जायेंगे। 9. मद संख्या 09 के लिये प्रस्ताव मंडल कार्यालय से अपेक्षित है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** PCE :–टिप्पणी यथावत ।
MS/57/2024 PCE	ग्रेड सेपरेटर परि योजना नकज तहत इरकान द्वारा कराये गये कार्य में पानी निकासी को बंद करने के कारण आरओएच पुलिया में जल भराव की स्थिति पैदा होने के संबंध में। कटनी-नकज परिक्षेत्र में ग्रेड सेपरेटर परियोजना का कार्य इरकान द्वारा कराया जा रहा है जिसमें बहुत से पुराने स्टरक्च र व्यजवस्था में तोड-फोड की गयी है उसी क्रम में आरओएच पुलिया अंधेरी पुलिया जो आरओएच शेड जाने का मुख्य मार्ग है की................. रोड तोड दी गई है एवं आरओएच पुलिया से पानी निकासी के मार्ग को भी अवरोधित कर दिया गया है जिसमे थोडा सा भी वारिश होने पर आरओएच पुलिया मे पानी भर जायेगा और आरओएच से कर्मचारियों का आवगमन बाधित होने की पूरी संभावना है इस संबंध में अनुरक्षण विभाग कटनी/नकज द्वारा कई पत्र इरकान को दिया गया लेंकिन इरकान द्वारा इस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः संघ की मांग है कि आरओएच पुलिया के दोनो अप्रोच का निर्माण के साथ डेनेज का भी निर्माण किया जाये जिससे शीघ्र वारिश होने पर आरओएच से आवागमन वाधित न हो और रेलवे के किसी कार्य में बाधा न उत्प न्न हो। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम में विस्तृनत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी निरंक पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/ सिविल/कटनी ग्रेड सेपरेट परियोजना के अनुसार बिमरोल नदी (CH:8500) सिमरोल नदी (CH:4600) तक लगातार नाली का निर्माण किया जा रहा है। जिसके द्वारा दोनों नदियों के मध्य के जल भराव का निकासी का कार्य किया जायेगा। यह कार्य मानसून से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। आरओएच शेड को जाने वाली पुलिया (अंधेरी पुलिया) (CH:6000) का भी पानी उपरोक्त नाली द्वारा निकलेगा। साथ में पुलिया को शेड के द्वार कवर भी किया जा रहा है ताकि बारिश का पानी पुलिया के अंदर न जा सके। आरओएच (नकज) पुलिया में अप साइड से जाने के लिये कच्चा रोड था। जो कि आज भी है तथा ग्रेड सेपरेटर के कार्य के कारण रोड क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। रेलवे द्वारा आरओएच (नकज) पुलिया से अप ग्रेड सेपरेटर एलएचएस एवं एलएचएस के बाद 30मी तक रोड बनाने कार कार्य इसकॉन द्वारा किया जा चुका है।

	कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 PCE :–टिप्पणी यथावत ।
MS/03/2025 PCE Dy.CPO/HQ	कोटा मंडल के ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता समूह के संबंध में। उपरोक्त विषय में इन्जी. विभाग में कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर रखी जा रही है। इस वरीयता के कारण एक साथ नियुक्त हुए कर्मचारी अलग अलग वरीयता ग्रुप में नियुक्त होने पर उनके पदोन्नति अवसरो मे काफी अंतर आ जाने के कारण कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स मे असंतोष व्याप्त हो रहा है। इस संबंध में वर्तमान में ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर युनिट के अनुसार होने के कारण पदौन्नति के अवसर भी कम हो जाते है एवं एक साथ भर्ती होने वाले अलग अलग यूनिट के कर्मचारियों में पदौन्नति तिथियों मे विसंगतता आ जाती है। इस संबंध में संघ का सुझाव है कि वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुए ट्रेकमेन्टेनर्स केडर के लिए नई वरीयता नीति निर्धारित की जानी चाहिए। संघ का अनुरोध है कि ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता के स्तर में संषोधन हेतु आवष्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। संघ/पीएनएम/कोटा इन्जी/78दिनांक 22.07.2024
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HQ- कोटा मण्डल पर ट्रेकमेन्टेनर्स संवर्ग की वरियता को सहायक मण्डल इंजीनियर स्तर पर करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश कमांक WCR-KOTAOPERS (ENGG) /30/2024 दिनांक 30.12.2024 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें। पीसीई- कोटा मंडल में ट्रैकमेन्टेनरों की वरीयता का रख-रखाव अभी तक एसएसई/पीवे डिपो वाईज रखा जा रहा था। मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा के पत्र दिनांक 30/12/2024 के अनुसार दिनांक 01/01/2025 से TM- 1,2,3,4 संवर्ग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्तमान ग्रेड में कार्य करने की तिथि से, एक ही सहायक मंडल इंजीनियर के अधीन स्थित डिपो की “एकीकृत वरीयता” सूची बनाकर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा को भेजी जा चुकी है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- कोटा मंडल में ट्रैकमेन्टेनरों की वरीयता का रख-रखाव अभी तक एसएसई/पीवे डिपो वाईज रखा जा रहा था। मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा के पत्र दिनांक 30/12/2024 के अनुसार दिनांक 01/01/2025 से TM- 1,2,3,4 संवर्ग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्तमान ग्रेड में कार्य करने की तिथि से, एक ही सहायक मंडल इंजीनियर के अधीन स्थित डिपो की “एकीकृत वरीयता” सूची बनाकर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा को भेजी जा चुकी है।
PCE 15/2025	भोपाल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. भोपाल मंडल में इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा HRMS module के पूर्व में स्वंय के अनुरोध पर जोनल स्थानांतरण संबंधी आवेदन मंडल को अग्रेषित किए गए थे जिनका सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पश्चात कार्मिक विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था उसमें से मंडल द्वारा मात्र 37 कर्मचारियों की सूची जारी कर उनके फार्म एचआरएमएस मांड्यूल के माध्यम से अग्रेषित करवाकर प्रोसेस करवा दी गई। किन्तु बाकी कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन को निल मानते हुए पुनः नये सिरे से एचआरएमएस मांड्यूल के माध्यम से आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों की वरीयता का नुकसान होगा। अतः संघ मांग करता है कि जिन 150 कर्मचारियों का फाईलों के आधार पर रजिस्ट्रेशन किए गए थे। उनकी मंडल द्वारा सूची जारी कर उनके रजिस्ट्रेशन करवाये जाए जिससे उनकी

	वरीयता प्रभावित ना हों और वह भविष्य में वरिष्ठता के आधार पर जोनल स्थानांतरण हेतु रिलीव हो सके। 2. टीआरडी कॉलोनी/विदिशा में 05 वर्ष पूर्व निर्मित आवासों की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने के कारण खंडहर की स्थिति में हो गये है और निवास हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त आवासों का रिनोवेशन का कार्य करवाकर कार्यवाही करवाई जाए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। **पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1. उक्त विषय के अंतर्गत वर्तमान में ट्रेकमैन संवर्ग में 900 से अधिक रिक्तियां होने के कारण HRMS Module पर इंटर जोन एव इंटर डिवीजन के स्वयं के अनुरोध पर लगाये गये आवेदन रद्द किये जा रहे हैं। भविष्य में नये कर्मचारियों की भर्ती होने पर पंजीयन सूची के अनुसार कर्मचारियों को एनओसी प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में मंडल इंजीनियिरंग विभाग के पत्र क्रमांक भो/कार्य/स्थापना/कलर्क/ दिनांक-17/02/2025 द्वारा कार्मिक विभाग को रद्द किये गये आवेदनों के पंजीयन हेतु सूचित किया जा चुका है। 2. उक्त संबंध में टीआरडी कॉलोनी विदिशा में 14 आवासों में 02 आवासो का कार्य मार्च 2025 को पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासो के कार्य का प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत कराया जायेगा।
MS/21/2025 PCE	महाप्रबंधक कार्यालय के एनेक्स बिल्डिंग एवं कोर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लीकेज के संबंध में । महाप्रबंधक कार्यालय के एनेक्स बिल्डिंग एवं कोर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लीकेज के कारण पर बरसात में पानी का काफी रिसाव आ रहा है जिसके कारण कार्यालय में स्टाफ को बैठकर काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम्प्यूटर / प्रिंटर / यूपीएस आदि उपकरणों के उपर पानी गिरने से कई उपकरण खराब हो गए एवं विद्युत स्विच बोर्ड एवं उपकरणों में करंट आने से दुर्घटनाओं की संभावना है। यहां लगे हुए एयर कूलर के डक्ट में भी पानी भर जाता है जो हमेशा रिसता है एवं दुर्गंध / बदबू करता है इससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर टॉप फ्लोर गर्मियों में अधिक गर्म हो जाता है जिसके कारण गर्मियों में यहां कार्य करना काफी मुश्किल हो रहा है। रे. बोर्ड के पत्रांक 2012/Elect(G)/114/1, Dt.15/05/2023 के तहत रेल कार्यालयों में एयर कंडिशन लगाने का निर्देश भी जारी किया गया है। अतः संघ मांग करता है कि महाप्रबंधक कार्यालय के उपरोक्त बिल्डिंग को कारगर तरीके से शीघ्र रिपेयर करवाये जायें एवं एयर कूलर को रिप्लेस कराके वातानुकूलित करवाने की व्यवस्था की जाये। संघ पीएनएम में इस मद पर विस्तृत चर्चा चाहता है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1. उक्त कार्य जोनल वर्क के अंतर्गत अगामी वर्षा ऋतु से पूर्व करा दिया जायेगा। 2. विद्युत विभाग से संबंधित है। **पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1.उक्त कार्य जोनल वर्क के अंतर्गत 30.06.2025 तक करा दिया जायेगा। 2. विद्युत विभाग से संबंधित है।
MS/27/2025 PCE DY.CPO HQ	जबलपुर मंडल में कार्यरत इंजीनियरिंग वर्क्स के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में । उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान परिस्थितियों में जबलपुर मंडल में कार्यरत इंजीनियरिंग वर्क्स के कर्मचारियों

	पर प्रषासन द्वारा नये-नये नियम लागू करके कर्मचारियों को प्रताडित किया जा रहा है जिससे कर्मचारी मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित है एवं मेडिकल केटेगरी सी-1 के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। समस्याएँ निम्न प्रकार से :- 1. जबलपुर मंडल में इंजीनियरिंग (वर्क्स) में कर्मचारियों के भर्ती के दौरान या फिर मेडिकल डीकेटेराइज्ड होने के दौरान मेडिकल केटेगरी सी-1 रहने पर इंजीनियरिंग वर्क्स में हेल्पर या आर्टिजन स्टाफ के पद पर पदस्थ किया जाता था वर्ष 2024 के पूर्व निकलने वाली आर्टिजन एलडीसीई की भर्ती में भी समस्त मेडिकल केटेगरी के कर्मचारियों को अवसर मिलता था एवं आर्टिजन स्टाफ बन जाते थे। परंतु महोदय, 2024 में निकली आर्टिजन एलडीसीई में सरंक्षा केटेगरी के नाम पर इंजीनियरिंग वर्क्स के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है एवं सी-1 मेडिकल केटेगरी के कर्मचारियों को बाहर कर दिया जा रहा है जिससे उनके भविष्य में पदोन्नति के सारे अवसर बंद हो गये है। कर्मचारी भर्ती हेल्पर के पद से हो रहा है और हेल्पर पर ही सेवानिवृत्त हो रहे है। 2. जबलपुर मंडल में पदस्थ इंजीनियरिंग वर्क्स में कर्मचारियों को वर्ष 2024 के पूर्व फील्ड होने के अनुसार 16 हॉलीडे एवं 08 सीएल प्रदान किये जाते थे लेकिन वर्तमान में निकले आदेष के अनुसार कर्मचारियों को लाईन स्टाफ मानकर उन्हें 12 हॉलीडे एवं 10 सीएल प्रदान करने के आदेष प्रषासन द्वारा दिये गये है। 3. जबलपुर मंडल में पदस्थ इंजीनियरिंग वर्क्स में कर्मचारियों को ओपन लाईन स्टाफ माना जा रहा है तब ओपन लाईन स्टाफ की तरह ही इंजीनियरिंग वर्क्स में कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डषिप एलाउंस प्रदान किया जाये या फिर प्रषासन द्वारा निकाला गया आदेष का निरस्त कर पूर्व की भांति 16 हॉलीडे एवं 08 सीएल प्रदान किये जाये। 4. जबलपुर मंडल में इंजीनियरिंग वर्क्स के कर्मचारी स्वयं के वाहन पर रेत, गिटट्टी, सीमेंट, मेषनरी सामान, कारपेंटर से संबंधित सामान फिटर से संबंधित सामान एवं अन्य आर्टिजन से संबंधित सामान को लेकर रेलवे आवासोंमें रेलवे फाटको में अडंरब्रिजो में, पुल एवं पुलियों में रिपयेरिंग कार्य करने जाते है जिसका उन्हें न तो कन्वेनष न ही कोई अन्य एलांउस दिया जाता है अतः इंजीनियरिंग वर्क्स में कर्मचारियों को भी साईकिल एलांउस प्रदान किया जाये। 5. भोपाल मंडल की भांति जबलपुर मंडल में भी बढ़े हुये रेट पर कन्वेन्य एलांउस प्रदान किया जावे । संघ आष्वस्त है कि इंजीनियरिंग (वर्कस) के कर्मचारियों की उक्त समस्याओ का समाधान करने हेतु रेल प्रषासन शीघ्र कार्यवाही करेगा । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** (i) The workman having been at the time thereof under the influence of drink or drugs. पीसीई- कार्मिक विभाग से संबंधित है। **पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीई- 1. यह नीतिगत मामला है। उक्त मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 2. इंजीनियरिंग वर्कस के कर्मचारियों को लाईन ड्यूटी पर नहीं भेजा जाता है उन्हें फील्ड कैडर ही माना जाता है रेलवे नियमानुसार उन्हें 16 सामान्य अवकाश एवं 08 सी.एल ही दी जाती है। 3. इंजीनियरिंग वर्कस के कर्मचारियों को लाईन ड्यूटी पर नहीं भेजा जाता है उन्हें फील्ड कैडर ही माना जाता है रेलवे नियमानुसार उन्हें 16 सामान्य अवकाश एवं 08 सी.एल ही दी जाती है।
MS/29/2025 PCE DY.CPO/HQ	2024-2025 के लिए कार्य योजना जनशक्ति नियोजन पर समझोता ज्ञापन लक्ष्य के संबंध में । संदर्भ-1. रेल्वेबोर्ड के पत्र संख्या E (MPP) 2024/1/5 दिनांक 08/05/24. 2. मुख्यालय कार्यालय पत्र संख्या WCR/P-HQ /0100/Cadreकार्ययोजना दिनांक 20/05/24.

	उपरोक्त विषय के अंतर्गत ट्रेकमैन से सत्र 2018 में मौखिक वायवा और साक्षात्कार के तहत कर्मचारियों को स्मॉल ट्रैक मशीन STMD तकनीशियन बनाया गया था, इसी प्रकार ट्रेकमैन से ही ट्रेकमषीन TTM मशीन पर तकनीशियन नियुक्त किए गए थे, दोनो का कैडर सीनियरिटी वर्किंग अलग ओर भिन्न है, प्रशासन का कहना था भविष्य मे STMD स्मॉल ट्रैक मशीन PWAI का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अचानक इस तरह पत्र निकालकर "इंजीनिरिंग के तकनीशियन" का ट्रेकमषीन में समायोजन करना न्यायोचित ओर मानवीय आधार पर भी ठीक नही हैं। इन एकतरफा आदेश से सभी कर्मचारी काफी परेशान है। अभी कुछ कर्मचारी विभिन्न इंजीनियरिंग डिपो के तहत अलग-अलग जगह काम कर रहे है जिससे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन भी कर रहे है, अगर यह पत्र लागू होता है तो लगभग सभी कर्मचारियों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा तथा अपने परिवार को छोड़कर रहना पड़ेगा । अतः अनुरोध है कि संदर्भित आदेश पर पुर्नाविचार किया जाकर कर्मचारियों को राहत दी जाए अथवा विकल्प का ऑप्शन या दूसरी चॉइस ट्रेकमशीन के अलावा किसी अन्य विभाग का विकल्प भी दिये जाने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देश देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- यह नीतिगत मामला है। जिसमें मुख्यालय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- यह नीतिगत मामला है। जिसमें मुख्यालय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।
MS/35/2025 PCE JBP DIV.	रेल भूमि के अतिक्रमण के संबंध में। मंडल में सेन्ट्रल रेलवे द्वारा संचालन सहकारी सोसायटी से.रे.ई.सी.सी. सोसायटी कार्यरत है जोकि वर्षों से कर्मचारियों को लोन देने का कार्य करती है जिसका शाखा कार्यालय जबलपुर में मंडल प्रबंधक कार्यालय परिसर में है जोकि रेल भूमि पर बना हुआ है उसी प्रकार नकज एरिया में एक सब ब्रांच के लिये रेलभूमि में कार्यालय उपलब्ध कराया था तथा इसी सोसायटी के अंतर्गत एक एलपीजी गैस एजेंसी चलती थी जो रेलवे कालोनी में एलपीजी की सप्लाई की जाती थी यह दोनो उपकम से.रे.ई.सी.सी. सोसायटी द्वारा चलाये जाते है तथा 8-10 वर्ष पूर्व सेन्ट्रल रेलवे ईसीसी सोसायटी द्वारा दोनो उपक्रमों को बंद कर दिया गया था। उपरोक्त गैस एजेंसी एवं से.रे. ईसीसी की सब ब्रांच चलाने हेतु रेल भूमि/भवन दी गई थी जोकि 8-10 वर्ष पूर्व बंद हो गई। किंतु इतने लंबे समय अंतराल के बाद भी प्रशासन द्वारा से ईसीसी सोसायटी को दी गई थी। रेल प्रशासन ने अपने अधीन उपरोक्त भूमि/भवन नहीं लिया। वर्तमान में उस भूमि पर किसी संस्था द्वारा कब्जा कर रेलवे मेंस वेस्ट प्राइस के तीन चार बोर्ड लगाये गये है जो कि रेलभूमि/भवन पर सीधा-सीधा अतिक्रमण है। उपरोक्त सब ब्रांच व गैस एजेंसी हेतु सेन्ट्रल रेलवे ईसीसी सहकारी संख्या के लिये भवन / रेलभूमि दी गई थी जोकि 8-10 वर्षो पूर्व बंद हो गई है। तात्पर्य रेल कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपरोक्त रेलभूमि का उपयोग होना बंद हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि तत्तकाल उपरोक्त भूमि भवन पर रेलवे प्रशासन अपना कब्जा हासिल करें जिससे रेलभूमि पर अतिक्रमण तत्काल रोका जा सके तथा अनाधिकृत कब्जे पर डैमेज रेंट लगाकर संबंधिता अनाधिकृत कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों से वसूली की जायें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। बिना मनोवैज्ञानिक परीक्षा के रनिंग केटेगरी से हटाये जाने के संबंध में प्रकरण श्री भगवान सिंह मीना, लोको पायलट गंगापुर सिटी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- उपरोक्त भवन (पुराना गैस गोदाम न.क.ज) मंजल रेल प्रबंधक जबलपुर के पत्र क्र.पमरे/का-

	दूव/468/2 को ऑपरेटिव सोसाईटी/कोटा दिनांक 05-08-2014 के आदेश से SSE/वर्कस/नकज के पत्र क्रमांक-गास गोदाम/फाईल/नकज/X दिनांक 29-10-2014 से स चिव वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाई यूनियन नयी कटनी ब्रांच को सौंपी गयी थी। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** PCE :—
MS/44/2025 PCE भोपाल मंडल	संघ कार्यालयों से की जा रही व्यावसायिक दरों की वसूली को अविलम्ब रियायती दरों के अनुसार रेल आवासों की तर्ज पर 25 प्रति माह करवाने बावत् । शासन के अनुसार संघ कार्यालय प्रशासन का हिस्सा है, कार्यालयों की व्यवस्था प्रशासन का उत्तरदायित्व है। दैनिक उपयोग हेतु बिजली और पानी की व्यवस्था रेल प्रशासन के द्वारा मुहैया करवायी जाती है, किंतु मंडलो में संघ कार्यालयों से जल के उपयोग के बदले वसूले जा रहे जल के बिल का भुगतान वाणिज्यिक दरों पर किया जा रहा है। संघ आग्रह करता है कि पश्चिम मध्य रेल के एक मात्र मान्यता प्राप्त मजदूर संगठन की उपयोगिता और मजदूरों के हितों की रक्षार्थ किए जाने वाले कार्यो के महत्व को देखते हुए उक्त जल दरों को सहानुभूति पूर्वक रेल आवासों की दर के अनुरूप न्यूनतम होना चाहिए । यह भी है कि मजदूर संघ के कार्यालयों में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं होती है और ना ही होने वाली गतिविधियों से संघ को किसी प्रकार की अन्य आय अर्जित होती है, अतः संघ कार्यालयों से की जा रही व्यावसायिक दरों की वसूली को अविलम्भ रियायती दरों के अनुसार रेल आवासों की तर्ज पर 25 र प्रति माह करवाने का प्रबंध करे । है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- यह नीतिगत मामला है।
MS/48/2025 PCE भोपाल मंडल	भोपाल मंडल की इंजीनियरिंग विभाग की समस्यायें । 1. भोपाल मण्डल में नई बिल्डिंग, स्टेशनो का निर्माण हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए उनके वाहन की पार्किंग व्यवस्था नहीं रखी जाती है, जिसके कारण उनके वाहनों की चोरी एवं ग्लास फोड देते हैं। अतः मुख्यालय से ऐसी नियमित पॉलिसी होना चाहिए व ध्यान रखना चाहिए की रेल कर्मचारी के लिए पार्किग व्यवस्था होना चाहिए। 2. इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक कार्य कराया जा रहा है जिसके इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी अधिकतर रेल्वे अस्पताल में भर्ती या वहाँ के चक्कर लगाते रहते है। लाईट जॉब डॉक्टर द्वारा लिखने पर भी उन्हें उसी के नाम पर डी.आर.एम. ऑफिस व अस्पताल घूमते रहते है मेट, की-मेन, पेट्रोलिंग सही तरीके से नहीं करवाते है जिससे संरक्षा हमेशा खतरे में रहती हैं, न इनका कार्य का विभाजन पता है कि किसका एक दिन में कितना कार्य करना है। अतः एक नई पॉलिसी बनाकर पत्र जारी करें। 3. भोपाल मण्डल की रेल आवासो की हालत खराब है। हर फोरम पर इस समस्या को उठाया जाता है, कि बरसात में रेल आवासो के छत से पानी गिरता है एवं कालोनी में घुटने तक पानी भरा रहता है, जिसकी निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, (शिवपुरी, सॉची, व्यावरा आदि स्टेशन) साथ ही पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है, बोर सूखे होते है एवं बोर खराब रहता है इसके लिए दूरग्रामी योजना बनाई जाए ताकि ये सब समस्या न रहे एवं कर्मचारी सुखी रहे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई 1. भोपाल मंडल मे बनाई जा रही नई बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था रेलवे स्टाफ हेतु किये जाने के लिए प्राक्कलन में प्रावधान रखा जायेगा। 2. उक्त संबंध में कर्मचारियों द्वारा आवश्यकतानुसार ही कार्य कराया जाता है। यदि किसी कर्मचारी को

	लाइट जॉब के लिए डॉक्टर द्वारा कहा जाता है, तो कर्मचारी से उसी प्रकार का कार्य कराया जाता है। 3. साँचीः- साँची स्टेशन आवास की छत से पानी गिरने की समस्या के निराकरण हेतु रिपेयर कार्य किया जा चुका है। कुछ आवास शेष है जिन्हें 15 जून 2025 के अंत तक रिपेयर कर दिया जायेगा। कालोनी में पानी भरने की समस्या के निराकरण हेतु नाली साफ करवाई जा चुकी है एवं आवास के आगे सी.सी. रोड एवं सी.सी. पाथवे बनाये जा चुके है। वर्तमान में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है एवं बोर भी चालू है। नगरपालिका के माध्यम से भी नल-जल योजना के अंतर्गत पाईप लाइन द्वारा पानी सप्लाई की जा रही है। ब्यावराः- ब्यावरा रेलवे कॉलोनी में पानी की कोई समस्या नहीं है, एवं रूफ लिकेज का कार्य समय समय पर कराया जाता है। शिवपुरीः- डिवाटरिंग एवं ड्रेन वकर्स का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिससे ड्रेनेज समस्या का स्थायी निदान हो सकेगा। वॉटर सप्लाई बोरवेल द्वार की जा रही है एवं टेंकर सप्लाई भी आवश्यकतानुसार करायी जाती है। इस उपमंडल में पानी की कोई शिकायत नहीं है। शिवपुरी में कुल 82 आवास है। जिसमें 12 आवासो का स्तर नीचे है। जिस कारण लगातार बारिश होने से पानी भर जाता है। स्थानीय प्रशासन को कई पत्र लिखे गए है जिसमें निजी कॉलोनी को नालियों के निर्माण के लिये रास्ता देने के लिये निर्देश देने के लिये कहा गया है। समस्या को कम करने के लिये सैम्प और पंपिग की व्यवस्था की गई है।
MS/55/2025 PCE जबलपुर मंडल	जबलपुर मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के मुद्दे । 1. इंटेक कोटा जबलपुर जोन में ट्रैकमैनों के लिए दूसरे विभाग की लेटरल एंट्री इंटेक कोटा की भर्ती न के बराबर निकाली जा रही है। जबलपुर मण्डल में 2017 के बाद 2024 में मात्र 3 पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन की भरी गई, जबकि जबलपुर मण्डल में ही S&T हेल्पर, पॉइंट्समैन आदि की काफी पोस्ट खाली है। 2. OT का प्रावधान ट्रैकमैनों को ओवर टाइम ड्यूटी के बाद OT का प्रावधान किया जाए। क्योंकि कर्मचारियों की कमी के कारण अक्सर ट्रैकमैनों को ड्यूटी के बाद भी कार्य कराया जाता है, उस एवज में OT नहीं दिया जाता। 3. चाभीदारो की समस्याएं चाभीदारो की बीट कई जगहों पर खासतौर पर ट्रिपल लाईन और सिंगल लाईन में 6 किमी है, डबल लाईन में 4 से 4.5 किमी, जिससे फस्ट टाइम ही उनको 4 घंटे में 12 किमी / 8,9 किमी चलना होता है। चाभीदारो की बीट कम की जाए। तथा कई जगहों पर 30 mm रेल क्लोजर दुलाया जाता है, जबकि वर्तमान LWR/CWR में इसका कोई उपयोग नहीं है। अतः क्लोजर को चाभीदार के समान से हटाया जाए। 4. प्रोटेक्टिव गियर ट्रैकमैनों को मिलने वाले प्रोटेक्टिव गियर सेफ्टी शूज, विंटर जैकेट, रेनकोट, हेलमेट, LED टॉर्च, बैग ल्यूमिनस आदि समय से नहीं मिल पा रहे हैं, और जो मिल रहें हैं, उनकी क्वालिटी भी काफी खराब होती है। जुलाई 2017 से मई 2025 तक विवरण सेफ्टी शूज मिलने चाहिए 16, मिले 9 बाकी 7, विंटर जैकेट मिलने चाहिए 4. मिले 4, रेनकोट मिलने चाहिए 8, मिले 4 बाकी 4. ल्यूमिनस वेस्ट मिलने चाहिए 16, मिले 8 बाकी 8, हेलमेट मिलने चाहिए 8. मिले 3 बाकी 5'टूल किट बैग मिलने चाहिए 8. मिले 3 बाकी 5. LED ट्राई कलर टॉर्च मिलने चाहिए 8, मिले 2 बाकी 6 इन सबसे स्पष्ट है कि प्रशासन उपरोक्त समान नहीं दे पा रहा, अनुरोध है कि उक्त सामग्री का एरियर रेलवे बोर्ड के मूल्य के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में लगाएं। आने वाले समय में सही समय पर और सही क्वालिटी की सामग्री का वितरण किया जाए, न होने की स्थिति में, पैसे कर्मचारियों के वेतन में लगाया जाए। 5. रक्षकट्रैकमैनों, पेट्रोलमैनो की बहु प्रतिक्षित मांग रक्षक डिवाइस को वितरित किया जाए, जिससे उनकी जान की सुरक्षा हो पाए।

	6. जबलपुर मंडल में रेल लाइन की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कटनी-बीना खंड लगभग डबल लाइन से ट्रिपल लाइन व कटनी सिंगरोली खंड में सिंगल से डबल लाइन लगभग पूर्णतः की ओर है। किन्तु ट्रेकमैंटेनर व संबंधित रेल ट्रेक मरम्मत मे कार्य करने वाले कर्मचारियों के नये पदो का सृजन नहीं हुआ है। ATKM के आधर पर दोनो खंडो मे SSE Pwayडिपो का रिवीजन करते हुये नये डिपो बनाये जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई 1.यह कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित है। Notification जारी करने का कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित है। 2. नीतिगत मामला है। 3. जबलपुर मंडल में कोई भी चाबीदार की बीट 3.5 कि.मी से अधिक नहीं है। अतः चाबिदारों से 08 घंटे की ड्यूटी में गस्त 16 किमी. से अधिक नहीं कराई जा रही है। 4. कर्मचारियों के लिये सेफ्टी गियर्स मंडल सामाग्री प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। यूनियन आइटम के संर्ब में इस बावत मंडल सामाग्री प्रबंधक कार्यालय को सेफ्टी गियर्स ऑइटम्स की गुणवत्ता के लिये मीटिंग दोनों यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व में की गयी है । जिसकी प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। जबलपुर मंडल द्वारा सेफ्टी जूते एवं सेफ्टी जैकेट के लिये स्टॉक ऑईटम के इंडेंट का प्रपोजल वे कराकर CMM को GSD खरीदी के अप्रूवल हेतु भेजा गया है। प्रोटेक्टिव गियर- ट्रैकमैनों को मिलने वाले प्रोटेक्टिव गियर सेफ्टी शूज, विंटर जैकेट, रेनकोट, हेलमेट, LED टॉर्च, बैग ल्यूमिनस आदि की वर्तमान वस्तु स्थिति Annexure- A में संलग्न है। 5. रक्षक ट्रैकमैनों, पेट्रोलमैनों की बहु प्रतिक्षित मांग का प्रावधान लॉ-बुक 2024-25 में स्वीकृत कर दिया गया है जिसकी निविदा 15.04.2025 को आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। 6. जबलपुर मंडल में नवनिर्मित सेक्शन के लिये 2334 पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को इस कार्यालय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 13.11.2024 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज गया है जो कि प्रक्रियाधीन है। ATKM के आधार पर दोनों खंडों में नये डिपो बनाये जाने के संबंध में आदेश/निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
MS/58/2025 PCE PCEE Dy.CPO/HRD जबलपुर मंडल	जबलपुर मंडल के महिला ट्रेकमेंटेनर्स तथा सहायक लोको पायलट की समस्याओं के संबंध में। 1. ट्रैक मेंटेनर के पद से जिन महिला रेल कर्मचारियों का कैडर चेंज हुआ है, उन्हें जीपी 1800 ही में रखा गया है। उन्हें एमएसीपी का लाभ दिए जाने के लिए पूर्व के कैडर की सेवा अवधि की गणना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संघ मांग करता है कि जो महिला रेल कर्मचारी (पूर्व के ट्रैक मेंटेनर कैडर की सेवा मिलाकर) रेल सेवा के कुल 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं उन्हें एमएसीपी के लाभ से वंचित न रखा जाए। 2. रेल्वे बोर्ड के निर्णयानुसार ट्रैक मेंटेनर, सहायक लोको पायलट अथवा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के पद पर पदस्थ महिला रेल कर्मचारियों के कैडर परिवर्तन के आवेदन एचआरएमएस के माध्यम से लगे हुए हैं। उन पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए महिला रेल कर्मचारियों के कैडर परिवर्तन हेतु निर्देश जारी किया जाए। 3. ट्रैक मेंटेनर को मिलने वाले सेफ्टी गियर्स जिसमें विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज, रेन कोट, ल्यूमिनस वैस्ट आदि शामिल हैं उनका किसी भी मंडल में समय से एवं निर्धारित संख्या के अनुसार वितरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही सामग्री की गुणवत्ता की शिकायतें भी लगातार बनी हुई हैं। संघ मांग करता है कि बोर्ड द्वारा उपरोक्त मद हेतु निर्धारित राशि का भुगतान कर्मचारियों के वेतन पत्रक से किया जाने की व्यवस्था कराई जाए। 4. जबलपुर मंडल के ट्रेन मैंनेजर (गार्ड) को ट्रेन मैंनेजर गुड्स से ट्रेन मैंनेजर मेल तक पदोन्नति में केवल 3 फिक्सेषन का लाभ देने के संबंध में। जबलपुर मंडल में रेलवे बोर्ड के पत्र कंमाक PC-V/2009/ACP/2 Dt. 10.06.2009 के अनुसार ट्रेन मैंनेजर गुड्स से ट्रेन मैंनेजर मेल की पदोन्नति में तीन बार पे-फिक्सेषन का लाभ दिया जाता है, इसलिये ट्रेने मैंनेजर केटेगरी में एमएसीपी का लाभ देय नहीं है, किंतु मंडल में 20 ऐसे ट्रेन मैंनेजर है, जिन्हें अभी तक अपने पूरे सेवाकाल में केवल दो वित्तीय लाभ मिला है तथा भारतीय रेल पर ट्रेन मैंनेजर के पद पर 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें उपरोक्त

	एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत जीपी 4200 लेवल 6 में ही एक अतिरिक्त विषेष वेतन वृद्धि का लाभनहीं दिया जा रहा है जबकि भारतीय रेल के अन्य मंडलों पर पूरे रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, ट्रेन मैंनेजर) को इसका लाभ मिल रहा है साथ ही साथ जबलपुर मंडल पर लोको पायलट को इस योजना के लाभ के रुप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जा रही है। अतः संघ मांग करता है कि ट्रेन मैंनेजर कैटेगरी में पात्रता रखने वाले कर्मचारी को इसका लाभ दिया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- 1.यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 2. यह कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित है। इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत महिला Trackmen cadare change कर अन्य विभागों में स्थानांतरित हो गई है एवं उनकी सेवा पुस्तिका भी संबंधित विभागों के पास भेजी चा चुकी है। 3. कर्मचारियों के लिये सेफ्टी गियर्स मंडल सामाग्री प्रबंधख द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। यूनियन आइटम के संर्ब में इस बावत मंडल सामाग्री प्रबंधख कार्यालय को सेफ्टी गियर्स ऑइटम्स की गुणवत्ता के लिये मीटिंग दोनों यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व में की गयी है । जिसकी प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। जबलपुर मंडल द्वारा सेफ्टी जूते एवं सेफ्टी जैकेट के लिये स्टॉक ऑईटम के इंडेंट का प्रपोजल वे कराकर CMM को GSD खरीदी के अप्रूवल हेतु भेजा गया है। जिसकी नवीनतम प्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है। 4. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है।

MS/35/2022PCME PCOM	कोटा मण्डल के कोटा थर्मल पावर प्लांट सकतपुरा साईडिंग में ऑन ड्यूटी रनिंग स्टाफ के कार्य करने के दौरान आ रही समस्याओं के संबंध में। कोटा मण्डल के कोटा थर्मल पावर प्लांट सकतपुरा साईडिंग में रनिंग स्टाफ (लोको पायलट , सहायक लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर) को खाली एन-बॉक्स रैक को प्रस्थान कराने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उचित एवं सुरक्षित , कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने की वजह एवं भय के वातावरण में असुरक्षित रेल संचालन होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि साईडिंग में पहले लोडेड कोयले के रैक आते थे जिनका आगमन परीक्षण उपरांत ट्रिपलर पर अनलोडिंग के बाद लोड में होने वाली कमियों को पूरा करने के साथ खाली एन-बॉक्स रैक को परीक्षण/जी.डी.आर. का कार्य कैरिज एवं वेगन विभाग के टीएक्सआर सहित लगभग 08 कर्मचारियों की यूनिट कार्य करती थी एवं परीक्षण कर सुरक्षित रेल संचालन के लिए लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर को गाड़ी सौंपती थी एवं सुरक्षित रेल संचालन कर रहे थे। परन्तु कुछ समय पूर्व सकतपुरा साईडिंग से कैरिज एवं वेगन विभाग को हटा लिया गया एवं कैरिज एवं वेगन विभाग को हटाने के बाद गाड़ियों को लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर के द्वारा जी.डी.आर. बनाकर चलाने का प्रावधान कर दिया। अतः जी.डी.आर. बनाने में निरंतर निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है- सकतपुरा साईडिंग में भरे हुए कोयले के रैक आने पर आगमन परीक्षण या सुरक्षित रोलिंग स्टॉक आगमन किसी भी कर्मचारी की देखरेख में नहीं हो रहा है अर्थात यदि गाड़ी असुरक्षित रोलिंग स्टॉक के साथ आगमन हुई है तो चलती गाड़ी में दिखने वाली कमी का पता नहीं चलने से प्रस्थान के समय असुरक्षित रेल संचालन का अंदेश बना रहता है। लोडेड कोल रैक आगमन के बाद ट्रिपलर पर अनलोडिंग के लिए जाते है। अनलोडिंग के दौरान ट्रिपलर पर जब एन-बॉक्स 360 डिग्री उल्टा होता है तो उसकी नकल पिन (जो कि कपलर को अपनी अवस्था में रखने का कार्य करती है जिससे गाड़ी ट्रेन पार्ट नहीं होती) कोयले के साथ-साथ निकल कर वहां गिर जाती है। रेलवे ने कैरिज एवं वेगन स्टाफ हटाने के बाद वहां पर नकल पिनों का कोई स्टॉक नहीं दे रखा है। परिणामतः लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के जी.डी.आर. के समय नकल पिन की कमियों का मेमो दिया जाता है तो केवल कागजी खानापूर्ति कर क्रू के ऊपर अनाव यक दबाव बनाकर एवं गाड़ी चलाने के बाद रास्ते में सोगरिया या बारां में नकल पिन डलवा देंगे , कहकर असुरक्षित रेल संचालन करवाया जा रहा है। सकतपुरा साईडिंग में वैगन के बिना दरवाजे बंद करवाये एवं बिना एयर होज पाईप जुड़वाये रिलीज दे दिया

जाता है और इंजन लगाकर लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को जी.डी.आर. के लिए कह दिया जाता है। इस जी.डी.आर. करने के दौरान साईडिंग की ओर से एक प्राईवेट कर्मचारी भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि यह दरवाजा बंद करवाने का काम करेंगे। महोदय , वह प्राईवेट कर्मचारी भी बिना सब्बल एवं उपकरण के गाड़ी पर आता है , एक साईड के कुछ दरवाजों को बंद करने की खानापूर्ति करता है एवं दरवाजे बंद कर जिनके लॉक खराब है. उन्हें तार से नहीं बांधता है एवं ट्रेन मैनेजर के कहने पर भी दरवाजे बंद करने की खानापूर्ति करता है एवं पूरी गाड़ी के एयर होज पाईप जो कि ट्विन पाईप सिस्टम / सिंगल पाईप सिस्टम से चलने वाली गाड़ी के पाईपों को कपल नहीं करता है। परिणामतः ट्रेन मैनेजर एवं सहायक लोको पायलट परेशान होते हैं एवं आदमी नहीं होने की वजह से एक गाड़ी को तैयार करने में दो से ढाई घंटे का समय लगता है। इसके बावजूद भी एन-बॉक्स के दरवाजे या तो खुले रह जाते है या दस किमी. चलने के बाद ही वह दरवाजे खुलने से असुरक्षित रेल संचालन निरंतर चल रहा है। यातायात विभाग की तरफ से स्टेशन से जी.डी.आर. करने में एक पोईन्टसमैन को भेजा जाता है , जो कि गाड़ी को रिलीज करने का कार्य करता है। महोदय, प्रत्येक एन-बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की दिशा अलग-अलग होती है। अतः पोईन्टसमैन एक साईड से ही एन-बॉक्स को रिलीज कर पाता है, दूसरी ओर से रिलीज करने हेतु यार्ड में हो रहे घास एवं झाड़ियों की वजह से बॉक्स के नीचे से निकलना संभव नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं में कुछ बॉक्स रिलीज होने से रह जाते हैं। आये दिन रास्ते में जाम गाड़ियां रह जाने से व्हील स्कीडिंग एवं रेल बर्न की समस्या दिन-प्रतिदिन होने की संभावना बनी रहती है एवं लगातार असुरक्षित रेल संचालन किये जा रहे है। यार्ड में रात्रि के समय फ्लड लाईट या तेज रोशनी नहीं है। इसके अभाव में गाड़ियों में जी.डी.आर. करते समय हैंगिंग पार्ट दिखने से छूटने की संभावना बनी रहती है एवं इस वजह से दुर्घटना होने की संभावना के साथ रेल संचालन करना पड़ रहा है।

सकतपुरा साईडिंग यार्ड में दिन-प्रतिदिन घास और झाड़ियां बड़ी हो जाती है एवं जो पहले के पत्थर की पट्टियों के पाथ-वे बने हुए थे , उन पाथ-वे से पट्टियां टूटकर बिखर गई है। अतः पाथ-वे नहीं होना एवं झाड़िया तथा घास होने की वजह से कई लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के साथ-साथ पोईन्टसमैन को भी यार्ड में गिरने से चोटग्रस्त होने का कार्य हुआ है। ऐसी स्थिति में लोको पायलट , ट्रेन मैनेजर जी.डी.आर. करते समय अपने आप को संभाले या जी.डी.आर. में सुरक्षा के लिए जरूरी बिंदुओं पर ध्यान चूकने से असुरक्षित रेल संचालन की संभावना बनी रहती है। साईडिंग में ट्रेन मैनेजर एवं सहायक लोको पायलट का हिंसक जानवरों से सामना हो चुका है क्योंकि टाईगर और भालू का एश यार्ड से चंबल की ओर पासिंग रूट है और साईडिंग की एक ओर की दीवार टूटी हुई है वहां पर अजगर भी देखे गये है। महोदय हिंसक जानवरों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। CISF या RPF की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, साईडिंग में रनिंग स्टाफ के रेस्ट के लिए वेटिंग रूम में साफ सफाई नहीं होती एवं वेटिंग रूम में पंखे, कूलर खराब है। चादर एवं गद्दे ऐसी स्थिति में है। कि आराम नहीं किया जा सकता है उन्हें बदला जाना चाहिए साथ ही आर.ओ. सिस्टम लगाये जाने की आव यकता है जिससे भशुद्ध पानी मिलने की व्यवस्था हो।

संघ का कथन है कि आपके द्वारा मण्डल परिचालन संख्या अभियान संख्या 03/2022 दिनांक 03.05.2022 जारी कर मण्डल में सुनिश्चित किया है कि साईडिंग के स्टाफ को काउंसिलंग किया जाएगा एवं मण्डल पर गाड़ियों के ट्रेन पार्टिंग/अनकपलिंग की घटनाओं के रोकथाम हेतु परिचालन संरक्षा अभियान चलाया है लेकिन ट्रेन पार्ट का मुख्य कारण अनलोडिंग के बाद नकल पिनों का मिस हो जाना और आप नकल पिनों को साईडिंग में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। संरक्षा अभियान में वरिश्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक ने बिन्दु संख्या 11 पर गाडी के क्रू द्वारा जीडीआर बनाते समय सभी कमियों को ठीक करने के बाद ही गाड़ी का संचालन किया जाए, निर्दीत किया है। संघ का कथन है कि एक संरक्षा ड्राईव साईडिंगों में होने वाली कमियों (जैसे साईडिंग का जो प्राईवेट कर्मचारी दरवाजे बंद करने आता है , वह 63 वर्श का है और बिना सब्बल के 63 वर्श का आदमी एन-बॉक्स के दरवाजों को कैसे बंद कर सकता है , यह समझ से बाहर की बात है) नकल पिन कम होने पर साईडिंग में अनुपलब्ध होने पर प्रतिदिन मेमो दिया जाता है कि आप गाड़ी को प्रस्थान करें और सोगरिया में गाड़ी में नकल पिन डलवायी जाएगी लेकिन सोगरिया से भी गाड़ी को थ्रू कर दिया जाता है। इस तरह हम अनकपलिंग और ट्रेन पार्टिंग होने को निमंत्रण दे रहे है और दूसरी ओर संरक्षा अभियान

	निकालकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। फील्ड में प्रेक्टिकल कार्य किये जाने की आव यकता है जिससे मण्डल पर सुरक्षित, संरक्षित रेल संचालन करने में रनिंग स्टाफ (लोको पायलट , सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर) को सुरक्षित कार्य करने के वातावरण में सहयोग करने की आव यकता है जबकि उन्हें असुरक्षित रेल संचालन के लिए बाध्य किया जाता है। कोटा मण्डल पर रेल सुरक्षा एवं संरक्षा में खानापूर्ति / संरक्षा परिपत्र निकालने के बजाय मूल समस्याओं का समाधान कर संघ को सूचित करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-सकतपुरा स्टेषन पर टी.एक्स.आर. स्टाफ की नियुक्ति नहीं है क्योंकि वहाँ पर औसत दो से तीन रेक प्रतिदिन की आवक है। रेलवे बोर्ड के नियमानुसार साइडिंग में कम से कम पांच रेक आने पर टी.एक्स.आर स्टाफ की ड्यूटी लगायी जाती है। जीडीआर करने के लिये एएलपी एवं गार्ड को जी एण्ड एसआर के नियमों के तहत जीडीआर तैयार करनी होती है। फिर भी साइडिंग प्रषासन द्वारा दो कर्मचारी गाडियों को रिलीज करने एवं जीडीआर में सहयोग करने के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं। किसी भी रेक का रिलीज वैगनों के सभी दरवाजे बन्द सुनिष्चित करके ही लेने के निर्देष दे रखे हैं। अन्य समस्याओं के लिये समय-समय पर साइडिंग प्रषासन को सूचित करके समस्याओं का निदान कराया जाता है। **PCEE**-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः- यह मद आपरेटिंग विभाग से सम्बंधित है। मद समाप्त पीसीएमईः-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से सम्बंधित है। मद समाप्त
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME-दिनांक 26.05.2025 को प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी.महोदय के अनुसार मद पर टिप्पणी इस प्रकार इस प्रकार है- वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक/कोटा के नोट सं. T-183/38/2 दिनांक 18.02.2021 के तहत कोटा मंडल की विभिन्न साईडिंगों में कै.एवं वै विभाग के कार्य की मात्रा को देखते हुए रिपिनप्वाइंटिंग करके सकतपुरा में पदस्थ कै. एवं वै स्टाफ को अन्य स्थानों पर पदस्थ कर दिया गया है। सकतपुरा साईडिंग में मांग के अनुसार नकल पिन की आपूर्ति कर दी जाती है। कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 पीसीएमई–इस परपीसीओएम के साथचर्चाकरनिर्णय लियाजायेगा।
MS/10/2024 PCEE PCME Dy.CPO/HQ	भोपाल मंडल की लोको एवं सीएण्डडब्ल्यू शेडो की समस्याएः 1. विद्युत लोको शेड इटारसी के ट्रेक्शन मोटर अनुभाग में माईनर शेड्यूल (IA.IB. एवं IC) की कार्यप्रणाली एक समान है। प्रत्येक शेड्यूल में प्रत्येक मोटर में ग्रीसिंग (sample/topup/sample) की जाती है। सेंसर प्रोब खोले जाते हैं। इंडेक्टेन वेल्यू चेक की जाती है। जो NI सहित अन्य शेडो में नहीं होता। सभी शेडो में स्थानीय स्तर पर चेक शीट बनाई गई है। बैटरी ओवरहालिंग की चेक शीट पूरे जोन में उपलब्ध नहीं है। लोको के अन्य पुर्जो के मरम्मत की भी यही स्थिति है। 2. भारतीय रेल के सभी लोको के माईनर शेड्यूल ड्यू होने पर किसी भी नजदीकी शेड में करवाए जा रहे है। भिन्न भिन्न शेडो की मिन्न मिन्न कार्यप्रणाली / मटेरियल शार्टेज कार्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाती है। अतः संघ माँग करता है कि सम्पूर्ण भारतीय रेल के शेडो में एक समान कार्य करवाने के लिए लोकल के स्थान पर यूनिवर्सल चेक शीटे उपलब्ध करवाई जाए। कार्य का समय भी निर्धारित किया जाए। तब तक के लिए भारतीय रेल के सभी लोको के माईनर शेड्यूल ड्यू होने पर किसी भी नजदीकी शेड में करवाए जाने के निर्णय को स्थगित किया जाए। 3. भोपाल मंडल में c&wविभाग में लगभग 64 पद डीजल शेड से c&wविभाग में मर्ज किये गये एवं पदों को

	बढ़ाया नहीं गया जिससे c&wमें 10-12 वर्षों से ग्रुप D में कार्यरत स्टाफ टेक्नीशियन 3 में पदोन्नति से वंचित हैं हाल ही में सीधी भर्ती से टेक्नीशियन 3 के पद भरे जाने के आदेश भी दिए गए हैं संघ की मांग है कि सीधी भर्ती के स्थान पर लगभग 100 पदों पर विभागीय पदोन्नति की जायें। 4. डीजल लोको शेड, इटारसी में डीजल एवं एसी लोको दोनों का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हैं, लोको पर वेल्डिंग कार्य हमेशा निकलता है तथा महत्वपूर्ण जगहों पर एक्सपर्ट वेल्डरों की आवश्यकता होती है, किन्तु डीजल लोको शेड इटारसी में RRB से वेल्डरों की भर्ती काफी लम्बे समय से नहीं हुई हैं। संघ मांग करता है कि RRB से वेल्डरों की भर्ती की जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY.CPO/HQ-मद क्रमांक-3 व 4A.भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 08 कुल 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B. मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक-4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है, और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दे दी गई है।मद क्रमांक 03 मद क्रमांक 91/23 में भी है **PCEE-**1.लोको की चेकसीट प्रपल्शन मेक के अनुसार बनती है। 2.यह निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिया है। 3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 4.यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME-दिनांक 26.05.2025 को प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी.महोदय के अनुसार मद पर टिप्पणी इस प्रकार इस प्रकार है- 1) यह मद विद्युत विभाग से संबंधित है। 2) यह मद विद्युत विभाग से संबंधित है। 3) कार्मिक विभाग के अनुसार कार्मिक विभाग के अनुसार. A). भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B). मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक-4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है, और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में कुल artizanकेटेगरी में 611 स्वीकृत संवर्ग है जिनके विरुद्ध 552 कार्यरत है | 59 रिक्तियां है| ग्रेड -3 में 107 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 80 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 24 के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को मांग पत्र भेजा गया है जिनके लिए लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित हो गई है। पैनल प्राप्त होते ही पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी एवं टेक.-III के प्रमोशन कोटे के तहत 36 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है 4) कार्मिक विभाग के अनुसार डीजल लोको शेड, इटारसी में वेल्डरों का स्वीकृत पद 14 है तथा 11 वेल्डर कर्मचारी कार्यरत है तथा विभागीय कोटे के तहत रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी अथवा

	अनुकम्पा नियुक्ति में कोई कर्मचारी उपर्युक्त पाया जाता है तो उसे वेल्डर के पद पर पदस्थ किया जायेगा । **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमई—
MS/16/2024 PCEE PCMM PCE PCSTE	मंडल में उच्च गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराने के संबंध में। संदर्भः- (1) रेलवे पत्र क्र.- 2017/Transt. cell/civil/03, दि-05.02.2018 (2) रेलवे पत्र क्र.- 2018/TF cell/S&T/S&T Uniform, दिक-05.03.2019 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) ट्रैकमैन/कीमैन/पेट्रोलमैन, सिग्नल के टेक्नीशियन / हेल्पर , TRD के टेक्नीशियन / हेल्पर एवं मैकेनिकल के ART व ARME में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक बार रेन कोर्ट , दो वर्ष में एक बार विण्टर जैकेट , एक वर्ष में दो बार सेफ्टी शूज, ल्यूमिनियस वेस्ट एक वर्ष में दो बार, ट्राँई कलर टॉर्च वर्ष में एक बार प्रदान किया जाना है। जिसकी कीमत भी उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार क्रमशः रू- 1200, रू.-2500, रु.-1400, रू.-500 और रू. 1000 निर्धारित किया गया है लेकिन संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) के अनुसार जिन कर्मचारियों को प्रोटेटिक्व गियर्स दिया जाना है जितने समय में दिया जाना है वह नहीं दिया जा रहा है न ही रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार उस गुणवत्ता का दिया जा रहा है जबकि रेलवे बोर्ड ने कम्पनी तक भी निर्धारित किया है। सेफ्टी शूज ऐसा दिया जा रहा है जिसका ग्रिप अच्छा न होने के कारण कर्मचारी गिरकर घायल हो रहे हैं। संघ का कथन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार व जो समय सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का वितरण सुनिश्चित किया जाये नहीं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित रकम का भुगतान वेतन पत्रक के माध्यम से किया जाये जिस प्रकार यूनिफार्म का किया जाता है जिससे कर्मचारी गुणवत्ता व नाप के अनुसार खरीद कर प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर सके। जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME - इस मद के अनुसार यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानो में वर्ष 2023-24 में दिय गये सभी (प्रोटेक्टिव गियर्स) रेन कोट, विण्टर जेैकेट ,ल्यूमिनियसवेस्ट ,सेफ्टी सूज उच्च गुणवत्ता के प्रदान किये गये है। पी.सी.एम.एम. - कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किया जा रहा है । इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralisedप्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। सडिपुका/भोपाल :- कारख़ाना भोपाल में सेफ़्टी शूज का Dimension & IS Specification के हिसाब से खरीदा जा रहा है । **PCEE**-भोपाल मंडल- टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को रेनकोट , विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज़ रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट , ट्राई कलर टॉर्च नियमानुसार दिये जा रहे है एवं मंडल के कर्मचारियों के सेफ्टी गियर्स की गुणवत्ता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल- जबलपुर मंडल के टीआरडी विभाग के हेल्पर्स एवं टेक्नीषियनों को रेन कोट , विन्टर जैकेट, सेफ्टी शूज एवं ल्यमिनस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है।

	पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त पीसीएमएमः- अच्छी गुणवत्ता के जूते जूलाई 25 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा। पीसीएसटीईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएमईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। **प्रशासनिक टिप्पणी** **PCME**-दिनांक 26.05.2025 को प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी.महोदय के अनुसार मद पर टिप्पणी इस प्रकार इस प्रकार है। जबलुर मंडल यांत्रिक विभाग - उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि यॉंत्रिक विभाग (कै.वै.) जबलपुर मंडल के ART व् ARMV में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स, रेलवे द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्टोर विभाग द्वारा खरीदी कर निर्धारित समयावधि में वितरित कर दिया जाता है। वर्तमान में प्रोटेक्टिव गियर्स को स्टॉक आइटम बना दिया गया है, जिसका केंद्रीयकृत (Centralized) खरीदी स्टोर विभाग द्वारा किया जा रहा है । जबलपुर मंडल के यांत्रिक विभाग के प्रोटेक्टिव गियर्स हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को ही SMM/GSD/BPL व् Sr. DMM/JBP को स्टॉक खरीदी हेतु AAC भेज दिया गया है। प्राप्ति उपरांत अतिशीघ्र वितरित कर दिया जायेगा भोपाल मंडल यांत्रिक विभाग - इस मद के तहत् एआरटी व एआरएमई मे कार्यरत् सभी कर्मचारियों को अगस्त 2024 मे शूज दिसंबर 2023 मे रेनकोट व मार्च 2024 मे विंटर जैकेट वितरित किये जा चुके है एवं 2025-26 के लिए स्टॉक खरीदी हेतु AAC भेज दिया गया है। कोटा मंडल यांत्रिक विभाग - यॉंत्रिक विभाग कोटा के कर्मचारियों को विंटर जैकेट, रैन कोट, सेफ्टी जैकेट एवं सेफ्टी शूज समय-समय पर उपलब्ध करवा दिये गयें है। वर्तमान में कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये गयें गुणवत्ता पूर्ण प्रोटेक्टिव गियर्स का विवरण निम्न प्रकार है- 1. Winter Jacket- Received date-23.12.2024, Issued Date- 24.12.2024 to 17.01.2024, Period- Once in two years, Item PL. No.- 79320661. 2. Rain Coat- Received date-27.07.2024, Issued Date- 05.08.2024 to 03.10.2024, Period- Once in a year, Item PL. No.- 79320028. 3. Luminious West/Safety Jacket- Received date-19.09.2024, Issued Date- 20.11.2024 to 06.03.2025, Period- Once in six month, Item PL. No.- 79318253. 4. Safety Shoes- Received date-05.11.2024, Issued Date- 06.11.2024 to 20.01.2025, Period- Once in six month, Item PL. No.- 79316062. उक्त सभी मदों को वर्ष 2025.26 की एएसी में स्म्मिलित कर दिया गया है। आगामी वर्ष में वितरण जी.एस.डी. भोपाल से एएसी के माध्यम से प्राप्त कर कर्मचारियों का वितरित किया जायेगा। सडिपुका/भोपाल- कारखाना भोपाल में सेफ्टी शूज को उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानको के अनुरूप खरीदा जा रहा है एवं सभी कर्मचारियों को वितरित किया जा रहा है। कारखाना कोटा :- कारखाना कोटा में शेफटी शूज का Dimension & IS Specification की गुणवत्ता में और सुधार' हेतु सशोंधित कर दिया गया हैं। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमई–यांत्रिक विभाग से मदसमाप्त।
MS/20/2024 PCEE PCME	रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध करवाने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान समय में हाईस्पीड ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है तथा हाई स्पीड़ से संचालित होने के कारण ट्रेक पर कर्मचारियों एवं सुपरवाईजर्स के रनओवर के मामलों में काफी वृद्धि हुई है जिसे देखते हुए महाप्रबंधक जबलपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि रेलवे ट्रैक पर कार्य अथवा निरीक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी, सुपरवाईजर्स एवं अधिकारी रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट का इस्तेमाल अवश्य करें जिससे रनओवर के मामलों में कमी आये। परन्तु यह देखा गया है कि महाप्रबंधक द्वारा निर्देशित किये जाने के

	उपरांत भी मण्डल में संरक्षा कोटि में कार्यरत पर्यवेक्षकों को सफेद रंग की रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध नहीं करवायी गयी है साथ ही पर्यवेक्षकों को प्रदान किये जाने वाले रेनकोट एवं विंटर जैकेट भी कई वर्षो से उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। संघ का अनुरोध है कि मण्डल में कार्यरत संरक्षा कोटि के कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों को शीघ्रातिशीघ्र रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध करवाने का कष्ट करें जिससे दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे रनओवर के मामलों में कमी आ सके एवं कर्मचारी तथा सुपरवाईजर्स सुरक्षापूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पर कार्य कर सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानों के ART/ ARMV व रेल्वे ट्रैक पर संरक्षा कोटि में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों वे परिवेक्षक के लिए रेट्रोरिफ्लेक्टिव जैकेट (ल्यूमिनियस वेस्ट) उपलब्ध है. तथा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को रट्रोरिफ्लेक्टिव जैकेट (ल्यूमिनियस वेस्ट) उपलब्ध करा दिया जाता है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**-मिटींग में चर्चा की जायेगी। **PCEE**-रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट समय-समय पर कर्मचारियों को वितरित किये जा रहे एवं सुपरवाईजारों एवं कर्मचारियो द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- दिनांक 26.05.2025 को प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी.महोदय के अनुसार मद पर टिप्पणी इस प्रकार है। जबलपुर मंडल यांत्रिक विभाग :- यॉत्रिक विभाग (कै.वै.) जबलपुर मंडल के ART / ARMV व रेलवे ट्रैक पर संरक्षा कोटि में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों के लिए रेट्रोरिफ्लेक्टिव जैकेट (ल्यूमिनियस वेस्ट) उपलब्ध है। भोपाल मंडल यांत्रिक विभाग :- एआरटी एआरएमवी एवं ट्रेक के आसपास कार्यरत सभी कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों को अगस्त 2024 मे ल्यूमिनस जेकेट दिये जा चुके है एवं 2025-26 के लिए स्टॉक खरीदी हेतु AAC भेज दिया गया है। कोटा मंडल यांत्रिक विभाग :- यॉत्रिक विभाग कोटा के कर्मचारियों को गुणवत्ता पूर्ण सेफ्टी जैकेट वर्तमान में निम्न्न प्रकार उपलब्ध करवाये गयें है। Luminious West/Safety Jacket- Received date-19.09.2024, Issued Date- 20.11.2024 to 06.03.2025, Period- Once in six month, Item PL. No.- 79318253. उक्त मद को वर्ष 2025.26 की एएसी में सम्मिलित कर दिया गया है। आगामी वर्ष में वितरण जी.एस.डी. भोपाल से एएसी के माध्यम से प्राप्त कर कर्मचारियों का वितरित किया जायेगा। सडिपुका/भोपाल - यह मद कारखाना भोपाल से संबंधित नही है। कारखाना कोटा :- यह मद कारखाना कोटा से संबंधित नही है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमई—सेफ्टीजैकेटसंबंधितकर्मचारियोंकोव्यक्तिगतउपलब्ध करादियाजाएगा। इस सम्बंध मेंनिर्देशजारीकरदिए जाएंगे।प्रतिसंघकोप्रदान की जाएगी।
MS/36/2024 PCME Dy.CPO/HQ	C&Mसंवर्ग की पोस्टिंग में अनियमितताएं:- पत्र कमांक WCR/P&HQ/EM/C&W pinpointing /241469 दिनांक 15.02.2024 के अनुसार C&W ROH ET में दो पोस्ट C&W कैडर की है तथा दो पोस्ट ही कोचिंग जबलपुर डिपो में है।, परन्तु ऑफिस ऑर्डर नंबर 45/2024 दिनांक 08.04.20243 के अनुसार जो पोस्टिंग की गई है उसमें इटारसी ROH में 02 की जगह 01 ही C&Mकैडर की पोस्ट रहेगी एवं इसके विपरित जबलपुर कोचिंग डीपो में 02 की जगह 03 पोस्ट कर दी गई है,

	जो कि pinpointing लेटर के अनुसार नहीं है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । प्रशासनिक टिप्पणी **PCME-** (Dy.CPO/HQ)-ROH इटारसी में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 कर्मचारी कार्यरत है तथा कोचिंग डिपो जबलपुर में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 ही कर्मचारी कार्यरत है। कृपया मद समाप्त करे। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी **PCME**-दिनांक **26.05.2025** को प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी.महोदय के अनुसार मद पर टिप्पणी इस प्रकार इस प्रकार है। **Place- HQ/JBP/Div. & C&W/JBP, Sanctioned Post- 02 & 02 respectively, Post- 04, On Roll- 03.** **Place- C&W/ET, Sanctioned Post- 02, On Roll- 01.** **Increase in Coach Holding in JBP- Div-** **1. Year-2023, Coach Holding (ICF- 438 & (LHB+VB)- 464), Total- 902.** **2. Year-2024, Coach Holding (ICF- 404 & (LHB+VB)- 619), Total- 1023.** **Coach holding of JBP div is increased from 902 to 1023 resulting in increase of workload of C&M staff of Coaching depot JBP. Also testing of Bio-toilet effluent samples is increased from 5% quarterly to one tank of 10% coached of each rake under primary maintenance. Also Bio Tank safety strap DPT work of every coach started as per official order. 02 staff of CMT department is hardly able to carry out the present allotted work. To meet the compliance of enhanced workload, one post of Div./HQ/JBP is utilized in Coaching depot/JBP.** **ROH Maintenance of ROH/ET is as follow:** **1. Year-2023, No. of Wagons- 564, Avg. per Month- 47.** **2. Year-2024, No. of Wagons- 617, Avg. per Month- 51.4.** **Monthly outcome of ROH/ET is very less (approx. 02 Wagons/day). Therefore only one CMS/CMA is sufficient for these C&M activities.** **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमई–टिप्पणी यथावत्
MS/40/2025 PCEE PCME भोपलमंडल	TL&AC रानी कमलापति डिपो में कंपनी के फैलियर पर कर्मचारियों को चार्ज सीट देकर प्रताड़ित करना तथा ठेकेदार एसी मैकेनिक की ड्यूटी में कुप्रबंधन । उपरोक्त विषय के अंतर्गत रानी कमलापति TL&AC डिपो से अतिरिक्त 01667/68, 01663/64स्पेशल गाड़ी चल रही है तथा भोपाल निजामुद्दीन एक्सप्रेस 12155/56को भी आगे बढ़ा दिया गया है अतः इसमें भी दो रेक लगाकर 4रेक कर दिये गए हैं 3दिन की अपेक्षा अब 5 दिन मे गाड़ी लौट कर आती है । गर्मी के सीजन में गाड़ियो (रेको) की संख्या बढ़ाना TL&AC RKMP के ऊपर दोहरी असर करता है एक अनुरक्षण के लिए कर्मचारी चाहिए, दूसरा लाइन पर जाने के लिए कर्मचारी चाहिए लाइन पर यदि तबीयत खराब होती है तो अगली लाइन पर जाने के लिए कर्मचारी मना करते हैं तो सुपरवाइजर बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा अतःजबरदस्ती से लाइन पर भेजा जा रहा है रेस्ट भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर और 5 दिन लगातार लाइन पर चलते हैं। Sr.DEE(G), भोपाल ने अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की है स्टाफ के नाम पर सुपरवाइजर चुप्पी साथ लेते हैं तथा उपकरण का फेलियर को कर्मचारियों पर डालकर उनका चार्ज सीट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है । अभी RBC फैलियर में दो कर्मचारियों ओम प्रकाश नेमा एवं देवेंद्र ठाकुर को चार्ज सीट दे दी गई है ना कोई गाड़ी का डिटेंशन हुआ था सिर्फ रेल मदद कंप्लेंट हुई थी जबकि यह rake इंदौर का पहली बार RKMP आया था और पूरे 22 कोच में कोई न कोई परेशानी थी कई कंपनी के RBC/EBC/Cell AC equipment खराब थे कंपनी को फौरन सूचित किया गया लेकिन कंपनी के कर्मचारी आने में दो तीन दिन का समय लगता हे जबकि RAKE को उसी दिन जाना होता है। ठेकेदार को लाभ देकर कर्मचारियों को

	प्रताड़ित करना न्यायोचित नही है । एक रेलवे कर्मचारी से पूरे 22 कोच में एसी, पंखे, पानी , मोबाइल चार्जर उसके साथ पावर कार जनरेटर लोको से HOG सप्लाई और सिर्फ 1 घंटे पहले ड्यूटी बुलाया जाता हैं । ठेकेदार के कर्मचारी व उनकी कोई भी जिम्मेदारी नही है, 12155/56 पर ठेकेदार के 4 स्टाफ (2पावर कार ़2 एसी कोच हेल्पर)इनकी जिम्मेदारी भी रेलवे का सिर्फ एक कर्मचारी एक एसी कोच मेकेनिक (ACM) पर डाली जा रही है । यात्री रेल मदद शिकायत के नाम पर कर्मचारियों को चार्ज सीट देकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा स्टाॅफ का काम करना मुश्किल हो रहा है। अतः अनुरोध है कि 12156/12155 के रैक को बढ़ाने व स्पेशल गाड़िया चलाने तथा अनुपात में स्टाफ का उपलब्ध न कराना, प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण स्टाफ को चार्ज शीट्स देना आदि तत्काल बंद किया जाकर नए कार्यो के अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था के साथ मैकेनिकस को बाहरी स्टेशनों पर आरामदायक विश्रामालयो की व्यवस्था की जावें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME – दिनांक 26.05.2025 को मद पर टिप्पणी:- इस मद पर वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर(सामान्य) भोपाल के अनुसार गाड़ियों का संचालन मुख्यालय से जारी परिपत्र/आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। कर्मचारियों को नियमानुसार गाड़ियों पर बुक किया जाता है तथा नियमानुसार देय रेस्ट अथवा देय ओवर टाइम /अन्य भत्तों का भुगतान किया जाता है। गाड़ी की Precooling के दौरान कर्मचारियों द्वारा उचित Monitoring न किए जाने के आरोप में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है।
	कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 पीसीएमई–प्रकरण का रिव्यूकियाजाएगा।

MS/17/2017 Dy.CPO/IR	भोपाल एवं हबीबगंज सामुदायिक भवन के रखरखाव के संबंध में। भोपाल एवं हबीबगंज सामुदायिक भवन के रखरखाव के लिए कोई दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा जारी नही किये गये है। इस कारण से अनुरक्षरण कार्य नगण्य है। इस वजह से विल्डिंग स्ट्रेंक्चर प्रभावित हो रहा है। आधुनिक रूप से भव्य सामुदायिक भावना को दुर्दशा जर्जर हालत में पहुचेंती जा रही है। भवन बिल्डिंग तथा टॉयलेटस की हालत खराब होने लगी है। अतः अनुरोध है कि भोपाल एवं हबीबगंज सामुदायिक भवन के राजस्व हेतु नीति निधर्धारण कर कमेटी बनाई जाये। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR- उपरोक्तह विषय में मंडल की लोकल पालसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कृपया मद समाप्त करें।
	पिछ्ली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR- द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- मंडल की लोकल पॉलिसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।यह मद भोपाल मंडल से संबंधित है। भोपाल मंडल को पत्र लिखा गया है। कृपया मद समाप्त करे।
MS/26/2020Dy.CPO/IR	उप चीफ यार्ड मास्टर नकज जबलपुर मंडल का 08 घंटे रोस्टर से 6 घंटे रोस्टर लागू करने हेतु जाब एनालसिस कराने के संबंध में। नकज एरिया कंट्रोल में एक शिफ्ट में एक कन्ट्रोलर एवं एक डिप्टी सीवाईएम कार्य करता है कन्ट्रोलर का ड्यूटी रोस्टर 06 घंटे का तथा डिप्टी सीवाईएम का ड्यूटी रोस्टर 08 घंटे का है लगभग 6 महीने पूर्व ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन के लिये जाब एनालसिस की तिथि निर्धारित की गई है और शुरु भी किया गया लेकिन जॉब एनालसिस बिना पूरा किये रोक दिया गया जिसके कारण एरिया कन्ट्रोलर नकज में ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन हेतु कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अतः संघ मांग करता है किं एरिया कन्ट्रोलर में कार्यरत सीवाईएम के रोस्टर में परिवर्तन हेतु जाब एनालसिस शीघ्र करवाया जाये जिससे कार्यरत डिप्टी सीवाईएम के घंटे को कम किया जा सके और वह अपनी ड्यूटी संरक्षा के साथ निष्पादन कर सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना बाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उप चीफ यार्ड मास्टर नकज जबलपुर मंडल का 8 घंटे रोस्टर से 6 घंटे रोस्टर लागू करने के विषय व पी.एन.एम. मद क्रं. एम.एस./26/2020 में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01/05/2023 के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है। अतः मद समाप्त करें।
	पिछ्ली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR-द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- उप चीफ यार्ड मास्टर नकज जबलपुर मंडल का 8 घंटे रोस्टर लागू करने के विषय व पीएनएम मद क्रं. एम एस /26/2020 में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.05.2023 के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है । कृपया मद समाप्त करे।
MS/44/2021Dy.CPO/IR	को-ऑपेरिटव सोसायटी के सुचारू संचालन हेतु। वर्तमान में मण्डल के पे-बिल विभाग द्वारा कई कर्मचारियों के दि जैकशन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ऑफ दि एम्पलॉईज ऑफ दि वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड (ICCS) प्रचलित भाषा में JC Bank एवं दि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर प्रचलित भाषा में JP Bank के ऋण के आवेदन अग्रेषित नहीं किये जा रहे है। संघ द्वारा बातचीत करने पर बताया गया कि कर्मचारी दो जगह सदस्य है इसलिए ऋण के आवेदन अग्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। संघ यहां यह अवगत कराना चाहता है कि ये दोनो ही को-ऑपरेटिव सोसायटी काफी पुरानी तथा जानी-मानी सोसायटी है। इन दोनों के ऋण आवेदन अग्रेषित करने तथा सदस्य

	बनाने में रेल प्रशासन से वार्ता कर निर्णय लिया था किन्तु उसके उपरांत बनी तीसरी को-ऑपरेटिव सोसायटी जो कि वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड कोटा है, के बारे में कई शिकायतें रेल कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि इस सोसायटी में कई अनियमितताएं है तथा संघ द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि जो रेल कर्मचारियों की शिकायतें है, वो बिल्कुल वाजिब है क्योंकि दि जैक्सन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ऑफ दि एम्पलॉईज ऑफ दि वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष FA&CAO पश्चिम रेलवे हैं। इसी प्रकार दि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर में भी मण्डल रेल प्रबंधक जयपुर अध्यक्ष तथा वरिश्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक जयपुर मनोनीत संचालक के रूप में कार्य करते हैं जिससे कि रेल कर्मचारियों को ठगे जाने जैसी घटनाएं होने से बचा जा सके किन्तु वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड कोटा में रेल प्रशासन का कोई दखल नहीं है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि रेल प्रशासन केवल रेलवे कर्मचारियों की CTD व ऋण रिकवरी करने के लिए रह गया है क्योंकि कर्मचारियों ने यह बताया है कि ऋण आवेदन जिस प्रकार दि जैक्सन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ऑफ दि एम्पलॉईज ऑफ दि वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड एवं दि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर में पूरी जांच के उपरांत लिये जाते हैं किन्तु वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड कोटा में ऐसी कोई भी चाक-चोबन्द व्यवस्था नहीं है बल्कि जिस प्रकार बाजार में ब्याज पर पैसे देने वाले लोग मजबूरी का फायदा उठाकर चैक इत्यादि अपने पास रखकर पैसा देते है, उस विधि को यहां अपनाया जा रहा है जो कि को-ऑपरेटिव सोसायटी नियमों का न केवल उल्लंघन है बल्कि कर्मचारियों की मजबूरी का भी फायदा उठाया जा रहा है। संघ प्रशासन को पुनः अवगत कराना चाहता है कि वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड कोटा जैसी सोसायटी पर लगाम लगाये जाने की आवश्यकता है न कि दि जैक्सन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ऑफ दि एम्पलॉईज ऑफ दि वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड एवं दि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर जैसी वर्षों से जमी हुई एवं सुचारू संचालन कर रही सोसायटी पर। यथा शीघ्र JCCS तथा JP Bank की भांति अध्यक्ष एवं अन्य पदों पर प्रशासनिक चाक-चौबन्द व्यवस्था की जाये जिससे चिटफंड कम्पनी की भांति होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। चूंकि कोटा मण्डल इस समिति का मुख्यालय है अतः मण्डल रेल प्रशासन की भूमिका अधिक हो जाती है। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	को-ऑापरेटिव सोसाइटी के सुचारु संचालन के विषय व पी.एन.एम. मद क्रं. एम.एस./44/2021 में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र 14/07/2020 के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है। अतः मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त **प्रशासनिक टिप्पणी**
	Dy.CPO/IR-द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- को - आपरेटिव सोसायटी के सुचारू संचालन के विषय व पीएनएम मद क्रं. एमएस 44/2021 में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14/07/2020 के तहत जारी किया जा चुका है। कृपया मद समाप्त करे।
MS/53/2023Dy.CPO/IR	भोपाल मंडल नर्मदा क्लब में रेल कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो को बेड मिन्टन कोर्ट की अनुमति प्रदान करने के कम में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत नर्मदा क्लब में निर्धारित शुल्क के आधार पर बाहरी व्यक्तियो को खेलने की सुविधा प्राप्त है। इसी प्रकार रेल कर्मचारियों व उनके आश्रितो को भी रियायती दरों पर क्लब में खेलने की सुविधा मिलनी चाहिए । उक्त प्रयोजन के लिए नर्मदा क्लब में रेल कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो को बेड मिन्टन कोर्ट की अनुमति प्रदान करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उपरोक्त मद भोपाल मंडल से संबंधित है अतः इस विषय में इस कार्यालय से दिनांक 09.07.2024 को पत्र लिखा गया था एवं प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई थी। कृपया मद समाप्त् करें।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त प्रशासनिक टिप्पणी **Dy.CPO/IR-**द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- उपरोक्त मद भोपाल मंडल से संबंधित है अतः इस विषय में इस कार्यालय से दिनांक 09.07.2024 को पत्र लिखा गया था एवं पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई थी। कृपया मद समाप्त करे।
MS/69/2023Dy.CPO/IR	भोपाल में बड़े तालाब के पास तथा इटारसी में तवा डेम के पास रेल कर्मचारियो के लिए हॉलिडे होम बनाये जाने बावत् । भोपाल शहर में बड़े तालाब एक रमणीय स्थल है तथा इटारसी में तवा डेम पर दूर-दूर से लोग आते है। भोपाल मंडल के कर्मचारियों के लिए हॉलिडे होम कही भी नही है। अतः संघ की मांग है कि भोपाल में बड़े तालाब के पास तथा इटारसी में तवा डेम के पास रेल कर्मचारियों के लिए हॉलिडे होम बनाया जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/भोपाल को इस संदर्भ में दिनांक 09.07.2024 को जांच कर उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गई है। कृपया मद समाप्त करें। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त प्रशासनिक टिप्पणी **Dy.CPO/IR-**द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी / भोपाल को इस संदर्भ में दिनांक 09.07.2024 को जांच कर उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गई है। कृपया मद समाप्त करे।
MS/115/2023Dy.CPO/IR	भोपाल मंडल रेल संस्थानो से संबंधित। रेल संस्थानों का कार्यकाल समाज कल्याण केन्द्रों की तरह दो वर्ष से तीन वर्ष किया जाए जिससे कार्यकारिणी के लिये कार्य हेतु पर्याप्त समय मिल सके और जल्दी चुनाव कराने की समस्या से प्रशासन का भी समय बचाया जा सके। ii. रेल संस्थानों की विभिन्न मीटिंग हेतु स्पेशल सी.एल का प्रावधन किया जाना चाहिये जिससे संस्थानों की मीटिंग समय से एवं समस्त निर्वाचित मेम्बर से हो सके एवं अकाउण्ट पास एवं ऑडिट समय से हो सके। iii. रेल संस्थानों को प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला एस.बी.एफ फण्ड से अंशदान 20 रु प्रति सदस्य वर्षों से लंबित हैं। iv. रेल संस्थान कोराना काल में लगभग पूर्ण समय कोराईन्टीन सेण्टर एवं टीकाकरण सेण्टर बने रहे, इस कार्यकाल का बिजली का बिल एस.बी.एफ फण्ड से भुगतान किया जाये या बिजली बिल माफ किया जाये। v. रेल संस्थानों में शादी समारोह हेतु बुकिंग होने पर जो पूर्व में रेल कर्मचारियो के लिये छोटे कार्यक्रम के लिये 1500 रु बड़े कार्यक्रम के लिये 3000 रु एवं बाहरी व्यक्तियों के लिये छोटे कार्यक्रम के लिये 3000 रु एवं बड़े कार्यक्रम के लिये 6000 रु था जिससे बड़ाकर दो वर्ष पूर्व रेल कर्मचारियों से लगभग 7200 रु एवं बाहरी व्यक्तियों से 12000 रु एक दिन के लिये बुकिंग पर कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा दिया जा रहा है इसके लिये लिमिट 300 यूनिट बिजली दी जा रही है, जबकि 100 यूनिट बिजली भी खर्च नहीं हो रही है, इसे कम करते हुये यूनिट के आधार पर बिजली बिल का प्रावधान होना चाहिये, जिससे रेल संस्थानों में होने वाले कार्यक्रम बहुत ही कम हो गये है और उसका सीधा असर रेल संस्थानों की आय पर पड़ रहा हैं। vi. रेल संस्थानों में बिजली की खपत कम करने हेतु सोलर पेनल लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। vil. रेल संस्थानों में एक समान सदस्यता राशि की जाये अलग-अलग सदस्यता राशि होने से रेल कर्मचारियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी प्रचलित नियम यथावत है। कृपया मद समाप्त करें। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR- द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- प्रचलित नियम यथावत है कृपया मद समाप्त करे।
MS/117/2023 Dy.CPO/IR PCE	भोपाल मंडल में विदिशा व गंज बसौदा स्टेशनो पर सामुदायिक भवन निर्माण तथा सब डिवीजन में इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित समस्याएँ । विदिशा एवं गंजबासौदा स्टेशनों पर कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हेतु शासकीय सामुदायिक भवन ना होने के कारण अन्यत्र बाहरी स्थान पर अधिक व मनमानी राशि का भुगतान करना पडता है। अतः संघ मांग करता है कि कर्मचारियों के हित में विदिशा व गंजबासौदा स्टेशनों पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए। ब. समस्त बिभागीय ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों विशेष तौर पर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को जो सेफ्टी शूज़ विगत 02 बर्षो से प्रदान किए जा रहे हैं वह बहुत ही निम्न स्तर क्वालिटी के होते है और 10-15 दिन में ही खराब हो जाते हैं। अतः संघ मांग करता है कि यूनिफार्म भत्ते के समान ही शेफ्टी शूज भत्ता जिसमें मार्केट रेट के आधार पर उचित राशि निर्धारित कर वेतन पत्रक के माध्यम से भुगतान किया जाए। जिससे कर्मचारी अपने लिए अच्छी गुणवत्ता के शूज खरीद सकेंगे। स. विदिशा- उपमंडल के तहत आने वाले विदिशा, गंज बासौदा, पबई, गुलाबगंज, सुमेर स्टेशनों पर 50 से 60 बर्ष पूर्व के रेल आवासों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जिनमें पहले कई बार मेजर रिपेयरिंग का कार्य भी हो चुका है और अब वह किसी भी प्रकार से रिपेयर्स की स्थिति में नहीं है। अतः संघ मांग करता है कि शीघ्र ही ऐसे समस्त आबासों को चिन्हित कर खंडहर करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए । जिससे कि इन आबासों के स्थान पर कर्मचारियों के निवास हेतु नये आबासो का निर्माण हो सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR- वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/भोपाल एवं वरि. मंडल अभियंता (सम) भोपाल को इस कार्यालय का संदर्भित पत्र दिनांक 30.11.2023 को दिया गया था। उपरोक्त यह मद मंडल स्तर है एवं इस कार्यालय संदर्भित पत्र आपको प्रषित किया जा चुका है। कृपया मद समाप्त करें। पीसीई- (अ) उक्त कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ब) सभी सेफ्टी शूज भारतीय मानक निजी सुरक्षा उपस्कर आईएस 15298भाग- 2 2011 15020345:2004 अनुरुप नियमानुसार RITES द्वारा निरीक्षण कराकर न्यूनतम बोली वाली फर्म से खरीदा जा रहे है। यह एक नीतिगत मामला है। इसका निर्णय रेलवे बोर्ड दवारा लिया जायेगा। (स) विदिशा उपमंडल में 58 खंडहर आवासों के चिन्हित किया गया है तथा प्रपोजल स्वीकृत हो चुका है। खंडहर आवासों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। जिसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/IR-द्वितीय पीएनएम दिनांक 21.05.2025- वरि मंडल कार्मिक अधिकारी भोपाल एवं वरि. मंडल अभियंता (समन्वय) भोपाल को इस कार्यालय का संदर्भित पत्र दिनांक 30.11.2023 को दिया गया था। उपरोक्त मद मंडल स्तर का है। कृपया मद समाप्त करें।

MS/80/2016 DY.CPO/Gaz	भोपाल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कार्यरत कार्मिक विभाग के कर्मचारीयों की समस्याओं के संबंध में । मंडल कार्यालय कार्मिक शाखा भोपाल में कम्प्यूटर, मंडल कार्यालय कार्मिक शाखा भोपाल में कम्प्यूटर, प्रिंन्टर एवं अन्य इंनफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। आई पास पूर्णरूप से शूरू हो चूका है। इंन्फ्रास्ट्रक्टर के अभा में आई पास का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी प्रशासनिक दबाव में तनावग्रस्त होकर मार्केट में नेट कैफे पर कार्य करने को बाध्य हो रहे है। अन्य आवश्यक कार्यो हेतु कार्यालय अधीक्षको को कम्प्यूटर उपलब्ध न होने के कारण अन्य प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे है। इसके अतिरिक्त स्पीड भी अतन्यत धीमी है एवं कम्प्यूटर में एंटीवायरस न होन के कारण वे कभी भी बंद हो जाते है। तथा 17 कम्प्यूटर के आपूर्ति के लिये प्रस्ताव मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृति हेतु लम्बित है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन एम में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY.CPO/Gaz- मॉडल एसओपी 2018 (Misc. Matters) के पैरा 41 ए (i) के अनुसार मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक को कम्प्यूटर खरीदने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गयी है एवं इस प्रकार के प्रकरणों का निपटारा मंडल स्तर पर किया जा रहा है। चूँकि यह मद वर्ष 2016 का है अतः कृपया मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	मॉडल एसओपी 2018 (Misc. Matters) के पैरा 41 ए (i) के अनुसार मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक को कम्प्यूटर खरीदने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गयी है एवं इस प्रकार के प्रकरणों का निपटारा मंडल स्तर पर किया जा रहा है। चूँकि यह मद वर्ष 2016 का है अतः कृपया मद समाप्त करें।
MS/20/2018 DY.CPO/Gaz	बायोमेट्रिक्स सिस्टम से होने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में। पमरे में बायोमेट्रिक्स सिस्टम से उपस्थिति को ट्रायल बेसिस पर प्रारम्भ किया है जिससे कर्मचारियों को अनेंकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । संघ का मानना है कि बायोमेट्रिक्स सिस्टम से होने वाली समस्याओं का निराकरण अत्यंत आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैः- 1. कर्मचारी की उपस्थिति के आने का एवं जाने का बायोमेट्रिक्स में समय निर्धारित है परन्तु यदि कार्यालयीन कार्य से कार्यालय छोड़ने के निर्धारित समय के बाद भी रूकना पड़ता है तो उसके एवज में कर्मचारी को सीआर या दूसरे दिन लेट आने की छूट देनी चाहिए । 2. कर्मचारी को यदि फील्ड में इंसपेक्शन या आवश्यक कार्य हेतु कार्यालय के निर्धारित टाइम के अलावा कार्यालय में बुलाया या दूसरे डिपो में भेजा जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। 3. छुट्टी के दिनों में कार्यालयीन कार्य हेतु बुलाने पर क्या प्रावधान होगा । 4. बायोमेट्रिक्स सिस्टम के खराब या हैंग होने की स्थिति में क्या प्रावधान किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि बायोमेट्रिक्स सिस्टम के लागू होने से पूर्व उक्त उत्पन्न समस्याओ का समाधान करने की व्यवस्था करें । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	संघ द्वारा उक्त मद के अंतर्गत बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाए जाने से कर्मचारियो को उत्पन्न होने वाली समस्याओ के निराकरण के संबंध में उठाए गए है। चूंकि कोविड-19 के कारण बायोमेट्रिक्स सिस्टम पमरे मुख्यालय के सभी विभागों में वर्तमान में बन्द है, अतः कृपया मद समाप्त करे।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	चूंकि कोविड-19 के कारण बायोमेट्रिक्स सिस्टम पमरे मुख्यालय के सभी विभागों में वर्तमान में बन्द है, अतः कृपया मद समाप्त करे।

MS/29/2019 DY.CPO/Gaz	कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में प्रशिक्षुओ हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में। विभिन्न रेलवे से पूरे वर्ष प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियो को कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर भेजा जाता है। जिस परिपेक्ष्य में पमरे के सभी विभागो से कर्मचारियो को परेशानियों को काम प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था वहाँ कर्मचारियो को अनेको 1. मेस व केन्टीन की सुविधा न होनाः प्रशिक्षण केन्द्र में भोजन व नाश्ता हेतु मेस या केन्टीन की सुविधा नही होने के कारण कर्मचारियो को यत्र तत्र गुणवत्ताहीन भोजन करना पड़ता है जो कर्मचारियो के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 2. प्रशिक्षण हॉल एवं छात्रावास का वातानुकूलित नही होनाः प्रशिक्षण हॉल एवं छात्रावास वातानुकूलित / एयर कूलिंग नही है। जिसके कारण प्रशिक्षुओ को वहा कि प्रचण्ड गर्मी में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। 3. जेनरेटर / इनवेर्टर की सुविधा नही होना प्रशिक्षण केन्द्र में जेनरेटर या इनवेर्टर उपलब्ध नही है जिसके कारण विद्युत बाधा के समय प्रशिक्षण कार्यकम प्रभावित होता है। एवं प्रशिक्षुओ को भी गर्मी में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। 4. वाटर प्यूरिफायर / आरंओ का खराब होनाः प्रशिक्षण केन्द्र में पीने के पानी हेतु उपलब्ध वाटर प्यूरिफायर / आरओ का खराब पड़ा हुआ है। एवं कम क्षमता का है प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रतिदिन स्थानीय बाजार से 2-4 कैन मंगवा दिया जाता है। जो कि पर्याप्त नही है एवं इसके कारण प्रशिक्षुओ को पीने के पानी हेतु परेशानियो का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** महाप्रबंधक कार्यलय(कार्मिक) उत्त.र पश्चिम रेलवे , जयपुर के पत्र क्र- 936-E/HRD/Training /Jodhpur/Vol.Xदिनांक 02/11/2022 द्वारा कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर को ZRTI, Udaipur स्थारनांतरित कर दिया गया है। अतः उक्तर मद को समाप्तं किया जाये। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** महाप्रबंधक कार्यलय(कार्मिक) उत्त/र पश्चिम रेलवे, जयपुर के पत्र क्र- 936-E/HRD/Training /Jodhpur/Vol.Xदिनांक 02/11/2022 द्वारा कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर को ZRTI, Udaipur स्थारनांतरित कर दिया गया है। अतः उक्तर मद को समाप्तं किया जाये।
MS/30/2020 DY.CPO/Gaz	श्री अजय कुमार, CDMS/ELS इटारसी की AMM के पद पर पदौन्नति आदेश जारी करने बाबत्। उक्त कर्मचारी को एएमएम के पद की लिखित परीक्षा और सक्षारताकार के बाद दिनांक 05.03.2018 को पैनल पर रखा गया था कर्मचारी को एससी वर्ग के पद पर वेस्ट एमंग फेल्योर स्कीम के तहत 6 माह के लिए ट्रॉयल आधार पर पदौन्नत किया जाना था किन्तु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा पदौन्नति आदेश आज तिथि तक जारी नही किये गये है। वर्तमान में पदौन्नति के मामले में कोई रोक नही है। और सभी विभागों के पदौन्नति आदेश जारी किये जा रहे है। अतः संघ मांग करता है कि उक्त कर्मचारी के पदौन्नति आदेश तुरंत प्रभाव से प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किये जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **Posting orders have already been issued. Please close the item.** **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** Posting orders have already been issued. Please close the item.
MS/52/2021 DY.CPO/Gaz	विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद में बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र को रेलवे बोर्ड से मान्यता प्रदान करने के संबंध में। विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद में बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ हर स्तर पर प्रशासन के समक्ष मांग करता रहा है। संघ ने इस बाबत स्थाई वार्ता तंत्र की बैठक में भी आउटसेट के माध्यम से इस मद को

	मंडल स्तर पर रखा था कि बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से मान्यता मिलनी चाहिए। वर्तमान में विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद में 224 लोको का रखरखाव किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में यह संख्या 250 या उससे अधिक भी हो सकती है। लोको शेड तुगलकाबाद में प्रशिक्षण हेतु बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण हो चुका है जिसका महाप्रबंधक महोदय पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दिनांक 15.05.2013 को विधिवत उद्घाहटन भी किया गया तथा इस ट्रेनिंग सेन्टर में सभी प्रकार के प्रशिक्षण भी चल रहे हैं जिसमें Three Phase लोको के प्रशिक्षण हेतु कोटा, जबलपुर एवं भोपाल मण्डल के साथ-साथ अन्य रेलवे से भी कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु आ रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेन्टर में एक क्लास रूम, प्रशिक्षक कक्ष के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर रूम भी उपलब्ध है। मॉडल रूम में विभिन्न उपकरणों के अतिरिक्त सर्किट डायग्राम व कई लोको उपकरण भी उपलब्ध है। अतः संघ का अनुरोध है कि इस बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र को रेलवेबोर्ड से मान्यता प्रदान करने हेतु कार्य करने की आवश्यकता है जिससे यह सुचारू रूप से चल सके। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- WCR/P.HQ/ Ruling/Recog/Trg Centre/ELS/ TKD दिनांक- 19/08/2020 के द्वारा पत्र रेलवे बोर्ड प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में स्मरण पत्र दिनांक 05/03/2021 18/06/2021, 07/09/2021 व WCR/PHQ/ Trg Centre/ELS/ TKD दिनांक- 11/03/2024 को रेलवे बोर्ड प्रेषित किया गया है। जिसका जबाब आज दिनांक तक अप्राप्त है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- WCR/P.HQ/ Ruling/Recog/Trg Centre/ELS/ TKD दिनांक- 19/08/2020 के द्वारा पत्र रेलवे बोर्ड प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में स्मरण पत्र दिनांक 05/03/2021 18/06/2021, 07/09/2021, व WCR/PHQ/ Trg Centre/ELS/ TKD दिनांक-11/03/2024 व 07/03/2024 को रेलवे बोर्ड प्रेषित किया गया है। जिसका जबाब दिनांक 20/05/25 को प्राप्त हो गया है। "To facilitate a well-informed decision on the matter, WCR is again requested to re-visit their proposals including the one made vide letter dt. 01.04.2021, and also. provide a clarity on whether it intends to operate the already recognized STC/Elect/WCR/Kota as BTC/Elect/TKD, or proposes to establish a separate Specialised Training Centre(Elect)". इस संबंध मे कोटा मंडल को आवयक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया है। अतः उक्त मद को समाप्त किया जाये।
MS/28/2022 DY.CPO/Gaz	HRMS मोड्यूल के कारण आ रही परेशानियों के संबंध में। संघ को मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया है कि जब से HRMS मोड्यूल लागू किया गया है उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन HRMS मोड्यूल की शिकायते लेकर कर्मचारी एवं उनके परिवारजन आते रहते हैं। संघ ने प्रशासन के समक्ष HRMS मोड्यूल से संबंधित समस्याओं को अपने पीएनएम मद संख्या 8/21 एवं 37/21 के माध्यम से रखा है परन्तु प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को HRMS मोड्यूल से संबंधित समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संघ HRMS मोड्यूल से संबंधित समस्याएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है- 1. HRMS मोड्यूल का सर्वर अधिकतर डाउन रहता है जिसके कारण कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर पास/ पीटीओ इत्यादि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। सर्वर डाउन रहने के कारण HRMS मोड्यूल से आदेश जारी करने में भी विलम्ब हो रहा है। 2. मण्डल में अनेक स्थानों पर नेटवर्क नहीं आ पाता है जैसे दरा स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसके कारण कर्मचारी HRMS मोड्यूल का उपयोग कर ही नहीं पाता है। 3. HRMS मोड्यूल में कर्मचारियों के डेटा भी गलत दर्शाये गये है जिसके कारण भी कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है। गलत डेटा होने के कारण कर्मचारी पीएफ निकासी कर पाने में भी असमर्थ रहता है।

	4. कर्मचारियों को HRMS मोड्यूल से कार्य करने के लिए तो कहा गया है परन्तु उन्हें जो कम्प्यूटर अथवा इंटरनेट प्रदान किया गया है उसकी गति इतनी धीमी है कि HRMS मोड्यूल ठीक प्रकार से कार्य ही नहीं कर पाता है जिसके कारण कर्मचारी चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है। डिपो अथवा कार्यालय में एक ही कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है जिसमें कर्मचारियों के वेतन संबंधी कार्य भी करने होते है। अतः ऐसे डिपो अथवा कार्यालय में पृथक से कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जाये। 5. कई कार्यरत कर्मचारी अथवा सेवानिवृत कर्मचारी ऐसे है जिन्हें स्मार्टफोन का उपयोग करना नहीं आता है उनके लिए HRMS मोड्यूल पूर्ण रूप से व्यर्थ है क्योंकि जब वे स्मार्टफोन का उपयोग ही नहीं कर पाते है तो HRMS मोड्यूल का उपयोग किस प्रकार कर पायेगे? 6. जब कोई कर्मचारी रिजर्वेशन करवाने जाता है तो HRMS मोड्यूल में कर्मचारी के डेटा में थोड़ी सी भी गलती होने पर उसका रिजर्वेशन भी नहीं हो पाता है तथा यह भी देखा गया है कि पास पर Break Journey के समर्थन के बावजूद भी End-to-End रिजर्वेशन की अनुमति दी जा रही है। 7. यदि कर्मचारी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पीटीओ लेना होता है तथा उस स्थान के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है तो कर्मचारी को एक से अधिक पीटीओ लेने पड़ते है जबकि पूर्व में एक पीटीओ से ही कर्मचारी किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता था। 8. वर्तमान में रेलवे सिस्टम पर सभी आदेश एवं भुगतान प्रक्रिया HRMS मोड्यूल के माध्यम से की जाती है जो कि सर्वर डाउन होने के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण, गोपनीय रिपोर्ट एवं अन्य आदेश लम्बित होते रहते हैं जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश विलम्ब से मिल पा रहे हैं। अतः HRMS मोड्यूल सही तरीके से कार्यशील नहीं होता है तब तक पुराने सिस्टम को भी समानान्तर रखते हुए कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश समय पर निकलवाये जायें। 9. इसी तरह तमाम बिल एवं अन्य भुगतान, एरियर आदि के भुगतान भी HRMS मोड्यूल के माध्यम से ही किये जा रहे हैं जो कि पुराने बकाया एरियर के भुगतान HRMS मोड्यूल के माध्यम से नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए भी आई-पास के माध्यम से सिस्टम को चालू रखते हुए भुगतान करवाये जायें। उपरोक्त समस्याओं के कारण कर्मचारी HRMS मोड्यूल का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहा है। अतः जब तक इन HRMS मोड्यूल में इन खामियों को दूर नहीं किया जाता है तब तक मैनुअली ही सब कार्य किये जाने चाहिए जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. HRMS का सर्वर को ठीक करने का कार्य **CRIS** द्वारा किया जा रहा है। **2.** एसी कोई स्थिती नही है। **3. HRMs** में कर्मचारी अपना **DATA** स्वSयं सुधार कर**HRMS** में अपने **DC** को भेज संकता है। **4.** सभी कार्यालय में **computer & inter net** की सुविधा सबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। **5. Railway Board** द्वारा निर्देशित है की सभी कार्य **HRMS module** के जरीए किये जाये। **6. HRMS** के माध्यदम से**Pass generation** के संबंध में **HRMS ds pass module** पूरी तरह से **Pass manual** के नियमानुसार कार्य करता है। **7. HRMS** में यह प्रावधान नही है। **8. Railway Board** द्वारा निर्देशित है की सभी कार्य **HRMS module** के जरीए किये जाये। **9. HRMS** में कोई भी **Module Bills** या भुगतान से जुडा नही है अत: **HRMS** से कोई भी भुगतान नही किए जाते है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. HRMS का सर्वर को ठीक करने का कार्य CRIS द्वारा किया जा रहा है। 2. एसी कोई स्थिती नही है।

	3. HRMs में कर्मचारी अपना DATA स्वऽयं सुधार करHRMS में अपने DC को भेज संकता है। 4. सभी कार्यालय में computer & inter net की सुविधा सबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। 5. Railway Board द्वारा निर्देशित है की सभी कार्य HRMS module के जरीए किये जाये। 6. HRMS के माध्यदम सेPass generation के संबंध में HRMS ds pass module पूरी तरह से Pass manual के नियमानुसार कार्य करता है। 7. HRMS में यह प्रावधान नही है। 8. Railway Board द्वारा निर्देशित है की सभी कार्य HRMS module के जरीए किये जाये। 9. HRMS में कोई भी Module Bills या भुगतान से जुडा नही है अतः HRMS से कोई भी भुगतान नही किए जाते है।
MS/120/2023 DY.CPO/Gaz	HRMS के माध्यम से छुट्टी के आवेदन में आ रही समस्याओ के संबंध में । HRMS के माध्यम से छुट्टी के आवेदन में आ रही व्यवहारिक रूप से समस्याएँ आ रही है कर्मचारियो ने संघ को अवगत कराया है कि छुट्टी हेतु आवेदन HRMS से करने के बाद अधिकारियो को बताने के बावजूद भी कई अधिकारियो द्वारा समयपूर्व छुट्टी पर स्वीकृति पर निर्णय नही लिया जाता जिससे कर्मचारियो में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कर्मचारियो द्वारा कही बाहर जाने के लिए काफी समय पूर्व प्लान बनाया जाता है छुट्टी स्वीकृत हाने पर ही कर्मचारी ट्रेनो आदि में रिजर्वेशन करवाते है वही आकस्मिक परिस्थितियो में अगले दिन की छुट्टी का आवेदन करते है ऐसी स्थिति में यदि आश्वासन देकर छुट्टी पर तत्काल निर्णय नहीं लिया जाता है तथा बाद में छुट्टी अस्वीकृत कर दी जाती है तो फिर कर्मचारी मुसीबत में पड़ सकता है। अतः संघ मांग करता है कि अकस्मिक स्थिति में छुट्टी तत्काल स्वीकृत करने व अन्य मामलो में 1-2 दिवस के अंदर छुट्टी स्वीकृत करने की समय सीमा निर्धारित की जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । **प्रशासनिक टिप्पणी** HRMS के माध्यम से छुट्टी के आवेदन एवं स्वीरकृत के संबंध मेंHRMS के leave मोड्यूल पुरी तरह से IREC-1 अध्यासय5 के नियमानुसर कार्य करता है। कृपया मद समाप्त करें। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** HRMS के माध्यम से छुट्टी के आवेदन एवं स्वीककृत के संबंध मेंHRMS के leave मोड्यूल पुरी तरह से IREC-1 अध्यासय5 के नियमानुसर कार्य करता है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/05/2025 DY.CPO/GAZ.	दिव्यांग क्वोटे के तहत सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति के संबंध में। संदर्भ :- आरबीई सं. 16/2024 दिनांक 14.02.2024. उपरोक्त विषय में मुकेष कुमार गोयल, कार्यालय अधीक्षक, सामान्य शाखा, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा दिव्यांग कर्मचारी है। श्री मुकेष कुमार गोयल ने सहायक कार्मिक अधिकारी लेवल 08 के पद पर 30 प्रतिषत एलडीसीई क्वोटा में पदौन्नति हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 08.01.2018 के क्रम मे आवेदन प्रेषित किया था, इस नोटिफिकेषन के तहत आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम मुख्यालय के पत्र सं. WCR/P.HQ/GAZ/Selection/APO Gr.B/LDCE/2018 दिनांक 05.11.2021 को जारी किया गया था, जिसमे कर्मचारी को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। कर्मचारी दिनांक 16.11.2021 को आयोजित साक्षात्कार में भी सम्मिलित हुआ था। तत्पष्चात मुख्यालय के पत्र सं WCR/P.HQ/. GAZ/Selection/APO/Gr.B/LDCE/2018 दिनांक 17.11.2021 को पैनल जारी किया गया जिसमे 02 अन्य कर्मचारियों को पैनल पर रखा गया क्योंकि तत्कालीन समय मे विकलांग क्वोटा पदौन्नति में नहीं था। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के पत्र सं. आरबीई सं. 74/2022 दिनांक 01.07.2022 के तहत पदौन्नति मे 4 प्रतिषत आरक्षण दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमे बिन्दु सं. 01 PWBD कर्मचारी के लिए आरक्षित रखा गया है। आरबीई सं. 97/2022 दिनांक 18.08.2022 के तहत विकलांग कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ ग्रुप बी पदो पर पदौन्नति हेतु भी विस्तारित किया गया है। तत्पष्चात आरबीई सं. 16/2024 दिनांक 14.02.2024 के तहत

	पदौन्नति मे दिव्यांग कर्मचारी के आरक्षण को 30.06.2016 से प्रभावी करते हुए पात्र विकलांग कर्मचारियो को पदौन्नति का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से नेषनल आधार पर देने का प्रावधान किया गया है। श्री मुकेष कुमार गोयल दिव्यांग कर्मचारी होने के कारण वर्ष 2018 में जारी नोटिफिकेषन के क्रम में विकलांग क्वोटा के तहत पैनल जारी होने की तिथि दिनांक 17. 11.2021 से सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु एलडीसीई क्वोटा मे पात्र हैं एवं इस पैनल के आधार पर इन्हे नोप्नल पदौन्नति का लाभ देय बनता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि जो चयन 30.06.2016 से 16.05.2022 के मध्य हुए है उन चयनो मे पात्र कर्मचारियों के लिए विषेष परिक्षाएँ आयोजित करते हुए दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ दिया जाये। करे। अतः संघ का अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को मुख्यालय स्तर पर उठाने का श्रम उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	यात्री द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर जाँच प्रक्रिया के उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है साथ ही यात्रियों द्वारा की गई झूठी शिकायत पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DOPT द्वारा जारी Office Memorandum दिनांक 17.05.2022 के अनुसार PwBDकर्मचारियों को 4% आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है साथ ही रेलवे बोर्ड के पत्र क्रं- E(GP)/2022/2/20 दिनांक 18.08.2022 के तहत बैंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप-सी से ग्रुप-बी में पदोन्नति में 4% आरक्षण लागू किये जाने का निर्देश है। उपरोक्त निर्देशानुसार पमरे में ग्रुप-सी से बी पदों पर चयन हेतु महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन से Vacanncy based roster में Point No-13, 38, 63, 88 निर्धारित किया गया है। तत्संबंध में उल्लेख है कि कार्मिक विभाग में सहा. कार्मिक अधिकारी (ग्रुप-बी) के रिक्त पदों पर दिनांक 17.05.2022 से अब तक कुल 03 पदों पर LGS/LDCE के माध्यम से चयन पूर्व में आयोजित किया जा चुका है एवं वर्तमान में आकलित कुल 05 रिक्तियों को शामिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुल 08 पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित होगी। आवेदक श्री मुकेश कुमार गोयल के आवेदन के संदर्भ में अवगत है कि इस कार्यालय द्वारा APO(Gr.B) के रिक्त पद पर 30 % LDCE कोटे के तहत चयन हेतु अधिसूचना दिनांक 08.01.2018 के द्वारा कुल 02 UR के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए जिसमें लिखित परीक्षा में उतीर्ण होनें के उपरांत कुल 05 अभ्यर्थी Viva-Voce हेतु उपयुक्त पाये गये थे एवं प्राप्त अंको में वरिष्ठा के आधार पर कुल 02 अभ्यर्थियों को पैनल (पैनल दि. 17.11.2021) पर रखा गया , ये दोनों अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार गोयल से मेरिट में वरिष्ठ थे। चूकि उक्त चयन में PwBDsके लिए कोई पद आरिक्षत नही था एवं कुल 02 पदों को योग्य कर्मचारियों द्वारा भरा गया था इसलिए श्री मुकेश कुमार गोयल को नोशनल आधार पर पदोन्नति के संबंध में विचार नही किया गया। भविष्य में APO(Gr.B) पदों पर चयन हेतु 13वॉं Point आने पर PwBDके Vacanncyको Notified किया जायेगा।
MS/52/2025 DY.CPO/RECT DY.CPO/GAZ DY.CPO/HRD DGM PCEE भोपल मंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की कार्मिक विभाग की समस्याएँ तथा GDCE 01/22 को फाइनल करने के क्रम में । 1. कार्मिक शाखा के कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तथा कुछ विभागों में आवश्यकता से कम मिनिस्ट्रियल स्टॉफ सदस्य है इसके निराकरण हेतु कार्मिक शाखा के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टॉफ की पिन प्वांईटिंग जो वर्षो से लंबित है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर रेलवे इंटर डिवीजन एवं एडीईएन सबडिवीजन टू सबडिवीजन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जा रही है , जबकि कर्मचारी एचआरएमएस से भेज चुका है। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है , एवं जिनके स्थानांतरण हो गए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। 2. सभी विभागों में प्रमोशन समय से एवं उचित कम जैसे 4200/- से 4600/2800/- से 4200/2400/- से 2800/ 1900/-से 2400/- 1800/- से 1900 क्रम में प्रमोशन किए जाये।लगभग सभी विभागों में छुट्टियां एचआरएमएस के माध्यम से दी जा रही हैं लेकिन उसे संबंधित सुपरवाइजर एवं अधिकारियों द्वारा माह के अंतिम दिनों में या माह खत्म होने के बाद स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होगी या अस्वीकृत

	होगी। संघ का सुझाव है कि कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति आस्वीकृति की जानकारी उसके अवकाश तिथि के 12 घंटे पहले दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो अवकाश स्वतः स्वीकृत माना जाए । विभिन्न प्रापत्रो की रिसीविंग कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष एवं कर्मचारियों को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टी.ए.बिल कोई भी एप्लीकेशन अन्य विभिन्न प्रकार के आवेदन सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस के लिए जाये। जिससे पत्र जमा करने की डेट एवं टाइम डिटेक्ट हो सके। 3. GDCE नोटीफिकेशन 01/2022 की प्रोसेस काफी धीमी हो रही है , शीघ्र पूर्ण की जाए। 4. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित करने के संबंध में। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभी हालो में पार्टीसन कर अलग-अलग सेक्षन बनाये गये है जिसके कारण कूलर की हवा पूरे हाल को ठंडा नहीं कर पाती न ही हवा आती है अतः संघ की मांग है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित किया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/Gaz-1. Railway Board has launched new Transfer module in HRMS which is functioning presently. Employee may submit their IRRT/IDRT/Intra division applications through this moudle. However some updation works is still under process by CRIS.

MS/65/2014 Dy.CPO/Rect	स्व. श्री बाबूलाल मीना भूतपूर्व वरिष्ठ लिपिक एसएसई (कार्य) भोपाल की मृत्यु के पश्चात् आश्रित हेतु अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में। स्व. बाबूलाल मीना का निधन दिनांक 03.07.2004 में हो गया था पारिवारिक विवाद के कारण लंबे समय तक मामला विचाराधीन है किन्तु दिनांक 07.07.2011 में माननीय अर्चना सिंह तृतीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग। द्वारा श्रीमति उमादेवी व उनके दोनों पुत्रों श्री राकेश आयु 21 वर्ष व रीतेश आयु 14 वर्ष को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया इसी आधार पर पेन्शन व अन्य भुगतान श्रीमति उमा देवी को दिये गये किन्तु अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मंडल प्रशासन से बार बार अनुरोध के उपरांत भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। अतः अनुरोध है कि जिस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन व अन्य भुगतान किये गये वैसे ही अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु मंडल प्रशासन को आदेशित करें।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/Rect.- द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्री/पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में रेलवे बोर्ड से जारी निर्देश आरबीई संख्या 218/2019 दिनांक 30.12.2019 की प्रभावी तिथि हेतु बोर्ड से दिशानिर्देश मांगा गया था। बोर्ड के पत्र दिनांक 30.03.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आरबीई संख्या 218/2019 की प्रभावी तिथि दिनांक 30.12.2019 से है। चूँकि यह प्रकरण दिनांक 30.12.2019 से पूर्व का है। अतः बोर्ड के उक्त पत्र के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निपटान हेतु भोपाल मण्डल को परिपत्रित किया गया है। भोपाल मण्डल के पत्र दिनांक 22.09.2021 अनुसार श्रीमती उमा देवी पूर्व कर्मचारी स्व. श्री बाबूलाल मीना की द्वितीय पत्नी है तथा उनके पुत्र श्री राकेश मीना अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं है। सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.12.2021 के द्वारा भोपाल मंडल को अवगत कराया जा चुका है। पुनः इस कार्या. के द्वारा संघ को अवगत कराया जा चुका है। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/61/2016	श्रीमति मोमिता गुई पुत्री श्री स्व. सुबोध गुई , चपरासी, अधीन वरि. डीसीएम. के सभी कैटेगरी मेडीकल अनफिट

Dy.CPO/Rect	उपरांत आश्रित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्। श्रीमति चंद्रलेखा गुई पत्नि स्व. श्री सुबोध गुई चपरासी अधीन वरि. डीसीएम से संघ को शिकायत प्रापत हुई है कि की वर्तमान में तलाकशुदा पुत्री जो कि पिछले 5 वर्षों से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पति से विवाद के चलते कर्मचारी के साथ ही रहती है। जिस कारण से पुत्री के भरण पोषण एवं उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी कर्मचारी को ही उठानी पढ़ रही थी। श्री सुबोध गुई द्वारा चिकित्सा की सभी श्रेणियो में मेडीकल अनफिट होने के उपरान्त आश्रित पुत्री के लिए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था। जिस पर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक जबलपुर) द्वारा का पत्र कमांक जबल/का/620/भर्ती/अनु. नियुक्ति/मोमिता / 3037 दिनांक 05.02.2016 के आधार पर स्व. कर्मचारी की आश्रित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति नही दिये जा सकने बाबत् अवगत कराया है। तथा इसका कारण पुत्री का पूर्णतः आश्रित न होना बताया गया है। जबकि वास्तव में पुत्री श्रीमति मोमिता गुई का तलाक 24 नवम्बर 2014 को हो चुका था जबकि कर्मचारी की मृत्यु 27 दिसम्बर 2014 को हुई है। अर्थात पुत्री मृत्यु के पूर्व ही कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित थी। अतः रेलवे बोर्ड के नियमानुसार आश्रित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना चाहिए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/Rect- जबलपुर मण्डल के पत्र दिनांक 28.11.2019, 13.02.2020 व 05.03.2021, 20.09.2021, 04.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थीनी द्वारा माननीय कैट में दायर ओ.ए. संख्या 200/01016/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 के अनुपालन में अभ्यर्थीनी से प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रकरण का गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिए गए निर्णय से उन्हें पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा अवगत करा दिया गया है। प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति के लिये आश्रित होने की शर्त मोमिता गुई द्वारा पूर्ण नहीं करने के कारण उनको अनुकंपा नियुक्ति देने बावत् पात्र नहीं माना गया है। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/05/2017 Dy.CPO/Rect	अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति प्रदान करने बाबत प्रकरण श्रीमती कसू बेन देवदा । श्रीमती कसू बेन देवदा के पति श्री राणा धनजी रेल सेवा में गैंगमेन के पद पर कार्यरत थे , श्रीमती कसू बेन देवदा को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्तावित है। मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा श्रीमती कसू बेन देवदा को जन्मतिथि में भिन्नता पाये जाने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अमान्य घोषित कर दिया गया है। संघ अवगत कराना चाहता है कि श्रीमती कसू बेन की मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, एवं शपथ पत्र में जन्मतिथि 01.01.1971 घोषित है, इसी आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। श्रीमती कसू बेन देवदा के पति एवं पुत्र की मृत्यु के उपरांत पारिवारिक लालन पालन हेतु काफी पारिवारिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण की जाचं कर श्रीमती कसू बेन देवदा को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावें। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/Rect- श्रीमती कसू बेन देवदाः- कोटा मण्डल के पत्र दिनांक 21.09.2021 अनुसार अवगत कराया गया कि पूर्व में श्रीमती कसूबेन देवदा पत्नी स्व. राणा धनजी , भूतपूर्व गैंगमेन, अधीन कोटा के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में विधवा के जन्मतिथि में भिन्नता के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अमान्य कर दिया गया था। बाद में विधवा ने अपने छोटे पुत्र श्री सुरेश भाई जोकि 8वीं उत्तीर्ण है, को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। कल्याण निरीक्षक से करायी गयी जाँच में 10वीं में अध्यनरत होने की बात मौखिक तौर पर बताई गई है। 10वीं उत्तीर्ण कर लेने की सूचना प्राप्त होने पर ही नियमानुसार इनके प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/45/2017 Dy.CPO/Rect	भोपाल मंडल में लार्जेस के तहत अनुकंपा नियुक्ति में कोर्ट के न्यायधीश द्वारा दोषमुक्त किया गये प्रकारणों में नियुक्ति दिये जाने बावत् । भोपाल मंडल में अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्ति देने के प्रकरणो में आर. आर.सी. और आर.आर.बी उम्मीदवारो को नियुक्ति देने में यदि उनके पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट में उनके विरूद्ध कोई मामला अथवा दंड नही होते हुए भी यदि किसी प्रकरणो में कोर्ट के न्यायधीश द्वारा आपसी राजीनामा करके और उम्मीदवारो को दोषमुक्त किया गया है या प्रकरण को समाप्त किया गया है ऐसे कई प्रकरणों में भोपाल मंडल प्रशासन ने नियुक्तिया नही की है। उदाहरणतः श्री रंजीत सिंह आत्मज धरमवीर ट्रेकमेन अधीन वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्टोर / भोपाल। इस तरह के प्रकरणो की समीक्षा कर उन्हें नियुक्ति प्रदान की जावें । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **Dy.CPO/Rect-** उक्त मद के संबंध में भोपाल मण्डल के पत्र दिनांक 22.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि लार्जेस प्रकरणों में लार्जेस चक्रों के समय जिन अभ्यर्थियों पर पुलिस/न्यायालय प्रकरण लंबित थे तथा संदेह के आधार पर दोषमुक्त किए गए थे , ऐसे प्रकरणों को मण्डल रेल प्रबंधक महोदय ने नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना है। वर्तमान में सभी लार्जेस चक्र समाप्त हो चुके है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिनांक 10.03.2021 क तहत पूर्णतः बंद कर दी गई है। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी DY. CPO/Rectt- कर्मचारी दिनांक 31.08.2022 को ट्रेकमैन/ SSE(Pway)Store से सामान्य सेवानिवृत हो चुके है। कर्मचारी के पुत्र रंजीत सिंह को लार्जेस नियुक्ति हेतु अपात्र किया गया था।
MS/11/2018 Dy.CPO/Rect	श्री लक्ष्मी नारायण आत्मज स्व. हल्कई जगन एक्स गैंगमेन सी.पी.डब्ल्यू बी.आर. आर.जी. को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने बावत् । स्व. हल्कई जगन जो कि सी.पी.डब्ल्यू.आई. / बी.आर.आर.जी. भोपाल मंडल के अधीन गैंगमेन के पद पर कार्यरत थे उनका देहान्त दिनांक 15.01.2007 को सेवा अवधि के दौरान हो गया था। उस समय कर्मचारी के पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण की उम्र 18 वर्ष थी उस समय भी विवाहित था उसने उस समय अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन दिया था तब वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी , भोपाल के पत्रांक भो/वी/वेल/अनु. नियु./ 163/06.07 दिनांक 16.03.2007 द्वारा लक्ष्मीनारायण को निर्देश दिया गया था कि वह चूंकि 8 वी कक्षा उत्तीर्ण नही है। अतः 5 वर्ष के अंदर 8वी कक्षा उत्तीर्ण होकर इस कार्यालय में रिपोर्ट करे तब आपके आवेदन पर अनुकम्पा नियुक्ति की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी 1 2010 में 8 वी कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तथा पुनः कर्मचारी के पुत्र ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी भोपाल को प्रस्तुत किया तब दिनांक 14.06.2010 को पत्र प्राप्त हुआ कि आप विवाहित है इसलिए आपको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नही की जा सकती । स्व. कर्मचारी के परिवार की अत्यधिक दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुये प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करें । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी उक्त मद के संबंध में भोपाल मण्डल के पत्र दिनांक 22.9.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व कर्मचारी स्व. हल्कई जगन की मृत्यु दिनांक 15.01.2007 को हुई थी। कर्मचारी की मृत्यु से पहले पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी,

	परिवार में 03 विवाहित पुत्र एवं 03 विवाहित पुत्रियाँ थी। आवेदक श्री लक्ष्मीनारायण सबसे छोटा पुत्र था तथा चौथी उत्तीर्ण था। वर्ष 2007 में अनुकंपा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं थी। अतः मण्डल द्वारा तत्समय आवेदक श्री लक्ष्मी नारायण को 05 वर्ष के अंदर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का समय दिया गया था। आवेदक द्वारा आठवी उत्तीर्ण करने के उपरांत पुनः आवेदन दिया। परंतु जांच में आवेदक की अपने पिता अर्थात् पूर्व कर्मचारी पर आश्रितता सिद्ध न होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/17/2020 Dy.CPO/Rect	एक बार छूट के आधार पर 30 क्लर्क 25 प्रतिशत डॉरेक्टरिक्यूमेंट कोटे को GDCE से भरने बाबत्। रेलवे बोर्ड RBE No. 11/2018,112/2018 और 77/2019 के माध्यम से एक बार विशेष छूट के आधार पर सीनियर क्लर्क की सीधी भर्ती कोटे के :25 प्रतिशत कोटे को भरने की छूट प्रदान की है। पमरे पर इस बाबत् जीडीसीई के तहत नोटिफिकेशन शीघ्र जारी किया जाये इसी तरह जूनियर एकाउन्ट (JAA) असिस्टेंट के सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए एक बार छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	जीडीसीई के तहत् सीनियर क्लर्क एवं जूनियर क्लर्क हेतु अधिसूचना 01/2022 जारी कर दी गई है। कृपया मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/36/2020 Dy.CPO/Rect	सक्रिय सेवानिवृति योजना (LARSGESS) के तहत रेल सेवा में नियुक्ति के संबंध में । संदर्भः-1. ई/845/LARSGES/2017 भाग-11 दि. 30.06.2017 2. WCR/P.HQ/Rectt./122/LARSGESS दि. 24.01.2020 उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक पात्र रेल कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसमें पात्रता हेतु आवश्यक भत्ते भी जारी की गई थी। प्रकरण में संघ अवगत कराना चाहता है कि संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से महाप्रबंधक जबलपुर के अनुमोदन से जिन रेल कर्मचारियों के अभी तक रेल सेवा से सेवानिवृति प्रदान नहीं की गई है तथा जिनके आश्रितों के चिकित्सकीय जांच दिनांक 27.10. 2017 से पूर्व करा ली गई है जो कि रेल सेवा के लिए उपयुक्त पाये गये है उन्हें रेल सेवा में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। संघ यह भी अवगत कराना चाहता है कि वर्तमान में रेल कर्मचारियों को आयु सीमा अधिक अथवा शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताकर रोका जा रहा है साथ ही साथ कुछ प्रकरण ऐसे भी है जिसमें वर्ष 2017 में रेल कर्मचारियों पर संदर्भित पत्र संख्या के माध्यम से जारी अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तों को पूरा करते है परन्तु उन पर लम्बित डीएआर की समयावधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा लार्जेज पर रोक लगाने की वजह से उनके आश्रित को भी रेल सेवा में लार्जेज योजना के तहत नियुक्ति प्रदान नहीं हो पाई है। जिनका विवरण निम्न है- 1. श्री निखिल तिवारी आत्मज सीताराम तिवारी गेटमेन, यूनिट नं 11 मकरोनिया, सागर2. श्री मनोज कुमार यादव आत्मज सिंधु प्रसाद ट्रेकमेन, मैहर 3. श्री मनोज प्रसाद कुशवाहा आत्मज गणेश राम ट्रेकमेन, दमोह वेस्ट 4. श्री राम सुशील केवट आत्मज शंकर फुलया ट्रेकमेन, दमोह वेस्ट 5.श्री रूप सिंह गौड़ आत्मज रवि शंकर कनछेदी, कीमेन, नरसिंहपुर 6. श्री रामबक्स आत्मज सलकराम, ट्रालीमेन, हरदा

	7. श्री माधव प्रसाद टेक्नी सी एंड डब्ल्यू, भोपाल 8. गोपाल यादव हेल्पर टेलीकाम बीना 9. लल्लू सुके ट्रेकमेन, पीवे साउथ, बीना 10. रामचरण आत्मज फूल सिंह हेल्पर अधीनस्थ एसएसई टेली गंगापुरसिटी कोटा तथा अन्यअतः संघ का अनुरोध है कि प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही कर नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-1. श्री निखिल तिवारी आत्मज सीताराम तिवारी गेटमेन, यूनिट नं 11 मकरोनिया, सागर– ट्रैक मेन्टेनर IV की पोस्ट पर नियुक्त। 2. श्री मनोज कुमार यादव आत्मज सिंधु प्रसाद ट्रेकमेन, मैहर– ट्रैक मेन्टेनर IV की पोस्ट पर दिनांक 23.03.2021 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 3. श्री मनोज प्रसाद कुशवाहा आत्मज गणेश राम ट्रेकमेन, दमोह वेस्ट– ट्रैक मेन्टेनर IV की पोस्ट पर दिनांक 24.03.2021 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 4. श्री राम सुशील केवट आत्मज शंकर फुलया ट्रेकमेन, दमोह वेस्ट - Over Age होने के कारण अनुपयुक्त VRS स्वीकृत नही हुआ था। 5.श्री रूप सिंह गौड़ आत्मज रवि शंकर कनछेदी, कीमेन, नरसिंहपुर ट्रैक मेन्टेनर IV की पोस्ट पर दिनांक 31.03.2021 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 6. श्री रामबक्स आत्मज सलकराम, ट्रालीमेन, हरदा–Medical Done . VRS स्वीकृत नही हुआ। 7. श्री माधव प्रसाद टेक्नी सी एंड डब्ल्यू, भोपाल - VRS स्वीकृत नही हुआ था उक्त प्रकरण में अभ्यर्थी टीकाराम पाटले का मेडिकल परीक्षण कराया गया था जिसमें अभ्यर्थी को B-1 कैटेगरी हेतु योग्य पाया गया था। 8. गोपाल यादव हेल्पर टेलीकाम बीना - VRS स्वीकृत नही हुआथा उक्त प्रकरण में अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षण नही कराया। 9. लल्लू सुके ट्रेकमेन, पीवे साउथ, बीना - VRS स्वीकृत नही किया गया। कर्मचारी सामान्य दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत हुआ है। कर्मचारी के पुत्र पंकज पाल को मेडिकल परीक्षण हेतु दिनांक 05.05.2017 को मेमो जारी किया गया था। परंतु उसके द्वारा मेडिकल परीक्षण नही कराया गया। 10. रामचरण आत्मज फूल सिंह हेल्पर अधीनस्थ एसएसई टेली गंगापुरसिटी कोटा तथा अन्य– मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कोटा के पत्र क्रमांक E/S&T/949/LARSGESS/2017 दिनांक 25.05.2021 के तहत कर्मचारी के आश्रित को हेल्पर के पद पर एस.एस.ई/टेली गंगापुरसिटी के अधीन नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
MS/19/2021 Dy.CPO/Rect	पमरे में अनुकंपा आधर पर नियुक्ति दिये जाने संबंधी नीति का व्यवहारिक पालन नहीं होने व SSE/CDMS के सीधे भर्ती के कर्मचारियों के स्वंय के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानान्तरण पर अघोषित रोक के संबंध में । रेलवे बोर्ड के RBE No. 24/2019 दिनांक 25.10.2018 के अनुसार SSE/CDMS के सीधे भर्ती कोटा ग्रेड पे 4600 पर रोक लगा दी गई तथा सीधे भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के स्वंय के अनुरोध पर अंतर रेलवे मंडलीय स्थानान्तरण पर इसका प्रभाव नही होने के स्पष्टीकरण भी दिनांक 15.02.2019 को रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया परन्तु सीधे भर्ती कोटे पर रोक लगाने पर विभागीय कोटे से अधिकतर पदों को भर दिया गया है जिससे SSE/CDMS के पद पर नियुक्त सीधे भर्ती कोटे के कर्मचारियों को स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरण के प्रकरणो को लम्बित रख दिया गया है तथा पमरे में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दिये जाने संबंधी नीति के अनुसार ग्रेड पे 4800 की योग्यता व लिखित परीक्षा में 65% अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो को नियुक्ति में भी अघोषित रोक लग गई है। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पमरे की नीति पमरे एनपीएस नं. 19/2022 दिनांक 21.03.2022 के पैरा 4 अनुसार एसएसई में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। कृपया मद समाप्त करें।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/28/2021 Dy.CPO/Rect	सड़िपुका भोपाल कारखाने में वर्षो से लंबित दयाधार नियुक्तियो तथा लंबित फैमिली पेंशन के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत सड़िपुका भोपाल कारखाने में वर्षो से लंबित दयाधार नियुक्तियो के संबंध में कारखाने में कार्यरत रेल कर्मचारी जो कालकवलित हो चुके हैं उनके परिजन अपने परिवार पेंशन तथा दयाधार नियुक्ति के लिए भटक रहें है। कार्मिक विभाग के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के बेतरकीब बताए गए नियमों कि वजह से दिवंगत रेल कर्मियों के परिजन वर्षों से कार्मिक विभाग में चक्कर काट रहे है। कृपया निम्नलिखित दयाधार नियुक्तियों का शीघ्र निराकरण करें ताकि दिवंगत रेल कर्मचारी के परिजन तथा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। क. रेल कर्मचारी का नाम शॉप मृत्यु तिथि टिप्पणी 1. श्री संदीप दुबे FUR 31.08.2013 CGA लंबित है 2. श्री गया प्रसाद Body 07.11.2018 CGA लंबित है 3. श्री लाखन सिंह ETL 17.06.2018 CGA लंबित है 4.श्री अमरीश कुमार (JE) PCR 22.06.2019 फॅमिली पेंशन लंबित है 5.श्रीमति रगा बनकर CARP 28.06.2020 फॅमिली लंबित है 6.श्री विनय कुमार PCR 29.09.2020 पेंशन एवं CGA लंबित है 7. श्री सर्वेश कुमार शर्मा FUR ------------ CGA लंबित है 8. श्री राजेश कुमार कश्यप Bogie 12.12.2020 CGA लंबित है 9.श्री राजाराम सिंह Body 02.11.2020 CGA लंबित है 10. श्री दयाराम प्रजापति FUR All पेंशन एवं CGA लंबित ह नोटः क्रमांक 1 पर अंकित कर्मचारी का पुत्र श्री देवांस दुबे 10 वी पास कर मैकेनिकल डिप्लोमापास है परन्तु रेल प्रशासन 12 वह पास की मांग कर रहा है जबकि RGPV भोपाल द्वारा डिप्लोमा का 12 वी पास की मान्यता प्रदान कर चुका तथा लिखकर भी दे दिया है RGPV मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय एक सरकारी उपकम है। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	सडिपुका-भोपाल द्वारा दिनांक 23.03.2022 को अवगत कराया गया कि.. क्रं कर्मचारी का नाम --- रिमार्क्स 1 श्री संदीप दुबे ---- कार्यालय आदेश संख्या 08/2022 दिनांक 17.01.2022 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 2 गया प्रसाद ----- कार्यालय आदेश संख्या 80/2021 दिनांक 05.04.2021 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 3 लाखन सिंह ----- कार्यालय आदेश संख्या 68/2021 दिनांक 25.03.2021 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 4 अमरीश कुमार ---- अम्बाला मंडल स्थानांतण कर दिया गया है। 5 श्रीमती रीना बंकर ----- माइनर पंजीकरण किया गया 6 विनय कुमार ----- कार्यालय आदेश संख्या 204/2021 दिनांक 04.09.2021 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 7स्व.सर्वेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ------ भोपाल मण्डल के पत्र को पमरे/का-भो/122/ॅमाध्अन.नि./09/21.22 दिनांक 12.09.2021 के द्वारा जेई (टेली) में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। 8 राजेश कुमार कश्यप ----- भोपाल मंडल मे Dy CE (Con)/BPL मे अवर लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गयी है। 9 राजाराम ------ कार्यालय आदेश संख्या 129/2021 दिनांक 31.05.2021 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 10 दयाराम प्रजापति ------ कार्यालय आदेश संख्या 27/2022 दिनांक 26.02.2022 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/39/2021 Dy.CPO/Rect	(अ) कर्मचारी स्व. सोनेलाल गैंगमेंन की पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में । (ब) कर्म. स्व. श्री श्यामलाल कुशवाहा के पुत्र भगवानदीन कुशवाहा को दयाधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में। पूर्व कर्मचारी स्व. सोनेलाल गैंगमैन के पद पर एसएसई पीवे एनकेजे के अधीनस्थ कार्यस्त थे जो कि दिनांक 10.01.12 को स्वर्गवासी हो गये कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों में पत्नि तथा एक बेटी थी जो वर्तमान में शादीशुदा है कर्मचारी की पत्नि की देखभाल करने वाला कोई नहीं है विवाहित बेटी की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिये वह अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। अतः विशेष पारिस्थितियों में कर्मचारी की शादीशुदा लड़की को अनुकंपा नियुक्ति दी जाये जिससे वह अपनी मां की देखभाल कर सकें। कर्म. स्व. श्री श्यामलाल कुशवाहा / सुखदेव जो एसएसई पीवे मैहर के अधिनस्थ गैंगमेन के पद पर पदस्थ था जिसकी लंबी बीमारी के चलते रेलवे हास्पिटल जबलपुर में दिनांक 17.07.05 को मृत्यु हो गई थी कर्म, के दो पुत्र थे जिसमें बड़ा पुत्र पढ़ा लिखा नहीं है छोटे पुत्र की उम्र 18 वर्ष से कम की थी तथा छोटा पुत्र भगवानदीन वर्ष 2013 में 10वीं कक्षा पास करते हुये बालिक हो चुका है कर्म की पत्नी गीमा बाई कुशवाहा अपने छोटे पुत्र को नौकरी देने की सहमति प्रदान की है तथा बड़े पुत्र को भी कोई आपत्ति नहीं है विधवा पत्नी गीता बाई लगातार मंडल कार्यालय के चक्कर काट रही है परंतु प्रशासन आज के तिथि तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की न ही कर्म, के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। अतः संघ का आग्रह है कि स्व. श्री श्याम लाल/सुखदेव के पुत्र भगवानदीन कुशवाहा को दयाधार की अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाये। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. जबलपुर मण्डल के पत्र दिनांक 24.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्व. सोनेलाल, पूर्व गैंगमेन अधीन एसएसई/पीवे/नकज मृत्यु दिनांक 10.01.2012 के परिवार द्वारा पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन जमा नहीं किया गया था। पीएनएम के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर कार्मिक निरीक्षक द्वारा प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट जमा की गई है। प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा के आदेशानुसार पुनः कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक से जांच कराई गई। जांचोपरांत प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया। 2. जबलपुर मण्डल के पत्र दिनांक 24.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व कर्मचारी की विधवा पत्नी गीता बाई द्वारा पूर्व में भी प्रथम पुत्र रामाधार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने हेतु आवेदन किया था। शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने पर आठवीं की अंकसूची फर्जी पाई गई थी। अतः आवेदक द्वारा फर्जी अंकसूची के आधार पर नियुक्ति पाने का मामला बनता है। इस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निरस्त कर दिया गया है एवं विधवा पत्नी गीताबाई को जबलपुर मण्डल के पत्र दिनांक 06.06.2020 द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः संघ से अनुरोध है कि कृपया उक्त मद को समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/64/2023 Dy.CPO/Rect	सेवानिवृत विकोटीकृत कर्मचारियों के आश्रितों को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में । संघ द्वारा बार बार रेल प्रशासन को अवगत गया है कि कोटा मण्डल में कई कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर रेल सेवा से सेवानिवृति प्रदान कर दी गई है व कर्मचारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र के तहत जारी दिशा निर्देशो के तहत अपने आश्रितों को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिये है किन्तु काफी समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों के आश्रितों को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति

	प्रदान नहीं की गई है। 1. श्री अनिल कुमार शर्मा विकोटीकृत लोको पायलेट कोटा 2. श्री ओमप्रकाश विकोटीकृत कांस्टेबल, कोटा 3. श्री राकेश मीना विकोटीकृत तकनीशियन (पावर) शामगढ इस संबंध में संघ अवगत कराना चाहता है कि रेलवे बोर्ड के संदर्भित में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है किन्तु अनुकम्पा नियुक्ति में अनावश्यक बिलम्ब के कारण कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरणों पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रेलवे बोर्ड के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारियों के आश्रितों को रेल सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करवाने का प्रबंध करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** 1. श्री अनिल कुमार शर्मा विकोटीकृत लोको पायलेट कोटा के आश्रित पुत्र श्री प्रकाश शर्मा को Points Man 'B' पद पर कोटा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 2.श्री ओमप्रकाश विकोटीकृत कांस्टेबल, कोटा के आश्रित पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह Assistant TRD (Khalasi Helper) पद पर कोटा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 3. श्री राकेश मीना विकोटीकृत तकनीशियन (पावर) शामगढ की आश्रित पुत्री सुश्री दीपांशी मीना को Helper/Signal के पद पर कोटा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अतः मद समाप्त किया जाये। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/52/2024 Dy.CPO/Rect	श्री अमित कुमार कुशवाह, ग्राम बेहलोट, गंजबसौदा, बिदिशा पूर्ण रूप से आश्रित होने पर दयाधार नियुक्ति के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री दुर्जन कुशवाह, गंजबसौदा में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 05.06.2021 को हार्ट अटैक से हो गया था। श्री दुर्जन कुशवाह, की पत्नि का भी देहांत हो गया है एवं उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होने किशोर अवस्था में ही श्री अमित कुमार कुशवाह को अपने पास पुत्र की तरह आश्रित रखा था एवं उसका लालन पालन अपने पुत्र की भांति करते थे। श्री दुर्जन कुशवाह ने मृत्यु से पहले रेलवे में नामिनी एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर वसीयत में अपना पुत्र बनाया तथा समस्त अधिकार दायित्व एवं सभी प्रकार के लाभ हित श्री अमित कुमार कुशवाह के नाम किये । श्री दुर्जन कुशवाह की मृत्यु उपरांत मिलने वाली सहायता राशि एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अमित कुशवाह ने दिनांक 09.07.2021 को आवेदन किया था विगत दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी सहायता प्राप्त नही हुई। श्री दुर्जन कुशवाह जब जीवित थे तब से पूर्ण रूप से श्री अमित कुमार कुशवाह उन पर ही आश्रित थे अचानक उनके न रहने से एवं आय का कोई स्रोत न हाने के कारण परिवार का जीवन यापन करना बड़ा कठोर हो गया है। अतः अनुरोध है कि श्री अमित कुमार कुशवाह के जीवन यापन हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दयाधार नियुक्ति प्रदान किया जावें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** उपरोक्त मद के संबध में अवगत कराया जाता है कि स्व. श्री दुर्जन कुशवाह , पदनाम पूर्व ट्रैकमेन की दिनांक 15.06.2021 को मृत्यू हो गई थी। कर्मचारी की मृत्यू के पूर्व ही पत्नि की दिनांक 29.11.2020 को मृत्यू हो चुकी थी। रेल कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत कल्याण निरीक्षक द्वारा की गई जांच के अनुसार इनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। स्व. कर्मचारी सेवाकाल के दौरान पास, पीटीओ घोषणा पत्र में केवल स्वंय कर्मचारी का नाम ही दर्ज है एवं स्व कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान दिये गये पीएफ नामिनेशन फार्म में श्री अमित कुमार कुशवाह का नाम भतीजे के रूप

	में दर्ज किया गया है। स्व. कर्मचारी श्री दुर्जन कुशवाह का भतीजा श्री अमित कुमार कुशवाह नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता है । अतः श्री अमित कुमार कुशवाह के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में विचार नहीं किया जा सकता है ।अतः संघ से अनुरोध है कि मद समाप्त किया जाये।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY. CPO/Rectt.-टिप्पणी यथावत।
MS/52/2025 DY.CPO/ RECT DY.CPO/ GAZ DY.CPO/ HRD DGM PCEE भोपलमंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की कार्मिक विभाग की समस्याएँ तथा GDCE 01/22 को फाइनल करने के क्रम में । 1. कार्मिक शाखा के कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तथा कुछ विभागों में आवश्यकता से कम मिनिस्ट्रियल स्टॉफ सदस्य है इसके निराकरण हेतु कार्मिक शाखा के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टॉफ की पिन प्वांईटिंग जो वर्षो से लंबित है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर रेलवे इंटर डिवीजन एवं एडीईएन सबडिवीजन टू सबडिवीजन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जा रही है, जबकि कर्मचारी एचआरएमएस से भेज चुका है। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, एवं जिनके स्थानांतरण हो गए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। 2. सभी विभागों में प्रमोशन समय से एवं उचित कम जैसे 4200/- से 4600/2800/- से 4200/2400/- से 2800/ 1900/-से 2400/- 1800/- से 1900 क्रम में प्रमोशन किए जाये।लगभग सभी विभागों में छुट्टियां एचआरएमएस के माध्यम से दी जा रही हैं लेकिन उसे संबंधित सुपरवाइजर एवं अधिकारियों द्वारा माह के अंतिम दिनों में या माह खत्म होने के बाद स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होगी या अस्वीकृत होगी। संघ का सुझाव है कि कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति आस्वीकृति की जानकारी उसके अवकाश तिथि के 12 घंटे पहले दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो अवकाश स्वतः स्वीकृत माना जाए । विभिन्न प्रापत्रो की रिसीविंग कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष एवं कर्मचारियों को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टी.ए.बिल कोई भी एप्लीकेशन अन्य विभिन्न प्रकार के आवेदन सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस के लिए जाये। जिससे पत्र जमा करने की डेट एवं टाइम डिटेक्ट हो सके। 3. GDCE नोटीफिकेशन 01/2022 की प्रोसेस काफी धीमी हो रही है, शीघ्र पूर्ण की जाए। 4. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित करने के संबंध में। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभी हालो में पार्टीसन कर अलग-अलग सेक्षन बनाये गये है जिसके कारण कूलर की हवा पूरे हाल को ठंडा नहीं कर पाती न ही हवा आती है अतः संघ की मांग है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित किया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy. CPO/Rectt. – 3. जीडीसीई- 01/2022 के अंतर्गत सीबीटी, अतिरिक्त सीबीटी, सीबीटीएसटी एवं सीबीएटी परीक्षाएँ संपन्न करायी जा चुकी हैं साथ ही स्टेशन मास्टर पद का परिणाम दिनांक- 19/02/2025 को घोषित किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG)I/2025/PM1/3 दिनांक- 05/03/2025 के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण सूचना दिनांक- 07/03/2025 के द्वारा अधिसूचना को निरस्त किया गया था । तदोपरांत रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG)I/2025/PM1/3 दिनांक-28/03/2025 एवं मुख्यालय के पत्र क्रमांक WCR/PHQ/Conf/Selections/RB दिनांक- 02/04/2025 के निर्देशानुसार अधिसूचना निरस्तीकरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचना दिनांक- 07/03/2025 को महत्वपूर्ण सूचना दिनांक- 07/04/2025 के द्वारा वापस (Withdrawn) लिया गया। स्टेशन मास्टर पद हेतु दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों से संबंधित मंडल द्वारा प्राप्त दस्तावेजों/जानकारी अपूर्ण होने के कारण मंडल से स्पष्टीकरण माँगा गया है। जिसके प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

MS/49/2017 Dy.CPO/HQ	जोनल रेलवे में एसएसई (वर्कस) के अधीनस्थ रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद भी आर्टीजन स्टॉफ के पदो को न भरने बावत् । जेनल रेलवे के तीनो मंडलो पर एसएसई (वर्कस) के अधीन निम्न पदो में अत्याधिक रिक्तियां है: प्लम्बर,, मेशन, कारपेंटर, लोहार, पेंटर आदि पदो को वर्षों से नहीं भरा गया है उपलब्ध 90 प्रतिशत स्टॉफ रिटायर्ड हो चुका है। एसएसई(वर्कस)के पास जोनल रेलवे में एक ड्राईव चलाकर उक्त पदो को अति शीघ्र बोर्ड के निर्देशानुसार भरा जावें । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** इस कार्यालय के पत्र दिनांक-11.06.2024 द्वारा संघ को विस्तृत जबाव दिया गया है। प्रति संलग्न है। कृपया मद समाप्त करें। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** उप मुकाधि/मुख्याः दिए गए जवाब के अनुसार चर्चा की गयी। संघ का कथन है कि प्रशासन द्वारा दिए गए जवाब से सहमत नहीं है कृपया पुनः पत्र के द्वारा विस्तृत जवाब दिया जाए। संघ को विस्तृत जवाब दिया जाएगा। **प्रशासनिक टिप्पणी** मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.05.2025 द्वारा महामंत्री, मजदूर संघ, जबलपुर को विस्तृत जवाब दिया गया है एवं सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियो को पदोन्नति से व सीधी भर्ती से भरी जाती है जो एक सतत प्रक्रिया है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/02/2022 DY.CPO/HQ	मेडीकल डिकेटेराइज्ड रनिग को स्टेशनरी पद पर पोस्टिंग सॉतवे वेतनमान में पे फिक्सेशन अगले पे लेवल में करने के सबंध में । संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का पत्राक E(NG)I 2018/RE3-3dated 14.10.2019 &Boards Latter ENG/96RE3-/9(2) Dated 29.04.1999 का पैरा 1307 उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्रानुसार मेडीकल डिकेटेराइज्ड रनिंग स्टाफ को स्टेशनरी पोस्ट पर सॉतवे वेतनमान में पे फिक्सेशन मिनिमम मैक्सीगम में 30 प्रतिशत एलीमेट जोडकर किया जाना है। तत्पश्चात् उक्त पे स्केल में पे फिक्रोशन किया जाना है। परन्तु भोपाल मंडल में उक्त का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि सेन्ट्रल रेलवे में दिया जा रहा है। उक्त पत्रानुसार 01.01.2016 के बाद मेडीकल डीकेटेराइज्ड रनिग स्टॉफ को दिया जाये। मेडीकल डीकेटेराइज्ड स्टॉफ के पैरा 1307 के RBE-EINGI 96/RE3/9/2Dated 29-04-1999 के अनुसार आइडेटिकल पे स्केल हेतु लेवल निम्नानुसार है MIN/MAX के पे स्केल लेवल-2 19900-63200 लेवल-4 25500-81100 लेवल-5 29200---92300 MIN+MAX में 30 प्रतिशत पे एलिमेंट जोडने पर पे स्केल 19900+5970=25870. 69200+8960=82180 25500+7650=33110 81100+24330=105430 29200+87060=37960 92300+27690=11990 पे स्केल 30 प्रतिशत पे एलिमेंट जोजकर 25070-82160 31150-105430 37900-119900 समान EXTINGस्केल ऑफ में पोस्टिंग लेवल-04 25500-81100 लेवल-05 29200-92300 लेवल-06 35400-112400 1. पेरा 13800 RBE No E(NG) 1/96/RE 3/9/2 Dated 29-04-1999(।। अगर ऐलिमेंट जोडने पर वेसिक पे किसी ग्रेड में नहीं आता तो ये फिक्सेशन निचले ग्रेड में करते हुए बचे वेसिक को पर्सनल पे के तौर पर देकर आगे समायोचित किया जाये। 2. अगर उक्त वेसिक अधिकतम से ज्यादा होती है ती अधिकतम लेवल पर फिक्त करते हुये नये वेसिक को पर्सनल में दिया जायेगा। रेलवे बोर्ड का उक्त पत्र पमरे रेल में लागू नहीं किया जा रहा है। गोपाल मंडल पर वर्ष 2016 के बाद चिकित्सा

	विकोटीकृत पदस्थापना उसी पे लेविल में दी गयी है। इस संबंध मध्य रेलवे द्वारा पत्र कमांक P(CR) HQ/ET/510/06-14 दिनांक 11.11.2021 द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.10.2019 के पत्र के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किये गये है। अत संघ कि माग है कि रेलवे बोर्ड के दिनाक 14.10.2019 के पत्र को पू.म रेल पर लागू करने हेतु सभी मंडलों को दिशा निर्देश जारी किये जाये। उपरोक्त बावत् संघ पी.एन.एम में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	चिकित्सा विकोटीकृत रनिंग स्टाफ की वैकल्पिक पदों पर पदस्थापना एवं वेतन निर्धारण के संबंध में आरबीई 171/2019 दिनांक 14.10.2019 के पैरा 1 में निर्देश है किः- 'While determining pay in Pay Band for the purpose of fixation of pay of medically unfit running staff in alternative (stationary) post, an amount equal to such percentage of basic pay (pay in Pay Band + Grade Pay) representing pay element of running allowance as may be in force from time to time may be added to the existing pay in Pay Band and the resultant figure (ignoring the fraction of rupee, if any) rounded off to the next multiple of 10, would be the pay in the Pay Band in the alternative post with no change in the Grade Pay of substantive post, in suitable alternative post.' साथ ही पैरा 2 में निर्देश है कि: 'While fixing the pay of a medically decategorized running staff in an alternative post if the resultant pay (after 30% addition) does not correspond to any cell, in the same pay level, then the pay will be fixed in the next- below cell of the same pay level and the difference in pay will be protected as personal pay which will be adjusted in future increment(s)'. तदनुसार स्पष्ट किया जाता है कि 'चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत रनिंग कर्मचारियों को स्टेशनरी पद पर वैकल्पिक समायोजन पर उनके मूल वेतनमान/पे लेवल में परिवर्तन नहीं किया जाना है एवं समान पे लेवल में वेतन का निर्धारण करते समय वेतन के 30ः जोड़ने के बाद समान पे लेवल (सातवें वेतन आयोग) में Pay Matrix के अनुसार वेतन स्लैब में यदि वेतन स्टेज नहीं मिलता है तो उसी वेतन स्तर के नीचे वाले सेल में वेतन निर्धारित करते हुए वेतन अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाना है, जिसे भविष्य की वेतन-वृद्धि में समायोजित किया जाएगा ' (प्रति संलग्न)। तदनुसार मंडलों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।अतः अनुरोध है कि मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/मुख्याः- टिप्पणी अनुसार निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	मुख्यालय के पत्र दिनांक 19.05.2025 द्वारा सभी यूनिटों को तदनुसार वेतन निर्धारित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए है। प्रति महामंत्री, मजदूर संघ, जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित की गयी है ।कृपया मद समाप्त करें।
MS/59/2022 Dy.CPO/HQ	अंतर रेलवे स्थानान्तरण के आवेदन अग्रेषित नहीं करने के संबंध में कार्मिक विभाग मुख्यालय पमरे, जबलपुर के आदेश का WCR/P.HQ/Ruling/Transfer Policy /81 दिनांक 18.08.2021 के फलस्वरूप मंडलो द्वारा विभिन्न कैडरो के रेल कर्मचारियों के अंतर रेलवे स्थानान्तरण के आवेदन अग्रेसित नहीं किये जा रहे हैं. खास तौर से जबलपुर मंडल में गुड्स गार्ड कर्मचारियों के अनेक अंतर रेलवे स्थानान्तरण के आवेदन लम्बे समय से लंबित है। संघ का मानना है कि ऐसे आवेदनों की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर सशर्त अग्रेसित किये जाने चाहिए । अतः अनुरोध है कि रेल कर्मचारियों के लंबित अंतर रेलवे स्थानान्तरण के आवेदनों को अग्रेसित करने की व्यवस्था करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक **20.09.2019** आर बी ई सं **153/2019** के अनुसार निर्देश है कि अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु उन आवेदनों को ही अग्रेषित किये जाएं जिन पर सहमति प्राप्त होने के उपरांत भारमुक्त किये जाने की संभावाना हो तदनुसार सभी मंडलों पर कार्यवाही की जा रही है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

	उप मुकाधि/मुख्याः-भारतीय रेलवे में अभी एचआरएमएस पोर्टल मेंटेनेंस के लिए बंद है। जैसे ही चालू होगा आवेदन अग्रेषण की कार्यवाही की जाएगी। **प्रशासनिक टिप्पणी** नया एचआरएमएस पोर्टल प्रारंभ हुआ है जिसमें अभी आवेदन नहीं किए जा रहें है। जैसे ही पोर्टल चालू होगा आवेदन अग्रेषित किए जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।
MS/10/2023 DY.CPO/HQ	पद ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारण के संबंध में। उपरोक्त विषायंर्तगत सर्वश्री दिनेश गुर्जर एवं सोतन कुमार सेन तकनी ।।। लोको शेड तुगलकाबाद की प्रथम नियुक्ति फिरोजपुर मण्डल में लोको शेड लुधियाना में वर्ष 2014 में तकनी.. ।।। के पद पर हुई थी। इनका चयन तकनी. ।।। के पद पर रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से पुनः होने पर इन्हे कोटा मण्डल आवंटित किया गया। फिरोजपुर मण्डल से तकनीकी त्याग पत्र देकर दिनांक 17.02.2017 को कोटा मण्डल पर उपस्थित हुए परंतु इन्हे उसी दिन कोटा मण्डल पर नियुक्ति न देते हुए पुनः प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए 6 माह के लिए भेजा गया एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद से वरीयता निर्धारित की गयी। इस संबंध में लेख है कि सर्वश्री दिनेश गुर्जर एवं सोतन कुमार सेन तकनी..।।। लोको शेड तुगलकाबाद कोटा मण्डल पर नियुक्ति से पूर्व ही तकनी..।।। के पद पर कार्यरत थे एवं तकनी..।।। के पद पर ही चयन होने पर उन्हें पुनः प्रशिक्षण न कराते हुए कोटा मण्डल पर आने की तिथि से नियुक्ति एवं वरीयता का लाभ दिया जाना चाहिए। संघ का अनुरोध है कि सर्वश्री दिनेश गुर्जर एवं सोतन कुमार सेन तकनी..।।। लोको शेड तुगलकाबाद के प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर वरीयता संबंधी नीति का निर्धारण करवाने का श्रम करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । **प्रशासनिक टिप्पणी** श्री दिनेश गुर्जर एवं सोतन कुमार सेन तकनी. ।।। लोको शेड तुगलकाबाद की पूर्व मे नियुक्ति फिरोजपुर मंडल में ईएलएस/एलडीएच में वर्ष 2014 में हुई थी, वहां से दोनो कर्मचारी तकनीकी त्यागपत्र देकर कोटा मंडल में वर्ष 2017 में ईएलएस तुगलकाबाद में पुनः सीधी भर्ती कोटे में नियुक्त हुए, अतः उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारम्भिक प्रशिक्षण उपरांत सफल फाईनल रिटेव्शन टेस्ट में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर वरीयता निर्धारित की गयी है। अतः मद समाप्त करें। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** निरंक **प्रशासनिक टिप्पणी** श्री दिनेश गुर्जर एवं सोतन कुमार सेन तकनी. ।।। लोको शेड तुगलकाबाद की पूर्व मे नियुक्ति फिरोजपुर मंडल में ईएलएस/एलडीएच में वर्ष 2014 में हुई थी, वहां से दोनो कर्मचारी तकनीकी त्यागपत्र देकर कोटा मंडल में वर्ष 2017 में ईएलएस तुगलकाबाद में पुनः सीधी भर्ती कोटे में RRB अजमेर से चयनित होकर नियुक्त हुए, अतः उम्मीदवारों को IREMके पैरा 303 के अनुसार प्रारम्भिक प्रशिक्षण के उपरांत सफल फाईनल रिटेव्शन टेस्ट में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता निर्धारित की गयी है। अतः मद समाप्त करें।
MS/27/2023 DY.CPO/HQ	वाणिज्य विभाग की तीनों कोटियों के मर्जिंग उपरांत वरीयता एवं स्थानांतरण के संबंध मे। उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार मुख्यालय द्वारा वाणिज्य विभाग की तीन कोटियों टीसी, सीसी, एसीआरसी के मर्जिंग उपरांत वरीयता एवं स्थानांतरण के संबंध में नीति जारी की गयी है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के पत्र आरबीई सं. 59/2019 के पैरा 1 अपद्ध जिसका उल्लेख संदर्भित पत्र के पैरा 1 में किया गया है, से स्पष्ट होता है कि वाणिज्य विभाग की तीनों कोटियों का मर्जिंग 05.04.2019 से प्रभावी होना चाहिए जैसा कि इस पैरा में स्पष्ट है कि मर्जिंग, कॉमन सीनियोरिटी, कॉमन फक्शन भविष्य के लिए प्रभावी होंगे। इससे स्पष्ट है कि मर्जिंग के आदेश दिनांक 05.04.2019 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर ही लागू होगें परंतु संदर्भित पत्रानुसार मर्जिंग के आदेश दिनांक 22.02.2018 से ही प्रभावी कर दिए गए है। आरबीई 59/2019 के पैरा 6 में स्पष्ट लिखा है कि आरबीई सं. 28/2018 की पुनः समीक्षा के बाद यह निर्णय किया गया है कि वाणिज्य विभाग की तीनो कोटियों को मर्ज किए जाने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि आरबीई 28/2018 में टिकिट चैकिंग केटेगरी को मर्जर में सम्मिलित नही किया गया था। अतः 05.04.2019 के पत्रानुसार लिए गए निर्णय को अर्थात् टिकिट चैकिंग केडर को भूतलक्षी प्रभाव से मर्जर करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई निर्देश नही दिए गए है। अतः संदर्भित पत्र आरबीई सं. 59/2019 का गम्भीरता पूर्वक

	अध्ययन किये बिना ही जारी कर दिया गया है। पुरानी नीति के अनुसार तीनो कोटियों में अंतर मण्डलीय / अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु अलग-अलग नाम दर्ज किए हुए है एवं वे कर्मचारी 05.04.2019 से पूर्व की भर्ती हैं, उनकी नेमनोटिंग को मर्ज करने हेतु स्पष्ट निर्देश नही दिए गए है। अतः अनुरोध है कि पूरें प्रकरण की रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति आरबीई सं. 59/2019 के क्रम में पुनः समीक्षा करते हुए संशोधित निर्देश जारी करवाने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देश देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	प्रकरण पर दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया था। जिस पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक **10.07.24** एवं **16.08.24 (RBE 80/2024)** के तहत दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशानिर्देश मुख्यालय के पत्र दिनांक **22.08.24** के द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों को अनुपालन हेतु भेज दिए गए हैं। कृपया मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/मुख्याः- मुख्यालय के पत्र दिनांक 17.04 25 के तहत रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.07.24 एवं 16.08.24 के तहत मंडलों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसकी प्रति संघ को प्रदान की गयी। कृपया मद समाप्त किया जाये
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.07.24 एवं 16.08.24 (RBE 80/2024) के तहत प्राप्त दिशानिर्देश मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.08.24 के द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों को अनुपालन हेतु भेज दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में महामंत्री WCRMS को पत्र दिनांक 17.04.25 के तहत जवाब दे दिया गया है।कृपया मद समाप्त करें।
MS/62/2023 DY.CPO/HQ	श्री मनीराम रिटर्न कोरियर, भोपाल का स्वयं के अनुरोध पर चिकित्सीय आधार पर केटेगरी रिटर्न कोरियर कॉमर्शियल से वेटिंग रूम अटेण्डन्ट परिवर्तन के संबध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री मनीराम रिटर्न कोरियर कॉमर्शियल विभाग में मंडल कार्यालय हबीवगंज में कार्यरत है इसके पहले कर्मचारी प्वांइट्समैन के पद पर कार्यरत था। कर्मचारी का चिकित्सा विकोटीकृत पत्र क्रमांक BLP/DH/MED-COMMTTEE/MS DATE 18.03.2013 के अनुसार किया था तथा वैकल्पिक पदास्थापना व्यवस्था आपके पत्र संख्या पमरे / का भो भर्ती / 110/चि वि/7280 दिनांक 23.08.2021 के आधार पर रिटर्न कोरियर कॉमर्शियल लेवल 1 में कॉमर्शियल विभाग में मंडल कार्यालय हबीवगंज में दी गई है एवं जबरदस्ती रिलीव कर दिया गया है। एवं कर्मचारी को एक ग्रेड कम करके 1900 ग्रेड पे से 1800/- ग्रेड पे पदास्थापना दी गई है। जबकि कर्मचारी की कोई बात भी नही सुनी गयी कर्मचारी 2013 में चिकित्सा विकोटीकृत किया गया था, लेकिन कर्मचारी वैकल्पिक पदस्थापना जब से नही दी गई और कर्मचारी को परेशान करते हुये प्वांइट्समैन के पद पर ही कार्य कराते रहे एवं शंटिंग आदि हेवी कार्य कराते रहे है। जिससे कर्मचारी 2013 से वर्तमान समय तक परेशान होता रहा एवं आठ वर्ष बाद भी वैकल्पिक पदस्थापना पर 1900/- ग्रेड पे से 1800/- पदास्थापना दी गई। कर्मचारी 1900/- ग्रेड पे में ही पदस्थपना दी जानी थी जिससे कर्मचारी का आर्थिक नुकसान न हो और इस संबंध में कर्मचारी को भी अवगत भी नही कराया कि कर्मचारी की वैकल्पिक पदस्थापना किस विभाग में और कौन सी पोस्ट पर और कौन से स्टेशन पर हुयी, सीधे रिलीविंग करा दी गयी, ज्वाईन करने के उपरांत ही इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकी, इस कारण कर्मचारी अपना निवेदन भी नही दे पाया और वैकल्पिक पदस्थापना कम ग्रेड पे (लेविल 2 से लेविल 1) में कर दी गई। कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित है एवं वायपास सर्जरी हुई है कर्मचारी को वैकल्पिक पदस्थापना विभाग में मंडल कार्यालय हबीवगंज में की गई है जोकि कर्मचारी के स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं। रिटर्न कोरियर कॉमर्शियल का पद कर्मचारी यदि वैकल्पिक पदस्थापना लेता है तो कर्मचारी को डाक लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भागादौड़ी करनी पडेगी जिसके लिए कर्मचारी शारीरिक रूप से सक्ष्म नही है। कर्मचारी का परिवार बीना स्टेशन में निवासरत है एवं बच्चे बीना में अध्ययनरत है। अतः कर्मचारी को चिकित्सीय आधार पर स्वंय के अनुरोध पर केटेगरी परिवर्तन रिटर्न कोरियर कॉमर्शियल से वेटिंग रूम अटेन्डेंट में करने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देश देवे।

	उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कर्मचारी को स्वंय के अनुरोध पर केटेगरी परिवर्तन रिटर्न कोरियर कॉमर्षियल से वेटिंग रूम अटेन्डेंट में करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के निमानुसार मंडल रेल प्रबंधक को पूर्ण शक्तिया प्रदत है अत:प्रकरण मंडल स्तर पर उठाया जा सकता है | कृपया मद समाप्त करे |
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	संघ का कथन है कि बीना में वेटिंग रूम अटेंडेंट के 04 पद रिक्त हैं । कर्मचारी पूर्व से चिकित्सा विकोटिकृत है। अतः सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करें। उप मुकाधि/मुख्याः- मंडल स्तर पर मद का निराकरण किया जाए। संघ के कथन के साथ मंडल स्तर पर निराकरण हेतु निर्देश दिए जाएंगे।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	प्रकरण का मंडल स्तर पर निराकरण करने के लिए मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.04.25 के तहत मंडल को निर्देशित कर दिया गया है| पत्र की प्रति संघ को प्रदान की गयी है |
MS/70/2023 DY.CPO/HQ	संरक्षा सलाहकार / लोको रनिंग के पद को भरने के सम्बन्ध में। सन्दर्भः मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय के पत्र संख्या WCR/KOTA PERS(EM)37/2023 दिनांक-05.07.2023 उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लोको रनिंग स्टाफ से Safety Counsellors के एक पद को भरने के लिये कार्यालय अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में इस पद को चयन के माध्यम से भरने की बात कही गई है तथा उक्त पत्र में RBE 196/2018 और RBE 194/2019 का हवाला दिया गया है। संघ यहां यह भी अवगत कराना चाहता है कि लोको रनिंग के अतिरिक्त भी अन्य विभागो के Safety Counsellors कार्य कर रहे है, क्या उनके लिए मापदंड अलग है ? तथा लोको रनिंग स्टाफ के लिए अलग है। क्योंकि उनको केवल Sr. DSO एवं सम्बन्धित विभाग के Branch Officers के साथ Screening कर चयन कर लिया है। सन्दर्मित पत्र के Part 1 में भी जो शर्ते रखी गई है, ऐसी कोई शर्त • रेलवे बोर्ड या मुख्यालय ने जारी नहीं की है। साथ ही साथ यहां यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि Safety Counsellors का पद एक्स कैडर पद है तथा टैन्योर पद है इसलिये भी इसे केवल Screening के द्वारा ही भरा जा सकता है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये है कि Sr. DSO से चर्चा कर इस पद को भरा जाये जिसका सीधा-सीधा आशय है कि Written Test नहीं होगा। यहां यह भी ज्ञात है कि जिस समय पुराने पत्र जारी हुए है एवं जिनमें यह कहा गया है कि एक पद नीचे तक जाना है, उस समय लोको निरीक्षक में दो पद हुआ करते थे। Loco Inspector-6500 - 10500 Chief Loco Inspector- 7450 -11500 Sixth Pay Commission में एक ही पद मुख्य लोको निरीक्षक कर दिया गया। अर्थात संरक्षा कोटि में लोको निरीक्षक ही रखना है यह आशय है। संघ प्रशासन को यह भी अवगत कराना चाहता है कि कोई भी Loco Pailotजब Chief Loco Inspector में Select होता है तो दिये गये पाठ्यक्रम को पास करके ही चयनित होता है। साथ ही साथ RBE के दोनो पत्र भी Safety Counsellors के चयन हेतु नहीं है। अतः संघ का अनुरोध है कि Safety Counsellors के लिए अपनाई जा रही इस प्रक्रिया को रद्द कर अन्य विभागो के Safety Counsellors की तरह इस पद को भरा जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पमरे पर संरक्षा विभाग में संरक्षा सलाहकार के एक्स कैडर लेवल7 के टेन्योर पदों को भरने के लिए मुख्यालय के पत्र दिनांक **08.05.24** के तहत पॉलिसी जारी कर दी गयी है। कृपया मद समाप्त करें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	मुख्यालय द्वारा संरक्षा सलाहकार के लिए जारी पालिसी पत्र दि. 08.05.2024 के सम्बंध में संघ का कथन है कि यह पालिसी स्वीकार्य नहीं है एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है।अतः मंडलों पर जारी कार्यवाही को यथावत रखा जाए। उप मुकाधि/मुख्याः- उपरोक्त के संज्ञान में पालिसी की समीक्षा की जाएगी।

	प्रशासनिक टिप्पणी
	मुख्यालय के पत्र दिनांक 8.5.25 के तहत संघ से जिन बिंदु पर असहमति है, टिप्पणी मांगी गयी है, प्राप्त होने पर आवश्यक कार्याही की जाएगी।
MS/91/2023 DY.CPO/HQ	भोपाल मंडल के मैकेनिकल विभाग में विभागीय 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत तकनीशियन फिटर ।।। में दिसम्बर 2021 के बाद पदौन्नति नही करने के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत कैरिज एवं वेगन अनुभाग सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग (सामा.) केरिज एवं वेगन इटारसी के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी दिसम्बर 2021 के बाद आज दिनांक तक विभागीय कोटे के अंतर्गत तकनीशियन फिटर ।।। के लिए कोई वकेन्सी नही निकली है जिससे सभी कर्मचारियो का भविष्य अंधकार में है। तकनीशियन फिटर 111 से तकनीशियन फिटर की दिसम्बर 2021 के बाद से आज दिनांक तक तीसरी बार पदौन्नति की जा चुकी है जिसके तहत तकनीशियन फिटर ।।। में रिक्तियों शेष है इसके बाद तकनीशियन फिटर ।।। हेतु किसी भी प्रकार से विभागीय कोटे के अंतर्गत वेकेन्सी नहीं आई है इन सभी कर्मचारियो में कुछ ऐसे भी कर्मचारी है जिन्हे 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अतः अनुरोध है कि तकनीशियन फिटर ।।। पद हेतु पिन पॉइंटिंग कर रिक्त पदो शीघ्र अति शीघ्र पदौन्नति कर भरने की व्यवस्था करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	A.भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 08 कुल 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B. मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक-4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है, और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दे दी गई है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	A.भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 08 कुल 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B. मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक-4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है, और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दे दी गई है। वर्तमान में कुल artizanकेटेगरी में 611 स्वीकृत संवर्ग है जिनके विरुद्ध 552 कार्यरत है | 59 रिक्तियां है| ग्रेड -3 में 107 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 80 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 24 के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को मांग पत्र भेजा गया है जिनके लिए लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित हो गई है। पैनल प्राप्त होते ही पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी एवं टेक.-III के प्रमोशन कोटे के तहत 36 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है| कृपया मद समाप्त करें।
MS/92/2023 PCMD DY.CPO/HQ	केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर की समस्याएँ । केन्द्रीय चिकित्सालय, जबलपुर में निम्नलिखत समस्याएँ विधमान है: 1. Railway Board के नियमानुसार valsala Nair मेडम CNS को 6600 देने के लिए पेमेंट सेल में मद सहमति हुई थी फिर भी आज तक 6600 ग्रेड पे नही दिया गया है। बोर्ड के लेटर को क्लीयर करने का बोलकर कर्मचारी को मंडल से हेडक्वार्टर तक फाइल घूम रही है। 2. केन्द्रीय चिकित्सालय में लाखो की मशीने कार्य नहीं कर रही हैं । जैसे ओपीडी में Kiosk मशीन वार्ड एवं 100 में मोनिटर ओपीडी के डिस्प्ले, जिसे लगाने में लाखो की लागत आने के बाद भी मरीजो की भीड में लाइन ही लगानी पड़ती है। अतः संघ की मांग है कि सभी मशीनो को सही कराया जाये ।

	कार्यवृंत दिनांक 11 एवं 12 मार्च की बैठक में उप मद क्र. 3, 4, 5 समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- 1. मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 2. केंद्रीय चिकित्सालय पमरे, जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे Kiosk इत्यादि सुचारु रुप से कार्य कर रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 3. केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर में 07 स्वीकृत पद हैं जिसमें से सिर्फ 01 पद रिक्त है। 39 अस्पताल परिचर की GeMके माध्यम से नियुक्ति हो चुकी है एवं इनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 4. केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर GeMके तीन कॉट्रेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा स्टॉफ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 5. ARMV Movement पर Break down allowance एवं ARMV allowance दिया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमडीः-2 - नियमित रूप से जांच कराकर सुनिश्चित किया जाएगा 3 एवं 4. चर्चा उपरांत मद समाप्त। उप मुकाधि/मुख्याः-1. रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ग्रेड पे 5400 में एमएसीपी प्रदान कर दी गयी है। रेलवे बोर्ड के पत्र की प्रति संघ को प्रदान की गयी। 5. 2024 से ब्रेक डाउन भत्ता दिया जा रहा है। मद समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD-1.मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 2.केंद्रीय चिकित्सालय पमरे, जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे Kioskइत्यादि सुचारु रुप से कार्य कर रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। **DY.CPO/HQ** -आर.बी.ई. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 के 'क' अनुसार नर्स/नर्सिंग सिस्टर/चीफ मैटन जिन्हें दिनांक 31.08.2008 तक 5500-9000 एवं 6500-10500 में पहला एवं दूसरी पदोन्नति या वितीय अपग्रेडेषन प्राप्त हो चुका है, उन्हें तीसरा वित्तीय अपग्रेडेषन पी.बी. - ।।।, 6600 जीपी प्रदान किया जाये। आर.बी.ई. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 के 'ख' के अनुसार जिन नर्स/नर्सिंगसिस्टर/चीफ मैट्रन जिन्हें दिनांक 31.08.2008 तक केवल पहली पदोन्नति 5500-9000 या पहला वित्तिय अपग्रेडेषन प्रदान किया गया है, उन्हे एमएसीपी योजना के अंतर्गत दूसरा पी.बी. -।। 5400 जीपी में एवं तीसरा 5400 जीपी पी.बी. - ।।। प्रदान किया जाये। अतः श्रीमती वलसला नायर, मु.न.अधी. केन्द्रीय चिकित्सालय, जबलपुर (सामान्य सेवानिवृत्ति दि. 30.04.2024) को 31.08.2008 से पूर्व केवल एक ही पदोन्नति प्रदान की गई तथा द्वितीय पदोन्नती 31.08.2008 के उपरांत 30.11.2012 को प्रदान की गई थी, जिसके फलस्वरुप कार्यालय आदेष क्र. 725/2024 दि. 12.04.2024 के अनुसार तृतीय एमएसीपी ग्रेड पे - 5400 लेवल- 10 (पी.बी. - 3) में दिनांक 01.12.2022 से प्रदान 01इंक्रीमेंट देते हुए वेतन निर्धारण किया गया।कृपया मद समाप्त किया जाए
MS/97/2023 PCMD	भोपाल मंडल के मेडीकल विभाग से संबंधित समस्याएँः- (अ) रेलवे बोर्ड के पत्र क. PC-VII/2017/1/7/5/9 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार हर वो कैटेगरी जिसे सातवें पे कमीशन के लागू होने से पहले यूनिफार्म / कपड़ा, सप्लाई किया जाता था, उन कैटेगरी को सातवें पे कमीशन लागू होने के उपरान्त "Dress Allowance" का भुगतान किया जाना है, परन्तु भोपाल मंडल में आज दिनांक तक Pharmacist Category इस सुविधा से वंचित है । (ब) मंडल रेल चिकित्सासलय का दिनांक 06.05.2023 को प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण कमांक 09/2023 के मद कमांक 05 में मंडल दवा भंडार कक्ष से संबंधित ये नोट डाला गया था कि "इस कक्ष को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस कक्ष में प्रापर वेंटीलेशन नहीं है। प्रॉपर वेंटीलेशन नही होने के कारण यहां कार्यरत कर्मचारी बीमार हो सकते है। इसलिये इस कक्ष को प्रथम तल में 10 से 15 दिनांक में शिफ्ट करें ताकि वातानुकूलन की समस्या भी समाप्त हो जायेगी और स्टोर भी प्रापर कक्ष की तरह लगेगा" आज दिनांक तक इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किया गया।

	(स) भोपाल मंडल के विदिशा उप मंडल में लगभग एक हजार कर्मचारी कार्यरत है जिन्हें दैनिक रुप से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज हेतु स्वयं एवं अपने परिवार को लेकर मंडल रेल चिकित्सालय जाना पड़ता है एवं कभी-कभी इमरजेंसी में इलाज हेतु भोपाल लेकर जाना पड़ता है जिस समय मरीज उस स्थिति में नहीं होता है कि भोपाल तक भी पहुंच सके, तुंरत इलाज की आवश्यकता होती है। अतः अन्य उप मंडलो की भांति विदिशा उप मंडल में एक रेलवे डिस्पेंसरी खोली जाये एवं इमरजेंसी केस में चिकित्सा सुविधा हेतु विदिशा के ही प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय को नामित किया जाये, जिससे विदिशा उप मंडल के कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनो को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- अ- भोपाल मंडल पर फार्मासिस्ट स्टाफ को ड्रेस एलाउंस का भुगतान किया जा रहा है। ब- रिनोवेशन के कारण स्टोर फार्मासिस्ट को अन्य स्थान पर अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में प्रथम तल पर स्थित स्टोर के स्थान पर नया वार्ड संचालित है, जिसमें मरीज भर्ती हैं। संपूर्ण रिनोवेशन कार्य के उपरांत स्टोर का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। स- वर्ष 2023 में निजी चिकित्सालय के अनुबंध हेतु EOI किया गया था किन्तु कोई भी चिकित्सालय से EOI प्राप्त नहीं हुई थी, EOI के लिये पुनः प्रस्तान प्रक्रियाधीन है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विदिशा में रेलवे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है। विदिशा में निवासरत् मरीज आकस्मिक परिस्थितियों में अपना उपचार किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज विदिशा में कर सकते हैं। जिस पर हुये व्यय का भुगतान रेल प्रशासन द्वारा रियम्बर्समेंट द्वारा किया जाता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	-भोपाल मंडल पर फार्मासिस्टस्टाफ को ड्रेस एलाउंस का भुगतान किया जा रहा है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। ब-रिनोवेशन के कारण स्टोर फार्मासिस्ट को अन्य स्थान पर अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में प्रथम तल पर स्थित स्टोर के स्थान पर नया वार्ड संचालित है, जिसमें मरीज भर्ती हैं। संपूर्ण रिनोवेशन कार्य के उपरांत स्टोर का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। स-वर्ष 2023 में निजी चिकित्सालय के अनुबंध हेतु EOI किया गया था किन्तु कोई भी चिकित्सालय से EOI प्राप्त नहीं हुई थी, EOI के लिये पुनः प्रस्तान प्रक्रियाधीन है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विदिशा में रेलवे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है। विदिशा में निवासरत् मरीज आकस्मिक परिस्थितियों में अपना उपचार किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज विदिशा में कर सकते हैं। जिस पर हुये व्यय का भुगतान रेल प्रशासन द्वारा रियम्बर्समेंट द्वारा किया जाता है।

MS/114/2023 DY.CPO/HQ DY.CPO/HRD	भोपाल मण्डल में कार्मिक विभाग से संबंधितसमस्याएं। **अ-कार्यवृत्त**दिनांक **11** एवं **12** मार्च **2025** की बैठक में मद अ और द समाप्त। ब. IREM-VOL-I-CHAPTER-7, PARA-704-2(ii) AND ACCIDENT MANUAL PARA-5-12 के अनुसार एस एण्ड टी विभाग के कर्मचारियों के लिये ड्यूटी उपरान्त फेलियर अटेण्ड करने पर डेली अलाउन्स एवं ओवर टाईम का भुगतान किया जाए। स. एस.एण्ड.टी विभाग की एम.सी.एम की 27 प्रतिशत एवं जे ई, एस एस ई क्रमशः 33 एवं 67 प्रतिशत एवं एस एस ई का 4800 ग्रेड पे का अपग्रेडेशन मनी वेल्यू देने के बाद भी कार्मिक विभाग द्वारा वर्षों से लंबित है डिवीजन एवं हेडक्वार्टर की पिछली मीटिंगो में 7 दिन में हो जायेगा ऐसा बोलने के बाद भी वर्तमान समय तक लंबित है, जिसमें कर्मचारियों का वर्षों से नुकसान हो रहा है। घ कार्मिक विभाग द्वारा एस.एण्ड.टी विभाग के कर्मचारियों के लिये ड्यूटी रोस्टर की प्रति प्रत्येक स्टेशन पर उपलब्ध करायी जाये। ड.वर्तमान में उच्च अधिकारियो द्वारा कार्य ई- ऑफिस में करने के निर्देश जारी किये जा रहे है परन्तु संघ इस संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि प्रशासन द्वारा अभी तक स्भी संबंधित कर्मचारियो को ई-ऑफिस के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नही कराया गया है । संघ का सुझाव है कि ई-ऑफिस लागू करने से पहले सभी को इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जाये। साथ ही साथ सभी को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। द- दिनांक **11** एवं **12** मार्च **2025** की बैठक में मद अ और द समाप्त। च.विद्युत लोको शैड इटारसी हेल्पर के पद कार्यरत शिवांक कुमार पीएफ 45229804599 दिनांक 13.10.2020 को आपसी स्थानांतरण पर आरओएच / एनकेजे जबलपुर मंडल से आये है जिसे दिनांक 23.07.2020 को ओआरएच / एनकेजे से रेल सामग्री लाने के लिए ऑन लाईन ड्यूटीसीआरडब्ल्यूएस / भोपाल भेजा गया था और 25.07.2020 को मुख्यालय लौटने पर 7 दिनो के लिए होम कारंटाइन किया गया था। होम कांरनटाइन अवधि के लिए स्पेशल सीएल देने की बजाय कर्मचारी के खाते से 7 संवेतन अवकाश काट लिया गया है। अतः लाईन ड्यूटी भेजने को ध्यान में रखते हुये होम कारंटाईन अवधि दिनांक दिनांक 25. 07.2020 से 31.07.2020 तक 07 दिनो के लिए वर्क फामहोम / विशेष आकस्मिक अवकाश कर कर्मचारी को 07 एलएपी वापस दी जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy CPO (HQ)--(A) अनुकंपा नियुक्ति में एनपीएस से ओपीएस में स्वीच ओवर करने के प्रकरण पर रेलवे बोर्ड के निर्देष आरबीई संख्या 84.2020 दिनांक 30.09.2020 के पैरा 4 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के अनशंसा को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि के आधार पर कार्यवाही करने हेतु सभी मंडलो को पत्र दिनांक 07.02.2024 के तहत निर्देषित किया गया है। साथ ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड से दिषा-निर्देष प्राप्त करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.02.2024 रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 02.12.2024 के द्वारा निर्देष दिए गए है कि It is clarified that the criterion prescribed in the letter dtd. 10.03.2023 for inclusion under Railway Service (Pension) Rule 1993 is that the date for advertisement/notification for recruitment/appointment should be prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. Therefore these instructions are not applicable in the case where conditions prescribed in instructions dated 10.03.2023 are not fulfilled. Further, the modes of appointments are not relevant to decide applicability of above instructions. रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जाएगी। अतः तदनुसार अनुरोध है कि मद समाप्त करें। B. कर्मचारियो के विभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत टीए एवं ओवरटाईम वाउचर प्राप्त होते है उनका भुगतान वेतन के साथ किया जाता है। C दिनांक 01.11.2013 की रिस्ट्रक्चरिगं हेतु भोपाल मंडल कार्यालय के पत्रांक पमरे/का-भो/210/ एसएंडटी /पुर्नसंरचना, कार्यालय आदेष क्रमाक 1315/2023 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार एसएंडटी विभाग के संवर्ग का पूर्ण, विवरण जारी किया गया है। तदानुसार केडर रिव्यू दिनांक 01.04.2016 की कार्यवाही प्रक्रीयाधीन है। D. एस एण्ड टी विभाग के जीन डिपो मे ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध करा दिये जायेंगे । E. भोपाल मंडल पर Eoffice/HRMS के लिए 15 कम्प्यूटर खरीद कर आपूर्ति कर दी गई है।

-HRMS के कार्य के लिए आवष्यकतानुसार निम्नानुसार हार्डवेयर इक्यूवमेंट खरीदने का प्रस्ताव भोपाल मंडल से मुख्यालय में प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही जारी है। कम्प्यूटर-74 एवं प्रिंटर-136

F. श्री शिवांक कुमार (TRS) इटारसी दिनांक 25.7.2020 से 31.7.2020 तक 07 दिन की होम कारंटाइन अवधि को जबलपुर के पत्र दिनांक 22.09.20 के तहत जारी निति के अनुसार होम कारंटाइन अवधि को कर्मचारी के अवकाश खाते से कटा गया है अ. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2003 से पूर्व स्वी।क्रति प्रदान किया गया उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है।

ब. फेलियर के दौरान अटेन्डन करने पर डेली एलाउंस एवं ओवर टाईम का भुगतान एसएंडटी अनुभाग से प्राप्त सूची के अनुसार किया जाता है।

द. इस संबंध में जबलपुर मंडल को पत्र दिनांक 07-03-2025 के अनुसारी सूचित किया गया है कि प्रकरण को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रं दिनांक 03.09.2020 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

अ. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2003 से पूर्व स्वीकक्रति प्रदान किया गया उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

उप मुकाधि/मुख्याः - अ)रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। मद समाप्त।

ब) कर्मचारी के बाउचर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति होने के बाद सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत डेली अलाउंस और ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है।

स) भोपाल मंडल के एसएंडटी विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग अपै्रल 2025 तक कर दिया जाएगा।

द) मद समाप्त।

प्रशासनिक टिप्पणी

ब) कर्मचारी के बाउचर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति होने के बाद सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत डेली अलाउंस और ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है।

स) भोपाल मंडल के एसएंडटी विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं इसे शीघ्र कर लिया जायेगा|

	भोपाल मंडल के प्रशासनिक विभाग से संबंधित । अ वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे में कार्यालय अधिक्षक लेवल 6 का चयन अभी तक नहीं हुआ हैं। जबकि पिछला चयन 2020 में हुआ था, जिसको कि लगभग 03 वर्ष का समय बीत चुका हैं। समान्यता यह चयन प्रत्येक वर्ष होना चाहियें। ब मुख्यालय पिछले पी.एन.एम बैठक में यह निर्णय हुआ था कि मैमो शेड बीना के लिए भारतीय रेल के प्रत्येक जोन से आप्शन कर रेल कर्मचारी बुलाये जायेगे, इस संबंध में आज दिनांक तक मुख्यालय से पत्र जारी नहीं हुआ हैं। स. रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक कार्यालय / डिपों में एसी का प्रपोजन करने के प्रावधान किया गया हैं, परन्तु भोपाल मण्डल पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं नहीं हुई हैं। संघ अनुरोध करता है कि इस संबंध में मुख्यालय में भोपाल मण्डल को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy CPO/HQ अ. कार्यालय अधिक्षक लेवल 6 (20% LDCE) चयन हेतु भोपाल मंडल द्वारा अधिसूचना दिनांक-10.06.2024 को जारी की गई। सीबीटी परीक्षा दिनांक-18.07.2024 को मुख्यालय द्वारा सयुक्त रूप से कराई गई। पैनल दिनांक-08.08.2024 को जारी किया गया। **Dy CPO/HQ**- ब- मैमो शेड बीना में वर्तमान में सुपरवाइजर में +1 टेक्निशियन में केवल 2 रिक्तियां है एवं लेवल 01 में केवल 01 रिक्ति है अतः इन रिक्तियों हेतु अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कृपया मद समाप्त करे | **PCEE-** (ब) यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। (स) रेलवे बोर्ड द्वारा एयर कंडीषनिंग के संबंध में पत्रांक 2012/Elect(G)/114/1 के दिनांक 15.05.2023 एक सामान्य पत्र है, जिसके द्वारा निर्देषित किया गया है कि अधिकतर कार्यस्थलों पर उचित तापमान बनाये रखने हेतु गर्म एवं भरी हुई हवा के निकास के लिए समुचित वेंटिलेषन के माध्यम से किया जा सकता है पत्र में यह भी निर्देष है कि भारतीय रेल को 2023 तक NET ZERO CARBON EMMITER के दृष्टिगत किसी अतिरिक्त लोड को लगते समय उसे गंभीरता/सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः विद्युत विभाग से सम्बंधित नहीं है। मद समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy CPO/HQ-ब- मैमो शेड बीना में वर्तमान में सुपरवाइजर में 7 के सवंर्ग पर 7 कर्मचारी कार्यरत है और टेक्निशियन में +1 है एवं लेवल 01 में केवल 03 रिक्ति है| जिनकी RRC के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी है| अतः इन रिक्तियों को विकल्प के आधार पर अन्य रेलवे से भर्ती करने के लिए अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कृपया मद समाप्त करे |
MS/04/2024 PCE PCSTE PCEE Dy.CPO/HQ	यार्ड स्टिक के अनुरूप पद सृजन के संबंध में । बरखेड़ा बुंदनी खंड में तृतीय लाइन होने पर सिगनल टीआरडी एवं पीवे का कार्य लगभग डेढ़ बुना बढ़ गया है। अतः नये कार्य हेतु नये मैनपॉवर की व्यवस्था यार्ड स्टिक के अनुसार की जावे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	अतः उक्त मद को समाप्त् किया जाये। पीसीई- अ) बीना से इटारसी एवं रुठीयाई गुना थर्ड लाईन के लिये 734 नये पदों के सृजन हेतु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को दिनांक 09.04.2019 को पमरे. प्रबंधक कार्मिक द्वारा पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने पर नये पदों को भरा जायेगा। (ब) भोपाल में बढ़े हुये ITKM गणना की गयी है एवं नए मेन पावर की व्यवस्था की जायेगी।

	DyCPO/HQ-Remark- 1. भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 3. भोपाल मण्डल से े इंजीनियरिंग विभाग में पदों के सृजन हेतु कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। **PCSTE::-**रेलवे बोर्ड के पत्र क्र.E(MPP)2019/1/16 dt 28/12/2022 RBE No. 170/2022 (Revision of Norms/ Yardstick for Non-Gazetted Group-C Signalling staff) के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुसार सिगनलिंग के लिये 420 नये पद एवं टेलीकॉम के लिए 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि. मं. वित्त प्रबंधक /भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल द्वारा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है, सिगनलिंग असेट्स के लिये 804 अतिरिक्त नये पदों का सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल के माध्यम से कार्मिक विभाग /मुख्यालय जबलपुर को भेजा गया है, प्रस्ताव PCPO कार्यालय मे प्रक्रियाधीन है। इन पदों का रेलवे बोर्ड द्वारा सृजित किये जाने पर तृतीय लाइन के लिये अतिरिक्त पद दिया जाना संभव होगा। **PCEE-**रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.2019 के पत्र द्वारा टीआरडी विभाग की यार्ड स्टिक को रिवाइज्ड कर 0.22 प्रति टीकेएम कर दिया गया, इस प्रकार नई यार्ड स्टिक के अनुसार नए पदो ंके सृजन की आवष्यकता नहीं रह गयी तथा उपलब्ध स्टाफ से ही कार्य करवाया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	DyCPO/HQ- 1- भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14-01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DyCPO/HQ-Remark- 1. भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 3. इंजीनियरिंग विभाग में जबलपुर एवं कोटा मंडल के नई यार्ड स्टिक के अनुसार 2870 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 09.05.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। भोपाल मंडल से 467 पदों को सृजित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
MS/08/2024 PFA Dy.CPO/HQ	ट्रेन मैनेजर के वित्तीय उन्नयन लाभ के संबंध में। पश्चिम मध्य रेल जोन में रेलवे भर्ती बोर्ड (25 प्रतिशत सीधी नियुक्ति कोटा) से सीधी नियुक्ति पाने वाले ट्रेन मैनेजर को 30 साल सेवा पूरी करने के बाद भी अभी तक केवल दो ही वित्तीय लाभ मिला है जबकि अन्य इंतर रेलवे एवं अन्य डिविजनों पर तीसरे वित्तीय लाभ के रूप में ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत ही 3 प्रतिशत का स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र कमांक RBE PCV/2010/MACP/7/ECR के संदर्भ कथन है कि भारतीय रेल पर ट्रेन मैनेजर का तीन वित्तीय लाभ दिया जा रहा है, जबकि पश्चिम मध्य रेल में अभी लागू नहीं है। एमएसीपी के आधार नियम के अनुसार किसी भी केन्द्रीय कर्मचारी को तीसरे वित्तीय उन्नयन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः संघ यह मांग करती है कि जोन के उन सभी ट्रेन मैनेजर को जो तीसरे वित्तीय उन्नयन लाभ से वंचित है, उन्हें प्रदान किया जाए । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पूर्व में PNM में हुई चर्चानुसार प्रकरण मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.08.2023 के तहत दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु रेलवे बोर्ड भेजा गया था जिस पर रेलवे बोर्ड ने पत्र दिनांक 07.11.2024(प्रति संलग्न) के तहत दिशानिर्देश दिए है कि, गार्ड श्रेणी का मामला एमएसीपी योजना के नीति निर्देशों के पैरा 5 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उनका

	मामला ग्रेड/पदों के विलय का नहीं है बल्कि ऐसे संवर्गों से संबंधित पैरा 8 के अंतर्गत आता है जहां पदोन्नति पदों को पदोन्नति पदानुक्रम के अनुसार संवर्ग के अलग ग्रेड के रूप में बरकरार रखा गया है। एमएसीपीएस पर बोर्ड के नीति निर्देशों के पैरा 8 में प्रावधान है कि भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान वेतन ग्रेड वाले पद पर की गई पदोन्नतियां एमएसीपीएस के प्रयोजन के लिए गिनी जाएंगी एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, किसी कर्मचारी को उसकी सामान्य पदोन्नति पर दिए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, समान ग्रेड वेतन पर प्रदान किया जाएगा । अतः गार्ड केटेगरी में आगे MACP नहीं दी जा सकती। तदानुसार संघ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.25 के तहत जवाब दे दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें। कृपया मद समाप्त करें। PFA ---पश्चिम मध्य रेलवे पर रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांकः PC-V/2010/MACP/7/ECR दिनांकः 10.02.2011 जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है , तदानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांकः 10.02.11 में जारी किये गये निर्देशों की पालना की जायें । कार्मिक विभाग (मुख्या.) द्वारा पत्र क्रमांक पमरे/ का मुख्या. /ट्रेन मेनेजर /ई 273968 दिनांक 13.09.2024 के माध्यम से प्रकरण मे रेलवे बोर्ड से दिशा निर्देश मांगे है। अतः रेलवे बोर्ड से उत्तर प्राप्त होने पर लेखा विभाग द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेलवे बोर्ड ने पत्र के. PC-V/2009/ACP/22WCR(E) दिनांक 07.11.2024 के तहत दिशानिर्देश दिए हैं कि गार्ड श्रेणी का मामला एमएसीपी योजना के नीति निर्देशों के पैरा 5 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उनका मामला ग्रेड/पदों के विलय का नहीं है बल्कि ऐसे संवर्गों से संबंधित पैरा 8 के अंतर्गत आता है जहां पदोन्नति पदों को पदोन्नति पदानुक्रम के अनुसार संवर्ग के अलग ग्रेड के रूप में बरकरार रखा गया है। एमएसीपीएस पर बोर्ड के नीति निर्देशों के पैरा 8 में प्रावधान है कि भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान वेतन ग्रेड वाले पद पर की गई पदोन्नतियां एमएसीपीएस के प्रयोजन के लिए गिनी जाएंगी । एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, किसी कर्मचारी को उसकी सामान्य पदोन्नति पर दिए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, समान ग्रेड वेतन पर प्रदान किया जाएगा । इस सम्बन्ध में संघ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.25 के तहत जवाब दे दिया गया है| । कृपया मद समाप्त करें।
MS/32/2024 Dy.CPO/HQ	यातायात प्रशिक्षु ट्रेफिक अप्रेन्टिस वेतनमान 9300-34800+4200 ग्रेड पे मर्जर ग्रेड में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की वरीयता निर्धारण के क्रम में। ट्रैफिक अप्रेन्टिस ग्रेड 5500-9000 के 10 प्रतिशत एलडीसीई क्वोटे को भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर चयन प्रकिया के माध्यम से 24.05.2007 को वरीयतानुसार पेनल बनाया गया था इस पैनल को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 113/2009 की पालना में संशोधित करते हुए दिनांक 04.09.2014 को संशोधित पैनल मेरिट के आधार पर जारी किया गया जिसमें श्री अरविन्द पाठक का नाम पैनल से हटा दिया गया। आरबीई संख्या 113/2009 में स्पष्ट निर्देश थे कि 19.06.2009 से पहले के किसी भी पैनल को पुनः नही खोला जायेगा। इसके बाबजूद 24.05.2007 के पैनल को 04.09.2014 में संशोधित कर दिया गया । रेलवे बोर्ड द्वारा आरबीई 107/2012 द्वारा मर्जर ग्रेड में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की वरीयता निर्धारण हेतु दिनांक 04.09.2008 की कटऑफ डेट देते हुए निर्देश जारी किये कि दिनांक 04.09.2008 से पहले बने पेनल का कोई कर्मचारी 04.09.2008 तक पदोन्नत नही होता है तो उन्हे वरीयता का लाभ 5500-9000 में कार्यरत कर्मचारियों के नीचे नही दिया जायेगा ।दिनांक 24.05.2007 के पैनल का कोई भी कर्मचारी 04.09.2008 के पहले पदोन्नत नहीं हुआ अतः इस पैनल के किसी भी कर्मचारी को 5500-9000 में कार्यरत कर्मचारियों के नीचे वरीयता का लाभ देय नही है फिर भी श्री संजय चौहान स्टेशन मास्टर कोटा को यह वरीयता का लाभ दे दिया गया। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा

	मण्डल स्तर पर इस वरीयता निर्धारण के विरूद्ध मद उठाये जाने पर प्रकरण मुख्यालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेजा गया एवं रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या ई/एनजी-2009/पीएम-1/4 दिनांक 23.03.2016 के तहत इस प्रकरण में निर्णय दिया गया कि दिनांक 24.05.2007 के पैनल के कर्मचारियों को वरीयता का लाभ नही दिया जायेगा। इसके बाबजूद भी कोटा मण्डल द्वारा पत्र संख्या ई/टी/1030/10 भाग-7 दिनांक 29.12.2023 के तहत श्री संजय चौहान की वरीयता को रेगुलाईज कर दिया गया जो कि नियम विरूद्ध है। अतः संघ का निवेदन है कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री संजय चौहान स्टेशन मास्टर कोटा को गलत वरीयता निर्धारण करते हुए पदोन्नति आदि के जितने भी लाभ दिये है उन्हे निरस्त करते हुए रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार वरीयता का निर्धारण करवाने का कष्ट करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	NIL
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	महामंत्री WCRMS को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.07.24 के तहत विस्तृत जवाब दे दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/36/2024 PCME Dy.CPO/HQ	C&W संवर्ग की पोस्टिंग में अनियमितताएं:- पत्र कमांक WCR/P&HQ/EM/C&W pinpointing /241469 दिनांक 15.02.2024 के अनुसार C&W ROH ET में दो पोस्ट C&W कैडर की है तथा दो पोस्ट ही कोचिंग जबलपुर डिपो में है।, परन्तु ऑफिस ऑर्डर नंबर 45/2024 दिनांक 08.04.20243 के अनुसार जो पोस्टिंग की गई है उसमें इटारसी ROH में 02 की जगह 01 ही C&W कैडर की पोस्ट रहेगी एवं इसके विपरित जबलपुर कोचिंग डीपो में 02 की जगह 03 पोस्ट कर दी गई है, जो कि pinpointing लेटर के अनुसार नहीं है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- (Dy.CPO/HQ)-ROH इटारसी में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 कर्मचारी कार्यरत है तथा कोचिंग डिपो जबलपुर में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 ही कर्मचारी कार्यरत है। कृपया मद समाप्त करे।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	कार्यवृत्त दिनांक 11/12.03.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	मुख्यालय द्वारा जारी सीएमएस व सीएमए कैडर की पिनप्वांटिंग अनुसार 1. जबलपुर मण्डल में Div/HQ में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 कर्मचारी (मो0 शाहिद नवाज, सीएमएस) कार्यरत है। 2. इसी प्रकार कोचिंग डिपों जबलपुर में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02कर्मचारी(श्री अमरदीप बरनवाल, सीएमएस तथा श्री नीरज विश्वकर्मा, सीएमए) कार्यरत है। 3. आरओएच इटारसी में 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01कर्मचारी(श्री राहुल विश्वकर्मा, सीएमएस) कार्यरत है। अतः जबलपुर मण्डल में किए गए पदस्थि पिनप्वाइंटिंग अनुसार है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/39/2024 Dy.CPO/HQ	चिकित्सा आधार पर विकल्प से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत मेडीकल विकोटिकृत लोको पायलट्स ने संघ को अवगत कराया है कि वह चिकित्सा आधार पर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर मण्डल कार्यालय द्वारा उस आवेदन को नहीं लिया जा रहा है। इसी क्रम मे संदर्भित पत्रानुसार कर्मचारी को सूचित किया गया है कि बिना विकल्प के आधार पर साधारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन प्रस्तुत करे, अन्य प्रकरणो मे भी यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 78/2006 मे निर्देशित किया गया है कि मेडीकल विकोटिकृत कर्मचारी, मेडीकल आधार पर विकल्प देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते है। यह नियम रेलवे बोर्ड के पत्र आरबीई सं. 08/2000 दिनांक 18.01.2000 मे दिये गये निर्देशो को संशोधित करते हुए मेडीकल विकोटिकृत कर्मचारी को भी कुछ शर्तों के साथ

	अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि कर्मचारी यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है तो वह मेडीकल आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दे क्योंकि यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति साधारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से भिन्न है इसलिए इस प्रकार के प्रकरणो मे चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ज्ञापन जारी होना चाहिए ताकि अन्य पात्रता होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण में कोई बाधा ज्ञापन संबंधी न आये। अतः अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति की परीधि मे मेडीकल विकोटिकृत कर्मचारियों से यदि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देते है तो उस विकल्प को प्राप्त कर चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ज्ञापन जारी करने हेतु संबंधित को दिशा निर्देश देवे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **NIL** पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत NIL प्रशासनिक टिप्पणी मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.05.25 के तहत मंडलों एवं कारखानों को रेलवे बोर्ड के पत्र RBE No.78/2006 दिनांक 14.06. 2006 के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है|
MS/03/2025 PCE Dy.CPO/HQ	कोटा मंडल के ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता समूह के संबंध में। उपरोक्त विषय में इन्जी. विभाग में कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर रखी जा रही है। इस वरीयता के कारण एक साथ नियुक्त हुए कर्मचारी अलग अलग वरीयता ग्रुप में नियुक्त होने पर उनके पदोन्नति अवसरो मे काफी अंतर आ जाने के कारण कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स मे असंतोष व्याप्त हो रहा है। इस संबंध में वर्तमान में ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर युनिट के अनुसार होने के कारण पदौन्नति के अवसर भी कम हो जाते है एवं एक साथ भर्ती होने वाले अलग अलग यूनिट के कर्मचारियों में पदौन्नति तिथियों मे विसंगतता आ जाती है। इस संबंध में संघ का सुझाव है कि वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुए ट्रेकमेन्टेनर्स केडर के लिए नई वरीयता नीति निर्धारित की जानी चाहिए। संघ का अनुरोध है कि ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता के स्तर में संषोधन हेतु आवष्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। संघ/पीएनएम/कोटा इन्जी/78 दिनांक 22.07.2024 प्रशासनिक टिप्पणी **Dy.CPO/HQ-**कोटा मण्डल पर ट्रेकमेन्टेनर्स संवर्ग की वरियता को सहायक मण्डल इंजीनियर स्तर पर करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश कमांक WCR-KOTAOPERS (ENGG) /30/2024 दिनांक 30.12.2024 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें। पीसीई- कोटा मंडल में ट्रैकमेन्टेनरों की वरीयता का रख-रखाव अभी तक एसएसई/पीवे डिपो वाईज रखा जा रहा था। मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा के पत्र दिनांक 30/12/2024 के अनुसार दिनांक 01/01/2025 से TM- 1,2,3,4 संवर्ग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्तमान ग्रेड में कार्य करने की तिथि से, एक ही सहायक मंडल इंजीनियर के अधीन स्थित डिपो की “एकीकृत वरीयता” सूची बनाकर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा को भेजी जा चुकी है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत **Dy.CPO/HQ**- कोटा मण्डल पर ट्रेकमेन्टेनर्स संवर्ग की वरियता को सहायक मण्डल इंजीनियर स्तर पर करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश कमांक WCR-KOTAOPERS (ENGG) /30/2024 दिनांक 30.12.2024 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें। प्रशासनिक टिप्पणी

	Dy.CPO/HQ- कोटा मण्डल पर ट्रेकमेन्टेनर्स संवर्ग की वरियता को सहायक मण्डल इंजीनियर स्तर पर करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश कमांक WCR-KOTAOPERS (ENGG) /30/2024 दिनांक 30.12.2024 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/06/2025 DY.CPO/HQ	पदो को अनुचित समाप्त करने के संबंध में। उपरोक्त विषय में वित्तीय वर्ष के समापन पर विभिन्न विभागो मे निम्न पदो को सरेंडर करने के ज्ञापन जारी किये गये है। 1. सामान्य प्रषासन 26 पद 2. विद्युत टीआरडी 13 पद 3. मेकेनिकल विभाग 06 पद 4. विद्युत सामान्य 12 पद 5. टेलीकॉम एवं टेलीकॉम 31 पद इस संबंध मे पदो को समाप्त करने से पूर्व कार्य की आवष्यकताओं को न देखते हुए दबाव मे पदो को समाप्त करने के ज्ञापन जारी कर दिये गये है। वास्तव में देखा जाये तो रेल संचालन के सफल एवं गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु नियमित कार्य में कोई कमी नहीं आयी है अपितु नये कार्य भी जोड़े गये है। इसके बावजूद भी पदो को समाप्त करने से कर्मचारियो पर कार्य की यार्ड स्टिक से अधिकता होने पर वे मानसिक दबाव में कार्य करेंगे तो निष्चित रूप से रेल संचालन प्रभावित होगा साथ ही साथ दुर्घटनाओं की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। सरेंडर मेमो का अवलोकन करने पर यह भी संज्ञान में आया है कि समान्य प्रषासन, मेकेनिकल, विद्युत टीआरडी विभाग में तो उच्च ग्रेड के पदो को भी समाप्त कर दिया गया है, जो कि रेलवे बोर्ड की नीति का पूर्णतः उलंघन है। संघ पदो को सरेंडर करने से असहमत है एवं यार्ड स्टिक के अनुसार कार्य की आवष्यकता को देखते हुए कमेटी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कमेटी का गठन कर केवल अनुपयोगी पदो को ही समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय रेलवे स्तर पर की गयी वर्क स्टडी रिपोर्ट को आधार मानकर सम्पूर्ण रेलवे में लागू नहीं किया जा सकता है। संघ का अनुरोध है कि पदो के सरेंडर हेतु जारी किये गये सभी विभागे के मेमोरेंडमो का पुर्नावलोकन कर पदो का समाप्तीकरण बंद करने का कष्ट करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। **PCSTE::**यह नीतिगत मामला है। **PCEE-** मिटींग में चर्चा की जायेगी। **PCEE-**यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/मुख्या.:-संघ को विस्तृत जवाब दिया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.04.2025 के तहत महामंत्री WCRMS जबलपुर को जवाब दिया गया है| कृपया मद समाप्त करें ।
MS/ 07/2025 PCEE DY.CPO/HQ	पदौन्नति आदेष में अनियमितता के संबंध मे। संदर्भ :- वरि. मण्डल कार्मिक अधिकारी का पत्र सं. ई/ईएल/पावर/839/7 भाग 02 दिनांक 05.03.2024 उपरोक्त संदर्भित आदेषानुसार तक्नी. ।में कार्यरत 03 कर्मचारियों को वरि. तक्नी. में पदौन्नत किया गया है। इस आदेष में टिप्पणी दी गयी है कि श्री जनाबुद्दीन तकनी. ।(पावर) का वरि. तकनी में पदोन्नति प्रकरण सक्षम अधिकारी के पास विचाराधीन है। इस संबंध मे उक्त पदौन्नति आदेष मे श्री जनाबुद्दीन से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियो को पदौन्नत कर दिया गया हैं परंतु जनाबुद्दीन के पदौन्नति आदेष जारी न करना इस बात को दर्शाता है कि श्री जनाबुद्दीन को वर्तमान कार्यस्थल पर ही पदोन्नति का लाभ देने के प्रयास किये जा रहे है। इस प्रकार के आदेष स्थापना नियमो का स्पष्ट उलंघन है।

	किसी भी परिस्थिति मे वरिष्ठ कर्मचारी को छोड़ कर कनिष्ठ कर्मचारी को पदौन्नत नहीं किया जा सकता है। संघ के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि श्री जनाबुद्दीन ने झूठे मेडीकल प्रमाण पत्र मंगवाकर अनुचित लाभ लिये जाने की पूर्ण सम्भावना है। यही कारण है कि वरिष्ठ कर्मचारियो को पहले पदौन्नत कर कार्य स्थल से बाहर स्थानान्तरण कर दिया गया है ताकि कनष्ठि श्री जनाबुद्दीन को कार्यस्थल पर पदस्थ कर अनुचित लाभ दिया जा सके। संघ इस प्रकार नियमविरूद्ध जारी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करता है एवं प्रषासन को अवगत कराना चाहता है कि श्री जनाबुद्दीन को वर्तमान कार्यस्थल पर पदस्थ करने की किसी भी प्रकार की साजिष की जाती है तो यह आद्यौगिक संबंधों के बीच मे स्पष्ट दरार उत्पन्न करेगा जिसके लिए प्रषासन स्वंय जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण आने पर असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। संघ का अनुरोध है कि श्री जनाबुद्दीन के प्रकरण की सम्पूर्ण जांच, जांच अधिकारी से करवायी जावे और यदि किसी प्रकार के झूठे तथ्य प्रकाष में आये तो विजीलेंस से भी जांच करवायी जा सकती है। साथ ही साथ श्री जनाबुद्दीन को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिया जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **DYCPO-HQ**प्रकरण में कोटा मंडल के कार्यालय आदेश संख्या 121/2025 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा कर्मचारी श्री जनाबुद्दीन को वरि.तकनीशियन की पदोन्नति पर सवाईमाधोपुर से रामगंजमंडी स्थानांतरण कर दिया गया है। कृप्या मद समाप्त करे। PCEE- यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** **DYCPO-HQ**कोटा मंडल के कार्यालय आदेश संख्या 121/2025 दिनांक 05.02.2025 के तहत रिक्तियों की स्थिति के अनुसार कर्मचारी श्री जनाबुद्दीन को वरि.तकनीशियन की पदोन्नति पर सवाईमाधोपुर से रामगंजमंडी स्थानांतरण कर दिया गया है। कृप्या मद समाप्त करे।
MS/ 10/2025 DY.CPO/HQ	सड़िपुका, भोपाल के विद्युत विभाग में कार्यरत सहायक कारखाना लेवल 1 में कार्यरत PWBD कर्मचारियों को पदौन्नत चैनल न होने के संबंध में । इस संबंध में स्थानीय प्रषासन द्वारा पत्र कमांक सड़िपुका/भो/का/कैडर/तक. III. दिनांक 24.07.2024 के तहत संघ को अवगत कराया है कि रेलवे बोर्ड का पत्र 2017/RRB)/25/04, dtd. 21-01-2018 के तहत विद्युत विभाग के अंतर्गत PwBDकर्मचारी पदौन्नति हेतु पात्र नहीं है। कृपया इस संबंध में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी / मुख्यालय स्तर द्वारा आवष्यक दिषा निर्देष जारी किया जाये जिससे कर्मचारियो को वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नति दी जा सके । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **NIL** **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** उप मुकाधि/मुख्या.:- समीक्षा की जा रही है। **प्रशासनिक टिप्पणी** मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.08.2024 के तहत CRWS/BPL को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
MS/ 13/2025 PCEE PCOM DY.CPO/HQ	भोपाल मंडल के यात्रिंक विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. जबलपुर से खंडवा मेल एक्सप्रेस का संचालन, सिंगल डिस्टेंट टेरेटरी से डबल डिस्टेंट टेरेटरी में जाना असुरक्षित है, इटारसी डिपो के स्टाफ से सतना तक एवं इटारसी त्से मनमाड़ तक करवाया जाये जो सुरक्षित रहेगा, किमी बैलेंसिंग इटारसी डिपो के स्टाफ से हो, इटारसी डिपो का स्टाफ सतना तक एवं मनमाड़ तक कार्य करेंगे ऐसे crew लिंक बनाएं जायें। 2. FSD यदि पूरे वर्ष संचालन करना है तो उसे रेलवे बोर्ड के पत्र कृ /2022/M(L)165/3/दिनांक 18/01/2023 (द्वारा आदरणीय श्री किशोर वैभव, कार्यकारी निदेशक विद्युतीय इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड) इंजन तक पहुंचाने एवं इंजन से ही

	कलेक्ट करवाने की व्यवस्था की जाये, LP ALP के पास स्वयं का ही लगभग 30-35 किलो वजन रहता है। 3. भोपाल मंडल में C&W विभाग के 6 कर्मचारी को पत्र कृ /पमरे/पीभो/210/7/जेई/LDCE कोटा/C&W दिनांक 18.07.2024 के द्वारा स्थानांतरण के पूर्व की सेवा को निरन्तर नहीं मानकर LDCE कोटा के अंतर्गत जे.ई की पात्रता सूची में अपात्र घोषित किया गया है जिन्हें शीघ्र पात्र घोषित किया जाये ताकि वह सम्मिलित हो सके। अंकित कुमार, गौरव चौधरी, अमित कुमार, मंगल सिंह, अभिषेक खटीक, अंकुर परिहार, (टेकनी- 11)। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-1.भारतीय रेल्वे के विभिन्न खंडों में सिगनलों की भिन्नता (सिंगल डिस्टेंट/डबल डिस्टेंट/ऑटोमेटिक) एवं गति की भिन्नता रहती है जिसके लिये रनिंग स्टॉफ को रोड लर्निंग दी जाती है ताकि सुरक्षित संचालन हो। मंडल/क्षेत्रीय रेलवे के मध्य किमी. बेलेंसिंग का ध्यान रखकर बतमू सपदा बनाये गये हैं। 2.एफ एस डी ;थ्वह ेंमि क्मअपबमद्ध को इंजिन में भेजना एवं कलेक्ट करना यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 3.कार्मिक विभाग से संबंधित है। **Dy.CPO(HQ)** (3)- रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 अनुसार स्किल्ड आर्टीजन मैट्रिकुलेट्स को दिया गया 03 वर्ष का प्रषिक्षण, 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में कर्मचारियों की तीन वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 तथा आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार भोपाल मण्डल के कैरिज एण्ड वैगन विभाग में 25 प्रतिषत एलडीसीई कोटा द्वारा जारी पात्रता सूची में जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 03 वर्ष से कम है उन्हें अपात्र किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.10.24 याके तहत महामंत्री WCRMS को जबाब दिया गया है कृपया मद 3 समाप्त करें। **PCEE-**1 जबलपुर से खंडवा बीट में रनिंग कर्मचारी सुचारू रूपसे कार्य कर रहे है। बीट परिवर्तन संबंधि प्रस्तावों को क्रू लिंक बनाते समय मंडलों द्वारा विचार में लिया जा सकता है। 2. एफएसडी का उपयोग रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार पूरे वर्ष किया जाना है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। 3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडी:- 3. उप मुकाधि/मुख्या.:-
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO(HQ) (3)- रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 अनुसार स्किल्ड आर्टीजन मैट्रिकुलेट्स को दिया गया 03 वर्ष का प्रषिक्षण, 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में कर्मचारियों की तीन वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 तथा आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार भोपाल मण्डल के कैरिज एण्ड वैगन विभाग में 25 प्रतिषत एलडीसीई कोटा द्वारा जारी पात्रता सूची में वे कर्मचारियों जो अन्य रेलवे से स्थानान्तरण पर आये है उनकी सेवा RBE 34/2006 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी सेवा 03 वर्ष से कम है उन्हें अपात्र किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.05.25 के तहत महामंत्री WCRMS को जबाब दिया गया है। कृपया मद 3 समाप्त करें।
MS/ 16/2025 PCEE, PCME, Dy.CPO/HQ	भोपाल मंडल के डीजल शेड से सम्बंधित समस्याएं। 1. डीजल लोको शेड इटारसी के सुपरवाइजर्स का अपग्रेडेशन 01.01. 2022 वाला बाकी है, आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। कृपया 2. वन्दे भारत ट्रेन भोपाल में पद सहित ट्रांसफर किए गए हैं उन पदो को वापस डीजल शेड को दिए जाएं। 3. लम्बे समय से डीजल शेड स्टॉफ JE, MCM, तक. I , तक.II, आदि की पदौन्नति नहीं की गई है कृपया तत्काल

	प्रभाव से जिस किसी भी रिक्त पद हैं उने पदौन्नत करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- 1) डीजल लोको शेड के कर्मचारियों के अपग्रेडेशन हेतु प्रकरण पर लेखा विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2025 को वित्तीय सहमति प्राप्त हो गयी है जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है। (2) भोपाल में वन्दे भारत ट्रेन संरक्षण हेतु चयनित कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता को जबलपुर मंडल के भांति मूल विभाग द्वारा अनुरक्षण किये जाने हेतु मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक-पमरे/का-डीजल/वन्दे भारत दिनांक 16.01.2024 को पत्र भेजा गया है। जिस पर मुख्यालय द्वारा मंडल स्तर पर निर्णय लेने के लिये निर्देशित किया गया था। अतः उक्त आशय पर सक्षम अधिकारी की सहमति उपरांत वन्दे भारत ट्रेन में कार्यरत कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता उनके मूल विभाग में ही रहेगी। (3) डीजल लोको शेड के एसएसई/विद्युत ग्रेड पे रू.4600 में विभागीय कोटे की 02 पद दि.01.03.2025 को रिक्त होने पर रिक्तियों का आंकलन कर प्रकरण वरि.मं. यॉ. इंजी./ डीजल शेड/इटारसी के समक्ष प्रेषित किया गया है। वर्तमान में एम.सी.एम. में विद्युत एवं लोको में कोई पद रिक्त नहीं है। टेक्नी।। से टेक्नी.-। में कर्मचारियों के 02 वर्ष पूर्ण होने पर भरे जायेंगे **PCEE**- 1 डीजल लोको शेड इटारसी के सुपरवाइजर का अपग्रडेशन 01.01.2022 वाला मंडल रेल प्रबंधक (का.) भोपाल द्वारा किया जा रहा है। 2 मंडल रेल प्रबंधक (का.) भोपाल से संबंधित है। 3 तकनी I से वरि.तकनी (MCM) .आ.क्रः 1392/2024/ DSL दिनांक 18.10.2024 के अनुसार 7 कर्मचारी को पदोन्नती किया गया। तकनी III से तकनी II का.आ.क्रः 1549/ DSL /2024 दिनांक 21.11.2024 के अनुसार 25 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान किया गया। तकनी II (वि) से तकनी I (वि) का.आ.क्रः 1544/ 2024/DSL दिनांक 21.11.2024 के अनुसार 23 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान की गई है। तकनी II से तकनी I का.आ.क्रः 1652/ 2024/ DSL दिनांक 18.12.2024 के अनुसार 14 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान की गई है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	पीसीएमईः- उप मुकाधि/मुख्याः-
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(1) डीजल लोको शेड इटारसी के कर्मचारियों को आरबीई-नं.-155/2022 के तहत अपग्रेडेशन लेवल-8 में दिनांक-01.12.2022 से18 कर्मचारियों को आदेश क्रं.-605/ 2025 Dated-16.05.2025 के तहत पदोन्नति का लाभ प्रदान कर दिये गये है। (2) भोपाल में वन्दे भारत ट्रेन संरक्षण हेतु चयनित कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता उनके मूल विभाग में ही रखी गई है (3) डीजल लोको शेड के एसएसई/विद्युत ग्रेड पे रू.4600 में आदेश क्रमांक-431/डीजल/25 दि.04.04.2025 द्वारा 03 कर्मचारीयों को पदोन्नति का लाभ प्रदान कर दिया गया है । वर्तमान में एम.सी.एम. टेक्नी-I,II,III में कोई रिक्तियां नही हैं। कृपया मद समाप्त करें।
MS/ 24/2025 DY.CPO/HQ	कोटा मंडल के विद्युत विभाग में अलग-अलग विंग में स्थानांतरण के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत विधुत विभाग मूल रूप से निम्नलिखित तीन विभागों में बँटा हुआ हैः- 1. विद्युत सामान्य विभाग 2. विद्युत टीआरडी विभाग 3. विद्युत टीआरएस शेड़ उक्त तीनो विभागों मे अलग-अलग विंग कार्यरत है एवं सभी का वरियता ग्रुप अलग-अलग है। इस संबंध मे लेख है कि विद्युत विभाग में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता सभी विभागों मे समान है एवं उन्हे नियुक्ति पूर्व दी जानी वाली ट्रेंनिग लगभग समान है फिर भी यदि कोई कर्मचारी विधुत विभाग में स्वंय की प्रार्थना एवं वरियता की हानि पर एक विंग से दुसरी विंग में स्थानांतरण हेतु आवेदन करते है तो उनके आवेदन अलग विभाग बताकर अस्वीकृत कर दिए जाते है। अन्य कई जोनों मे विधुत विभाग में एक विंग मे दुसरी विंग मे स्थानांतरण की प्रकिया चलन में है।

	कृपया पश्चिम मध्य रेलवे जोन में विधुत विभाग की तीनों विंग में कर्मचारियों को भर्ती ग्रेड मे स्वयं की प्रार्थना एवं वरियता की हानि पर स्थानांतरण की प्रकिया को प्रारम्भ करने हेतु मुख्यालय से निर्देष जारी करवाने का श्रम करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	NIL
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	WCRMS के पी एन एम् मद संख्या 27/22 मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 28.04.22/11.03.25 के तहत दिए गए जवाब के अनुसार मद समाप्त कर दिया गया था कि केवल पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों में विद्युत विभाग में एक वरीयता ग्रुप से दूसरे वरीयता ग्रुप में अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है|
MS/ 25/2025 DY.CPO/HQ	आपसी सहमति एवं स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरण में टीआरएस से टीआरएस की बाध्यता हटाने के कम में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत पष्चिम मध्य रेल जोन के तीनो विद्युत लोको शेड में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आपसी सहमति एवं स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन किये जाते है व इन आवेदनो को टीआरएस से टीआरएस नही होने के कारण वापस कर दिये जाते है जबकि कर्मचारी का विभाग इलेक्ट्रिकल होने के बावजूद भी स्थानान्तरण नही हो पाते है, उसमे टीआरएस से टीआरएस की बाध्यता रख दी जाती है। अतः अन्य रेलवे की भांति टीआरएस से टीआरएस की बाध्यता हटाकर विद्युत विभाग की अन्य शाखाओ यथा, इलेक्ट्रिकल, जनरल (पॉवर) टी.आर.डी. टी.आर.ओ. आदि में स्थानान्तरण स्वीकृत करवाने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देष देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	NIL
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	WCRMS के पी एन एम् मद संख्या 27/22 मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 28.04.22/11.03.25 के तहत दिए गए जवाब के अनुसार मद समाप्त कर दिया गया था कि केवल पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों में विद्युत विभाग में एक वरीयता ग्रुप से दूसरे वरीयता ग्रुप में अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है|
MS/26/2025 DY.CPO/HQ DY.CPO/HRD	PWBD के तहत मुख्यालय के विभिन्न कैडर के कर्मचारियों के नोशनल पदोन्नति के आदेश शीघ्र जारी करने बावत। संदर्भ :1) रेलवे बोर्ड का पत्रांक E(NG)I/2019/PM 4/8 (RBE No. 74/2022) दि. 07/07/2022 और ई(एनजी) आई/2019/पीएम 4/8 (ई-3417344) (आरबीई नंबर 06/2024) दिनांक 18/01/2024 2) DoPTकार्यालय का OM No. 36012/1/2020-Estt (Res-II), दि. 17/05/2022 एवं दिनांक 28/12/2023 3) वेसेरेमसं / मुख्यालय शाखा का पत्रांक वेसेरेमसंघ / मुख्यालय / 2024/09 दिनांक 20.09.2024 4) कर्मचारी श्री कन्हैयालाल का प्रतिवेदन दिनांक 16/07/24 (प्रति संलग्न). उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों के अन्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि रेल्वे बोर्ड एवं DOPT के परिपेक्ष्य में मुख्यालय के विभिन्न कैडर में कार्यरत कई कर्मचारी PwBDsके कोटे के तहत दिनांक 30/06/2016 से नोशनल पदौन्नति पाने के योग्य हैं एवं संबंधित कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके मामले को अकारण काफी समय से लंबित किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। जबकि संघ द्वारा इस संबंध में पीएनएम के माध्यम से भी इस मामले के शीघ्र निपटान करने हेतु अनुरोध किया गया था। उदाहरण स्वरुप कुछ लंबित मामले आपके ध्यानाकर्षण हेतु प्रस्तुत है-

	1. श्री कन्हैया लाल, वरि.से. इंजी./यांत्रिक 2. श्री पप्पु कुमार, निजी सचिव-II/ चिकित्सा' 3. श्री राजेन्द्र कुमार ताले, कार्या. अधीक्षक / सामान्य प्रशासन 4. चितरंजन प्रसाद सिंह, CSWI / कार्मिक 5. कपिल आनंद, कार्या. अधीक्षक / कार्मिक अतः अनुरोध है कि मुख्यालय के विभिन्न कैडर मे PWBDs के कोटे के तहत नोशनल पदौन्नति पाने की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के पदौन्नति आदेश शीघ्र जारी करने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देष देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. श्री कन्हैया लाल**,** वरि.से. इंजी./यांत्रिक विभाग का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु विचाराधीन है। **2** श्री पप्पूा कुमार**,**निजी सचिव **– 2 /** चिकित्सा् विभाग का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु विचाराधीन है। **3** राजेन्द्रू कुमार टाले**,** कार्या.अधीक्षक सामान्यक प्रसासन विभाग मुख्या लय का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु विचाराधीन है। **4** चितरंजन प्रसाद सिंह**, CSW/** कार्मिक का नोशनल पदोन्न ति के आदेश दिनांक **09.01.2025** को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्तस करे। **5** कपिल आनंद**,** कार्या.अधीक्षक कार्मिक का नोशनल पदोन्न ति के आदेश दिनांक **14.01.2025** को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्तस करे।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025 के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. श्री कन्हैया लाल, वरि.से. इंजी./यांत्रिक विभाग के नोशनल पदोन्नतति के आदेश दिनांक 21.05.2025 को जारी कर दिए गए हैं। कृपया मद समाप्त, करें।
MS/ 29/2025 PCE DY.CPO/HQ	2024-2025 के लिए कार्य योजना जनशक्ति नियोजन पर समझोता ज्ञापन लक्ष्य के संबंध में । संदर्भ-1. रेल्वेबोर्ड के पत्र संख्या E (MPP) 2024/1/5 दिनांक 08/05/24. 2. मुख्यालय कार्यालय पत्र संख्या WCR/P-HQ /0100/Cadre कार्य योजना दिनांक 20/05/24. उपरोक्त विषय के अंतर्गत ट्रेकमैन से सत्र 2018 में मौखिक वायवा और साक्षात्कार के तहत कर्मचारियों को स्मॉल ट्रैक मशीन STMD तकनीशियन बनाया गया था, इसी प्रकार ट्रेकमैन से ही ट्रेकमषीन TTM मशीन पर तकनीशियन नियुक्त किए गए थे, दोनो का कैडर सीनियरिटी वर्किंग अलग ओर भिन्न है, प्रशासन का कहना था भविष्य मे STMD स्मॉल ट्रैक मशीन PWAI का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अचानक इस तरह पत्र निकालकर "इंजीनिरिंग के तकनीशियन" का ट्रेकमषीन में समायोजन करना न्यायोचित ओर मानवीय आधार पर भी ठीक नही हैं। इन एकतरफा आदेश से सभी कर्मचारी काफी परेशान है। अभी कुछ कर्मचारी विभिन्न इंजीनियरिंग डिपो के तहत अलग-अलग जगह काम कर रहे है जिससे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन भी कर रहे है, अगर यह पत्र लागू होता है तो लगभग सभी कर्मचारियों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा तथा अपने परिवार को छोड़कर रहना पड़ेगा । अतः अनुरोध है कि संदर्भित आदेश पर पुर्नाविचार किया जाकर कर्मचारियों को राहत दी जाए अथवा विकल्प का ऑप्शन या दूसरी चॉइस ट्रेकमशीन के अलावा किसी अन्य विभाग का विकल्प भी दिये जाने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देश देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- यह नीतिगत मामला है। जिसमें मुख्यालय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	यह प्रकरण संवर्ग को अन्य संवर्ग में समाहित करने से संबंधित है। इसका निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाना है।
MS/ 38/2025 DY.CPO/HQ KOTA DIV.	वरीयता का सही निर्धारण करने के संबंध में। संदर्भ : आपका पत्र सं. ई/ई/ 1140/4/1 भाग 1 (श्रीमती शांता) दिनांक 02.07.2018 उपरोक्त विषय में लेख है कि एसएसई/पीवे/सालपुरा के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने संघ को अवगत कराया है कि श्री अभय सिंह मीना, ट्रेकमेन्टेनर ॥ ग्रेड पे 2400 वड़ोदरा मण्डल से श्रीमति शांता पुत्री श्री सांवला ट्रेकमेन्टेनर ॥ ग्रेड पे 2400 कोटा मण्डल के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर कोटा मण्डल मे संदर्भित पत्रानुसार स्थानान्तरित होकर आये थे। इस प्रकरण मे श्रीमति शांता सामान्य कोटी से नियुक्ति थी , जबकि श्री अभय सिंह मीना , एस.टी समुदाय से संबंधित थे, अर्थात दोनो का समुदाय अलग अलग होने के कारण उन्हे मध्यवर्ती ग्रेड मे पारस्परिक स्थानान्तरण की वरीयता का लाभ देय नहीं है फिर भी श्री अभय सिंह मीना , को आईआरईएम के पैरा 310 की वरीयता का लाभ दे दिया गया है जो कि नियमानुसार गलत है। इस संबंध मे लेख है कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं. आरबीई 107/2007 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि अलग अलग समुदाय के कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक स्थानान्तरण भर्ती ग्रेड मे निम्नतम वरीयता पर ही स्वीकृत किये जायेंगे। ट्रेकमेन्टेनर केडर मे भर्ती ग्रेड लेवल 01 ग्रेड पे 1800 है जबकी ग्रेड पे 2400 मध्यवर्ती ग्रेड है। इस नियम का खुला उलन्धन करते हुए श्री अभय सिंह मीना को मध्यवर्ती ग्रेड मे वरीयता का लाभ नियम विरूद्ध है। अतः संघ का अनुरोध है कि श्री अभय सिंह मीना, की गलत वरीयता को निम्न वरीयता मे परिवर्तित करते हुए सभी परिणामी लाभो को अन्य कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। संघ/पीएनएम/बांरा / 211 दिनांक 01.05.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उक्त प्रकरण की जांच कल्याण निरीक्षक से कराई गई है। जांच रिपोर्ट अनुसार श्रीमती शांता पत्नि श्री सांवला की जाति 'डामोर' है। गुजरात राज्य में यह 'अनुसूचित जनजाति' समुदाय में शामिल है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारी अभय सिंह मीना, ट्रेकमेंटेनर ।। भी 'अनुसूचित जनजाति' से है। चूँकि दोनों कर्मचारी एक ही समुदाय से हैं अतः दोनों कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरण में श्री अभय सिंह मीना, ट्रेकमेंटेनर ।। को दिया गया वरीयता का लाभ सही है। कृपया मद समाप्त करें।
MS/ 56/2025 DY.CPO/HQ जबलपुरमंडल	भोपाल मंडल के ART/सेफ्टी काउंसलर के तीन रिक्तियां का नोटिफिकेशन के संबंध में। भोपाल मंडल में दिनांक 06.07 2023 को पत्र क्रमांक ART/सेफ्टी काउंसलर भोपाल मंडल को तीन रिक्तियां का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जिसमें शर्त थी कि उम्मीदवार जीपी 4200/- में 10 वर्ष की सेवापूर्ण की है वह आवेदन कर सकता है। उक्त पद यांत्रिक TRO तथा यातायात विभाग हेतु क्रमशः एक-एक थे परंतु TRO विभाग में आए अनियमितता गई ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि बाद में उक्त शर्तों में परिवर्तन करने की बात संघ पदाधिकारियो के बतायी गई शर्तों में निम्न परिवर्तन बगैर किसी मुख्यालय या बोर्ड की गाइड लाइन के बदल दिया गया की ग्रेपे 4200/- के स्थान पर केवल ग्रेड पे 4600/- के कर्मचारी से भरने की बात अंदरूनी तौर पर हो गई कोई भी नया पद निर्गत नहीं किया गया। संघ मांग करता है कि पूर्व में जीपी 4200/- के जो भी आवेदन आए हैं उन्हें संज्ञान में लिया जाए तथा उक्त भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	सेफ्टी काउंस्लर का पद - 4600 ग्रेड पे का पद है। अतः अधिसूचना में प्राप्त आवेदनो पर कार्यवाही कर पाया गया कि इस प्रकरण में किसी भी कर्मचारी को उपयुक्त नहीं पाया गया था ।संरक्षा सलहकार की संबन्धित विभाग द्वारा मांग पत्र पर प्रेषित किये जाने पर उपयुक्त कार्यवाही कर पुनः अधिसूचना जारी की जाएगी।

MS/ 58/2018 PCCM	लेखा विभाग द्वारा युटीएस टिकिट की क्षति (**Loss)** होने पर डेबिट जारी करने के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत वर्तमान में अगर कोई युटीएस टिकिट कैंसिल नॉनइश्यू एवं कार्य के दौरान या उपरांत मिसिंग एवं मिसमैच होने पर स्टेशनरी को सेव न कर पाने के कारण एवं सेव स्टेशनरी गुम जाने पर लेखा विभाग द्वारा Cirular RBA-67/2005 Date 17.11.2005. के नियम के अंतर्गत टिकिट जारी करने वाले गंतव्य स्टेशन से अधिकतम दूरी (जो कि उस सिस्टम में फीड है) का 4 फुल व्यक्तियो के किराये के बराबर राशि का डेबिट बुकिंग लिपिक को दिया जाता है जिसकी शर्ते निम्न हैः-

क्रमांक	परिस्थिति के प्रकार	डेबिट राशि
1.	जब मूल यात्रा टिकिट रद्द नॉनइशू दोनो ही मिसिंग है।	मूल यात्रा राशि टिकिट + 4 मेल/एक्स. का अधिकतम किराया।
2.	जब मूल यात्रा टिकिट मिसिंग हो पर रद्द नॉनइशू टिकिट उपलब्ध है।	मूल यात्रा टिकिट की राशि के
3.	जब मूल यात्रा टिकिट उपलब्ध हो एवं रद्द नॉनइशू टिकिट मिसिंग है।	यात्रियो का ।। मेल / एक्स दूरी का फुल किराया।

इस प्रकार जो डेबिट दिया जाता है उसका एक उदाहरण निम्नलिखित हैः-

त्रुटिपत्र कमांक RS/TIA/JBP/ROPD/UTS/OCT-2017 के अनुसार दिनांक दिनांक 25.10.2017 को श्री शैलेष राजपूत बुकिंग लिपिक प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर स्थित अनारक्षित टिकिट खिड़की कमांक 6 पर कार्यरत थे उनके द्वारा जबलपुर के लिए जारी की गई जिसका टिकिट कमांक ULA49650309 था उपरोक्त टिकिट को उक्त बुकिंग लिपिक द्वारा रद्द किया गया जिसका स्व टिकिट कमांक ULA49650309 था एवं भीड़ अधिक होने के कारण दोनों कही गुम हो गई जिसके कारण लेखा विभाग द्वारा 4 यात्रियो का ।। मेल / एक्स का अधिकतम दूरी का फुल किराया जो कि 470*4= 1880 एवं रूपये 105/ जो कि मूल यात्रा टिकिट की कीमत थी कुल रूपये 1985 का डेबिट Cirular RBA-67/2005 DT 17-11-2005. के तहत दिया गया जो कि कर्मचारी ने दिनांक 30.11.2017 को एमआर क्रमांक ULA 50645666 के द्वारा जमा कर दिया गया है।

सुझावः- उपरोक्त कर्मचारी की उस पाली की टिकिट सेल की हार्ड कापी निकालकर देखी गई जिसमें सबसे अधिक राशि की टिकिट जबलपुर से पूणे 1049 किमी. की बेची गयी जो की 3 यात्रियो की जिसका किराया 840 /-रूपये है। अतः अनुरोध है कि यदि डेबिट राशि की गणना रद्दीकरण / नॉनइशु टिकिट के लिए उस पाली में बेची गयी टिकिटो में से अधिकतम राशि के टिकिट के बराबर की राशि गुम हुई यात्रा टिकिट की कुल राशि
का डेबिट दिया जाये अर्थात डेबिट राशि 840+105=945/- हो तो कर्मचारी अत्यधिक आर्थिक नुकसान से बच सके। रद्द/नॉनइशू टिकिट मिसिंग / गुम हो जाने पर डेबिड की राशि की गणना विभिन्न परिस्थितियो में निम्न प्रकार से की जाये। कर्मचारी अत्यधिक आर्थिक नुकसान से बचेगे।

कमांक. परिस्थिति के प्रकार डेबिट राशि

1. जब मूल यात्रा टिकिट रद्द नॉनइशू दोनो ही मिसिंग है। मूल यात्रा राशि टिकिट + 4 मेल/एक्स. का अधिकतम किराया।

2. जब मूल यात्रा टिकिट मिसिंग हो पर रद्द / नॉनइशू टिकिट उपलब्ध है। मूल यात्रा टिकिट की राशि के

3.जब मूल यात्रा टिकिट उपलब्ध हो एवं रद्द / नॉनइशू टिकिट मिसिंग है। उक्त शिफ्ट में जारी की गयी की यात्रा टिकिट की राशि बर

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCCM-

मुख्यालय के लेखा और वाणिज्य विभाग के **JPO** के अनुसार टिकट मिसिंग होने की परिस्थिति में डेबिट देने का प्रावधान इस प्रकार है:-

1.जब यात्रा और नॉन-इशू टिकट दोनों मिसिंग होने पर यात्रा टिकट की वैल्यू और **4** यात्रियों का अधिकतम दूरी का मेल एक्सप्रेस के किराया का डेबिट दिया जाएगा.

2.केवल यात्रा टिकट मिसिंग होने पर यात्रा टिकट की वैल्यू का डेबिट दिया जाएगा.

	3.जब कैंसल/नॉन-इशू टिकट मिसिंग होने पर **4** यात्रियों का अधिकतम दूरी का मेल एक्सप्रेस के किराया का डेबिट दिया जाएगा. रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय से समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL प्रशासनिक टिप्पणी PCCM- यथावत **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीसीएमः**—रेलवेबोर्डसे यदिदिशानिर्देशनहींआतेतोप्रकरणपरनिर्णय लेलियाजाएगा।
PCCM 108/2023	वाणिज्य विभाग से संबंधित समस्याएँः 1. पश्चिम मध्य रेल के सभी टीटीई रेस्ट हाउसों में सब्सिडाइज्ड मील की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 2. जबलपुर मंडल के विद्युत विभाग द्वारा टीटीई रेस्ट हाउसों में ए.सी. नहीं लगाया जा रहा है। मंडल की पीएनएम मीटिंग में जिसका कारण मुख्यालय द्वारा अनुमति न दिया जाना बताया जा रहा है। संघ मांग करता है कि उक्त संबंध में मंडल को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। 3. संघ को शिकायत मिली है कि गाड़ी में कार्य कर रहे टीटीई द्वारा वाणिज्य नियंत्रकों को सूचना दी जाती है, जिस पर कार्यवाही करने में अनियमितता बरती जा रहीं हैं। जो इस प्रकार हैं- कई अवसरों पर वाणिज्य नियंत्रकों द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता जिससे गाड़ी में कार्य करने वाले स्टाफ को समस्या होती है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी PCCM - जबलपुर मंडलद्वारा संचालित रेस्ट हाउस इस प्रकार हैं- 1-(i) जबलपुर(JBP)- वर्तमान में PF-1 पर स्थित रिटा. रूम में हैं, स्टेशन परिसर के आसपास खानपान की अच्छी होटल उपलब्ध है ।वर्तमान में टी.टी.ई. रेस्ट हाउस हेतु बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है । जिसके उपरांत रेस्ट हाउस नये भवन में स्थानांतरित होने पर सब्सिडाइज मीलका प्रावधान स्टाफ हेतु किया जाएगा। (ii) रीवा(REWA)- दि. 28/02/25 से नये भवन में शिफ्ट किया गया हैवर्तमान में अभी (4.5 स्टाफ) प्रतिदिन रुकता है, भविष्य में 20-25 स्टाफ रुकने की संभावना है तब सब्सिडाइज मील कीव्यवस्था रखी जाएगी (iii) मुडवारा (KMZ) - यह SECR/BSP द्वारा संचालित है जहां caretaker व खानपान की सुविधा भी उपलब्ध है तथा आसपास भीखाने के लिए अच्छी होटलें हैं। (iv) सिंगरौली (SGRL)- रेस्ट हाउस प्राइवेट होटल में संचालित हैं, व आसपासजिसमें खानपान की सुविधा उपलब्ध है। (V)छिवकी (PCOI) उपरोक्त(iv)अनुसार 2- यथावत , जबलपुर मंडल के छिवकी/सिंगरोली विश्राम गृहों में ए.सी. उपलब्ध है। शेष विश्राम गृहों में ए.सी. उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा दिनांक 06.09.23 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव के संबंध में विद्युत विभाग रूपए 1.08 करोड़ का एस्टीमेट दिया गया है जिस पर कार्यवाही चल रही है। 3 –पूर्व में इस कार्यालय द्वारा इस वावत सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किये जा चुके है कि जो भी आवश्यक मदद चाहिए उसको लिखित रूप से कंट्रोल को प्रेषित कर दें जिससे तदनुसार त्वरित कार्यवाही कई जा सके परन्तु कभी कभी समन्वय के आभाव में समस्या आ रही है जिसका संज्ञान लेते हुये उसका त्वरित समाधान किया जा रहा है । कोटा मंडल में कोटा स्टेशन पर स्थित टी.टी.ई. रेस्ट हाउस में रियायती दर पर भोजन की सुविधा उपलब्ध है। भोपाल मंडल के अंतर्गत इटारसी टी.टी.ई. रेस्ट हाउस के लिए सब्सिडाइज्ड मील की सुविधा दिनांक 12.01.2024 से प्रारंभ कर दी गई है साथ ही भोपाल मंडल द्वारा अन्य टी. टी.ई. रेस्ट हाउस में रियायती दर पर भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।

	वाणिज्य नियंत्रकके पास कार्य का अत्यधिक बोझ रहता है फिर भी वाणिज्य नियंत्रकों को टीटीईके द्वारा बताई जा रही समस्याओं को रिकॉर्ड करने हेतु मौखिक तौर पर निर्देशित किया गया है ।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- यथावत **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीसीएम**ः–उपरोक्तसभीमदेंमंडलों से सम्बंधितहैं। इस सम्बंध मेंसम्बंधितमं.रे.प्र. एवंवरि. मं.वा.प्रबंधकों से चर्चाकरनिराकरणकियाजाएगा।
MS/ 07/2024 PCCM	भोपाल मंडल के कमर्शियल विभाग से संबंधित समस्याएं। 1) कमर्शियल विभाग के बुदनी स्टेशन पर नया गुड्स शेड बनाया गया है। परन्तु आज तक वहा पर CGS / ACGS स्टॉफ की पोस्टिंग नहीं किया गया है पूरा काम बुदनी स्टेशन मैनेजर ही कर रहे है। गुड्स शेड पर रोज रेक लग रहे है परन्तु स्टॉफ मौजूद नहीं है अतः संघ मांग करता है की स्टॉफ की पोस्टिंग किया जाये । 2) वही इटारसी डिपो मे स्टेशन मैनेजर कमर्शियल की पोस्टिंग पिछले 4 माह से खाली पड़ी है संघ मांग करता है कर्मचारी की पोस्टिंग किया जाये । 3) डिपो मे पार्सल ऑफिस मे स्टाफ दिन पर दिन कम किया जा रहा है जिसे CPS महोदय दवारा पार्सल से आने वाले माल को उतरने में बहुत तकलीफ हो रही है और कर्मचारी बिना रेस्ट और छुट्टी के काम कर रहा है संघ मांग करता है पार्सल मे ACPS की पोस्टिंग शीघ्र किया जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- (1) वर्तमान में बुधनी स्टेशन पर गुड्स शेड के कार्य संचालन हेतु माल गोदाम इटारसी को नोडल पॉइंट बनाया गया है। FOIS के द्वारा वाणिज्य कार्य इटारसी नोडल पोइंट से सम्पादित किये जा रहे हैं। बुधनी स्टेशन पर माल यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखकर भविष्य में वाणिज्य स्टाफ की पदस्थापना की जाएगी। (2) भोपाल मंडल में वाणिज्य लिपिक संवर्ग में GP 4600 के 52 पद स्वीकृत है जिसमे 05 पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तदानुसार इटारसी डिपो मे स्टेशन मैनेजर वाणिज्य के पद पर पदस्थापना की जायेगी। (3) वर्तमान में इटारसी पार्सल कार्यालय में कुल 16 पद स्वीकृत है जिसमे 12 कर्मचारी कार्यरत है तथा रिक्त 04 पदों के संबंध में लेख है कि 28 सी.सी.टी.सी कर्मचार्री ZRTI भुसावल में प्रशिक्षणरत हैं प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रिक्त पदों पर पदस्थापना की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि पार्सल कार्यालय इटारसी में ACPS के 03 पद स्वीकृत है एवं 04 कर्मचारी कार्य कर रहे है अतः ACPS का कोई पद रिक्त नहीं है। पार्सल कार्यालय इटारसी में वर्ष 22-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में पार्सल आय में कमी आई है मंडल के सभी पार्सल कार्यालय को आउटसोर्स कर पार्सल हेंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान किया जा रहा है। दिनांक 28.06.2024 को बुदनी मालगोदाम में 01 ACGS (GP-42000) स्तर के कर्मचारी की पदस्थापना कर दी गई है । दिनांक 17.12.2024 को इटारसी स्टेशन पर SM(C) की पदस्थापना कर दी गई है । • इटारसी पार्सल कार्यालय में वर्तामान में कुल16 पद स्वीकृत है एवं15 कर्मचारी कार्यरत है तथा दिनांक 24.02.2025 को कर्मचारी के निधन उपरांत 01 पद हाल ही में रिक्त हुआ है जिसे भरने की कार्यवाही की जा रही है। • इस तारतम्य में यह भी उल्लेखनीय है कि इटारसी पार्सल कार्यालय में पार्सल हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिनांक 19.07.2024 से आवंटित किया जा चुका है ।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- यथावत

	कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 **पीसीसीएम**ः—टिप्पणी यथावत्
MS/ 45/2024 PCCM	भोपाल मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ की समस्याएं : 1. इतनी भयंकर गर्मी एवं रेलवे बोर्ड का लिखित आदेश होने के बावजूद टीटीई रेस्ट हाउस अभी तक AC से वंचित है। 2. फरवरी 2018 में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार टीटीई रेस्ट हाउस को "गार्ड एवं ड्राइवर रनिंग रूम" के तर्ज पर समान सुविधाएँ प्रदान की गई, जिसमें सब्सिडाईजड फूड भी शामिल है, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ ही गिने-चुने जगहों पर यह पालन हुआ है, इतना लंबा समय 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी बाकी रेस्ट हाउस इस सुविधा से अछूता रहा है और जहाँ ये सुविधा शुरू हुआ है। वहाँ खाने की गुणवत्ता दिन-ब-दिन गिरता गया है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई निरंतर मोनिटरिंग नहीं। 3. गंदे एवं फटे लिनन तथा RO वाटर की अनुपलब्धता । 4. टिकट चेकिंग स्टाफ को दिए गए टारगेट में निरंतर अत्यधिक वृद्धि 5. स्क्वाड में फरवरी मार्च तक 10000 / दिन से बढ़कर अप्रैल में 15000/दिन हो गया, जो अब मई में बढ़ाकर 25000/दिन कर दिया गया है। यानी महीना का कहें 625000/- से ऊपर। स्टेशन व अमिनिटी स्टाफ में भी टारगेट को बेतहाशा बढ़ाया गया। जिससे स्टाफ में घोर चिंता व्याप्त है। एक तो कुछ गाड़ियों में इतनी भीड़ है, कि चेक करना मुश्किल, एक-एक रिजर्व सीट पर 10-12 वेटिंग तथा पेनाल्टी भरे हुए... यात्री को टॉयलेट तक जाना मुश्किल, कोई उतरने को तैयार नहीं, पुलिस-प्रशासन का सहयोग नहीं, यहाँ तक कि मेमो लेने को तैयार नहीं। यात्रियों का बढ़ता आक्रोश, जिसका खामियाजा अक्सर सामने मौजूद रहने वाला रेलवे के प्रतीक के रूप में "टिकट चेकिंग स्टाफ" को भुगतना पड़ता है, ऊपर से स्टाफ पर टारगेट का बढ़ता आंकड़ा का प्रेशर घोर निराशाजनक है। 6. किसी अवैध यात्री को उतारना हो या उसपर कार्यवाही करनी हो तो पुलिस-प्रशासन की मुस्तैदी व रिस्पांसिबिलिटी सुनिश्चित कीजाए। 7. ड्यूटी में कार्यरत स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए । 8. कार्य हेतु दिए गए HHT (टैब) में आने वाली खराबी, टूट-फुट रिपेयरिंग आदि की जिम्मेदारी रेलवे की होनी चाहिए, न कि कर्मचारी की। 9. कार्य मे उपयोग हेतु स्टेशनरी मटेरियल (सिंगल-डबल साइड कार्बन, पेन, पेपर, इत्यादि) का निरंतर अनुपलब्धता। अक्सर यात्रियों द्वारा किया गया शिकायत झूठा ही निकलता है। यह कार्यरत स्टॉफ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे झूठे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित होय ताकि झूठी शिकायत की आड़ में दबाब बनाने की प्रथा बंद हो। 11. मंथली यात्रा भत्ता (TA) 21 दिनों का फिक्स किया जाए, जैसे अन्य जोन ECR वगैरह में है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- 1. भोपाल मण्डल के प्रमुख डिपो (इटारसी एवं भोपाल) में सर्व सुविधायुक्त नए टीटीई रेस्ट हाउस (वातानुकूलन सहित) का कार्य वर्ष 24-25 की कार्य योजना में प्रस्तावित किया गया था परंतु इन्हे सम्मालित नहीं किया जा सका है | आगामी वर्ष 25-26 की योजना में इन्हे पुनः प्रस्तावित किया गया है | •भोपाल स्टेशन के PF-6 पर नवनिर्मित भवन के द्वितीय तल पर उपलब्ध रिक्त स्थान पर टीटीई रेस्ट हाउस बनाने हेतु इंजीन्यरिंग शाखा से समन्वय किया जा रहा है ताकि किसी अन्य मद में इस कार्य को सम्मालित किया जा सके| •टीटीई रेस्ट हाउस सहित सभी वाणिज्य कार्यालयों में कूलर का प्रावधान मण्डल स्तर पर किया गया है | 2. टीटीई रेस्ट हाउस इटारसी में सब्सिडाईजड मील की सुविधा दिनांक 12.01. 2024 से प्रारंभ कर दी गई है एवं मंडल के शेष टीटीई रेस्ट हाउस में सब्सिडाईजड मील की प्रक्रिया की जा रही है। खाने की गुणवत्ता स्तर युक्त बनाए रखने के लिए मुख्य टिकिट निरीक्षक/जानीटर को उचित निर्देश जारी किये गए है |

3. वर्तमान में मंडल के सभी टीटीई रेस्ट हाउस में उत्तम क्वालिटी की लिनन उपलब्ध है एवं समय-समय पर पुराना लिनन कंडम करते हुए मांग अनुसार नये लिनन उपलब्ध कराया जाता हैतथा मण्डल भंडार शाखा में उचित एवं पर्याप्त मात्र में नया लिनन उपलब्ध है |लिनन की गुणवत्ता स्तर युक्त बनाए रखने के लिए मुख्य टिकिट निरीक्षक/जानीटर को उचित निर्देश जारी किये गए है|

टीटीई रेस्ट हाउस इटारसी एवं भोपाल में RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है तथा शेष टीटीई रेस्ट हाउस में RO वाटर के लिए कार्यवाही की जा रही है।

4. टिकट चेकिंग स्टाफ को दिए गए लक्ष्य का निर्धारण रेलवे बोर्ड/मुख्यालय द्वारा किया जाता है जिसके अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है। इस संबध में किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है और ना ही किसी भी कर्मचारी को चार्जशीट दी गई है। •टिकट चेकिंग स्टाफ को दिए गए लक्ष्य का निर्धारण रेलवे बोर्ड/ मुख्यलाय द्वारा किया जाता है जिसकेअनुपालन हेतु कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है|

5. मद के संबंध मेंआरपीएफ विभाग को दिनांक 10.06.2024 को पत्र लिखा गया है। मद के संबंध में किसी भी कर्मचारी को कोई चार्जशीट नहीं दी गई है।

6. एवं 7. वाणिज्य नियंत्रक के माध्यम से टिकट जाँच कर्मचारियों को उचित मदद की जा रही है एवं मद के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु आरपीएफ विभाग को दिनांक 10.06.2024 को पत्र लिखा गया गया है। मण्डल स्तर पर टिकिट जांच कर्मचारियों से कोई अनुचित व्यवहार से संबन्धित शिकायत प्राप्त होने पर शासकीय रेल्वे पुलिस और रेल सुरक्षा बल के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है |

8. यह एक नीतिगत मामला है |

9. इस संबंध में उचित कार्यवही हेतु प्रभारी वाणिज्य भंडार को निर्देशित किया गय है। सीटीआई/डिपो इनचार्ज के माध्यम से मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है।

10. यात्री द्वारा किसीभी कर्मचारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर जाँच प्रक्रिया क उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है साथ ही यात्रियों द्वारा की गई झूठी शिकायत पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है।

11. यह एक नीतिगत मामला है| मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। यात्रा भत्ता को 21 दिनों का फिक्स किए जाने के संबंध में यदि कोई नियम है, तो कृपया उपलब्ध कराएं।

कर्मचारियों के रोटेशनल ट्रांसफर हेतु आंतरिक पॉलिसी में निम्न प्रावधान हैं-

(I) कर्मचारियों का किसी भी अनुभाग में कार्यकाल न्यूनतम 02 वर्ष एवं अधिकतम 4 वर्ष रखा जाए । उपरोक्त से कम/अधिक कार्यकाल पर स्थानांतरण समुचित जस्टीफिकेशन के साथ किए जायें।

(II)स्थानांतरित करते समय कर्मचारी को यथासंभव संवेदनशील अनुभाग से गैर - संवेदनशील अनुभाग में एवं गैर-संवेदनशील अनुभाग से संवेदनशील अनुभाग में स्थानांतरित किया जाए। व्यवहारिक कारणों से यदि ऐसा संभव न हो तो उसे यथासंभव ऐसे अनुभाग में पदस्थ न किया जाए जिसमें वह वर्तमान अनुभाग के पहले कार्यरत था।

(III) चूँकि भंडार नियंत्रक कार्यालय में क्रय अनुभाग अधिक एवं गैर-क्रय अनुभाग कम हैं अतः एक कय अनुभाग से दूसरे कय अनुभाग में स्थानांतरण किया जा सकता है ऐसी स्थिति में पैरा (iv) के अनुसार कार्रवाई की जाए ।

(IV) कर्मचारी का स्थानांतरण करते समय यह प्रयास किए जाएँ कि उसे यथासंभव उन अनुभागों में पदस्थ किया जाए जिसमें उसने पहले कार्य नहीं किया है ताकि उसे सभी अनुभागों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो सके ।

(V) रोटेशनल स्थानांतरण मुख्यालय के किन्हीं तीन उप मुख्य सामग्री प्रबंधकों की एक समिति की अनुशंसा से किए जाएँ ।

क्रम संख्या 1 के कर्मचारी अपने अंतिम कार्यकाल 2019 से 2023 तक नॉन-पर्चेस सेक्शन में कार्यरत थे जिन्हें पर्चेस सेक्शन में लगाया गया है। क्रम सं. 3 के कर्मचारी को पर्चेस सेक्शन से नॉन पर्चेस सेक्शन में लगाया गया है। क्रम संख्या 5 के कर्मचारी को जी एंड सी क्रय अनुभाग से इलेक्ट्रिकल क्रय अनुभाग में लगाया गया है। इन्हें 2011-15 तक नॉन-पर्चेस सेक्शन में लगाया गया था। यथासंभव कर्मचारियों को ऐसे अनुभागों में पदस्थ किया जाता है जहाँ उन्होंने पहले कार्य न किया हो परंतु हर मामले में ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। साथ ही स्थानांतरण मुख्यालय के तीन उप मुख्य सामग्री प्रबंधकों की समिति की अनुशंसा पर किया जाता है, जो कार्यालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। उक्त पॉलिसी के क्रम सं. 5 में यह दर्ज़ है कि भंडार नियंत्रक कार्यालय में क्रय अनुभाग अधिक एवं गैर क्रय अनुभाग कम हैं। अतः एक क्रय अनुभाग से दूसरे क्रय अनुभाग में

	स्थानांतरण किया जा सकता है एवं उक्त स्थानांतरण में कुल 12 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया था जिसमें यथासंभव कर्मचारियों को ऐसे अनुभाग में पदस्थ किया गया है जहाँ उन्होंने पहले कार्य न किया हो परंतु प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए हर मामले में ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। उक्त स्थानांतरण में कोई स्टेशन का परिवर्तन नहीं है बल्कि मुख्यालय के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानांतरण किया गया है। साथ ही उक्त महिला कर्मचारी सीडीएमएस के पद पर कार्यरत हैं और अपने अंतिम कार्यकाल में नॉन-पर्चेस सेक्शन में कार्यरत थीं। अतः कर्मचारी का नॉन-पर्चेस सेक्शन से पर्चेस सेक्शन में स्थानांतरण न्यायसंगत है। उक्त कर्मचारी को पी-61 सेक्शन में पदस्थ किया गया है जिसमें अन्य सेक्शन से कम कार्य है। अतः उपर्युक्त आदेश में स्थानांतरण पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त निरंक प्रशासनिक टिप्पणी PCCM- यथावत **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीसीएमः–** टिप्पणी यथावत्
MS/ 47/2024 PCCM	भोपाल मंडल मे इटारसी की वाणिज्य विभाग की समस्याओ के संबंध में। दिनांक 12 एवं 13 जून 2025 के कार्यवृत्त में उपमद 1, 2 एवं 3 समाप्त। 4. CPS shed का पद भी खाली है। सभी पर्यवेक्षकों को काउन्टर पर काम करने हेतु दबाब डाला जाता है। 1. टिकट चेकिंग स्टॉफ को टीए देने के लिए 1 तारीख के बाद किया जाता है जिसकी तिथि 5 तारीख तक की जाये। 2. टीटीई स्टॉफ को रिटर्न देने के लिए 5 तारीख की तिथि निर्धारित की गई है जिसे बढ़ाकर 10 तारीख की जाये। 3. इटारसी चेकिंग स्टॉफ नहीं अपितु भोपाल मंडल के चेकिंग स्टॉफ पर टारगेट का दबाव बनाया जा रहा है जिस से चेकिंग स्टॉफ की मानसिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है इसे निर्धारित किया जाये। 4. ओपन डिटेल स्टॉफ चलती गाडियों में भारी भीड़ में रेलवे की राजस्व बढ़ाने के लिए टारगेट बनाने के लिए जो मति बनाई जाति है उसकी राशि जमा भी की जाती है लेकिन यात्रियों की धक्का मुक्की से एवं जल्दबाजी में राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आती है जिसके कारण भोपाल मंडल के टीसी को चार्जशीट प्रदान की जा रही है इस पर रोक लगाई जाये। 5 सेंट्रल केबिन पर जो अनाउन्समेंट में कार्य कर रहे हैं उनको एवं बुकिंग में जो कार्य कर रहे हैं उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है 30/40 दिनों में रेस्ट मिल रहा है उनको प्रॉपर रेस्ट प्रदान किया, जाये। 6. पार्सल कार्यालय इटारसी में बुजुर्ग महिलाओं से सील मैन में कार्य कराया जा रहा है उसे ऑफिस में कार्य कराया जाये अन्य कर्मचारियों को सील मैन में कार्य कराया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PCCM- 1.**नई पिन पोइंटिंग में इटारसी स्टेशन पर अनाउन्सर के कार्य के लिए ईसीआरसी/सीसीटीसी का प्रावधान किया गया है एवं इनकी पदस्थापना प्रक्रियाधीन है. **2.** अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इटारसी स्टेशन के प्लान में नये भवन में सीटीआई व एसएम (सी) ऑफिस का प्रावधान किया गया है**|** वर्तमान में डिप्टी एसएम (सी) कक्ष प्लेटफार्म क्र-**1** पर स्थित है जहाँ से कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।दिनांक **17.12.2024** को इटारसी स्टेशन पर **SM(C)** कीपदस्थापना कर दी गई है **|** इटारसी स्टेशन पर केटरिंग इंस्पेक्टरके पद का कोई प्रावधान नहीं है**|** **3.** इटारसी पार्सल कार्यालय में वर्तमान में कुल **16** पद स्वीकृत है एवं **15** कर्मचारी कार्यरत है तथा दिनांक **24.02.2025** को कर्मचारी के निधन उपरांत **01**पद हाल ही में रिक्त हुआ है जिसे भरनेकी कार्यवाही की जा रही है इस तारतम्य में यह भी उल्लेखनीय है कि इटारसी पार्सल कार्यालय में पार्सल हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिनांक **19.07.2024** से आवंटित किया जा चुका है **|**

	4. इटारसी स्टेशन पर सीपीएस (शेड) के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है**|** मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा अन्य पर्यवेक्षकों को अवश्यकता के अनुसार कार्य पर लगाया जाता है**|** **1.** मंडल कार्मिक शाखा द्वारा टीए जमा करने की तिथि का निर्धारण किया जाता है**|** **2.** टीटीई रिटर्न जमा करने के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वाणिज्य परिपत्र**54/ 2000** दिनांक **13.09.2000** के अनुसार प्रत्येक माह की **07** तारीख निर्धारित की गई है। **3.** टिकट चेकिंग स्टाफ को दिए गए लक्ष्य का निर्धारण रेलवे बोर्ड/मुख्यालय द्वारा किया जाता है जिसके अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है। इस संबध में किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है और ना ही किसी भी कर्मचारी को चार्जशीट दी गई है। 4. मण्डल वाणिज्य विभाग द्वारा गाड़ियों में टिकट जाँच के समय बनाई गई EFT पर हस्तलिपि पुर्णतः पढ़ने योग्य नहीं होने का सुनिश्चित करने के उपरांत ही आरोप पत्र दिए गए है। 5इटारसी स्टेशन पर उद्घोषणा कार्य के लिए नई पिन पोइंटिंग में सीसीटीसी कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है 6. पार्सल पोर्टर के सभी पद सरेंडर किये गये है एवं सभी कर्मचारी मंडल के अन्य विभागो में रिक्तियां के अनुसार Redeploy करनेकी कार्यवाही कि जा रही है |
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- यथावत
	<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u> **पीसीसीएमः**—उप मदसंख्या 1, 2, 3 समाप्त। 4.
MS/31/2025 PCCM KOTA/DIV.	टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा दवाईयों का वितरण बंद करवाने के संबंध में। उपरोक्त विष्यांर्तगत हाल ही में टिकट चेकिंग स्टाफ को आपातकाल मे यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेडीकल किट दी गई है परंतु टिकट चेकिंग स्टाफ के कर्मचारियों को दवाईयों की जानकारी न होने के कारण काफी खतरनाक एवं असुरक्षित स्थिति उत्पन्न हो रही है। दवाईया देते समय मरीज की वर्तमान स्थिति एवं मेडीकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है एवं उसके अनुरूप दवाईयों दी जाती है। गलत दवाई देने पर यदि कोई घटना घटित होती है तो ऐसे में टिकट चेकिंग स्टाफ को ही जिम्मेदार माना जायेगा, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। गाड़ियों में आपातकाल के लिए दवाई वितरण टिकट चेकिंग स्टाफ से बंद करवाया जाये वैसे इस हेतु ट्रेन मेनेजर के पास पहले ही First Aid Box उपलब्ध है। हाल ही में कोटा मण्डल में एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया है कि जब टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा यात्री को दवाई दी गई तब यात्री ने जोर से हल्ला मचाया कि आपको दवाई देने का कोई ज्ञान नहीं है तो आप दवाईयों केसे दे सकते है एवं दवाई लेने के बाद यात्री ने यह भी बोला की उनकी तबीयत ओर खराब हो गई थी,जिससे जनपरिवाद उत्पन्न हुआ एवं अन्य यात्रियों में भय भी उत्पन्न हुआ था। संघ का अनुरोध है कि टिकट चेकिंग स्टाफ से दवाई वितरण को बंद करवाया जाये अन्यथा सभी चेकिंग स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जावे एवं दवाईयों वितरण के लिए उपयुक्त स्टाफ पदस्थ करने का कष्ट करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- चूंकि यह सूविधा कोटा मंडल द्वारा प्रारंभ किया गया है अतः इनके द्वारा ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। संभवतः चिकित्सा विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीसीएमः**—समीक्षा की जारहीहै।
MS/47/2025 भोपालमंडल PCCM	भोपाल मंडल की वाणिज्य विभाग की समस्यायें । 1. भोपाल मंडल के सभी बुकिंग कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्र लगाने की कार्य योजनाएं, मंडल के अधिकतर टीटीई रेस्ट हाउस में वातानुकूलन की कार्य योजनाए, वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को कार्यालयीन कार्य के निष्पादन

	हेतु आवश्यक लैपटॉप / कंप्यूटर (प्रिंटर के साथ) के कार्य योजनाएं जैसी अत्यंत गंभीर आवश्यकताओं को मुख्यालय से वित्तीय अनुमोदन का इंतजार है, उक्त संबंधी कार्य योजनाएं विगत २ माह से मुख्यालय में लंबित है, संघ आग्रह करता है कि उक्त योजनाओं को अविलंब अमलीजामा पहनाने का श्रम करने का कृपा करे ताकि उत्तरोत्तर विकास की धारा में रेल के फ्रंटलाइन, वाणिज्य विभाग का समायोजन परिलक्षित हो सके । 2. भोपाल टीटीई जॉबी अंतर्गत लाइन पर कार्यरत टिकट चेकिंग स्टाफ को दिल्ली, जबलपुर कटनी पुराणवल, नागपुर सहित राम्पूर्ण भोपाल मंडल पर चलने वाली ट्रेनों में यात्री सुविका कार्य हेतु बयूटी करना पड़ती है अतः उत्पात्रा हेतु पुराने राष में पास कार्ड पांत उपलब्ध है जो की प्रतिवर्ष नवीनीकरण कर कन्धोग किए जा रहे है किंतु लगभग 50 से जमादा गए कर्मचारी रिन्होंने स्थानांतरण नदीन पदस्थापना पर जियो जॉइन किया है उनको प्रारा जावं पास नहीं है। संप आग्रह करता है अमेनिटी वियों के सभी कर्मचारियों को एक समान पर यात्रा अनुमति देतु साई पास जारी किए जाये। उपरोक्त बाचत् संघ पीएनएम में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- मंडलों द्वारा दिये गये कम्प्यूटरों/प्रिंटरों एवं अन्य उपकरणों का प्रस्ताव प्लान हेड-17 के अधीन सक्षम अधिकारी के अनमोदनार्थ हेतु प्रक्रियाधीन है। अग्रिम कार्यवाही अनुमोदन उपरान्त की जायेगी। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीसीएम**ः—1. टीटीईरेस्टहाउसमें एसीलगाने का प्रस्तावप्राप्तहोनेपरआवश्यककार्यवाही की जाएगी।
MS/50/2025 Dy CPO/HQभोपाल/ जबलपुरमंडल	कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश 264/2025 दिनांक 27/2/25 को निरस्त करने के संबंध में । भोपाल मंडल के कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश 264/2025 दिनांक 27/2/25 के अनुसार वाणिज्य विभाग की पिन पॉइंटिंग सूची जारी की गई थी। सूची में टिकट चेकिंग संकाय के जीपी 4800 लेवल 8 को वित्तीय उन्नयन माना जाना चाहिए था, जबकि अलग क्लासिफिकेशन मानते हुए लेवल 8 के पदो की पिन पॉइंटिंग कर दी गई है। यह RBE 155/2022 वर्णित प्रावधानों के विपरीत है , अतः संघ आग्रह करता है कि उक्त कार्यालय आदेश के निरस्त करने का प्रबंध करे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCCM- सामान्यतः कर्मचारियों की कैडर मे पदास्थपना Pinpoint के अनुसार की जाती है, उसके अनुसार ही यूनिर्फाम लागु होता है, किसी स्टेशन पर सभी कैंडर पर कार्य करायाजा रहा है तो Specific Case से अवगत कराये ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीसीएम**ः—कार्मिकविभाग से संबंधितहै ।मदसमाप्त।

MS/25/2016 DY.CPO/HQ PCEE	जबलपुर मंडल में मु.लो.नि. पदोन्नति प्रकिया में व्याप्त विसंगतियों के संबंध में। जबलपुर मंडल द्वारा मु.लो.नि. के रिक्त पदो को भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर लिखित परीक्षा करायी गई तथा परिणाम जारी कर पदोन्नति दी गई संघ द्वारा समय-समय पर उपरोक्त प्रकिया में विसंगतियों को प्रशासन के समक्ष रखा गया है किंतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया पुनः प्रशासन द्वारा संघ पीएनएम के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करना चाहता है। . रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार जिन कर्मचारियों के पास 75000 कि.मी. स्वतंत्र रुप से गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं उन्हें पदोन्नत किया गया । 2. मॉडल आन्सर गलत होने के कारण परिक्षार्थियों के द्वारा सही उत्तर लिखने पर भी गलत दिया गया। 3. वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया। 4. एक्सीडेंट एवं डिटेंशन में जवाबदार कर्मचारियों की सीआर को सुधार कर पदोन्नति का लाभ दिया गया । 5. कुछ कर्मचारियों को चेहरे देखकर सीआर Outstanding दिया गया जबकि उनसे अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों

	को good तथा very good तक सीमित रखा गया । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में महाप्रबंधक महोदय जी से विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY.CPO/HQ-1. इस पी एन एम मद के अंतर्गत मद (1) विषय में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार 75000 पायदान किलोमीटर के सम्बन्ध में जबलपुर मंडल के तीन JAG अधिकारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट जो इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.10.2018 के माध्यम से पमरे मुख्यालय को प्रेषित की गई थी , संलग्न हैं। 2. इस पी एन एम मद के अंतर्गत मद (2) , (3) , (4) एवं (5) के बिन्दुओं पर OA 200/590/2015 (द्वारका प्रसाद अग्रवाल व 3 अन्य Vs UOI व अन्य.) दिनांक 13.07.2015 को CAT JBP के समक्ष प्रस्तुत की गई थी , जिसका निपटान माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से करते हुए , OA 200/590/2015 को DISMISS कर दिया हैं। **PCEE-**न्यायालय के आदेशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः-फाइल प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उप मुकाधि/मुख्या.- संघ द्वारा उठाये गए विभिन्न बिन्दुओं एवं कोर्ट के आदेशानुसार प्रकरण पीसीईई महोदय को प्रस्तुत की जाएगी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईईः-यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। न्यायालय द्वारा प्रकरण को निरस्तु कर दिया गया है। **DY.CPO/HQ-**पी एन एम मद पर प्रस्तुत बिन्दु क्रमांक (1), (2) , (3) (द्वारका प्रसाद अग्रवाल व 3 अन्य Vs UOI व OA 200/590/2015 दिनांक 13.07.2015 CAT JBP के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस में भी उक्त बिंदु रखे गए थे ,जिसका निपटान माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2025 के तहत OA 200/590/2015 को DISMISS कर दिया गया हैं। पी एन एम मद पर प्रस्तुत शेष बिन्दुओं (4), (5) एवं उक्त तथ्यों के साथ प्रकरण PCEE महोदय को प्रस्तुत किया गया था । PCEE महोदय द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर लिया गया है। कार्यवृत्त दिनांक 12 एवं 13 जून 2025 उप मुकाधि/मुख्या.- प्रकरण को रिव्यू किया जाएगा।
MS/48/2022 DGM PCE PCEE	महाप्रबंधक कार्यालय की समस्याओ के संबंध में। महाप्रबंधक कार्यालय, पमरे, जबलपुर में विभिन्न विभागो के कार्यालय है। जिनमें लगभग 1500 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। पमरे के जोन के गठन को 19 वर्ष हो चुके है परन्तु अब तक कर्मचारियो को पर्याप्त सुविधाएँ नही मिल सकी है संघ निम्न समस्याओ को रेल प्रशासन के समक्ष त्वरित समाधान के लिए रख रहा है। संघ के निरंतर अनुरोध उपरांत मुख्यालय के एकाउंटस, विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में एयर कूलर लगा दिये गये है एवं चालू कर दिया गया है। इसके लिये संघ प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता है। परन्तु संघ को कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभाग में लगाये गये कूलर्स का इस वर्ष रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः संघ पुनः अनुरोध करता है कि मुख्यालय के अन्य विभागों में भीएयर कूलिंग की शीघ्र व्यवस्था कराये एवं लगाये गये एयर कूलिंग के बेहतर मेंटेनेस/रखरखाव हेतु समुचित उपाय किये जाएं। मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण एवं सुव्यवस्थित किये जाने बावत्। मुख्यालय में कर्मचारियों को दो पहिया वाहन पार्किंग करने हेतु जगह की कमी हो रही है क्योंकि वर्तमान में एनेक्स-- 2 भवन स्थित पार्किंग हटा दिये जाने के कारण एस एंड टी एवं ऑडिट विभाग के कर्मचारियों के वाहन भी महाप्रबंधक कार्यालय में पार्किंग हो रहे हैं। कर्मचारियों के वाहन धूप-बरसात से खराब हो रहे हैं। अतः संघ मुख्यालय महाप्रबंधक कार्यालय में दो पहिया वाहनों के पार्किंग के महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के विस्तारित एवं सुव्यवस्थित करने का अनुरोध है।

	ऊपर लगाई गई शेड सीट जगह जगह से टूट गई है जिससे बरसात के पानी का पूरे कॉरीडोर में फैलने से भारी परेशानी हो रही है। अतः कॉरिडोर के शेड की सीट को बदला जाए । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध "फर्नीचर (टेबिल चेयर) वर्षो पुराना होने की वजह से काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। DGM कार्यालय से जारी फर्नीचर मॉड्यूल ग्रेड पे (लेवल) वाइज फर्नीचर निर्धारित किया गया था परन्तु अब तक कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुरूप फर्नीचर रेल प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया है। कुछ विभागो में मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है जबकि ज्यादातर विभागो में उक्त सुविधा अपेक्षित है। अतः संघ मांग करता है कि महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागों में पुराना फर्नीचर बदल कर मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए । संघ इस संबंध में पीएनएम में विस्तृत चर्चा चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM -(1) इस संबंध में विघुत विभाग को पत्र भेजा गया है । अग्रिम कार्यवाही विघुत विभाग द्वारा की जानी है। (2) शीट ठीक करा दी गया है। अतः इस कार्यालय से मद को समाप्त किया जाये। इस कार्य का जवाब मद क्र. 107/2023 में दिया जा चुका है। पीसीई-1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है। विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ करने से पहले IOW का ऑफिस शिफ्ट किया जाना है जिसके लिये रिक्त कवार्टर में शिफ्ट करने हेतु आवेदन किया है। आवंटन होने के बाद कार्य किया जायेगा। 3.महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के ऊपर लगाई गई शेड सीट को बदल दिया गया है। मद समाप्त किया जाए। 4. महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ''फर्नीचर उपलब्ध करने का कार्य इंजीनियरिंग विभाग से सम्बंधित नहीं है GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाप्रबंधक कार्यालय, के विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में आवश्यकता के अनुसार वाटर कूलर लगा दिए गए है लेखा विभाग में अधिक कठनाई के बाद भी एयर कूलर खिडकी केबाहर से लगाये गये है तथा , एएमसी के तहत वाटर कूलर का रखरखाव सही तरीके से किया जा रहा एक है साथ ही आईआरपीएसएम पर पूरी महाप्रबंधक बिल्डिंग के एयरकंडीशनिंग का प्रस्ताव स्वीकृती हेतु प्रोसेस में है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE - महाप्रबंधक कार्यालय के सम्पूर्ण विभाग में Centralized ACलगाये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग से कुछ ऑब्ज रवेजन के बादSr.DEE/G/ जबलपुर के पास भेजा गया है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCEE -**एक–दोमाह के अंदरआवश्यककार्यवाहीपूर्णकर**Centralized ACलगाये जाने **की कार्यवाही की जाएगी।**
MS/ 24/2023 PCEE PCOM	रेल राजस्व का नुकसान कर JBP-KNW-JBP बीट बढ़ाना एक तरफा प्रशासनिक अनदेखी के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक महोदय जी द्वारा पत्र कमांक WCR/JBP/T-824/Crew-Guard दिनांक 15.09.2022 एवं दिनांक 04.10. 2022 के पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया कि JBP-KHW-JBP बीट में

कार्य जबलपुर क्रू करेंगे जिसमें सेन्ट्रल रेलवे के पत्र CPTM/CR/CO15 No. 1357 दिनांक 08.08.2022 का एवं CPTM/CR L.No. T151 C. Loco दिनांक 14.10.2022 का उल्लेख किया गया है।
प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय में जिन गाड़ियों का चयन किया गया है वह गाड़ी 12335, 15646 15648, 127642 पहले से लम्बी रनिंग 434 कि.मी एवं सतना से BSB/DDU 325/315 कि.मी. में कार्य संचाजल हो रहा है तब इस प्रकार उक्त गाड़ी को JBP से KNW बीट बढ़ाना न्याय संगत नही है जिससे रेल राजस्व को नुकसान है एवं बचत की जगह अतिरिक्त रनिंग क्रू से कार्य संचालन हो रहा है।
वाया छिवकी होकर जाने वाली 25 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का कार्य संचालन पमरे के मात्र एक स्थान सतना में रनिंग क्रू चेन्ज होकर ET-BSB/DDU-ET के बीच 759/749 कि.मी. लम्बी बीट में पमरे के रनिंग क्रू द्वारा पहले से कार्य संचालन हो रहा है।
इटारसी से वायों छिवकी होकर निम्नलिखित गाड़ी 12545/12546, 11081/11082, 22914/22913, 12519/12540, 15547/15548ए 82355/82356, 12361/12362 19051/19052, 22971/22972, 20929/20930, 22563/22564, 12741/12742, 11428/11427, 22351/22352, 22353/22354, 16229/16230, 17323/17324, 19045/19046, 22947/22948, 09065/09066, 17610/17609, 11045/11046, 12578/12577, 15231/15232 उपरोक्त 25 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी मात्र एक क्रू चेन्ज स्थान सतना में होकर ET/BSB/DDU/ET के बीच 759/749 कि.मी. तक कार्य संचालन एनसीआर प्रयागराज क्रू एवं पमरे सतना क्रू द्वारा उचित समंजस्य से संचालन चल रहा है।
मान्यवर बीट बढ़ाने से तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि एक लंबी बीट को कम करके एवं एक नया मेल क्रू चेंजिंग स्थान की स्थापना करके दूसरे सेक्शन की बीट बढ़ाना और न ही यह उददेश्य रहना चाहिए कि पश्चिम मध्य रेलवे खंडवा स्टेशन तक लगता है तो खंडवा स्टेशन तक लगता है तो खंडवा तक पश्चिम मध्य रेल के रनिंग के कार्य करेगे यह एक भारतीय रेल है यहाँ हर रेलवे में एक दूसरे दूसरे रेलवे के रनिंग क्रू चेंजिंग स्थान तक कार्य करते है। भारतीय रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर आपका उद्देश्य छोटी बीट को समाप्त कर पुरानी छोटी बीटो को बढ़ना चाहिए । तब कम क्रू में ज्यादा कि.मी. कार्य संचालन सुचारू रूप से होगा। इटारसी से वायाँ छिवकी होकर चल रही मात्र निम्नांकित 05 जोड़ी गाड़ी 13201/13202, 12321/12322, 22178/22177, 12149/12150, 12295/12296 उक्त 05 गाड़ी एवं एक गाड़ी वायों बीना 19489/19490 (6) जोडी मेल एक्सप्रेस गाड़ी छिवकी में रंनिंग क्रू चेन्ज होता है उक्त गाड़ी ET से JBP 245 कि.मी. एवं JBP से PCOL प्रयागराज छिवकी 359 कि.मी. रंनिंग क्रू दो बार चेन्ज होता है जोकि प्रशासनिक दृष्टि से न्याय संगत नही है।
अतः छिवकी में क्रू चेन्ज तत्काल बंद किया जावे ।
जब ET से BSB/DDU के बीच मात्र एक क्रू सतना में चेन्ज होकर 25 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी का कार्य संचालन चल रहा है। अतः उक्त 06 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी को ET से BSB/DDU-ET तक मात्र एक क्रू सतना में चेन्ज कराकर 759/749 कि.मी. तक कार्य संचालन कराया जाये।
इस प्रकार के कार्य संचालन से 100 प्रतिशत बिना छिवकी में क्रू चेन्ज मेल एक्सप्रेस गाड़ियो का कार्य संचालन हो जायेगा और लंबी दूरी की बीच में कार्य संचालन सुचारू रूप से होगा एवं रेलवे बोर्ड की दिशा निर्देश का जबलपुर मंडल से पूर्ण निर्देश होगा।
JBP-KNW- JBP बीट के लिए जो दूसरी गाड़ी 11061/11062 का चयन किया गया है रंनिंग रूम डिटेंशन के साथ रेल राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
अस्तु आपसे सतना के सभी रनिंग क्रू का विनम्र निवेदन है कि आपके द्वारा जो निर्णय JBP-KNW बीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उस निर्णय पर पुनः विचार कर निर्णय को स्थागित करने की कृपा करे साथ ही जो गाड़ियो का चयन किया गया है। उसमें वायों छिवकी की गाड़ी को ज्ञछ तक चलाने के निर्णय को बदला जाये क्योकि पहले से लंबी बीट में कार्य संचालन हो रहा है।
संघ पीएनएम के माध्यम से विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
PCOM- 1.उपरोक्त विषय में दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा 12.09.2022 को हुई मीटिंग में सहमति प्रदान करनें के उपरांत ही JBP-KNW- JBP बीट को लागू किया गया है।

	2.JBP-KNW- JBP बीट में पूर्वबत् बीट से अतिरिक्त क्रू नही लग रहा है एवं गाडी क्र.11061,11062 एवं 22177 की बीट JBP-KNW करने से एक क्रू की बचत हुई है। मुख्यालय में पमरे के तीनों मंडलों में क्रू लिंक की पुनः समीक्षा की जा रही है एवं क्रू लिंक को युक्तियुक्त बनाने हेतु तीनों मंडलों से समन्वय किया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः मद आपरेटिंग विभाग से सम्बंधित है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। उपरोक्तक बीट दोनों यूनियन के सहमति से 13.09.2022 को प्रारम्भक की गयी है। PCOM- 1.उपरोक्त विषय में दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा 12.09.2022 को हुई मीटिंग में सहमति प्रदान करनें के उपरांत ही JBP-KNW- JBP बीट को लागू किया गया है। 2.JBP-KNW-JBP बीट में पूर्ववत् बीट से अतिरिक्त क्रू नही लग रहा है एवं गाडी क्र.11061,11062 एवं 22177 की बीट JBP-KNW करने से एक क्रू की बचत हुई है। मुख्यालय में पमरे के तीनों मंडलों में क्रू लिंक की पुनः समीक्षा की जा रही है एवं क्रू लिंक को युक्तियुक्त बनाने हेतु तीनों मंडलों से समन्वय किया जा रहा है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीईई**ः—JBP-KNW- JBP बीट के क्रू वर्किंग की चर्चा हेतु सीएलआई/मुख्या. एवं संघ प्रतिनिधियों के साथ चर्चाकर समाधान निकाला जाएगा। PCOM- समीक्षा की जाएगी।
MS/47/2023 PCEE	भोपाल मंडल के गुना डिपों से संबंधित रनिंग स्टॉफ की समस्याएं। भोपाल मंडल के गुना डिपो से संबंधित रनिंग स्टॉफ की निम्न लिखित समस्याएँ व्याप्त है। 1) गुना से सागर, बीना और कोटा मंडल को सागर की गाड़ी लगाना बंद करे । 2) सागर से FIFO नियम से गुना और कोटा मंडल को गाड़ी लगवाई जाए । 3) JBTS और BRSM बीना स्टॉफ को लगाई जाए यदि वो उपलब्ध नही है तो गुना स्टॉफ जायेगा । 4) गुना में 4 शंटर की पोस्ट बढ़ाई जाए । 6) लीव ऑफ वाले की सुबह 6 बजे बाद गाड़ी लगाए, अभी 00.00 बजे लगाई जा रही है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-1.गुना से आउट स्टेषन स्टाफ को उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के तौर पर गाड़ी लगायी जाती है। और गुना में स्टाफ बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। गुना कू्र बीट गुना-उज्जैन 100 प्रतिषत और गुना -ग्वालियर 100 प्रतिषत 2. असहमत। 3.सागर से बीना क्रू को जेवीटीए और वीआरएमएस की गाड़ी पर बुक किया जाता है। यदि बीना स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो गुना स्टाफ को गाड़ी लगाई जाती है। 4.मद परिचालन विभाग से संबंधित है। 5. अभी CRIS के अनुसार बुकिंग की जाती है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः1. यथासम्भव प्रयास किया जाएगा। 2. गुना में शंटिंग लोको पायलट की संख्या को रिव्यू कर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- 1. गुना से आउट स्टेशन स्टाफ को उनके मुख्यालय के डायरेक्शन की गाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर बुक किया जाता है , अपरिहार्य स्थिति में क्रू का यूटिलाईजेशन बढ़ाने ,गाड़ियों के महत्व के अनुसार कोटा/बीना

	स्टाफ को सागर बुक किया जा सकता है । 2. सागर से आउटस्टेशन स्टाफ को उनके मुख्यालय के डायरेक्शन की गाड़ियों में प्राथमिकता से बुक किया जा रहा है । लोडेड लॉन्ग हौल गाड़ियों को कोटा स्टाफ द्वारा क्रेक बनाकर चलाया जाता है। गुना पॉइंट पर 1:125 अपग्रेडियेंट है तथा स्टाफ चेंज ना करना पड़े और गुना पोइण्ट पर क्रू चेंजिंग का विलंब बचाया जा सके। 3. वर्तमान में पमरे/एल/06/2359 का अनुपालन करते हुए फोरकास्टा के अनुसार सीसीसीओआर सागर उचित निर्णय लेते है ताकि गाडियों का विलम्ब्न न हो। 4. क्रू रिव्यू 2024 में अतिरिक्त शंटिंग लोको पायलट के पद मांगे गए हैं । 5. CMS से नियमानुसार बुकिंग सुनिश्चित की जा रही है । **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीईईः–सागर और गुना के क्रू की कमी के कारण यह समस्या आ रही है, जैसे ही क्रू उपलब्ध होंगे समस्या का निदान कर दिया जाएगा।
MS/ 50/2023 PCEE	जोनल रेलवे के टीटीई रेस्ट हाउस एवं सभी कार्यालयों में रेलवे बोर्ड के पत्र अनुसार एसी लगाने के संबंध में । रेलवे बोर्ड के पत्र अनुसार जोनल रेलवे के टीटीई रेस्ट हाउसो एवं सभी कार्यालयों में एसी लगाए जाने के निर्देश दिए गए है। परन्तु अब तक टीटीई रेस्ट हाउसो एवं कार्यालयों में एसी उपलब्ध नही कराए गए है जिससे टिकिट चैकिंग स्टॉफ में भारी असंतोष व्याप्त है। भीषण गर्मी में एसी के आभाव में टीटीई कर्मचारियों को पर्याप्त रेस्ट नही मिल पर रहा है।अतः अविलम्ब टीटीई रेस्ट हाउसों एवं कार्यालयों में एसी मुहैया कराएजाएं । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 22018/TG-V/1/53(Pt.III dated 10.12.2018 एवं 22012/Elect(G)/114/1 dated 15.05.2023 के निर्देषानुसार सभी वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर/सामान्य को मुख्यालय के पत्र संख्याWCR/02/1103/Policy dated 18.05.2023 द्वारा अवगत करा दिया गया है।Commercial Circular No. 71 of 2018 doesn’t have approval of electrical directorate of Rly Bd and hence not to be entrained. रेलवे बोर्ड से एसएंडटी विभाग की तरह जेपीओ निकलवाया जाये।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीईईः प्रकरण के सम्बंध में जो फाइल प्रक्रियाधीन है उसकी समीक्षा कर सोलर एनर्जी की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव टीटीई रेस्ट हाउस में एसी की व्यवस्था की जाएगी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- आरबी द्वारा इस विष्।य पर जारी आदेष इस कार्यालय में अप्राप्तर है हालांकि कोटा टीटीई रेस्टd हाउस में एसी लगा दिये गये है। शेष के लिए प्राक्क लन बनाये जाने की प्रक्रिया जारी है। फंड उपलब्धैता के अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। कटनी-जबलपुर और रीवा टीटीई रेस्टप हाउस में एसी हेतु एस्टीहमेट रू 31.33 लाख का बनाव कर्मिसियल विभाग को स्वीीकृति हेतु भेजा जा गया है उनके द्वारा कार्य स्वीीकृत करने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीईईः–टिप्पणी यथावत्।
MS/ 66/2023 PCEE	कोटा मण्डल के पावर विभाग में आर.ए.सी. स्टॉफ की भारी कमी के संबंध में । वरि मण्डल विद्युत इन्जीनियर (सामान्य) कोटा के अधीन सम्पूर्ण कोटा मण्डल के शामगढ़ से तुगलकाबाद तक के क्षेत्र में लगभग 750 ए.सी. लगे हुए है एवं उनकी सम्पूर्ण देखरेख का कार्य एकमात्र एस.एस.ई. (पावर) को दिया गया है जिसके पावर वर्तमान में किसी प्रकार की कोई मेन पावर नहीं है, ऐसे में इन सभी का समय पर अनुरक्षण एवं निरीक्षण कर पाना सम्भव नही है। हॉल ही में जारी आदेशों से संघ को ज्ञात हुआ है कि कोटा मण्डल के वाटस्कूलर एवं रेफ्रिजरेटरों की भी जिम्मेदारी भी इन्ही एस.एस.ई. पावर को दे दी गई है। इस संबंध में संघ अवगत कराना चाहता है कि कर्मचारी को परेशान करने की नियत से जानबूझकर एक ही कर्मचारी पर कार्य का इतना दबाव डाला जाना उचित नही है।

	संघ का अनुरोध है कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही कर एस.एस. ई. आर.ए.सी. के अधीन कर्मचारी पदस्थ करने या कार्य का सही वितरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करवाने का प्रबंध करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है प्रशासनिक टिप्पणी **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE वर्तमान में एसएसई/आरएसी/कोटा डिवीजन के एसी व वाटर कूलर के अनुरक्षण का कार्य आउट सोर्स एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत पीसीईईः सभी एसी की आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अनुरक्षण (सर्विसिंग) का कार्य कराया जाएगा। प्रशासनिक टिप्पणी वर्तमान में SSE/RAC/KOTA डिवीजन के एसी व वाटर कूलर के अनुरक्षण का कार्य आउट सोर्स एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीईइः**–कोटामंडलआउटसोर्सिंग का रिव्यूकियाजाएगातथाआवश्यकतानुसार एजेंसीकोनिर्देशितकियाजाएगा।
MS/76/2023 PCEE PCSTE DGM	महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागो में मोड्युलर फर्नीचर एवं सेन्ट्रलाइज्ड एसी उपलब्ध कराने बावत् । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागो में वर्षों पुराना फर्नीचर कर्मचारियों के कार्यालय में लगा हुआ है जो देखने में भद्दा प्रतीत होता है तथा अव्यवस्थ तरीके से बैठाया गया है। केवल इंजीनियर व भंडार विभाग में ही मॉडयूलर फर्नीचर, परिचालन, कार्मिक, इलेक्ट्रीक, मैकेनिकल, एण्एण्डटी सामान्य प्रशासन आदि विभागो में मॉडयूलर फर्नीचर नहीं लगाने से कर्मचारियों के कार्यालीन कार्य करने में असुविधा हो रही है इसी प्रकार एकाउन्ट, इलेक्ट्रीकल व मैकेनिकल विभागो को छोडत्रकर अन्य विभागो मे सेन्ट्रालाइज्ड एसी की सुविधा मुहैयार न होने से ग्रीष्म काल में कर्मचारियों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ता है । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । प्रशासनिक टिप्पणी "(1) सामान्य प्रशासन विभाग में मॉड्डुलर आफिस Setup किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। (2) महाप्रबंधक कार्यालय के सम्पूर्ण विभाग में Centralised AC लगाये जाने का प्रस्ताव पोर्टल पर महाप्रबंधक महोदय की स्वीकृति हेतु प्रोसेस में है। उपरोक्त दोनों कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जायेगें । अतः उपरोक्त मद को समाप्त किया जाए । - DGM" **PCSTE:** मोड्युलर फर्नीचर के रिवन्यु में फंड ना होने के कारण मुमकिन नही हो पा रहा है। हालाकि सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिये आवश्यक फर्नीचर कार्यालय में उपलब्ध है। मोड्युलर फर्नीचर का प्रावधान प्रकियाधीन है। केन्द्रीकृत वातानुकूलित के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.09.2023 समसंख्यक पत्र दिनांक 11.03.2024 समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2024 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-मॉडयूलर फर्नीचर हेतु प्रक्रिया जारी है। निधि उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत निरंक प्रशासनिक टिप्पणी **PCEE-** मॉडयूलर फर्नीचर हेतु प्रक्रिया जारी है। निधि उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। महाप्रबंधक कार्यालय के सम्पूर्ण विभाग में Centralized ACलगाये जाने का प्रस्ताव वित्तब विभाग से कुछ ऑब्जमरवेजन के बादSr.DEE/G/ जबलपुर के पास भेजा गया है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>**

	पीसीईईः—कार्यवाहीजारीहै। पीसीएसटीईः—मोड्युलर फर्नीचर के रिवन्यु में फंड ना होने के कारण मुमकिन नही हो पा रहा है।
MS/85/2023 PCEE	गुना सब डिबीजन क्षेत्र में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याएँ । SSE विद्युत गुना का कार्यक्षेत्र मक्सी से ग्वालियर एवम मुंगावली से गुना तक है जिसके अंतर्गत 540 किलोमीटर क्षेत्र 41 रेलवे स्टेशन 50 परसेंटेज इंस्टॉलेशन, रनिंग रूम, लिफ्ट, स्पार्ट, 2 जंक्शन, 5 जिला मुख्यालय स्टेशन है गुना के अतिरिक्त शिवपुरी शाजापुर ब्यावरा अशोकनगर डिपो के ठेकेदारी कार्य, समस्त स्टेशन के असेट्स, संयुक्त निरीक्षण, अधिकारी निरीक्षण मदो पर कार्य, समय-समय पर ड्राइव, स्टोर, आउटसाइडर विद्युत कनेक्शन, आदि कार्यों के लिए वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण गुना को ही जिम्मेदारी दी हुई है जिससे अत्यधिक दबाव की स्थिति में कार्य करना होता है अतः संघ की मांग है कि गुना डिपो के विद्युत सेक्शन एव कार्य को अन्य SSE डिपो के सामान वितरण करवाने का प्रबंध करें। कार्यभार के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं एवम रिक्त पदों अविलंब भरा जाए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । प्रशासनिक टिप्पणी **PCEE-** जेई के 1 रिक्त पद को पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से पत्राचार किया गया है। स्टाफ मिलने पर पोस्टिंग की जायेगी। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत पीसीईईः रिक्तियों को भरने एवं पदों के सृजन के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासनिक टिप्पणी PCEE- जेई के 1 रिक्त पद को पदस्थापना हेतु मंडल को इस कार्यालय के पत्र दिनांक20.03.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीईईः—टिप्पणी यथावत्।
MS/ 02/2024 PCEE	**HOER** के अनुसार बुकिंग हेतु शंटर / एएलपी / मेडीकली डिकैटेगराइज रनिंग स्टॉफ को पदस्थ करने बावत् । भोपाल मंडल की लॉबीयो में कू-बुकिंग हेतु एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत है। जिन्हे HOER एवं मेल / एक्स. की बुकिंग हेतुट्रेन रनिंग की कोई जानकारी नही रहती ळे। जिससे कई दफा गाड़ियो का विलंम्बन हो चुका ळे । रेलवे का एक हीसुपरवाइजर (ALF) रहता के जिसे आउट डोर के कई कार्य जैसे लाइन बाक्स , भिजवाना सभी जगह जीपो का संचालनकरवाना, इटारसी भोपाल बीना मे जीप से मेल/एक्सप्रेस एवं गुड्स का स्टॉफ भेजना प्ठता के। लोको का अटैचिंगडिटेचिंग वीआईपी / आफिसर प्रोटोकाल ठतयादि ऐसे समय बॉबी में वास परीक्षण चैक करने हेतु कोई भी रेलकर्मचारी लोको साइड से टेक्नीकल उपस्थित नही रहता एवं आकस्मिकता मे काल बुक सर्व करने हेतु कोई काल बाय भी नही रहता के अतः संघ की मांग के कि लॉबीयो में बुकिंग हेतु इंटर / एएलपी/मेडीकली डिकैटेगराइज रनिंगस्टॉफ बुकिंग हेतु प्रत्येक पाली में रखा जावे ताकि HOER के अनुसार बुकिंग हो सके तथा संरक्षा सीीपित रह सके । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PCEE**- आवश्यकतानुसार लॉवियों में इंडोर तथा आउट डोर लॉवी सुपरवाईजर पदस्थ किये गये है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत निरंक प्रशासनिक टिप्पणी PCEE- आवश्यकतानुसार लॉवियों में इंडोर तथा आउट डोर लॉवी सुपरवाईजर पदस्थ किये गये है। यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।

	कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 संघ का सुझाव हैकिचिकित्साविकोटिकृतरनिंगकर्मचारियोंको यथासम्भवसीसीओआर / क्रूकंट्रोलर पद परसमायोजितकियाजाए। पीसीईईः—उपरोक्त की समीक्षा की जाएगी।
MS/ 04/2024 PCE PCSTE PCEE Dy.CPO/HQ	यार्ड स्टिक के अनुरूप पद सृजन के संबंध में । बरखेड़ा बुंदनी खंड में तृतीय लाइन होने पर सिगनल टीआरडी एवं पीवे का कार्य लगभग डेढ़ बुना बढ़ गया है। अतः नये कार्य हेतु नये मैनपॉवर की व्यवस्था यार्ड स्टिक के अनुसार की जावे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- अ) बीना से इटारसी एवं रुठीयाई गुना थर्ड लाईन के लिये 734 नये पदों के सृजन हेतु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को दिनांक 09.04.2019 को पमरे. प्रबंधक कार्मिक द्वारा पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने पर नये पदों को भरा जायेगा। (ब) भोपाल में बढ़े हुये ITKM गणना की गयी है एवं नए मेन पावर की व्यवस्था की जायेगी। **DyCPO/HQ**-Remark- 1. भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 3. भोपाल मण्डल से इंजीनियरिंग विभाग में पदों के सृजन हेतु कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। **PCSTE:-**रेलवे बोर्ड के पत्र क्र.E(MPP)2019/1/16 dt 28/12/2022 RBE No. 170/2022 (Revision of Norms/ Yardstick for Non-Gazetted Group-C Signalling staff) के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुसार सिगनलिंग के लिये 420 नये पद एवं टेलीकॉम के लिए 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि. मं. वित्त प्रबंधक /भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल द्वारा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है, सिगनलिंग असेट्स के लिये 804 अतिरिक्त नये पदों का सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल के माध्यम से कार्मिक विभाग /मुख्यालय जबलपुर को भेजा गया है, प्रस्ताव PCPO कार्यालय मे प्रक्रियाधीन है। इन पदों का रेलवे बोर्ड द्वारा सृजित किये जाने पर तृतीय लाइन के लिये अतिरिक्त पद दिया जाना संभव होगा। **PCEE-**रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.2019 के पत्र द्वारा टीआरडी विभाग की यार्ड स्टिक को रिवाइज्ड कर 0.22 प्रति टीकेएम कर दिया गया, इस प्रकार नई यार्ड स्टिक के अनुसार नए पदो के सृजन की आवष्यकता नहीं रह गयी तथा उपलब्ध स्टाफ से ही कार्य करवाया जा रहा है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत DyCPO/HQ- 1- भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14-01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। प्रशासनिक टिप्पणी PCEE -रेलवे बोर्ड को नये यार्ड स्टिक के अनुसार अतिरिक्त पदों के लिए WCR/PHQ/1260/cadre/ProCR/Electrical dated 27.01.2025को पत्र लिखे गये है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** उप मुकाधि / मुख्या. :—DyCPO/HQ- 1- भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 2121, एवं Electrical 1534, पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14-01.2025, 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है।

MS/ 09/2024 PCEE	भोपाल मंडल में मुख्य लोको निरीक्षख की समस्यएं। (अ) सीएलआई हरासमेंट और ड्यूटी स्टेट्स के विरूद्ध आर्डर की अनुपालना की मनाही के संबंध में GR 2.04 सूचना । भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन के अग्रदूतों परफेक्ट लोको पायलट बनाने व संख्क्षा में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ रनिंग स्टॉफ की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को मॉनिटरिंग / काउंसलिंग करके मुख्य लोको निरीक्षक संवर्ग हमेशा अहम भूमिका के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्बाध निर्वाहन करता है। मुख्य लोको निरीक्षकों द्वारा नामित / गैरनामित लोको पायलटों के साथ संयुक्त निरीक्षण फ्यूल ट्रिप राशन ट्रायल, RDSO ट्रायल, CRS स्पीड ट्रायल लगातार सेफ्टी ड्राइव पंचुएलिटी ड्राइव, स्पीड ट्रायल, वीवीआईपी, वीआईपी मूवमेंट इत्यादि के लिए लोकोमोटिव कैब में निरन्तर दिन/रात फुल बीट फुटप्लेट निरीक्षण व दैनिक कार्य संचालन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।वर्तमान में फुल बीट के नाम पर मुख्य लोको निरीक्षक संवर्ग सीएलआई हरासमेंट रोकने के संबंध में निम्न बिंदु प्रस्तुत हैः-फुल बीट मॉनिटरिंग के असंगत आदेश फुल बीट मॉनिटरिंग रद्द करने हेतु अत्यंत विनम्रता के साथ लगातार निवेदन प्रस्तुत किया है और आज भी कर रहे है कि फुल बीट मॉनिटरिंग GR 2.06(b) के संदर्भ में असंगत और विधि संगत आदेश नही होने से पूर्णतः पालनीय नही है। 08 से 14 घंटो तक खड़े खड़े जूनियर और मोस्ट जूनियर के बैठे रहकर काम को मॉनिटर करने से जो मानसिक शारीरिक पीड़ा होती है वह शब्दो में बयान नहीं की जा सकती और मोस्ट जूनियर्स के चेहरे की वह गर्वित भावभंगिमा हृदय को अंदर तक बेध जाती है जब वह रास्ते में कहते हैं "सर आप लोगो के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है कि बैठने की व्यवस्था के बगैर भी 14 या उससे अधिक घंटो तक जाना पड़ रहा है, फिर जैसे एहसान करते हुए कहते है सर अभी तो गाडी खड़ी है थोडी देर सीट पर बैठ लीजिए जब गाड़ी चलेगी तो फिर खड़े हो जाना।" ऐसा लगता है कि सीएलआई ने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए होंगे कि सीनियर के असंगत आदेश और जूनियर के आत्माहत शब्दों के बीच बच्चों को पालने के लिए अपमान के घूट पीकर नौकरी करनी पड़ रही है। रेल प्रशासन कहता है कि सीएलआई सुपरवाइजर है तो जूनियर के सामने उपहास की स्थिति में भेजने की बाध्यता क्यों ? मुख्य लोको निरीक्षकों द्वारा नामित / गैरनामित लोको पायलटो के साथ ट्रेनिंग, हँडिलिंग, प्रथम सैक्शनल ट्रिप, प्रथम ट्रैक्शन ट्रिप, प्रथम मालगाड़ी / सवारी गाड़ी / मेल एक्सप्रेस / राजधानी / शताब्दी/बंदे भारत/अमृत भारत/EMU/DEMU ट्रिप, संयुक्त निरीक्षण, पयूल ट्रिप राशन ट्रायल आरडीएसओ ट्रायल, CRS स्पीड ट्रायल, लगातार सेफ्टी ड्राइव, पंचुएलिटी ड्राईव, स्पीड ट्रायल, वीवीआईपी, वीआईपी मूवमेंट इत्यादि में फुल बीट फुटप्लेट लगातार की जा रही है। इसलिए रेगुलर फुटप्लेट, औचक निरीक्षण व मॉनिटरिंग 50 किमी ही सफिशियंट है अन्यथा एलपी, एएलपी के उपर अत्यधिक मानसिक दबाव देखा गया है। फुल बीट के चक्कर में सीएलआई ना तो विश्राम कर रहे है. और ना ही अपने घर पर कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां वहन कर पा रहे है। यदि ऐसा नही किया जाता है और किसी सीएलआई के द्वारा तनाव और दबाव में कोई अप्रिय कदम उठा लिया गया तो उसके लिए रेलवे बोर्ड और जोन के साथ-साथ डिवीजन अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध अनुशागिक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी । सीएलआई का ड्यूटी स्टेटस प्रतिदिन 6 घंटे का है, इमरजेंसी में TLC/PCOR मैसेज पर ड्यूटी स्टेट्स के अंदर अन्य कार्य कराए जा सकते है। ऐसी स्थिति में एक्सक्लूडेड केटेगरी के लिए फुल बीट का असंगत और विधि विरुद्ध आदेश लागू नहीं करना चाहिए। लोको पायलट मॉनिटरिंग के लिए 2-3 घंटे /गाडी स्टेबल / गाड़ी डेस्टिनेशन / स्टॉफ रिलीव ही इंस्पेक्टर के लिए औचक निरीक्षण हेतु अधिकतम है।बिना स्टेट्स आधारित फुल बीट एक औचित्यहीन, प्रताड़ना और सीएलआई के ड्यूटी के नाम पर रेल राजस्व और कर्मचारी के दुरूपयोग का मामला है। यह जिस स्तर से भी जारी किया गया है उसी स्तर से तुरंत निरस्त किया जाना रेल हित और देश हित में है। अतः अनुरोध है कि नियम विरूद्ध / विधि विरूद्ध और ड्यूटी स्टेटस के विरूद्ध दिए गए फुल बीट आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें । (ब) वर्तमान में भोपाल मंडल में मुख्य लोको निरीक्षक बहुत दबाव में कार्य कर रहे हैं, मुख्यालय द्वारा लगातार उनसे बीट पूरी करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एक एक CLI के पास 26-27 लोको पायलट आवंटित है पुरे मंडल में सामान लोको पायलट आवंटित किये जाये अभी अन्य डिपो के पास कम तथा कई डिपो में ज्यादा LP है आवंटन के समय मेल / पैसे / गुड्स लोको पायलट सभी डिपो को सामन हो इस बात का ध्यान रखा जाये क्योंकि LP के साथ बीट का तथा अन्य कार्य जैसे SPM केटेगेरी ग्रेडिंग SPAD या अन्य जिम्मेदारी जुड़ी है साथ ही CLI को 24 घंटे

कार्य करने के बाद भी सभी लोको पायलट के साथ सभी दिशाओं की बीट पूरी करना लगभग असंभव है।
इसके साथ ही CRIS में कई तरह के मोडिफिकेशन किये जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य लोको निरीक्षक के प्रति प्रशासन का रवैया अत्यंत दुर्भावनापूर्ण है, इसी के साथ उनके लोको पायलट के द्वारा किए गए किसी भी दुर्घटना के लिए CLI को भी दोषी ठहराया जा रहा है। CLI के पायदान निरीक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर लोको पायलट सीट जैसी ही CLI सीट की व्यस्था LP/ALP के सीट के बीच में WCR के सभी शेड को लगाने हेतु आदेश पारित किये जाये तथा अन्य शेड हेतु रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा जाये । CLI मूवमेंट में आ रही परेशानी अपडेट के बाद से CMS द्वारा लोकेशन को जंक्शन स्टेशन का नाम की जगह छोटी छोटी साइडिंग की लोकेशन को हटा कर पूर्व की भाँति लोकेशन किया जाये साथ ही बीट के लिये जो भी साइडिंग के नाम CMS द्वारा अपडेट के बाद लिया गया है उन्हें पर्सिअल बीट को फुल बीट का करेक्शन करवाया जाये। बड़े स्टेशन को सभी प्लेटफार्म एवं लॉबी की लोकेशन फुल बीट हेतु एक की जाये। सभी विभाग के सुपरवाइजर की तरह यूनिफार्म भत्ता दिया जाये संघ मांग करता है कि CLI को भी प्रॉपर रेस्ट दिया जाए और उनके ड्यूटी के घंटे निर्धारित किया जाये, दवाब कम किया जाये। सेल एलाउंस भी बढ़ाया जाए क्योंकि CLI के पास BAT मशीन एवं टार्च भी है अतः 5 सेल का भुगतान किया जाये ।
उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE- वर्तमान टिप्पणी- यथावत।
पूर्व की टिप्पणी(अ) किसी भी पर्यवेक्षक/कर्मचारी के हरासमेंट का दैनिक कार्यसंचालन में कोई स्थान नहीं है। संरक्षित रेल संचालन में सभी कर्मचारियों का योगदान अपेक्षित है। फुल बीट मॉनिटरिंग के आदेष रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित किये गये है। अतः इस संबंध उचित स्तर पर संवाद किया जाना चाहिए।
लोको कैब में पर्यवेक्षण/निरीक्षण इत्यादि कार्या े के लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जा रही है।
पैरा में दर्षाये गये सभी कार्यो में नामित सीएलआई द्वारा की गयी फुल बीट मॉनिटिरिंग की गणना की जाती है।
संरक्षा की दृष्टि से तनावरहित रहकर ही उचित एवं प्रभावी काउंसलिंग की जा सकती है।
मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।मद पर बोर्ड स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए।
(ब) यार्ड स्टीक के अनुसार सीएलआई के पद सृजित किये गये है। वर्तमान में क्रू रिव्यू कैलेन्डर इयर 2024 में आवष्यकतानुसार पदों का सृजन करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। उपयुक्त सीट की व्यवस्था की जा रही है।
लोकेषन संबंधित समस्याओं को CRIS को सूचित किया गया है।यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE- (अ) किसी भी पर्यवेक्षक/कर्मचारी के हरासमेंट का दैनिक कार्यसंचालन में कोई स्थान नहीं है। संरक्षित रेल संचालन में सभी कर्मचारियों का योगदान अपेक्षित है।
फुल बीट मॉनिटरिंग के आदेष रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2022/Elect(TRS)/113/1(safety Misc) dated 28.03.2023 and Rly Bd,s letter No. 2023/Safety/Electrical/3 dated 22.05.2023द्वारा प्रसारित किये गये है। अतः इस संबंध उचित स्तर पर संवाद किया जाना चाहिए।
लोको कैब में पर्यवेक्षण/निरीक्षण इत्यादि कार्या े के लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जा रही है।

CLI SEATS

Sl.no	Shed	Suitable Locos	Provided	Balance	Remarks
1	ETE	286	2	284	ETE -600 ,Sactioned in Bulk RSP 2025-26, PDC-March -26
2	TKDE	292	5	287	TKDE -600 ,Sactioned in Bulk RSP 2025-26, PDC-March -26
3	NKJE	224	0	224	NKJE -504-Sactioned in Bulk RSP 2025-26,
4	NKJD	50	2	48	NKJD -100 Sactioned in Bulk RSP 2025-26,PDC-March -26
	WCR	852	9	843	Total =1804 Nos. sanctioned in BRSP 25-26 (Procurement Agency CLW)

पैरा में दर्षाये गये सभी कार्यो में नामित सीएलआई द्वारा की गयी फुल बीट मॉनिटिरिंग की गणना की जाती है।
संरक्षा की दृष्टि से तनावरहित रहकर ही उचित एवं प्रभावी काउंसलिंग की जा सकती है।
फुल बीट मॉनिटरिंग के आदेष रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2022/Elect(TRS)/113/1(safety Misc) dated 28.03.2023 and Rly Bd,s

	letter No. 2023/Safety/Electrical/3 dated 22.05.2023द्वारा प्रसारित किये गये है। अतः इस संबंध उचित स्तर पर संवाद किया जाना चाहिए। (ब) यार्ड स्टीक के अनुसार सीएलआई के पद सृजित किये गये है। वर्तमान में क्रू रिव्यू कैलेन्डर इयर 2024 में आवष्यकतानुसार पदों का सृजन करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। उपयुक्त सीट की व्यवस्था की जा रही है। लोकेषन संबंधित समस्याओं को CRIS को WCR/L/06/2359 dated 30.01.2024 सूचित किया गया है। यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीईईः—अनावश्यक रूप से चार्जशीट न दिए जाने के सम्बंध में निर्देशित कर दिया जाएगा।
MS/ 10/2024 PCEE PCME Dy.CPO/HQ	भोपाल मंडल की लोको एवं सीएण्डडब्ल्यू शेडो की समस्याएः 1. विद्युत लोको शेड इटारसी के ट्रेक्शन मोटर अनुभाग में माईनर शेड्यूल (IA.IB. एवं IC) की कार्यप्रणाली एक समान है। प्रत्येक शेड्यूल में प्रत्येक मोटर में ग्रीसिंग (sample/topup/sample) की जाती है। सेंसर प्रोब खोले जाते हैं। इंडेक्टेन वेल्यू चेक की जाती है। जो NI सहित अन्य शेडो में नहीं होता। सभी शेडो में स्थानीय स्तर पर चेक शीट बनाई गई है। बैटरी ओवरहालिंग की चेक शीट पूरे जोन में उपलब्ध नहीं है। लोको के अन्य पुर्जी के मरम्मत की भी यही स्थिति है। 2. भारतीय रेल के सभी लोको के माईनर शेड्यूल ड्यू होने पर किसी भी नजदीकी शेड में करवाए जा रहे है। भिन्न भिन्न शेडो की मिन्न मिन्न कार्यप्रणाली / मटेरियल शार्टेज कार्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाती है। अतः संघ माँग करता है कि सम्पूर्ण भारतीय रेल के शेडो में एक समान कार्य करवाने के लिए लोकल के स्थान पर यूनिवर्सल चेक शीटे उपलब्ध करवाई जाए। कार्य का समय भी निर्धारित किया जाए। तब तक के लिए भारतीय रेल के सभी लोको के माईनर शेड्यूल ड्यू होने पर किसी भी नजदीकी शेड में करवाए जाने के निर्णय को स्थगित किया जाए। 3. भोपाल मंडल में c&wविभाग में लगभग 64 पद डीजल शेड से c&wविभाग में मर्ज किये गये एवं पदों को बढ़ाया नहीं गया जिससे c&wमें 10-12 वर्षों से ग्रुप D में कार्यरत स्टाफ टेक्नीशियन 3 में पदोन्नति से वंचित हैं हाल ही में सीधी भर्ती से टेक्नीशियन 3 के पद भरे जाने के आदेश भी दिए गए हैं संघ की मांग है कि सीधी भर्ती के स्थान पर लगभग 100 पदों पर विभागीय पदोन्नति की जायें। 4. डीजल लोको शेड, इटारसी में डीजल एवं एसी लोको दोनों का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हैं , लोको पर वेल्डिंग कार्य हमेशा निकलता है तथा महत्वपूर्ण जगहों पर एक्सपर्ट वेल्डरों की आवश्यकता होती है , किन्तु डीजल लोको शेड इटारसी में RRB से वेल्डरों की भर्ती काफी लम्बे समय से नहीं हुई हैं। संघ मांग करता है कि RRB से वेल्डरों की भर्ती की जाये।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DY.CPO/HQ-मद क्रमांक-3 व 4 - A.भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 08 कुल 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B. मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक-4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है, और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दे दी गई है।मद क्रमांक 03 मद क्रमांक 91/23 में भी है **PCEE-** 1.लोको की चेकसीट प्रपल्शन मेक के अनुसार बनती है। 2.यह निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिया है।

	3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 4.यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1- जो भी कार्य कराये जा रहे है वो आरडीएसओ एवं बोर्ड के द्वारा जारी गाईडलाईन के निर्देशानुसार किया जा रहे है। 2- बोर्ड के प. सं. 2021/Elect.(TRS)/138/5 दिनांक 19.06.2024 की पॉलिसी के अनुसार किया जा रहा है। 3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 4.यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
	कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 उप मुकाधि/मुख्या. :मद क्रमांक-3 व 4 - A.भोपाल मंडल पर C&W मैकेनिकल में तक्नी. ।।। में 2021 के पश्चात 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत 23.01.2022 को 75 एवं LDCE कोटे के तहत 08 कुल 83 कर्मचारियों के पदोन्नति प्रदान की गई है। B. मैकेनिकल विभाग में 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत 25 रिक्तियों के लिए तक्नी.।।। फिटर ट्रेड-टेस्ट हेतु पात्रता सूची दिनांक 01.02.2024 को जारी की गई है। नामित अधिकारीयों द्वारा पात्र कर्मचारियों का दिनांक- 4/5.03.2024 को ट्रेड-टेस्ट ले लिया है , और ट्रेड-टेस्ट का परिणाम पत्र दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 12.06.2024 के तहत पदोन्नति भी प्रदान कर दे दी गई है।मद क्रमांक 03 मद क्रमांक 91/23 में भी है (3 एवं 4) –जूनमाह के अंत तकट्रेडटेस्ट की कार्यवाहीपूर्णकरलीजाएगी। मद समाप्त।
MS/13/2024 PCEE	रनिंग सटॉफ की समस्याएँ । (अ) छिवकी रनिंग रुम लिंक जंक्शन व छिवकी स्टेशन के बीच लाईन किनारे बना है तथा बुकिंग लाबी छिवकी स्टेशन पर है जोकि लगभग रनिंग रुम से 1 से 1.5 किमी दूर है तथा जाने आने का साधन चालू लाईन से होकर पैदल जाना होता है जोकि 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद या ड्यूटी शुरु होने से पहले अंत्यत कष्टप्रद है बारिश के मौसम में पानी भरजाने के कारण कपड़े उतार कर जूते बैग में रखकर रंनिग स्टाफ जाता है। अतः संघ की मांग है कि रनिंग रुम से स्टेशन जाने आने हेतु वाहन लगाया जाये या छिवकी स्टेशन पर ही रनिंग रुम बनाया जाये। (ब) जोन के सभी मंडलों में रनिंग स्टाफ को साइन ऑफ करते समय CMS पर लोको पायलट को परफॉर्मेंस के बारे में ग्रेडिंग नंबर और रिमार्क देना पड़ रहा है। उसके बगैर साइन ऑफ नहीं हो रहा है। साइन ऑफ करते समय सीएमएस पर अपने लोको पायलट के वर्किंग परफॉर्मेंस के बारे में इस तरह का ग्रेडिंग नंबर एवं रिमार्क देना उचित नहीं है। संघ इसका विरोध करते हैं। और यह मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उसको सीएमएस से हटाया जाए। क्योंकि -इस तरह के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग और रिमार्क से गाड़ी कार्य संचालन में जो सामंजस्या नही रहेगे और कटूता निर्माण होगी जिसके कारण गाड़ी की संरक्षा संचालन प्रभावित होगी ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- (अ) व्हीकल की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। (ब) यह रेलवे बोर्ड का निर्णय है।
	पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- (अ) व्हीनकल की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी थी जिसका ठेका अवधि समाप्त हो चुकी है। नया टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। (ब) यह रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2023/Elect(TRS)/440/14(ALP Grading) dated 17.11.2023 का निर्णय है।

MS/ 15/2024 PCEE PCOM	जबलपुर मंडल में रोड़ साइड स्टेशनो पर नये रनिंग रुम खोलने के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत जबलपुर मंडल में रनिंग कर्मचारियों को रेस्ट करने हेतु रोड़ साइड स्टेशनों पर पुराने भवनो में नये रनिंग रुम खोले जा रहे है जिसमें कटनी सिंगरौली खंड में निवास रोड़ मझौली, बरगवां, मेहदेइया इस प्रकार से नई कटनी जंक्शन से सिंगरौली के बीच 7 रनिंग रुम है जोकि 250 किमी. के सेक्शन में औसत 36 किमी पर एक रंनिग रुम है। जबकि पूर्व में केवल एक ही रनिंग रुम (सिंगरौली) था। कटनी-बीना सेक्शन में दमोह स्टेशन पर रनिंग रुम बनाया जा रहा है तथा जबलपुर-इटारसी खंड में एनटीपीवी व गाडरवारा स्टेशन पर रनिंग रुम बनाया गया है। जबकि रेलवे बोर्ड के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि रनिंग रूम में लगभग 5 स्टार रेटिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये जो कि मंडल के किसी भी पुराने रनिंग रुम में पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा नये रनिंग रुम के नाम पर केवल पुराने भवन में बेड लगाये गये है जहां पर खाने की भी उचित सुविधा नहीं है न ही रनिंग कर्मचारियों को पूर्ण विश्राम मिल पायेगा जोकि रेल की संरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंडल में रनिंग कर्मचारियों की लगभग 800 से ज्यादा रिक्तियां है इन रिक्तियों के साथ रनिंग कर्मचारी ओव्हर आवर्स ड्यूटी करके व साप्ताहिक एवं अन्य रेस्ट के साथ-साथ जरुरी कार्य आने पर छुट्टी न मिलने के साथ समझोता कर सफलता पूर्वक गाड़ियों का संचालन कर रहा है। किंतु नये रनिंग खुलने से वर्किंग वीट पहले से कम होगी व रनिंग कर्मचारियों की उपलब्धता कम होगी जबकि रेलवे बोर्ड व मुख्यालय के स्पष्ट आदेश है कि रनिंग कर्मचारियों से अधिकतम कार्य लेने के लिये वर्किंग वीट को बढ़ाया जाये। किंतु मंडल द्वारा इसके उलट रनिंग कर्मचारियों की वर्किंग वीट को कम किया जा रहा है जिससे रनिंग कर्मचारियों की अनुपलब्धता बढ़ेगी परिणाम स्वरुप मंडल की परफारमेंस गिरेगी। जिसके लिये और अधिक रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी जोकि पूरा करना प्रशासन के लिये संभव नहीं हो पा रहा है।अतः संघ मांग करता है कि मंडल में बनाये जा रहे नये रनिंग रुम जैसे दमोह, निवास रोड़ मझौली, मेहदेइया व गाडरवारा को तत्तकाल बंद किया जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM - नकज-सिगरौली खण्ड में दूसरी लाइन एवं केएमजेड-मालखेडी खण्ड में तीसरी लाइन का कार्य पूर्ण हो जाने के पष्चात मद का निराकरण कर दिया जायेगा। जबलपुर-इटारसी खंड में एनटीपीवी व गाडरवारा स्टेशन पर रनिंग रुम की आक्यूपेंसी कम होने के कारण दिः 01 जनवरी 2025 से बंद कर दिया गया है। **PCEE-** रनिंग कर्मचारियों के ओव्हर आवर्स के मामलों को न्यूनतम करने के लिए नये रेस्ट रूम बनाये गये है जिससे रनिंग कर्मचारियों को आवष्यकता अनुसार इन रूट विश्राम की सुविधा उपलब्ध हो सकें।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- जबलपुर मंडल में रनिंग कर्मचारियों के ओव्हर आवर्स के मामलों को न्यूनतम करने के लिए नये रेस्ट रूम बनाये गये है जिससे रनिंग कर्मचारियों को आवष्यकता अनुसार इन रूट विश्राम की सुविधा उपलब्ध हो सकें । यातायात के संचालन की आवश्यकताओं एवं 09 घंटे की अनुपालना हेतु रनिंग रूम / रेस्ट रूम बनाए गए हैं । सभी रनिंग रूमों को लगातार यथासंभव अपग्रेड किया जा रहा है। मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। क्रू रिव्यूय में स्टावफ की मांग की गयी है। जबलपुर 208 एएलपी भोपाल 52 एएलपी जेडआरटीआई भुसावल में प्रषिक्षण ले रहे है जिनकी 11 जुलाई को आने की संभावना है। 2024 के इंडेंट के अनुसार 729 एएलपी चयन प्रक्रिया में है। और 2025 के लिए 759 का इंडेंट लगा है। **PCOM - जबलपुर–इटारसी खंडमें एनटीपीवी व गाडरवारा स्टेशन पर रनिंग रुम की आक्यूपेंसी कम होने के कारण दिः 01 जनवरी 2025 से बंद कर दिया गया है।** **स्टॉफ को रिलीविंग में किमी. के साथ साथ कार्य के घंटों का भी ध्यान रखा जाता है ताकि ओव्हर ऑवर ना हो और स्टॉफ को पर्याप्त विश्राम जरूरत के समय मिल सके इसीलिये दमोह, निवास रोड एवं बरगवॉ स्टेशनों पर रनिंग रूम खेले गये हैं।**

	नकज–सिगरौली खण्ड में दूसरी लाइन एवं केएमजेड–मालखेडी खण्ड में तीसरी लाइन का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात मद का निराकरण कर दिया जायेगा।

S.No.	Rest Room	No. Of Bed	Average occupancy per day (May 2025)
01	DMO	12	5.5
02	NWB	13	4.7

MS/ 16/2024 PCEE PCME PCMM PCE PCSTE	मंडल में उच्च गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराने के संबंध में। संदर्भः- (1) रेलवे पत्र क्र.-2017/Transt. cell/civil/03, दि-05.02.2018 (2) रेलवे पत्र क्र.-2018/TF cell/S&T/S&T Uniform, दिक-05.03.2019 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) ट्रैकमैन/कीमैन/पेट्रोलमैन, सिग्नल के टेक्नीशियन / हेल्पर, TRD के टेक्नीशियन / हेल्पर एवं मैकेनिकल के ART व ARME में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक बार रेन कोर्ट, दो वर्ष में एक बार विण्टर जैकेट, एक वर्ष में दो बार सेफ्टी शूज, ल्यूमिनियस वेस्ट एक वर्ष में दो बार, ट्रॉई कलर टॉर्च वर्ष में एक बार प्रदान किया जाना है। जिसकी कीमत भी उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार क्रमशः रू-1200, रू.-2500, रु.-1400, रू.-500 और रू. 1000 निर्धारित किया गया है लेकिन संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) के अनुसार जिन कर्मचारियों को प्रोटेटिक्व गियर्स दिया जाना है जितने समय में दिया जाना है वह नहीं दिया जा रहा है न ही रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार उस गुणवत्ता का दिया जा रहा है जबकि रेलवे बोर्ड ने कम्पनी तक भी निर्धारित किया है। सेफ्टी शूज ऐसा दिया जा रहा है जिसका ग्रिप अच्छा न होने के कारण कर्मचारी गिरकर घायल हो रहे हैं। संघ का कथन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार व जो समय सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का वितरण सुनिश्चित किया जाये नहीं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित रकम का भुगतान वेतन पत्रक के माध्यम से किया जाये जिस प्रकार यूनिफार्म का किया जाता है जिससे कर्मचारी गुणवत्ता व नाप के अनुसार खरीद कर प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर सके। जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME - इस मद के अनुसार यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानो में वर्ष 2023-24 में दिय गये सभी (प्रोटेक्टिव गियर्स) रेन कोट, विण्टर जेैकेट ,ल्यूमिनियसवेस्ट ,सेफ्टी सूज उच्च गुणवत्ता के प्रदान किये गये है। पी.सी.एम.एम. - कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किया जा रहा है | इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralisedप्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। सडिपुका/भोपाल :- कारख़ाना भोपाल में सेफ़्टी शूज का Dimension & IS Specification के हिसाब से खरीदा जा रहा है | **PCEE**-भोपाल मंडल- टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को रेनकोट, विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज़ रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट, ट्राई कलर टॉर्च नियमानुसार दिये जा रहे है एवं मंडल के कर्मचारियों के सेफ्टी गियर्स की गुणवत्ता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल- जबलपुर मंडल के टीआरडी विभाग के हेल्पर्स एवं टेक्नीषियनों को रेन कोट, विन्टर जैकेट, सेफ्टी शूज एवं ल्यमिनस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमएमः- अच्छी गुणवत्ता के जूते जूलाई 25 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा।

	पीसीएसटीईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएमईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-जबलपुर मंडल के हेल्पर्स एवं टेक्नीशियनों को रेन कोट, विण्टर जैकेट, सेफ्टी शूज, ल्यूमिनियस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। डिपो को सामग्री as per specification के अनुसार सामग्री दिया जा रहा है। मटेरियल टीआरडी डिपो के स्टाफ द्वारा सेम्पल अनुमोदन कराया जाता है। उसके बाद ही सामग्री वितरित किया जाता है एवं जीएसडी भोपाल में सारे सामग्रियों का स्टॉक आईटम बन गया है। जिससे समी मटेरियल जीएसडी भोपाल द्वारा 2025 में प्रदान किये जायेंगें। भोपाल मंडल के टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को वितरित किये गए निम्न प्रकार से :- (1) सेफ्टी शूज - सितम्बर - 2024 में वितरित किये गए | (2) रेन कोट - जुलाई - 2024 में वितरित किये गए |(3) रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट - फरवरी - 2025 में वितरित किये गए | (4) विंटर जैकेट - 2023 में वितरित किये गए | (5) ट्राई कलर टॉर्च - सितम्बर - 2024 में वितरित किये गए | वर्तमान में जीएसडी भोपाल में सारी सामग्री का स्टॉक आईटम बन गया है। टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के प्रोटेक्टिव गियर्स की सप्लाई GSD/BPL से की जानी है, इस क्रम में SSE/Store/TRD/BPL के द्वारा वर्ष 2025-26 की AAC लेखा विभाग से Vett करवाकर GSD/BPL को भेज दी गयी है | कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को इलेक्ट्रीकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है। टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के प्रोटेक्टिव गियर्स की सप्लाई GSD/BPL से की जानी है, इस क्रम में SSE/Store/TRD/Kota के द्वारा वर्ष 2025-26 की AAC लेखा विभाग से Vett करवाकर GSD/BPL को भेजी गयी है, जिसमें सेफ्टी शूज की सप्लाई GSD/BPL से माह जून 2025 में कर दी जाएगी।
MS/17/2024 PCEE	विद्युत लोको शेड न.क.ज के द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरल का कार्य किये। जाने के सम्बन्ध में । उपरोक्त विषय के संबंध में संघ आपको सादर अवगत कराना चाहता है कि विद्युत लोको शेड न.क.ज में वर्षों से इलेक्ट्रिकल जनरल का कार्य भी किया जा रहा है। जबकि अन्य शेडो में जैसे डीजल शेड न.क.ज एवं विद्युत लोको शेड TKD में यह कार्य इलेक्ट्रिकल जनरल के द्वारा किया जाता है। विद्युत लोको शेड नकज में जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेंनेस हेतु प्रत्येक दिन सभी पाली मिलाकर कुल 08 कर्मचारियों को इस कार्य में लगाना पड़ता है एवं MW अनुमाग में कुल 28 कर्मचारियों का पद स्वीकृत है। जिससे लोको अनुरक्षण का कार्य प्रभवित होता है एवं M&P का मासिक सीड्यूल कार्य समय पर नही हो पा रहा है। जिससे संरक्षा एवं सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहा है। कृपया इलेक्ट्रिकल जनरल का कार्य अन्य शेडों कि तरह जनरल इलेक्ट्रिकल को दिया जाय ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-वि.लो.शेड नकज के इलेक्ट्रिकल जनरल के 33 केवी सब स्टेषन के अनुरक्षण के कार्य हेतु LOA No. JBP/L-TNO-29-2024R 0017640114134 दिनांक 03.10.2024 को इलेक्ट्रिकल जनरल के द्वारा जारी किया जा चुका है एवं आउट सोर्स के माध्यम 05 प्राईवेट कर्मचारी 33 केवी सबस्टेशन के अनुरक्षण हेतु टीआरएस शेड नकज को दे दिए गये है ।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-वि.लो.शेड नकज के इलेक्ट्रिकल जनरल के 33 केवी सब स्टेषन के अनुरक्षण के कार्य हेतु LOA No. JBP/L-TNO-29-2024R 0017640114134 दिनांक 03.10.2024 को इलेक्ट्रिकल जनरल के द्वारा जारी किया जा चुका है एवं आउट सोर्स के माध्यम से टीआरएस शेड नकज में 33 केवी सबस्टेशन का कार्य इलेक्ट्रीकल जनरल से समन्वय कर

	कराया जा रही है जिसमे वर्तमान में 05 प्राईवेट कर्मचारी टीआरएस शेड नकज में कार्य कर रहे है।
MS/ 20/2024 PCEE PCME	रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध करवाने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान समय में हाईस्पीड ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है तथा हाई स्पीड़ से संचालित होने के कारण ट्रेक पर कर्मचारियों एवं सुपरवाईजर्स के रनओवर के मामलों में काफी वृद्धि हुई है जिसे देखते हुए महाप्रबंधक जबलपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि रेलवे ट्रैक पर कार्य अथवा निरीक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी, सुपरवाईजर्स एवं अधिकारी रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट का इस्तेमाल अवश्य करें जिससे रनओवर के मामलों में कमी आये। परन्तु यह देखा गया है कि महाप्रबंधक द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत भी मण्डल में संरक्षा कोटि में कार्यरत पर्यवेक्षकों को सफेद रंग की रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध नहीं करवायी गयी है साथ ही पर्यवेक्षकों को प्रदान किये जाने वाले रेनकोट एवं विंटर जैकेट भी कई वर्षों से उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। संघ का अनुरोध है कि मण्डल में कार्यरत संरक्षा कोटि के कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों को शीघ्रातिशीघ्र रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध करवाने का कष्ट करें जिससे दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे रनओवर के मामलों में कमी आ सके एवं कर्मचारी तथा सुपरवाईजर्स सुरक्षापूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पर कार्य कर सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानों के ART/ ARMV व रेल्वे ट्रैक पर संरक्षा कोटि में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों वे परिवेक्षक के लिए रेट्रोरिफ्लेक्टिव जैकेट (ल्यूमिनियस वेस्ट) उपलब्ध है. तथा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को रट्रोरिफ्लेक्टिव जैकेट (ल्यूमिनियस वेस्ट) उपलब्ध करा दिया जाता है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE-** मिटींग में चर्चा की जायेगी। सडिपुका/भोपाल : यह मद कारख़ाना भोपाल से संबन्धित नही है | **PCEE**-रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट समय-समय पर कर्मचारियों को वितरित किये जा रहे एवं सुपरवाईजारों एवं कर्मचारियां द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-कोटा मंडल- टीआरडी विभाग के संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट की खरीद हेतु SSE/Store/TRD/Kota के द्वारा डिमांड स्टोर डिपार्टमेंट को माह अप्रैल 2025 को भेजी गयी है, जिसकी सप्लाई माह जून 2025 में कर दी जाएगी। भोपाल मंडल - टीआरडी विभाग के संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को रेट्रोफ्लेक्टिव जैकेट - फरवरी - 2025 में वितरित कर दिए गए है | जबलपुर मंडल - रेटोफलेक्टिव जैकेट वर्ष 2024 में 520 न; बांटे जा चुके है। रेटोफलेक्टिव जैकेट का पीएल नं; जीएसडी भोपाल में बन गया है एवं एएसी भी कर्मचारी' सुपरवाईजर एवं अधिकारियों की लेखा विभाग वेट कराकर जीएसडी भोपाल को प्रदान कर दी गई है। जल्दी ही जीएसडी भोपाल द्वारा 2025 में साम्रगी प्रदान की जाएगी।
MS/ 22/2024 PCEE	रेलवे आवासो में निवास करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषय में राजस्थान सरकार द्वारा मंहगाई राहत के तहत राजस्थान में निवास करने वाले सभी राज्यवासियों को घरेलु बिजली में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में रेल कर्मचारी जो राजस्थान की सीमा में रेलवे आवासो में निवास कर रहे है उनके द्वारा उपभोग की जा रही बिजली का बिल रेलवे विभाग द्वारा बनाकर कर्मचारियों के वेतन के कटौती की जा रही है। राजस्थान मे निवास होने पर भी वे सभी रेल कर्मचारी जो रेलवे आवास में निवास कर रहे है राजस्थान सरकार की इस योजना से वंचित हो रहे है जबकि सरकारी सुविधाए / टैक्स के संबंध में राज्य सरकार के आदेश रेलवे विभाग में भी लागू होते है। अतः संघ का अनुरोध है कि राजस्थान की सीमा में रेलवे आवासो मे निवास करने वाले कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की तर्ज पर 100 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का कष्ट करे।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी

	PCEE- इस कार्यालय के पत्र सं.WCR/L/ 02/ 1108 dated 21.02.2024 के तहत 100 यूनिट तक फ्री बिजली गाईडलाईन हेतु ईडी/ईईएम रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है जिसमें तारतम्य में रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. No.2022/EEM/150/9 dated 01.03.2024 के अनुसार 100 यूनिट फ्री बिजली देने की रेलवे बोर्ड की कोई नीति नहीं है। अपितु जहाँ संभव हो वहाँ क्षेत्रीय रेल रेलवे आवास को सीधे लोकल सप्लाई से बिजली दे कर व्यक्तिगत सुविधा दे सकती है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	रेलवे बोर्ड की तरफ से 100 यूनिट फ्री बिजली देने के सम्बन्ध में कोई policy जारी नहीं की गयी है |
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- इस कार्यालय के पत्र सं.WCR/L/ 02/ 1108 dated 21.02.2024 के तहत 100 यूनिट तक फ्री बिजली गाईडलाईन हेतु ईडी/ईईएम रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है जिसमें तारतम्य में रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. No.2022/EEM/150/9 dated 01.03.2024 के अनुसार 100 यूनिट फ्री बिजली देने की रेलवे बोर्ड की कोई नीति नहीं है।
MS/ 23/2024 PCEE	ड्यूटी के दौरान चोरी हो गये रेलवे सामान की राशि वसूलने के क्रम में। संदर्भः- आपका पत्र सं. EL/TRO/91 दिनांक 12.07.2022 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार संघ को ज्ञात हुआ है कि श्री पूरन सिंह लोको पायलट गुडस, अधीन सीसीसी / सीएलआई कोटा के अधीन कार्यरत है अपनी ऑन ड्यूटी के दौरान गंगापुर सिटी में दिनांक 24.01.2018 को बैग चोरी हो गया था और साथ में रेलवे का सामान भी चोरी हो गया था। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने GRP/MTJ में लिखवा दी थी। उसके बाद भी कर्मचारी से 136200 वसूलने के आदेश जारी किये गये थे जिससे कर्मचारी से प्रतिमाह 22700 रुपये की कटौती की जा रही है। अतः संघ का अनुरोध है कि श्री पूरन सिंह लोको पायलट गुडस, अधीन सीसीसी/सीएलआई कोटा की प्रतिमाह होने वाली कटौती को रोकने का एवं 136200 की राशि को पूर्ण रुप से माफ करने का कष्ट करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- लेखा विभाग एवं कार्मिक से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- लेखा विभाग एवं कार्मिक से संबंधित है।
MS/ 33/2024 PCEE PCOM	वार्षिक क्रू रिव्यू में विसंगतियों के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र सं. 01 के द्वारा Executive Directors's (Establishment, TT(s), Finance, EE(Rs)) की कमेटी ने वार्षिक क्र्रू रिव्यू की Modalities को पत्र सं. ERB-1/2022/23/07 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा निर्देशित आदेशित किया है। संदर्भित पत्र सं. 01 के बिन्दु (a) में कमेटी ने Traffic/POL Projection की Present Value 7.67 आंकलन उपरांत 10% Bunching Allowance or Fluctuation of Traffic Allowance एवं 3.5% future Growth in Traffic Alowanceअतः उपरोक्त दोनो Parameters के कुल 13. 5% निर्धारित असेसमेंट 7.67 per POL का 8% ही जोनल रेलवे की स्थिति अनुसार कम किया जा सकता है। जो कि 0.6 per Loco present value 7.67 में से कम करके 7.07 value पर annual crew review किया जा सकता है। जिसे संदर्भित पत्र सं. 02 में भी 7.07 value multiplication factor से क्रू रिव्यू करने हेतु निर्देशित किया है परंतु संदर्भित पत्र सं. 03 मे Multiplication Factor (POL) 6.37 निर्धारित करते हुए वर्ष 2021 की File No. WCR-HQ OPTG (GDS)/57/2021 by Dy.COM(GDS)/WCR-Part (2) की एसेस्मेन्ट शीट मे Revised Calculation मे Previous Factor 7.67 में से 1.30 Multiplication Factor को कम कर दिया है जिसमे 0.6 RBE के Bunching Allowance & Future Growth का 0.7 Training Reserve & Leave Reserve में अर्थात 1.30 Factor करके 6.37 Revised Calculation Sheet द्वारा गलत निर्धारित कर दिया है। वे.से.रे.म.संघ का कथन है कि मण्डल पर वार्षिक क्रू रिव्यू में CELE द्वारा जारी संदर्भित पत्र सं. 02 द्वारा निर्देशित

	7.07 POL Multiple Factor Value रेलवे बोर्ड के RBE 105/2022 का अनुसरण करती है एवं CFTM (WCR)ने एसेस्मेन्ट शीट में अनावश्यक 0.7 Training Reserve & Leave Reserve के कम कर दिये गये है। इससे कोटा मण्डल पर लगभग 9% लोको पयलट, सहायक लोको पायलट, सी.एल.आई, ट्रेल मेनेजर्स के पद कम रिव्यू होंगे जो कि कोटा मण्डल पर रनिंग स्टाफ के ओवर टाईम वर्किंग को बढ़ाते हुए रनिंग स्टाफ को साप्ताहिक विश्राम एवं अवकाश को कम करेंगे। इस तरह का रिव्यू रेलवे के Revenue Loss & Under Rest Workingको बढ़ाने वाला होगा। वे.से.रे.म.संघ रेलवे, कोटा मण्डल एवं रनिंग स्टॉफ की सुरक्षा, संरक्षा के साथ उत्तम वित्तीय प्रबंधन की दिशा में CELE के पत्र में निर्धारित 7.07 के POL Multiple Factor के आधार पर वर्ष 2023 का क्रू रिव्यू करने का अनुरोध करता है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। **PCOM** - वर्ष 2023-24 के क्रू रिव्हयू में 7.07 Factor से गणना की गयी थी एवं वर्ष 2024-25 के क्रू रिव्हयू में भी 7.07 Factor से गणना की जा रही है। अतः मद समाप्त किया जाये। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। 2024 में गणना 7.07 के अुनसार ही की गयी है। जिससे एलपीजी जबलपुर मंडल में 171 भोपाल में 96 एवं कोटा में 38 पदों की बढ़ोतरी तथा एएलपी में जबलपुर में 179 भोपाल 106 एवं कोटा में 47 पदों की बढ़ोत री होगी।
MS/ 38/2024 PCE PCEE PCOM	न्यू मझगवाँ फाटक (NMWP) स्टेशन को बिना मूलभूत सुविधाओं के शुरू करने के संबंध में । उपरोक्त विशयांतर्गत संघ को शिकायत मिली है कि कटनी-बीना खण्ड में न्यू मझगवाँ फाटक मझगवाँ फाटक स्टेशन से अलग नया स्टेशन बनाया गया। यह कार्य मुख्यालय पत्र क्र.-HQ/WCR LN. WCR/JBP/T-541/NI/HDU-NMWP, दिनांक-08.04.2024 (Notification No.-07/2024) एवं जबलपुर मंडल के पत्र क्र. -JBP Division E-Office file No.-219919, दिनाँक 26.03.2024 द्वारा निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। उक्त NI कार्य पूरा कर दिनोंक-28.04.2024 को न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन ओपन कर दिया गया। संघ द्वारा ओपन करने के पूर्व मौखिक रूप से न्यू मझगवाँ फाटक (NMVP) स्टेशन के मूलभूत समस्याओं को बताया गया लेकिन उन समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया जो कि निम्नवत् है- स्टेशन में आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है थोड़ा-सा बारिश हो जाने पर एक किमी पैदल जाना पड़ता है वाहन जाने को कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। स्टेशन बिल्डिंग के विपरीत DN Side में काँटेवालों को सिंगनल एक्सचेंज के लिए कोई जगह / सुविधा नहीं है। स्टेशन में पानी की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर पैनल रूम के सामने शेड की व्यवस्था नहीं है जिससे बारिश का पानी पैनल रूम में आता है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के वाहन को खड़ा करने के लिए कोई शेड नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में Exhaust की सुविधा नहीं है। स्टेशन में स्टोर्स रूम की सुविधा नहीं है। स्टेशन में रेस्ट रूम की सुविधा नहीं है। संघ का कथन है कि न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन में बिना मूलभूत सुविधाओं को बिना पूरा किये चालू कर दिया गया जिससे कर्मचारियों को कार्य के दौरान समस्या हो रही है। अतः संघ माँग करता है कि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाय एवं की गयी कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाय। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीई- उक्त मद में दिये गए सभी कार्य इरकॉन द्वारा किये जा रहे हैं। साथ ही मुख्य इंजीनियर/सामान्य महोदय

	द्वारा समस्या के निवारण हेतु जनरल मैनेजर इरकॉन/कटनी को पत्र क्रमांक- डब्ल्यू.एच्क्यू/101/पीएनएम/डब्ल्यू.सी.आर.एम.एस-71 दिनांक 04.06.2024 को लिखा गया। 1. स्टेशन में आने-जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है। 2. स्टेशन विल्डिंग के विपरीत डाउन में सेस पर कांटेवाले को सिंगन्ल एक्सचेंज करने के साथ संयुक्त निरीक्षण के पश्चात उचित सुविधा इरकॉन द्वार प्रदान कर दी जावेगी। 3. स्टेशन में बोरवेल की व्यवस्था की गयी है। जिससे पेयज की आपूर्ति 24 आंटे तक सुनिश्चित है। 4. स्टेशन विल्डिंग का निर्माण स्टेण्डर्ड ड्राइंग के अनुसार किया गया है।। जिसमे स्टेशन बिल्डिंग के साथ बराम्दा की व्यवस्था की गई है। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। 5. न्यू मझंगवां स्टेशन परिसर में विद्युत की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की जानी है। इस हेतु विद्युत विभाग के द्वारा नीरीक्षम कर प्रकाश व्यवस्था इसकॉन द्वारा कर दी जायेगी। 6 वाहन खड़े करने के लिये स्टेशन के सामने उपयुक्त स्थान उपलब्ध हे और अनुमोदित नक्शे में शेड नहीं है। शेड का निर्माण करा दया जायेगा।. 7. वीडीयू कक्ष में खिड़कियों के माध्यम से वेन्टीलेशन की सुविधा उपलब्ध है। 8. वीडीयू कक्ष का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है। 9. स्टेशन बिल्डिंग के समीप एक अतिरिक्त रूम बनाया गया है। जिसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. स्टेशन बिल्डिंग में अनुमोदित नक्शे के अनुसार रूम दिये गए हैं। जिसमें रेस्ट रूम का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह पैसेंजर यार्ड नहीं है। **PCEE**- यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। 5. न्यू मझगवां स्टेभशन परिसर में विदयूत की समुचित व्य.वस्थाव उपलब्ध्ि है। यार्ड अभी तक बना नहीं है या प्रकाश की व्यवस्था का कार्य भी इरकॉन द्वारा किया जायेगा।
MS/ 40/2024 PCEE PCOM PFA Dy.CPO/HRD	भोपाल मंडल की रनिंग स्टॉफ की समस्याएँ : (अ) आरबीआई 102/2022 के लोको रनिंग अनुभाग में मेल लोको पायलट जैसे आर.के. शर्मा कमलेश परिहार , जे.पी. नारंग, अरविंद शर्मा एवं अन्य 8 कर्मचारियो को स्टेपिंग अप नहीं दिया जा रहा है। मंडल में कई दौर की चर्चा होने के बावजूद फाईल कार्मिक और लेखा विभाग में ही घूम रही है। संघ का कथन है 7 वें पे कमीशन के बाद की रूलिंग के अनुसार 29 अगस्त 2022 के उपरोक्त आर तहत स्टेपिंग अप देने का आदेश निर्गत किये जाये। (ब) झांसी रनिंग रूम में सच साईड का रूम डोरमट्री है , जिसमें एक साथ 12 से 15 एएलपी विश्राम करते है , बार बार कॉल बुक आती है जिससे सोने वाले कर्मचारियो की नींद नही होती है एवं बाकी कसर वहाँ के गद्दे पूरी करते है जिनमें जगह जगह गोले हो गये है जो कि सोते समय चुभते है खाना की क्वाल्टिी भी ठीक नही है , रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है. जिससे संरक्षा प्रभावित हो सकती है। संघ की मांग है कि उक्त विषमताओ को दूर करवाया जाये । (स) रनिंग स्टॉफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने हेतु इटारसी लोको रनिंग स्टाफ जो की संयुक्त परिवार से अलग रहकररेल सेवा कर रहे हैं एवं PSSS साइडिंग एवं एनएसपीएन साइडिंग के रनिंग रूम में रूककर , उन्हें रनिंग रूम में दोबाराखंडवा में रोका जा रहा है जिससे स्टाफ 60/70 घंटे में हेड क्वार्टर वापस आता है और वापस 16 घंटे में फिर बुकिंग हो जाती है संघ की मांग है कि इन दो साइडिंग में कार्य करने वाले स्टाफ को खंडवा से स्पेयर लाया जाए माननीयरेलवेबोर्ड द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे की रनिंग स्टाफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने की प्रयासकियाजाए ताकि स्टाफ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को निर्वहन कर सके एवं तनाव मुक्त रेल सेवा कर सके।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी

	PFA- प्रकरण की समीक्षा की जा रही है। (अ) प्रकरण दिनांकः 03.07.2024 को कार्मिक शाखा/भोपाल वापस किया गया था जो दिनांक 26.02.2025 को लेखा विभाग (भोपाल) मे प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। (ब) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । (स) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । अ. स्टेमपिंग अप का प्रकरण लेखा विभाग को बार-बार स्तायापन हेतु भेजा गया जिसे08.02.2024 20.05.2024 एवं 05.03.2025 को आपत्ति के साथ वापिस किया गया। प्रकरण लेखा विभाग को लंबित है। **PCEE**-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झॉसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है। **PCOM** - अ. यह कार्मिक विभाग से संबंधित है। ब. रनिंग रूम का संचालन सीनियर डी ई.ई (टी.आर.ओ) के अंतर्गत है। स. इटारसी डिपो के रनिंग स्टॉफ से नियमानुसार ही कार्य कराया जा रहा है साथ ही खंडवा डिपो से संपर्क कर परिस्थिति एवं आवष्यकतानुसार स्पेयर मुख्यालय वापिस बुलाया जाता है। इस संबंध में खंडवा डिपो को पत्र भी लिख्े गये हैं जिससे गाडी प्रबंधको का अनावष्यक विलंब न हो। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झॉसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः मद समाप्त करें। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झॉसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। वरि.मं.वि.इंजी./टीआरओ झांसी को इस संदर्भ में 09.04.2025 तथा 23.05.2025 को पत्र लिखा गया है। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। परिचालन के आवष्यकता के अनुसार ही क्रू को डबल रनिंग रूम में रोका जाता है।
MS/ 41/2024 PCOM PCE PCEE	कटनी न.क.ज. के परिचालन विभाग के कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में । परिचालन कर्मचारियों के ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुतहै। 1. नवनिर्मित EI बिल्डिंग A केबिन B केबिन परिचालन VDU कक्षा में एक का प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे रहने के कारण उसे कक्ष का तापमान सामान्य तापमान से अधिक है अतः A केबिन B केबिन VDU कक्ष में एक का प्रावधान किया जाए जिससे स्टेशन मास्टर VDU का ऑपरेशन के साथ ट्रेन का संचालन

सुचारु ढंग से कर सके ।
2. न.क.ज. में MI ऑफिस जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर है एवं वाहन के टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है जबकि महिला पॉइट्समैन भी वहां कार्य करती हैं अतः वहां नया MI कक्ष टॉयलेट के साथ बनाया जाये।
3. न.क.ज. की यार्ड में डिपार्चर यॉर्ड एवं न्यू यॉर्ड की बिल्डिंग पुरानी है जो बरसात में लीकेज होता है जिससे स्टेशन मास्टर का कार्यस्थल की स्थिति ठीक नहीं है एवं शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है अथवा डिपार्चर / न्यू यार्ड की नई बिल्डिंग बनाई जाए एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाए।
4. जबलपुर मंडल में स्टेशन मास्टर का ड्यूटी रोस्टर ऐसा बनाया गया है जिसमें सात नाइट लगातार करना पड़ता है जिससे स्टेशन मास्टर / कांटेवाले के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और भारी संख्या में स्टेशन मास्टर चिकित्सा विकोटीकृत हो रहे हैं साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं अतः 04 नाइट रोस्टर लागू किया जाए।
5. जबलपुर मंडल में जबलपुर सतना कटनी मुंडवारा RRI में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी व व उमस होने के कारण कार्य में समस्या होती है गर्मी में कूलर कक्ष के अंदर लगा दिया जाता है जिससे उमस के साथ-साथ आवाज होने के कारण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है इस समस्या को देखते हुए कई अधिकारी पूर्व में अपने निरीक्षण के दौरान RRI कक्ष में AC लगाने का जिक्र किए हैं लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया। अतः पैनल कक्ष में AC लगाया जाए ।
6. जबलपुर मंडल में जी स्टेशनों में अत्यधिक लोडिंग / अनलोडिंग किए जाते हैं एवं साथ में ट्रेन संचालन भी किया जाता है ऐसे स्टेशनों में ऑउटडोर स्टेशन मास्टर का प्रावधान किया जाए जैसे दमोह झुकेही, बरगवा, मदनपुर आदि ।
7. रोड साइड स्टेशनों में स्टेशन के साथ कॉलोनी की सफाई कार्य स्टेशन मास्टर के द्वारा कराया जाता है लेकिन कार्यरत स्टेशन मास्टर के लिए सफाई कार्य की निगरानी कर पाना मुश्किल हो रहा है तथा सफाई कार्य से स्टेशन मास्टर को अलग किया जाए।
8. कटनी मुड़वारा में स्टेशन प्रबंधक कक्ष और VIP कक्ष एक ही जिसके कारण कभी-कभी कार्य आबादी में किसी VIP का परिवार सहित आगमन पर स्टेशन प्रबंधक को परेशानी का सामना करना पड़ता है अतः स्टेशन मास्टर कक्षा को VIP कक्ष से अलग बनाया जाए।
9. कटनी लॉबी से जिस मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाया जाता है वहां से ड्यूटी ऑन करने के बाद लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर कटनी मुंडवारा / कटनी साउथ जाते हैं तो वहां कई बार गाड़ियां दो-तीन घंटे लेट हो जाती हैं उस स्थिति में लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर को स्टेशनों में कोई रूम नहीं है जहां बैठकर गाड़ी का इंतजार कर सके प्लेटफार्म पर बैठकर गाडी का इंतजार करना पड़ता है। अतः एक रूम की फर्नीचर एवं टॉयलेट के साथ व्यवस्था किया जाए ।
उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

पीसीई- **1.** क्रमांक **1,4,5,6,**एवं **7** इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है।
टॉयलेट के कार्य का प्रस्ताव रेवेन्यू **2024-25** में प्रक्रियाधीन है एवं महिला पॉइंसमैन के टॉयलेट का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।
3. उक्त कार्य करा दिया गया है। कृपया मद समाप्त किया जाये।**PCEE-Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.**
PCOM- 1- नकज ए एवं बी केबिन में **1** एवं नकज सी केबिन में **4** एसी लगा दिये गये है।
2- इस हेतु इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार किया जायेगा।
3-नकज यार्ड के डिपार्चर यार्ड एवं न्यू यार्ड की नई बिल्ि‍डग का निर्माण करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा पत्र क्रमांक **JBP.T.O.NKJ.39.KTE-SGRL-SGRL Doubling** दिनांक **12.10.2023** के अनुसार **IRCON** को पत्र लिखा गया है।
4- जबलपुर**,** सतना एवं सागर स्टेशनों पर **4** नाईट ड्युटी रोस्टर प्रायोगिक तौर पर लागू किया जायेगा। परन्तु सागर स्टेशन पर रिपोर्ट अप्राप्त है एवं जबलपुर एवं सतना में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की आपसी सहमति न होने के कार लागू नही किया जा सका।

	5-जबलपुर मंडल के समस्त आरआरआई में एसी लगाने हेतु कार्यवाही की गयी थी परन्तु इलैक्ट्रिकल विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है। **6**- दमोह, झुकेही, बरगंवा एवं भदनपुर स्टेषनों आउटडोर स्टेषन मास्टर का प्रावधान किये जाने के लिये अतिरिक्त स्टेषन मास्टर के पदों के सृजन करने की आवष्यकता होगी। पदों को सृजन करने हेतु मनी वैल्यू मंडल वैकेंसी बैंक में उपलब्ध नही है। **7**-रोड साइड स्टेषनों एवं कालोनियों की सफाई हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा आउटसोर्स किया गया था जिसे लगभग पिछले **4** वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा पुनः आउटसोर्स करने हेतु छैळ-**5** एवं **6** श्रेणी के **21** बडे स्टेषनों की साफ-सफाई को ठेका **Gem** के माध्यम से **(BRGW, VST, MWJ, UDR, BEHR, UHR, JTW, PHA, MKRN, KYE ,BNU ,NWR, KTE-S SHR, SBD,SGP, SRID, KY, BKH, SCKR, KKB)** के साफ सफाई का ठेका अवार्ड कर दिया गया है जो कि पार्टी के द्वारा साफ सफाई का कार्य चालू कर दिया गया है। वर्तमान में अन्य स्टेषन प्रबंधक द्वारा अग्रदाय धन से रेल परिसर/स्टेषन/कालोनी की सफाई करायी जा रही है। वर्तमान में निम्नलिखित स्टेशन पर सफाई का कार्य ठेका पर किया जा रहा है। **Cleaning Contract** **SN STATION SN STATION** **1 PPI 18 SBD** **2 BKH 19 UHR** **3 SGP 20 MYR** **4 GAR 21 BNU** **5 SCKR 22 DMO** **6 KY 23 STA** **7 NU 24 JTW** **8 SRID 25 REWA** **9 KKB 26 KMZ** **10 MML 27 PHA** **11 JBP 28 KYE** **12 SHR 29 MKRN** **13 SBD 30 SGO** **14 KTES 31 NKJ** **15 KTE 32 VST** **16 JKE 33 BEHR** **17 NWR 34 BRGW** **8**-कटनी मुडवारा स्टेषन पर वीआईपी कक्ष बनाने हेतु सर्वे कराने हेतु दिनांक **06.10.2023** को पत्र लिखा गया था सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पष्चात ई-ऑफिस फाइल नं. **224822** दिनांक **26.10.2023** को वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजा गया है। अमृत भारत स्कीम के तहत की जा सकती है। **9**-वर्तमान में आरआरआई केएमजेड एवं कटनी साउथ स्टेषन मास्टर कक्ष में लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर को पर्याप्त छाया, बैठने एवं पानी की व्यवस्था है गाडियां लेट होने के कारण वहां बैठकर गाडी का इंतजार कर सकते है। **PCEE- Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.**
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE - Item 1&5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line. 9 कटनी साउथ एवं कटनी मुडवारा स्टेwशन पर प्ले टफार्म के दोनों सरो पर क्रू शेल्ट र बनाने के लये पहले ही मंडल को पत्र लखा गया है।
MS/ 42/2024 PCEE	शेड के विभिन्न अनुभागो में लगे AC के अनुरक्षण के संबंध में। उपरोक्त विषय के संबंध में संघ आपको अवगत कराना चाहता है कि' शेड के निम्नलिखित अनुभाग में आवश्यक के अनुसार पूर्व से ही AC लगाई गई है जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे है इस प्रकार है:-

क्रमांक	अनुभाग	AC की संख्या	टिप्पणी
01.	EL	. 02	बहुत समय से बंद है।
02.	PN	04	02 चालू है एवं 02 बंद है।
03	ST	02	सही कार्य नहीं कर रही है।
04	EL (SPMRoom)	01	01 नग AC आवश्यक है
05	AUX	01	बहुत समय से बंद है।
06	TM+TR	01+02=03	बहुत समय से बंद है।
07	LAB	02	बहुत समय से बंद है।

उपयुक्त दर्शाये गए AC के खराब होने के कारण लोको अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है क्योकि संबंधित अनुभाग में रखी गई लोको की सामग्री हेतु एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो वर्तमान समय में नहीं है। उपरोक्त तालिका में जो AC की संख्या दर्शायी गई है उसमें बहुत से AC का कोडल लाइफ भी समाप्त हो चुकी है। संघ मांग करता है कि सभी लगे AC का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा पुराने AC की जगह नये AC लगाये जाये साथ ही जिन अनुभागो में हवादार (वेंटीलेशन) की सुविधा उपलब्ध न हो जैसे INV, AHO एवं इत्यादी अनुभागो में AC लगाने की व्यवस्था कर कृपया इसकी जानकारी संघ को उपलबध करायी जाये।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।

प्रशासनिक टिप्पणी

AC विद्युत् लोकोशेड में लगे विद्युत्उपकरण टीआरएस विभाग द्वारा ही लगाये गए है तथा उनका अनुरक्षण भीटीआरएस विभाग द्वारा ही किया जाता है

8 एवं 9 सब-डिवीजन ऑफिस से प्रस्ताव मांगाया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्य योजना में कार्य स्वीकृत कराया जायेगा।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

AC विद्युत् लोकोशेड में लगे विद्युत् उपकरण टीआरएस विभाग द्वारा ही लगाये गए है तथा उनका अनुरक्षण भी टीआरएस विभाग द्वारा ही किया जाता है

8 एवं 9 सब-डिवीजन ऑफिस से प्रस्ताव मांगाया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्य योजना में कार्य स्वीकृत कराया जायेगा।

MS/ 50/2024 PCOM PCEE

शंटिंग मास्टर्स के पदो का कार्य अनुरूप बढ़ोत्तरी करने बाबत् ।

वर्तमान में तीनो मंडलो में कुल मिलाकर लगभग 37 पद शंटिंग मास्टर्स के है जो कि कार्य की अधिकता को देखते हुये काफी कम है।

उदाहरणः RKMP वंदेभारत जन शताब्दी, इंटरसिटी सहित अनेक मेल एक्सप्रेस ट्रेन की शंटिंग प्रतिदिन होने के उपरांत भी शंटिंग मास्टर्स के पद नही है। इसके साथ साथ पॉइंट्समैन को पदौन्नति से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः शंटिंग मास्टर्स के पदो की बढ़ोत्तरी कार्यानुरूप शीघ्र की जावें।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE-मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।

तीनों मंडलों में वर्तमान में शटिंग मास्टर्स कर केडर निम्नानुसार है।

मंडल जबलपुर स्वीकृत संख्या कार्यरत रिक्तियों रिक्तियों % एक्शन प्लान----कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक पमरे/जबल/का/165/यातायात/मण्पिसम दवण् 193095/ संवर्ग दिनांक 25.09.2024 एमपीपी कार्यालय आदेष क्रमांक 11/2023-24 (यातायात) के अनुसार शंटिंग मास्टर के 9 नये पद सृजित किये गये है।

	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जबल/टी/204/एमपीपी/सृजन दिनांक 21.03.2024 के अनुसार शंटिंग मास्टर संवर्ग के 18 नये पद सृजन करने हेतु पत्र कार्मिक विभाग को भेजा गया। प्रकरण कार्मिक विभाग में लम्बित है। जबलपुर 48 34 14 29 % भोपाल 24 16 8 33 % कोटा 16 11 5 31 %--As per office Memorandum 124/2024 dtd 28.03.2024 two posts of cabinmen L-04 redistributed to shunting Master कुल पगरे 88 61 24 31 % रेल्वे बोर्ड के पत्र क. E(MPP)2024/1/26/ dated 11.09.2024 के अनुपालन में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पमरे के पत्र क्र. क्र.पमरे/का.मुख्या/1200/केडर/पद सृजन/इंजी. दिः 13.11.2024 के द्वारा तीनों मंडलों को New Assets हेतु आवश्यक पदों के सूजन पत्र लिखा है। प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक पत्र कार्मिक कार्यालय को प्रेषित करने हेतु पत्र के सूजन का प्रस्ताव मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से मात्र प्रेषित करने हेतु पत्र क. WCR/JBP/T-902/Cadre dated 07.02.2025 के द्वारा तीनों मंडलो को सूजन के प्रस्ताव को शीघ्रता से मुख्या करने हेतु पत्र लिखा गया है। वर्तमान में सूजन के प्रस्ताव की प्रकरण फाईल की स्थिति निम्नानुसार है। में है। जबलपुर मंडल मंडल के वित्त विभाग में है। कोटा मंडल मुख्यालय कार्मिक विभाग में है। भोपाल मंडल- मुख्यालय कार्मिक विभाग में है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। PCOM-
PCEE 54/2024	पश्चिम मध्य रेल के मुख्यालय में केन्द्रीय कंट्रोल से ड्राफ्टेड कर्मचारियों की गाड़ी चलाने हेतु रिलीव नहीं किये जाने बावत् । अ. पश्चिम मध्य रेल के मुख्यालय में केन्द्रीय कंट्रोल कार्यालय कार्यरत है जिसमें पीसीओआर व टीएलसी के पद पर डाफ्टेड लोको पायलट कार्य करते है जो कि रेलवे बोर्ड की 1998 की पालिसी का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ लोको पायलट का रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार 3 वर्ष पूरे हो गये है लेकिन उन्हें वापिस गाड़ी चलाने हेतु नहीं भेजा रहा है कुछ रनिंग कर्मचारी 7-8 वर्षो से लगातार कार्य कर रहे है जोकि मेल पैंजेसर लोको पायलट जैसे अहम पद पर है जबकि मंडल में लोको पायलट गुड्स मेल एक्सप्रेस एवं पैसेंजर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है इस प्रकार 8-9 वर्षो तक डाफ्टेड पोस्ट में काम करने से उनकी ड्रायविंग स्किल भी प्रभावित हो रही है। तथा नये कर्मचारियों को डाफ्टेड पोस्ट पर कार्य करने के अवसर भी नहीं मिल रहे। जबकि केन्द्रीय कन्ट्रोल में टीएलसी के पद पर कार्य करने हेतु रनिंग कर्मचारियों की स्कींनिग 6-8 माह पूर्व जबलपुर मंडल में हो चुकी है उन्हें उपरोक्त कार्य पर इसलिये मंडल से रिलीव नहीं किया जा रहा क्योंकि केन्द्रीय कन्ट्रोल से ड्राफ्टेड कर्मचारियों की गाड़ी चलाने हेतु रिलीव नहीं किया जा रहा । ब. जबलपुर मंडल में पीसीओआर, सीसीसीओआर व टीएलसी के पदो पर डाफ्टेड पीरियड खत्म होने के बाद भी गाड़ी चलाने हेतु नहीं निकाला जा रहा है जोकि रेलवे बोर्ड की 1998 की नीति का खुला उल्लंघन है कुछ कर्मचारी 6-7 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे है लगातार काम करने के कारण ऐसे कर्मचारी लगातार रनिंग कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करते है संघ की मांग है कि रेलवे बोर्ड की 1998 की नीति का पालन करते हुये डाफ्टेड पीरियड खत्म होने वाले कर्मचारियों को अविलंब वापिस गाड़ी चलाने भेजा जाये।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कर्मचारियों के स्थापना आदेश DLS/NKJ एवं ELS/NKJ के डिपो नाम से ही निकाले जा रहे हैं। वर्तमान में कोई भी आदेश इस तरह का मौजूद नहीं है। वर्तमान में सभी कर्मचारियों से से एक ही डिपो का कार्य कराया जा रहा है । अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**- केन्द्रीय नियंत्रक कैंट्रोल में ड्राफ्टेड रनिंग कर्मचारियों की स्क्रिनिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL प्रशासनिक टिप्पणी PCEE- जबलपुर मंडल में केन्द्रीय नियंत्रक कार्यालय में ड्राफ्टेड रनिंग कर्मचारियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्व में पूर्ण हो चुकी है । कंट्रोल ऑफिस में कार्य करने के लिए नयी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया की जा रही है । स्क्रीनिंग के उपरांत ही नये पीसीओआर / सीसीओआर / टीएलसी की पदस्थी हो पाएगी ।
MS/ 59/2024 PCEE	कोटा व गंगापुरसिटी लॉबी में TCC के पदो की Re Pin Pointing बाबत । उपरोक्त विषयांतर्गत कि कोटा एवं गंगापुरसिटी CCCOR/CLI तथा Lobby में TCC के पद कार्य के अनुसार Pin Point नहीं है। गंगापुर सिटी में :- 01 पद पर CCCOR/CLI तथा 06 पद TCC Booking / Computer के स्वीकृत है किन्तु इनका कोई LR/RG नहीं है। इसी प्रकार कोटा में :- 01 पद पर CCCOR/CLI तथा 07 पद TCC Booking / Computer के स्वीकृत है किन्तु इनका कोई LR नहीं है। कार्य के अनुसार पद Pin Point ना होने के कारण दोनो ही Lobby में Non Drafted / Un Screened Loco Poilotsको लगाया जाता रहा है, इससे न केवल Man Power का दुरुपयोग हो रहा है वरन कई बार Shift Duty में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित से अधिक अर्थात्त 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। TCC/TLC के पद Ex. Cader पद है तथा रनिंग कर्मचारियों (Loco Pilots) ही इन पदो को इसी आवश्यकतानुसार Loco Pilots Cadre से पद लेकर Pin Point किया जा सकता है। संघ का अनुरोध है कि कोटा एवं गंगापुरसिटी लॉबी में Re Pin Pointing कर आवश्यकतानुसार Cadre पदस्थापित किया जाये ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PCEE-** मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE क्रू रिव्यू कैलेन्डर ईयर 2023 पूर्ण हो चुका है एवं आवश्यक पिनप्वाईंटिंग कर दी गयी है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL प्रशासनिक टिप्पणी PCEE क्रू रिव्यू कैलेन्डर ईयर 2023 पूर्ण हो चुका है एवं आवश्यक पिनप्वाईंटिंग कर दी गयी है। अतः मद को समाप्त की जाये।
MS/ 01/2025 PCEE PCOM	गाडी सं. 20981/20982 उदयपुर सिटी-आगरा वंदेभारत एक्सप्रेस की वर्किंग के संबंध में। संदर्भः 1. पश्चिम मध्य रेलवे का नोटिफिकेषन सं. 60/2024 दिनांक 31.07.2024 2. उत्तर पष्चिम रेलवे का नेटिफिकेपन सं. NWR/TTE/2024/54 दिनांक 31.07.2024 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार संघ के संज्ञान में आया है कि उदयपुर सिटी से आगरा के बीच 02 सितम्बर 2024 से नई वंदेभारत गाड़ी का संचालन शुरू किया जाना है। संदर्भित पत्र सं. 01 व 02 के तहत उदयपुर कोटा उदयपुर के बीच इस गाड़ी का वर्किंग क्रू गार्ड उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल को दिया गया है तथा कोटा-आगरा-कोटा के क्रू गार्ड को गाड़ी का वर्किंग कोटा मण्डल को आवंटित किया गया है। इसके लिए वे.से.रे.म.संघ से किसी प्रकार की चर्चा किये बिना इस तरह का निर्णय गलत है। इस संबंध मे कोटा मण्डल के कार्यक्षेत्र का वर्किंग अजमेर मण्डलको दिये जाने से कोटा मण्डल के क्रू एवं रनिंग स्टाफ में असंतोष व्याप्त है। एक तरफ कोटा-चित्तौड़ खण्ड का कार्यक्षेत्र कोटा मण्डल के अंदर होने के कारण कोटा-चित्तोड़ खण्ड की गाड़ियों का वर्किंग कोटा मण्डल से कराया जा रहा है एवं असरवा एक्सप्रेस का वर्किंग उदयपुर कोटा उदयपुर के मध्य कोटा मण्डल द्वारा किया जा रहा है। ऐसे मे वंदेभारत गाडी का संचालन कोटा मण्डल के कार्यक्षेत्र में अन्य मण्डल से करवाया जाना अनुचित है। संघ का अनुरोध है कि गाड़ी सं. 20981/29082 उदयपुर सिटी-आगरा-उदयपुर सिटी वंदेभारत की वर्किंग कोटा मण्डल

	से करवाए जाने का प्रबंध करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- उदयपुर सिटी -कोटा-उदयपुर सिटी के मध्य एनडब्ल्यूआर क्रू एवं कोटा आगरा कैंट गंगापुर सिटी क्रू तथा आगरा कैंट-गंगापुर सिटी आगरा क्रू एवं गंगपुरसिटी कोटा के मध्य वंदेभारत एक्सप्रेस को गंगापुर सिटी क्रू कार्य करता है। यह निर्णय डब्ल्यूसीआर एवं एनसीआर रेलवे के मध्य चर्चा उपरांत लागू किया गया है। **PCOM - the working of train no. 20981/82 between UDZ-KOTA-UDZ is allotted to NWR as per table below:** **By UDZ Crew (Between UDZ-KOTA-UDZ)** **Day Train From To S/on Dep. Arr. S/off Running duty Total Duty O/S Rest** **MON 20981 UDZ KOTA 05:15 05:45 09:50 10:20 04:05 05:05** **MON 20982 KOTA UDZ 18:40 19:10 23:45 00:15 04:35 05:35 08:20** **From the table above it is clear that if 20981/20982 UDZ-AGC Vande Bharat train run by NWR between UDZ-KOTA-UDZ, one set of crew is required with only 08:20 hrs O/S rest.** **If the train is worked with Kota crew it will involve TAP working and /or increase outstation rest and man power since there are no connecting trains to formulate a crew link better than proposed by NWR.** **Therefore it is apprised that Working of Crew (LP& TM) of newly introduced Tri-weekly Vande Bharat (20981/20982 UDZ-AGC) between UDZ-KOTA-UDZ allotted to NWR for optimum utilization of crew.** कार्यालय पत्र क्र. **WCR/JBP/T-824/Crew Link dated 23.08.2024** के द्वारा यूनियन को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-उदयपुर सिटी -कोटा-उदयपुर सिटी के मध्य एनडब्ल्यूआर क्रू एवं कोटा आगरा कैंट गंगापुर सिटी क्रू तथा आगरा कैंट-गंगापुर सिटी आगरा क्रू एवं गंगपुरसिटी कोटा के मध्य वंदेभारत एक्सप्रेस को गंगापुर सिटी क्रू कार्य करता है। यह निर्णय डब्ल्यूसीआर एवं एनसीआर रेलवे के मध्य चर्चा उपरांत लागू किया गया है। यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है ।
MS/ 02/2025 PCEEPCOM	कोटा मण्डल में रात के समय लॉग हॉल गाडी बनाने के संबंध में। उपरोक्त विषय मे कोटा मण्डल के रनिंग स्टाफ के द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि कोटा मण्डल मे रात के समय भी सुविधाओं के अभाव मे लॉग हॉल गाडियों को बनवाया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022/TT-1/27/1 दिनांक 04.08.2023 मे लॉग हॉल बनाने के लिए जारी गाईड लाईन के अनुसार लॉग हॉल, TXR Location पर हो एवं पाथ वे व लाईटिंग की उचित व्यवस्था हो। कोटा मण्डल मे सुंदलक व भूलोन दोनो ही जगह उचित व्यवस्था नहीं है। संघ का अनुरोध है कि लॉग हॉल बनवाते समय रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022/TT-1/27/1 दिनांक 04.08.2023 मे बिन्दु सं. 03 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये, जिससे कर्मचारी सही प्रकार से संरक्षापूर्वक, सुरक्षित लॉग हॉल बनाकर गाड़ी का संचालन कर सके।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE-मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
MS/ 03/2025 PCE Dy.CPO/HQ	कोटा मंडल के ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता समूह के संबंध में। उपरोक्त विषय में इन्जी. विभाग में कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर रखी जा रही है। इस वरीयता के कारण एक साथ नियुक्त हुए कर्मचारी अलग अलगवरीयता ग्रुप में नियुक्त होने पर उनके पदोन्नति अवसरो मे

	काफी अंतर आ जाने के कारण कार्यरत ट्रेकमेन्टेनर्स मे असंतोष व्याप्त हो रहा है। इस संबंध में वर्तमान में ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता एसएसई स्तर पर युनिट के अनुसार होने के कारण पदौन्नति के अवसर भी कम हो जाते है एवं एक साथ भर्ती होने वाले अलग अलग यूनिट के कर्मचारियों में पदौन्नति तिथियों मे विसंगतता आ जाती है। इस संबंध में संघ का सुझाव है कि वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुए ट्रेकमेन्टेनर्स केडर के लिए नई वरीयता नीति निर्धारित की जानी चाहिए। संघ का अनुरोध है कि ट्रेकमेन्टेनर्स की वरीयता के स्तर में संषोधन हेतु आवष्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।संघ/पीएनएम/कोटा इन्जी/78दिनांक 22.07.2024 **प्रशासनिक टिप्पणी** **Dy.CPO/HQ-** कोटा मण्डल पर ट्रेकमेन्टेनर्स संवर्ग की वरियता को सहायक मण्डल इंजीनियर स्तर पर करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश कमांक WCR-KOTAOPERS (ENGG) /30/2024 दिनांक 30.12.2024 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्त करें। पीसीई- कोटा मंडल में ट्रैकमेन्टेनरों की वरीयता का रख-रखाव अभी तक एसएसई/पीवे डिपो वाईज रखा जा रहा था। मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा के पत्र दिनांक 30/12/2024 के अनुसार दिनांक 01/01/2025 से TM- 1,2,3,4 संवर्ग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्तमान ग्रेड में कार्य करने की तिथि से, एक ही सहायक मंडल इंजीनियर के अधीन स्थित डिपो की “एकीकृत वरीयता” सूची बनाकर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कोटा को भेजी जा चुकी है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** पीसीईई'- यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
MS/ 04/2025 PCEE	ड्यूटी के प्रति लापरवाही एवं पद का दुरूपयोग करने के संबंध में। उपरोक्त विषय में पूर्व मे समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2024 को पत्र भेजा था, उसमे कुछ तथ्य और प्राप्त हुए है जो कि ऑन ड्यूटी टीसीसी एवं ऑन ड्यूटी टीसीसी कम्प्यूटर के द्वारा अपनी मनमर्जी से किसी भी अधिकृत सुपरवाईजर / अधिकारी को सूचित किये बिना अपने स्थान पर अन्य लोको पायलेट को अपनी सीट सौपकर डयूटी से नदारद होना रेलवे नियमों का खुला उलंघन है। यह भी जानकारी में आया है कि श्री इन्द्रदत्त दुबे टीसीसी व टीसीसी कम्प्यूटर धर्मेन्द्र खत्री द्वारा श्री मोहन गुप्ता लोको पायलेट गुडस कोटा को AC/DC/LE का ट्रेन नोटिस देकर लगभग 18.00 बजे डयूटी पर बुक किया गया था एवं उनसे AC/DC/LE का कार्य नही करवाकर अपने स्थान पर 18.00 से 22.00 बजे तक टीसीसी में कार्य करवाया गया जिसकी पुष्टि लॉबी में लगे सीसीटीवी फुटेज या सीएमएस वाउचर के माध्यम से की जा सकती है। जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि श्री इन्द्रदत्त दुबे टीसीसी व टीसीसी कम्प्यूटर धर्मेन्द्र खत्री जो कि कोटा लॉबी में दिनांक 11.07.2024 को 14:00 बजे से 22:00 बजे की षिफ्ट मे टीसीसी कम्प्यूटर में कार्यरत थे उन्हे किसी विवाह समारोह मे जाना था तो टीसीसी कम्प्यूटर धर्मेन्द्र खत्री द्वारा फर्जी ट्रेन नोटिस बनाया गया और टीसीसी इन्द्रदत्त दुबे अपनी जगह अन्य कर्मचारी जो कि स्क्रीन्ड टीसीसी नही था उसको 18:00 बजे ऑन ड्यूटी करवाकर अपनी जगह ड्यूटी पर बैठा दिया और खुद शादी समारोह में घूमते रहे फिर 22:00 ऑफ ड्यूटी करवाकर घर भेज दिया गया जबकि लॉबी मे गुड्स लोको पायलट की बहुत ज्यादा कमी थी ऐसे समय में उपरोक्त कर्मचारी से लॉबी में ही कार्य करवाया गया। संघ का अनुरोध है कि प्रकरण पर हस्तक्षेप कर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि रेलवे नियमों की अवहेलना न हो ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **PCEE**-कर्मचारी के पिता केन्सर से पीडित है। दिनांक 11-07-2024 को कर्माचारी 14.00 से 22.00 पारी लॉबी में डयूटी पर आया लेकिन कर्मचारी के घर से पिताजी की तबीयत खराब होने की सूचना आई कर्मचारी ने इसकी सूचना CLI(CCC) कोटा को दी उसके बाद लॉबी ने इनके स्थान पर मोहन गुप्ता को 18.00 बजे डयूटी पर बुलाकर कर्मचारी की रिलीव करवाया। दिनांक 11-07-2024 को पर HRMS अवकाश स्वीकृत करवाया।

	PCEE- कर्मचारी के पिता केन्सर से पीडित है। दिनांक 11-07-2024 को कर्माचारी 14.00 से 22.00 पारी लॉबी में डयूटी पर आया लेकिन कर्मचारी के घर से पिताजी की तबीयत खराब होने की सूचना आई कर्मचारी ने इसकी सूचना CLI(CCC) कोटा को दी उसके बाद लॉबी ने इनके स्थान पर मोहन गुप्ता को 18.00 बजे डयूटी पर बुलाकर कर्मचारी की रिलीव करवाया। दिनांक 11-07-2024 को HRMSपर अवकाश स्वीकृत करवाया।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- कर्मचारी के पिता केन्सर से पीडित है। दिनांक 11-07-2024 को कर्माचारी 14ः00 से 22ः00 पारी लॉबी में डयूटी पर आया लेकिन कर्मचारी के घर से पिताजी की तबीयत खराब होने की सूचना आई कर्मचारी ने इसकी सूचना CLI(CCC) कोटा को दी उसके बाद लॉबी ने इनके स्थान पर मोहन गुप्ता को 18ः00 बजे डयूटी पर बुलाकर कर्मचारी की रिलीव करवाया। दिनांक 11-07-2024 को पर HRMS अवकाश स्वीकृत करवाया।
MS/ 07/2025 PCEE DY.CPO/HQ	पदौन्नति आदेष में अनियमितता के संबंध मे। संदर्भ :- वरि. मण्डल कार्मिक अधिकारी का पत्र सं. ई/ईएल/पावर/839/7 भाग 02 दिनांक 05.03.2024 उपरोक्त संदर्भित आदेषानुसार तक्नी. ।में कार्यरत 03 कर्मचारियों को वरि. तक्नी. में पदौन्नत किया गया है। इस आदेष में टिप्पणी दी गयी है कि श्री जनाबुद्दीन तकनी. ।(पावर) का वरि. तकनी में पदोन्नति प्रकरण सक्षम अधिकारी के पास विचाराधीन है। इस संबंध मे उक्त पदौन्नति आदेष मे श्री जनाबुद्दीन से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियो को पदौन्नत कर दिया गया हैं परंतु जनाबुद्दीन के पदौन्नति आदेष जारी न करना इस बात को दर्शाता है कि श्री जनाबुद्दीन को वर्तमान कार्यस्थल पर ही पदोन्नति का लाभ देने के प्रयास किये जा रहे है। इस प्रकार के आदेष स्थापना नियमो का स्पष्ट उलंघन है। किसी भी परिस्थिति मे वरिष्ठ कर्मचारी को छोड़ कर कनिष्ठ कर्मचारी को पदौन्नत नहीं किया जा सकता है। संघ के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि श्री जनाबुद्दीन ने झूठे मेडीकल प्रमाण पत्र मंगवाकर अनुचित लाभ लिये जाने की पूर्ण सम्भावना है। यही कारण है कि वरिष्ठ कर्मचारियो को पहले पदौन्नत कर कार्य स्थल से बाहर स्थानान्तरण कर दिया गया है ताकि कनष्ठि श्री जनाबुद्दीन को कार्यस्थल पर पदस्थ कर अनुचित लाभ दिया जा सके।संघ इस प्रकार नियमविरूद्ध जारी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करता है एवं प्रषासन को अवगत कराना चाहता है कि श्री जनाबुद्दीन को वर्तमान कार्यस्थल पर पदस्थ करने की किसी भी प्रकार की साजिष की जाती है तो यह आद्यौगिक संबंधों के बीच मे स्पष्ट दरार उत्पन्न करेगा जिसके लिए प्रषासन स्वंय जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण आने पर असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। संघ का अनुरोध है कि श्री जनाबुद्दीन के प्रकरण की सम्पूर्ण जांच, जांच अधिकारी से करवायी जावे और यदि किसी प्रकार के झूठे तथ्य प्रकाष में आये तो विजीलेंस से भी जांच करवायी जा सकती है। साथ ही साथ श्री जनाबुद्दीन को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिया जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DYCPO-HQ प्रकरण में कोटा मंडल के कार्यालय आदेश संख्या 121/2025 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा कर्मचारी श्री जनाबुद्दीन को वरि.तकनीशियन की पदोन्नति पर सवाईमाधोपुर से रामगंजमंडी स्थानांतरण कर दिया गया है। कृप्या मद समाप्त करे। **PCEE-**यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।
MS/ 13/2025 PCEE PCOM DY.CPO/HQ	भोपाल मंडल के यात्रिंक विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. जबलपुर से खंडवा मेल एक्सप्रेस का संचालन, सिंगल डिस्टेंट टेरेटरी से डबल डिस्टेंट टेरेटरी में जाना असुरक्षित है, इटारसी डिपो के स्टाफ से सतना तक एवं इटारसी त्से मनमाड़ तक करवाया जाये जो सुरक्षित रहेगा, किमी बैलेंसिंग

	इटारसी डिपो के स्टाफ से हो, इटारसी डिपो का स्टाफ सतना तक एवं मनमाड़ तक कार्य करेंगे ऐसे crew लिंक बनाएं जायें। 2. FSD यदि पूरे वर्ष संचालन करना है तो उसे रेलवे बोर्ड के पत्र कृ /2022/M(L)165/3/दिनांक 18/01/2023 (द्वारा आदरणीय श्री किशोर वैभव, कार्यकारी निदेशक विद्युतीय इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड) इंजन तक पहुंचाने एवं इंजन से ही कलेक्ट करवाने की व्यवस्था की जाये, LP ALP के पास स्वयं का ही लगभग 30-35 किलो वजन रहता है। 3. भोपाल मंडल में C&W विभाग के 6 कर्मचारी को पत्र कृ /पमरे/पीभो/210/7/जेई/LDCE कोटा/C&W दिनांक 18.07.2024 के द्वारा स्थानांतरण के पूर्व की सेवा को निरन्तर नहीं मानकर LDCE कोटा के अंतर्गत जे.ई की पात्रता सूची में अपात्र घोषित किया गया है जिन्हें शीघ्र पात्र घोषित किया जाये ताकि वह सम्मिलित हो सके। अंकित कुमार, गौरव चौधरी, अमित कुमार, मंगल सिंह, अभिषेक खटीक, अंकुर परिहार, (टेकनी- 11)। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PCOM- 1.**भारतीय रेल्वे के विभिन्न खंडों में सिगनलों की भिन्नता (सिंगल डिस्टेंट/डबल डिस्टेंट/ऑटोमेटिक) एवं गति की भिन्नता रहती है जिसके लिये रनिंग स्टॉफ को रोड लर्निंग दी जाती है ताकि सुरक्षित संचालन हो। मंडल/क्षेत्रीय रेलवे के मध्य किमी. बेलेंसिंग का ध्यान रखकर बतमू सपदा बनाये गये हैं। 2.एफ एस डी ;थ्वह ेंमि क्मअपबमद्ध को इंजिन में भेजना एवं कलेक्ट करना यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 3.कार्मिक विभाग से संबंधित है। **Dy.CPO(HQ) (3**)- रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 अनुसार स्किल्ड आर्टीजन मैट्रिकुलेट्स को दिया गया 03 वर्ष का प्रषिक्षण, 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में कर्मचारियों की तीन वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 तथा आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार भोपाल मण्डल के कैरिज एण्ड वैगन विभाग में 25 प्रतिषत एलडीसीई कोटा द्वारा जारी पात्रता सूची में जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 03 वर्ष से कम है उन्हें अपात्र किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.10.24 याके तहत महामंत्री WCRMS को जबाब दिया गया है कृपया मद 3 समाप्त करें। PCEE-1 जबलपुर से खंडवा बीट में रनिंग कर्मचारी सुचारू रूपसे कार्य कर रहे है। बीट परिवर्तन संबंधि प्रस्तावों को क्रू लिंक बनाते समय मंडलों द्वारा विचार में लिया जा सकता है। 2. एफएसडी का उपयोग रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार पूरे वर्ष किया जाना है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। 3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत निरंक प्रशासनिक टिप्पणी पीसीईई- 1 जबलपुर से खंडवा बीट में रनिंग कर्मचारी सुचारू रूपसे कार्य कर रहे है। बीट परिवर्तन संबंधि प्रस्तावों को क्रू लिंक बनाते समय मंडलों द्वारा विचार में लिया जा सकता है। वर्तमान लिंक यूनियन के सहमति से दिनांक 13.09.2022 को लिया गया। 2. एफएसडी का उपयोग रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार पूरे वर्ष किया जाना है। ऑपरेटिंग विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। 3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है।
MS/ 16/2025 PCEE, PCME, Dy.CPO/HQ	भोपाल मंडल के डीजल शेड से सम्बंधित समस्याएं। 1. डीजल लोको शेड इटारसी के सुपरवाइजर्स का अपग्रेडेशन 01.01. 2022 वाला बाकी है, आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। कृपया 2. वन्दे भारत ट्रेन भोपाल में पद सहित ट्रांसफर किए गए हैं उन पदो को वापस डीजल शेड को दिए जाएं। 3. लम्बे समय से डीजल शेड स्टॉफ JE, MCM, तक. । , तक.।।, आदि की पदौन्नति नहीं की गई है कृपया तत्काल

	प्रभाव से जिस किसी भी रिक्त पद हैं उने पदौन्नत करे।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME- 1) डीजल लोको शेड के कर्मचारियों के अपग्रेडेशन हेतु प्रकरण पर लेखा विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2025 को वित्तीय सहमति प्राप्त हो गयी है जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है। (2) भोपाल में वन्दे भारत ट्रेन संरक्षण हेतु चयनित कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता को जबलपुर मंडल के भांति मूल विभाग द्वारा अनुरक्षण किये जाने हेतु मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक-पमरे/का-डीजल/वन्दे भारत दिनांक 16.01.2024 को पत्र भेजा गया है। जिस पर मुख्यालय द्वारा मंडल स्तर पर निर्णय लेने के लिये निर्देशित किया गया था। अतः उक्त आशय पर सक्षम अधिकारी की सहमति उपरांत वन्दे भारत ट्रेन में कार्यरत कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता उनके मूल विभाग में ही रहेगी। (3) डीजल लोको शेड के एसएसई/विद्युत ग्रेड पे रू.4600 में विभागीय कोटे की 02 पद दि.01.03.2025 को रिक्त होने पर रिक्तियों का आंकलन कर प्रकरण वरि.मं. यॉं. इंजी./ डीजल शेड/इटारसी के समक्ष प्रेषित किया गया है। वर्तमान में एम.सी.एम. में विद्युत एवं लोको में कोई पद रिक्त नहीं है। टेक्नी।। से टेक्नी.-। में कर्मचारियों के 02 वर्ष पूर्ण होने पर भरे जायेंगे **PCEE-** 1 डीजल लोको शेड इटारसी के सुपरवाइजर का अपग्रेडेशन 01.01.2022 वाला मंडल रेल प्रबंधक (का.) भोपाल द्वारा किया जा रहा है। 2 मंडल रेल प्रबंधक (का.) भोपाल से संबंधित है। 3 तकनी । से वरि.तकनी (MCM) .आ.क्रः 1392/2024/ DSL दिनांक 18.10.2024 के अनुसार 7 कर्मचारी को पदोन्नती किया गया। तकनी ।।। से तकनी ।। का.आ.क्रः 1549/ DSL /2024 दिनांक 21.11.2024 के अनुसार 25 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान किया गया। तकनी ।। (वि) से तकनी । (वि) का.आ.क्रः 1544/ 2024/DSL दिनांक 21.11.2024 के अनुसार 23 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान की गई है। तकनी ।। से तकनी । का.आ.क्रः 1652/ 2024/ DSL दिनांक 18.12.2024 के अनुसार 14 कर्मचारी को पदोन्नती प्रदान की गई है।
	पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- 1 का.आ.क्र:-562 /DSL/ UPGRADATION/ 2025 दिनांक 16.05.2025 के अनुसार सुपरवाइजर्स (विधुत) का अपग्रेडेशन हो गया है तथा सुपरवाइजर्स (यांत्रिक) का अपग्रेडेशन हेतु स्क्रीनिंग शीट सहमति के उपरांत मडंल कार्यालय भोपाल भेजी जा चुकी है। 2 वर्तमान में वन्दे भारत ट्रेन के संचालन हेतु स्थानांतरित कर्मचारियों कि लियन एंव वरीयता डीजल लोको शेड में है तथा बीना मेमू शेड में स्थानांतरित कर्मचारियों की लियन एवं वरीयता डीजल लोको शेड में है। जिसके कारण डीजल लोको शेड में रिक्तियां हैं, परन्तु वह गिनती में नहीं आ रही है। 3 का.आ.क्र:-431/2025/DSL दिनांक:-09.05.2025 के अनुसार 02 जे.ई. का SSE में पदोन्नत किया गया है तथा का.आ.क्र: 546/2025/DSL दिनांक:-14.05.2025 के अनुसार 01 जे.ई. का SSE में पदोन्नत किया गया है। का.आ.क्र:-5342025/DSL दिनांक 07.05.2025.के अनुसार तकनी ।। से तकनी । में 03 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।का.आ.क्र: 534/2025DSL दिनांक: 06.05.2025 के एक पेंटर को तकनी ।। से । में पदोन्नत किया गया है। का.आ.क्र :-1710/2024/DSL दिनांक:30.12.2024 के अनुसार एक तकनी । को Sr TEC में पदोन्नत किया गया है।
MS/ 32/2025 PCEE KOTA/DIV.	लोको रनिंग सवंर्ग के कर्मचारियों की छबड़ा गुगौर/ मोतीपुरा चौकी मे पदस्थापना के संबंध में। उपरोक्त विषय मे दिनांक 29.04.2025 को पत्र सं. WCR-KOTAOPERS(EM)/26/2025 दिनांक 29.04.2025 द्वारा कोटा मण्डल के रनिंग स्टाफ से छबड़ा गुगोर व मोतीपुरा चौकी स्टेशन पर कार्य करने हेतु इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन मांगे गये है। उपरोक्त विषय मे वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ अवगत कराना चाहता है कि वर्तमान में मोतीपुरा चौकी से जो कार्य प्रणाली चल रही है क्या इससे प्रशासन संतुष्ट नहीं है? तथा छबड़ा गुगोर पर पदस्थापना की बात कहाँ से आ रही है? क्या प्रशासन ने इस पर चर्चा कर ली है कि इस स्टेशन पर स्टाफ रखने से क्या लाभ क्या हानि होने वाली है? क्या मोतीपुरा चौकी की गाड़ियों छबड़ा गुगोर आकर फिर जायेंगी? क्या छबड़ा गुगोर में रहने वाला

	स्टाफ ऑन ड्यूटी मोतीपुरा चौकी जाकर करेगा? यदि नहीं तो छबड़ा गुगोर से वहाँ जाने में ही उसको 01 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा साथ ही साथ वहाँ सड़क मार्ग से आने और जाने का जो जोखिम है एवं रेवेन्यू का नुकसान है, वह अलग से है। इस प्रकार के अतार्किक और मनमाने आदेश निकालने से पहले मान्यता प्राप्त संगठन से चर्चा करें उसके उपरांत ही आगे कोई कार्यवाही करें। पूर्व में भी मोतीपुरा चौकी में जो लॉबी व रनिंग रूम खोले गये है उस पर भी महाप्रबंधक महोदय एवं पी.सी.ओ.एम. से मीटिंग के उपरांत यह आरंभ हुआ है और उसमे किस प्रकार वर्किंग करना है और किस प्रकार कोटा मण्डल गाड़ियों का संचालन करेगा इन सब पर चर्चा उपरांत इसे शुरू किया गया था, इसलिए इस प्रकार के आदेश नहीं निकाले जाये । संघ का अनुरोध है कि छबड़ा गुगौर/मोतीपुरा चैकी मे रनिंग स्टाफ के पदस्थापना आदेशो तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाये और संघ से इस विषय पर चर्चा उपरांत ही कोई कार्यवाही की जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।संघ/पीएनएम/कोटा लोको/217 दिनांक 30.04.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- वर्तमान में मोतीपुरा चौकी हेतु स्टायफ 2 माह के लिए रोटेशन बेस पर भेजा जा रहा है जिस कारण कोटा मंडल के मालगाड़ी लोको पायलटों का सीएमएस में यूटिलाईजेशन कम प्रदर्शित होता है । इसलिए वहा पर स्था ई तैनाती की गयी है क्योंलकि मोतीपुरा चौकी में स्टापफ को स्था ई रूप से तैनात करने हेतु उचित नागरिक सुविधाएं उपलब्धे नहीं है। इसलिए छबड़ा गुगोर को विकल्प के तौर पर चुना गया है।
MS/ 33/2025 PCEE KOTA DIV.	लोको पायलट की Suitablityके संबंध में। उपरोक्त विषय में लेख है कि मण्डल मे प्रचलित नीति जो कि Diverted Trains के लिए Suitablity List जारी की जाती है उस Suitablity List के लिए वर्तमान मे मुख्यालय से कुछ दिशा-निर्देश दिये गये है। वह दिशा-निर्देश इस प्रकार है कि यदि उसके अनुरूप कार्य किया जायेगा तो मण्डल का रनिंग स्टाफ एवं प्रशासन गाड़ियाॅ ही नहीं चला पायेगा। नई नीति के अनुसार कोई भी लोको पायलट यदि किसी सेक्शन मे पिछले 02-03 साल मे नहीं गया है तो उसका नाम Suitablity List मे नहीं होगा। संघ यह अवगत कराना चाहता है कि अकेले कोटा मण्डल मे ही इस प्रकार के खण्ड है जहाॅ मालगाड़ी का वर्किंग नहीं होने पर भी यात्री गाड़ी लोको पायलट एवं मेल एक्सप्रेस लोको पायलट को वहा उस खण्ड मे कार्य करने जाना पड़ता हैं। इसी प्रकार अन्य मण्डल के लोको पायलट भी कोटा मण्डल मे आ रहे जबकि उनका अन्य कोई बीट उस खण्ड मे नहीं है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि किसी कर्मचारी पर DAR है तो उसका नाम Suitablity Listमे नहीं रखा जा रहा है और वह DAR है जो 02-03 वर्ष पूर्व खत्म हो चुका है या फिर सेफ्टी से संबंधित नहीं है। वहीं यदि कर्मचारी को पदोन्नत करना हुआ तो वहा सीधे उसे पदोन्नत किया जायेगा और नई नीति के अनुसार उसे Suitablity List जो कि Diverted Trains चलाने के लिए है मे शामिल नहीं किया जायेगा। यह भी एक विरोधाभासी विषय है। इसलिए वरीयता के अनुसार कर्मचारियों को Suitablity List मे रखा जाये, कोई मेजर DAR है तो उस प्रकरण मे उसे अलग से देखा जा सकता है, किन्तु सामान्य या सेफ्टी से जुड़े मुद्दे नहीं है उन्हे इसमे रखा जाये। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ALP जो यात्री गाड़ी पर चल रहे है उनका भी Suitablityहै तो यहा वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ अवगत कराना चाहता है कि रनिंग स्टाफ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टाफ है और वह कई प्रकार की परीक्षाआंे, Psycho Test पास करने बाद चयनित किया जाता है। समय समय पर उसके मेडीकल परीक्षण भी होते है, और यह अलग से एक नई क्रिया जोड़ना कर्मचारियों मे असंतोष का करण बनने के साथ साथ उनका मनोबल भी कम करेगी। इसीलिए वरीयता के अनुसार ही उन्हे यात्री गाड़ियों पर चलाया जाये। यहाॅ पुनः वह नीति भी लागू होगी कि जब भी पदोन्नति होगी तो वहा उनकी वरीयता देखी जायेगी तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि यात्री गाड़ी पर चलाने से पूर्व उनका Suitablity Test हो। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । संघ/पीएनएम/कोटा लोको/209 दिनांक 27.03.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	नई उपयुक्तटता सूची बनाई जा रही है। जिसमे सभी को शामिल किया जा रहा है।
MS/ 36/2025 PCEEकोटामंड	बिना मनोवैज्ञानिक परीक्षा के रनिंग केटेगरी से हटाये जाने के संबंध में प्रकरण श्री भगवान सिंह मीना, लोको पायलट गंगापुर सिटी।

ल	उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री भगवान सिंह मीना, लोको पायलट/गंगापुरसिटी ने संघ को अवगत कराया है कि उन्हे बिना मनोवैज्ञानिक परीक्षा का मौका दिये रनिंग विभाग से हटाकर टीआरडी विभाग मे समायोजित कर दिया गया है। इस संबंध मे लेख है कि कर्मचारी का वर्ष 2020 मे भरतपुर यार्ड मे लोको के 02 व्हील अवपथन की घटना हुई थी तथा यह घटना गलत हैण्ड सिगनल व मूवमेन्ट पूरा हुए बिना कॉटो का संचालन किये जाने के कारण हुई थी, यह एक यार्ड दुर्घटना थी। यह SPAD दुर्घटना नहीं थी और यदि इसे SPAD दुर्घटना माना गया तथा जो इसकी जॉंच JAG ग्रेड के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी, परंतु इसे पर्यवेक्षकों की कमेटी द्वारा किया गया था। साथ ही SPAD दुर्घटना के बाद लोको पायलट को मनोवैज्ञानिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही रनिंग ड्यूटी मे बहाल किया जाता है परंतु कर्मचारी का कोई मनोवैज्ञानिक परिक्षण नहीं करवाया गयाएवं रनिंग ड्यूटी मे बहाल कर लिया गया। इसके पश्चात वर्ष 2022 मे कर्मचारी द्वारा SPAD की घटना हुई जिसमे दण्ड स्वरूप कर्मचारी को 02 वर्ष के लिए लोको पायलट शंटर के पद पर पदावनत कर दिया गया था। 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को रिफ्रेशर करवाकर मनोवैज्ञानिक परीक्षा के बाद रनिंग ड्यूटी मे लोको पायलट गुड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाना चाहिए था। परंतु कर्मचारी को मनोवैज्ञानिक परीक्षण हेतु न भेज कर सेफ्टी/तकनीकी रिफ्रेशर करवा दिया गया और बिना सहमति के ही स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तकनी. II/टीआरडी के पद पर पदस्थ कर दिया गया। रेलवे बोर्ड के नियमानुसार SPAD का 01 केस होने के बाद लोको पायलट को दण्ड पूर्ण के पश्चात ट्रेनिंग/मनोवैज्ञानिक परीक्षा करवाकर वापस रनिंग ड्यूटी मे बहाल किया जाता है। परंतु कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं किया गया एवं नियमों का उलंघन किया गया है। यदि कर्मचारी को किसी प्रकार का ओवर पेमेन्ट किया गया है तो उसकी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जा सकती है, परंतु नियमो को ताक पर रखकर कर्मचारी को सरप्लस घोषित कर रनिंग विभाग से निकाल देना न्याय संगत नहीं है। संघ का अनुरोध है कि श्री भगवान सिंह मीना, लोको पायलट/गंगापुरसिटी के प्रकरण पर पुनः जांच करते हुए उन्हे मनोवैज्ञानिक परीक्षा का मौका दिया जाये एवं वापस रनिंग विभाग मे पदस्थ करवाने का कष्ट करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । संघ/पीएनएम/कोटा लोको/ 205 दिनांक 19.03.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- वर्ष 2022 में हुई एसपाड की घटना के बाद लोको पायलट भगवान सिंह मीना की मनोवैज्ञानिक परीक्षा करवाने पीसीएसओ/पमरे जबलपुर से अनुमोदन मांगा गया था परंतु पीसीएसओ/पमरे महोदय द्वारा मनोबैज्ञानिक परीक्षा करवाने हेतु अनुमोदन नहीं दिया गया है इसलिए उन्हेंथ मनोवैज्ञानिक परीक्षा हेतु नहीं भेजा गया ।
MS/ 37/2025 PCEE कोटामंडल	जोनल रेलवे में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के संबंध में। उपरोक्त विषय मे वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ मौखिक रूप से कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका है कि इन दिनो मण्डल मे लगातार मीटिंग ही मीटिंग चल रही है बाकि अन्य कार्यो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है विशेष रूप से रेल कर्मचारियों के हित के कार्य है उन पर कार्य करने के लिए प्रशासन के पास समय नहीं है क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि ब्राच ऑफिसर मीटिंग मे व्यस्त है। जब वह मीटिंग मे व्यस्त रहेंगे तो बाकि सभी कार्य प्रभावित रहेंगे। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सेक्शन मे सुपरवाईजर परेशान है एवं वहा कार्य करने वाले कर्मचारी भी परेशान है। जब ब्रांच आॅफिसर व्यस्त रहेंगे तो वे आवश्यक दिशा निर्देश समय पर नहीं दे पायेंगे और जब समय पर दिशा निर्देश नहीं दिये जायेंगे तो संरक्षा के कार्य भी प्रभावित होंगे। सुपरवाईजर को इस प्रकार से कार्यभार दे दिया गया है कि वे तनाव मे कार्य कर रहे है जिससे उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि सुपरवाईजर के पास समय नहीं है क्योंकि उन्हे अन्य कार्य पर लगातार लगाया जा रहा है। इस बात का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तनाव मे कर्मचारी कार्य कर रहे कि साप्ताहिक विश्राम के लिए भी मण्डलो से आदेश दिये जा रहे है कि साप्ताहितक विश्राम देना सुनिश्चित किया जाये। जब कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम ही सुनिश्चित नहीं है तो वह कितने तनाव मे कार्य कर रहे होंगे, उनका पारिवारिक जीवन भी किस प्रकार प्रभावित हो रहा होगा? इसलिए जो बैठको का दौर है उसमे से कुछ समय निकाला जाये और ब्रांच आॅफिसर अपना समय रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनो के हित के लिए भी निकाले और रेल संरक्षा के लिए भी कार्य हो। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि कुछ भी निर्णय लिये जा रहे है, रनिंग स्टाफ को परेशान करने के लिए कहीं भी

	रेस्ट रूम व मुख्यालय खोले जा रहे है यह भी नहीं सोचा जाता है कि उन्हे कितनी दूर आना-जाना पड़ेगा, उससे क्या नुकसान होने वाले है? इस प्रकार चर्चा किये बगैर एवं बिना सोचे समझे यह निर्णय नहीं लिये जाने चाहिए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- परिचालन की आवश्क.ताओं को ध्या‍ेन में रखते हुए 9 घण्टेज के नियम की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नए रेस्ट- रूम एवं मुख्या.लय खेले गए है।
MS/ 40/2025 PCEEभोपलमंडल	TL&AC रानी कमलापति डिपो में कंपनी के फैलियर पर कर्मचारियों को चार्ज सीट देकर प्रताड़ित करना तथा ठेकेदार एसी मैकेनिक की ड्यूटी में कुप्रबंधन । उपरोक्त विषय के अंतर्गत रानी कमलापति TL&AC डिपो से अतिरिक्त 01667/68, 01663/64स्पेशल गाड़ी चल रही है तथा भोपाल निजामुद्दीन एक्सप्रेस 12155/56को भी आगे बढ़ा दिया गया है अतः इसमें भी दो रेक लगाकर 4रेक कर दिये गए हैं 3दिन की अपेक्षा अब 5 दिन मे गाड़ी लौट कर आती है । गर्मी के सीजन में गाड़ियो (रेको) की संख्या बढ़ाना TL&AC RKMP के ऊपर दोहरी असर करता है एक अनुरक्षण के लिए कर्मचारी चाहिए, दूसरा लाइन पर जाने के लिए कर्मचारी चाहिए लाइन पर यदि तबीयत खराब होती है तो अगली लाइन पर जाने के लिए कर्मचारी मना करते हैं तो सुपरवाइजर बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा अतः जबरदस्ती से लाइन पर भेजा जा रहा है रेस्ट भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर और 5 दिन लगातार लाइन पर चलते हैं । Sr.DEE(G), भोपाल ने अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की है स्टाफ के नाम पर सुपरवाइजर चुप्पी साथ लेते हैं तथा उपकरण का फेलियर को कर्मचारियों पर डालकर उनका चार्ज सीट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है । अभी RBC फैलियर में दो कर्मचारियों ओम प्रकाश नेमा एवं देवेंद्र ठाकुर को चार्ज सीट दे दी गई है ना कोई गाड़ी का डिटेंशन हुआ था सिर्फ रेल मदद कंप्लेंट हुई थी जबकि यह rake इंदौर का पहली बार RKMP आया था और पूरे 22 कोच में कोई न कोई परेशानी थी कई कंपनी के RBC/EBC/Cell AC equipment खराब थे कंपनी को फौरन सूचित किया गया लेकिन कंपनी के कर्मचारी आने में दो तीन दिन का समय लगता हे जबकि RAKE को उसी दिन जाना होता है। ठेकेदार को लाभ देकर कर्मचारियों को प्रताड़ित करना न्यायोचित नही है । एक रेलवे कर्मचारी से पूरे 22 कोच में एसी, पंखे, पानी , मोबाइल चार्जर उसके साथ पावर कार जनरेटर लोको से HOG सप्लाई और सिर्फ 1 घंटे पहले ड्यूटी बुलाया जाता हैं । ठेकेदार के कर्मचारी व उनकी कोई भी जिम्मेदारी नही है, 12155/56 पर ठेकेदार के 4 स्टाफ (2पावर कार ृ2 एसी कोच हेल्पर)इनकी जिम्मेदारी भी रेलवे का सिर्फ एक कर्मचारी एक एसी कोच मेकेनिक (ACM) पर डाली जा रही है । यात्री रेल मदद शिकायत के नाम पर कर्मचारियों को चार्ज सीट देकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा स्टा‍ॅफ का काम करना मुश्किल हो रहा है। अतः अनुरोध है कि 12156/12155 के रैक को बढ़ाने व स्पेशल गाड़िया‍ॅ चलाने तथा अनुपात में स्टा‍ॅफ का उपलब्ध न कराना, प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण स्टा‍ॅफ को चार्ज शीट्स देना आदि तत्काल बंद किया जाकर नए कार्यो के अनुरूप स्टा‍ॅफ की व्यवस्था के साथ मैकेनिकस को बाहरी स्टेशनों पर आरामदायक विश्रामालयो की व्यवस्था की जावें ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- गाडियों का संचालन मुख्यालय से जारी परिपत्र /आदेशों के अनुसार किया जा रहा हैं। कर्मचारियों को नियमानुसार गाडियों पर बुक किया जाता है तथा नियमानुसार देय रेस्ट अथवा देय ओवर टाइम/ अन्य भत्तों का भुगतान किया जाता है। गाडी की precooling के दौरान कर्मचारियों द्वारा उचित monitoring न किए जाने के आरोप में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है।
MS/ 51/2025 PCEE भोपलमंडल	गुना डिपो के विद्युत सेक्शन एव कार्य को अन्य SSE डिपो के सामान वितरण करवाने । एसएसई/विद्युत / गुना का कार्यक्षेत्र मक्सी से ग्वालियर एवम मुंगावली से गुना तक है जिसके अंतर्गत 540 किलोमीटर क्षेत्र 41 रेलवे स्टेशन 50 परसैंटेज इंस्टॉलेशन, रनिंग रूम, लिफ्ट, स्पार्ट, 2 जंक्शन, 5 जिला मुख्यालय स्टेशन है गुना के अतिरिक्त शिवपुरी शाजापुर ब्यावरा अशोकनगर डिपो के ठेकेदारी कार्य, समस्त स्टेशन के असेट्स, संयुक्त निरीक्षण, अधिकारी निरीक्षण मदों पर कार्य, समय-समय पर ड्राइव, स्टोर, आउटसाइडर विद्युत कनेक्शन, आदि कार्यों के

	लिए वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता / विद्युत अनुरक्षण / गुना को ही जिम्मेदारी दी हुई है जिससे अत्यधिक दबाव की स्थिति में कार्य करना होता है। अतः संघ की मांग है कि गुना डिपो के विद्युत सेक्शन एव कार्य को अन्य SSE डिपो के सामान वितरण करवाने का प्रबंध करें। कार्यभार के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं एवम रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- एसएसई गुना का कार्य क्षेत्र मक्सी से ग्वालियर एवं गुना से मुंगावली तक है जो कि भोपाल मण्डल की ब्रांच लाइन पर स्थित है। इसके अंतर्गत अधिकांश स्टेशन रोड साइड स्टेशन हैं जहां गाडियों का आवागमन अपेक्षाकृत अति सीमित संख्या में होता है तथा विद्युत असेट्स अपेक्षाकृत सीमित संख्या में है। मण्डल के विद्युत (सामान्य) विभाग की वर्तमान स्वीकृत पिन पोइंटिंग के अनुसार एसएसई गुना के अंतर्गत सुपरवाइजर के 4 पद स्वीकृत है जिनमें से शिवपुरी में 1 स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है। मण्डल में सुपरवाइजर के कुल स्वीकृत 22 पद में से 3 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है। कार्मिक विभाग से कर्मचारी मिलने पर शिवपुरी के रिक्त पद पर कर्मचारी की पदस्थापना शीघ्र ही की जाएगी। एसएसई गुना का कार्य क्षेत्र मक्सी से ग्वालियर एवं गुना से मुंगावली तक है जो कि भोपाल मण्डल की ब्रांच लाइन पर स्थित है |इसके अंतर्गत अधिकांश स्टेशन रोड साइड स्टेशन हैं जहां गाड़ियों का आवागमन अपेक्षाकृत सीमित संख्या में होता है तथा विद्युत असेट्स अपेक्षाकृत सीमित संख्या में हैं | मण्डल के विद्युत (सामान्य) विभाग की वर्तमान स्वीकृत पिन पोइंटिंग के अनुसार एसएसई गुना के अंतर्गत सुपरवाइजर के 4 पद स्वीकृत हैं जिनमें से शिवपुरी में 1 स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है | मण्डल में सुपरवाइजर के कुल स्वीकृत 22 पद में से 3 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है |कार्मिक विभाग से कर्मचारी मिलने पर शिवपुरी के रिक्त पद पर कर्मचारी की पदस्थापना शीघ्र ही की जाएगी |
MS/ 52/2025 DY.CPO/RECT DY.CPO/GAZ DY.CPO/HRD DGM PCEE भोपलमंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की कार्मिक विभाग की समस्याएँ तथा GDCE 01/22 को फाइनल करने के क्रम में । 1. कार्मिक शाखा के कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तथा कुछ विभागों में आवश्यकता से कम मिनिस्ट्रियल स्टॉफ सदस्य है इसके निराकरण हेतु कार्मिक शाखा के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टॉफ की पिन प्वांइटिंग जो वर्षो से लंबित है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर रेलवे इंटर डिवीजन एवं एडीईएन सबडिवीजन टू सबडिवीजन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जा रही है, जबकि कर्मचारी एचआरएमएस से भेज चुका है। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, एवं जिनके स्थानांतरण हो गए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। 2. सभी विभागों में प्रमोशन समय से एवं उचित कम जैसे 4200/- से 4600/2800/- से 4200/2400/- से 2800/ 1900/-से 2400/- 1800/- से 1900 क्रम में प्रमोशन किए जाये।लगभग सभी विभागों में छुट्टियां एचआरएमएस के माध्यम से दी जा रही हैं लेकिन उसे संबंधित सुपरवाइजर एवं अधिकारियों द्वारा माह के अंतिम दिनों में या माह खत्म होने के बाद स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होगी या अस्वीकृत होगी। संघ का सुझाव है कि कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति आस्वीकृति की जानकारी उसके अवकाश तिथि के 12 घंटे पहले दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो अवकाश स्वतः स्वीकृत माना जाए । विभिन्न प्रापत्रो की रिसीविंग कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष एवं कर्मचारियों को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टी.ए.बिल कोई भी एप्लीकेशन अन्य विभिन्न प्रकार के आवेदन सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस के लिए जाये। जिससे पत्र जमा करने की डेट एवं टाइम डिटेक्ट हो सके। 3. GDCE नोटीफिकेशन 01/2022 की प्रोसेस काफी धीमी हो रही है, शीघ्र पूर्ण की जाए। 4. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित करने के संबंध में। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभी हालो में पार्टीसन कर अलग-अलग सेक्षन बनाये गये है जिसके कारण कूलर की हवा पूरे हाल को ठंडा नहीं कर पाती न ही हवा आती है अतः संघ की मांग है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित किया जाये।

	उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1.यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 2. यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 3 यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 4 वर्तमान में कार्यालयीन भवन वातनूकूलित किये जाने हेतु अनुरूप नहीं है न ही कार्यालयों को वातानूकूलित किये जाने की पमरे में कोई पॉलिसी उपलब्धा नहीं है।
MS 53/2025 PCEE भोपलमंडल	ETL कर्मचारियों की समस्याओ के संबंध में। ETL टेक्नीशियनों को मेल एक्सप्रेस में लगातार पांच से सात दिनों तक कार्य करना पडता है, रेस्ट रूम की सुविधा नहीं है। अभी 12155 का स्टाफ RKMP से NZM & NZM से INDB व वापस NZM आकर फिर RKMP तक कार्य करता है। बीच में लगातार रेस्ट NZM में थी तो रेस्तु हाउस भी सुविधा नहीं है। भोपाल व आरकेएमपी के ईटीएल स्टाफ की बहुत कमी है विभाग की पिन पॉइंटिंग /रिस्ट्रकचरिंग विगत 10 वर्षो से नहीं की गयी। भोपाल से ट्रेन केमांक 22165/22166/22167/22168/22145) 22146 एवम 11271 व 11272 मे मेन्टेनेस व स्कार्टिंग के लिए पद नहीं बढ़ाये गये इसी प्रकार अन्य मंडलो मे भी स्थिति है। जिससे कर्मचारियों पर कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिन पाइटिंग कर पदस्थापना की जाये।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कर्मचारियों को बाहरी स्टेशनों पर विश्रामालय की सुविधा हेतु पत्राचार किया गया है। रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु कार्मिक विभाग से लगातार समन्वय किया जा रहा है। पदों की pin pointing का कार्य किया जा रहा है।
MS/ 54/2025 PCEE भोपलमंडल	भोपाल मण्डल में रनिंग कर्मचारियो की समस्यायें। 1. भोपाल मण्डूल में सीएलआई के 66 पद स्वीकृत है वंतमान में 54 कार्यरत है। सीएलआई का पद अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सरक्षा से जुडा है। रेल्वे बोर्ड के नियम के विरुद्ध प्रति सीएलआई 25 से 30 लोको पायलट एवम शंटर आवंटित है। SPM डाउन लोडिंग, CCVRS की जाँच, प्रति सप्ताह 2 से 3 ड्राइव की शिफ्ट लगाकर काउंसलिंग एवम अधिकारियो के साथ फुट प्लट। FSD तथा Signal, लोकेशन लुक अपडेट करना, लोको फैल्योर केस में TRS सुपरवाईजर के साथ CLI भेजना प्रतिदिन आटोमेटिक ववज व सर्टिफिकेट हेतु ड्यूटी लगाना एवंम अन्य कार्य देकर उनके मूल कार्य से विमुख किया जा रहा है। संघ अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को देखते हुए, लोको पायलट स्पेशल ड्यूटी (सीएलआई) में कार्य करवाया जाये ताकि कार्य स्मूथ रूप से हो सके व कार्यरत सी एल आई पर कार्य का बोझ कम हो । 2. भोपाल मण्डल में LPP व LPG पद काफी समय से रिक्त हैं। रेल्वे बोर्ड के पत्र क्रमाक RRB-49/2024 दिनांक 30/8/24 के अनुसार, महाप्रबंधक के अनुमोदन के पश्चात सहायक लोको पायलट (जो एमएलडी पास हो) को ालोको पायलट गुड्स सहायक के प्रमोशन किया जा सकता है। जिनके 60000 KM एवं 2 वर्ष से अधिक सेवा हो प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। 3. भोपाल मण्डल में रनिंग स्टाफ को वर्तमान में दो-दो रनिंग रूम में रोका जा रहा है अर्थात 6 घंटे का रेस्ट देकर 10 से 11 घंटे ड्यूटी करवायी जा रही कभी-कभी तो आऊट स्टेशन रनिंग रूम में 16 घंटे से 24 घंटे भी रोका जाता है। स्टॉफ तीन-तीन दिन बाद मुख्सालय आकर 16 घंटे में ही बुक हो जाता है। इस प्रकार के संचालन से रेल प्रशासन को कोई लाभ नहीं है। बल्कि मुख्यालय मे पोजीशन ठीक न होने से कर्मचारी के रेस्ट अवकाश के कमी हो रही है जिससे कर्मचारी के के परिवारिक एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन न होने से रेल संचालन में तनावपूर्ण वातावरण निर्मित है। 4. मण्डल में बीड़, PSSS बीना रिफाईनरी में साईड़िग बनी जिसमें 10-12 रेक प्रतिदिन आते जाते है जहाँ रेक लोड़िग, अनलोडिग होती है वहाँ पर पाथ-वे, लाईट, पीने का पानी पर्याप्त नहीं है, और जो स्टॉफ जाता है, उसे अत्यधिक परेषानी होती है उसे मुख्यालय स्तर पर बातचीत हो। 5. मण्डल में 3 लाईन, मण्डल में नई गाड़ियो का जुड़ना, मण्डल में आटोमेटिक सेक्शन, स्टॉफ पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध न होना वर्तमान में कर्मचारियों के पास जो कार्य है उससे अत्यधिक कार्य करना और जो रेल कर्मचारी है, उन्हे समय से प्रमोशन न मिलना जिसके कारण कर्मचारी अत्यधिक परेशान हो रहे है, गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं।

	अतः स्टॉफ उपलब्ध कराये जाए। 6. भोपाल डिपो द्वारा 22222/22221 का संचालन किया जा रहा है, उक्त गाड़ी का पिछले एक वर्ष से स्टापेज भुसावल स्टेशन पर हो गया हैं। परन्तु भुसावल स्टेशन पर क्रू चैन्जिग प्वाइंट नहीं गया हैं। उक्त गाड़ी का क्रू जलगाँव स्टेशन पर ही चेंज हो रहा है, जो आपरेशनल दृष्टिकोण से उचित नहीं है क्योकिं पहले तो वह पुल रात्रि की गाड़ी हैं। दूसरा जलगाँव से रोड ट्रांसपोर्ट से क्रू को वापिस रनिंग रूम आना होता है लगभग 25 से 30 Km. By Road Sr.Loco Pilot का आना जाना सुरक्षा की दृष्टिकोण से सही हैं। संघ का मत है कि उक्त गाड़ी का स्टापेज भुसावल है तो स्टॉफ बदलने की व्यवस्था भुसावल में ही की जावे। ताकि पूर्णतया संरक्षा सुरक्षा से उक्त ट्रेन का संचालन किया जा सकें। 7. झॉसी के पुराने रनिंग रूम में पलंगो की व्यवस्था डोरमेट्री स्टाइल में है ALP, LP एवं ट्रेन मैनेजर साइड जिसके कारण एक स्टाफ की कॉल लगने पर उस रूम में रेस्ट करने वाले समस्त क्रू डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी पृथक-पृथक व्यवस्था सोने की जावे। इसी प्रकार झॉसी रनिंग रूम भोजन व्यवस्था, कूलर / AC की व्यवस्था भी उचित नहीं हैं। कूलिंग की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि सभी पलंगो पर पर्याप्त कूलिंग समान रूप् से हो सके। 8. बीना रनिंग रूम का भोजन का स्तर काफी घटिया है आये दिन भोजन में मक्खी, कॉकरोच आते हैं। सब्जियों सड़ी गली बनायी जाती है, Sr.DDE/TRO (BPL) से उक्त विषय में कई दफा औपचारिक तथा अनोपचारिक रूप से चर्चा हुई हैं। वह भी अपनी मजबूरी बता कर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। ठेकेदार को बदला जावे अथवा उचित व्यवस्था करने का श्रम अति आवश्यक हैं। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पीसीईई- . CLI के पदों को भरने हेतु री-इंगेजमेंट के लिए मुख्यालय प्रस्ताव भेजा गया है। अभी री-इंगेजमेंट हेतु मुख्यालय से स्वीकृति नहीं मिली है। SPM एनालिसीस हेतु स्पेशल ड्यूटी रनिंग स्टाफ /लाइट जॉब वाले रनिंग स्टाफ को बुक किया जा रहा है। सी.एल.आई. पर से बोझ कम करने हेतु तीन स्टेशनरी ड्यूटी सी.एल.आई को ओपेन लाइन पर भेजा गया है 2. लोको पायलट पैसेंजर के वर्तमान में 22 पद रिक्त हैं, पद भरने हेतु उपयुक्तता सूची 22-05-2025 को जारी कर दी गयी है। भोपाल मंडल में 121 LPS है, उनमें से अधिकांश 2 साल पूरे करने वाले हैं। LPS के रहते हुए ALP से लोको पायलट गुड्स बनाना रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक ई(एनजी)I/2023/पी/एम7/7(ई-3437106) के अनुसार नहीं है । आगामी कुछ ही महीनों में इन्हीं LPS को LPG में पदोन्नति दी जाएगी । 3. क्रू को विश्राम एवं गाड़ियों के महत्व में सामंजस्य स्थापित कर कार्य कराया जाता है, यथासंभव राउंड ट्रिप के पश्चात एवं आउट स्टेशन से गाड़ियों के फोरकास्ट के अनुसार क्रू को स्पेयर भी किया जाता है ।कभी-कभी क्रू को रनिंग रूम में अधिक समय के लिए रोका जा सकता है,जब कि फोरकास्ट के अनुसार गाड़ियां नहीं चल पाती हैं । 4.PSS अथॉरिटी ने बताया कि पेयजल हेतु नयी बोरिंग SANCTIONED हो गई है। LIGHT हेतु HIGHMAST TENDER हो चुका है। पाथवे हेतु गति शक्ति के अंतर्गत कार्य किया जाएगा । बीना रिफाईनरी हेतु पाथवे, पेयजल एवं LIGHT हेतु सीनियर डी.ओ.एम. द्वारा 15-05-2025 को पत्र लिखा जा चुका है ।पुनः इस कार्यालय द्वारा पत्र 26-05-2025 को भेजा गया है। 5. स्टाफ की मांग क्रू रीव्यू में की गयी है । 6. पूर्व में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टी.आर.ओ)/ भुसावल को पत्र लिखा जा चुका है । पुनः 23-5-2025 को पत्र व्यवहार किया गया है । 7.सीनियर डी.ई.ई.ऑपरेटिंग VGLJ को क्रू की पर्याप्त सुविधा हेतु पूर्व मे पत्र 09-04-2025 को लिखा जा चुका है । पुनः 23-5-2025 को पत्र लिखा गया है 8. गहन मॉनिटरिंग की जा रही है, इस तरह के प्रकरणों में पेनाल्टी क्लास के अनुसार पेनाल्टी लगाई जा चुकी है ।
MS/ 57/2025 PCEE	जबलपुर मंडल के रनिंग कर्मचारियों के कार्य करने में होने वाली समस्याओं के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत जबलपुर मंडल में रनिंग कर्मचारियों की वर्किंग वीट लगातार कम होती जा रही, जबलपुर मंडल के भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे मंडलो एवं अन्य रेलवे के क्रू से लगातार काम कराया जा रहा है जिससे मंडल में रनिंग कर्मचारियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है, एएलपी कैडर में 8 से 10 वर्ष हो गये। किंतु लोको पायलट की पदोन्नति नहीं हो पा रही है :-

	1. जबलपुर इटारसी-जबलपुर भौगोलिक क्षेत्र भी जबलपुर मंडल का है, किंतु मालगाड़ी में भोपाल मंडल के इटारसी क्रू को लगातर लगाया जा रहा है, जोकि थ्रू गाडियां पार्सल, एन बाक्स जैसी गाड़ियों इटारसी से जबलपुर आते है, जबकि जबलपुर का 8 से 10 क्रू इटारसी रनिंग रूम में हमेशा उपलब्ध रहते है तथा उनका आउट स्टेशन रेस्ट औसतन 14-15 घंटे रहता है कभी-कभी 24 से 30 घंटे भी आउट स्टेशन रेस्ट हो जाता है, क्योंकि इटारसी स्टाफ को लगाया जाता है, ज्यादा क्रू होने पर भी स्पेयर भी नहीं किया जाता, जिससे मुख्यालय में क्रू की उपलब्धता कम हो जाती है। कुंभ के दौरान स्पेषल गाड़ियों पर काम करने हेतु इटारसी क्रू को इटारसी जबलपुर खंड में अस्थायी रुप से कार्य करने हेतु दिया गया था। परंतु आज भी स्पेशल ट्रेन 0 नंबर से शुरु होने वाली गाड़ी इटारसी क्रू के द्वारा जबलपुर तक चलाया जा रहा है। जोकि तत्काल बंद होना चाहिये। 2. जबलपुर मंडल के सागर डिपो का क्रू सेक्शन सागर-गुना, सागर-निषातपुर व सागर-झांसी में कार्य करता था, किंतु वर्तमान में सागर डिपो के क्रू को सागर-एनकेजे खंड में कार्य कराया जा रहा। जबकि वर्तमान में उपरोक्त खंड में गुना/कोटा क्रू, भोपाल क्रू व झांसी क्रू काम कर रहे है, इस प्रकार मंडल के क्रू की वर्किंग वीट कम की जा रही है जोकि जबलपुर मंडल के क्रू के साथ अन्याय है तथा भविष्य के साथ खिलवाड है। अतः सागर डिपो की पुरानी वीट पर अनुपातिक कार्य सागर डिपो के क्रू से कराया जाये। 3. सतना डिपो की मालगाड़ी कार्य करने की क्रू वीट सतना-छिवकी तथा सतना-बांदा थी जिसमें कि वर्तमान में छिवकी व बांदा का स्टाफ आता है तथा उन्हें स्पेयर न करते हुये सतना से बांदा व छिवकी गाड़ी चलाने हेतु बुक किया जाता है। परिणाम स्वरुप मंडल के सतना डिपो के क्रू का आउट स्टेशन रेस्ट बांदा व छिवकी में बढ़ रहा है। जिससे मंडल के क्रू का पूर्ण रुप से उपयोग नहीं हो रहा है। 4. वर्तमान में सभी मालगाड़ियों के क्रू को सेक्शन में 9 घंटे से अधिक कार्य करने का मेमो दिया जा रहा है। किंतु ओव्हर आवर्स ड्यूटी कराने का कोई भी उचित कारण नहीं लिखा जाता है जबकि बोर्ड ने केवल इमरजेंसी में ऐसा मेमो देकर कार्य कराने हेतु ० आदेषित किया है, किंतु मंडल में बिना किसी कारण के प्रतिदिन ओव्हर आर्वस कार्य कराया जा रहा है। जोकि रनिंग कर्मचारियों के आक्रोश को कम करने के लिये मेमो पर प्रतिबंध लगाना अतिआवश्यक है। 5. मंडल में जबलपुर, नकज, सतना, सागर, व ब्यौहारी डिपो के क्रू द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जाता है, किंतु सभी डिपो में साइडिंग वर्किंग के कारण क्रू को मुख्यालय वापिस नहीं आने दिया जाता, बल्कि 3-3 राउंड ट्रिप कराकर बीच सेक्शन में रिलीव हुये क्रू को मुख्यालय के स्थान पर आउट स्टेषन की तरफ स्पेयर भेजा जाता है। जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा सभी रेलो को निर्देषित किया गया है कि मंडल स्तर पर कोशिश की जाना चाहिये कि 32 घंटे में क्रू वापिस मुख्यालय आ सके। लेकिन बोर्ड के आदेष के विरुद्ध टारगेटेड 72 घंटे पूरा करने की मंडल में कोशिश की जा रही है। इस कार्य के लिये तीनो शिफ्ट में एक क्रू कन्ट्रोल कन्ट्रोल आफिस में ड्यूटी पर तैनात रहते है, जोकि शीघ्र ही नई व्यवस्था बनाकर लोको पर उपलब्ध कराया जाये। 6. रेलवे बोर्ड के आदेषानुसार एफएसडी को लोको पर उपलब्ध कराया जाये व लोको से उतारा जाय जबकि दूसरे मंडल / रेलो पर यह व्यवस्था लागू हो गई, किंतु मंडल के अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके कारण अपने सामान के साथ-साथ एफएसडी भी एएलपी को ढोने को मजबूर होना पड़ रहा है। 7. सेफ्टी के दबाव में रनिंग कर्मचारियों के उपर डीएआर लगाकर बड़ी संख्या में चार्जशीट दी जा रही है कितुं ओव्हर आवर्स कार्य कराने, रनिंग स्टाफ को अनावष्यक प्रताड़ित करने के लिये सेफ्टी के दबाव में ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुये डीएआर के अंतर्गत प्रताड़ना कम की जाये। 8. मेल एक्सप्रेस पैसेंजर लोको पायलट के पदो में रिक्तियों होने के कारण दूसरे मंडल/रेलवे की तरह जबलपुर मंडल में भी लोको पायलट गुड्स को स्क्रीन्ड कर मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों में कार्य कराया जाता है। किंतु अचानक केवल जबलपुर डिपो के स्क्रीन्ड लोको पायलट की स्क्रीनिंग निरस्त कर दी गई। इस संबंध में संघ को कोई सूचना भी नहीं दी गई आपसे अनुरोध है कि सभी लोको पायलट गुड्स की स्क्रीनिंग बहाल की जाये। जिससे महत्वपूर्ण गाड़ियों का उचित संचालन हो सके। 9. मंडल पर पैसेंजर/मेल परिचालक के कई पद खाली है पिछले एक साल से पदस्थापना नहीं हो पा रही है जिससे उक्त केटेगरी को प्रोमोषन का लाभ नहीं मिल रहा है। पैसेंजर/मेल में पदस्थाना नहीं होने के कारण मंडल स्तर पर

	कैटेगरी का स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण लंबित है अतः संघ मांग करता है कि पैंसेजर / मेल परिचालक की प्रोमोषन लिस्ट शीघ्र जारी किया जाये। 10. मुख्यालय के आदेषानुसार मंडल में रनिंग कर्मचारियों को एक बार मुख्यालय से गाड़ी लगने के बाद 72 घंटे से पहले मुख्यालय वापिस न आने पाये इसकी मानिटरिंग क्रू कन्ट्रोल द्वारा की जा रही है जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र कं E (LL) 2009/her/1 RBE 37/2010 Dt-25.02.2010 के अनुसार सभी जोनल रेलवे को निर्देशित किया गया था, कि रनिंग कर्मचारियों का आउट स्टेशन डिटेशन को कम करके 36 घंटे किया जाये। परंतु मंडल में इसके विपरीत यदि कोई सीधी गाड़ी मुख्यालय की ओर आ रही है एवं क्रू के 72 घंटे नहीं हुये तब छोटे छोटे डिपो / साइडिंग में रिलीव कराकर 3-4 रनिंग रूम में हाल्ट कराया जाता है जोकि अमानवीय कृत्य है एवं रनिंग कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की कार्यप्रणाली है संघ की मांग है कि 36 घंटे में रनिंग स्टाफ को मुख्यालय वापिस किया जाये। 11. मुख्यालय के आदेषानुसार मंडल में रनिंग कर्मचारियों को आउट स्टेशन से मुख्यालय की ओर स्पेयर न किया जाये जबलपुर मंडल में आउट स्टेशन के रनिंग रूम में खाली बेड न होने पर भी स्पेयर नही किया जा रहा। बल्कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वेड के लिये 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है एवं आउट स्टेशन रेस्ट 16 से 20 घंटे तक हो रहा है जिससे मुख्यालय में रनिंग स्टाफ की उपलब्धता कम हो जाती है एवं मुख्यालय रेस्ट घटकर 16 घंटे हो जाता है कर्मचारी परिवार को समय नहीं दे पा रहे है जिससे रनिंग कर्मचारियों में आकोष है। 12. जबलपुर-इटारसी खंड में एनटीपीबी साइडिंग है जहां पर रनिंग कर्मचारियों को रेस्ट करने के लिये कंपनी द्वारा रेस्ट रुम बनाया गया है जहां पर 3 कमरो में 10 बेउ लगे हुये है अक्सर सभी बेड भरे रहते है बेड पाने के लिये क्रू को इंतजार करना पड़ता है साथ ही साथ 3 कमरो में केवल एक कमरे में ही टायलेट एवं वाथरुम है अतः तीनो कमरे के कर्मचारी एक ही जगह टायलेट बाथरुम का उपयोग करते है जिससे उस कमरे में रेस्ट कर रहे कर्मचारियों का रेस्ट भंग होता है जोकि रेल संरक्षा के लिये धारक है। 13. जबलपुर मंडल में मालगाड़ी क्रू से लगातार ओव्हर आवर्स कार्य कराया जा रहा है क्रू द्वारा ओव्हर आवर्स में रिलीव मांगने पर क्रू कन्ट्रोल द्वारा धमकी दी जाती है यदि रिलीव मांगा तो दो दिन तक मुख्यालय वापिस नहीं करेंगे एवं 14 घंटे से अधिक ड्यूटी होने पर रनिंग कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है जबकि ओव्हर आवर्स ड्यूटी प्रशासन कराता है। 14. सेफ्टी के नाम पर डीएआर का दुर्पयाग की फुटेज पर कही माइक्रोस्लीप, चश्मा न पहनने पर, जंबाई लेने पर चार्जरीट जारी कर दंडित किया जा रहा है जोकि रनिंग कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम है संघ की मांग है कि इस तरह से डीएआर का दुर्पयोग रोका जाये। 15. रनिंग कर्मचारियों की रिक्तियों के कारण समय पर अवकाश नहीं मिल पाता यहां तक की परिवार में शादी या शोक होने पर छुट्‌ट नहीं मिलती यदि रनिंग कर्मचारी का घर जान अतिआवश्यक होता है तब अनुपस्थिति दर्शाते हुये डीएआर का वेजा प्रयोग किया जाता है जोकि तत्तकाल बंद होना चाहिये। 16. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार प म रेल की सीमा से लगे अन्य जोनल रेलवे के साथ गाड़ियों के किलोमीटर बैलेंस किए जाएं ताकि प म रेल के रनिंग कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कम ना हो सकें। 17. प.म. रेल में अंतर्मंडलीय गाड़ियों के किलोमीटर का बैलेंस किया जाए जिससे मंडल पर रनिंग स्टाफ की रिक्तियों का सही सही आकलन हो सके तथा उनके पदोन्नति के अवसर कम ना हों। 18. इटारसी जबलपुर / कटनी खंड में इटारसी क्रू द्वारा मालगाड़ियों तथा विशेष गाड़ियों का संचालन बंद किया जाए, क्योंकि यह सेक्शन पूरी तरह से जबलपुर मंडल के अधीन है। 19. CVVRS/SPM की रिपोर्ट के आधार पर DAR के अंतर्गत कार्रवाई बंद किया जाए। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार सभी लोको में AC लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सुचारू रूप से काम करते हैं। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	वर्तमान समय में ज़ेड.आर.टी.आई. भुसावल में 210 विभागीय सहायक लोको पायलटों को चयनित कर उनमें से 208 सहायक लोको पायलटों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया । वर्ष 2024 का क्रू रिव्यू किया जा रहा है जिसे मुख्यालय भेजा गया है । (1) मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 50 % बीट इटारसी के पास है । रनिंग रूम डिटेन्शन ज्यादा होने पर

	भोपाल मंडल को मैसेज देकर रनिंग कर्मचारियों को मुख्यालय वापस कराया जाता है । (2) मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रू बीट का निर्धारण किया गया है तथा उसी अनुसार कार्य कराया जा रहा है। (3) सतना डिपो के कर्मचारियों को प्रतिदिन बांदा तथा छिवकी बुक किया जा रहा है तथा छिवकी एवं बांदा में सरप्लस होने पर रनिंग कर्मचारियों को मुख्यालय वापस कराया जाता है । (4) यह मद परिचालन विभाग से संबन्धित है । (5) JBP-STA, NKJ-SGO, STA-REWA एवं JBP-ET खंड में समान्यतः एक राउंड ट्रिप के बाद मुख्यालय वापस कराया जा रहा है तथा NKJ-SGRL खंड में 50 घंटे पूर्ण होने के बाद मुख्यालय वापस कराया जाता है । (6) जबलपुर मंडल के जबलपुर डिपो में आउट स्टेशन स्टाफ की एफ.एस.डी. जबलपुर लॉबी में जमा की जा रही है एवं ऑनड्यूटी के समय ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारी को दी जा रही है । (7) कर्मचारियों को पहले समझाइस / काउंसिल की जाती है । पुनरावृत्ति होने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है । (8) आवश्यकतानुसार समय-समय पर लोको पायलट (गुड्स) को मेल / एक्सप्रेस / पैसेंजर गाड़ियों के संचालन हेतु स्क्रीन किया जाता है । कुम्भ मेला के दौरान कुछ स्क्रींड लोको पायलट को 100 दिन या 70 दिन के लिए स्क्रींड किया गया था । (9) यह मद परिचालन विभाग से संबन्धित है । (10) JBP-STA, NKJ-SGO, STA-REWA एवं JBP-ET खंड में समान्यतः एक राउंड ट्रिप के बाद मुख्यालय वापस कराया जा रहा है तथा NKJ-SGRL खंड में 50 घंटे पूर्ण होने के बाद मुख्यालय वापस कराया जाता है । (11) सतना(10) रीवा (20)एवं बरगवां (50)में बेड बढ़ा दिये गए हैं । बेड की उपलब्धता ना होने पर मुख्यालय वापस कराया जाता है । (12) जबलपुर–इटारसी खंड में एनटीपीबी साइडिंग में रेस्ट रूम, परिचालन विभाग के नियंत्रण में है । (13) जबलपुर मंडल के नियंत्रक कार्यालय द्वारा धमकी नहीं दी जाती है । 14 घंटे ड्यूटी होने पर लोको रनिंग कर्मचारी से जानकारी मांगी जाती है कि बिलम्बन कहां –कहां हुआ है ताकि परिचालन विभाग से समन्वय स्थापित कर ओवर आवर्स को कम किया जा सके । (14) कर्मचारियों को पहले समझाइस / काउंसिल की जाती है । पुनरावृत्ति होने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है । (15) लोको रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार अवकाश स्वीकृति किया जाता है । कर्मचारी के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुये डीएआर की कार्यवाही की जाती है । (16) क्रू लिंक परिचालन की आवश्यकताओं एवं डिपो की उपयुक्तता के आधार पर ही बनाए जाते है । यहा साथ के मंडलों / क्षेत्रीय रेलों के साथ कि. मी. बैलेंसिंग के आधार पर ही बनाए जाते हैं । मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रू बीट का निर्धारण किया गया है तथा उसी अनुसार कार्य कराया जा रहा है । (17) क्रू लिंक परिचालन की आवश्यकताओं एवं डिपो की उपयुक्तता के आधार पर ही बनाए जाते है । यहा साथ के मंडलों / क्षेत्रीय रेलों के साथ कि. मी. बैलेंसिंग के आधार पर ही बनाए जाते हैं । मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रू बीट का निर्धारण किया गया है तथा उसी अनुसार कार्य कराया जा रहा है । (18) कुम्भ मेले के दौरान जबलपुर क्रू कम होने के कारण इटारसी क्रू को कटनी तक के लिए बुक किया जाता था । कभी –कभी इटारसी में जबलपुर स्टाफ न होने के कारण इटारसी क्रू से जबलपुर तक आवश्यकता होने पर गाड़ी चलवाई जाती है । (19) सीवीवीआरएस / एसपीएम की रिपोर्ट के आधार पर पहले काउंसिलिंग की जाती है पुनरावृत्ति होने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तथा अभी लगातार काउंसिलिंग की जा रही है । एनकेजे विद्युत लोको शेड में 221 लोको होल्डिंग है जिसमें 211 लोको में ए.सी. लगे हैं तथा शेष 10 लोको में ए.सी. लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन हैं ।
MS/ 58/2025 PCEE PCE जबलपुरमंडल	जबलपुर मंडल के महिला ट्रेकमेंटेनर्स तथा सहायक लोको पायलट की समस्याओं के संबंध में। 1. ट्रैक मेंटेनर के पद से जिन महिला रेल कर्मचारियों का कैडर चेंज हुआ है, उन्हें जीपी 1800 ही में रखा गया है।

	उन्हें एमएसीपी का लाभ दिए जाने के लिए पूर्व के कैडर की सेवा अवधि की गणना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संघ मांग करता है कि जो महिला रेल कर्मचारी (पूर्व के ट्रैक मेंटेनर कैडर की सेवा मिलाकर) रेल सेवा के कुल 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं उन्हें एमएसीपी के लाभ से वंचित न रखा जाए। 2. रेल्वे बोर्ड के निर्णयानुसार ट्रैक मेंटेनर, सहायक लोको पायलट अथवा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के पद पर पदस्थ महिला रेल कर्मचारियों के कैडर परिवर्तन के आवेदन एचआरएमएस के माध्यम से लगे हुए हैं। उन पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए महिला रेल कर्मचारियों के कैडर परिवर्तन हेतु निर्देश जारी किया जाए। 3. ट्रैक मेंटेनर को मिलने वाले सेफ्टी गियर्स जिसमें विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज, रेन कोट, ल्यूमिनस वैस्ट आदि शामिल हैं उनका किसी भी मंडल में समय से एवं निर्धारित संख्या के अनुसार वितरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही सामग्री की गुणवत्ता की शिकायतें भी लगातार बनी हुई हैं। संघ मांग करता है कि बोर्ड द्वारा उपरोक्त मद हेतु निर्धारित राशि का भुगतान कर्मचारियों के वेतन पत्रक से किया जाने की व्यवस्था कराई जाए। 4. जबलपुर मंडल के ट्रेन मैंनेजर (गार्ड) को ट्रेन मैंनेजर गुड्स से ट्रेन मैनेंजर मेल तक पदोन्नति में केवल 3 फिक्सेषन का लाभ देने के संबंध में। जबलपुर मंडल में रेलवे बोर्ड के पत्र कंमाक PC-V/2009/ACP/2 Dt. 10.06.2009 के अनुसार ट्रेन मैंनेजर गुड्स से ट्रेन मैनेंजर मेल की पदोन्नति में तीन बार पे-फिक्सेषन का लाभ दिया जाता है, इसलिये ट्रेने मैनेंजर केटेगरी में एमएसीपी का लाभ देय नहीं है, किंतु मंडल में 20 ऐसे ट्रेन मैंनेजर है, जिन्हें अभी तक अपने पूरे सेवाकाल में केवल दो वित्तीय लाभ मिला है तथा भारतीय रेल पर ट्रेन मैंनेजर के पद पर 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें उपरोक्त एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत जीपी 4200 लेवल 6 में ही एक अतिरिक्त विषेष वेतन वृद्धि का लाभनहीं दिया जा रहा है जबकि भारतीय रेल के अन्य मंडलों पर पूरे रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, ट्रेन मैंनेजर) को इसका लाभ मिल रहा है साथ ही साथ जबलपुर मंडल पर लोको पायलट को इस योजना के लाभ के रुप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जा रही है। अतः संघ मांग करता है कि ट्रेन मैंनेजर कैटेगरी में पात्रता रखने वाले कर्मचारी को इसका लाभ दिया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCEE- 1 यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 2 यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। 3 यह इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है। 4 यह मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।

MS/ 19/2017Dy.C PO/HRD	एमएसीपीएस के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन पर रिकवरी बन्द करने के संबंध में । भोपाल मेंडल के कर्मचारियों सर्व 1. श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, चीफ ओ.एस ओपरेटिंग, सीओएस (पी). 2. सतीशा सिंह चौहान, चीफ ओएस, मैकेनिकल 3. रफीउद्धीन काजी चीफ ओएस, मैकेनिकल 4. रमा विजियन स्टेनो (आपरेटिंग) 5. एस.के. गर्मे सं.नि. (परिचालन) 6. एम वी. एम. नायर, स्टेनो, 7. अरूण तवा, स्टेनो, आर.पी.एफ., 8. एस.के. गुप्ता, एसएम (आपरेटिंग) ७ जया बेदुना, सीनियर क्लर्क 10. दिगम्बर बीरंगल, ओएस (एसएण्डटी) 11. आर.एन. सरसनेट ओएस कर्मिसियल ने संघ को अपने प्रतिवेदन में बताया है कि उन्हें रेल प्रशासन द्वारा एमएसीपीएस स्कीम के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया था जिसे बाद में प्रशासन ने wrongful/excess payment मानते हुए एमसीपीएस आदेश वापस लेने का निर्णय लिया एवं उस अवधि के दौरान किये गए भुगतान रिकवरी की प्रारंभ कर दी गई परन्तु सुप्रीम कोर्ट डीओपीटी रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा किये गये wrongful/excess paymentकी रिकवरी नहीं की जा सकेगी। पत्र क. 18. 03.2015 Estt. (pay 1) दिनांक 02.03.2016. अतः संघ मांग करता है कि उक्त रिकवरी तत्काल बंद की जाए । संघ इस बावत् पीएनएम में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD-कर्मचारियों को एमएसीपी के अंतर्गत त्रुटि वश लाभ दिया गया था अतः अत रिक्ति भुगातन की रिकवरी नियमानुसार की गयी वर्तमान में सभी कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके है। कर्मचारियों की सेवापंजिका की जांच

	उपपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडी.:-
	प्रशासनिक टिप्पणी
	मद मे दर्शाये गये 11 कर्मचारीयों को 2010-13 मे जारी कार्यालय आदेश द्वारा त्रुटिवश एमएसीपी दी गई थी जिसे 2014 के आदेशो के तहत वापिस ले लिया गया है। कर्मचारियो की रिकवरी 2014-15 मे कर ली गई थी एवं कर्मचारी 2018 से 2024 की अवधी मे सेवानिवृत हो चुके है। अतः मद समाप्त किया जाये।
MS/ 49/2020 DY.CPO/HRD	रेलवे बोर्ड के पत्रांक के अनुसार लोको पायलट को पे फिक्शेसन करते हुये एरियर का भुगतान किया जाये । रेलवे बोर्ड के पत्रांक RBE-172/2008PC-VI/20118/1/RSSRP/1/DATED 11/11/2008 RBE-109/2008PC-V1/2008/1/RSSRP/1/DATED 12/09/2008 के अनुसार लोको पायलट शंटिंग से सीनियर लोको पायलट शटिंग एवं लोको पायलट शंटिंग से लोको पायलट गुड्स में पदोन्नति पर पे फिक्शेसन किया जाए । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	लोको रनिंग स्टाणफ जो दिनांक **01.01.2006** से पहले ऑन रौल में थे उनका छठवे वेतनमान में वेतन निर्धारण आरबीई नं. **109/2008** में जारी एफटीआर-**1** से **7** के अनुसार किया गया है । दिनांक **01.01.2006** के बाद पदोन्ननति पर वेतन निर्धारण आरबीई नं **103/2008** दिनांक **04-09.2008 (Exra Ordinary Gazette)** पैरा **13 (1)** के प्रावधान के अनुसार किया गया है जो कि उचित है। इसी क्रम में आरबीई **28/2010** के अनुसार एवं रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र क्र **–PC/VI/1018/RU/NFIR/I/** दिनांक **28.08.2018** द्वारा दिनांक **01.01.2006** को या उसके बाद पदोन्न ति हुए रेल कर्मचारियों के पदोन्निति पर वेतन निर्धारण के विषय पर स्पाष्टीउकरण जारी किया गया है। इस पत्र के पैरा **2**-में यह स्प ष्ट किया गया है कि- **There is no prescribed minimum ,other than minimum of the applicable Pay Band in the case of those promoted on or after 01.01.2006, where an employee is fixed in any of the applicable pay bands. The minimum pay in pay band as prescribed in first schedule part A Section II of RS (RP) Rule 2008 and corresponding stipulation in first schedule annexed with Board letter dated. 11.09.2008 (RBE No.108/2008) is applicable only for direct recruits appointed on or after 01.01.2006 belonging to running as well as non-running categories. As such once the pay of any existing employee (already in service as on 01.01.2006) is fixed in revised pay structure in applicable pay bond of Rule 7 or 11 and he is subsequently promoted to a post in same or other pay bond his fixaction has to be made a per Rule 13.**
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	आरएस(आरपी) नियम 2008 के अनुसार दिनाक 01.01.2006 को ऑन रोल लोको रनिंग स्टाफ का छठवें वेतनमान में प्रारंभिक वेतन निर्धारण आरबीई नं 109/2008 में दिए गए फिटमेंट टेबल क्र.1 से 7 के अनुसार किया गया है। दिनाक 01.01.06 के बाद पदोन्नत होने वाले सभी कर्मचारियों (रनिंग एवं नॉन रनिंग) का वेतन निर्धारण आरबीई नं. 103/2008 के पैरा 13 (i) के अनुसार किया गया है। पदोन्नति पर पे बैंड बदलने पर वर्तमान वेतन में 3% इन्क्रीमेंट जोड़ा गया है, इस प्रकार 3% इन्क्रीमेंट जोड़े जाने के बाद यदि बढ़ा हुआ वेतन उस पे बैंड के न्यूनतम वेतन से कम है, जिसमें पदोन्नति हो रही है, तो वेतन पदोन्नत पे बैंड के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया गया है। जैसे यदि कोई कर्मचारी पीबी 1 (5200-20200) से पीबी 2 (9300-34800) में पदोन्नत हो रहा है, तो यह सुनिश्चित किया गया है कि उसकी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पीबी 2 के न्यूनतम 9300/- से कम ना हो। तथापि यदि पदोन्नति समान पे बैंड में है तो यह प्रावधान लागू नहीं होता है। आरबीई नं 109/2008 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि रेलवे कर्मचारियों की एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के मामले में वेतन बैंड में कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जा सकता (वेतन बैंड में परिवर्तन के मामले को छोड़कर)। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र PCVI/2018/RU/NFIR/1 दिनांक 28.08 2018 में पुनः स्पष्टीकरण दिया गया है कि 01.01.2006 को ऑन रोल कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने पर उनकी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आरबीई 103/2008 के नियम

	13 (i) के अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में सभी लोको रनिंग कर्मचारियों का पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण आरबीई नं. 103/2008 के पैरा 13 (i) के अनुसार किया गया है एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है। । अतः उपरोक्त मद समाप्त किया जाये।
MS/ 04/2021 DY.CPO/HRD	जोनल रेलवे के स.लो.पा से वरि.स.लो.पा के वेतन दर के सम्बवन्धव में- जोनल रेलवे के विभिन्न मण्डलों में सहायक लोको पायलट से वरि. सहायक लोको पायलट में पदोन्नति 6th CPC पत्रांक RBE NO-108/2008 दिनांक 11.09.2008 को मई 2010 को किया गया लेकिन GP-2400 में मिनिमम वेतन दर 9910/- नही दिया गया। अतः एरियर सहित भुगतान किया जायें। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । **प्रशासनिक टिप्पणी** सहायक लोको पायलट से वरि लोको पायलट में पदोन्नभति पर सेम (समान) पे बैंड में होने के कारण ग्रेड पे डिफेरेंस देकर वेतन निर्धारण किया जा रहा है जो कि नियमानुसार है। आरबीई नं- 108/2008 दिनांक 11.09.2008 के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से न्यूिनतम वेतन का लाभ दिया जाना है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** सहायक लोको पायलट से वरिष्ठ लोको पायलट में पदोन्नति होने पर क्योंकि दोनों ग्रेड पे समान पे बैंड (पीबी-1) में हैं, अतः आरबीई 103/2008 के नियम 13 (i) के अनुसार वर्तमान वेतन में 3% इन्क्रीमेंट जोड़ने के पश्चात प्राप्त वेतन में उच्च ग्रेड पे 2400/- सहित वेतन निर्धारण किया गया है। इस हेतु उच्च ग्रेड पे 2400/- के फिटमेंट टेबल का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जायेगा। आरबीई नं 109/2008 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि रेलवे कर्मचारियों की एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के मामले में वेतन बैंड में कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जा सकता (वेतन बैंड में परिवर्तन के मामले को छोड़कर)। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र PCVI/2018/RU/NFIR/1 दिनांक 28.08 2018 में भी स्पष्ट किया है कि 01.01.2006 को ऑन रोल कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने पर उनकी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आरबीई 103/2008 के नियम 13 (i) के अनुसार किया जाएगा। छठवें वेतनमान में सहायक लोको पायलट से वरिष्ठ लोको पायलट के पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों एवं अन्य पदोन्नत हुए रनिंग कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करते समय आरबीई नं 109/2008 के फिटमेंट टेबल के अनुसार न्यूनतम वेतन न दिये जाने पर माननीय कैट, जबलपुर, के समक्ष मूल आवेदन 205/2022 एवं 306/2022 दायर किये गए हैं जो वर्तमान में लंबित हैं। उपरोक्त के आलोक में सहायक लोको पायलट से वरिष्ठ लोको पायलट में पदोन्नति पर आरबीई नं. 103/2008 के पैरा 13 (i) के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है। अतः उपरोक्त मद समाप्त किया जाये।
MS/ 41/2023Dy.CPO/HRD	लॉकडाउन के दौरान रनिंग स्टॉफ को ALK का मुगतान नहीं किये जाने के संबंध में । पमरे जोन में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ । उक्त दौरान मेल एक्सप्रेस के रनिंग स्टॉफ ने कार्य का performance नहीं किया चूंकि मेल एक्सप्रेस का संचालन बंद ही था। उक्त लॉकडाउन के दौरान रनिंग स्टॉफ को ALK का भुगतान नहीं किया गया। जबकि IREC एवं IREM में स्पष्ट उल्लेख है। IREM 1 नियम 103 (35) ii के अनसार IREC नियम 1303, 1313 और 1513, IREM 1 नियम 903,921,924, 930 रनिंग एलाउंस नियम 1981 के नियम 4,22,25 और 31 के अनुसार यह रिकार्ड मे स्थापित है । जबकि NWR/AJMR, ER / सियालदह& NCR / प्रयागराज मंडलो में गार्ड (ट्रेन मैनेजर) कैडर का भुगतान किया गया। अतः पमरे जोन में उक्त भत्ते का भुगतान की व्यवस्था की जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** रेल्वे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(P&A) II/90/RS-5 दिनांक 29.05.91 उल्ले खित स्पेष्टी2करण के अनुसार कोविड19 महामारी से बचाव के लिए लगाये गए लॉक डाउन के दौरान रंनिग स्टा फ कोALK का भुगतान नही किया गया है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** उप मुकाधि/एचआरडीः - रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र की प्रति संघ को प्रदान की जाएगी। **प्रशासनिक टिप्पणी**

	कोविड 19 के दौरान लॉक डाउन एवं पैसेंजर ट्रेनों के संचालन रद्द किये जाने की परिस्थिति में रनिंग कर्मचारियों को ।स्ज्ञ का भुगतान किये जाने के संबंध में पत्र क्र. पमरे/का. मुख्या/रूलिग/स्पस्टीकरण/विविध/माइलेज भत्ता दिनांक 18.03.25 द्वारा रेलवे बोर्ड से दिषानिर्देष मांगे गए हैं, प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।
MS/ 77/2023Dy.CPO/HRD	ग्रेड पे संबंध में 4200 लेवल 6 में पदौन्नति का लाभ प्रदान करने के प्रकरण श्री रामकल्याण मीना स्टेनोग्राफर कार्यरत अधीन मंडल इंजीनियर उत्तर कोटा । उप सीपीओ/मुख्यालय. उपरोक्त श्री रामकल्याण मीना स्टेनोग्राफर ग्रेड पे कार्मिक अधिकारी कोटा के पत्र सं. पमरे/पी-कोटा दिनांक 04.03.2020 के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड पे किया गया । 2400 को वरिष्ठ मंडल 210/5/ईडी / स्टेनो 4200 में पदोन्नत नहींसंघ द्वारा इस संबंध में इनफॉर्मल मद संख्या 66/21 उठाया हुआ है परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है।संघ प्रशासन का ध्यान रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या आरबीई 13/93 के पैरा -5 की ओर आकर्षित करना चाहता है जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही / किमिनल केस लम्बित हो तो उस कर्मचारी को मूल उपयुक्तता सूची जारी होने की तिथि से दो वर्ष के पश्चात् तदर्थ पदौन्नति का लाभ दिया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि कर्मचारी की उपयुक्तता सूची जारी हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके है एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को ग्रेड पे- 4200 में पदौन्नत किया जा चुका है। अतः श्री रामकल्याण मीना को ग्रेड पे 4200 में तदर्थ पदौन्नति के आदेश जारी करने का प्रबंध करे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उपरोक्त मद को कोटा मण्डल पर पीएनएम में नहीं उठाया गया है अतः उपरोक्त मद के संबंध में कोटा मंडल पर विस्तृत चर्चा कर निपटाया जा सकता है इस संबंध में कोटा मंडल को पत्र दिनांक 07.03.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में आरबीई 13/1993 के अनुसार कार्यवाही की जाये। कृपया मद समाप्त करेंउपरोक्त मद को कोटा मण्डल पर पीएनएम में नहीं उठाया गया है अतः उपरोक्त मद के संबंध में कोटा मंडल पर विस्तृत चर्चा कर निपटाया जा सकता है इस संबंध में कोटा मंडल को पत्र दिनांक 07.03.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में आरबीई 13/1993 के अनुसार कार्यवाही की जाये। कृपया मद समाप्त करें
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडी:- कोटा मंडल को मुख्यालय के पत्र दिनांक 07.03.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में आरबीई 13/1993 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कोटा मंडल को मुख्यालय के पत्र दिनांक 07.03.2025 एवं 27.05.25 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में आरबीई 13/1993 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
MS/ 80/2023Dy.CPO/HRD	रेल सेवा से सेवानिवृत्त श्री राजकुमार गुप्ता की पत्नि का नाम पी. पी.ओ. में जोड़ने बाबत् । संदर्भः- सेवानिवृत्त रेलकर्मी राजकुमार गुप्ता पिता स्व. श्री रामनाथ गुप्ता सेवा निवृत्त वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक नकज मध्य रेल जबलपुर मंडल पी. पी.ओ.नं.19897360-200068-नया पुराना CR/205181/130023 स्वैच्छिक से.नि. दिनांक 12.12.1989 उप सीपीओ/मुख्यालय-उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि श्री राजकुमार गुप्ता की पत्नि का मूल नाम प्रभा गुप्ता है जबकि विवाहोपरांत ससुराल में उनका नाम परमपरा के अनुसार श्रीमति लक्ष्मी रखा गया यह परम्परा कर्मचारी के परिवार में प्रारंभ से ही चली आ रही है यही नही पहले भी सभी परिवारो में ऐसा ही होता चला आ रहा है। सेवा निवृत्त कर्मचारी कि दिवंगत माता श्री गुलाब बाई का यह नाम मायके का था विवाह के बाद उनका ससुराल में नाम श्रीमति खिलौना बहू रखा गया जो कि साक्ष्य स्वरूप (35) में उनका नाम सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम से लिखा स्टांप पर वसीयत नामे की प्रति संलग्न है उस वसीयत नामे की पुष्टिके लिए तत्कालीन एडव्होकेट श्री दिलीप सिंह रघुवंशी का न्यायधीश एवं दंडाधिकारी जबलपुर की अदालत द्वारा जारी शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न है। इसके साथ आयकर आयुक्त जबलपुर को उनकी जप्त धनराशि एवं जेवरात को लौटाने का दिनांक 2,3/3/1993 रजिस्टर्ड

	पोस्ट द्वारा माँगे गये पत्र की प्रति भी संलग्न है। उद्देश्य :- इन तथ्यो का उद्देश्य यह है कि श्री राजकुमार गुप्ता की माॅ स्व. गुलाब बाई के दो नाम थे दूसरा नाम खिलौना बहू था इस तरह सभी दस्तावेजो में उन्हें श्रीमति गुलाब बाई (रानी) उर्फ खिलौना बहु (बाई) के नाम से वर्णित किया गया था जबकि दोनो नाम एक ही महिला के थे । निवेदन यही परम्परा श्री राजकुमार गुप्ता की पत्नि प्रभा गुप्ता उर्फ लक्ष्मी गुप्ता के विषय में भी रही यही कारण था कि उन्हे दो नामो से उल्लेखित किया गया अतः निवेदन है कि पी.पी.ओ. में उनका नाम श्रीमति प्रभा गुप्ता किया जाये। क्योकि पेंशन एकाउनट में उनका यही नाम है। यह कि श्री राजकुमार गुप्ता ने 45 वर्ष की उम्र में विवश होकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसलिए भी ली थी क्योकि में सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल का मंडल सचिव था सन् 1988 के आसपास संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री स्व. एस.एम. शुक्ला के देहावासन के बाद सत्ता संघर्ष मे दो अधिवेशन दहुए। नासिक में मथुरा में अधिवेशन में श्री राजकुमार गुप्ता मंडल सचिव चुने गये पर मान्यता श्री आर. पी. भटनागर के नेतृत्व मेंहुये मथुरा अधिवेशन के पदाधिकारियो को मिली इसलिए मान्यता विहीन संघ के पदाधिकारियो की प्रताड़ना शुरू हो गये श्री राजकुमार गुप्ता भी उसमें से एक थे अन्यथा 45वर्ष की आयु में दिसम्बर माह के बीच 12.12. 1989 को स्वैछिक सेवानिवृत्ति घोर दबाव वश लैने की विवशता का सामना करना पड़ा था। मधुमेह रोग एवं अत्यधिक दबाव के कारण मैने पत्नि को ससुराल में दिया नाम लक्ष्मी गुप्ता लिखा दिया होगा। जबकि उसके तत्काल बाद प्रारंभभारतीय स्टेट बैंक के पेंशन एकाउन्ट में मेरे नाम के साथ पत्नि श्रीमति प्रभा गुप्ता का नाम लिखवाया गया था । अतः अनुरोध है कि विषम परिस्थितियो के परिपेक्ष्य में अपेक्षित संशोधन स्वीकृत किया जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	सेवानिवृत कर्मचारी श्री राजकुमार गुप्ताि नकजं का स्वै च्छिक सेवानिवृत तिथि12.12.1989 की पीपीओं में पत्नि का नाम परिवर्तन करने के संबंध में माननीय न्याकयालय द्वारा जारी उदघोषना पत्र कर प्रस्तुपत करने हेतु निर्देशित किय गया है जिसमें उल्लेेखित है कि सेवानिवृत कम्रचारी की पत्नीघ का नाम प्रभा गुप्तात एवं लक्ष्मीत गुप्ताा दोनों एक ह महिला का नाम है, जो सेवानिवृत कर्मचारी राजकुमार गुप्तात की पत्नि है। उक्तग संबंध में आज दिनांक तक सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा उदघोषना पत्र कार्यालय को प्रस्तुीत नहीं किया गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	उप मुकाधि/एचआरडी:- टिप्पणी यथावत् है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	सेवानिवृत कर्मचारी श्री राजकुमार गुप्ता नकजं दि. 12.12.1989 को स्वैक्षिक सेवा निवृत्त हुए थे । प्रकरण फाईल का मुख्यालय में अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि कर्मचारी द्वारा 2020 (स्वै. से. नि. के लगभग 31 वर्ष पश्चात्) में पत्नी का नाम लक्ष्मी गुप्ता के स्थान पर प्रभा गुप्ता करने हेतु आवेदन दिया था, जिस पर कल्यान निरीक्षक के द्वारा जांच की गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी की 6 सन्तानें हैं । सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा सभी सन्तानों के जन्म प्रमाण-प्त्र एवं अंक तालिका जिसमें माता का नाम स्पष्ट हो प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । सेवानिवृत कर्मचारी की पत्नी द्वारा दि. 20.03.2009 को यह शपथ प्त्र दिया गया था कि उनका नाम लद्द्मी गुप्ता है एवं घरेलू नाम प्रभा गुप्ता है जबकि कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है कि सेवानिवृत कर्मचारी की पत्नी का घरेलू नाम लक्ष्मी गुप्ता है । सेवानिवृत कर्मचारी को पीपीओ में पत्नी का नाम परिवर्तन करने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें उल्लेखित हो कि प्रभा गुप्ता एवं लक्ष्मी गुप्ता दोनों एक ही महिला का नाम है जो सेवानिवृत कर्मचारी राजकुमार गुप्ता की पत्नी है उक्त संबंध में आज दिनांक तक सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा उद्घोषणा पत्र प्रस्तुत नही किया है ।
MS/102/2023 Dy.CPO/HRD	श्री राजेन्द्र कुमार, ट्रेकमैन श्रीधाम जबलपुर मंडल के वेतन वृद्धि के संबंध में। श्री राजेन्द्र कुमार आत्मज दास बैरागी एसएसई पीवे श्री धाम यूनिट नं. 8 में पदस्थ है जिसकी निम्नलिखित समस्याऐ है:- 1. सहायक मंडल अभियंता विदिशा द्वारा जारी फार्म कमांक 555 GF एवं पत्र संख्या E-14/DRA/BSH/RM/GM/08/CL-

	IV/08/15 478 दिनांक 06.07.2017 द्वारा मानक फार्म कमांक E 14/DAR/BHS/R.M/GM/CL-IV/08/15 दिनांक 28.05.2023 के विरूद्व वेतनमान 20300 से रू. 18000/- दो वर्ष के लिए बिना भावी प्रभाव के अवनत किया गया है (06.07.2017 से 06.07.2019) | 2. सहायक मंडल अभियंता विदिशा द्वारा जारी मानक फार्म संख्या 5 कमांक 01 संख्या E RM/GM दिनांक 16.09.2017 एवं मानक फार्म सं.05 क्रमांक 02 संख्या E RM/GM 364 दिनांक 27.02.2018 जारी की गई है। (01.07.2019 से 01.07.2023) 1 3. सहायक मंडल अभियंता विदिशा द्वारा जारी मानक फार्म संख्या 05 क्रमांक संख्या E 14 RM/GM 524 दिनांक 11.02.2019 जारी की गई है जिसके निर्णय में सहायक मंडल अभियंता विदिशा फार्म G555 F एवं पत्र संख्या E 14/S-J/GM 357 दिनाक 09.10.2019 के अनुसार 03 वर्ष कि अवधि के वर्तमान वेतनमान 7th CPC LEVEL I के न्यूनतम वेतन 18000/-में भावी प्रभाव में रोक जाने कि शस्ती अधिरोपित कि गई है 1(01.07.2024 से 01.07.2026) तक भावी प्रभाव से स्थगित रहेगे। 4. सहायक मंडल अभियंता नरसिंहपुर के मानक फार्म संख्या 5 कमांक क. स्टॉफ सी.एस.रा.मा. श्रीमान/31/ दिनांक 03. 09.2020 के आधार पर दिनांक 01.07.2027 को मिलने वाली वेतन वृद्धि दो वर्ष बिना भावी प्रभाव कि शास्त्री दी गई है। (दिनांक 01.07.2027 से 01.07.2028 तक) सभी दंण्ड का प्रभाव यह है कि मेरा वेतनमान दिनांक 01.07.2029 ते 18000/-रूप ही रहेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई कर्मचारी के वृद्ध माता 62 वर्ष 'पिता 67 वर्ष जो कि बीमार रहते है जिनकी दवाई का खर्चा प्रतिमाह 5 10 हजार रूपये तक रहता है एवं वृद्ध होने के कारण कही आ जा नही सकते है और दो बहने है जोकि अविवाहित है सभी परिवार की जिम्मेदारी कर्मचारी के ऊपर है।और आय का साधन केवल नौकरी ही है अन्य कोई स्त्रोत नही है। कर्मचारी को 2017 से 2026 तक का दण्ड अनुपस्थिति के कारण मिला है। जोकि कर्मचारी अपने माता पिता की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहता था जिसकी सूचना समय समय पर रेलवे अधिनियम के तहत पोस्ट कार्ड व स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने विभाग विदिश में देते रहता था जिसकी प्रति उपलब्ध है। कर्मचारी की दंड अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अतः अनुरोध है कि श्री राजेन्द्र कुमार, ट्रेकमैन का दिनांक 2017 से 2024 तक की वेतन वृद्धि लगाने हेतु यथोचित निर्देश जारी करें ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उक्त संबंध में अनुषासनिक अधिकारी द्वारा जारी एनआईपी दिनांक 21.06.2018 के अनुसार कर्मचारी के असंचायी प्रभाव से 05 वर्ष के लिए वेतन वृद्वि रोकी गयी थी। (दिनांक 01.07.2019 से 01.07.2023 तक) उपरोक्तानुसार कर्मचारी को 30.06.204 वेतन वृद्वि खुलने वाली थी लेकिन इसी दौरान एनआईपी दिनांक 09.10.2019 के तहत अनुषासनिक अधिकारी द्वारा कर्मचारी के तीन वर्ष वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति जारी की गयी जिसमें कर्मचारी का मिनिमम वेतन रू 18000 रखा गया तदानुसार कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडी:- टिप्पणी यथावत् है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उपरोक्त प्रकरण मे कर्मचारी को दिनांक 28.08.2015 को जारी दीर्घ शास्ति मानक पत्र मे दिनांक 06.07.2017 को वेतन रू 20300/- से रू.18000/- दो वर्ष के लिए बिना भावी प्रभाव के अवनत किया। कर्मचारी को दिनांक 16.09.2017 एवं 27.02.2018 को जारी दीर्घ शास्ति मानक पत्र मे दिनांक 21.06.2018 को पॉच वर्ष के लिए वेतन रू 18000/- किया गया बिना प्रभाव के।कर्मचारी को दिनांक 11.02.2019 को जारी दीर्घ शास्ति मानक पत्र मे दिनांक 09.06.2018 को पॉच वर्ष के लिए वेतन रू 18000/- किया गया (भावी प्रभाव के साथ)कर्मचारी को दिनांक 03.09.2020 को जारी दीर्घ शास्ति मानक पत्र मे दिनांक 01.07.2027 को मिलने वाली वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित कि गई । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर्मचारी को 18000/- वेतन उस पर अधिरोेपित शास्तियांे के प्रभाव से मिल रहा है। कर्मचारी को दिनांक 11.02.2019 को जारी दीर्घ शास्ति मानक पत्र की शास्ति समाप्त होने पर 24200/- वेतन देय होगा।
MS/114/2023 DY.CPO/HQ DY.CPO/HR	भोपाल मण्डल में कार्मिक विभाग से संबंधितसमस्याएं। कार्यवृत्तदिनांक 11 एवं 12 मार्च 2025 की बैठक में अ और द समाप्त।

D	ब. IREM-VOL-I-CHAPTER-7, PARA-704-2(ii) AND ACCIDENT MANUAL PARA-5-12 के अनुसार एस एण्ड टी विभाग के कर्मचारियों के लिये ड्यूटी उपरान्त फेलियर अटेण्ड करने पर डेली अलाउन्स एवं ओवर टाईम का भुगतान किया जाए। स. एस.एण्ड.टी विभाग की एम.सी.एम की 27 प्रतिशत एवं जे ई, एस एस ई क्रमशः 33 एवं 67 प्रतिशत एवं एस एस ई का 4800 ग्रेड पे का अपग्रेडेशन मनी वेल्यू देने के बाद भी कार्मिक विभाग द्वारा वर्षों से लंबित है डिवीजन एवं हेडक्वार्टर की पिछली मीटिंगो में 7 दिन में हो जायेगा ऐसा बोलने के बाद भी वर्तमान समय तक लंबित है, जिसमें कर्मचारियों का वर्षो से नुकसान हो रहा है। घ कार्मिक विभाग द्वारा एस.एण्ड.टी विभाग के कर्मचारियों के लिये ड्यूटी रोस्टर की प्रति प्रत्येक स्टेशन पर उपलब्ध करायी जाये। वर्तमान में उच्च अधिकारियो द्वारा कार्य ई- ऑफिस में करने के निर्देश जारी किये जा रहे है परन्तु संघ इस संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि प्रशासन द्वारा अभी तक स्भी संबंधित कर्मचारियो को ई-ऑफिस के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नही कराया गया है । संघ का सुझाव है कि ई-ऑफिस लागू करने से पहले सभी को इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जाये। साथ ही साथ सभी को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2025 की बैठक में अ और द समाप्त। विद्युत लोको शैड इटारसी हेल्पर के पद कार्यरत शिवांक कुमार पीएफ 45229804599 दिनांक 13.10.2020 को आपसी स्थानांतरण पर आरओएच / एनकेजे जबलपुर मंडल से आये है जिसे दिनांक 23.07.2020 को ओआरएच / एनकेजे से रेल सामग्री लाने के लिए ऑन लाईन ड्यूटीसीआरडब्ल्यूएस / भोपाल भेजा गया था और 25.07.2020 को मुख्यालय लौटने पर 7 दिनो के लिए होम कारंटाइन किया गया था। होम कांरनटाइन अवधि के लिए स्पेशल सीएल देने की बजाय कर्मचारी के खाते से 7 संवेतन अवकाश काट लिया गया है। अतः लाईन ड्यूटी भेजने को ध्यान में रखते हुये होम कारंटाईन अवधि दिनांक दिनांक 25. 07.2020 से 31.07.2020 तक 07 दिनो के लिए वर्क फामहोम / विशेष आकस्मिक अवकाश कर कर्मचारी को 07 एलएपी वापस दी जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। उप सीपीओ/मुख्यालय
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy CPO (HQ)--(A) अनुकंपा नियुक्ति में एनपीएस से ओपीएस में स्वीच ओवर करने के प्रकरण पर रेलवे बोर्ड के निर्देष आरबीई संख्या 84.2020 दिनांक 30.09.2020 के पैरा 4 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के अनशंसा को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि के आधार पर कार्यवाही करने हेतु सभी मंडलो को पत्र दिनांक 07.02.2024 के तहत निर्देषित किया गया है। साथ ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड से दिषा-निर्देष प्राप्त करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.02.2024 रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 02.12.2024 के द्वारा निर्देष दिए गए है कि It is clarified that the criterion prescribed in the letter dtd. 10.03.2023 for inclusion under Railway Service (Pension) Rule 1993 is that the date for advertisement/notification for recruitment/appointment should be prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. Therefore these instructions are not applicable in the case where conditions prescribed in instructions dated 10.03.2023 are not fulfilled. Further, the modes of appointments are not relevant to decide applicability of above instructions. रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जाएगी। अतः तदनुसार अनुरोध है कि मद समाप्त करें। B. कर्मचारियो के विभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत टीए एवं ओवरटाईम वाउचर प्राप्त होते है उनका भुगतान वेतन के साथ किया जाता है। C दिनांक 01.11.2013 की रिस्ट्रक्चरिगं हेतु भोपाल मंडल कार्यालय के पत्रांक पमरे/का-भो/210/ एसएंडटी /पुर्नसंरचना, कार्यालय आदेश क्रमाक 1315/2023 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार एसएंडटी विभाग के संवर्ग का पूर्ण, विवरण जारी किया गया है। तदानुसार केडर रिव्यू दिनांक 01.04.2016 की कार्यवाही प्रक्रीयाधीन है। D. एस एण्ड टी विभाग के जीन डिपो मे ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध करा दिये जायेंगे । E. भोपाल मंडल पर Eoffice/HRMS के लिए 15 कम्प्यूटर खरीद कर आपूर्ति कर दी गई है। -HRMS के कार्य के लिए आवष्यकतानुसार निम्नानुसार हार्डवेयर इक्यूवमेंट खरीदने का प्रस्ताव भोपाल मंडल से

	मुख्यालय में प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही जारी है। कम्प्यूटर-74 एवं प्रिंटर-136 F. श्री शिवांक कुमार (TRS) इटारसी दिनांक 25.7.2020 से 31.7.2020 तक 07 दिन की होम कारंटाइन अवधि को जबलपुर के पत्र दिनांक 22.09.20 के तहत जारी निति के अनुसार होम कारंटाइन अवधि को कर्मचारी के अवकाश खाते से कटा गया है अ. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2003 से पूर्व स्वीिक्रति प्रदान किया गया उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है। ब. फेलियर के दौरान अटेन्डप करने पर डेली एलाउंस एवं ओवर टाईम का भुगतान एसएंडटी अनुभाग से प्राप्तख सूची के अनुसार किया जाता है। द. इस संबंध में जबलपुर मंडल को पत्र दिनांक 07-03-2025 के अनुसारी सूचित किया गया है कि प्रकरण को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रं दिनांक 03.09.2020 के अनुसार कार्यवाही की जाये। अ. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2003 से पूर्व स्वीकृति प्रदान किया गया उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/मुख्याः - अ)रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। मद समाप्त। ब) कर्मचारी के बाउचर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति होने के बाद सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत डेली अलाउंस और ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। स) भोपाल मंडल के एसएंडटी विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग अप्रैल 2025 तक कर दिया जाएगा। द) मद समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD- ब. आइआरईएम वॉल-1, चैपटर-7, पैरा -704-2(2) और एक्सीडेंट मैनुअल पैरा-5-12 के नियमां े के अधीन एस.एड.टी विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्यूटी उपरांत फेलियर अटेंण्ड करने पर संबंधित डिपो से अग्रेषित किए गये समस्त राशि का भुगतान वित्त विभाग से सत्यापन उपरांत सुन्धि ित किया जाता है। Dy.CPO/HQ -स. मंडल के एस.एंड.टी विभाग के केडर रिव्यू दिनांक 01.04.2016 की कार्यवाही वर्तमान से प्रक्रियाधीन है, उक्त कैडर रिव्यू प्रक्रिया दिनांक 01.04.2016 की कार्यवाही पूर्ण होने एवं रिव्यू चार्ट वित्त विभाग से संवीक्षा उपरांत वर्ष 2016 (01.09.2016) की आर्टीजन की रिस्ट्रक्चरिंग के उनरांत वर्ष 2022 के लेवल-08 की अपग्रेडेशन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025 उप मुकाधि/मुख्या –मंडल से प्रकरण के समस्तदस्तावेजमंगाकरजांच की जायेगी।
MS/ 05/2024Dy.CPO/HRD	स्टेपिंग अप ऑफ पे मुख्य लोको निरीक्षक (डीजल) यांत्रिक विभाग कोटा मण्डल। संदर्भ आपका पत्र सं.ई/एल/773/1 स्टेपिंग अप/लोको इंस्पेक्टर दि. 18.08.2021 श्री जगदीश चौधरी एवं अन्य मुख्य लोको निरीक्षक (डीजल) ने अवगत कराया है कि उन्हें अन्य मुख्य लोको निरीक्षकों की तरह स्टेपिंग अप ऑफ पे का लाभनहीं दिया गया है। प्रशासन द्वारा संदर्भित पत्रानुसार कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि मुख्य लोको निरीक्षक (बिजली) एवं मुख्य लोको निरीक्षक (डीजल) की वरीयता अलग-अलग होने के कारण स्टेपिंग अप ऑफ पे का लाभ देय नहीं है। जब संघ द्वारा इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष उठाया गया तो प्रशासन द्वारा पत्र संख्या ई/एल/773/2021/01 दिनांक 11.10.2021 के तहत प्रकरण मुख्यालय संदर्भित किया गया था। बड़े ही खेद का विषय है कि 08 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी प्रकरण में प्रशासन द्वारा न तो मुख्यालय से निर्णय प्राप्त किया गया, न ही मण्डल स्तर पर कोई निर्णय लिया गया। मर्ज वरीयता के कारण कनिष्ठ कर्मचारी श्री बाबूलाल अहीरवाल का वेतन अधिक होने की वजह से रेलवे बोर्ड का पत्र

	07/2020 एवं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में निर्धारित प्रावधानों के तहत श्री जगदीश चौधरी एवं अन्य लोको निरीक्षक (डीजल) को स्टेपिंग अप ऑफ पे का लाभ प्रदान किया जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD -श्री जगदीष चैधरी एवं अन्य लोको निरीक्षक डीजल ने श्री बाबुलाल अहिरवार सेनि. मुख्य लोको निरीक्षक, बिजली से स्टेपिंग अप का लाभ लेने हेतु आवेदन दिया था जिसके पष्चात लोको निरीक्षक, बिजली के साथ कार्यालय आदेष 249/023 दिनांक 17.03.2023 के अनुसार विल्य किये गये आदेषों में ऐसा स्पष्ट किया गया था कि प्रभावति कर्मचारियों को किसी भी तरह का लाभ जारी होने के तिथि से मान्य होगा। इस संबंध में मंडल द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2023 के तहत निर्देष जारी किये गए है तथा आरएस (आरपी) नियम 2016 का नियम 7(10) की अनुपालन हो रहा है चूँकि विलय से पूर्व दोनों कर्मचारी अलग-अलग वरीयता में कार्यरत थे। अतः स्टेपिंग अप का लाभ देय नहीं होगा। कृपया मद समाप्तग करे **PCEE**- यह मद कार्मिक विभाग सें संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	उप मुकाधि/एचआरडीः-
	प्रशासनिक टिप्पणी
	श्री जगदीश चौधरी मुख्य लोको निरीक्षक/डीजल को श्री रामवतार मीना मुख्य लोको निरीक्षक/विद्युत के साथ वेतन स्टेपिंग अप ऑफ पे का लाभ दिये जाने हेतु मांग की गयी है। प्रकरण में वरिष्ठ कर्मचारी श्री जगदीश चौधरी मुख्य लोको निरीक्षक/डीजल के पद पर दिनांक 13.05.2005 को पदोन्नत हुये थे एवं श्री रामवतार मीना मुख्य लोको निरीक्षक/विद्युत के पद पर दिनांक 24.01.2008 को पदोन्नत हुये थे। तत्समय वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों कर्मचारी अलग-अलग संवर्ग एवं वरीयता समूह में मुख्य लोको निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुये थे एवं इनके संवर्ग के नियन्त्रक अधिकारी भी भिन्न-भिन्न थे । मुख्य लोको निरीक्षक/डीजल संवर्ग के प्रशासनिक नियन्त्रण अधिकारी वरि.मंडल यान्त्रिक इंजीनियर (सम.) एवं मुख्य लोको निरीक्षक/विद्युत के संवर्ग प्रशासनिक नियन्त्रण अधिकारी वरि मंडल विद्युत इजीनियर (टीआरओ) थे। रेलवे बोर्ड के आरबीई क्रं. 07/2020 के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठ लोको निरीक्षकों को दिनांक 01.01.2006 के बाद नियुक्त कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर एक बार की छूट के रूप में स्टेपिंग अप के निर्देश जारी किये गये थे। स्टेपिंग अप की पात्रता के लिए पदोन्नति के समय आरबीई क्रं. 133/2019 के पैरा-3 (क) में निहित शर्तो के अनुसार कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति समान संवर्ग के पदों पर ही होना चाहिए। विषयांकित प्रकरण में वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों कर्मचारी अलग-अलग संवर्ग एवं वरीयता समूह में मुख्य लोको निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये हैं। अतः आरबीई क्रं. 108/194 एवं 133/2019 के अनुसार श्री जगदीश चौधरी मुख्य लोको निरीक्षक/डीजल को श्री रामवतार मीना मुख्य लोको निरीक्षक/विद्युत से स्टेपिंग अप देय नहीं है। अतः उपरोक्त मद समाप्त किया जाये। PCEE- यह मद कार्मिक विभाग सें संबंधित है। **<u>कार्यवृत्त दिनांक 12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीईईः—विद्युत विभाग से मद समाप्त।
MS/ 40/2024 PCEE PCOM PFA Dy.CPO/HRD	भोपाल मंडल की रनिंग स्टॉफ की समस्याएँ : (अ) आरबीआई 102/2022 के लोको रनिंग अनुभाग में मेल लोको पायलट जैसे आर.के. शर्मा कमलेश परिहार , जे.पी. नारंग, अरविंद शर्मा एवं अन्य 8 कर्मचारियो को स्टेपिंग अप नहीं दिया जा रहा है। मंडल में कई दौर की चर्चा होने के बावजूद फाईल कार्मिक और लेखा विभाग में ही घूम रही है। संघ का कथन है 7 वें पे कमीशन के बाद की रूलिंग के अनुसार 29 अगस्त 2022 के उपरोक्त आर तहत स्टेपिंग अप देने का आदेश निर्गत किये जाये। (ब) झांसी रनिंग रूम में सच साईड का रूम डोरमट्री है, जिसमें एक साथ 12 से 15 एएलपी विश्राम करते है, बार बार कॉल बुक आती है जिससे सोने वाले कर्मचारियो की नींद नही होती है एवं बाकी कसर वहाँ के गद्दे पूरी करते है जिनमें जगह जगह गोले हो गये है जो कि सोते समय चुभते है खाना की क्वाल्टिी भी ठीक नही है, रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है. जिससे संरक्षा प्रभावित हो सकती है। संघ की मांग है कि उक्त विषमताओ को दूर करवाया

	जाये । (स) रनिंग स्टॉफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने हेतु इटारसी लोको रनिंग स्टाफ जो की संयुक्त परिवार से अलग रहकर रेल सेवा कर रहे हैं एवं PSSS साइडिंग एवं एनएसपीएन साइडिंग के रनिंग रूम में रूककर, उन्हें रनिंग रूम में दोबारा खंडवा में रोका जा रहा है जिससे स्टाफ 60/70 घंटे में हेड क्वार्टर वापस आता है और वापस 16 घंटे में फिर बुकिंग हो जाती है संघ की मांग है कि इन दो साइडिंग में कार्य करने वाले स्टाफ को खंडवा से स्पेयर लाया जाए माननीय रेलवे बोर्ड द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे की रनिंग स्टाफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने की प्रयास किया जाए ताकि स्टाफ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को निर्वहन कर सके एवं तनाव मुक्त रेल सेवा कर सके । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PFA - (प्रकरण की समीक्षा की जा रही है। अ) प्रकरण दिनांकः 03.07.2024 को कार्मिक शाखा/भोपाल वापस किया गया था जो दिनांक 26.02.2025 को लेखा विभाग (भोपाल) मे प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। (ब) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । (स) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । अ. स्टेमपिंग अप का प्रकरण लेखा विभाग को बार-बार स्तंयापन हेतु भेजा गया जिसे 08.02.2024 20.05.2024 एवं 05.03.2025 को आपत्ति के साथ वापिस किया गया। प्रकरण लेखा विभाग को लंबित है। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झाँसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है। **PCOM** - अ. यह कार्मिक विभाग से संबंधित है। ब. रनिंग रूम का संचालन सीनियर डी ई.ई (टी.आर.ओ) के अंतर्गत है। स. इटारसी डिपो के रनिंग स्टॉफ से नियमानुसार ही कार्य कराया जा रहा है साथ ही खंडवा डिपो से संपर्क कर परिस्थिति एवं आवष्यकतानुसार स्पेयर मुख्यालय वापिस बुलाया जाता है। इस संबंध में खंडवा डिपो को पत्र भी लिखे गये हैं जिससे गाडी प्रबंधको का अनावष्यक विलंब न हो। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झाँसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः मद समाप्त करें। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है।
	पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD- (अ) मद में दर्शित सभी कर्मचारियों को स्टेपिंग अप के तहत एक वेतन वृद्धि का लाभ दि. 01.01.2021 से दे दिया गया है एवं एरियर्स का भुगतान लेखा विभाग के सत्यापन के उपरांत कर दिया जायेगा। श्री

	कमलेश परिहार स्टेपिंग अप के पात्र नहीं हैं अतः इन्हें स्टेपिंग अप प्रदान नहीं किया जायेगा| अन्य कर्मचारियों से स्टेपिंग अप के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार समीक्षा कर कार्यवाही की जाएगी|
MS/ 51/2024 PFA Dy.CPO/HRD	PPO में रेल कर्मियो के परिवार के सदस्यो के नाम शामिल न करने एवं पेंशन का लाभ दिलवाने बाबत प्रकरण श्रीमती शबीना बानो हेल्पर अधीन एसएसई केरिज एवं वेगन गंगापुरसिटी । (अ) निरंजय वर्मा रिटायर्ड जे.ई (टीआरडी), भोपाल के परिवार के सदस्य कुमारी लेखनी वर्मा 28 वर्ष अविवाहित 2. कुमारी दामिनि वर्मा, 25 वर्ष बेटियो के नाम PPO में नहीं किये जा रहे है जबकि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके PPO में उनके परिवार के नाम जोड़े जा रहे है। (ब) श्रीमती शबीना बानो हेल्पर कार्यरत अधीन एसएसई केरिज एवं वेगन गंगापुरसिटी ने संघ को अवगत कराया है श्रीमती शबीना बानो अनुकम्पा के आधार पर रेलवे में भर्ती हुई उनके पति स्व. श्री इमरान खान ट्रेकमेन्टेनर के पद पर एसएसई पीवे उत्तर गंगापुरसिटी के अधीन कार्यरत थे जिनका दिनांक 25.05.2013 को पिलोदा स्टेशन पर रेल कार्य करते समय निधन हो गया। श्रीमती शबीना बानो ने उनके पति के निधन के उपरांत दी जाने वाली पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर सहानुभूतिपर्वक विचार कर श्रीमती शबीना बानो हेल्पर कार्यरत अधीन एसएसई केरिज एव वेगन गंगापुरसिटी को पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है
	प्रशासनिक टिप्पणी
	3. वर्तमान में मंडल के सभी टीटीई रेस्ट हाउस में उत्तम क्वालिटी की लिनन उपलब्ध है एवं समय-समय पर पुराना लिनन कंडम करते हुए मांग अनुसार नये लिनन उपलब्ध कराया जाता है। **PFA--(**अ) पीपीओ में केवल कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके पत्नी/पति (spouse)का नाम दर्ज किया जाता है परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में उनसे संबंधित दस्तावेज कर्मचारी से प्राप्त कर सेवापंजिका (सेटलमेंट बुक) में एंव HRMS में दर्ज किया जाता है । (ब) कर्मचारी ट्रेनिंग पीरियड मे EXPIRED हुआ है अत रेलवे बोर्ड पत्र सं. F(E)III/2006/PN1/2, दिनाँक 15.06.2007 के अनुसार कर्मचारी पेंशन का पात्र नही है ,जिसका जबाब कार्मिक विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका है यह प्रकरण लेखा विभाग में प्राप्त नही हुआ है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडी:-
	प्रशासनिक टिप्पणी
	अ, पीपीओ में केवल कर्मचारी, अधिकारी एवं उनके पत्नी अथवा पति का नाम दर्ज किया जाता है । परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के नाम, विवरण सेट्लमेंट बुक में दर्ज किये जाते हैं । ब. स्व. कर्मचारी मृत्यु के समय पे. बैंड -1 एस ग्रेड में वे.मा. 4440-7440 में कार्यरत था । आरबीई 166/2011 के पैरा 2 के अनुसार पे. बैंड -1 एस में की गई सेवा किसी भी प्रयोजन के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी एवं इनके द्वारा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद ही इन्हें नियमित सेवा पे बै.-1 वे.मा. 5200-2200 ग्रेड पे 1800 का लाभ देय होगा ।
MS/ 12/2025 DY.CPO/HRD PFA	भोपाल मंडल के टी.आर.ओ. विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. रनिंग कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर पैषनरी लाभ हेतु मूल वेतन की 55 प्रतिषत राषि को जोड़कर पेंषन निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप किसी रनिंग कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर मूल वेतन रू.86100.00 है इसमें मूल वेतन का 55 प्रतिषत रू.47355.00 जोड़कर कुल राषि रूपये 133455.00 हो जाती है। इसी राषि का 50 प्रतिषत आकलन करे। मूल पेंषन रू0.66728.00 आंकी जाती है परंतु पी.पी.ओ. में केवल मूल वेतन रू.86100.00 ही दर्षाया जाता है जो कि पूर्ण पेंषन की राषि कहां से आंकलित की गई यह पता ही नहीं चलता है। रेल प्रषासन द्वारा पेंषनरों को जारी पी.पी.ओ. में मूल वेतन 55% राषि का योग पी.पी.ओ. में उल्लेखित नहीं किया जा रहा है. जिससे पेंषनरों में मूल वेतन का 50% पेंषन कैसे निर्धारित की जा रही है समझ में नहीं आता हैं। अतः वे.से.रे.म.संघ अनुरोध करता है कि सेवा निवृत्त रनिंग कर्मचारी को जारी पी.पी. ओ. में मूल वेतन एवं उसका 55 प्रतिषत राषि का योग दर्शाने की व्यवस्था करें जैसा कि उपरोक्त पैरा नं. 2 में आंकलन किया गया है। उस तरह से पी.पी.ओ. में राषि दर्षानें की व्यवस्था करें। ताकि सेवा निवृत्त रनिंग कर्मचारियों की भ्रान्ति समाप्त हो सकें।

	2. सेपटी केटेगरी हेतु जैसे रनिग स्टाफ एवम अन्य के लिये एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का वितरण लगभग 5 वर्ष से लंबित है अवार्ड हेतु राशि स्वीकृत करवाने की व्यवस्था की जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	C) PCR शॉप मे कार्यरत कर्मचारी श्री अंजनी कुमार, Tech I दिनांक 06.01.2024 को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसकी जांच नामित SSE तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी हैं तथा कर्मचारी को IOD भी प्रदान की गयी। 1. प्रकरण में लेखा विभाग से चर्चा कर कार्यवाही की जाएगी। 2. इस मद के संबंध में भोपाल मंडल में वर्ष 2023-24 तक के सभी एक्सी डेंटेल फी अवार्ड दे दी गयी है एवं वित्ते वर्ष 2024-25 हेतु एक्सीमडेंटल फ्री अवार्ड के लिए बजट की प्रकिया प्रारंभ कर दी गयी है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD- 2. भोपाल मंडल में वर्ष 2023-24 तक के सभी एक्सीडेंट फी अवार्ड का वितरण कर दिया गया है एवं वर्ष 2024-25 हेतु संबंधित विभागो द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका से गणना की जा रही है ।
MS/ 14/2025 DY.CPO/HRD	भोपाल मंडल के कार्मिक विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. कर्मचारी श्री अर्जुन ऊँटवार, ट्रैकमेन प्रथम इटारसी पी.वे. पैसेंजर यार्ड में कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ती पर अपने पिता के दिनांक 25.09.2003 में स्वर्गवास होने के उपरान्त उपयुक्ता में आये थे। उक्त कर्मचारी की सर्विस रिकार्ड में उपयुक्तता 17.12.2003 अंकित है। तथा मंडल द्वारा ओ.पी.एस. हेतु कर्मचारियों की कट ऑफ तारिख 22.12.2003 निर्धारित की गयी है। अतः संघ मॉग करता है कि श्री अर्जुन ऊँटवार के पिता जी के स्वर्गवास की तिथि उपरांत ही भर्ती के नोटिफिकेषन की तिथि मानते हुये उपयुक्त माना जाये। जैसा कि बोर्ड के पत्रांक सं D-43/12/2018-F(E)III एवं दिनांक 10. 03.2023 के RBE सं. 41/2023 में वर्णित भी हैं की भर्ती तिथि 1 जनवरी 2023 के पूर्व निर्गत अधिसूचना वाले कर्मचारियों को OPS दिया जाये। 2..ट्रेकमेनो का साइकिल भत्ते का एरियर्स का भुगतान वर्ष 2017 से अप्रैल 2024 तक भोपाल मंडल सहित पूरे जोन में लंबित हैं जल्द प्रदान किया जायें। 3. अनुकंपा के आधार पर "प्रशिक्षु" के रूप में नियुक्त कर्मचारियों को वेतनमान के रुप में सिर्फ बेसिक व डीए के अलावा किसी भी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक आरबीई नं 12/2012 दिनांक 14.09.2012 के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षु कर्मचारी सामान्य कर्मचारियों की भांति सभी भत्तों के लिए पात्र हैं। अतः संघ मांग करता है कि ऐसे समस्त विभागीय कर्मचारियों को एरियर्स सहित सभी भत्तों का भुगतान किया जाए। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	NIL
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD- 1.उपरोक्त मद मार्च 2025 मे पीएनएम बैठक मे चर्चा उपरांत समाप्त कर दिया गया है (संदर्भ मद क्रमाक 8/2021) I 2. भोपाल मंडल में सायकिल भत्ते एरियर्स के भुगतान के संबंध में दिनाक 04.09. 2024 को कार्मिक विभाग द्वारा सभी ए.डी.ई.एन. कार्यालय को पत्र जारी किया गया था जिसमें सायकिल भत्ता एरियर्स निर्धारित प्रारूप में भरकर एवं सत्यापित कर मण्डल कार्यालय में मांगे गए थे। आज दिनांक तक भोपाल मण्डल में किसी भी ए.डी.ई.एन. कार्यालय से सायकिल भत्ता एरियर्स का सत्यापित प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल मे 2021 से पुर्व सभी बकाया साइकिल भत्ते का भुगतान कर दिया गया है 2021-23 तक के दावे लेखा विभाग मे विधिक्षा हेतु भेजे गये है। 3.आरबीई 102/2012 विशेष रूप से केवल उन मामलों में लागू है जहां अनंकम्पा आधार पर उम्मीदवार रेल सेवा में

	ग्रेड पे 1800/- पर प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं एवं ट्रैनी शब्द केवल उन्ही उम्मीदवारो के लिए बनाया गया है। इसका ग्रेड पे 1900/-. और उससे अधिक वेतन मान के लिए नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों से कोई संबंध नहीं है ;जिन्हे वेतन के स्थान पर स्टाइपेंड देय होता है एवं कार्यरत पद में शामिल होने से पहले प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है (संदर्भ आईआरईएम वॉल-1 पैरा 159ा (3 और 4)। अतः मद समाप्त किया जाये।
MS/ 26/2025 DY.CPO/HQ DY.CPO/HRD	PWBD के तहत मुख्यालय के विभिन्न कैडर के कर्मचारियों के नोशनल पदोन्नति के आदेश शीघ्र जारी करने बावत। संदर्भ :1) रेलवे बोर्ड का पत्रांक E(NG)I/2019/PM 4/8 (RBE No. 74/2022) दि.07/07/2022 और ई(एनजी) ई/2019/पीएम 4/8 (ई-3417344) (आरबीई नंबर 06/2024) दिनांक 18/01/20242) DoPTकार्यालय का OM No. 36012/1/2020-Estt (Res-II), दि. 17/05/2022 एवं दिनांक 28/12/2023 3) वेसेरेमसं / मुख्यालय शाखा का पत्रांक वेसेरेमसंघ / मुख्यालय / 2024/09 दिनांक 20.09.2024 4) कर्मचारी श्री कन्हैयालाल का प्रतिवेदन दिनांक 16/07/24 (प्रति संलग्न). उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों के अन्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि रेल्वे बोर्ड एवं DOPT के परिपेक्ष्य में मुख्यालय के विभिन्न कैडर में कार्यरत कई कर्मचारी PwBDsके कोटे के तहत दिनांक 30/06/2016 से नोशनल पदौन्नति पाने के योग्य हैं एवं संबंधित कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके मामले को अकारण काफी समय से लंबित किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। जबकि संघ द्वारा इस संबंध में पीएनएम के माध्यम से भी इस मामले के शीघ्र निपटान करने हेतु अनुरोध किया गया था। उदाहरण स्वरुप कुछ लंबित मामले आपके ध्यानाकर्षण हेतु प्रस्तुत है- 1. श्री कन्हैया लाल, वरि.से. इंजी./यांत्रिक 2. श्री पप्पु कुमार, निजी सचिव-II/ चिकित्सा' 3. श्री राजेन्द्र कुमार ताले, कार्या. अधीक्षक / सामान्य प्रशासन 4. चितरंजन प्रसाद सिंह, CSWI / कार्मिक 5. कपिल आनंद, कार्या. अधीक्षक / कार्मिक अतः अनुरोध है कि मुख्यालय के विभिन्न कैडर मे PWBDs के कोटे के तहत नोशनल पदौन्नति पाने की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के पदौन्नति आदेश शीघ्र जारी करने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देष देवें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. श्री कन्हैया लाल, वरि.से. इंजी./यांत्रिक विभाग का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु विचाराधीन है। 2 श्री पप्पू कुमार ,निजी सचिव – 2 / चिकित्सा् विभाग का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु विचाराधीन है। 3 राजेन्द्रू कुमार टाले, कार्या.अधीक्षक सामान्यक प्रसासन विभाग मुख्या लय का प्रक्ररण सक्षम अधिकारी को निर्णय है विचाराधीन है। 4 चितरंजन प्रसाद सिंह, CSW/ कार्मिक का नोशनल पदोन्न ति के आदेश दिनांक09.01.2025 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्तस करे। 5 कपिल आनंद, कार्या.अधीक्षक कार्मिक का नोशनल पदोन्न ति के आदेश दिनांक14.01.2025 को जारी कर दिया गया है। कृपया मद समाप्तस करे।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	उप मुकाधि/एचआरडीः- दो कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान कर दी गयी है अन्य तीन हेतु प्रक्रियाधीन है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD- मद में दर्शित सभी 5 कर्मचारियों को नोशनल पदोन्नति प्रदान कर दी गई है । 1. कन्हैया लाल, आदेश क्र 66/2015 दिनांक 21.05.2025 2. पप्पू कुमार, आदेश क्र 49/2015 दिनांक 23.04.2025 3. राजेन्द्र कुमार ताले, आदेश क्र 49/2015 दिनांक 23.04.2025 4. चितरंजन प्रसाद सिंह, आदेश क्र 02/2015 दिनांक 09.01.2025 5. कपिल आंनद, आदेश क्र 05/2015 दिनांक 14.01.2025

MS/ 28/2025 PCMM DY.CPO/HQ DY.CPO/HRD	भंडार विभाग की समस्याओ के संबंध में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत भंडार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में अनेकों बार NFIR/ WCRMS ने रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक तथा पीसीएमएम को लिखा है किंतु भंडार विभाग की निम्नलिखित मांगे अभी भी विलंबित है :-1. सभी विभाग मे लाइन ड्यूटी पास ग्रुप डी कर्मचारी को 3AC का मिले। 2. LDCE OPEN TO ALL हो। 3. भंडार विभाग के कर्मचारियों को भी DRESS ALLOWANCE मिले। 4. 10 साल पूर्ण होने पर MACP पर 1900 के साथ कर्मचारी की पोस्ट ADS से चेंज करके JR. क्लर्क पर प्रमोशन दिया जाये। 5. ग्रुप डी कर्मचारियो को तीनों सुविधा पास 3AC के दिए जाये। 6. ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लाइन पर REST HOUSE की उचित व्यवस्था TC, DRIVER की तर्ज पर की जाये। 7. WCR मे भंडार विभाग में हर साल 33 1/3% व 16 1/2% भर्ती की जाये। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भंडार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं तथा मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कृपया रेलवे बोर्ड स्तर पर सभी मुद्दों को हल करवाने हेतु निवेदन है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	4.रेलवे बोर्ड के नियमानुसार 10 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी को एमएसीपी के तहत् केवल वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, उक्त योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7. 33 1/3% व 16 1/2% प्रमोशनल कोटा है जो कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में चयन के माध्यम से भरा जाता है। उक्त कोटा भर्ती का नहीं है। पी.सी.एम.एम. - कृपया इस बारे में पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करांने का कष्ट करें| १. लाइन ड्यूटी पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो कृपया अवगत कराएं। २. भण्डार विभाग में LDCE की परीक्षा के नियम रेल्वे बोर्ड जारी करता है एवं परीक्षा उसी के अनुसार की जा रही है। इस Item में यूनियन का मंतव्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया रेलवे बोर्ड एवं कार्मिक विभाग की पालिसी के अनुसार यूनियन के मंतव्य को स्पष्ट करने का कष्ट करें | ३. रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार भण्डार विभाग के पात्र कर्मचारियों को भी ड्रेस अलाउंस दिया जा रहा है। ४. वर्तमान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। ५. सुविधा पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो अवगत कराएं। ६. ये मुद्दा भण्डार विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ७. वर्तमान में कोई भी इस तरह की भर्ती पेंडिंग नहीं है। उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 तक की Items सभी विभागों से सम्बंधित है। अतः रेलवे बोर्ड स्तर पर इन सभी मुद्दों को हल करवाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा संचालित किया जा सकता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	Dy.CPO/HRD-1. रेल कर्मचारियों को आरबीई सं. 16/2019 के प्रावधानों के तहत ड्यूटी पास जारी किये जाते हैं जिसके अनुसार लेवल 1 के कर्मचारी ड्यूटी पास में 3 AC के लिए पात्रता नहीं रखते हैं । 5. रेल कर्मचारियों को आरबीई सं. 16/2019 के प्रावधानों के तहत सुविधा पास जारी किये जाते हैं जिसके अनुसार लेवल 1 के कर्मचारी को1 सेट सेकंड क्लास के बदले 1 सेकंड क्लास 'अ' श्रेणी का पास प्राप्त होता है जिसमें वे निर्धारित शर्तों के अनुसार 3 AC में यात्रा की पात्रता रखते हैं । सभी रेल कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार पास दिए जा रहें हैं । अतः मद समाप्त किया जाये ।

MS/ 41/2025 DY.CPO/HRD मुख्यालय	श्री दिलीप यादव, अवर लिपिक कार्मिक (का.) मुख्या, पमरे, जबलपुर के एपीआर को अपग्रेड करने व MACP का लाभ दिये जाने बाबत् । उपरोक्त विषय के अंतर्गत कर्मचारी श्री दिलीप यादव ने दिसम्बर 2022 को कार्मिक विभाग/मुख्यालय में 33-33% (Seniority Basis) की परीक्षा पास कर ग्रुप-डी से अवर लिपिक (का.) के पद पर दिनांक 22.12.2022 को पदभार ग्रहण किया। कर्मचारी को कार्मिक विभाग के इंजीनिरिंग व यांत्रिक अनुभागों के कैडर में पदस्थी दी गई। इन अनुभागों में प्रमुख रूप से स्थानांतरण, एमएसीपी, पदौन्नति, अपग्रेडेशन, रेलवे बोर्ड संदर्भ, प्रतिनियुक्ति, पीएनएम आईटम व संविदा आधार पर भर्ती आदि के कार्य होते है। उक्त कार्य के अलावा वर्ष 2023 में निर्माण विभाग में संविदा आधार पर STA/JTA की पदस्थि की गई। उक्त कार्य की उत्कृष्टता के लिए कर्मचारी को 1000/- का नगद पुरुस्कार भी प्राप्त हुआ (प्रति संलग्न)। बावजूद इसके वर्ष 2022-2023 में कर्मचारी की APAR की ग्रेडिंग को 'GOOD' किया गया। Representation किए जाने पर भी APAR की ग्रेडिंग को यथावत रखा गया। कर्मचारी के 03 माह के कार्मिक विभाग के कार्यकाल में APAR की ग्रेडिंग 'GOOD' कर दी गई जबकि 09 माह के कार्यकाल की कोई गणना नही की गई एवमं ग्रेडिंग देने वाले अ धिकारी से कर्मचारी द्वारा कई बार अनुरोध करने के उपरांत भी ग्रेडिंग को यथावत रखा गया। जिससे कर्मचारी MACP के लिए अपात्र कर दिया गया है। कर्मचारी ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में आया है व कर्मचारी की 2020-21, 2021-22 की APAR ग्रेडिंग 'Outstanding' रही हैं। वर्ष-2022-23 की APAR ग्रेडिंग में कमचारी को 'GOOD' दिये जाने से कर्मचारी को 2nd MACP (लेवल-3) हेतु अपात्र हो गया जिससे कर्मचारी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये प्रोमोशन नही डिमोशन हुआ है। कर्मचारी (दिलीप यादव) द्वारा प्रतिवेदनों के माध्यम से अपनी एपीआर की ग्रेडिंग में सुधार व MACP लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में अग्रह किया था। (प्रति संलग्न) जिसका जबाव 08 माह विलम्ब से दिया गया। कर्मचारी के प्रकरण पर संदर्भ क्रमांक-03 के अनुसार पुनःविचार किया जाना चाहिए। घरेलू विवाद के चलते वैसे भी कर्मचारी पहले से अत्याधिक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है। कर्मचारी को आये दिन माननीय न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते है, कर्मचारी की उक्त स्थिति से ग्रेडिंग देने वाले अधिकारी भलीभाँति परिचित थे व कमचारी के अनुरोध के बाद भी ग्रेडिंग को यथावत रखा गया। वर्ष 2022-23 में 03 माह के कार्मिक विभाग के कार्यकाल में की APAR ग्रेडिंग में कर्मचारी को ग्रेडिंग 'GOOD' दिये जाने से कमचारी की 09 वर्ष 09 माह की सेवा-काल का महत्व ही समाप्त कर दिया, यह कर्मचारी के लिए असहनीय पीड़ा का विषय है जिससे कर्मचारी को अत्याधिक मानसिक तनाव हो रहा है व परिवार के लालन-पालन में कठिनाई हो रही है। उक्त परिस्थिति को देखते हुये व कर्मचारी के अनुरोध पर मानवता के आधार पुनर्विचार करना चाहिए था जो नही किया गया। कर्मचारी को बिना किसी कारण के कर्मचारी को 03 वर्ष का आर्थिक दण्ड की सजा दे दी गई है। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण व कर्मचारी की परिस्थिति को देखते हुये तथा उप. मुख्य कार्मिक अधिकारी के पत्रांक WCR/PSNo- 89/2024 Date 07.10.2024. आरबीई नं. 89/2024 अनुसार कर्मचारी को APAR ग्रेडिंग 'GOOD' को अपग्रेड क रने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देश देवे जिससे कर्मचारी को IInd MACP का लाभ मिल सकें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है
	प्रशासनिक टिप्पणी
	प्रकरण के संबंध में अवगत कराया जाता है कि रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक PC-VII/12 (RBE No.-155/2016) दि. 19-12-2016 द्वारा दिनांक 25-07-2016से एमएसीपी योजना के अंतर्गत वितीयलाभ प्रदान करने के लिए बैंचमार्क “Very Good” निर्धारित है। श्री दिलीप यादव, अवर लिपिक, कार्मिक की वर्ष 2022-23 की एपीएआर ग्रेडिंग “Good”होने के कारण प्रकरण एमएसीपी योजना हेतु नामित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित बैंचमार्किग पूरी नहीं करने के कारण कर्मचारी को दिनांक 21.09.2023 (एमएसीपी हेतु निर्धारित तिथि) से संषोधित सुनिष्चित कैरियर प्रोत्रयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने हेतु अनुपयुक्त पाया गया।
MS/ 42/2025 DY.CPO/HRD KOTA DIV.	वरि प्रचार निरीक्षक, कोटा के पदौन्नति के संबंध में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री शिवशंकर शाह, वरि. प्रचार निरीक्षक, कोटा ने संघ को अवगत कराया है कि मुख्य प्रचार निरीक्षक का पद रिक्त होने के बावजूद भी उन्हे पदौन्नत नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी की पदस्थापना वरि. प्रचार निरीक्षक के पद पर दिनांक 25.05.2022 को हुई थी एवं वर्तमान ग्रेड में 02 वर्ष की सेवा अवधि भी 25.05.2024 को

	पूर्ण हो चुकी है एवं कर्मचारी पदौन्नति हेतु पात्र है। साथ ही साथ मुख्य प्रचार निरीक्षक की रिक्ति भी उपलब्ध है। यह मद मुख्यालय नियंत्रित है। अतः अनुरोध है कि श्री शिवशंकर शाह, वरि. प्रचार निरीक्षक, कोटा को मुख्य प्रचार निरीक्षक में पदौन्नत करवाने का प्रबंध करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है **प्रशासनिक टिप्पणी** कर्मचारी श्री शिव शंकर शाह, वरि. प्रचार निरीक्षक, लेवल- 06 के पद पर दिनांक 25.07.2024 से पदोन्नगति का लाभ प्रदान किया गया है। मास्टहर परिपत्र सं.37 के पैरा 5.3 के अनुसार निचले ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत मुख्यग प्रचार निरीक्षक्लेवल 07 के पद हेतु उपयुक्त3ता जांच की जायेगी। कृपया मद समाप्त करे।
MS/43/2025 DY.CPO/ HRD KOTA DIV.	अनुशासन एवं अपील नियम प्रकरण के संबंध में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री चरण लाल कोली, सेवानिवृत मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक कोटा को पत्र सं ई/161/3/6891 दिनांक 5.12.2017 के तहत मानक फार्म संख्या 5 जारी किया गया था प्रकरण में नामित जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रक्रिया पूर्ण कर जांच रिपोर्ट दिनांक को अनुशासनात्मक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई थी। संदर्भित पत्रानुसार कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि उनका अनुशासन अपील प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी की सहमति से जबलपुर की सतर्कता शाखा को भेज दिया गया है एवं वर्तमान में मुख्यालय जबलपुर की सतर्कता शाखा द्वारा रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भेजा गया है। इस संबंध में कर्मचारी दिनांक 31.5.2019 को आयुसीमान्तर्गत सेवानिवृत हो चुका है। सेवानिवृत्ति से कर्मचारियों की पूर्ण ग्रेच्युटी राशि जमा में रखी हुई है कर्मचारियों के विरुद्ध लंबी अनुशासन एवं अपील प्रकरण की संपूर्ण प्रक्रिया वर्ष 2023 में ही पूर्ण हो चुकी है इसके बावजूद भी अभी तक अनुशासन अपील प्रकरण को लंबित रखने से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है डी.ए.आर के प्रावधानों के अनुसार जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण को लंबित नहीं रखा जा सकता है। श्री चरण लाल कोली का प्रकरण जिसे सतर्कता विभाग जबलपुर द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा गया है में निर्णय कोटा मंडल को शीघ्र करें। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** श्री चरण लाल कोली का प्रकरण सतर्कता विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड भेजा गया था। रेलवे बार्ड द्वारा प्रकरण को बिना किसी कार्यवाही के बंद करने के निर्देश दिये गये हैं । तद्नुसार सतर्कता विभाग द्वारा पत्र दि. 19.02.2025 जारी कर कोटा मंडल को सूचित कर दिया गया है ।
MS/ 52/2025 DY.CPO/RECT DY.CPO/GAZ DY.CPO/HRD DGM PCEE भोपलमंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की कार्मिक विभाग की समस्याएँ तथा GDCE 01/22 को फाइनल करने के क्रम में । 1. कार्मिक शाखा के कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तथा कुछ विभागों में आवश्यकता से कम मिनिस्ट्रियल स्टॉफ सदस्य है इसके निराकरण हेतु कार्मिक शाखा के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टॉफ की पिन प्वांइटिंग जो वर्षो से लंबित है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर रेलवे इंटर डिवीजन एवं एडीईएन सबडिवीजन टू सबडिवीजन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्डे नहीं की जा रही है, जबकि कर्मचारी एचआरएमएस से भेज चुका है। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, एवं जिनके स्थानांतरण हो गए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। 2. सभी विभागों में प्रमोशन समय से एवं उचित कम जैसे 4200/- से 4600/2800/- से 4200/2400/- से 2800/ 1900/-से 2400/- 1800/- से 1900 क्रम में प्रमोशन किए जाये।लगभग सभी विभागों में छुट्टियां एचआरएमएस के माध्यम से दी जा रही हैं लेकिन उसे संबंधित सुपरवाइजर एवं अधिकारियों द्वारा माह के अंतिम दिनों में या माह खत्म होने के बाद स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होगी या अस्वीकृत होगी। संघ का सुझाव है कि कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति आस्वीकृति की जानकारी उसके अवकाश तिथि के 12 घंटे पहले दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो अवकाश स्वतः स्वीकृत माना जाए । विभिन्न प्रापत्रो की रिसीविंग कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष एवं कर्मचारियों को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टी.ए.बिल कोई भी एप्लीकेशन अन्य विभिन्न प्रकार के आवेदन सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस के लिए जाये। जिससे पत्र जमा करने की डेट एवं टाइम डिटेक्ट हो सके।

	3. GDCE नोटीफिकेशन 01/2022 की प्रोसेस काफी धीमी हो रही है, शीघ्र पूर्ण की जाए। 4. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित करने के संबंध में। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभी हालो में पार्टीसन कर अलग-अलग सेक्षन बनाये गये है जिसके कारण कूलर की हवा पूरे हाल को ठंडा नहीं कर पाती न ही हवा आती है अतः संघ की मांग है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित किया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. भोपाल मंडल मे कार्मिक एवं अन्य विभागों की पिन.पॉइटिंग प्रक्रियाधीन है। अंतर रेलवेए अंतर मंडल एवं सहायक अभियंता के कर्मचारियो क स्थनान्तरण एचआरएमएस के माध्यम से अग्रेषित किए जा रहे है। संघ से अनुरोध है प्रकरण विशेष इंगित करे जिससे कि उचित कार्यावाही की जा सके। 2. कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागो में समय से क्रमानुसार पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। संध से अनुरोध है कि यदि कोई प्रकरण विशेष हो तो अवगत कराये। कर्मचारियो द्वारा एचआरएमएस के माध्यम से अवकाश हेतु देने पर यथा संभव अवकाश शुरू होने से पहले अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है। कर्मचारियो द्वारा विभिन्न ऑफलाइन आवेदन करने पर प्रकिया अनुसार उन्हे पावती दी जाती है। तदापि उपरोक्त के संबंध मे सभी यूनिट को निर्देश जारी कर दिए जायेंगे। वर्तमान मे टीए बिल अपॅफलाइन ही लिए जा रहे है एचआरएमएस मे इसका प्रावधान नही है।

MS/ 66/2014 PCOM	सेंट्रल पेनल वाले स्टेशनों पर दो दो मास्टरों की नियुक्ति के क्रम में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत संदर्भित पत्र के माध्यम से रेलवे संरक्षा को ध्यान में रखते हुये बोर्ड व दोनो फेडरेशनों के साथ हुई मीटिंग में हुये निर्णय को मंडल पर लागू करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु आज तक रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार मंडल पर कोई कार्यवाही नही की गई है। इस क्रम में संघ अवगत कराना चाहता है कि कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बयाना, भरतपुर व शामगढ़ को छोड़कर कोटा मंडल के शेष सभी स्टेशनों पर सेंट्रल पेनल (केबिन से पेनल हटाकर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा संचालित होना) लगाये गये है, इन सेंट्रल पेनलो का आपरेशन ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाता है। सेंट्रल पेनल आपरेशन के अलावा आन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को अन्य कार्य जैसे गाडी पास होते समय आल राईट दिखाना, बुकिंग कार्य के साथ डीटीसी. का मिलान करना, लाईन क्लीयर देना, ब्लाक आदि, फेलीयर के समय क्लेम्प करना, यात्री पूछताछ, यात्री गाडियो की उद्घोषणा और शंटिंग कार्य आदि करवाना पडता है जो एक स्टेशन मास्टर द्वारा किये जाना सम्भव नही है। अतः अनुरोध है कि सुरक्षित एवं संरक्षापूर्वक रेल संचालन को ध्यान में रखते हुये सेंट्रल पैनल वाले स्टेशनों पर दो दो मास्टरों को नियुक्त करवाने के आदेश जारी करने का प्रबंध किया जावे। संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-कोटा मंडल में बडे स्टेषनों पर जैसेः-कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बयाना, भरतपुर व शामगढ़ पर दो या दो से अधिक स्टेषन मास्टर कार्यभार के अनुरूप पदस्थ किये गये हैं। कुछ स्टेषनों पर जैसेः- रामगंजमंडी, मोडक, गुडला केषोरायपाटन ,आर.आर.आई कोटा एवं मोतीपुरा स्टेषनों पर गहन रोस्टर ;('I' roster)लागू किया जा चुका है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कोटामंडलमेंबडेस्टेशनोंपरजैसेः—कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बयाना, भरतपुर व शामगढ़ परदो यादो से अधिकस्टेशनमास्टरकार्यभार के अनुरूपपदस्थकियेगयेहैं।कुछस्टेशनोंपरजैसेः—रामगंजमंडी, मोडक, गुडलाकेशोरायपाटन ,आर.आर. आईकोटा एवंमोतीपुराचौकीस्टेशनोंपरगहनरोस्टर('I' roster)लागूकियाजाचुकाहै। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीओएमः—**
MS/ 35/2022 PCOM/PCME	कोटा मण्डल के कोटा थर्मल पावर प्लांट सकतपुरा साईडिंग में ऑन ड्यूटी रनिंग स्टाफ के कार्य करने के दौरान आ रही समस्याओं के संबंध में। कोटा मण्डल के कोटा थर्मल पावर प्लांट सकतपुरा साईडिंग में रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर) को खाली एन-बॉक्स रैक को प्रस्थान कराने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उचित एवं सुरक्षित, कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने की वजह एवं भय के वातावरण में असुरक्षित रेल संचालन होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि साईडिंग में पहले लोडेड कोयले के रैक आते थे जिनका आगमन परीक्षण उपरांत ट्रिपलर पर अनलोडिंग के बाद लोड में होने वाली कमियों को पूरा करने के साथ खाली एन-बॉक्स रैक को परीक्षण/जी.डी.आर. का कार्य कैरिज एवं वेगन विभाग के टीएक्सआर सहित लगभग 08 कर्मचारियों की यूनिट कार्य करती थी एवं परीक्षण कर सुरक्षित रेल संचालन के लिए लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर को गाड़ी सौंपती थी एवं सुरक्षित रेल संचालन कर रहे थे। परन्तु कुछ समय पूर्व सकतपुरा साईडिंग से कैरिज एवं वेगन विभाग को हटा लिया गया एवं कैरिज एवं वेगन विभाग को हटाने के बाद गाड़ियों को लोको पायलट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर के द्वारा जी.डी.आर. बनाकर चलाने का प्रावधान कर दिया। अतः जी.डी.आर. बनाने में निरंतर निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है- सकतपुरा साईडिंग में भरे हुए कोयले के रैक आने पर आगमन परीक्षण या सुरक्षित रोलिंग स्टॉक आगमन किसी भी कर्मचारी की देखरेख में नहीं हो रहा है अर्थात यदि गाड़ी असुरक्षित रोलिंग स्टॉक के साथ आगमन हुई है तो चलती

	गाड़ी में दिखने वाली कमी का पता नहीं चलने से प्रस्थान के समय असुरक्षित रेल संचालन का अंदेश बना रहता है। लोडेड कोल रैक आगमन के बाद ट्रिपलर पर अनलोडिंग के लिए जाते है। अनलोडिंग के दौरान ट्रिपलर पर जब एन-बॉक्स 360 डिग्री उल्टा होता है तो उसकी नकल पिन (जो कि कपलर को अपनी अवस्था में रखने का कार्य करती है जिससे गाड़ी ट्रेन पार्ट नहीं होती) कोयले के साथ-साथ निकल कर वहां गिर जाती है। रेलवे ने कैरिज एवं वेगन स्टाफ हटाने के बाद वहां पर नकल पिनों का कोई स्टॉक नहीं दे रखा है। परिणामतः लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के जी.डी.आर. के समय नकल पिन की कमियों का मेमो दिया जाता है तो केवल कागजी खानापूर्ति कर क्रू के ऊपर अनाव यक दबाव बनाकर एवं गाड़ी चलाने के बाद रास्ते में सोगरिया या बारां में नकल पिन डलवा देंगे, कहकर असुरक्षित रेल संचालन करवाया जा रहा है। सकतपुरा साईडिंग में वैगन के बिना दरवाजे बंद करवाये एवं बिना एयर होज पाईप जुड़वाये रिलीज दे दिया जाता है और इंजन लगाकर लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को जी.डी.आर. के लिए कह दिया जाता है। इस जी.डी.आर. करने के दौरान साईडिंग की ओर से एक प्राईवेट कर्मचारी भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि यह दरवाजा बंद करवाने का काम करेंगे। महोदय, वह प्राईवेट कर्मचारी भी बिना सब्बल एवं उपकरण के गाड़ी पर आता है, एक साईड के कुछ दरवाजों को बंद करने की खानापूर्ति करता है एवं दरवाजे बंद कर जिनके लॉक खराब है. उन्हें तार से नहीं बांधता है एवं ट्रेन मैनेजर के कहने पर भी दरवाजे बंद करने की खानापूर्ति करता है एवं पूरी गाड़ी के एयर होज पाईप जो कि ट्विन पाईप सिस्टम / सिंगल पाईप सिस्टम से चलने वाली गाड़ी के पाईपों को कपल नहीं करता है। परिणामतः ट्रेन मैनेजर एवं सहायक लोको पायलट परेशान होते हैं एवं आदमी नहीं होने की वजह से एक गाड़ी को तैयार करने में दो से ढाई घंटे का समय लगता है। इसके बावजूद भी एन-बॉक्स के दरवाजे या तो खुले रह जाते है या दस किमी. चलने के बाद ही वह दरवाजे खुलने से असुरक्षित रेल संचालन निरंतर चल रहा है। यातायात विभाग की तरफ से स्टेशन से जी.डी.आर. करने में एक पोईन्टसमैन को भेजा जाता है, जो कि गाड़ी को रिलीज करने का कार्य करता है। महोदय, प्रत्येक एन-बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की दिशा अलग-अलग होती है। अतः पोईन्टसमैन एक साईड से ही एन-बॉक्स को रिलीज कर पाता है, दूसरी ओर से रिलीज करने हेतु यार्ड में हो रहे घास एवं झाड़ियों की वजह से बॉक्स के नीचे से निकलना संभव नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं में कुछ बॉक्स रिलीज होने से रह जाते हैं। आये दिन रास्ते में जाम गाड़ियां रह जाने से व्हील स्कीडिंग एवं रेल बर्न की समस्या दिन-प्रतिदिन होने की संभावना बनी रहती है एवं लगातार असुरक्षित रेल संचालन किये जा रहे है। यार्ड में रात्रि के समय फ्लड लाईट या तेज रोशनी नहीं है। इसके अभाव में गाड़ियों में जी.डी.आर. करते समय हैंगिंग पार्ट दिखने से छूटने की संभावना बनी रहती है एवं इस वजह से दुर्घटना होने की संभावना के साथ रेल संचालन करना पड़ रहा है। सकतपुरा साईडिंग यार्ड में दिन-प्रतिदिन घास और झाड़ियां बड़ी हो जाती है एवं जो पहले के पत्थर की पट्टियों के पाथ-वे बने हुए थे, उन पाथ-वे से पट्टियां टूटकर बिखर गई है। अतः पाथ-वे नहीं होना एवं झाड़िया तथा घास होने की वजह से कई लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के साथ-साथ पोईन्टसमैन को भी यार्ड में गिरने से चोटग्रस्त होने का कार्य हुआ है। ऐसी स्थिति में लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर जी.डी.आर. करते समय अपने आप को संभाले या जी.डी.आर. में सुरक्षा के लिए जरूरी बिंदुओं पर ध्यान चूकने से असुरक्षित रेल संचालन की संभावना बनी रहती है। साईडिंग में ट्रेन मैनेजर एवं सहायक लोको पायलट का हिंसक जानवरों से सामना हो चुका है क्योंकि टाईगर और भालू का एश यार्ड से चंबल की ओर पासिंग रूट है और साईडिंग की एक ओर की दीवार टूटी हुई है वहां पर अजगर भी देखे गये है। महोदय हिंसक जानवरों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। CISF या RPF की व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, साईडिंग में रनिंग स्टाफ के रेस्ट के लिए वेटिंग रूम में साफ सफाई नहीं होती एवं वेटिंग रूम में पंखे, कूलर खराब है। चादर एवं गद्दे ऐसी स्थिति में है। कि आराम नहीं किया जा सकता है उन्हें बदला जाना चाहिए साथ ही आर.ओ. सिस्टम लगाये जाने की आव यकता है जिससे भशुद्ध पानी मिलने की व्यवस्था हो। संघ का कथन है कि आपके द्वारा मण्डल परिचालन संख्या अभियान संख्या 03/2022 दिनांक 03.05.2022 जारी कर मण्डल में सुनिश्चित किया है कि साईडिंग के स्टाफ को काउंसिलंग किया जाएगा एवं मण्डल पर गाड़ियों के ट्रेन पार्टिंग/अनकपलिंग की घटनाओं के रोकथाम हेतु परिचालन संरक्षा अभियान चलाया है लेकिन ट्रेन पार्ट का मुख्य कारण अनलोडिंग के बाद नकल पिनों का मिस हो जाना और आप नकल पिनों को साईडिंग में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। संरक्षा अभियान में वरिश्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक ने बिन्दु संख्या 11 पर गाड़ी के क्रू द्वारा जीडीआर बनाते

	समय सभी कमियों को ठीक करने के बाद ही गाड़ी का संचालन किया जाए, निर्दीत किया है। संघ का कथन है कि एक संरक्षा ड्राईव साईडिंगों में होने वाली कमियों (जैसे साईडिंग का जो प्राईवेट कर्मचारी दरवाजे बंद करने आता है, वह 63 वर्श का है और बिना सब्बल के 63 वर्श का आदमी एन-बॉक्स के दरवाजों को कैसे बंद कर सकता है, यह समझ से बाहर की बात है) नकल पिन कम होने पर साईडिंग में अनुपलब्ध होने पर प्रतिदिन मेमो दिया जाता है कि आप गाड़ी को प्रस्थान करें और सोगरिया में गाड़ी में नकल पिन डलवायी जाएगी लेकिन सोगरिया से भी गाड़ी को थ्रू कर दिया जाता है। इस तरह हम अनकपलिंग और ट्रेन पार्टिंग होने को निमंत्रण दे रहे है और दूसरी ओर संरक्षा अभियान निकालकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। फील्ड में प्रेक्टिकल कार्य किये जाने की आव यकता है जिससे मण्डल पर सुरक्षित, संरक्षित रेल संचालन करने में रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर) को सुरक्षित कार्य करने के वातावरण में सहयोग करने की आव यकता है जबकि उन्हें असुरक्षित रेल संचालन के लिए बाध्य किया जाता है। कोटा मण्डल पर रेल सुरक्षा एवं संरक्षा में खानापूर्ति / संरक्षा परिपत्र निकालने के बजाय मूल समस्याओं का समाधान कर संघ को सूचित करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-सकतपुरा स्टेषन पर टी.एक्स.आर. स्टाफ की नियुक्ति नहीं है क्योंकि वहाँ पर औसत दो से तीन रेक प्रतिदिन की आवक है। रेलवे बोर्ड के नियमानुसार साइडिंग में कम से कम पांच रेक आने पर टी.एक्स.आर स्टाफ की ड्यूटी लगायी जाती है। जीडीआर करने के लिये एएलपी एवं गार्ड को जी एण्ड एसआर के नियमों के तहत जीडीआर तैयार करनी होती है। फिर भी साइडिंग प्रषासन द्वारा दो कर्मचारी गाडियों को रिलीज करने एवं जीडीआर में सहयोग करने के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं। किसी भी रेक का रिलीज वैगनों के सभी दरवाजे बन्द सुनिष्चित करके ही लेने के निर्देष दे रखे हैं। अन्य समस्याओं के लिये समय-समय पर साइडिंग प्रषासन को सूचित करके समस्याओं का निदान कराया जाता है। **PCEE**-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	पीसीईईः- यह मद आपरेटिंग विभाग से सम्बंधित है। मद समाप्त पीसीएमईः-यह मद आपरेटिंग विभाग से सम्बंधित है। मद समाप्त
	प्रशासनिक टिप्पणी
	सकतपुरा स्टेशन परटी.एक्स.आर. स्टाफ की नियुक्तिनहींहैक्योंकिवहाॅपरऔसतचाररेकप्रतिदिन की आवकहै।रेलवेबोर्ड के नियमानुसारसाइडिंगमें कम से कम पांचरेकआनेपरटी.एक्स.आरस्टाफ की ड्यूटीलगायीजातीहै।जीडीआरकरने के लिये एएलपी एवंगार्डकोजी एण्ड एसआर के नियमों के तहतजीडीआरतैयारकरनीहोतीहै।फिरभीसाइडिंगप्रशासन द्वारादोकर्मचारीगाडियोंकोरिलीजकरने एवंजीडीआरमेंसहयोगकरने के लियेउपलब्ध करायेजातेहैं।किसीभीरेक का रिलीजवैगनों के सभीदरवाजेबन्दहैसुनिश्चितकरकेहीलेने के निर्देश दे रखेहैं।अन्य समस्याओं के लिये समय–समय परसाइडिंगप्रशासनकोसूचित एवंमिटिंगकरकेसमस्याओं का निदानकरायाजाताहै।साइडिंग से डिमान्डआनेपरनकलपिनो की पूर्तिकराईजातीहै। यातायातनिरीक्षकबुंदी के अनुसारवर्तमानमेंसाईडिंगमेंकिसीप्रकार की घास या झाडियां नही है एवंवाउन्ड्रीवॉलकईस्थानोपरटूटीहुईहैजिसकेलिए थर्मलप्रशासनकोस्टेशन अधीक्षकसकतपुरा द्वारापत्र लिखेगयेहैं। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीओएमः**–मंडलरेलप्रबंधक, कोटा से चर्चा की जाएगी।
MS/ 56/2023 PCOM	थर्ड लाइन पर अतिरिक्त स्टेशन मास्टर की पदस्थापना तथा भोपाल मंडल के स्टेशनो पर"**EI**" से "**C**" रोस्टर करने के कम में । व्यस्ततम एव थर्ड लाइन स्टेशनों के पैनल पर वर्कलोड ज्यादा होने के एडिशनल स्टेशन मास्टर्स को रेलवे बोर्ड पत्रांक 2002/SIG/1 Dt. 14-03-2007 के अनुसार यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए तथा खाली पदों को यथाशीघ्र भरा जाए।

	चूँकि तीसरी लाइन के स्टेशनो पर अत्यधिक गाड़ी संचालन होने के कारण गाड़ियों का संचालन संरक्षा सुरक्षा एवं समयपालन के साथ प्रभावित है। स्टेशन मास्टरों के E-1 रोस्टर 12 घंटे को 08 घंटे C रोस्टर करने के कम में दिशा निर्देश दिए जाए। भोपाल मंडल के कुंभराज से शाजापुर व म्याना से पनिहार स्टेशन पर अभी भी अमानवीय रोस्टर चल रहा है। जिससे ड्यूटी करते समय मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य हो जाता है। जॉब एनालिसिस कराने की आवश्यकता है । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-रेल्वे बोर्ड के पत्र क्र.E(MPP)2024/1/26/ dated 11.09.2024 के अनुपालन में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पमरे के पत्र क्र.पमरे/का.मुख्या/1200/केडर/पद सृजन/इंजी. दिः 13.11.2024 के द्वारा तीनों मंडलों को New Assets हेतु आवष्यक पदो ं के सृजन का प्रस्ताव मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से मुख्यालय प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा है।प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक पत्र क्र.WCR/JBP/T-902/Cadre dated 07.02.2025 के द्वारा तीनों मंडलों को सृजन के प्रस्ताव को षीघ्रता से मुख्या.कार्मिक कार्यालय को प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा गया है। वर्तमान में सृजन के प्रस्ताव की प्रकरण फाईल की स्थिति निम्नानुसार है। जबलपुर मंडल- मंडल के वित्त विभाग में है। कोटा मंडल- मुख्यालय कार्मिक विभाग में है। भोपाल मंडल- मुख्यालय कार्मिक विभाग में है। जबलपुर एवं कोटा मंडल के सभी खंड में स्टेषन मास्टर संवर्ग में 08 घंटे का लगातार (C)रोस्टर लागू है। भोपाल मंडल द्वारा कुंभराज से शाजापुर (रूठियाई-मक्सी खंड) व म्याना से पनिहार स्टेषन (गुना - षिवपुरी खंड) में स्टेषन मास्टर एवं कांटेवाला संवर्ग में वास्तविक कार्य विष्लेषण कराने हेतु मंडल कार्मिक विभाग को दिः 30.04.2024 एवं पुनः 22.01.2025 को पत्र लिखा गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेल्वेबोर्ड के पत्र क्र.E(MPP)2024/1/26/ dated 11.09.2024के अनुपालनमेंप्रमुख मुख्य कार्मिकअधिकारीपमरे के पत्र क्र.पमरे/का.मुख्या/1200/केडर/पद सृजन/इंजी. दिः 13.11.2024 के द्वारातीनोंमंडलोंकोNew Assetsहेतुआवश्यक पदो के सृजन का प्रस्तावमंडलरेलप्रबंधक के अनुमोदन से मुख्यालय प्रेषितकरनेहेतुपत्र लिखा है।प्रमुख मुख्य परिचालनप्रबंधकपत्र क्र. WCR/JBP/T-902/Cadre dated07.02.2025के द्वारातीनोंमंडलोंकोसृजन के प्रस्तावको शीघ्रता से मुख्या. कार्मिककार्यालय कोप्रेषितकरनेहेतुपत्र लिखा गयाहै।वर्तमानमेंसृजन के प्रस्ताव की प्रकरणफाईल की स्थितिनिम्नानुसारहै। **जबलपुरमंडल–वरिष्ठमंडलवित्तप्रबंधककार्यालय मेंलंबितहै।** **भोपालमंडल–मुख्यालय वित्तप्रबंधककार्यालय मेंसमीक्षाधीनहै।** **कोटामंडल–मुख्यालय कार्मिकविभागकार्यालय मेंसमीक्षाधीनहै।** **जबलपुर एवंकोटामंडल के सभी खंडमेंस्टेशनमास्टरसंवर्गमें08 घंटे का लगातार(C)रोस्टरलागूहै।** **भोपालमंडल द्वाराकुंभराज से शाजापुर(रूठियाई–मक्सी खंड) वम्याना से पनिहारस्टेशन (गुना –शिवपुरी खंड) मेंस्टेशनमास्टर एवंकांटेवालासंवर्गमेंवास्तविककार्यविश्लेषणकरानेहेतुमंडलकार्मिकविभागकोदिः 30.04.2024, 22.01. 2025 एवंपुनः 02.06.2025 कोपत्र लिखा गयाहै।मंडलकार्मिकविभाग द्वाराकार्यवाहीअपेक्षितहै।** **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीओएमः**–टिप्पणी यथावत्
MS/ 57/2023 PCOM	भोपाल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनो पर सुपरवाइजरी स्टेशन मास्टर किए जाने के कम में । भोपाल मंडल के व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण स्टेशनो पर एसएस पोस्ट सुपरवाईजरी करने की आवश्यकता है मथेला, तलवडिया, बानापुरा, बुदनी, मंडीदीप सांची, शिवपुरी में जॉब एनालिसिस कराकर एसएस पोस्ट सुपरवाईजरी करने की व्यवस्था की जाए । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-वर्तमान में मंडल के मंडदीप एवं षिवपुरी स्टेषन पर पर्यवेक्षक स्टेषन प्रबंधक कार्यरत् हैं। बुदनी, तलवडिया, बनापुरा एवं सॉंची स्टेषनों पर पर्यवेक्षक स्टेषन प्रबंधक हेतु कार्यविष्लेषण कराया जा सकता है। नये पदो ंके सृजन होने पर उक्त व्यवस्था को लागू किया जाना संभव होगा। नये पदो ंके सृजन की प्रकरण फाईल मुख्यालय कार्मिक विभाग में समीक्षा हेतु लंबित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	वर्तमानमेंमंडल के मंडदीप एवंशिवपुरीस्टेशनपरपर्यवक्षकस्टेशनप्रबंधककार्यरत् हैं।बुदनी, तलवडिया, बनापुरा एवंसॉचीस्टेशनोंपरपर्यवेक्षकस्टेशनप्रबंधकहेतुकार्यविश्लेषणकियाजारहाहै।नयेपदोंके सृजनहोनेपरउक्तव्यवस्थाकोलागूकियाजानासंभवहोगा।नये पदो ंके सृजन की प्रकरणफाइलमुख्यालय कार्मिकविभागमेंसमीक्षा हेतुलंबितहै। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** **पीसीओएमः–**
MS/ 58/2023 PCOM	रोड साईड स्टेशनों पर रेस्ट हाउस बनाने के संबंध में । स्टेशन मास्टरों को आर.जी/ एल.आर के रूप में कई स्टेशनों पर जाना पड़ता है ऐसे में उन्हें ड्यूटी ऑफ होने के बाद वही पर रूकना पड़ता है और रोड साईड स्टेशनों पर उन्हें रूकने के लिए रेस्ट रूम नहीं होने के कारण प्लेटफार्म की बैचों पर सोना पड़ता है जिससे वह अंडर रेस्ट रहता है और रेल संचालन की संरक्षा प्रभावित होती है। रोड साइड स्टेशनों पर रेस्ट रूम बनने से वह सभी विभाग के कर्मचारी जैसे इंजीनियरिंग एस.एण्डटी, टी.आर.डी, के भी उपयोग में काम आ सकता है। जैसे कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या (एल.आर-1) / जै.सी.एल-2-1) के अनुसार रोड साइड स्टेशनों पर रेस्ट रूम बनाने के निर्देश भी दिये गये है। सभी स्टेशनों/ केबिनों एवं कार्यस्थल का एप्रोच मार्ग पक्कीकरण कराया जाये। साथ ही लेट बाथ की व्यवस्था जिस स्टेशन पर नही है यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-रेल्वे बोर्ड के संदर्भित पत्र क्र. Railway Board L.No.2014/TT-1/76/Staff/4 dated 16.02.2024 के अनुपालन में प्रमुख मुख्य पमरे में रोड साईड स्टेषनों पर रेस्ट रूम के प्रावधन के लिये हो रही कार्यवाही के संबंध में रेल्वे बोर्ड को जानकारी दी गयी है।वर्तमान में तीनों मंडलों में रेस्ट रूम की सुविधा निम्नानुसार हैः S.No. Divn. Available Under construction Proposed in the year 2023-24 (under PH-16) 01 JBP 33 29 21 02 BPL 03 Nil 40 03 Kota 09 06 30 Total WCR 45 35 91
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेल्वेबोर्ड के संदर्भितपत्र क्र.Railway Board L.No.2014/TT-1/76/Staff/4 dated 16.02.2024केअनुपालनमेंप्रमुख मुख्य पमरेमेंरोडसाईडस्टेशनोंपररेस्ट रूम के प्रावधान के लियेहोरहीकार्यवाही के संबंध मेंरेलवेबोर्डकोजानकारीदीगयीहै। **वर्तमानमेंतीनोंमंडलोंमेंरेस्ट रूम की सुविधा निम्नानुसारहैः**

S.N.	Divn.	Available	Under construction	Proposed in the year 2023-24 (under PH-16)
01	JBP	33	29	21
02	BPL	03	Nil	40
03	Kota	09	06	30

	Total WCR	**45**	**35**	**91**

कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025

पीसीओएम:—पीसीएसटीईमहोदय से चर्चाकरपुनः प्रस्ताववित्तविभागकोसहमतिहेतुभेजाजाएगा।

MS/ 94/2023
Dy CPO
(HQ)

ट्रेन मेनेजर (पेसैंजर) के पदो को ट्रेन मेनेजर (मेल/एक्सप्रेस) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में गंगापुर सिटी लॉबी के द्वारा 19 यात्री गाडियों के संचालन हेतु ट्रेन मेनेजर बुक किये जाते है। इन सभी यात्री गाडियों को मेल/एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया गया है एवं यात्रियों से किराया भी मेल/एक्सप्रेस का लिया जा रहा है जबकि इन गाडियों का संचालन ट्रेन मेनेजर (पेसैंजर) से ही करवाया जा रहा है। इससे गंगापुर सिटी में कार्यरत ट्रेल मैनेजर में असंतोष व्याप्त है।

इस संबंध मे जब सभी गाडियों को मेल/एक्सप्रेस घोषित कर दिया गया है ऐसी परिस्थिति में नीति के अनुसार गाडियों का संचालन ट्रेन मेनेजर (मेल/एक्सप्रेस) के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि जिन यात्री गाडियों को मेल/एक्सप्रेस में परिवर्तित किया गया है उनके संचालन हेतु तद्नुसार ट्रेन मेनेजर पेसैंजर के पदो को भी ट्रेन मेनेजर मेल/एक्सप्रेस एक्सप्रेस में परिवर्तित करते हुए कर्मचारियों को ट्रेन मेनेजर मेल/एक्सप्रेस में पदोन्नत करने प्रबंध करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCOM- इस विषय में 2024 के क्रू रिव्हयू हो जाने परं विचार किया जायेगा। पूर्व में मेल एक्सप्रेस गाडी प्रबंधकों के 07 पद कोटा से गंगापुर सिटी अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिये गये है। दिः15.01.2025 को 07 अस्थायी पद और स्थानांतरित कर दिये गये है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

निरंक

प्रशासनिक टिप्पणी

अगलेकैडररिव्यू के दौरानमेल/एक्सप्रेस के पदो का बढायाजायेगा।तत्पश्चातट्रेनमैनेजरोकोमेल/एक्सप्रेसमेंपदोन्नति की प्रक्रियाप्रारम्भ की जासकतीहै।

कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025

पीसीओएम:—उपरोक्तमेंकार्मिकविभागदेखेगा।

MS/ 98/2023
PCOM
DY.CPO/HQ

भोपाल मंडल के परिचालन विभाग से संबंधित समस्याएः-

(अ) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्रांक PC-VII/2019/RSRP/2 दिनांक 17. 11.2022 के अनुसार Upgradation of 50% posts from level 07 (PB-2/GP 4200) Group 'C' to level-8 (PB-2/GP-4800) Group 'C' का लाभ दिनांक 01.12.2022 से Annexure 1 में प्रदर्शित विभिन्न कैटेगरी के पात्र कर्मचारियो का प्रदान करना था जो आज दिनांक तक भोपाल मंडल के परिचालन विभाग के कर्मचारियो को अप्राप्त है।

(ब) भोपाल मंडल के परिचालन विभाग के Field staff के कम से कम 15 कमचारियों को प्रशासन द्वारा Special Duty/Stationary Duty में आज दिनांक तक MVI Office, CTO Office में लगातार उनकी Posting/Job profile से अलग कार्य कराया जा रहा है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

Concern department (परिचालन विभाग) द्वारा मैचिंग सरेंडर हेतु पोस्ट indetifyनहीं की गई है

PCOM- परिचालन विभाग के लेबल **08(PB–2 / GP&4800)**के Upgradation के लिये surrender किये जाने वाले पदों के लिये मंडल कार्मिक विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है। लेबल 01 GP-1800 के पदों में रिक्तियॉ न होने के कारण प्रकरण कार्मिक विभाग में विलंबित है।

ब.मंडल में कार्यरत संचालन निरीक्षकों की संवानिवृत्ति, नये IT section तथा ICMS Control के प्रारंभ होने के कारण एवं से SECTION कंट्रोलर संवर्ग में रिक्तियों के कारण वर्तमान में Field staff से कार्य कराया जा रहा है।

विभिन्न लॉबी/एरिया/सेक्षन कंट्रोल में स्टेषनरी ड्यूटी में कार्यरत गाड़ी प्रबंधक संवर्ग के कर्मचारियों की सूचीः

क्र. कर्मचारी का नाम लॉबी/एरिया/

सेक्षन कंट्रोल रिमार्क

1कु.पूनम चर्तुवेदी/अथवा 01 गार्ड भोपाल गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

2 श्रीमति हर्षा राय इटारसी यार्ड स्टेषन प्रबंधक/गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

3 श्री नमन पाठक भोपाल गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

4 04 गाड़ी प्रबंधक गुना सी एम एस पर कार्य हेतु एवं गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

5 श्री विष्वजीत पांडेय इटारसी यार्ड स्टेषन प्रबंधक/गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

6 कु. विंध्या नायक इटारसी यार्ड स्टेषन प्रबंधक/गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्ध

7 श्री अली अरमान बीना स्टेषन प्रबंधक/गाड़ी लिपिक संवर्ग में रिक्तियो के विरूद्धकुल 10 कर्मचारी नोटः-1. मंडल के कुल 10 गाडी प्रबंधक संवर्ग के कर्मचारी विभिन्न लॉबी/एरिया एवं सेक्षन कंट्रोल में कार्यरत् हैं।

2..गाड़ी प्रबंधक संवर्ग में GDCE से 276 पदो के चयन का नोटिफिकेषन दिः15.05.2024 को जारी किया गया है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

अ.परिचालनविभाग के लेबल08(PB–2 / GP&4800)के Upgradation के लियेsurrenderकियेजानेवालेपदों के लियेमंडलकार्मिकविभाग द्वारासमीक्षा की जारहीहै।लेबल01(GP-1800)केपदोंमेंरिक्तियॉ न होने के कारणप्रकरणकार्मिकविभागमेंविलंबितहै।

ब.मंडलमेंकार्यरतसंचालननिरीक्षकों की होनेवालीसेवानिवृत्ति, नयेIT section तथाICMS Control केप्रारंभहोने के कारण एवंसेक्शनकंट्रोलरसंवर्गमेंरिक्तियों के कारणवर्तमानमेंField staffसेकार्यकरायाजारहाहै।रिक्तपदोंपरआपूर्ति के पश्चात् Field staff कोपुनः वापिसकरदियाजायेगा।

विभिन्नलॉबी / एरिया / सेक्शन कंट्रोलमेंस्टेशनरी ड्यूटीमेंकार्यरतगाड़ीप्रबंधकसंवर्ग के कर्मचारियों क

क्र.	कर्मचारी का नाम	लॉबी / एरिया / सेक्शनकंट्रोल	रिमार्क
1	श्रीमतिहर्षाराय	इटारसी यार्ड	स्टेशनप्रबंधक / गाड़ीलिपिकसंवर्गमेंरिक्तियो के विरूद्ध
2	श्रीनमनपाठक	भोपाल	गाड़ीलिपिकसंवर्गमेंरिक्तियो के विरूद्ध

3	04 गाड़ीप्रबंधक	गुना	सी एम एसपरकार्यहेतु एवंगाड़ीलिपिकसंवर्गमें रिक्तियो के विरूद्ध
4	श्रीविश्वजीतपांडेय	इटारसी यार्ड	स्टेशनप्रबंधक/गाड़ीलिपिकसंवर्गमेंरिक्तियो के विरूद्ध
5	कु. विंध्यानायक	इटारसी यार्ड	स्टेशनप्रबंधक/गाड़ीलिपिकसंवर्गमेंरिक्तियो के विरूद्ध
6	श्रीअलीअरमान	बीना	स्टेशनप्रबंधक/गाड़ीलिपिकसंवर्गमेंरिक्तियो के विरूद्ध
कुल	09कर्मचारी		नोटः—1. मंडल के कुल 09गाडीप्रबंधकसंवर्ग के कर्मचारी विभिन्नलॉबी/एरिया एवंसेक्शनकंट्रोलमेंकार्यरत् हैं। 2..गाड़ीप्रबंधकसंवर्गमेंGDCEसे 276 पदो के चयन का नोटिफिकेशन दिः15.05.2024 कोजारीकियागयाहै।

कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025

पीसीओएमः—डीआरएम, भोपालकोआवयश्यकदिशा—निर्देशदियेजाएंगे ।

MS/105/2023 PCOM

पश्चिम मध्य रेल में G&SR करेक्शन स्लिप 37 के संबंध में रनिंग कर्मचारियों में असंतोष बावत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान में जारी G&SR करेक्शन स्लिप 37 में आपको निम्न बिदुओ से अवगत कराया जाता है:

1. उपरोक्त करेक्शन के द्वारा रनिंग स्टॉफ को 3 लाइन चालू होने पर अलग से लर्निंग न देने व चालक को प्रथम 3 ट्रिप प्रतिबंधित गति से जाने के आदेश जारी किए गए है।

2. लर्निंग में सिग्नल, PSR, न्यूटल सेक्शन, स्टेशन किस तरफ से निकलता है, उतार चढ़ाव की जानकारी, गेट, होम सिग्नल पर रूट, कॉस ओवर पर स्पीड फील टेस्ट एवं ब्रेक पॉवर टेस्ट का स्थान, सेक्शन के किटिकल सिग्नल इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते है।

3. वर्तमान में पिछले कुछ माह से प्रशासन ने LRD को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया उसका बहुत फायदा रनिंग स्टॉफ को मिला एवं कर्मचारियों की ड्राइविंग स्किल में बढ़ोत्तरी हुई इस अभियान के दौरान कर्मचारियों ने पैदल चलकर LRD लिया जिससे सेक्शन की बारीकियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

4. वर्तमान में प्रशासन up down दोनो डायरेक्शन की अलग-अलग LRD देता है।

परन्तु G&SR करेक्शन स्लिप नं. 37 रनिंग स्टॉफ को बिना LRD के नए सेक्शन में जाने को बाध्य कर रहा है जो कि एक गंभीर विषय है भविष्य में SPAD का प्रमुख कारण हो सकता है।

उपरोक्त आदेशों से सुरक्षा एवं संरक्षा तथा कर्मचारियों के मन में SPAD तथा अन्य दुर्घटनाओं का भय है। संघ का अनुरोध है कि करेक्शन स्लिप को निरस्त करके नई लाइन या यार्ड की रेमोडयूलिंग होने पर रनिंग स्टॉफ को LRD दी जाए ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

	प्रशासनिक टिप्पणी **PCOM** - रेल्वे बोर्ड द्वारा दि.13.11.2023 को जारी किया गया पत्र संख्या 2017/टीटी-4/12/07 रोड एलआर प्रपोज्ड एसआर 3.78 (6)(a) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय रेल्वे से रोड लर्निंग के संबंध में क्षेत्रीय रेल्वे में जारी की गयी SR एवं टिप्पणी मांगी गयी हैं। कार्यालय पत्र क्र WCR/JBP/T-751/Rly. Bd dated 21.11.2023 के द्वारा रेल्वे बोर्ड को SR की प्रति एवं टिप्पणी भेजी गयी हैं। रेल्वे बोर्ड से दिषा निर्देष प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL प्रशासनिक टिप्पणी **रेल्वेबोर्ड द्वारा दि.13.11.2023 कोजारीकियागयापत्र संख्या 2017/टीटी–4/12/07 रोड एलआरप्रपोज्ड एसआर 3.78 (6)(a)के अनुसारप्रत्येक क्षेत्रीय रेल्वे से रोडलर्निंग के संबंध में क्षेत्रीय रेल्वेमेंजारी की गयीSR एवंटिप्पणी मांगीगयीहैं।कार्यालय पत्र क्र.WCR/JBP/T-751/Rly. Bd dated 21.11.2023के द्वारारेल्वेबोर्डकोSR कीप्रति एवंटिप्पणी भेजीगयीहैं।रेल्वेबोर्ड से दिशानिर्देशप्राप्तहोनेपरतदानुसारकार्यवाही की जायेगी।** **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीओएमः**–रेलवेबोर्ड से दिशा–निर्देशमांगे गए हैं । प्राप्तनिर्देशों के अनुसारनिर्णय लिए जाएंगे ।
MS/111/2023 PCE PCOM	आवधिक स्थानांतरण एवं आवधिक स्थानांतरण निति के संबंध मे। उपरोक्त विषय में संघ आपको अवगत कराना चाहता है कि मण्डल में कई पद ऐसे है जो कि संवेदनशील पदों की श्रेणी में आते हैं उसके उपरांत आवधिक स्थानांतरण के आदेश जारी करते समय इन पदों का आकलन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ यह भी अवगत कराना चाहता है कि मण्डल में कई कर्मचारी विगत कई वर्षो से एक ही स्थान पर संवेदनशील पद पर कार्यरत है परन्तु उन्हें आवधिक स्थानांतरण के समय इन कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जाता है जो कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। संघ आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है- 1. गंगापुरसिटी में यातायात निरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री आर पी मंगल विगत कई वर्षो से गंगापुरसिटी में कार्यरत है परन्तु उन्हें आवधिक स्थानांतरण की सूची में शामिल नहीं किया गया है। 2. मण्डल मुख्य टिकिट निरीक्षक नाम का कोई पद कैडर पर नहीं है। उसके उपरांत भी एक कर्मचारी को इस पद पर पदस्थ किया गया है जबकि नीति के अनुसार कैडर पोस्ट के बिना किसी भी कर्मचारी को पदस्थ नहीं किया जा सकता है। 3. संघ ने अपने पीएनएम मद संख्या 24/20 के माध्यम से प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि प्रतिवर्ष श्री आर.सी.मीना एसएसई (पीवे) सैक्शनल इंचार्ज सवाईमाधोपुर को हजारों रूपये प्रतिमाह का यात्रा भत्ता देकर रेलवे राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। श्री आर.सी.मीनाविगत दस वर्षो से भी अधिक समय से उसी स्थान पर कार्यरत है। संघ का अनुरोध है कि उक्त मदों पर शीघ्र संज्ञान लेकर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निति के तहत् आवधिक स्थानांतरण की परिधि में आने वाले कर्मचारी जो संवेदनशील पद पर कार्यरत है, को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए चार वर्षो या अधिक हो जाते है, को अन्यत्र स्थानांतरण करने का प्रावधान है। इस संबंध में स्टेशन मास्टर कोटि के साथ यातायात निरीक्षक एवं मुवमेन्ट निरीक्षक की वरियता भी सम्मिलित है एवं स्टेशन मास्टर वरियता ग्रुप से ही कर्मचारियो को यातायात निरीक्षक में पदस्थापित किया जाता है। यातायात निरीक्षक को संबन्धित सेक्शन मे कार्यरत कर्मचारियों के टीए बिल/ओवर टाईम बिल प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां दी हुई है। इसके साथ ही कर्मचारी रिलिफ का कार्य भी इनके द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार समस्त आवंटित कार्यो के मददेनजर यातायात निरीक्षक का पद भी संवेदनशील पद की श्रेणी मे आता है एवं आवधिक स्थानांतरण निति के प्रावधान इन पर भी लागू होते है परंतु कोटा मण्डल पर यातायात निरीक्षको को आवधिक स्थानांतरण की परिधि से मुक्त रखा गया है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि परिचालन विभाग मे यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत स्टेशन अधीक्षक को आवधिक स्थानांतरण की निति के तहत् एक स्थान पर चार वर्ष से अधिक कार्यरत होने पर तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण करने

	का कष्ट करे । संघ उपरोक्त बाबत् पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीई- 1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 3. श्री आर.सी.मीना एसएसई/पीवे Sectional इंजार्च सवाईमाधोपुरके स्थानांतरण के आदेश प्रक्रियाधीन है। कृपया मद समाप्त करें।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेलवेबोर्डपत्र क्र. E(NG)I/2019/TR/10 dated 17.08.2023के अनुसार यातायातनिरीक्षक का पद संवेदनशील पद के अंतर्गत नही आताहैअतः यातायातनिरीक्षक का आवधिकस्थानांतरणकरने की आवश्यकता नही है।श्रीआर.पीमंगल यातायातनिरीक्षकगंगापुरसिटीसेवानिवृत्तहोचुकेहैं। इस विषय मेंकोटामंडलपरिचालनविभाग द्वाराकार्मिकविभागको दिः13.10.2023 कोपत्र लिखा गयाहैजिसमें इस विषय परकोईअन्य पत्र या दिशानिर्देश यदिउपलब्ध होतोइसकीसूचनाप्राप्तकरने का अनुरोध कियाथा।कोटामंडलकार्मिकविभाग से जबावअपेक्षितहै। **मद क्र.2 एवं 3 परिचालनविभाग से संबंधित नही हैं।**
MS/ 33/2024 PCEE PCOM	वार्षिक क्रू रिव्यू में विसंगतियों के संबंध में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र सं. 01 के द्वारा Executive Directors's (Establishment, TT(s), Finance, EE(Rs)) की कमेटी ने वार्षिक क्क्रू रिव्यू की Modalities को पत्र सं. ERB-1/2022/23/07 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा निर्देशित आदेशित किया है। संदर्भित पत्र सं. 01 के बिन्दु (a) में कमेटी ने Traffic/POL Projection की Present Value 7.67 आंकलन उपरांत 10% Bunching Allowance or Fluctuation of Traffic Allowance एवं 3.5% future Growth in Traffic Alowanceअतः उपरोक्त दोनो Parameters के कुल 13. 5% निर्धारित असेसमेंट 7.67 per POL का 8% ही जोनल रेलवे की स्थिति अनुसार कम किया जा सकता है। जो कि 0.6 per Loco present value 7.67 में से कम करके 7.07 value पर annual crew review किया जा सकता है। जिसे संदर्भित पत्र सं. 02 में भी 7.07 value multiplication factor से क्रू रिव्यू करने हेतु निर्देशित किया है परंतु संदर्भित पत्र सं. 03 मे Multiplication Factor (POL) 6.37 निर्धारित करते हुए वर्ष 2021 की File No. WCR-HQ OPTG (GDS)/57/2021 by Dy.COM(GDS)/WCR-Part (2) की एसेस्मेन्ट शीट मे Revised Calculation मे Previous Factor 7.67 में से 1.30 Multiplication Factor को कम कर दिया है जिसमे 0.6 RBE के Bunching Allowance & Future Growth का 0.7 Training Reserve & Leave Reserve में अर्थात 1.30 Factor करके 6.37 Revised Calculation Sheet द्वारा गलत निर्धारित कर दिया है। वे.से.रे.म.संघ का कथन है कि मण्डल पर वार्षिक क्रू रिव्यू में CELE द्वारा जारी संदर्भित पत्र सं. 02 द्वारा निर्देशित 7.07 POL Multiple Factor Value रेलवे बोर्ड के RBE 105/2022 का अनुसरण करती है एवं CFTM (WCR)ने एसेस्मेन्ट शीट में अनावश्यक 0.7 Training Reserve & Leave Reserve के कम कर दिये गये है। इससे कोटा मण्डल पर लगभग 9% लोको पयलट, सहायक लोको पायलट, सी.एल.आई, ट्रेल मेनेजर्स के पद कम रिव्यू होंगे जो कि कोटा मण्डल पर रनिंग स्टाफ के ओवर टाईम वर्किग को बढ़ाते हुए रनिंग स्टाफ को साप्ताहिक विश्राम एवं अवकाश को कम करेंगे। इस तरह का रिव्यू रेलवे के Revenue Loss & Under Rest Workingको बढ़ाने वाला होगा। वे.से.रे.म.संघ रेलवे, कोटा मण्डल एवं रनिंग स्टॉफ की सुरक्षा, संरक्षा के साथ उत्तम वित्तीय प्रबंधन की दिशा में CELE के पत्र में निर्धारित 7.07 के POL Multiple Factor के आधार पर वर्ष 2023 का क्रू रिव्यू करने का अनुरोध करता है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	अपर मंडल रेल प्रबंधक/कोटा के अनुमोदन से श्री संजय चौहान को 5500-9000 (आरएसआरपी) में प्रोविजनल आधार पर वरीयता कोटा मंडल के पत्र संख्या ई टी/1030/10 भाग 3 दिनांक 10.12.2015 के द्वारा प्रदान की गई

	थी (| जिसे बाद में कोटा मंडल द्वारा RBE No. 107/2012 एवं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)I-2009/PM1/4 दिनांक 23.03.2016(16.03.2016) में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार पत्र संख्या ई टी/1030/10 भाग VII दिनांक 29.12.2023 के द्वारा श्री संजय चौहान को 5500-9000 (आरएसआरपी) में कार्यरत सभी कर्मचारियों के नीचे प्रोविजनल आधार पर प्रदान की गई वरीयता को नियमित किया गया था| यह भी उल्लिखित है कि, पेनल में संसोधन रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 22.06.2006 के आधार पर किया गया है, नाकि RBE No. 113/2009 दिनाक 19.06.2009 के अनुसार | कृपया मद समाप्त करें। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। PCOM - वर्ष 2023-24 के क्रू रिव्हयू में 7.07 Factor से गणना की गयी थी एवं वर्ष 2024-25 के क्रू रिव्हयू में भी 7.07 Factor से गणना की जा रही है। अतः मद समाप्त किया जाये। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	वर्ष 2023–24 के क्रूरिव्हयूमें@7.07 Factorसे गणना की गयीथी एवंवर्ष 2024–25 के क्रूरिव्हयूमेंभी@7.07 Factorसे गणना की गयीहै।अतः मदसमाप्तकियाजाये।
MS/ 38/2024 PCE PCEE PCOM	न्यू मझगवाँ फाटक (NMWP) स्टेशन को बिना मूलभूत सुविधाओं के शुरू करने के संबंध में । उपरोक्त विशयांतर्गत संघ को शिकायत मिली है कि कटनी-बीना खण्ड में न्यू मझगवाँ फाटक मझगवाँ फाटक स्टेशन से अलग नया स्टेशन बनाया गया। यह कार्य मुख्यालय पत्र क्र.-HQ/WCR LN. WCR/JBP/T-541/NI/HDU-NMWP, दिनांक-08.04.2024 (Notification No.-07/2024) एवं जबलपुर मंडल के पत्र क्र. -JBP Division E-Office file No.-219919, दिनाँक 26.03.2024 द्वारा निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। उक्त NI कार्य पूरा कर दिनोंक-28.04.2024 को न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन ओपन कर दिया गया। संघ द्वारा ओपन करने के पूर्व मौखिक रूप से न्यू मझगवाँ फाटक (NMVP) स्टेशन के मूलभूत समस्याओं को बताया गया लेकिन उन समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया जो कि निम्नवत् है- स्टेशन में आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है थोड़ा-सा बारिश हो जानेपर एक किमी पैदल जाना पड़ता है वाहन जाने को कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। स्टेशन बिल्डिंग के विपरीत DN Side में काँटेवालों को सिंगनल एक्सचेंज के लिए कोई जगह / सुविधा नहीं है। स्टेशन में पानी की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर पैनल रूम के सामने शेड की व्यवस्था नहीं है जिससे बारिश का पानी पैनल रूम में आता है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के वाहन को खड़ा करने के लिए कोई शेड नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर VDU कक्ष में Exhaust की सुविधा नहीं है। स्टेशन में स्टोर्स रूम की सुविधा नहीं है। स्टेशन में रेस्ट रूम की सुविधा नहीं है। संघ का कथन है कि न्यू मझगवाँ फाटक स्टेशन में बिना मूलभूत सुविधाओं को बिना पूरा किये चालू कर दिया गया जिससे कर्मचारियों को कार्य के दौरान समस्या हो रही है। अतः संघ माँग करता है कि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाय एवं की गयी कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाय। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCE- मुख्य इंजीनियर/सामान्य महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु जनरल मैनेजर इरकॉन/कटनी को पत्र क्रमांक-डब्ल्यू.एच्क्यू/101/पीएनएम/डब्ल्यू.सी.आर.एम.एस-71 दिनांक 04.06.2024 को लिखा गया। 1. स्टेशन में आने-जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है। 2. स्टेशन विल्डिंग के विपरीत डाउन में सेस पर कांटेवाले को सिंगन्ल एक्सचेंज करने के साथ संयुक्त निरीक्षण के पश्चात उचित सुविधा इरकॉन द्वार प्रदान कर दी जावेगी। 3. स्टेशन में बोरवेल की व्यवस्था की गयी है। जिससे पेयज की आपूर्ति 24 आंटे तक सुनिश्चित है।

	4. स्टेशन विल्डिंग का निर्माण स्टेण्डर्ड ड्राइंग के अनुसार किया गया है।। जिसमे स्टेशन बिल्डिंग के साथ बराम्दा की व्यवस्था की गई है। PCEE-यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। 5. न्यू मझंगवां स्टेशन परिसर में विद्युत की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की जानी है। इस हेतु विद्युत विभाग के थ निरीक्षम कर प्रकाश व्यवस्था इसकॉन द्वारा कर दीय जायेगी। 6 वाहन खड़े करने के लिये स्टेशन के सामने उपयुक्त स्थान उपलब्ध हे और अनुमोदित नक्शे में शेड नहीं है। शेड का निर्माण करा दया जायेगा।. 7. वीडीयू कक्ष में खिड़कियों के माध्यम से वेन्टीलेशन की सुविधा उपलब्ध है। 8. वीडीयू कक्ष का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है। 9. स्टेशन बिल्डिंग के समीप एक अतिरिक्त रूम बनाया गया है। जिसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. स्टेशन बिल्डिंग में अनुमोदित नक्शे के अनुसार रूम दिये गए हैं। जिसमें रेस्ट रूम का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह पैसेंजर यार्ड नहीं है। **PCEE-**यह मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL प्रशासनिक टिप्पणी **कटनी–बीना खण्डमें न्यू मझगवाँ फाटक मझगवाँ फाटकस्टेशन की परेशानियों के संबंध मेंमुख्यालय द्वारादि: 01.02.2024 कोमंडलकार्यालय पत्र क्र.JBP/T/232/NMWP/GSदि: 15.05.2024 एवंमंडलकार्यालय पत्र क्र.GW.NewMajhgawan Phatak.39A.GSदि: 02.09.2024 के तहतCGM/IRCON/KTEकोपत्र लिखा गयाहैकिंतुअभीकार्यपूर्णनहींकियागयाहै।**
MS/ 40/2024 PCEE PCOM PFA Dy.CPO/HRD	भोपाल मंडल की रनिंग स्टॉफ की समस्याएँ : (अ) आरबीआई 102/2022 के लोको रनिंग अनुभाग में मेल लोको पायलट जैसे आर.के. शर्मा कमलेश परिहार , जे.पी. नारंग, अरविंद शर्मा एवं अन्य 8 कर्मचारियो को स्टेपिंग अप नहीं दिया जा रहा है। मंडल में कई दौर की चर्चा होने के बावजूद फाईल कार्मिक और लेखा विभाग में ही घूम रही है। संघ का कथन है 7 वें पे कमीशन के बाद की रूलिंग के अनुसार 29 अगस्त 2022 के उपरोक्त आर तहत स्टेपिंग अप देने का आदेश निर्गत किये जाये। (ब) झांसी रनिंग रूम में सच साईड का रूम डोरमट्री है, जिसमें एक साथ 12 से 15 एएलपी विश्राम करते है, बार बार कॉल बुक आती है जिससे सोने वाले कर्मचारियो की नींद नही होती है एवं बाकी कसर वहाँ के गद्दे पूरी करते है जिनमें जगह जगह गोले हो गये है जो कि सोते समय चुभते है खाना की क्वाल्टि भी ठीक नही है, रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है. जिससे संरक्षा प्रभावित हो सकती है। संघ की मांग है कि उक्त विषमताओ को दूर करवाया जाये । (स) रनिंग स्टॉफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने हेतु इटारसी लोको रनिंग स्टाफ जो की संयुक्त परिवार से अलग रहकररेल सेवा कर रहे हैं एवं PSSS साइडिंग एवं एनएसपीएन साइडिंग के रनिंग रूम में रूककर, उन्हें रनिंग रूम में दोबाराखंडवा में रोका जा रहा है जिससे स्टाफ 60/70 घंटे में हेड क्वार्टर वापस आता है और वापस 16 घंटे में फिर बुकिंग होजाती है संघ की मांग है कि इन दो साइडिंग में कार्य करने वाले स्टाफ को खंडवा से स्पेयर लाया जाए माननीय रेलवेबोर्ड द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे की रनिंग स्टाफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने की प्रयास कियाजाए ताकि स्टाफ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को निर्वहन कर सके एवं तनाव मुक्त रेल सेवा कर सके । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PFA** -(प्रकरण की समीक्षा की जा रही है। अ) प्रकरण दिनांकः 03.07.2024 को कार्मिक शाखा/भोपाल वापस किया गया था जो दिनांक 26.02.2025 को लेखा विभाग (भोपाल) मे प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। (ब) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । (स) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । अ. स्टेमपिंग अप का प्रकरण लेखा विभाग को बार-बार स्तचयापन हेतु भेजा गया जिसे 08.02.2024 20.05.2024 एवं

05.03.2025 को आपत्ति के साथ वापिस किया गया। प्रकरण लेखा विभाग को लंबित है।

PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है।

(ब)-झॉसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है।

(स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है।

PCOM - अ. यह कार्मिक विभाग से संबंधित है।

ब. रनिंग रूम का संचालन सीनियर डी ई.ई (टी.आर.ओ) के अंतर्गत है।

स. इटारसी डिपो के रनिंग स्टॉफ से नियमानुसार ही कार्य कराया जा रहा है साथ ही खंडवा डिपो से संपर्क कर परिस्थिति एवं आवष्यकतानुसार स्पेयर मुख्यालय वापिस बुलाया जाता है। इस संबंध में खंडवा डिपो को पत्र भी लिखे गये हैं जिससे गाडी प्रबंधको का अनावष्यक विलंब न हो। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है।

(ब)-झॉसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः मद समाप्त करें।

(स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुॅचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है।

पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

अ. यहकार्मिकविभाग से संबंधितहै।

ब. रनिंग रूम का संचालनसीनियरडीई.ई (टी.आर.ओ) के अंतर्गतहै।

स. इटारसीडिपो के रनिंगस्टॉफ से नियमानुसारहीकार्यकरायाजारहाहैसाथही खंडवाडिपो से संपर्ककरपरिस्थिति एवंआवश्यकतानुसारस्पेयरमुख्यालय वापिसबुलायाजाताहै। इस संबंध में खंडवाडिपोकोपत्र भीलिखेगयेहैंजिससेगाडीप्रबंधको का अनावश्यकविलंब न हो।

ट्रेनमेनेजरस्टॉफइटारसीडिपो का खंडवामेंआउटस्टेशनरेस्टनिम्नानुसारहै।

Hrs	April 2025	%	May 2025	%
<12hrs	191	47	220	58
12<16	150	37	117	31
16<24	64	16	45	12
24<30	00	0	00	0
30<40	00	0	00	0
40 hrs	00	0	00	0
Total	405 hrs		382 hrs	
Avg rest	11.56 hrs		11.09 hrs	

MS/ 41/2024 PCOM PCE PCEE

कटनी न.क.ज. के परिचालन विभाग के कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में ।

परिचालन कर्मचारियों के ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत

1. नवनिर्मित EI बिल्डिंग A केबिन B केबिन परिचालन VDU कक्षा में एक का प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे रहने के कारण उसे कक्ष का तापमान सामान्य तापमान से अधिक है अतः A केबिन B केबिन VDU कक्ष में एक का प्रावधान किया जाए जिससे स्टेशन मास्टर VDU का ऑपरेशन के साथ ट्रेन का संचालन सुचारु ढंग से कर सके ।

2. न.क.ज. में MI ऑफिस जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर है एवं वाहन के टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है जबकि महिला पॉइंट्समैन भी वहां कार्य करती हैं अतः वहां नया MI कक्ष टॉयलेट के साथ बनाया जाये।

3. न.क.ज. की यार्ड में डिपार्चर यॉर्ड एवं न्यू यॉर्ड की बिल्डिग पुरानी है जो बरसात में लीकेज होता है जिससे स्टेशन मास्टर का कार्यस्थल की स्थिति ठीक नहीं है एवं शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है अथवा डिपार्चर / न्यू यार्ड की नई बिल्डिंग बनाई जाए एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाए।

4. जबलपुर मंडल में स्टेशन मास्टर का ड्यूटी रोस्टर ऐसा बनाया गया है जिसमें सात नाइट लगातार करना पड़ता है जिससे स्टेशन मास्टर / कांटेवाले के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और भारी संख्या में स्टेशन मास्टर चिकित्सा विकोटीकृत हो रहे हैं साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं अतः 04 नाइट रोस्टर लागू किया जाए।

5. जबलपुर मंडल में जबलपुर सतना कटनी मुंडवारा RRI में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी व व उमस होने के कारण कार्य में समस्या होती है गर्मी में कूलर कक्ष के अंदर लगा दिया जाता है जिससे उमस के साथ-साथ आवाज होने के कारण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है इस समस्या को देखते हुए कई अधिकारी पूर्व में अपने निरीक्षण के दौरान RRI कक्ष में AC लगाने का जिक्र किए हैं लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया। अतः पैनल कक्ष में AC लगाया जाए ।

6. जबलपुर मंडल में जी स्टेशनों में अत्यधिक लोडिंग / अनलोडिंग किए जाते हैं एवं साथ में ट्रेन संचालन भी किया जाता है ऐसे स्टेशनों में ऑउटडोर स्टेशन मास्टर का प्रावधान किया जाए जैसे दमोह झुकेही, बरगवा, मदनपुर आदि ।

7. रोड साइड स्टेशनों में स्टेशन के साथ कॉलोनी की सफाई कार्य स्टेशन मास्टर के द्वारा कराया जाता है लेकिन कार्यरत स्टेशन मास्टर के लिए सफाई कार्य की निगरानी कर पाना मुश्किल हो रहा है तथा सफाई कार्य से स्टेशन मास्टर को अलग किया जाए।

8. कटनी मुड़वारा में स्टेशन प्रबंधक कक्ष और VIP कक्ष एक ही जिसके कारण कभी-कभी कार्य आबादी में किसी VIP का परिवार सहित आगमन पर स्टेशन प्रबंधक को परेशानी का सामना करना पड़ता है अतः स्टेशन मास्टर कक्षा को VIP कक्ष से अलग बनाया जाए।

9. कटनी लॉबी से जिस मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाया जाता है वहां से ड्यूटी ऑन करने के बाद लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर कटनी मुंडवारा / कटनी साउथ जाते हैं तो वहां कई बार गाड़ियां दो-तीन घंटे लेट हो जाती हैं उस स्थिति में लोको पायलट / ट्रेन मैनेजर को स्टेशनों में कोई रूम नहीं है जहां बैठकर गाड़ी का इंतजार कर सके प्लेटफार्म पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। अतः एक रूम की फर्नीचर एवं टॉयलेट के साथ व्यवस्था किया जाए ।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।

प्रशासनिक टिप्पणी

पीसीई- 1. क्रमांक 1,4,5,6,एवं 7 इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है।टॉयलेट के कार्य का प्रस्ताव रेवेन्यू 2024-25 में प्रक्रियाधीन है एवं महिला पॉइंसमैन के टॉयलेट का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।

3. उक्त कार्य करा दिया गया है। कृपया मद समाप्त किया जाये। PCEE-Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.

PCOM- 1- नकज ए एवं बी केबिन में 1 एवं नकज सी केबिन में 4 एसी लगा दिये गये है।

2- इस हेतु इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार किया जायेगा।

3-नकज यार्ड के डिपार्चर यार्ड एवं न्यू यार्ड की नई बिल्ंिडग का निर्माण करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा पत्र क्रमांक JBP.T.O.NKJ.39.KTE-SGRL-SGRL Doubling दिनांक 12.10.2023 के अनुसार IRCON को पत्र लिखा गया है।

4- जबलपुर, सतना एवं सागर स्टेशनों पर 4 नाईट ड्यूटी रोस्टर प्रायोगिक तौर पर लागू किया जायेगा। परन्तु सागर स्टेशन पर रिपोर्ट अप्राप्त है एवं जबलपुर एवं सतना में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की आपसी सहमति न होने के कारण लागू नही किया जा सका।

5-जबलपुर मंडल के समस्त आरआरआई में एसी लगाने हेतु कार्यवाही की गयी थी परन्तु इलैक्ट्रिकल विभाग द्वारा

कार्यवाही अपेक्षित है।

6- दमोह, झुकेही, बरगंवा एवं भदनपुर स्टेषनों आउटडोर स्टेषन मास्टर का प्रावधान किये जाने के लिये अतिरिक्त स्टेषन मास्टर के पदों के सृजन करने की आवष्यकता होगी। पदों को सृजन करने हेतु मनी वैल्यू मंडल वैकेंसी बैंक में उपलब्ध नही है।

7-रोड साइड स्टेषनों एवं कालोनियों की सफाई हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा आउटसोर्स किया गया था जिसे लगभग पिछले 4 वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा पुनः आउटसोर्स करने हेतु छैळ- 5 एवं 6 श्रेणी के 21 बडे स्टेषनों की साफ-सफाई को ठेका Gem के माध्यम से (BRGW, VST, MWJ, UDR, BEHR, UHR, JTW, PHA, MKRN, KYE ,BNU ,NWR, KTE-S SHR, SBD,SGP, SRID, KY, BKH, SCKR, KKB) के साफ सफाई का ठेका अवार्ड कर दिया गया है जो कि पार्टी के द्वारा साफ सफाई का कार्य चालू कर दिया गया है। वर्तमान में अन्य स्टेषन प्रबंधक द्वारा अग्रदाय धन से रेल परिसर/स्टेषन/कालोनी की सफाई करायी जा रही है।

वर्तमान में निम्नलिखित स्टेशन पर सफाई का कार्य ठेका पर किया जा रहा है।

Cleaning Contract

SN STATION SN STATION

1 PPI 18 SBD

2 BKH 19 UHR

3 SGP 20 MYR

4 GAR 21 BNU

5 SCKR 22 DMO

6 KY 23 STA

7 NU 24 JTW

8 SRID 25 REWA

9 KKB 26 KMZ

10 MML 27 PHA

11 JBP 28 KYE

12 SHR 29 MKRN

13 SBD 30 SGO

14 KTES 31 NKJ

15 KTE 32 VST

16 JKE 33 BEHR

17 NWR 34 BRGW

8-कटनी मुडवारा स्टेषन पर वीआईपी कक्ष बनाने हेतु सर्वे कराने हेतु दिनांक 06.10.2023 को पत्र लिखा गया था सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पष्चात ई-ऑफिस फाइल नं. 224822 दिनांक 26.10.2023 को वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजा गया है। अमृत भारत स्कीम के तहत की जा सकती है।

9-वर्तमान में आरआरआई केएमजेड एवं कटनी साउथ स्टेषन मास्टर कक्ष में लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर को पर्याप्त छाया, बैठने एवं पानी की व्यवस्था है गाडियां लेट होने के कारण वहां बैठकर गाडी का इंतजार कर सकते है।

PCEE- Item 1& 5 AC has been provided in Realy Room of A & B cabin NKJ. In other location i.e VDU there is no Railway Board guide line.

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

1– नकज ए एवं बी केबिन में 1 एवं नकज सी केबिन में 4 एसी लगा दिये गये है।

2– इस हेतु इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार किया जायेगा।

3–नकज यार्ड के डिपार्चर यार्ड एवं न्यू यार्ड की नई बिल्डिंग का निर्माण करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा पत्र क्रमांक JBP/T/O/NKJ/39/KTE-SGRL-SGRL Doubling दिनांक 12.10.2023 के अनुसार IRCON को पत्र लिखा गया है।

4– जबलपुर, सतना एवं सागर स्टेशनों पर 4 नाईट ड्यूटी रोस्टर प्रायोगिक तौर पर लागू किया जायेगा। परन्तु सागर स्टेशन पर रिपोर्ट अप्राप्त है एवं जबलपुर एवं सतना में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की आपसी सहमति न होने के कारण लागू नही किया जा सका।

	5–जबलपुर मंडल के समस्त आरआरआई में एसी लगाने हेतु कार्यवाही की गयी थी परन्तु इलैक्ट्रिकल विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है। 6– दमोह, झुकेही, बरगंवा एवं भदनपुर स्टेशनों आउटडोर स्टेशन मास्टर का प्रावधान किये जाने के लिये अतिरिक्त स्टेशन मास्टर के पदों के सृजन करने की आवश्यकता है जिसके संबंध में प्रकरण फाईल मंडल के वित्त विभाग में समीक्षा हेतु लंबित है। पदों को सृजन करने हेतु मनी वैल्यू मंडल वैकेंसी बैंक में उपलब्ध नही है। 7–रोड साइड स्टेशनों एवं कालोनियों की सफाई हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा आउटसोर्स किया गया था जिसे लगभग पिछले 4 वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा पुनः आउटसोर्स करने हेतु NSG– 5 एवं 6 श्रेणी के 21 बडे स्टेशनों की साफ–सफाई को ठेका Gem क माध्यम से(BRGW,VST,MWJ,UDR,BEHR,UHR, JTW, PHA, MKRN, KYE ,BNU ,NWR, KTE-S SHR,SBD,SGP,SRID,KY,BKH,SCKR,KKB) के साफ सफाई का ठेका अवार्ड कर दिया गया है जो कि पार्टी के द्वारा साफ सफाई का कार्य चालू कर दिया गया है। वर्तमान में अन्य स्टेशन प्रबंधक द्वारा अग्रदाय धन से रेल परिसर/स्टेशन/कालोनी की सफाई करायी जा रही है। **वर्तमान में निम्नलिखित स्टेशन पर सफाई का कार्य ठेका पर किया जा रहा है।**

		Cleaning Contract	
SN	STATION	SN	STATION
1	PPI	18	SBD
2	BKH	19	UHR
3	SGP	20	MYR
4	GAR	21	BNU
5	SCKR	22	DMO
6	KY	23	STA
7	NU	24	JTW
8	SRID	25	REWA
9	KKB	26	KMZ
10	MML	27	PHA
11	JBP	28	KYE
12	SHR	29	MKRN
13	SBD	30	SGO
14	KTES	31	NKJ
15	KTE	32	VST
16	JKE	33	BEHR
17	NWR	34	BRGW

	8–कटनी मुडवारा स्टेशन पर वीआईपी कक्ष बनाने हेतु सर्वे कराने हेतु दिनांक 06.10.2023 को पत्र लिखा गया था सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ई–ऑफिस फाइल नं. 224822 दिनांक 26.10.2023 को वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजा गया है। अमृत भारत स्कीम के तहत की जा सकती है। 9–वर्तमान में आरआरआई केएमजेड एवं कटनी साउथ स्टेशन मास्टर कक्ष में लोको पायलट/ट्रेन मेनेजर को पर्याप्त छाया, बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था है।
MS/ 50/2024 PCOM PCEE	शंटिंग मास्टर्स के पदो का कार्य अनुरूप बढ़ोत्तरी करने बाबत् । वर्तमान में तीनो मंडलो में कुल मिलाकर लगभग 37 पद शंटिंग मास्टर्स के है जो कि कार्य की अधिकता को देखते हुये काफी कम है। उदाहरणः RKMP वंदेभारत जन शताब्दी, इंटरसिटी सहित अनेक मेल एक्सप्रेस ट्रेन की शंटिंग प्रतिदिन होने के उपरांत भी शंटिंग मास्टर्स के पद नही है। इसके साथ साथ पॉइंट्समैन को पदौन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। अतः शंटिंग मास्टर्स के पदो की बढ़ोत्तरी कार्यानुरूप शीघ्र की जावें।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा

करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE-मद ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है।

तीनों मंडलों में वर्तमान में शटिंग मास्टर्स कर केडर निम्नानुसार है।

कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक पमरे/जबल/का/165/यातायात/मण्पिसम दवण् 193095/संवर्ग दिनांक 25.09.2024 एमपीपी कार्यालय आदेष क्रमांक 11/2023-24 (यातायात) के अनुसार शंटिंग मास्टर के 9 नये पद सृजित किये गये है।इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जबल/टी/204/एमपीपी/सृजन दिनांक 21.03.2024 के अनुसार शंटिंग मास्टर संवर्ग के 18 नये पद सृजन करने हेतु पत्र कार्मिक विभाग को भेजा गया। प्रकरण कार्मिक विभाग में लम्बित है।

जबलपुर 48 34 14 29 %

भोपाल 24 16 8 33 %

कोटा 16 11 5 31 %--As per office Memorandum 124/2024 dtd 28.03.2024 two posts of cabinmen L-04 redistributed to shunting Masterकुल पमरे88 61 24 31 %रेल्वे बोर्ड के पत्र क. E(MPP)2024/1/26/ dated 11.09.2024 के अनुपालन में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पमरे के पत्र क्र. क्र.पमरे/का.मुख्या/1200/केडर/पद सृजन/इंजी. दिः 13.11.2024 के द्वारा तीनों मंडलों को New Assets हेतु आवश्यक पदों के सूजन पत्र लिखा है। प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक पत्र कार्मिक कार्यालय को प्रेषित करने हेतु पत्र के सूजन का प्रस्ताव मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से मात्र प्रेषित करने हेतु पत्र क. WCR/JBP/T-902/Cadre dated 07.02.2025 के द्वारा तीनों मंडलो को सूजन के प्रस्ताव को शीघ्रता से मुख्या करने हेतु पत्र लिखा गया है। वर्तमान में सूजन के प्रस्ताव की प्रकरण फाईल की स्थिति निम्नानुसार है। में है।

जबलपुर मंडल मंडल के वित्त विभाग में है।

कोटा मंडल मुख्यालय कार्मिक विभाग में है।

भोपाल मंडल- मुख्यालय कार्मिक विभाग में है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

तीनोंमंडलोंमेंवर्तमानमेंशंटिंगमास्टर्सका केडरनिम्नानुसारहैः

मंडल	स्वीकृत संख्या	कार्यरत्	रिक्तियॉं	रिक्तियॉं %	
जबलपुर	48	34	14	29%	कार्मिक विभाग के पत्र कमांक पमरे/जब **e.file no.** 193095/ संवर्ग दिनांक आदेश कमांक 11/2023–24 (यातायात) के अनुसार भांटिंग मास्टर के 9 नये पद सृजित किये गये है। इस कार्यालय के पत्र कमांक जबल/टी/204/एमपीपी/सृजन दिनांक 21.03.2024 के अनुसार शंटिंग मास्टर संवर्ग के 18 नये पद सृजन करने हेतु पत्र कार्मिक विभाग को भेजा गया। प्रकरण कार्मिक विभाग में लम्बित है।
भोपाल	24	16	08	33%	
कोटा	16	11	05	33%	**As per office Memorandum 124/2024 dtd 28.03.2024 two posts of cabinmen L-04 redistributed to shunting Master .**
कुलपमरे	**88**	**61**	**24**	**31%**	

रेल्वेबोर्ड के पत्र क्र. **E(MPP)2024/1/26/ dated 11.09.2024** के अनुपालनमेंप्रमुख मुख्य कार्मिकअधिकारीपमरे के पत्र क्र.पमरे/का.मुख्या/1200/केडर/पद सृजन/इंजी. दिः 13.11.2024 के द्वारातीनोंमंडलोंको**New Assets** हेतुआवश्यक पदो के सृजन का प्रस्तावमंडलरेलप्रबंधक के अनुमोदन से मुख्यालय प्रेषितकरनेहेतुपत्र लिखा है।प्रमुख मुख्य परिचालनप्रबंधकपत्र क्र. **WCR/JBP/T-902/Cadre dated 07.02.2025** के द्वारातीनोंमंडलोंकोसृजन के

प्रस्तावको शीघ्रता से मुख्या.कार्मिककार्यालय कोप्रेषितकरनेहेतुपत्र लिखा गयाहै।वर्तमानमेंसृजन के प्रस्ताव की प्रकरणफाईल की स्थितिनिम्नानुसारहै।
जबलपुर, भोपाल एवंकोटामंडल की प्रकरणफाईलमुख्यालय कार्मिकविभागमेंसमीक्षा हेतुप्रेषित की गयीहैं।

MS/ 01/2025
PCEE PCOM

गाडी सं. 20981/20982 उदयपुर सिटी-आगरा वंदेभारत एक्सप्रेस की वर्किंग के संबंध में।

संदर्भः 1. पश्चिम मध्य रेलवे का नोटिफिकेषन सं. 60/2024 दिनांक 31.07.2024

2. उत्तर पष्चिम रेलवे का नेटिफिकेपन सं. NWR/TTE/2024/54 दिनांक 31.07.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार संघ के संज्ञान में आया है कि उदयपुर सिटी से आगरा के बीच 02 सितम्बर 2024 से नई वंदेभारत गाड़ी का संचालन शुरू किया जाना है। संदर्भित पत्र सं. 01 व 02 के तहत उदयपुर कोटा उदयपुर के बीच इस गाड़ी का वर्किंग क्रू गार्ड उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल को दिया गया है तथा कोटा-आगरा-कोटा के क्रू गार्ड को गाड़ी का वर्किंग कोटा मण्डल को आवंटित किया गया है। इसके लिए वे.से.रे.म.संघ से किसी प्रकार की चर्चा किये बिना इस तरह का निर्णय गलत है।

इस संबंध मे कोटा मण्डल के कार्यक्षेत्र का वर्किंग अजमेर मण्डल को दिये जाने से कोटा मण्डल के क्रू एवं रनिंग स्टाफ में असंतोष व्याप्त है। एक तरफ कोटा-चित्तौड़ खण्ड का कार्यक्षेत्र कोटा मण्डल के अंदर होने के कारण कोटा-चित्तोड़ खण्ड की गाड़ियों का वर्किंग कोटा मण्डल से कराया जा रहा है एवं असरवा एक्सप्रेस का वर्किंग उदयपुर कोटा उदयपुर के मध्य कोटा मण्डल द्वारा किया जा रहा है। ऐसे मे वंदेभारत गाडी का संचालन कोटा मण्डल के कार्यक्षेत्र में अन्य मण्डल से करवाया जाना अनुचित है।

संघ का अनुरोध है कि गाड़ी सं. 20981/29082 उदयपुर सिटी-आगरा-उदयपुर सिटी वंदेभारत की वर्किंग कोटा मण्डल से करवाए जाने का प्रबंध करें।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCEE- उदयपुर सिटी -कोटा-उदयपुर सिटी के मध्य एनडब्ल्यूआर क्रू एवं कोटा आगरा कैंट गंगापुर सिटी क्रू तथा आगरा कैंट-गंगापुर सिटी आगरा क्रू एवं गंगपुरसिटी कोटा के मध्य वंदेभारत एक्सप्रेस को गंगापुर सिटी क्रू कार्य करता है। यह निर्णय डब्ल्यूसीआर एवं एनसीआर रेलवे के मध्य चर्चा उपरांत लागू किया गया है।

PCOM - the working of train no. 20981/82 between UDZ-KOTA-UDZ is allotted to NWR as per table below:

By UDZ Crew (Between UDZ-KOTA-UDZ)

Day Train From To S/on Dep. Arr. S/off Running duty Total Duty O/S Rest

MON 20981 UDZ KOTA 05:15 05:45 09:50 10:20 04:05 05:05

MON 20982 KOTA UDZ 18:40 19:10 23:45 00:15 04:35 05:35 08:20

From the table above it is clear that if 20981/20982 UDZ-AGC Vande Bharat train run by NWR between UDZ-KOTA-UDZ, one set of crew is required with only 08:20 hrs O/S rest.

If the train is worked with Kota crew it will involve TAP working and /or increase outstation rest and man power since there are no connecting trains to formulate a crew link better than proposed by NWR.

Therefore it is apprised that Working of Crew (LP& TM) of newly introduced Tri-weekly Vande Bharat (20981/20982 UDZ-AGC) between UDZ-KOTA-UDZ allotted to NWR for optimum utilization of crew.

कार्यालय पत्र क्र. WCR/JBP/T-824/Crew Link dated 23.08.2024 के द्वारा यूनियन को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।

पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

NIL

प्रशासनिक टिप्पणी

the working of train no. 20981/82 between UDZ-KOTA-UDZ is allotted to NWR as per table below:

By UDZ Crew (Between UDZ-KOTA-UDZ)										
Day	Train	From	To	S/on	Dep.	Arr.	S/off	Running duty	Total Duty	O/S Rest

	MON	20981	UDZ	KOTA	05:15	05:45	09:50	10:20	04:05	05:05	
	MON	20982	KOTA	UDZ	18:40	19:10	23:45	00:15	04:35	05:35	08:20

From the table above it is clear that if 20981/20982 UDZ-AGC Vande Bharat train run by NWR between UDZ-KOTA-UDZ, one set of crew is required with only 08:20 hrs O/S rest.
If the train is worked with Kota crew it will involve TAP working and /or increase outstation rest and man power since there are no connecting trains to formulate a crew link better than proposed by NWR.
Therefore it is apprised that Working of Crew (LP& TM) of newly introduced Tri-weekly Vande Bharat (20981/20982 UDZ-AGC) between UDZ-KOTA-UDZ allotted to NWR for optimum utilization of crew.

कार्यालय पत्र क्र. **WCR/JBP/T-824/Crew Link dated 23.08.2024** के द्वारा यूनियनकोपूर्वमेंहीअवगतकरायाजाचुकाहै।

MS/13/2025 PCEE PCOM DY.CPO/HQ	भोपाल मंडल के यात्रिंक विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. जबलपुर से खंडवा मेल एक्सप्रेस का संचालन, सिंगल डिस्टेंट टेरेटरी से डबल डिस्टेंट टेरेटरी में जाना असुरक्षित है, इटारसी डिपो के स्टाफ से सतना तक एवं इटारसी त्से मनमाड़ तक करवाया जाये जो सुरक्षित रहेगा, किमी बैलेंसिंग इटारसी डिपो के स्टाफ से हो, इटारसी डिपो का स्टाफ सतना तक एवं मनमाड़ तक कार्य करेंगे ऐसे crew लिंक बनाएं जायें। 2. FSD यदि पूरे वर्ष संचालन करना है तो उसे रेलवे बोर्ड के पत्र कृ /2022/M(L)165/3/दिनांक 18/01/2023 (द्वारा आदरणीय श्री किशोर वैभव, कार्यकारी निदेशक विद्युतीय इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड) इंजन तक पहुंचाने एवं इंजन से ही कलेक्ट करवाने की व्यवस्था की जाये, LP ALP के पास स्वयं का ही लगभग 30-35 किलो वजन रहता है। 3. भोपाल मंडल में C&W विभाग के 6 कर्मचारी को पत्र कृ /पमरे/पीभो/210/7/जेई/LDCE कोटा/C&W दिनांक 18.07.2024 के द्वारा स्थानांतरण के पूर्व की सेवा को निरन्तर नहीं मानकर LDCE कोटा के अंतर्गत जे.ई की पात्रता सूची में अपात्र घोषित किया गया है जिन्हें शीघ्र पात्र घोषित किया जाये ताकि वह सम्मिलित हो सके। अंकित कुमार, गौरव चौधरी, अमित कुमार, मंगल सिंह, अभिषेक खटीक, अंकुर परिहार, (टेकनी- 11)। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCOM-1.भारतीय रेल्वे के विभिन्न खंडों में सिगनलों की भिन्नता (सिंगल डिस्टेंट/डबल डिस्टेंट/ऑटोमेटिक) एवं गति की भिन्नता रहती है जिसके लिये रनिंग स्टॉफ को रोड लर्निंग दी जाती है ताकि सुरक्षित संचालन हो। मंडल/क्षेत्रीय रेलवे के मध्य किमी. बेलेंसिंग का ध्यान रखकर बतमू सपदा बनाये गये हैं। 2.एफ एस डी DEVICE को इंजिन में भेजना एवं कलेक्ट करना यांत्रिक विभाग से संबंधित है। 3.कार्मिक विभाग से संबंधित है। **Dy.CPO(HQ)** (3)- रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 अनुसार स्किल्ड आर्टीजन मैट्रिकुलेट्स को दिया गया 03 वर्ष का प्रषिक्षण, 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार 25 प्रतिषत कोटा के तहत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स के चयन में कर्मचारियों की तीन वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 50/1997 तथा आईआरईएम के पैरा 141(1)(ii)(b) के अनुसार भोपाल मण्डल के कैरिज एण्ड वैगन विभाग में 25 प्रतिषत एलडीसीई कोटा द्वारा जारी पात्रता सूची में जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 03 वर्ष से कम है उन्हें अपात्र किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.10.24 याके तहत महामंत्री WCRMS को जबाब दिया गया है कृपया मद 3 समाप्त करें। PCEE-1 जबलपुर से खंडवा बीट में रनिंग कर्मचारी सुचारू रूपसे कार्य कर रहे है। बीट परिवर्तन संबंधि प्रस्तावों को क्रू लिंक बनाते समय मंडलों द्वारा विचार में लिया जा सकता है। 2. एफएसडी का उपयोग रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार पूरे वर्ष किया जाना है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

	3.यह मद यांत्रिक विभाग से संबंधित है। **पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** 1.भारतीय रेल्वे के विभिन्न खंडोंमेंसिगनलों की भिन्नता (सिंगल डिस्टेंट/डबलडिस्टेंट/ऑटोमेटिक) एवंगति की भिन्नतारहतीहैजिसकेलियेरनिंगस्टॉफकोरोडलर्निंगदीजातीहैताकिसुरक्षितसंचालनहो।मंडल/क्षेत्रीय रेलवे के मध्य किमी. बेलेंसिंग का ध्यानरखकर**crewlink** बनायेगयेहैं। 2.एफ एसडी**(Fog safe Device)** कोइंजिनमेंभेजना एवंकलेक्टकरना यांत्रिक विभाग से संबंधितहै। 3.कार्मिक विभाग से संबंधितहै।
MS/ 23/2025 PCOM	श्री अनिल कुमार सिंह, स्टेषन प्रबंधक का स्थानान्तण करने के संबंध में । उपरोक्त विषय में श्री अनिल कुमार सिंह, स्टेषन प्रबंधक, महादेवखेड़ी का बहादुर सिंह धाकड़ का स्थानान्तरण बुधनी से पीलीघाट हुआ था। मई 2023 में बहादुर सिंह घाकड़ का स्थानान्तरण भोपाल कर दिया गया था, लेकिन कर्मचारी श्री अनिल कुमार सिंह का रजिस्ट्रेषन महादेवखेड़ी से भोपाल के लिए पहले होने के बाद भी उनका स्थानान्तरण आज दिनांक तक नही हुआ हैं। अतः अनुरोध है कि अनिल कुमार सिंह का स्थानान्तरण रजिस्ट्रषन के अनुसार भोपाल किया जाये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **PCOM-**श्री अनिल सिंह का स्थानांतरण षिकायत के आधार पर किया गया है, इनकी कार्यषैली कार्य के प्रति लापरवाही दर्षाती है। दिः10.03.2023 को इनके द्वारा महादेवखेडी स्टेषन पर पदभार ग्रहण किया गया है। वर्तमान में भी कर्मचारी की कार्यषैली में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। **पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** श्री अनिल सिंह का स्थानांतरण शिकायत के आधार पर किया गया है, इनकी कार्यशैली कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाती है । दि. 10.03.2023 को उनके द्वारा महादेवखेड़ी स्टेशन पर पदभार गृहण किया गया है,इस संबंध मे कार्यवाही की जा रही है |
MS/ 46/2025 PCOM JBP/DIV.	गाड़ी कं. 12189/12190, 15206/15205 के संचालन के संबंध में। उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि गाड़ी कं. 12189/12190, 15206/15205 का संचालन वर्तमान में जबलपुर क्रू द्वारा जबलपुर-बांदा / बांदा-जबलपुर तक किया जा रहा है इसमें क्रू की कुल ड्यूटी तथा नाइट ड्यूटी निम्न प्रकार से होती है। गाड़ी कं. साइन आन साइन आफ टोटल ड्यूटी नाइट ड्यूटी 12189 17/40 00/25 06/42 02/22 12190 22/35 06/25 07/50 06/25 15206 20/20 04/15 07/55 06/15 15205 21/40 06/10 08/30 08/00 महोदय उपरोक्त विवरण गाड़ी के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार है, परंतु दोनो गाड़ियां प्रायः विलंब से चलती है, जिसके कारण क्रू की ड्यूटी 9 घंटे से ज्यादा हो जाती है। वर्तमान में रेल प्रशासन द्वारा CVVRS के माध्यम से क्रू की संघन मोनिटिरिंग की जा रही है, ताकि माईक्रोस्लीप की संभावना को कम किया जा सके। यदि क्रू द्वारा पूरी रात अर्थात 8 घंटे नाईट ड्यूटी तथा 9 घंटे से ज्यादा कुल ड्यूटी की जायेगी तो क्रू द्वारा माईक्रोस्लीप की घटना संभव है। जिससे रेल की संरक्षा प्रभावित हो सकती है तथा SPAD जैसे घटनाएं घट सकती है। अतएव रेल की संरक्षा, सुरक्षा तथा समयपालन का ध्यान रखते हुये संघ की मांग है कि उक्त दोनो गाड़ियों का संचालन सतना क्रू द्वारा कराया जाये, जिसमें समान संख्या में ही क्रू लगेंगे, परंतु संरक्षा तथा HOER का उल्लंघन नहीं होगा। उपरोक्त बावत् संघ पीएनएम में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी**

	रेल्वेबोर्ड के पत्र क्र.2023/TT-1/76/Staff/07/Duty hours dated 12.10.2023 के अनुसारHOERका अनुपालनकरतेहुये 09+02+01कार्यकेघंटे के अनुरूपकार्यकरायाजारहाहै।
MS/ 57/2025 PCEE PCOM जबलपुरमंडल	जबलपुर मंडल के रनिंग कर्मचारियों के कार्य करने में होने वाली समस्याओं के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत जबलपुर मंडल में रनिंग कर्मचारियों की वर्किंग वीट लगातार कम होती जा रही, जबलपुर मंडल के भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे मंडलो एवं अन्य रेलवे के क्रू से लगातार काम कराया जा रहा है जिससे मंडल में रनिंग कर्मचारियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है, एएलपी कैडर में 8 से 10 वर्ष हो गये। किंतु लोको पायलट की पदोन्नति नहीं हो पा रही है :- 1. जबलपुर इटारसी-जबलपुर भौगोलिक क्षेत्र भी जबलपुर मंडल का है, किंतु मालगाड़ी में भोपाल मंडल के इटारसी क्रू को लगातर लगाया जा रहा है, जोकि थ्रू गाड़ियां पार्सल, एन बाक्स जैसी गाड़ियों इटारसी से जबलपुर आते है, जबकि जबलपुर का 8 से 10 क्रू इटारसी रनिंग रूम में हमेशा उपलब्ध रहते है तथा उनका आउट स्टेशन रेस्ट औसतन 14-15 घंटे रहता है कभी-कभी 24 से 30 घंटे भी आउट स्टेशन रेस्ट हो जाता है, क्योंकि इटारसी स्टाफ को लगाया जाता है, ज्यादा क्रू होने पर भी स्पेयर भी नहीं किया जाता, जिससे मुख्यालय में क्रू की उपलब्धता कम हो जाती है। कुंभ के दौरान स्पेषल गाड़ियों पर काम करने हेतु इटारसी क्रू को इटारसी जबलपुर खंड में अस्थायी रुप से कार्य करने हेतु दिया गया था। परंतुआज भी स्पेशल ट्रेन 0 नंबर से शुरु होने वाली गाड़ी इटारसी क्रू के द्वारा जबलपुर तक चलाया जा रहा है। जोकि तत्काल बंद होना चाहिये। 2. जबलपुर मंडल के सागर डिपो का क्रू सेक्शन सागर-गुना, सागर-निषातपुर व सागर-झांसी में कार्य करता था, किंतु वर्तमान में सागर डिपो के क्रू को सागर-एनकेजे खंड में कार्य कराया जा रहा। जबकि वर्तमान में उपरोक्त खंड में गुना/कोटा क्रू, भोपाल क्रू व झांसी क्रू काम कर रहे है, इस प्रकार मंडल के क्रू की वर्किंग वीट कम की जा रही है जोकि जबलपुर मंडल के क्रू के साथ अन्याय है तथा भविष्य के साथ खिलवाड है। अतः सागर डिपो की पुरानी वीट पर अनुपातिक कार्य सागर डिपो के क्रू से कराया जाये। 3. सतना डिपो की मालगाड़ी कार्य करने की क्रू वीट सतना-छिवकी तथा सतना-बांदा थी जिसमें कि वर्तमान में छिवकी व बांदा का स्टाफ आता है तथा उन्हें स्पेयर न करते हुये सतना से बांदा व छिवकी गाड़ी चलाने हेतु बुक किया जाता है। परिणाम स्वरुप मंडल के सतना डिपो के क्रू का आउट स्टेशन रेस्ट बांदा व छिवकी में बढ़ रहा है। जिससे मंडल के क्रू का पूर्ण रुप से उपयोग नहीं हो रहा है। 4. वर्तमान में सभी मालगाड़ियों के क्रू को सेक्शन में 9 घंटे से अधिक कार्य करने का मेमो दिया जा रहा है। किंतु ओव्हर आवर्स ड्यूटी कराने का कोई भी उचित कारण नहीं लिखा जाता है जबकि बोर्ड ने केवल इमरजेंसी में ऐसा मेमो देकर कार्य कराने हेतु ० आदेषित किया है, किंतु मंडल में बिना किसी कारण के प्रतिदिन ओव्हर आर्वस कार्य कराया जा रहा है। जोकि रनिंग कर्मचारियों के आक्रोश को कम करने के लिये मेमो पर प्रतिबंध लगाना अतिआवश्यक है। 5. मंडल में जबलपुर, नकज, सतना, सागर, व ब्यौहारी डिपो के क्रू द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जाता है, किंतु सभी डिपो में साइडिंग वर्किंग के कारण क्रू को मुख्यालय वापिस नहीं आने दिया जाता, बल्कि 3-3 राउंड ट्रिप कराकर बीच सेक्शन में रिलीव हुये क्रू को मुख्यालय के स्थान पर आउट स्टेषन की तरफ स्पेयर भेजा जाता है। जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा सभी रेलो को निर्देषित किया गया है कि मंडल स्तर पर कोशिश की जाना चाहिये कि 32 घंटे में क्रू वापिस मुख्यालय आ सके। लेकिन बोर्ड के आदेष के विरुद्ध टारगेटेड 72 घंटे पूरा करने की मंडल में कोशिश की जा रही है। इस कार्य के लिये तीनो शिफ्ट में एक क्रू कन्ट्रोल कन्ट्रोल आफिस में ड्यूटी पर तैनात रहते है, जोकि शीघ्र ही नई व्यवस्था बनाकर लोको पर उपलब्ध कराया जाये। 6. रेलवे बोर्ड के आदेषानुसार एफएसडी को लोको पर उपलब्ध कराया जाये व लोको से उतारा जाय जबकि दूसरे मंडल / रेलो पर यह व्यवस्था लागू हो गई, किंतु मंडल के अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके कारण अपने सामान के साथ-साथ एफएसडी भी एएलपी को ढोने को मजबूर होना पड़ रहा है। 7. सेफ्टी के दबाव में रनिंग कर्मचारियों के उपर डीएआर लगाकर बड़ी संख्या में चार्जशीट दी जा रही है कितुं ओव्हर आवर्स कार्य कराने, रनिंग स्टाफ को अनावष्यक प्रताड़ित करने के लिये सेफ्टी के दबाव में ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुये डीएआर के

	अंतर्गत प्रताड़ना कम की जाये। 8. मेल एक्सप्रेस पैसेंजर लोको पायलट के पदो में रिक्तियों होने के कारण दूसरे मंडल/रेलवे की तरह जबलपुर मंडल में भी लोको पायलट गुड्स को स्क्रीन्ड कर मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों में कार्य कराया जाता है। किंतु अचानक केवल जबलपुर डिपो के स्क्रीन्ड लोको पायलट की स्क्रीनिंग निरस्त कर दी गई। इस संबंध में संघ को कोई सूचना भी नहीं दी गई आपसे अनुरोध है कि सभी लोको पायलट गुड्स की स्क्रीनिंग बहाल की जाये। जिससे महत्वपूर्ण गाड़ियों का उचित संचालन हो सके। 9. मंडल पर पैसेंजर/मेल परिचालक के कई पद खाली है पिछले एक साल से पदस्थापना नहीं हो पा रही है जिससे उक्त केटेगरी को प्रोमोषन का लाभ नहीं मिल रहा है। पैसेंजर/मेल में पदस्थाना नहीं होने के कारण मंडल स्तर पर कैटेगरी का स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण लंबित है अतः संघ मांग करता है कि पैंसेजर / मेल परिचालक की प्रोमोषन लिस्ट शीघ्र जारी किया जाये। 10. मुख्यालय के आदेषानुसार मंडल में रनिंग कर्मचारियों को एक बार मुख्यालय से गाड़ी लगने के बाद 72 घंटे से पहले मुख्यालय वापिस न आने पाये इसकी मानिटरिंग क्रू कन्ट्रोल द्वारा की जा रही है जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र कं E (LL) 2009/her/1 RBE 37/2010 Dt-25.02.2010 के अनुसार सभी जोनल रेलवे को निर्देशित किया गया था, कि रनिंग कर्मचारियों का आउट स्टेशन डिटेशन को कम करके 36 घंटे किया जाये। परंतु मंडल में इसके विपरीत यदि कोई सीधी गाड़ी मुख्यालय की ओर आ रही है एवं क्रू के 72 घंटे नहीं हुये तब छोटे छोटे डिपो / साइडिंग में रिलीव कराकर 3-4 रनिंग रूम में हाल्ट कराया जाता है जोकि अमानवीय कृत्य है एवं रनिंग कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की कार्यप्रणाली है संघ की मांग है कि 36 घंटे में रनिंग स्टाफ को मुख्यालय वापिस किया जाये। 11. मुख्यालय के आदेषानुसार मंडल में रनिंग कर्मचारियों को आउट स्टेशन से मुख्यालय की ओर स्पेयर न किया जाये जबलपुर मंडल में आउट स्टेशन के रनिंग रूम में खाली बेड न होने पर भी स्पेयर नही किया जा रहा। बल्कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वेड के लिये 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है एवं आउट स्टेशन रेस्ट 16 से 20 घंटे तक हो रहा है जिससे मुख्यालय में रनिंग स्टाफ की उपलब्धता कम हो जाती है एवं मुख्यालय रेस्ट घटकर 16 घंटे हो जाता है कर्मचारी परिवार को समय नहीं दे पा रहे है जिससे रनिंग कर्मचारियों में आकोष है। 12. जबलपुर-इटारसी खंड में एनटीपीबी साइडिंग है जहां पर रनिंग कर्मचारियों को रेस्ट करने के लिये कंपनी द्वारा रेस्ट रुम बनाया गया है जहां पर 3 कमरो में 10 बेड लगे हुये है अक्सर सभी बेड भरे रहते है बेड पाने के लिये क्रू को इंतजार करना पड़ता है साथ ही साथ 3 कमरो में केवल एक कमरे में ही टायलेट एवं वाथरुम है अतः तीनो कमरे के कर्मचारी एक ही जगह टायलेट बाथरुम का उपयोग करते है जिससे उस कमरे में रेस्ट कर रहे कर्मचारियों का रेस्ट भंग होता है जोकि रेल संरक्षा के लिये धारक है। 13. जबलपुर मंडल में मालगाड़ी क्रू से लगातार ओव्हर आवर्स कार्य कराया जा रहा है क्रू द्वारा ओव्हर आवर्स में रिलीव मांगने पर क्रू कन्ट्रोल द्वारा धमकी दी जाती है यदि रिलीव मांगा तो दो दिन तक मुख्यालय वापिस नहीं करेंगे एवं 14 घंटे से अधिक ड्यूटी होने पर रनिंग कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है जबकि ओव्हर आवर्स ड्यूटी प्रशासन कराता है। 14. सेफ्टी के नाम पर डीएआर का दुर्पयाग की फुटेज पर कही माइक्रोस्लीप, चश्मा न पहनने पर, जंबाई लेने पर चार्जशीट जारी कर दंडित किया जा रहा है जोकि रनिंग कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम है संघ की मांग है कि इस तरह से डीएआर का दुर्पयोग रोका जाये। 15. रनिंग कर्मचारियों की रिक्तियों के कारण समय पर अवकाश नहीं मिल पाता यहां तक की परिवार में शादी या शोक होने पर छुट्ट नहीं मिलती यदि रनिंग कर्मचारी का घर जान अतिआवश्यक होता है तब अनुपस्थिति दर्शाते हुये डीएआर का वेजा प्रयोग किया जाता है जोकि तत्तकाल बंद होना चाहिये। 16. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार प म रेल की सीमा से लगे अन्य जोनल रेलवे के साथ गाड़ियों के किलोमीटर बैलेंस किए जाएं ताकि प म रेल के रनिंग कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कम ना हो सकें। 17. प.म. रेल में अंतर्मंडलीय गाड़ियों के किलोमीटर का बैलेंस किया जाए जिससे मंडल पर रनिंग स्टाफ की रिक्तियों का सही सही आकलन हो सके तथा उनके पदोन्नति के अवसर कम ना हों। 18. इटारसी जबलपुर / कटनी खंड में इटारसी क्रू द्वारा मालगाड़ियों तथा विशेष गाड़ियों का संचालन बंद किया जाए, क्योंकि यह सेक्शन पूरी तरह से जबलपुर मंडल के अधीन है।

	19. CVVRS/SPM की रिपोर्ट के आधार पर DAR के अंतर्गत कार्रवाई बंद किया जाए। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार सभी लोको में AC लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सुचारू रूप से काम करते हैं। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1.वर्तमान में50ःबीटइटारसी के पासहै।रनिंग रूमडिटेन्शनज्यादाहोनेपरभोपालमंडलकोमैसेजदेकररनिंगकर्मचारियोंकोमुख्यालय वापसकरायाजाताहै। 2.आव” यकतानसार एवंप्रत्येकडिपो के क्रू की उपयोगिता के अनुसारक्रूबीट का निर्धारणकियागयाहैतथाउसीअनुसारकार्यकरायाजारहाहै। **3.**सतनाडिपो के कर्मचारियोंकोप्रतिदिनबांदातथाछिवकीबुककियाजारहाहैतथाछिवकी एवंबांदामेंसरप्लसहोनेपररनिंगकर्मचारियोंकोमुख्यालय वापसकरायाजाताहै। 4. रेल्वेबोर्ड के पत्र क्र. 2023/TT-1/76/ Staff/ 07/Duty hours dated12.10.2023 के अनुपालनमें09+02+01कार्यके घंटे के अनुसारकार्यकरानेहेतुमंडलोंकोनिर्दे” ातकियाजाताहै।विशमपरिस्थितियोंमेंहीमेमोंदियाजाताहै। 5. JBP-STA, NKJ-SGO, STA-REWA ,वं JBP-ET खंडमेंसामान्यतः एकराउंडट्रिप के बादमुख्यालय वापसकरायाजारहाहैतथाNKJ-SGRL खंडमें50 घंटेपूर्णहोने के बादमुख्यालय वापसकरायाजाताहै। 6. जबलपुरमंडल के जबलपुरडिपोमेंआउटस्टेशनस्टाहफकी एफ एसडीजबलपुरलॉबीमेंजमा की जारहीहै एवंऑनडयूटी के समय डयूटीपरजानेवालेकर्मचारीकोदीजारहीहै। 7. कर्मचारियोंकोपहले समझाइस/काउंसिल की जातीहै।पुनरावृत्तिहोनेपरअनुशासनिककार्यवाही की जातीहै। 8. आवश्यकतानुसारसमय–समय परलोकोपायलट (गुड्स) कोमेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों के संचालनहेतुस्क्रीनकियाजाताहै। कुम्भमेला के दौरानकुछस्क्रींडलोकोपायलटको 100 दिन या 70 दिन के लिए स्क्रींडकियागयाथा। 9. यहमदमंडलकार्मिकविभाग से संबन्धितहै। 10.JBP-STA, NKJ-SGO, STA-REWA एवंJBP-ET खंडमेंसमान्यतः एकराउंडट्रिप के बादमुख्यालय वापसकरायाजारहाहैतथाNKJ-SGRL खंडमें50 घंटेपूर्णहोने के बादमुख्यालय वापसकरायाजाताहै। 11.सतना (10) रीवा (20) एवंबरगवां (50) मेंबेड बढ़ा दिये गए हैं।बेड की उपलब्धतानाहोनेपरमुख्यालय वापसकरायाजाताहै। 12.जबलपुर–इटारसी खंडमें एनटीपीबीसाइडिंग के संबंध में यहमंडल के संज्ञानमेंहै।एनटीपीबीसाइडिंगप्रबंधक से चर्चाकरइसकानिराकरणकियाजायेगा। 13.जबलपुर मंडल के नियंत्रक कार्यालय द्वारा धमकीनहींदीजातीहै।14 घंटेड्यूटीहोनेपरलोकोरनिंगकर्मचारी से जानकारीमांगीजातीहैकिबिलम्बनकहां–कहांहुआहैताकिपरिचालनविभाग से समन्वय स्थापितकरओवरआवर्सको कम कियाजासके । 14.कर्मचारियोंकोपहले समझाइस/काउंसिल की जातीहै।पुनरावृत्तिहोनेपरअनुशासनिककार्यवाही की जातीहै। 15.लोको रनिंगकर्मचारियों की आवश्यकता एवंउपलब्धता के अनुसारअवकाश स्वीकृतिकियाजाताहै।कर्मचारी के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थितहोनेपरउसकेपिछलेरिकॉर्डकोदेखतेहुयेडीएआर की कार्यवाही की जातीहै। 16.क्रू लिंकपरिचालन की आवश्यकताओं एवंडिपो की उपयुक्तता के आधारपरहीबनाए जातेहै। यहासाथ के मंडलों/क्षेत्रीय रेलों के साथकि. मी. बैलेंसिंग के आधारपरहीबनाए जातेहैं।प्रत्येकडिपो की उपयोगिता एवंआव” यकताअनुसारक्रूबीट का निर्धारणकियागयाहैतथाउसी के अनुसारकार्यकरायाजारहाहै। 17.क्रू लिंकपरिचालन की आवश्यकताओं एवंडिपा की उपयुक्तता के आधारपरहीबनाए जातेहै। यहासाथ के मंडलों/क्षेत्रीय रेलों के साथकि. मी. बैलेंसिंग के आधारपरहीबनाए जातेहैं।मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसारक्रूबीट का निर्धारणकियागयाहैतथाउसीअनुसारकार्यकरायाजारहाहै। 18.कुम्भमेले के दौरानजबलपुरक्रू कम होन के कारणइटारसीक्रूकोकटनीतक के लिए बुककियाजाताथा।कभी–कभीइटारसीमेंजबलपुरस्टाफ न होने के कारणइटारसीक्रू से जबलपुरतकआवश्यकताहोनेपरगाड़ीचलवाईजातीहै। 19.सीवीवीआरएस/एसपीएम की रिपोर्ट के आधारपरपहलेकाउंसिलिंग की जातीहैपुनरावृत्तिहोनेपरअनुशासनिककार्यवाही की जातीहैतथाअभीलगातारकाउंसिलिंग की जारहीहै। एनकेजेविद्युतलोको शेडमें 221 लोकोहोल्डिंगहैजिसमें 211 लोकोमें ए.सी. लगेहैंतथा शेष 10 लोकोमें ए.सी. लगाने का कार्यप्रक्रियाधीनहैं।
MS/ 60/2025 PCOM जबलपुरमंडल	**जबलपुर स्टेशन पर नियम के विरुद्ध शर्टिंग मास्टर एवं कांटेवालो से दबाव देकर कार्य कराये जाने के संबंध में।** 1. बिना बाकी टाकी के शंटिंग कार्य करवाया । 2. बिना लोड सिक्योर किये बिना इंजन को जोड़ना एवं काटना । 3. 4, 5 प्वाइंट्समैन का कार्य 2 प्वाइंट्समैन से कार्य करवाना। 4. बिना एल.व्ही. पर शंट सेफ लगाये हुये लोड को पुषवैक कराया जाता है तथा शंट सेफ मांगने पर खराब बताया जाता है। 5. शटिंग मास्टरो के द्वारा छुट्टी मांगने पर बोला जाता है कि पोजिशन नहीं है जबकि जबलपुर स्टेशन पर 06 मास्टर की उपस्थिति बनती है तथा कार्य केवल 04 कर रहे है और बोलने पर ट्रांसफर की धमकी दी जाती है। 6. प्वाइंट्स मेंन की कमी बताकर प्वाइंट्समैन को केवल 8 घंटे रेस्ट देकर कार्य पर बुलाया जाता है। जिससे दुर्घटना

	होने की अंशका बनी रहती है। 7. जबलपुर स्टेशन पर एक शिफ्ट में 18 प्वांइट्समेन की जरुरत पड़ती है जबकि अभी 8-10 प्वाइंट्समैन लगाये जा रहे है। जबलपुर स्टेशन पर उपस्थिति पंजिका में कुल 60 कांटेवाले कार्यरत एक षिफ्ट में 8-10 है। शंटिंग मास्टर उपस्थिति पंजिका में 06 है कार्यरत मात्र 04 है।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1.समस्त काटेवालोंकोवाकीटॉकीपर्सनलस्टोरमेंदीगयीहैपरंतुवेसहीतरीके से कार्य नही कररहींहैं।वाकीटॉकी का मांगपत्र एस एंडटीविभागको दिः31.01.2023 को 580 नगहेतुभेजागयाहैजिसमें से 228 वाकीटॉकीप्राप्तहुयीथीजिसमें से 25 सेटवाकीटॉकीजबलपुरस्टे" ानकोप्रदान की गयीहैं। 2.कांटेवालो कोलोडकोनियमानुंसारसुरक्षितकियाजाताहै।सभीकर्मचारियोंकोनियमित रूप से काउंसलिंगकियाजारहाहै। 3.प्रत्येक शिफ्ट में 10 कांटेवालेलगायेजातेहैं। 4. जबलपुर**स्टेशन**पर 26 नगनयेसेट " ांटसेफ की आपूर्ति दिः25.04.2023 को की जाचुकीहै। 5.उपलब्धता के आधारपर यथासंभव**शटिंग**मास्टरकोअवका" ाप्रदानकियाजाताहैइसकीपुश्टि एच.आर.एम.एस से की जासकतीहै।जबलपुरमें 07**शटिंग** मास्टर के पद स्वीकृत हैं एवं 01 रिक्तिहैजिसकीपदस्थिआगामीचयनमें की जायेगी। 6.कांटेवालों कोव्यक्तिगतअवकाश याअन्य किसी के अवकाश के लियेआपसीसहमति से कार्यकरायाजाताहै। 7.जबलपुर **स्टेशन**पर 21 काटेवालों के पद रिक्तहै।कांटेवालासंवर्गमेंवर्तमानमें 469 पदों की रिक्तियॉहैं।रिक्तियॉपूर्णहोनेपरपदस्थि की जायेगी।

MS/ 43/2023 PCSTE	--+रेलवे वोर्ड के पत्र संख्या आर बी नं 170/2022 दिनांक 28/12/2022 के अनुसार सभी स्टेशनो पर राउण्ड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटी की जाए । नये कार्य एवं यार्ड स्टिक के अनुसार आवश्यक अलग से पदो का सृजन करना सुनिश्चित किया जाए । निर्धारित ड्यूटी से ज्यादा कार्य करवाने पर जैसे फेलियर अटेण्ड करने पर ओवर टाईम का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए । सेफ्टी शूज / सेफ्टी जैकेट की क्वालिटी में सुधार किया जाए एवं टाईम वाउण्ड तरीके से दिलवाना सुनिश्चित किया जाए या फिर इसका अलग से पैसा देना सुनिश्चित किया जाए । एस एण्ड टी विभाग की रिस्टक्चरिंग टाईम वाउण्ड तरीके से करना सुनिश्चित की जाए । रोड साईड स्टेशनो पर रेलवे आवासो की मेन्टीनेन्स न होने एवं अत्यन्त दयनीय हालत को देखते हुये एवं ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ मूलभूत सुविधा न हो एस एण्ड टी स्टाफ को बड़े स्टेशनो पर आवास आवंटित किये जाए । हेल्पर, लौहार ईएसएस, टी सी एम, जे ई, एस एस ई के रेस्ट सुनिश्चित किये जाए एवं रेस्ट मे हेडक्र्वाटर छोडने की अनुमति अनिवार्य रुप से देना सुनिश्चित हो । 14 दिन से ज्यादा टी ए पर भेजने के बाद टी ए का भुगतान उसी माह पूर्णरुपेण देना सुनिश्चित किया जाए । पर्सनल वाईक से कार्य हेतू भेजे जाने पर कन्वेन्स एवं टी ए दोनो का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए । सभी सेक्शन के जे ई/ एसएस ई को इम्प्रेस्ट की राशि आवंटित की जाए । हेल्पर, लौहार ई एस एम/टी सी एम जेई/ एसएस ई के टाईम वाउण्डडिवीजन लेवल के ऑन रिक्वेस्ट ट्रान्सफर करना सुनिश्चित किया जाए । वाचमेन के टाईम वाउण्ड प्रमोशन सुनिश्चित किये जाए । रोड साईड के स्टेशनो पर ड्यूटी रुम, अटैच लेट वाथ एवं उसमे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए । कार्य हेतु उचित टूल्स, मटेरियल, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन प्रत्येक स्टेशन पर देना सुनिश्चित की जाए । रेल कर्मचारियों के दिये गये आवेदनों की रिसीव देना एवं फॉरवर्ड कियाजाना सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पैरा-1 बीना भोपाल, मिडघाट एवं इटारसी स्टेशनों पर शिफ्ट ड्यूटी लागू है। स्टाफ की कमी के कारण वर्तमान में प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लगाना संभव नहीं है। रेलवे बोर्ड की रिवाइज्ड यार्डस्टिकके अनुसार सिगनलिंग हेतु 420 नये पद एवं टेलीकॉम हेतु 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि.मं.वित्त प्रबंधक/भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल द्वारा कार्मिक विभाग/मुख्यालय को भेजा गया है, प्रस्ताव PCPO कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। नये पद स्वीकृत होने के बाद ही प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू किया जाना संभव होगा। पैरा- 2 रेलवे बोर्ड की रिवाइज्ड यार्डस्टिकके अनुसार सिगनलिंग हेतु 420 नये पद एवं टेलीकॉम हेतु 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि.मं.वित्त प्रबंधक/भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल द्वारा कार्मिक विभाग /मुख्यालय को भेजा गया है, प्रस्ताव PCPO कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। पैरा-3 ड्यूटी आवर्स के बाद फेलियर अटेण्ड करने पर कर्मचारियों को नियमानुसार सी.आर. दिया जा रहा है। पैरा-**4** कार्यवृत दिनांक **13** एवं **14** सितम्बर **2023** की बैठक में सेफ्टी शूज का मद समाप्त हो चुका है। पैरा-5 पुनःसंरचना का कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित है] सिदूसं विभाग द्वारा केवल मनी वेल्यू उपलब्ध कराया जाता है। पैरा-6 रोड साइड स्टेशनों पर रेलवे आवासों के मेन्टेनेन्स का कार्य इंजीनियरींग विभाग का है। वर्तमान में छोटे-छोटे रोड साइड स्टेशनों पर भी एस एंड टी के गियर बढ़ गये हैं। कोई भी फेलियर होने पर ई.एस.एम. को यथाशीघ्र साईट पर जाकर फेलियर को ठीक करना होता है अन्यथा देरी होने पर ट्रेनों की भारी डिटेन्शन होने की संभावना रहती है। ट्रेनों के समयपालन की रेलवे बोर्ड द्वारा उच्च स्तरीय मॉनिटरींग की जा रही है। अतः छोटे-छोटे रोड साइड स्टेशनों से स्टॉफ को हटाकर सुविधायुक्त स्टेशन पर उनका हेडक्वार्टर बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे जोनल एवं डिवीजनल पंचुयलिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं KPI(KEY PERFORMANCE INDEX) भी प्रभावित होगा। पैरा-7 एस एंड टी विभाग के स्टॉफ को साप्ताहिक रेस्ट दिया जा रहा है। प्रशासनिक परिस्थितियाँ एवं आवशकता को ध्यान में रखने के उपरान्त डिपो इंचार्ज/सेक्शन के एडीएसटीई रेस्ट में कर्मचारी को हेडक्र्वाटर छोड़ने की अनुमति देते हैं।

	पैरा-8 कर्मचारियों के 14 दिन से ज्यादा के टीए के भुगतान हेतु अ.मं.रे.प्र. का अनुमोदन लेना आवश्यक है। डिपो से टीए वाउचर समय पर प्राप्त होने पर सभी डिपो के वाउचर consolidate कर अ.मं.रे.प्र. का अनुमोदन लिया जाता है, तदोपरान्त भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है एवं यथासंभव उसी माह भुगतान करवाना सुनिश्चित किया जाता है। टीए वाउचर डिपो से विलंब से प्राप्त होने पर अथवा प्रशासनिक कारणों से (जैसे फंड उपलब्ध नहीं होना आदि) यदा-कदा भुगतान में विलंब होता है। पैरा-9 रेलवे कार्य हेतु भेजे जाने पर भुगतान किया जाता है। पैरा-10 भोपाल मंडल पर 15 एसएसई/सिग. एवं 09 एसएसई/टेली. हेतु इम्प्रेस्ट स्वीकृत है। एवं इनकी राशि का उपयोग उस सेक्शन के जे.ई. द्वारा भी किया जाता है। पैरा-11 स्टेशनों पर संबंधित केटेगरी की रिक्तियाँ रहने पर एवं आरआरबी/आरआरसी से पैनल प्राप्त होने पर अथवा किसी केटेगरी में पदोन्नति की प्रक्रिया होने पर ही डिवीजन लेवेल के ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना संभव होता है। पैरा-12 वर्क स्टडी के तहत वॉचमेन केडर में उपलब्ध सभी 25 पदों को सरेन्डर कर दिया गया है एवं इन पदों पर कार्यरत कुल 11 कर्मचारियों को Redeploy करने की प्रक्रिया चल रही हैं । पैरा-13 एस एंड टी विभाग के ड्यूटी रूम के साथ अटैच लैट बाथ बनवाने के संबंध में Sr.DEN/Co. को पत्र सं. भो/एन/वेसेरेमसं/पीएनएम दि. 07.12.2022 लिखा गया है। यह मद Sr.DEN/Co. विभाग से संबंधित है। पैरा-14 कार्य हेतु उचित टूल्स, मटेरियल, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आदि स्टेशनों पर उपलब्ध हैं एवं आवश्यकता होने पर आपूर्ति की जाती है। इसका रेगुलर अंतराल रिव्यु किया जा रहा है। पैरा- 15 कर्मचारियों द्वारा दिये गये आवेदनों की रिसीव देना एवं फारवंर्ड किये जाने के संबंध में सभी डिपो प्रभारियों को पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएसटीई:- 1. स्टाफ की फिजीबिलिटी को देखते हुए रोड साइड स्टेशनों (भोपाल मंडल के कल्हार कंजिया, सुमेर, कूरवाई कैथोरा स्टेशन) पर ब्रोकन ड्यूटी और जेई/एसएसई को स्टेªगर्ड साप्ताहिक रेस्ट की संभावना की समीक्षा कर ब्रोकन ड्यूटी लागू करने के प्रयास किये जाएंगे। 3. सेफ्टी शूज के मांग पत्र समय पर भंडार विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उप मुकाधि/मुख्या. - मद 1 और 2. मुख्यालय के पत्र दिनांक 14.01.2025 द्वारा नये यार्डस्टिक के अनुसार तीनों मंडलों से प्राप्त 2121 पदों के सृजन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	पैरा-1) बीना भोपाल, मिडघाट एवं इटारसी स्टेशनों पर शिफ्ट ड्यूटी लागू है। स्टाफ की कमी के कारण वर्तमान में प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लगाना संभव नहीं है। रेलवे बोर्ड की रिवाइज्ड यार्डस्टिकके अनुसार सिगनलिंग हेतु 420 नये पद एवं टेलीकॉम हेतु 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि.मं.वित्त प्रबंधक/भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल द्वारा कार्मिक विभाग/मुख्यालय को भेजा गया है , प्रस्ताव PCPO कार्यालय से दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में प्रक्रियाधीन है। नये पद स्वीकृत होने के बाद ही प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू किया जाना संभव होगा। पैरा- 2) रेलवे बोर्ड की रिवाइज्ड यार्डस्टिकके अनुसार सिगनलिंग हेतु 420 नये पद एवं टेलीकॉम हेतु 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि.मं.वित्त प्रबंधक/भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल द्वारा कार्मिक विभाग /मुख्यालय को भेजा गया है , प्रस्ताव PCPO कार्यालय से दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में प्रक्रियाधीन है। नये पद स्वीकृत होने के बाद ही प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू किया जाना संभव होगा। पैरा-3) ड्यूटी आवर्स के बाद फेलियर अटेण्ड करने पर कर्मचारियों को नियमानुसार सी.आर. दिया जा रहा है। पैरा-4) कार्यवृत दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर 2023 की बैठक में सेफ्टी शूज का मद समाप्त हो चुका है। पैरा-5) पुनःसंरचना का कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित है] सिदूसं विभाग द्वारा केवल मनी वेल्यू उपलब्ध कराया जाता है। पैरा-6) रोड साइड स्टेशनों पर रेलवे आवासों के मेन्टेनेन्स का कार्य इंजीनियरींग विभाग का है। वर्तमान में छोटे-छोटे

	रोड साइड स्टेशनों पर भी एस एंड टी के गियर बढ़ गये हैं। कोई भी फेलियर होने पर ई.एस.एम. को यथाशीघ्र साईट पर जाकर फेलियर को ठीक करना होता है अन्यथा देरी होने पर ट्रेनों की भारी डिटेन्शन होने की संभावना रहती है। ट्रेनों के समयपालन की रेलवे बोर्ड द्वारा उच्च स्तरीय मॉनिटरींग की जा रही है। अतः छोटे-छोटे रोड साइड स्टेशनों से स्टॉफ को हटाकर सुविधायुक्त स्टेशन पर उनका हेडक्वार्टर बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे जोनल एवं डिवीजनल पंचुयलिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं KPI(KEY PERFORMANCE INDEX) भी प्रभावित होगा। पैरा-7) एस एंड टी विभाग के स्टॉफ को साप्ताहिक रेस्ट दिया जा रहा है। प्रशासनिक परिस्थितियाँ एवं आवश्कता को ध्यान में रखने के उपरान्त डिपो इंचार्ज/सेक्शन के एडीएसटीई रेस्ट में कर्मचारी को हेडक्वाटर छोड़ने की अनुमति देते हैं। पैरा-8) कर्मचारियों के 14 दिन से ज्यादा के टीए के भुगतान हेतु अ.मं.रे.प्र. का अनुमोदन लेना आवश्यक है। डिपो से टीए वाउचर समय पर प्राप्त होने पर सभी डिपो के वाउचर consolidate कर अ.मं.रे.प्र. का अनुमोदन लिया जाता है, तदोपरान्त भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है एवं यथासंभव उसी माह भुगतान करवाना सुनिश्चित किया जाता है। टीए वाउचर डिपो से विलंब से प्राप्त होने पर अथवा प्रशासनिक कारणों से (जैसे फंड उपलब्ध नहीं होना आदि) यदा-कदा भुगतान में विलंब होता है। पैरा-9) रेलवे कार्य हेतु भेजे जाने पर भुगतान किया जाता है। पैरा-10) भोपाल मंडल पर 15 एसएसई/सिग. एवं 09 एसएसई/टेली. हेतु इम्प्रेस्ट स्वीकृत है। एवं इनकी राशि का उपयोग उस सेक्शन के जे.ई. द्वारा भी किया जाता है। पैरा-11) स्टेशनों पर संबंधित केटेगरी की रिक्तियाँ रहने पर एवं आरआरबी/आरआरसी से पैनल प्राप्त होने पर अथवा किसी केटेगरी में पदोन्नति की प्रक्रिया होने पर ही डिवीजन लेवेल के ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना संभव होता है। पैरा-12) वर्क स्टडी के तहत वॉचमेन केडर में उपलब्ध सभी 25 पदों को सरेन्डर कर दिया गया है एवं इन पदों पर कार्यरत कुल 11 कर्मचारियों को Redeploy करने की प्रक्रिया चल रही हैं । पैरा-13) एस एंड टी विभाग के ड्यूटी रूम के साथ अटैच लैट बाथ बनवाने के संबंध में Sr.DEN/Co. को पत्र सं. भो/एन/वेसेरेमसं/पीएनएम दि. 07.12.2022 लिखा गया है। यह मद Sr.DEN/Co. विभाग से संबंधित है। पैरा-14) कार्य हेतु उचित टूल्स, मटेरियल, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आदि स्टेशनों पर उपलब्ध हैं एवं आवश्यकता होने पर आपूर्ति की जाती है। इसका रेगुलर अंतराल पर रिव्यु किया जा रहा है। पैरा- 15) कर्मचारियों द्वारा दिये गये आवेदनों की रिसीव देना एवं फारॅवर्ड किये जाने के संबंध में सभी डिपो प्रभारियों को पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएसटीईः– (13) नए इंस्टॉलेशनमेंनिश्चिततौरपर यहव्यवस्थासुनिश्चित की जाएगी।मदसमाप्त। (1) (2) और (3) को छोड़कर अन्य सभी उप मद (4 से 15 तक) समाप्त।
MS/ 76/2023 PCEE PCSTE DGM	महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागो में मोड्युलर फर्नीचर एवं सेन्ट्रलाइज्ड एसी उपलब्ध कराने बावत् । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागो में वर्षो पुराना फर्नीचर कर्मचारियों के कार्यालय में लगा हुआ है जो देखने में भद्दा प्रतीत होता है तथा अव्यवस्थ तरीके से बैठाया गया है। केवल इंजीनियर व भंडार विभाग में ही मॉडयूलर फर्नीचर, परिचालन, कार्मिक, इलेक्ट्रीक, मैकेनिकल, एण्एण्डटी सामान्य प्रशासन आदि विभागो में मॉडयूलर फर्नीचर नहीं लगाने से कर्मचारियों के कार्यालीन कार्य करने में असुविधा हो रही है इसी प्रकार एकाउन्ट , इलेक्ट्रीकल व मैकेनिकल विभागो को छोडत्रकर अन्य विभागो मे सेन्ट्रालाइज्ड एसी की सुविधा मुहैया न होने से ग्रीष्म काल में कर्मचारियों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ता है । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM-1) सामान्य प्रशासन विभाग में मॉडुलर आफिस Setup किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

	(2) सामान्य प्रशासन विभाग में Centralised AC लगाये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। एवं उक्त कार्य हेतु धनराशी, संबंधित मद में Approval लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त दोनों कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जायेगें । अतः उपरोक्त मद को समाप्त किया जाए । **PCSTE::**मोड्युलर फर्नीचर के रिवन्यु में फंड ना होने के कारण मुमकिन नही हो पा रहा है। हालाकि सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिये आवश्यक फर्नीचर कार्यालय में उपलब्ध है। मोड्युलर फर्नीचर का प्रावधान प्रकियाधीन है। केन्द्रीकृत वातानुकूलित के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.09.2023 समसंख्यक पत्र दिनांक 11.03.2024 समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2024 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-मॉडयूलर फर्नीचर हेतु प्रक्रिया जारी है। निधि उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCSTE- मोड्युलर फर्नीचर के रिवन्यु में फंड ना होने के कारण मुमकिन नही हो पा रहा है। हालाकि सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिये आवश्यक फर्नीचर कार्यालय में उपलब्ध है। मोड्युलर फर्नीचर का प्रावधान प्रकियाधीन है। केन्द्रीकृत वातानुकूलित के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.09.2023 समसंख्यक पत्र दिनांक 11.03.2024 समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2024 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया है।
MS/ 81/2023 PCSTE	जबलपुर मंडल के चैंकिग स्टाफ की समस्याओं के संबंध में। 1. जबलपुर स्टेशन परिसर में जियो का नेटवर्क कमजोर होने के कारण टीटीई स्टाफ में एचएचटी में डाटा डाउनलोडिंग का कार्य नहीं हो पाता है। अतः जियो नेटवर्क के समस्या का समाधान शीध्र किया जाये। 2. प्रयागराज छिवकी स्टेशन में टीटीई रेस्ट हाउस का संचालन प्राईवेट ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है जिसमें कई अव्यवस्थायें है प्रशासन से शिकायत करने पर भी कोई सुधार नहीं किया गया है। सही तरीके से साफ-सफाई नहीं होती है चादरे भी नहीं मिलती है AC तो हमेशा खराब ही रहता है। अतः शीघ्र ही इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाये। डब्ल्यूसीआर के अपने अधीनस्थ रेस्ट हाउस मे जैसे भोपाल, रानीकमलापति, इटारसी एवं बीना में AC लगाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCSTE :: जबलपुर मंडल से प्राप्त पत्र दिनांक 31.05.2024 के अनुसार जबलपुर स्टेशन परिसर में HHT (Hand Held Terminal) पर जिओ के नेटवर्क की अपलोडिंग/डाउनलोडिंग speed को चेक करने के लिए दिनांक 24.06.2023 को वाणिज्य विभाग के सीटीआई/हेडक्वाटर/जबलपुर एसएडटी विभाग के एसएसई/टेली , पीआरएस/जबलपुर व रिलाइंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड द्वारा सयुंक्त जाँच करवाई गयी है। जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। अतः जाँच में पाई गई समस्याओंके निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए M/s Jio Infotech Ltd. को पत्र दिनांक 03.07.2023 को लिखा गया एवं दिनांक 12.10.2023 को M/s Jio Infotech Ltd. पुनः स्सरण - 1 तथा मंडल द्वारा दिनांक 01.05.2024,23.07.2024,,16.12.2024,22.01.2025 एवं 17.02.2025 को पत्र प्रेषित किया गया कम्पनी द्वारा इन पत्र के उत्तर में समस्याओं के निराकरण का आश्र्वासन दिया गया था , किन्तु अपेक्षित सुधार ना होने के कारण रेलवे द्वारा नियमानुसार अक्टूबर र2023 से मार्च 2024 तक 5% तथा मार्च 2024 से वर्तमान तक 10% पेनालटी लगयी गयी है। इसके अतरिक्त अपेक्षित समाधान प्राप्त ना होने के कारण वाणिज्य विभाग को जनवरी माह में एयरटेल की 40M2M सिम प्रदान की गयी थी प्राप्त परफॉर्मेस रिपोर्ट के अनुसार जियो का नेटवर्क एयरटेल की तुलना में बेहतर पाया गया है साथ ही TT ऑफिस में हाई-स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध करा दिया गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त

	पीसीएसटीईः- 1.)एयरटेल के 40 सिम प्रदान किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। संघ का कथन है कि एयरटेल की सिम वापस ले ली गयी है तथा हाई स्पीड इंटरनेट भी ठीक नहीं चल रही है। पीसीएसटीईः- हाई स्पीड इंटरनेट की रिलायबिलिटी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	जबलपुर मंडल से प्राप्त पत्र दिनांक 31.05.2024 के अनुसार जबलपुर स्टेशन परिसर में HHT (Hand Held Terminal) पर जिओ के नेटवर्क की अपलोडिंग/डाउनलोडिंग speed को चेक करने के लिए दिनांक 24.06.2023 को वाणिज्य विभाग के सीटीआई/हेडक्वाटर/जबलपुर एसएडटी विभाग के एसएसई/टेली, पीआरएस/जबलपुर व रिलाइंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड द्वारा सयुंक्त जाँच करवाई गयी है। जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। अतः जाँच में पाई गई समस्याओंके निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए M/s Jio Infotech Ltd. को पत्र दिनांक 03.07.2023 को लिखा गया एवं दिनांक 12.10.2023 को M/s Jio Infotech Ltd. पुनः स्मरण -1 तथा मंडल द्वारा दिनांक 01.05.2024, 23.07.2024, 16.12.2024, 22.01.2025 17.02.25 एवं 17.05.2025 को पत्र प्रेषित किया गया कम्पनी द्वारा इन पत्र के उत्तर में समस्याओं के निराकरण का आश्र्वासन दिया गया था, किन्तु अपेक्षित सुधार ना होने के कारण रेलवे द्वारा नियमानुसार अक्टूब 2023 से मार्च 2024 तक 5% तथा मार्च 2024 से वर्तमान तक 10% पेनालटी लगयी गयी है। इसके अतिरिक्त अपेक्षित समाधान प्राप्त ना होने के कारण वाणिज्य विभाग को जनवरी माह में एयरटेल की 40M2M सिम प्रदान की गयी थी प्राप्त परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार जियो का नेटवर्क एयरटेल की तुलना में बेहतर पाया गया है साथ ही TT ऑफिस में हाई-स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त M/s Indus Tower ने प्लेटफॉर्म 1 के पास मोबाइल टावर स्थापना हेतु आवेदन किया है ताकि M/s Airtel की कवरेज में सुधार किया जा सके। टावर स्थापित हो जाने के पश्चात M/s Jio भी अपने उपकरण स्थापित कर जबलपुर स्टेशन पर कवरेज में सुधार कर सकते हैं। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएसटीईः–कॉमर्शियलसुपरवाइजरऔरसीनि. सेक्शन इंजी. टेली द्वारापमरे की समस्तटीटीईलॉबी का संयुक्तसर्वेकरउचितकार्यवाही की जाएगी।
MS/ 93/2023 PCSTE	भोपाल मंडल के रानी कमलापति में सिंगनल विभाग में**200** रूट एवं थर्ड लाईन आईवी एवं हाईवे के कारण आउट डोर शिफ्ट एवं इनडोर शिफ्ट ड्यूटी चालू करवाने हेतु। उपरोक्त विषय के अंतर्गत भोपाल आर.आर. आई में 268 रूट होने पर आउट डोर शिफ्ट एवं इनडोर शिफ्ट ड्यूटी N Jone (भोपाल बी) S Jone एवं जोन (भोपाल डी) है। इसी प्रकार निशातपुरा आर.आर. आई. में 272 रूट होने पर इनडोर शिफ्ट ड्यूटी) एवं आउट डोर शिफ्ट स्टॉफ (NSZ A) कार्यरत है जबकि रानीकमलापति में स्टेशन पर 200 रूट होने के बावजूद न तो आउट डोर शिफ्ट है N Zone, वं S Zone में नही है और न ही इनडोर शिफ्ट ड्यूटी है रात्रि की पाली 00/08 में अकेला हेल्पर ही कार्यरत रहता है। फेल्यिर होना, रेल फेक्चर होना सिंगनल की खराबी के दौरान अकेले हेल्पर ही फेसर रहता है तथा साथ घर से एमसीएस/ईएसएम को बुलाने पर फेल्यर के दौरान समय लगता है जिससे जबाव देना एवं तनाव में कोई घटना न घटे इसलिए शिफ्ट होना अकेले हेल्पर के साथ ईएसएम / एमएसीएम को होना अतिआवश्यक है। यहा पर मात्र चार में से दो एमसीएम एवं एक ईएसएम 2 एवं एक ईएसएम 3 कार्यरत है जिनको मेन्टेनेंस कार्य तो देखना ही है इसके अतिरिक्त स्पेशल कार्य पर डे दिया जा रहा है वह कार्य तो करना है उसके बाद यदि कोई फेल्यिर हो जाता है तो वह भी घर से आकर अटेन्ड करता है। अतः अनुरोध है कि नियमितता 200 रूट होने के कारण आउट डोर शिफ्ट एवं इनडोर शिफ्ट तथा एलआर एवं आरआर की पोस्ट भरी जावें एवं शीघ्र अतिशीघ्र शिफ्ट ड्यूटी चालू करवाने हेतु आदेश पारित किये जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCSTE::रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. E(MPP)2019/1/16 dt.28/12/2022 RBE no.170/2022 (Revision of Norms/Yardstick for Non-Gazetted Group "C" Signalling staff) के अनुसार रानी कमलापति स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू करने हेतु 6 जेई/एसएसई, 11 ई.एस.एम. एवं 11 हेल्पर के पदों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड की नयी

	यार्डस्टिक दि .28.12.2022 के अनुसार अतिरिक्त नये पदों के सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल के माध्यम से प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है। नये पद स्वीकृत होने के बाद ही इस स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू किया जाना संभव होगा। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त पीसीएसटीईः- रानी कमलापति स्टेशन के वर्कलोड की समीक्षा करते हुए अन्य स्टेशनों से पदों का स्थानांतरण किया जाएगा। प्रशासनिक टिप्पणी - रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. E(MPP)2019/1/16 dt.28/12/2022 RBE no.170/2022 (Revision of Norms/Yardstick for Non-Gazetted Group "C" Signalling staff) के अनुसार रानी कमलापति स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू करने हेतु 6 जेई/एसएसई, 11 ई.एस.एम. एवं 11 हेल्पर के पदों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड की नयी यार्डस्टिक दि . 28.12.2022 के अनुसार अतिरिक्त नये पदों के सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल के माध्यम से प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है। नये पद स्वीकृत होने के बाद ही इस स्टेशन पर शिफ्ट ड्यूटी लागू किया जाना संभव होगा। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCSTEः— रानी कमलापति स्टेशन के वर्कलोड की समीक्षा करते हुए अन्य स्टेशनों से पदों का स्थानांतरण किया जाएगा।
MS/ 04/2024 PCE PCSTE PCEE Dy.CPO/HQ	यार्डस्टिक के अनुरूप पद सृजन के संबंध में । बरखेड़ा बुंदनी खंड में तृतीय लाइन होने पर सिगनल टीआरडी एवं पीवे का कार्य लगभग डेढ़ बुना बढ़ गया है। अतः नये कार्य हेतु नये मैनपॉवर की व्यवस्था यार्ड स्टिक के अनुसार की जावे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी पीसीई- अ) बीना से इटारसी एवं रुठीयाई गुना थर्ड लाईन के लिये 734 नये पदों के सृजन हेतु प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को दिनांक 09.04.2019 को पमरे. प्रबंधक कार्मिक द्वारा पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने पर नये पदों को भरा जायेगा। अतः उक्तक मद को समाप्त किया जाये। (ब) भोपाल में बढ़े हुये ITKM गणना की गयी है एवं नए मेन पावर की व्यवस्था की जायेगी। **DyCPO/HQ**-Remark- 1. भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 14.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 3. भोपाल मण्डल से इंजीनियरिंग विभाग में पदों के सृजन हेतु कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। **PCSTE**::- रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. E(MPP)2019/1/16 dt 28/12/2022 RBE No. 170/2022 (Revision of Norms/ Yardstick for Non-Gazetted Group-C Signalling staff) के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुसार सिगनलिंग के लिये 420 नये पद एवं टेलीकॉम के लिए 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि. मं. वित्त प्रबंधक /भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल द्वारा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है , सिगनलिंग असेट्स के लिये 804 अतिरिक्त नये पदों का सृजन का प्रस्ताव मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल के माध्यम से कार्मिक विभाग /मुख्यालय जबलपुर को भेजा गया है , प्रस्ताव PCPO कार्यालय मे प्रक्रियाधीन है। इन पदों का रेलवे बोर्ड द्वारा सृजित किये जाने पर तृतीय लाइन के लिये अतिरिक्त पद दिया जाना संभव होगा। **PCEE**-रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.2019 के पत्र द्वारा टीआरडी विभाग की यार्ड स्टिक को रिवाइज्ड कर 0.22 प्रति टीकेएम कर दिया गया, इस प्रकार नई यार्ड स्टिक के अनुसार नए पदो के सृजन की आवष्यकता नहीं रह गयी तथा उपलब्ध स्टाफ से ही कार्य करवाया जा रहा है। पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त **DyCPO/HQ**- 1- भोपाल मण्डल के एसएण्डटी विभाग में नई यार्डस्टिक के अनुसार 549 पदो को सृजित करने का

	प्रस्ताव दिनांक 14-01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है। 2. भोपाल मण्डल के टीआरडी विभाग में नई यार्ड स्टिक के अनुसार 20 पदो को सृजित करने का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को रेलवे बोर्ड भेजा गया है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCSTE-रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. E(MPP)2019/1/16 dt 28/12/2022 RBE No. 170/2022 (Revision of Norms/ Yardstick for Non-Gazetted Group-C Signalling staff) के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुसार सिगनलिंग के लिये 420 नये पद एवं टेलीकॉम के लिए 129 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव वरि. मं. वित्त प्रबंधक /भोपाल के द्वारा initial vetting करवाकर मं.रे.प्र. (कार्मिक) भोपाल द्वारा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/जबलपुर को भेजा गया है। इन पदों का रेलवे बोर्ड द्वारा सृजित किये जाने पर तृतीय लाइन के लिये अतिरिक्त पद दिया जाना संभव होगा।
MS/ 16/2024 PCEE PCME PCMM PCE PCSTE	मंडल में उच्च गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराने के संबंध में। संदर्भः- (1) रेलवे पत्र क्र.-2017/Transt. cell/civil/03, दि-05.02.2018 (2) रेलवे पत्र क्र.-2018/TF cell/S&T/S&T Uniform, दिक-05.03.2019 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) ट्रैकमैन/कीमैन/पेट्रोलमैन, सिग्नल के टेक्नीशियन / हेल्पर , TRD के टेक्नीशियन / हेल्पर एवं मैकेनिकल के ART व ARME में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक बार रेन कोर्ट, दो वर्ष में एक बार विण्टर जैकेट, एक वर्ष में दो बार सेफ्टी शूज, ल्यूमिनियस वेस्ट एक वर्ष में दो बार, ट्रॉई कलर टॉर्च वर्ष में एक बार प्रदान किया जाना है। जिसकी कीमत भी उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार क्रमशः रू-1200, रू.-2500, रु.-1400, रू.-500 और रू. 1000 निर्धारित किया गया है लेकिन संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) के अनुसार जिन कर्मचारियों को प्रोटेटिक्व गियर्स दिया जाना है जितने समय में दिया जाना है वह नहीं दिया जा रहा है न ही रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार उस गुणवत्ता का दिया जा रहा है जबकि रेलवे बोर्ड ने कम्पनी तक भी निर्धारित किया है। सेफ्टी शूज ऐसा दिया जा रहा है जिसका ग्रिप अच्छा न होने के कारण कर्मचारी गिरकर घायल हो रहे हैं। संघ का कथन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार व जो समय सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का वितरण सुनिश्चित किया जाये नहीं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित रकम का भुगतान वेतन पत्रक के माध्यम से किया जाये जिस प्रकार यूनिफार्म का किया जाता है जिससे कर्मचारी गुणवत्ता व नाप के अनुसार खरीद कर प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर सके। जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME - इस मद के अनुसार यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानो में वर्ष 2023-24 में दिय गये सभी (प्रोटेक्टिव गियर्स) रेन कोट , विण्टर जेकेट ,ल्यूमिनियसवेस्ट ,सेफ्टी सूज उच्च गुणवत्ता के प्रदान किये गये है। पी.सी.एम.एम. - कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किया जा रहा है | इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralisedप्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। सडिपुका/भोपाल :- कारख़ाना भोपाल में सेफ़्टी शूज का Dimension & IS Specification के हिसाब से खरीदा जा रहा है | **PCEE**-भोपाल मंडल- टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को रेनकोट, विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज़ रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट, ट्राई कलर टॉर्च नियमानुसार दिये जा रहे है एवं मंडल के कर्मचारियों के सेफ्टी गियर्स की गुणवत्ता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल- जबलपुर मंडल के टीआरडी विभाग के हेल्पर्स एवं टेक्नीषियनों को रेन कोट, विन्टर जैकेट, सेफ्टी शूज़ एवं ल्यमिनस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को

	इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमएमः- अच्छी गुणवत्ता के जूते जूलाई 25 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा। पीसीएसटीईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएमईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCSTE- कर्मचारियों को नियमानुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का समय-समय पर विरतण सुनिश्चित किया जा रहा है। GEM पोर्टल के तहत अनुबधित फर्मो से ही स्टोर विभाग के माध्यम से प्रोटेक्टीव गियर्स का क्रय कराया जाता है। क्वालिटी सही होने पर ही शेफ्टी गियर्स को Accept कर योग्य कर्मचारियों को वितरित किया जाता है। क्वालिटी खराब होने पर सामान Reject कर दिया जाता है।प्रोटेक्टीव गियर्स की खरीदी हेतु निर्धारित रकम का भुगतान कर्मचारियों के वेतन पत्रक से करने हेतु रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश नही है। यूनियन द्वारा सेफ्टी शूज की गुणवत्ता की कमी को संज्ञान में लाया गया है , चूकि शूज GEM पोर्टल के द्वारा खरीदे जाते है, सेफ्टी शूज निधारित IS मार्क नम्बर 15298 के अनुसार ही खरीदा जाता है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCSTE:—तीनोंमंडलों के सीनि.डीएसटीई/कॉ. कोप्रोटेक्टिवगियर्स के मांगपत्र बनाकर 30 जून 2025 तकभिजवाने के निर्देशदिए जातेहैं।
MS/ 34/2025 PCSTE KOTA/DIV.	सिगनल स्टाफ के आर्टिजन कर्मचारियों को सेफ्टी शूज़,विंटर जेकेट एवं पानी की बोतल उपलब्ध करवाने के संबंध में। उपरोक्त विषय में सिगनल विभाग में कार्यरत आर्टिजन स्टाफ सेफ्टी शूज, विंटर जेकेट एवं पानी की बोतल उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। इस संबंध मे लेख है कि सिगनल विभाग के आर्टिजन स्टाफ (मेसन, पेन्टर, लुहार) भी ट्रेक पर कार्य करते है परंतु फिर भी उन्हे अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति सेफ्टी शूज, विंटर जेकेट व पानी की बोतल उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। जिस कारण आर्टिजन स्टाफ के कर्मचारियों मे काफी असंतोष व्याप्त है। संघ का अनुरोध है कि सिगनल विभाग के आर्टिजन स्टाफ को भी अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति सेफ्टी शूज, विंटर जेकेट व पानी की बोतल उपलब्ध करवाने का कष्ट करें एवं की गई कार्यवाही से संघ को अवगत कराये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है । संघ/पीएनएम/बारां / 202 दिनांक 25.03.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	रेलवे बोर्ड के पत्र सख्या 2018 /TF Cell/S&T/S&T Uniform दिनांक 05-03-2019 के तहत आर्टिजन कर्मचारियों को ये सुविधा देय नही है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** PCSTE:—तीनोंमंडलों के सीनि. डीएसटीई/कॉर्डिनेशनकोनिर्देशितकियाजाताहैकिउचितऔचित्य दर्शातेहुए पानी की बॉटलऔरसेफ्टीगियर्स का प्रस्तावलेखा विभाग से वेटकराकरमुख्यालय कोभेजनेहेतुकार्यवाहीकरें।

MS/ 08/2024 PFA Dy.CPO/HQ	ट्रेन मैनेजर के वित्तीय उन्नयन लाभ के संबंध में। पश्चिम मध्य रेल जोन में रेलवे भर्ती बोर्ड (25 प्रतिशत सीधी नियुक्ति कोटा) से सीधी नियुक्ति पाने वाले ट्रेन मैनेजर को 30 साल सेवा पूरी करने के बाद भी अभी तक केवल दो ही वित्तीय लाभ मिला है जबकि अन्य इंतर रेलवे एवं अन्य डिविजनों पर तीसरे वित्तीय लाभ के रूप में ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत ही 3 प्रतिशत का स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र कमांक RBE PCV/2010/MACP/7/ECR के संदर्भ कथन है कि भारतीय रेल पर ट्रेन मैनेजर का तीन वित्तीय लाभ दिया जा रहा है, जबकि पश्चिम मध्य रेल में अभी लागू नहीं है। एमएसीपी के आधार नियम के अनुसार किसी भी केन्द्रीय कर्मचारी को तीसरे वित्तीय उन्नयन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः संघ यह मांग करती है कि जोन के उन सभी ट्रेन मैनेजर को जो तीसरे वित्तीय उन्नयन लाभ से

	वंचित है, उन्हें प्रदान किया जाए । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** पूर्व में PNM में हुई चर्चानुसार प्रकरण मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.08.2023 के तहत दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु रेलवे बोर्ड भेजा गया था जिस पर रेलवे बोर्ड ने पत्र दिनांक 07.11.2024(प्रति संलग्न) के तहत दिशानिर्देश दिए है कि, गार्ड श्रेणी का मामला एमएसीपी योजना के नीति निर्देशों के पैरा 5 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उनका मामला ग्रेड/पदों के विलय का नहीं है बल्कि ऐसे संवर्गों से संबंधित पैरा 8 के अंतर्गत आता है जहां पदोन्नति पदों को पदोन्नति पदानुक्रम के अनुसार संवर्ग के अलग ग्रेड के रूप में बरकरार रखा गया है। एमएसीपीएस पर बोर्ड के नीति निर्देशों के पैरा 8 में प्रावधान है कि भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान वेतन ग्रेड वाले पद पर की गई पदोन्नतियां एमएसीपीएस के प्रयोजन के लिए गिनी जाएंगी एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, किसी कर्मचारी को उसकी सामान्य पदोन्नति पर दिए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन , समान ग्रेड वेतन पर प्रदान किया जाएगा । अतः गार्ड केटेगरी में आगे MACP नहीं दी जा सकती कृपया मद समाप्त करें। PFA -पश्चिम मध्य रेलवे पर रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांकः PC-V/2010/MACP/7/ECR दिनांकः 10.02.2011 जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है ,तदानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांकः 10.02.11 में जारी किये गये निर्देशों की पालना की जायें । कार्मिक विभाग (मुख्या.) द्वारा पत्र क्रमांक पमरे/ का मुख्या. /ट्रेन मेनेजर /ई 273968 दिनांक 13.09.2024 के माध्यम से प्रकरण मे रेलवे बोर्ड से दिशा निर्देश मांगे है। अतः रेलवे बोर्ड से उत्तर प्राप्त होने पर लेखा विभाग द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** पश्चिम मध्य रेलवे पर रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांकः PC-V/2010/MACP/7/ECR दिनांकः 10.02.2011 जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है , तदानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांकः 10.02.11 में जारी किये गये निर्देशों की पालना की जायें । कार्मिक विभाग (मुख्या.) द्वारा पत्र क्रमांक पमरे/ का मुख्या. /ट्रेन मेनेजर /ई 273968 दिनांक 13.09.2024 के माध्यम से प्रकरण मे रेलवे बोर्ड से दिशा निर्देश मांगे ग ऐ थे । रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण अनुसार – Financial upgradation under ACP/MACP schemes cannot be to a higher Grade Pay than what can be allowed to an employee on his normal promotion and that in such cases financial upgradation under MACP scheme would be granted to the same Grade Pay.
MS/ 40/2024 PFA PCEE PCOM Dy.CPO/HRD	भोपाल मंडल की रनिंग स्टॉफ की समस्याएँ : (अ) आरबीआई 102/2022 के लोको रनिंग अनुभाग में मेल लोको पायलट जैसे आर.के. शर्मा कमलेश परिहार , जे.पी. नारंग, अरविंद शर्मा एवं अन्य 8 कर्मचारियो को स्टेपिंग अप नहीं दिया जा रहा है। मंडल में कई दौर की चर्चा होने के बावजूद फाईल कार्मिक और लेखा विभाग में ही घूम रही है। संघ का कथन है 7 वें पे कमीशन के बाद की रूलिंग के अनुसार 29 अगस्त 2022 के उपरोक्त आर तहत स्टेपिंग अप देने का आदेश निर्गत किये जाये। (ब) झांसी रनिंग रूम में सच साईड का रूम डोरमट्री है , जिसमें एक साथ 12 से 15 एएलपी विश्राम करते है , बार बार कॉल बुक आती है जिससे सोने वाले कर्मचारियो की नींद नही होती है एवं बाकी कसर वहाँ के गद्दे पूरी करते है जिनमें जगह जगह गोले हो गये है जो कि सोते समय चुभते है खाना की क्वाल्टिी भी ठीक नही है , रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है. जिससे संरक्षा प्रभावित हो सकती है। संघ की मांग है कि उक्त विषमताओ को दूर करवाया जाये । (स) रनिंग स्टॉफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने हेतु इटारसी लोको रनिंग स्टाफ जो की संयुक्त परिवार से अलग रहकररेल सेवा कर रहे हैं एवं PSSS साइडिंग एवं एनएसपीएन साइडिंग के रनिंग रूम में रूककर , उन्हें रनिंग रूम में दोबाराखंडवा में रोका जा रहा है जिससे स्टाफ 60/70 घंटे में हेड क्वार्टर वापस आता है और वापस 16 घंटे में फिर बुकिंग होजाती है संघ की मांग है कि इन दो साइडिंग में कार्य करने वाले स्टाफ को खंडवा से स्पेयर लाया जाए माननीय रेलवेबोर्ड द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे की रनिंग स्टाफ को हेड क्वार्टर 36 घंटे में लाने की

	प्रयास कियाजाए ताकि स्टाफ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को निर्वहन कर सके एवं तनाव मुक्त रेल सेवा कर सके ।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PFA -(प्रकरण की समीक्षा की जा रही है। अ) प्रकरण दिनांकः 03.07.2024 को कार्मिक शाखा/भोपाल वापस किया गया था जो दिनांक 26.02.2025 को लेखा विभाग (भोपाल) मे प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। (ब) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । (स) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । अ. स्टे पिंग अप का प्रकरण लेखा विभाग को बार-बार सत्यापन हेतु भेजा गया जिसे 08.02.2024 20.05.2024 एवं 05.03.2025 को आपत्ति के साथ वापिस किया गया। प्रकरण लेखा विभाग को लंबित है। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झाँसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है। PCOM - अ. यह कार्मिक विभाग से संबंधित है। ब. रनिंग रूम का संचालन सीनियर डी ई.ई (टी.आर.ओ) के अंतर्गत है। स. इटारसी डिपो के रनिंग स्टॉफ से नियमानुसार ही कार्य कराया जा रहा है साथ ही खंडवा डिपो से संपर्क कर परिस्थिति एवं आवष्यकतानुसार स्पेयर मुख्यालय वापिस बुलाया जाता है। इस संबंध में खंडवा डिपो को पत्र भी लिखे गये हैं जिससे गाडी प्रबंधको का अनावष्यक विलंब न हो। PCEE-(अ)-कार्मिक विभाग से संबंधित है। (ब)-झाँसी में नया रनिंग रूम प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः मद समाप्त करें। (स)-केवल इमरजेंसी में ही परिचालन की आवष्यकता के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को एक से अधिक रनिंग रूम में रोकना पड़ता है परंतु रेलवे बोर्ड के साईन ऑन से 72 घण्टे बाहर रहने के नियम का उल्लघंन नहीं किया जाता है अपितु स्टॉफ को यथासंभव शीघ्र मुख्यालय पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ताकि समय से मुख्यालय पहुँचने पर क्रू के विश्राम के साथ ही क्रू की उपलब्धता भी बढ़ सकें। खंडवा रनिंग रूम भोपाल मंडल के रनिंग स्टाफ के अत्यधिक विलंब के संदर्भ में वरि.मं.विद्युत इंजी.(टीआरओ) भुसावल को भी उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(अ) दिनांकः13.03.2025 को वित्तीय सहमति दी जा चुकी है । कार्मिक विभाग से पेंशन निर्धारण एवं देय-दत्त विवरण अप्राप्त हैं । (ब) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है । (स) मद लेखा विभाग से संबंधित नही है ।
MS/ 49/2024 PFA	मुख्यालय कार्यालय में लेखा सहायक का स्टेपिंग अप का लाभ प्रदान करने के संबंध में। उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से संबंधित कर्मचारियो द्वारा संघ को अवगत कराया गया है कि इनसे कनिष्ठ कर्मचारियो के बेसिक वर्तमान अधिक है जबकि ये सभी एक ही कैडर में कार्यरत है। रलवे बोर्ड के RBE No. 103/2022 Dt. 29-08-2022 के गाईड लाईन के अनुसार इनको स्टेपिंग अप का लाभमिलना चाहिए । अतः संघ का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के गाईडलाईन के अनुसार स्टेपिंग अप के हकदार कर्मचारियो को स्टेपिंग अप ऑफ पे का लाभशीघ्र प्रदान किये जाये तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से कृपया संघ को अवगत कराये । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

	प्रशासनिक टिप्पणी
	PFA-कार्मिक विभाग मुख्यालय से दिनांक 06.06.2024 को प्रकरण में दिशा-निर्देश हेतु अनुरोध किया गया था। किंतु कार्मिक विभाग से कोई जबाब प्राप्त नही हुआ। तत्पश्चात स्थापना अनुभाग (मुख्या.) द्वारा प्रकरण मे समीक्षा कर यह निष्कर्ष निकला कि RBE क्रमांक 103/2022 दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ मे उल्लेखित कर्मचारियो को स्टेपिंग अप देय नही है
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(अ)कार्मिक विभाग मुख्यालय से दिनांक 28.04.2025(ई आफिस कंप्यूटर संख्याः170898) को प्रकरण में दिशा-निर्देश हेतु अनुरोध किया गया था । कार्मिक विभाग से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त नही हुए है । वर्तमान में प्रकरण में (National Council , JCM) स्तर पर समीक्षा की जा रही है । आवश्यक कार्यवाही तदानुसार की जायेगी ।
MS/ 51/2024 PFA Dy.CPO/HRD	PPO में रेल कर्मियो के परिवार के सदस्यो के नाम शामिल न करने एवं पेंशन का लाभ दिलवाने बाबत प्रकरण श्रीमती शबीना बानो हेल्पर अधीन एसएसई केरिज एवं वेगन गंगापुरसिटी । (अ) निरंजय वर्मा रिटायर्ड जे.ई (टीआरडी), भोपाल के परिवार के सदस्य कुमारी लेखनी वर्मा 28 वर्ष अविवाहित 2. कुमारी दामिनि वर्मा, 25 वर्ष बेटियो के नाम PPO में नहीं किये जा रहे है जबकि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके PPO में उनके परिवार के नाम जोड़े जा रहे है। (ब) श्रीमती शबीना बानो हेल्पर कार्यरत अधीन एसएसई केरिज एवं वेगन गंगापुरसिटी ने संघ को अवगत कराया है श्रीमती शबीना बानो अनुकम्पा के आधार पर रेलवे में भर्ती हुई उनके पति स्व. श्री इमरान खान ट्रेकमेन्टेनर के पद पर एसएसई पीवे उत्तर गंगापुरसिटी के अधीन कार्यरत थे जिनका दिनांक 25.05.2013 को पिलोदा स्टेशन पर रेल कार्य करते समय निधन हो गया। श्रीमती शबीना बानो ने उनके पति के निधन के उपरांत दी जाने वाली पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर सहानुभूतिपर्वक विचार कर श्रीमती शबीना बानो हेल्पर कार्यरत अधीन एसएसई केरिज एव वेगन गंगापुरसिटी को पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PFA-(अ) पीपीओ में केवल कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके पत्नी/पति (spouse)का नाम दर्ज किया जाता है परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में उनसे संबंधित दस्तावेज कर्मचारी से प्राप्त कर सेवापंजिका (सेटलमेंट बुक) में एंव HRMS में दर्ज किया जाता है । (ब) कर्मचारी ट्रेनिंग पीरियड मे EXPIRED हुआ है अत रेलवे बोर्ड पत्र सं. F(E)III/2006/PN1/2, दिनाँक 15.06.2007 के अनुसार कर्मचारी पेंशन का पात्र नही है ,जिसका जबाब कार्मिक विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका है यह प्रकरण लेखा विभाग में प्राप्त नही हुआ है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	निरंक
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(अ) पीपीओ में केवल कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके पत्नी/पति (spouse)का नाम दर्ज किया जाता है परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में उनसे संबंधित दस्तावेज कर्मचारी से प्राप्त कर सेवापंजिका (सेटलमेंट बुक) में एंव HRMS में दर्ज किया जाता है । (ब) कर्मचारी ट्रेनिंग पीरियड मे EXPIRED हुआ है अत रेलवे बोर्ड पत्र सं. F(E)III/2006/PN1/2, दिनाँक 15.06.2007 के अनुसार कर्मचारी पेंशन का पात्र नही है ,जिसका जबाब कार्मिक विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, यह प्रकरण लेखा विभाग कोटा में प्राप्त नही हुआ है।
12/2025 PFA DY.CPO/HRD	भोपाल मंडल के टी.आर.ओ. विभाग से सम्बंधित समस्याएं। 1. रनिंग कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर पैषनरी लाभ हेतु मूल वेतन की 55 प्रतिषत राषि को जोड़कर पेंषन निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप किसी रनिंग कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर मूल वेतन रू.86100.00 है इसमें मूल वेतन

	का 55 प्रतिषत रू.47355.00 जोड़कर कुल राषि रूपये 133455.00 हो जाती है। इसी राषि का 50 प्रतिषत आकलन करे। मूल पेंषन रू0.66728.00 आंकी जाती है परंतु पी.पी.ओ. में केवल मूल वेतन रू.86100.00 ही दर्षाया जाता है जो कि पूर्ण पेंषन की राषि कहां से आंकलित की गई यह पता ही नहीं चलता है। रेल प्रषासन द्वारा पेंषनरों को जारी पी.पी.ओ. में मूल वेतन 55% राषि का योग पी.पी.ओ. में उल्लेखित नहीं किया जा रहा है. जिससे पेंषनरों में मूल वेतन का 50% पेंषन कैसे निर्धारित की जा रही है समझ में नहीं आता हैं। अतः वे.से.रे.म.संघ अनुरोध करता है कि सेवा निवृत्त रनिंग कर्मचारी को जारी पी.पी. ओ. में मूल वेतन एवं उसका 55 प्रतिषत राषि का योग दर्शाने की व्यवस्था करें जैसा कि उपरोक्त पैरा नं. 2 में आंकलन किया गया है। उस तरह से पी.पी.ओ. में राषि दर्षानें की व्यवस्था करें। ताकि सेवा निवृत्त रनिंग कर्मचारियों की भ्रान्ति समाप्त हो सकें। 2. सेपटी केटेगरी हेतु जैसे रनिग स्टाफ एवम अन्य के लिये एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का वितरण लगभग 5 वर्ष से लंबित है अवार्ड हेतु राशि स्वीकृत करवाने की व्यवस्था की जावे। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	C) PCR शॉप मे कार्यरत कर्मचारी श्री अंजनी कुमार, Tech I दिनांक 06.01.2024 को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसकी जांच नामित SSE तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी हैं तथा कर्मचारी को IOD भी प्रदान की गयी। 1. प्रकरण में लेखा विभाग से चर्चा कर कार्यवाही की जाएगी। 2. इस मद के संबंध में भोपाल मंडल में वर्ष 2023-24 तक के सभी एक्सी डेंटेल फी अवार्ड दे दी गयी है एवं वित्ते वर्ष 2024-25 हेतु एक्सीमडेंटल फ्री अवार्ड के लिए बजट की प्रकिया प्रारंभ कर दी गयी है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(अ) सेवानिवृत्त (रनिंग स्टाफ) होने वाले कर्मचारियो को जारी होने वाले पीपीओ में रनिंग एलिमेंट सेवानिवृत्त के समय 55 प्रतिशत दर्शाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक मु./ले./पेंशन/विविध/2024-25 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा GM/CRIS/NDLS &नोडल रेलवे /चर्च गेट मुंबई को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। (ब) लेखा विभाग (भोपाल मंडल) मे एक्सीडेंटल फ्री अवार्ड के कोई प्रकरण लंबित नही है। कार्मिक विभाग से प्राप्त सभी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है ।

MS/92/2023P CMD DY.CPO /HQ	केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर की समस्याएँ । केन्द्रीय चिकित्सालय, जबलपुर में निम्नलिखत समस्याएँ विधमान है: 1. Railway Board के नियमानुसार valsala Nair मेडम CNS को 6600 देने के लिए पेमेंट सेल में मद सहमति हुई थी फिर भी आज तक 6600 ग्रेड पे नही दिया गया है। बोर्ड के लेटर को क्लीयर करने का बोलकर कर्मचारी को मंडल से हेडक्वार्टर तक फाइल घूम रही है। 2. केन्द्रीय चिकित्सालय में लाखो की मशीने कार्य नहीं कर रही हैं । जैसे ओपीडी में Kiosk मशीन वार्ड एवं 100 में मोनिटर ओपीडी के डिस्प्ले,जिसे लगाने में लाखो की लागत आने के बाद भी मरीजो की भीड में लाइन ही लगानी पड़ती है। अतः संघ की मांग है कि सभी मशीनो को सही कराया जाये । कार्यवृंत दिनांक **11** एवं **12** मार्च की बैठक में उप मद क्र. **3, 4, 5** समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 2. कैंद्रीय चिकित्सालय पमरे, जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे Kiosk इत्यादि सुचारु रुप से कार्य कर रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 3. कैंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर में 07 स्वीकृत पद हैं जिसमें से सिर्फ 01 पद रिक्त है। 39 अस्पताल परिचर की GeMके माध्यम से नियुक्ति हो चुकी है एवं इनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।

	4. केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर GeMके तीन कॉंट्रेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा स्टॉफ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 5. ARMV Movement पर Break down allowance एवं ARMV allowance दिया जा रहा है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	2 - नियमित रूप से जांच कराकर सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 एवं 4. चर्चा उपरांत मद समाप्त। उप मुकाधि/मुख्याः- 1. रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ग्रेड पे 5400 में एमएसीपी प्रदान कर दी गयी है। रेलवे बोर्ड के पत्र की प्रति संघ को प्रदान की गयी। 5. 2024 से ब्रेक डाउन भत्ता दिया जा रहा है। मद समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- 1.मद कार्मिक विभाग से संबंधित है।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 2.केंद्रीय चिकित्सालय पमरे, जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे Kiosk इत्यादि सुचारु रुप से कार्य कर रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमडी–
MS/97/2023 PCMD	भोपाल मंडल के मेडीकल विभाग से संबंधित समस्याएँ:- (अ) रेलवे बोर्ड के पत्र क. PC-VII/2017/1/7/5/9 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार हरवो कैटेगरी जिसे सातवें पे मीशन के लागू होने से पहले यूनिफार्म / कपड़ा , सप्लाई किया जाता था ,उन कैटेगरी को सातवें पे कमीशन लागू होने के उपरान्त "Dress Allowance" का भुगतान किया जाना है , परन्तु भोपाल मंडल में आज दिनांक तक Pharmacist Category इस सुविधा से वंचित है । (ब) मंडल रेल चिकित्सासलय का दिनांक 06.05.2023 को प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षणकमांक 09/2023 के मद कमांक 05 में मंडल दवा भंडार कक्ष से संबंधित ये नोट डाला गया था कि "इस कक्ष को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा थाकि इस कक्ष में प्रापर वेंटीलेशन नहीं है।प्रॉपरवेंटीलेशन नही होने के कारण यहां कार्यरत कर्मचारी बीमार हो सकते है। इसलिये इस कक्ष को प्रथम तल में 10 से 15 दिनांक में शिफ्ट करें ताकि वातानुकूलन की समस्या भी समाप्त हो जायेगी और स्टोर भी प्रापर कक्ष की तरह लगेगा " आज दिनांक तक इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। (स) भोपाल मंडल के विदिशा उप मंडल में लगभग एक हजार कर्मचारी कार्यरत है जिन्हें दैनिक रुप से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज हेतुस्वयं एवं अपने परिवार को लेकर मंडल रेल चिकित्सालय जाना पड़ता है एवं कभी-कभी इमरजेंसी में इलाज हेतु भोपाल लेकर जाना पड़ता है जिस समय मरीज उस स्थिति में नहीं होता है कि भोपाल तक भी पहुंच सके , तुंरत इलाज की आवश्यकता होती है। अतः अन्य उप मंडलो की भांति विदिशा उप मंडल में एक रेलवे डिस्पेंसरी खोली जाये एवं इमरजेंसी केस में चिकित्सा सुविधा हेतुविदिशा के ही प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय को नामित किया जाये , जिससे विदिशा उप मंडल केकर्मचारियों एवं उनके परिवार जनो को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	अ- भोपाल मंडल पर फार्मासिस्ट स्टाफ को ड्रेस एलाउंस का भुगतान किया जा रहा है। ब- रिनोवेशन के कारण स्टोर फार्मासिस्ट को अन्य स्थान पर अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में प्रथम तल पर स्थित स्टोर के स्थान पर नया वार्ड संचालित है, जिसमें मरीज भर्ती हैं। संपूर्ण रिनोवेशन कार्य के उपरांत स्टोर का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। स- वर्ष 2023 में निजी चिकित्सालय के अनुबंध हेतु EOI किया गया था किन्तु कोई भी चिकित्सालय से EOI प्राप्त नहीं हुई थी, EOI के लिये पुनः प्रस्तान प्रक्रियाधीन है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विदिशा में रेलवे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है। विदिशा में निवासरत् मरीज आकस्मिक परिस्थितियों में अपना उपचार किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज विदिशा में कर सकते हैं। जिस पर हुये व्यय का भुगतान रेल प्रशासन द्वारा

	रियम्बर्समेंट द्वारा किया जाता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	अ-भोपाल मंडल पर फार्मासिस्टस्टाफ को ड्रेस एलाउंस का भुगतान किया जा रहा है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। ब-रिनोवेशन के कारण स्टोर फार्मासिस्ट को अन्य स्थान पर अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में प्रथम तल पर स्थित स्टोर के स्थान पर नया वार्ड संचालित है, जिसमें मरीज भर्ती हैं। संपूर्ण रिनोवेशन कार्य के उपरांत स्टोर का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। स-वर्ष 2023 में निजी चिकित्सालय के अनुबंध हेतु EOI किया गया था किन्तु कोई भी चिकित्सालय से EOI प्राप्त नहीं हुई थी, EOI के लिये पुनः प्रस्तान प्रक्रियाधीन है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विदिशा में रेलवे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है। विदिशा में निवासरत् मरीज आकस्मिक परिस्थितियों में अपना उपचार किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज विदिशा में कर सकते हैं। जिस पर हुये व्यय का भुगतान रेल प्रशासन द्वारा रियम्बर्समेंट द्वारा किया जाता है।
MS/11/2024 PCMD	रेल चिकित्सालयों की समस्याओं के संबंध में। 4. रेलवे के डॉक्टर द्वारा एलपी के लिये मरीजो को परेशान किया जा रहा है एलपी की दवा काट दी जाती है कभी CMP डॉक्टर के पास कभी सरकारी डॉक्टर के पास इधर-उधर मरीजो को भटकाया जाता है। 5. केन्द्रीय चिकित्सालय में लंच के बाद OPD तो खुलती है मगर उसमें डॉक्टर नहीं बैठ रहे है आर्थो एवं सर्जरी के OPD भी बंद कर दी जाती है मरीजो को इमरजेंसी में दिखाने के लिये बोला जा रहा है। 6. जबलपुर मंडल के विभिन्न डिस्पेंसरी में सतना, कटनी, सागर, दमोह, ब्यौहारी एवं नरसिंहपुर एलपी की कार्ड व्यवस्था नहीं है अतः मरीजो को उपयुक्त दवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः डिस्पेंसरी में लोकल पर्चेज द्वारा मरीजो को उपयुक्त दवाई दी जाये। 7. केन्द्रीय चिकित्सालय में होने वाले PME में अधिकांश कर्मचारी विशेषकर रनिंग कर्मचारियों को बहुतायत की संख्या में ब्लडप्रेशर बढ़ने की समस्या के कारण रोका जा रहा है जबकि वही कर्मचारी बाहर किसी डॉक्टर से अपना ब्लडप्रेशर दिखाता है तब नार्मल आता है। अतः मरीजो का ब्लडप्रेशर मरकरी बीपी मशीन से चैक किया जाना चाहिये। जबकि वर्तमान में डायल स्टेंड से चेक किया जा रहा है। 8. जबलपुर डिविजन की ब्यौहारी एवं नरसिंहपुर हेल्थ यूनिट एवम् कोटा डिवीजन की बूंदी एवम् बारां हेल्थ यूनिट में नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट नहीं है नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट नहीं होने से दूर दराज के क्षेत्र में कार्य करने वाले रेल कर्मचारी एवम् उनके परिवार को इंजेक्शन व अन्य चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा इस मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुक करना पड़ता है अतः आपसे अनुरोध है कि सभी हेल्थ यूनिट्स पर नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट होना सुनिश्चित करें नर्सिंग स्टाफ के बगैर किसी भी अस्पताल का संचालन करना बेहद मुश्किल है नर्स के बगैर अस्पताल अपंग होता है 9. हाउस कीपिंग 38 और नर्सिंग स्टाफ कि अतिरिक्त पूर्ति सविंदा आधारित लेने पर भी अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। 10. नर्सिंग स्टाफ कि भारी कमी की वजह से केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर में OWN Request स्थानांतरण फॉर्म को अभी भी फॉरवर्ड नहीं किया गया । 11. चोट, बुखार और कई प्रकार की समस्या आने में रीवा में हॉस्पिटल सुविधा ना होने की वजह से 60km सतना जाना पड़ता है। अतः अनुरोध है कि रीवा में हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा की जाए । 12. गुना रेलवे अस्पताल में स्टाफ एवं सुविधाओं का अभाव है। 350 किलोमीटर के दायरे में केवल एक हेल्थ यूनिट है जहां मेडिकल रिलीफ वैन, मेडिकल मोबाइल वैन, प्रतिदिन 2-3 ट्रेन कॉल एवं 40 से अधिक ओपीडी है। बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल मोबाइल वैन के लिए ही डॉक्टर के अलावा 1 फार्मासिस्ट एवं 1 नर्स अलग से पदस्थ होना चाहिए जबकि केवल डॉक्टर को ही पदस्थ किया गया है। संघ की मांग है की क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुना हेल्थ यूनिट में फार्मासिस्ट, मेल नर्स के पद बढ़ाए जाएं एवं महिलाओं के लिए एक गायनोलॉजिस्ट तथागुना/शिवपुरी / शाजापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल से अनुबंध किया जाए।

	उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- कार्यवृंत दिनांक 11 एवं 12 मार्च की बैठक में उप मद क्र. 1, 2, 3 समाप्त। 04.- सभी मरीजों को उनकी बीमारी तथा चिकित्सकों की सलाह के अनुसार दवाऐं प्रेस्क्राइब की जाती हैं। जो दवाऐं स्टॉक में उपलब्ध नहीं हों उन्हें एल.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। 05.- वर्तमान में केंद्रीय चिकित्सालय पमरे , जबलपुर में दूसरे हॉफ में ओ.पी.डी. में चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त आकस्मिक विभाग में 24 घंटे चिकित्सकीय सेवा चालू रहती है। इमरजेंसी में मरीजों की आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक को भी बुलाया जाता है। 06.- जबलपुर मंडल के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में लोकल पर्चेज हेतु कैश इम्प्रेस्ट उपलब्ध है , जिससे लोकल पर्चेज कर दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 07.- भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार ब्लडप्रेशर जांच हेतु मरकरी बीपी मशीन को प्रतिबंधित किया जा चुका है , जिन्हें प्रतिस्थापित किया जा चुका है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 08.- स्वा. केन्द्र नरसिंहपुर के लिये नर्सिंग स्टाफ हेतु प्रपोजल भेजा गया था किंतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जबलपुर मंडल के ब्योहारी, नरसिंहपुर तथा कोटा मंडल के बूंदी एवं बारां स्वास्थ्य केन्द्रों में इजेंक्षन की संख्या बहुत कम है। कई दिन ऐसे भी रहते हैं कि जिसमें पूरे दिन में एक भी इजेंक्षन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मरीजों को यदि इजेंक्षन लगाने की आवश्यकता होती है तो उपलब्ध पैरा मेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टर इस कार्य का निर्वहन भली-भॉति करते हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये 09.- केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर में 39 अस्पताल परिचर की GeM के माध्यम से नियुक्ति हो चुकी है एवं इनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 10.- केंद्रीय चिकित्सालय में GeM के माध्यम से कॉंट्रेक्ट बेसिस पर स्टॉफ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 11.- रीवा में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। रीवा क्षेत्र के रेल लाभार्थियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु सतना से सप्ताह में एक दिन संविदा चिकित्सक रीवा भेजे जा रहे हैं। रीवा में एक मेडीकल कॉलेज तथा शासकीय चिकित्सालय भी उपलब्ध है जहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज ले सकते हैं। 12.- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी रोड मोबाइल वैन के दिशा निर्देश में केवल अतिरिक्त चिकित्सक संविदा पर लेने हेतु स्वीकृति हैं। स्वा. केन्द्र गुना के अन्तर्गत संचालित मोबाइल वैन पर गुना में कार्यरत पैरामेडीकल स्टाफ को रेलवे बोर्ड की गाईडलाईन के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में मोबाईल मेडीकल वैन का संचालन मंडल रेल प्रबंधक/भोपाल के निर्देशानुसार ट्रायल बेस पर सप्ताह में 02 दिन गुना से शिवपुरी जिसमें बदरवास, कोलारस शामिल हैं एवं 01 दिन गुना से ब्यावरा-राजगढ़ संचालित की जा रही है। पार्ट टाईम महिला चिकित्सक की पदस्थापना हेतु कार्यवाही जारी है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।
	पिछली बैठक दिनांक 11.03.2025/12.03.2025 के कार्यवृत्त
	1, 2 एवं 3- मद समाप्त। 4 और 5 निर्देशित कर दिया जाएगा।उपरोक्त मदों को छोड़ कर अन्य मदों की समीक्षा की जाएगी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	04.-सभी मरीजों को उनकी बीमारी तथा चिकित्सकों की सलाह के अनुसार दवाऐं प्रेस्क्राइब की जाती हैं। जो दवाऐं स्टॉक में उपलब्ध नहीं हों उन्हें एल.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। 05.-वर्तमान में केंद्रीय चिकित्सालय पमरे, जबलपुर में दूसरे हॉफ में ओ.पी.डी. में चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्तआकस्मिक विभाग में 24 घंटे चिकित्सकीय सेवा चालू रहती है। इमरजेंसी में मरीजों की आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक को भी बुलाया जाता है। 06.- जबलपुर मंडल के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में लोकल पर्चेज हेतु कैश इम्प्रेस्ट उपलब्ध है , जिससे लोकल पर्चेज कर दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 07.-भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार ब्लडप्रेशर जांच हेतु मरकरी बीपी मशीन को प्रतिबंधित किया जा चुका है , जिन्हें प्रतिस्थापित किया जा चुका है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।

	08.-स्वा. केन्द्र नरसिंहपुरएवं ब्यौहारी के लिये नर्सिंग स्टाफ एवं ड्रेसर के नये पदों का सृजन का प्रस्ताव भेजा गया था किंतु दिनांक 15.01.25 को प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। बाह्य स्रोत से नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। 09.-केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुरमें 39 अस्पताल परिचर की GeMके माध्यम से नियुक्ति हो चुकी है एवं इनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 10.-केंद्रीयचिकित्सालयमेंGeMके माध्यम से कॉट्रेक्ट बेसिस पर स्टॉफ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में कोई भी Own request स्थानांतरण आवेदन लंबित नहीं है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 11.-रीवा में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। रीवा क्षेत्र के रेल लाभार्थियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु सतना से सप्ताह में एक दिन संविदा चिकित्सक रीवा भेजे जा रहे हैं। रीवा में एक मेडीकल कॉलेज तथा शासकीय चिकित्सालय भी उपलब्ध है जहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज ले सकते हैं। 12.- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी रोड मोबाइल वैन के दिशा निर्देश में केवल अतिरिक्त चिकित्सक संविदा पर लेने हेतु स्वीकृति हैं। स्वा. केन्द्र गुना के अन्तर्गत संचालित मोबाइल वैन पर गुना में कार्यरत पैरामेडीकल स्टाफ को रेलवे बोर्ड की गाईडलाईन के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में मोबाईल मेडीकल वैन का संचालन मंडल रेल प्रबंधक/भोपाल के निर्देशानुसार ट्रायल बेस पर सप्ताह में 02 दिन गुना से शिवपुरी जिसमें बदरवास, कोलारस शामिल हैं एवं 01 दिन गुना से ब्यावरा-राजगढ़ संचालित की जा रही है। पार्ट टाईम महिला चिकित्सक की पदस्थापना हेतु कार्यवाही जारी है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।
MS/ 24/2024 PCMD	इलाज मे खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध मे । (ब) सुश्री अमृत कौर राय मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय कोटाः सुश्री अमृत कौर राय मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय कोटा के चिकित्सीय पुर्नभरण के सम्बन्ध में पीएनएम मद संख्या 12/2022 उठाया गया था जिसे आपात स्थिति सिद्ध न होने के कारण अमान्य करते हुए मुख्यालय अपील करने हेतु निर्णय हुआ था। इस संबंध में वर्ष 2020 में कोविड के दौरान गंभीर बीमारी हर्षीक हुई थी एवं इलाज हेतु प्रथम दिन कर्मचारी द्वारा मण्डल रेल चिकित्सालय कोटा में दिनांक 22.03.2020 को दिखाया था 03 दिन मेडिसीन लेने पर भी कोई आराम न होने पर पुनः मण्डल रेल चिकित्सालय कोटा में दिनांक 26.03.2020 को उपस्थित हुई, परन्तु कोविड के कारण आउट डोर बंद कर दिया गया था। अतः बीमारी की गंभीरता एवं आपातकालीन ईलाज की आवश्यकता होने पर दिनांक 27.03.2020 को डॉक्टर राजीव जैन को दिखाकर ईलाज लिया गया जिससे कर्मचारी बीमारी से राहत हुई। डॉक्टर राजीव जैन द्वारा गंभीर बीमारी केमध्यनजर ESSENTIALITY CUM EMERGENCY CERTIFICATE जारी किया है जो बिलो के साथ संलग्न कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि कोविड के दौरान आउट डोर सुविधा बंद रहने की अवधि में बाहर कराये गये ईलाज का पुनर्भरण किया जावेगा। कर्मचारी का प्रकरण उसी अवधि का होने के कारण इस नियम की परिधि में आता है।संघ/पीएनएम/डीआरएमकोटा/ 111 दिनांक 26.05.2023 (स)श्री कुम्हेर सिंह ट्रेकमेन्टेनर अधीन एसएसई पीवे छबड़ा गुगोर : श्री कुम्हेर ट्रेकमेन्टेनर अधीन एसएसई पीवेछबड़ा गुगोर ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से संघ को अवगत कराया है कि उन्होने अपने पुत्र का आपात स्थिति में श्रीराम कृष्ण हेल्थ केयर जयपुर में ऑपरेशन / इलाज करवाया था एवं कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतुआवेदन भी 25.10.2021 को कर दिया था किन्तु अभी तक कर्मचारी को चिकित्सा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक कर्मचारी को न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया है न ही भुगतान की कार्यवाही की गई है। संघ का अनुरोध है कि प्रकरण की जांच कर श्री कुम्हेर सिंह ट्रेकमेन्टेनर अधीन एसएसई पीवे छबड़ा गुगोर को चिकित्सा खर्च राशि की प्रतिपूर्ति करने का कष्ट करें एवं की गई कार्यवाही से संघ को अवगत कराये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।संघ/पीएनएम/बारां / 61 दिनांकः 13.06.2023:
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- कार्यवृंत दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2025 की बैठक में उप मद क्र. (अ) समाप्त। ब- सुश्री अमृत कौर राय मु. कार्या. अधीक्षक , मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय कोटा के प्रकरण की फाइल को वित्त

	विभाग कोटा मण्डल को भेजा गया था किन्तु वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है क्योकि यह नियमित ओपीडी उपचार (Routine OPD treatment) था जिसमें Herpit Zoster का इलाज किया गया था , यह बीमारी क्रोनिक डिजिज में नहीं आती है। अपील इस कार्यालय को अप्राप्त है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। स- श्री कुम्हेर सिंह ट्रेकमेन्टेनर अधीन एसएसई पीवे छबड़ा गुगोर का प्रकरण गैर-आपातकालीन (Non emergency case) था जिसे कोटा मण्डल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। प्रकरण में डिस्चार्च टिकिट में डायग्नोसिस यूडीटी लिखा गया है जबकि ऑपरेशन में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एडिज्नोलाईसिस लिखा गया है। अतः लिए गये इलाज एवं डिस्चार्च टिकिट में भिन्नता है। प्रकरण में सही ऑपरेटिव नोट उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया गया था ताकि किसी तरह की आपात स्थिति यदि थी तो उसे Consider किया जा सके किन्तु कर्मचारी द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। अपील इस कार्यालय को अप्राप्त है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमडीः- ब और स अपील प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अ) मद समाप्त।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	ब-टिप्पणी यथावत्।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। स-टिप्पणी यथावत्।अतः इस मद को समाप्त किया जाये।
MS/ 31/2024 PCMD	स्थानान्तरण में अनियमितताएँ के संबंध में । ISO (फूड सेफ्टी ऑफिसर जो फूड इंस्पेक्टर ट्रेनिंग से ट्रेंड वाले एलिजिबल CHI के बीच से ही बनाए जाते हैं) के ट्रांसफर का लेटर है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि FSO पोस्ट को जोनल स्तर पर, ट्रांसफर के लिए डील किया जा रहा है जो कि अनुचित है क्योंकि CHI पोस्ट की सीनियोरिटी मंडल स्तर पर होती है एवं FSO पोस्ट कोई पृथक से स्वतंत्र कैडर नहीं है। इससे हो यह रहा है कि मंडल के अंदर के FSO हेतु आवश्यक योग्यताधारी CHI को अवसर नहीं मिल रहा है, FSO बनने का और उनके चहेते लोग ही बार-बार FSO बन रहे है और उनका स्थानान्तरण जोनल स्तर पर किया जा रहा है। दूसरा लेटर रेलवे बोर्ड का हैं, जो उक्त समस्या के संबंध में है जिसमें रेलवे बोर्ड न स्पष्ट निर्देश दिए हैं किन्तु अधिकारी गणों द्वारा उसे नही माना जा रहा है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD-एफ.एस.ओ. के स्थानांतरण एवं नामांकन रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार किये जा रहे हैं एवं रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार ही प्रत्येक मण्डल पर अतिरिक्त एफ.एस.ओ. नामांकित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमडीः- एफ.एस.ओ. के स्थानांतरण एवं नामांकन रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार किये जा रहे हैं एवं रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार ही प्रत्येक मण्डल पर अतिरिक्त एफ.एस.ओ. नामांकित करने की प्रक्रिया की जा रही है। रेल्वे बोर्ड की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	उक्त मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमडीः—भोपालमंडल मे पद कोरिस्टोरकरदियागयाहै एवंभरने की प्रकिया के तहतप्रकरणरेलवेबोर्डभेजागयाहै ।
MS/ 46/2024 PCMD	उप मंडल रेल चिकित्सालय इटारसी में व्याप्त समस्या के निराकरण के संबंध में। उपरोक्त विषय मे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रेलवे कर्मचारी एवं सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी एवं रेलवे अस्पताल इटारसी में व्याप्त समस्याएँ - कार्यवृंत दिनांक 11 एवं 12 मार्च की बैठक में उप मद क्र. 1, समाप्त। 2) वर्तमान मे चिकित्सालय मे नर्सिंग स्टॉफ के 09 पद स्वीकृत है जिनमें से केवल 06 नर्सिंग स्टॉफ ही कार्यरत हैं , जिस कारण चिकित्सालय मे मरीजों को काफी समस्या हो रही है। महोदय जी हमारी यह भी मांग है कि चिकित्सालय में 06 नर्सिंग स्टॉफ में से केवल 02 ही महिला नर्सिंग स्टॉफ बचे है , जिस कारण महिला मरीजों को

इलाज कराने में काफी असुविधा होती है। नर्सिंग स्टॉफ के पदों को जल्द से जल्द भरने की व्यवस्था करें।

3) उप मंडल चिकित्सालय मे मानद सर्जन एवं मानद गाएकोलॉजिस्ट होते हुए भी केवल एक 'बॉयल्स उपकरण मशीन' न होने के कारण मरीजो को रेफर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है , जबकि एक मशीन खरीदने के लिए कितना समय लगता है।

4) चिकित्सालय में केवल 02 पोस्ट लिपिक की स्वीकृत है। वर्तमान में मंडल मे 03 प्रवर लिपिक के पद हेतु परीक्षा हुई है जिसमें से एक प्रवर लिपिक की नियुक्ति इटारसी चिकित्सालय मे होनी चाहिए, ताकि उपमंडल चिकित्सालय का कार्य सुचारू रूप चल सके। केवल एक लिपिक से चिकित्सालय के कार्य करना सम्भव नहीं है।

5) उप मंडल चिकित्सालय मे एक्स-रे टेक्नीशियन के देहात के बाद से मरीजों के एक्स-रे भी नही हो पा रहे है। मंडल चिकित्सालय द्वारा केवल बुधवार को टेक्नीशियन भेजा जाता है , बाकी दिन मरीजों को एक्स-रे के लिए केवल बुधवार का इतजार करना पड़ता है। अतः संघ की मांग है कि मंडल चिकित्सालय में 02 एक्स-रे टेक्नीशियन कार्य कर रहे है , जिनमे से एक की नियुक्ति इटारसी उपमंडल चिकित्सालय में करने की कृपा करें। ताकि मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके।

6) दिनांक 05/01/24 को मुख्य चिकित्सा निदेशक, जबलपुर द्वारा निरीक्षण के दौरान संघ को अवगत कराया गया था कि उपमंडल चिकित्सालय में जल्द ही बाल रोग विशेषज्ञ का लाभ मिलेगा एवं सोनोग्राफी की लोकल टाईअप व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे , लेकिन अभी तक उपमंडल चिकित्सालय इन सुविधाओं से वंचित है। जिससे कर्मचारी खुद अपने खर्चे पर सोनोग्राफी कराने के लिए विवश है।

7) उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में सफाई कर्मचारियों के पद को सरेंडर करने के कारण वर्तमान में सफाई व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। कर्मचारियो की मांग है कि जल्द से जल्द सफाई ठेका कार्य आरंभ करने की व्यवस्था करें।

8) उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेनोवेशन का कार्य काफी टाईम से किया जा रहा है , जिसे जल्द से जल्द एवं उत्तम क्वालिटी का कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। चिकित्सालय मे मेडिकल स्टॉफ हेतु शोचालय की भी व्यवस्था करने की कृपा करे।

9) चिकित्सालय में हर बरसात में पानी लीकेज की समस्या को वर्तमान समय में ही पूर्ण रूप से जल्द से जल्द करने की व्यवस्था करें।

10) चिकित्सालय में एक भी सेमी प्राईवेट व प्राईवेट वार्ड नही है , हमारी मांग है कि रेनोवेशन के वर्तमान कार्य मे ही एक प्राईवेट एवं एक सेमी-प्राईवेट वार्ड का निर्माण करवाने की व्यवस्था करे।

11) चिकित्सालय के सभी बेड की हालत खराब है जिसे बदलने हेतु जल्द से जल्द आवशयकता है। रेलवे चिकित्सालय न्यू यार्ड में कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहरी व्यक्ति या सामाजिक तत्व शराब के नशे में अंदरआ जाते हैं एवं उपद्रव करते हैं रेलवे चिकित्सालय में सीसीटीवी कैमरे उत्तम गुणवत्ता के लगाए जाएं एवं सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था अभिलंब की जाये।

संघ मांग हैं कि लगभग 4400 रेल कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी एवं परिवार मिलाकर लगभग 20000 मरीजों को मंडल द्वारा अंदेखा किया जा रहा है। उपरोक्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की व्यवस्था करें।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

PCMD- कार्यवृत्त दिनांक 11/12.03.2025 की बैठक में उपमद क्रं. 1 समाप्त।

02. वर्तमान में नर्सिंग के 01 रिक्त पद को भरने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है।

03. उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में मरीजों की सुविधा हेतु बॉयल्स उपकरण रेल चिकित्सालय बीना से शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही जारी है।

04. उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में लिपिक के 02 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 01 पद रिक्त है। पद भरने हेतु विभागीय परीक्षा हो चुकी है। जिस पर कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जा रही है।

05. एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में रिलीविंग ड्यूटी हेतु सप्ताह में 2 दिन एक्स-रे टेक्नीशियन को भेजा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/भोपाल को GEM के माध्यम से एक्स-रे टेक्नीशियन को अनुबंधित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

	06. उपमण्डल चिकित्सालय इटारसी में बाल रोग चिकित्सक एवं सोनोग्राफी विशेषज्ञ को अनुबंधित करने हेतु प्रयास किये गये थे, किन्तु कोई भी चिकित्सक अनुबंधित होने के लिये तैयार नहीं हुआ। आपात स्थिति में रेलवे कर्मचारियों कि सुविधा के लिये 03 निजी चिकित्सालयों को अनुबंधित किया गया है जहाँ सभी सुविधाऐं उपलब्ध हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 07. इटारसी में सफाई का ठेका दिया जा चुका है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 08 एवं 09. चिकित्सालय में रिनोवेशन का कार्य जारी है। बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण पुनः बनाए जाने का प्रस्ताव इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा निरीक्षण कर संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं एवं नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्थान सुनिश्चित करने के लिये आदेशित किया गया है। 10. नये निर्माण कार्य में प्राइवेट एवं सेमी-प्राइवेट वार्ड का प्रावधान किया जाएगा। 11. खराब बेड को बदलने के लिए समीक्षा की जा रही है, साथ ही नई बिल्डिंग में समस्थ नये उपकरणों एवं नये बेड की व्यवस्था की जायेगा। सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध है, उचित गुणवत्ता के संबंध में निर्देशित किया गया है। सुरक्षा गार्ड हेतु आरपीएफ विभाग को पत्र लिखा गया है, कार्रवाही जारी है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमडीः- 1 मद समाप्त 2- वर्तमान में नर्सिंग के 01 रिक्त पद को भरने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है। एक माह के अंदर नर्सिंग स्टाफ के पद को भर दिया जाएगा। 03- उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में मरीजों की सुविधा हेतु बॉयल्स उपकरण रेल चिकित्सालय बीना से शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही जारी है। 04- उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में लिपिक के 02 पद स्वीकृत हैं] जिसमें से 01 पद रिक्त है। पद भरने हेतु विभागीय परीक्षा हो चुकी है। जिस पर कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जा रही है। एक माह के अंदर लिपिकीय स्टाफ के पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। 5. टिप्पणी यथावत्।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	02.वर्तमान में नर्सिंग के 01 रिक्त पद को भरने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है। 03.उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में मरीजों की सुविधा हेतु बॉयल्स उपकरण रेल चिकित्सालय बीना से शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही जारी है। 04.उपमंडल चिकित्सालय इटारसी में लिपिक के 02 पद स्वीकृत हैं , जिसमें से 01 पद रिक्त है। पद भरने हेतु विभागीय परीक्षा हो चुकी है। जिस पर कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जा रही है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 05. एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में रिलीविंग ड्यूटी हेतु एक्स-रे टेक्नीशियन को भेजा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/भोपाल को GEM के माध्यम से एक्स-रे टेक्नीशियन को अनुबंधित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 06. उपमण्डल चिकित्सालय इटारसी में बाल रोग चिकित्सक एवं सोनोग्राफी विशेषज्ञ को अनुबंधित करने हेतु प्रयास किये गये थे, किन्तु कोई भी चिकित्सक अनुबंधित होने के लिये तैयार नहीं हुआ। आपात स्थिति में रेलवे कर्मचारियों कि सुविधा के लिये 03 निजी चिकित्सालयों को अनुबंधित किया गया है जहाँ सभी सुविधाऐं उपलब्ध हैं। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 07. इटारसी में सफाई का ठेका दिया जा चुका है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 08 एवं 09.चिकित्सालय में रिनोवेशन का कार्य जारी है। बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण पुनः बनाए जाने का प्रस्ताव इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा निरीक्षण कर संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं एवं नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्थान सुनिश्चित करने के लिये आदेशित किया गया है।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 10. नये निर्माण कार्य में प्राइवेट एवं सेमी-प्राइवेट वार्ड का प्रावधान किया जाएगा।अतः इस मद को समाप्त किया

	जाये। 11. खराब बेड को बदलने के लिए समीक्षा की जा रही है , साथ ही नई बिल्डिंग में समस् नये उपकरणों एवं नये बेड की व्यवस्था की जायेगा। सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध है, उचित गुणवत्ता के संबंध में निर्देशित किया गया है। सुरक्षा गार्ड हेतु आरपीएफ विभाग को पत्र लिखा गया है, कार्रवाही जारी है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमडीः—
MS/18/2025 PCMD	श्री विकास कोष्टी सहायक लोको पायलट न.क.ज. का कार्य के दौरान चपेट लगने पर बिना पूर्ण स्वस्थ हुए फिट किये जाने के संबंध में। कर्मचारी श्री विकास कोष्टी सहायक लोको पायलट न.क.ज. में कार्यरत है दिनाँक 10. 01.2023 को ट्रेन नं.-INS-159 को खन्ना बंजारी यार्ड में लोको चेक करते समय बाँये पैर में चोट लग गयी और कर्मचारी IOD सिक में उपमंडलीय चिकित्सालय नकज में रहा लेंकिन चोट में सुधार न होने पर दिनाँक 18.01.2023 को जबलपुर रिफर कर दिया गया जहाँ कर्मचारी ईलाजरत रहा और दिनाँक 27.04.2023 को फिट कर दिया गया।जबकि कर्मचारी बिना सहारे के चलने में असमर्थ था और पैर में सूजन आ जा रहा था। कर्मचारी फिट होने के बाद डिपो में रिपोर्ट किया लेकिन समस्या बनी होने के कारण दिनाँक 28.04.2023 से 15 दिन का स्वयं का अवकाश लेकर प्राइवेट डॉ. को दिखाया लेकिन वहाँ कोई लाभ न मिलने पर डिपो प्रभारी से निवेदन कर CMS में ड्यूटी किया लेकिन समस्या बनी रहने के कारण पुनः दिनाँक 22.08.2023 से सिंक में चला गया और जबलपुर में ईलाजरत् रहा। रेलवे चिकित्सालय जबलपुर में विभिन्न जाँच उपरान्त एवं लेफ्ट ऐकल में दर्द बने रहने के कारण कर्मचारी को JRH मुम्बई रेफर कर दिया गया जहाँ दिनाँक 16.10.2023 से 13.10.2023 तक भर्ती रहा और वहाँ के डॉक्टर ने ईलाज किया और कुछ दर्द में आराम मिलने पर जबलपुर बैक कर दिया और 03 माह के लाईट जॉब का सलाह दिया। लेकिन CMS जबलपुर ने ALP में कोई लाईट जॉब नहीं है और फिट कर दिया लेकिन Left Ankil में दर्द बने रहने और ALP जैसी कार्य करने में असमर्थ होने के कारण Sr. DEE से मिला जिसकी स्थिति देख कर Sr. DEE से 06 माह के लिए जबलपुर में Power Control में रिकार्डर के कार्य पर लगा दिया लेकिन दिनाँक 18.05. 2024 को उसको पुनः NKJ वापस कर दिया गया। कर्मचारी को CCOR न.क.ज. के द्वारा दिनाँक 04.06.2024 से 25.06.2024 तक रिफ्रेशर भेज दिया गया। रिफ्रेशर करने के उपरान्त कर्मचारी की स्थिति को देखते हुए विभाग ने वर्तमान में उसकी ड्यूटी FSD (फॉग सिंगनल डिवाइस) को देने और लेने के लिए लगा दिया गया। कर्मचारी के Ankil में अभी भी दर्द बना रहता है बिना स्टिक के सहारे नहीं चल सकता है। संघ का कथन है कि कर्मचारी श्री विकास कोष्टी दिनाँक 10.01.2023 से 27.04. 2023 तक IOD सिक में रहा लेकिन रेलवे चिकित्सालय द्वारा बिना पूर्ण आराम के A-1 चिकित्सा श्रेणी का कार्य करने के लिए फिट किया गया। लेकिन कर्मचारी की परेशानी कम नहीं हुई और बार-बार अपने सिक और अवकाश में रहकर ईलाज कराता रहा। वर्तमान में भी उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह ALP का कार्य कर सके। अतः संघ माँग करता है कि कर्मचारी श्री विकास कोष्टी ALP न.क.ज. की जाँच करायी जाय कि बिना पूर्ण आराम मिले IOD सिक से फिट क्यों किया गया और उसको IOD सिक में लेकर ईलाज किया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMD- श्री विकास कोष्टी सहायक लोको पायलट न.क.ज. दिनांक 10.01.2023 को पैर की चोट लगने के कारण आईओडी सिक लिस्ट में लेकर इलाज किया गया। मानसेवी विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा मरीज का MRI कराया गया जिसमें कुछ असामान्यता नहीं होने के कारण दिनांक 24.04.2023 को फिट करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात कर्मचारी को सर्दी जुकाम होने के कारण दिनांक 27.04.2023 को आईओडी सिक हटाकर स्वयं की सिक में रखा गया, तथा कर्मचारी को दिनांक 09.05.2023 को फिट किया गया। इसके पश्चात कर्मचारी को पुनः दिनांक 05.09.2023 को सिक में लिया गया, उन्हे अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा मुंबई भी रेफर किया गया, उपचार उपरांत दिनांक 14.11.2023 को कर्मचारी को फिट किया गया। रेलवे बोर्ड की गाइड लाईन के अनुसार लोको पायलट को लाईट जॉब का प्रावधान नहीं है।

	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत पीसीएमडीः- कर्मचारी की वर्किंग रिर्पोट मंगाकर समीक्षा की जाएगी। प्रशासनिक टिप्पणी टिप्पणी यथावत्। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमडीः– पीसीपीओः–सीनि.डीईई / टीआरओको एकसप्ताह के अंदरवर्किंगरिपोर्टपीसीएमडीकार्यालय कोभेजनेहेतुनिर्देशितकियाजाएगा।
MS/ 31/2025 PCMD PCCM KOTA/DIV.	टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा दवाईयों का वितरण बंद करवाने के संबंध में। उपरोक्त विष्यांर्तगत हाल ही में टिकट चेकिंग स्टाफ को आपातकाल मे यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेडीकल किट दी गई है परंतु टिकट चेकिंग स्टाफ के कर्मचारियों को दवाईयों की जानकारी न होने के कारण काफी खतरनाक एवं असुरक्षित स्थिति उत्पन्न हो रही है। दवाईया देते समय मरीज की वर्तमान स्थिति एवं मेडीकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है एवं उसके अनुरूप दवाईयों दी जाती है। गलत दवाई देने पर यदि कोई घटना घटित होती है तो ऐसे में टिकट चेकिंग स्टाफ को ही जिम्मेदार माना जायेगा , जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। गाड़ियों में आपातकाल के लिए दवाई वितरण टिकट चेकिंग स्टाफ से बंद करवाया जाये वैसे इस हेतु ट्रेन मेनेजर के पास पहले ही First Aid Box उपलब्ध है। हाल ही में कोटा मण्डल में एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया है कि जब टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा यात्री को दवाई दी गई तब यात्री ने जोर से हल्ला मचाया कि आपको दवाई देने का कोई ज्ञान नहीं है तो आप दवाईयों केसे दे सकते है एवं दवाई लेने के बाद यात्री ने यह भी बोला की उनकी तबीयत ओर खराब हो गई थी ,जिससे जनपरिवाद उत्पन्न हुआ एवं अन्य यात्रियों में भय भी उत्पन्न हुआ था। संघ का अनुरोध है कि टिकट चेकिंग स्टाफ से दवाई वितरण को बंद करवाया जाये अन्यथा सभी चेकिंग स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जावे एवं दवाईयों वितरण के लिए उपयुक्त स्टाफ पदस्थ करने का कष्ट करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। प्रशासनिक टिप्पणी **PCMD**-टिकिट चेकिंग स्टाफ द्वारा यात्रियों को दवाईयों के वितरण के संबंध में दिनांक 26.06,2024 को जारी जेपीओ के अनुसार संलग्न टिकट चेकिंग स्टाफ को 12 सैंपल मेडिसिन किट उपलब्ध करायी गयी हैं। टिकट चेकिंग स्टाफ के पास उपलब्ध किट सेदवाईयाँ डॉक्टर की सलाह के बाद यात्री को दिया जाता है ,जिसके लिये मेडिकल टीम रेलवे हॉस्पिटल में 24x7उपलब्ध रहती है। मेडिकल टीम द्वारा ऑडियो/वीडियो/व्हाट्सएप के द्वारा मरीज से बात कर Written massage के द्वारा मेडिसिन एडवाइस की जाती है।Tele consultation के दौरान यदि मरीज सीरियस होता है तो डॉक्टर तथा मेडिकल टीम अगले स्टेशन पर उपलब्ध होती है तथा आवश्यकता होने पर एंबुलेंस का प्रबन्ध किया जाता है। यह व्यवस्था चलती हुई ट्रेन में मरीज को सामान्य बीमारियों हेतु तुरंत चिकित्सा प्रदान करने हेतु की गई है, जिससे मरीजों को बहुत अधिक फायदा हो रहा है। (This procedure is in line with MOHFW esanjeevani guideline regarding Telemedicine.) **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** **पीसीएमडी**–पीसीसीएममहोदय से संयुक्तचर्चाकरआवश्यककार्यवाही की जाएगी।
MS/ 39/2025 PCMD KOTA DIV.	उप मण्डल चिकित्सालय गंगापुरसिटी से बैडों के स्थानान्तरण पर रोक लगाये जाने हेतु। संदर्भः- आपका पत्र संख्या एमडी/कोटा/सामा./ 1/06 दिनांक 12.04. 2025 उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित पत्रानुसार उप मण्डल चिकित्सालय गंगापुरसिटी से 25 बैडों को कोटा स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है , जिससे गंगापुरसिटी मुख्यालय पर कार्यरत रेल कर्मचारियों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है एवं कर्मचारियों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में संघ का कथन है कि बिना संघ की सहमति के एवं संघ को विश्वास में लिये बिना मण्डल पर इस

	प्रकार की कार्यप्रणाली उचित नही है। संघ इस प्रकार की कार्यप्रणाली का विरोध करता है। उप मण्डल चिकित्सालय गंगापुरसिटी , कोटा मण्डल पर गंगापुरसिटी मुख्यालय एवं हिण्डौनसिटी तक कार्यरत रेल कर्मचारियों एव उनके परिवारजनों व सेवानिवृत कर्मचारियों की मेडीकल सुविधा की दृष्टि से काफी सुविधाजनक है एवं प्रतिदिन लगभग 250 कर्मचारियों व परिवारजनों का ओपीडी में इलाज भी उप मण्डल चिक्त्सािलय गंगापुरसिटी में किया जा रहा है। अतः गंगापुरसिटी मुख्यालय से 25 बैडों के स्थानान्तरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। अतः संघ का पुनः अनुरोध है कि उप मण्डल चिकित्सालय गंगापुरसिटी से बैडों के स्थानान्तरण पर शीघ्र रोक लगाने का कष्ट करें जिससे गंगापुरसिटी एवं उसके आस पास स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों में व्याप्त असंतोश कम हो सकें। इस संबंध में की गई कार्यवाही से संघ को अवगत करायें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। संघ/पीएनएम/ 49 यातायात गंगापुरसिटी / दिनांक 21.04.2025
	प्रशासनिक टिप्पणी
	इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमडी–मंडलोंमेंमान्यताप्राप्तसंगठन से चर्चाकियेबिना इस तरह का प्रस्तावमुख्यालय न भेजें।
MS/ 45/2025 PCMD भोपालमंडल	रेलवे द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से आरईएलएचएस लाभार्थियों के लिए ओपीडी परामर्श और संबंधि जांच का प्रावधान। रेलवे बोर्ड का पत्र कमांक 2023/H/28/1RELHS/ Empananelled (CGHS) dated 02-01-2025 के अनुपालनार्थ मुख्यालय ने मंडलो को पत्र जारी किया, तदोपरांत मंडल ने अनुबंधित अस्पतालो को पत्र के अनुसार कार्य हेतु पत्राचार कर अपना पल्ला झाड़ लिया किंतु आज दिनांक तक एक भी अनुबंधित अस्पताल के पास इसके अनुपालन / बिल भुगतान हेतु दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए है। सभी अनुबंधित निजी अस्पताल आज भी ओपीडी के प्रकरणों में बिलों के भुगतान की व्यवस्था का न उपलब्ध होने का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे है , परिणाम स्वरूप 70 आयुवर्ग का रेल का सेवानिवृत्त स्टाफ रेल की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित होने से वंचित है। संघ आग्रह करता है कि उक्त योजना को धरातल पर लाने हेतु भुगतान संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की व्यवस्था करे । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	भोपाल मंडल पर सभी चिकित्सालयों को रेलवे बोर्ड के प्रावधान के तहत इलाज करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। तथा मंडल पर सभी अनुबंधित चिकित्सालयों द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिशा-निर्देशानुसार इलाज भी प्रदान किया जा रहा है। आज दिनांक तक 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 10 से 15 मरीजों द्वारा उपचार के बिल प्राप्त हो चुके हैं। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमडीः–भोपालमंडलसीएमएस से 70 वर्ष से अधिकआयु के लोगोंकोअनुबंधितचिकित्सालयोंमेंचिकितसाउपलब्ध करायीगयीहउसकीसूचीभोपालमंडल के संघ के पदाधिकारियोंकोप्रदान की जाए के संबंध मेंनिर्देशदिए गए हैंसाथहीपुनः अनुबंधितचिकित्सालयोंमेंचिकित्साहेतुनिर्देशजारीकियेजाएंगे।
MS/49/2025 PCMD भोपाल/ जबलपुरमंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की चिकित्सालय की समस्यायें तथा APHO को पदस्थ करने के कम में। मुख्यालय द्वारा जारी JPO क्रमांक WCR/HQ/05/GA/206/2020 दिनांक 16.04.2025 के दिए गए निर्देश अनुसार अब मंडलों को मुख्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों को स्थानांतरित किया गया है जिसमें आईटम क्रमांक 124 को बढ़ाया गया है तथा आईटम क्रमांक 6 को अब DMO के जगह सीएमएस द्वारा किया जाएगा वर्तमान में भोपाल मंडल में फार्मासिस्टों की कमी है ऐसे में यदि मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल को अतिरिक्त भार दिया जा रहा है तो एक APHO की पदस्थापना भी भोपाल मंडल की जाए ताकि उनके मार्गदर्शन में अन्य फार्मासिस्ट कार्य प्रणाली को समझ सकें और सुचारू रूप से कार्य कर सके।

2. मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल मंडल उप मंडल रेल चिकित्सालय इटारसी व बीना में COPA अप्रेंटिस की आवश्यकता है। संघ मांग करता है कि भोपाल में 10 इटारसी में 05 और बीना में 05 अप्रेंटिस देने का कष्ट करें।

3. HMIS में मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में रेडियोग्राफर, लैब अधीक्षक व फिजियोथैरेपिस्ट का एकमात्र पद होने से मरीज व प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ मांग करता है कि पैथोलॉजी लाइब्रेरी के रिक्त पड़े पदो एक मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में व एक पद उपमंडल रेल इटारसी ने) को शीघ्र भरा जाए।

4. HMIS में Server की समस्या लगभग हर दिन रहती है जिससे मरीजों सहित स्टॉफ को बहुत परेशानी होती है। ज्ञात हो कि मरीजों के बिल बिना HMIS पर एंट्री के पास नहीं होते हैं।

5. फार्मासिस्ट नर्सिंग, HA सहित सभी केटेगरी में यार्ड स्टिक के अनुसार पदो के सृजन किया जाना चाहिए। OPD औसत 500 के करीब प्रतिदिन होने से समस्या होती है।

6. 20 वर्षों से एक ही स्थान पर रहने से डॉक्टर के रवैये में रूखापन आ गई है इनका स्थानांतरण शीघ्र किया जाए।

7. है। डेंटल के दो यूनिट होने के बाद भी भोपाल में डेंटल डॉक्टर नहीं

8. नियमित फिजिशियन, सर्जन, आर्थो और डरमेटोलॉजिस्ट (त्वचा रोग) यूरो कंडिका सहित अन्य डॉक्टर की नियुक्ति शीघ्र की जावे ।

9. सोनोग्राफी, ECO, TMT की मशीन खराब होने से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं जबकि पहले यह जांच मध्य रेल चिकित्सालय भोपाल में ही हो जाती है।

10. भोपाल मण्डल में BINA-GUNA-SIV-MKS सेक्शन लम्बा क्षेत्रफल होने के कारण कई रेल कर्मचारी इन क्षेत्रो में रहते हैं जो कभी दुर्घटना के शिकार होते है कई गम्भीर बीमारी से पीड़ित होते है जो चल फिर नहीं सकते है उन्हे गुना डिस्पेंसरी में दिखाने जाना पड़ता है। पर्याप्त इलाज न होना एवं सिक में 5-6 दिन रखना है जबकि रेल कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता है ऐसे में रेल कर्मचारी को भोपाल मण्डल चिकित्सालय भेजा जाता है। अतः मण्डल में बीना , गुना, इटारसी में ए. सी.एम.एस को पदस्थ किया जाए जो रेल्वे के हित में होगा व रनिंग स्टॉफ के मेडिकल वहाँ होने लगेंगे। ACMS के पोस्ट होने से वहाँ PME की सुविधा भी हो सकती हैं।

11. कर्मचारियों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण (Annual Health Checkup) की गुणवत्ता में सुधार हेतु। संघ की मांग पर इन दिनों रेलवे कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है , जो कि एक अत्यंत सराहनीय पहल है। परंतु संघ को यह खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण को केवल एक औपचारिकता बनाकर सीमित कर दिया गया है। वर्तमान में चल रहे परीक्षण में केवल चार आधारभूत पैरामीटर्स वजन , लंबाई, ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की जांच की जा रही है , के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के समय तथा जांचें कहीं अधिक व्यापक स्तर पर की जाती हैं। चिकित्सा विभाग पर अनावश्यक दबाव ना पड़े, इसके लिए यह आवश्यक है कि गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सके। इसके लिए निम्नलिखित जाँचों को सभी कर्मचारियों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए:

Complete Blood Count (CBC), Liver Function Test (LFT) Kidney Function Test (KFT) Urine Analysis, ECG (Electrocardiogram)Cardiac Marker Tests विशेषकर कोविड के बाद हृदयाघात की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए ।

महिला कर्मचारियों हेतु Cervical व Breast Cancer की प्रारंभिक जांचें , जो आजकल सरलता से उपलब्ध हैं।

अतः संघ मांग करता है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर शीघ्र सकारात्मक विचार कर स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया को वास्तविक अर्थों में प्रभावी बनाया जाए।

उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।

प्रशासनिक टिप्पणी

1. मुख्यालय से जारी JPO क्रमांक WCR/HQ/05/GA/206/2020 दिनांक 16.04.2025, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन एवं पूर्व में जारी JPO की कमियों को दूर किया गया है , जिससे मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल पर वर्तमान की तुलना में कोई अतिरिक्त भार नहीं आयेगा। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।

2. मद कार्मिक विभाग से संबंधित है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये।

3. मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में रेडियोग्राफर का कोई पद रिक्त नहीं है। लैब अधीक्षक के रिक्त पद को भरने हेतु जैम पोर्टल से पद भरने की कार्रवाही की जा रही है।

4. एचएमआईएस में सर्वर डाउन होने एसएनटी विभाग से संबंधित है। सर्वर डाउन होने की स्थिति में मरीजों को

	मैन्युअली दवा लिखकर प्रदान की जाती है। 5. फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एवं एच.ए. कैटेगरी के पदों का वर्क स्टडी के बाद सृजन किया जाएगा। 6. वरि. चिकित्सकों के स्थानांतरण किए जाने का प्रकरण रेलवे बोर्ड स्तर का है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 7. पार्ट टाइम दंत रोग चिकित्सक की पदस्थापन की जा चुकी है।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 8. नियमित फिजिशियन, एचवीएस सर्जन एवंएचवीएस ऑर्थो की पदस्थापना हो चुकी है।अतः इस मद को समाप्त किया जाये। 9. सोनोग्राफी एवं टी.एमटी. मशीन की कोडल लाइफ पूर्ण हो जाने के कारण कंडम की करवाही जारी है। नये उपकरणों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। 10. उप मंडल रेल चिकित्सालय बीना एवं इटारसी तथा स्वा. केन्द्र गुना में एसीएमएस स्तर के चिकित्सक की पदस्थापन का प्रकरण मुख्यालय स्तर का है। बीना एवं इटारसी में चिकित्सकों को चिकित्सा परीक्षण हेतु ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के उपरांत चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 11. भोपाल मंडल पर कर्मचारियों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में आवश्यक सभी जांच की जाती है एवं कोई बीमारी पाए जाने पर कर्मचारी की सभी आवश्यक जांच एवं उपचार किया जाता है। आवश्यकता अनुसार मरीज ओपीडी में भी जॉच करा सकता है। अतः इस मद को समाप्त किया जाये। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमडीः–अलग से चर्चा की जाएगी।
MS/ 59/2025 PCMD जबलपुरमंडल	कर्मचारी श्री जितेन्द्र कुमार मालवीय, ट्रेकमेंटेनर-I, एसएसई पीवे ब्यौहारी को दिनांक 29.01.2025 से आज दिनांक तक सिक में लेने के संबंध में। कर्मचारी श्री जितेन्द्र कुमार मालवीय, ट्रेकमेंटेनर। एसएसई पीवे ब्यौहारी का कार्य के दौरान दिनांक 21.11.2023 को गिर जाने के कारण दाहिने पैर का लिगामेंट एंव मिनिशकरा फट गई , जिसका ऑपरेशन दिनांक 20. 12.2023 को हुआ था। दिनांक 12.02.2024 को बिना किसी सूचना के कर्मचारी को लाईट जाब प्रदान कर दिया जबकि कार्य करने में असुविधा हो रही है , दो माह के लाईट जाब के बाद पुनः दिनांक 18.04.2024 को सिक लगाकर जबलपुर रेलवे अस्पताल में पुनः फिजियोथेरेपी के लिये एडमिट किया गया, जिसमें आर्थो के डाक्टर द्वारा पुनः 2 माह का लाईट जाब दिया गया , दिनांक 30.04.2024 को लाईट जाब के लिये मना कर दिया एवं डाक्टर ने भविष्य में कर्मचारी को कार्य करने के लिये सक्षम है या नहीं की सलाह मांगी , जिसमें डाक्टर द्वारा शसल्स चार्ट एवं फिजिशियन की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.06.2024 को सीएमएस को लिखकर दिया। कर्मचारी बिथ सपोर्ट प्लेन सरफेश में चल सकता है एवं कर्मचारी लाईट ड्यूटी करायी जाये। इलाज उपरांत नये डाक्टर अमरनाथ सर आ गय उन्होनें दिनांक 10.07.2024 को फिट टू ओरिजनल ड्यूटी लिखा , पैर में समस्या के चलते कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर दिल्ली गया , जिसमें दिनांक 16.07.2024 से 24.07.2024 तक एमआरआई एवं इलाज किया , घुटने में समस्या एवं कमजोरी को देखते हुये , दो माह का लाईट जाब पुनः दिया गया। दिनांक 20.01.2025 को सिक लगाकर जबलपुर में फिजियोथैरेपी के लिये एडमिट किया गया एवं दिनांक 27. 02.2025 को इलाज कर 10 से 12 दिन बाद फिर स्वास्थ्य बिगड़ फिर पुनः डाक्टर के द्वारा बिना सूचना के 25.03.2025 को फिट ड्यूटी के लिये डिस्चार्ज कर दिया कर्मचारी ने एमडी से प्रार्थना कर अपनी समस्या बातायी उन्होने सीएमएस के पास भेजा जिसमें कर्मचारी को मुंबई भेजा गया दिनांक 31.03.2025 से 19.04.2025 तक कई डाक्टर की टीम के द्वारा फिजियोथैरेपी , ओक्येपेशनल थैरेपी करायी गई जिसमें वाये पैर पर मसल्स पावर 300 प्रतिशत जबकि दाये पैर पर मसल्स पावर 56 प्रतिशत है, डाक्टर के द्वारा बताया गया कि आपरेशन के समय 2 से 5 महीने लंबे समय तक पैर को झुलाकर बैठने से पैर में जकड़न और दर्द है। अतः कर्मचारी की दिनांक 29.01.2025 से आज दिनांक तक सिक चालू है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** कर्मचारी श्री जितेंद्र कुमार मालवीय, ट्रैकमेंटेनर-1, एसएसई पीवे, ब्यौहारी, दिनांक 29.01.2025को इलाज हेतु उपस्थित हुआ। कर्मचारी को सिक लिस्ट में रखकर केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर इलाज हेतु रेफर किया गया। दिनांक 31.01.2025 से 25.03.2025 तक कर्मचारी का हड्डी रोग विशेषज्ञ , केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर द्वारा इलाज किया गया। कर्मचारी को दिनांक 25.03.2025 को वायख्ला, मुंबई आर्थो विभाग में रेफर किया गया। कर्मचारी का दिनांक 03.04.2025 से 19.04.2025 तक इलाज होने से कर्मचारी के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने से लगातार फिजियोथरेपी की सलाह देकर दिनांक 19.04.2025को केंद्रीय चिकित्सालय जबलपुर में वापस रेफर किया गया। कर्मचारी को दिनांक 25.04.2025को भर्ती कर दिनांक 24.05.2025तक लगातार फिजियोथरेपी दी गयी

	कर्मचारी के स्वास्थ्य लक्षणों में सुधार होने पर हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक , केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर द्वारा दिनांक 25.05.2025को ड्यूटी के लिये फिट की अनुशंसा की गयी है। **<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u>** पीसीएमडीः—कर्मचारीकी एकमाह की सिकअवधि बढ़ा दीगयीहैइसकेपश्चातकेस का रिव्यूकियाजाएगा। स

MS/ 48/2022 DGM PCE PCEE	महाप्रबंधक कार्यालय की समस्याओ के संबंध में। महाप्रबंधक कार्यालय, पमरे, जबलपुर में विभिन्न विभागो के कार्यालय है। जिनमें लगभग 1500 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। पमरे के जोन के गठन को 19 वर्ष हो चुके है परन्तु अब तक कर्मचारियो को पर्याप्त सुविधाएँ नही मिल सकी है संघ निम्न समस्याओ को रेल प्रशासन के समक्ष त्वरित समाधान के लिए रख रहा है। संघ के निरंतर अनुरोध उपरांत मुख्यालय के एकाउंटस , विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में एयर कूलर लगा दिये गये है एवं चालू कर दिया गया है। इसके लिये संघ प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता है। परन्तु संघ को कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभाग में लगाये गये कूलर्स का इस वर्ष रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः संघ पुनः अनुरोध करता है कि मुख्यालय के अन्य विभागों में भीएयर कूलिंग की शीघ्र व्यवस्था कराये एवं लगाये गये एयर कूलिंग के बेहतर मेंटेनेस/रखरखाव हेतु समुचित उपाय किये जाएं। मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण एवं सुव्यवस्थित किये जाने बावत्। मुख्यालय में कर्मचारियों को दो पहिया वाहन पार्किंग करने हेतु जगह की कमी हो रही है क्योंकि वर्तमान में एनेक्स-- 2 भवन स्थित पार्किंग हटा दिये जाने के कारण एस एंड टी एवं ऑडिट विभाग के कर्मचारियों के वाहन भी महाप्रबंधक कार्यालय में पार्किंग हो रहे हैं। कर्मचारियों के वाहन धूप-बरसात से खराब हो रहे हैं। अतः संघ मुख्यालय महाप्रबंधक कार्यालय में दो पहिया वाहनों के पार्किंग के महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के विस्तारित एवं सुव्यवस्थित करने का अनुरोध है। ऊपर लगाई गई शेड सीट जगह जगह से टूट गई है जिससे बरसात के पानी का पूरे कॉरीडोर में फैलने से भारी परेशानी हो रही है। अतः कॉरिडोर के शेड की सीट को बदला जाए । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध "फर्नीचर (टेबिल चेयर) वर्षों पुराना होने की वजह से काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। DGM कार्यालय से जारी फर्नीचर मॉड्यूल ग्रेड पे (लेवल) वाइज फर्नीचर निर्धारित किया गया था परन्तु अब तक कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुरूप फर्नीचर रेल प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया है। कुछ विभागो में मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है जबकि ज्यादातर विभागो में उक्त सुविधा अपेक्षित है। अतः संघ मांग करता है कि महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागों में पुराना फर्नीचर बदल कर मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए । संघ इस संबंध में पीएनएम में विस्तृत चर्चा चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM-(1) इस संबंध में विघुत विभाग को पत्र भेजा गया है । अग्रिम कार्यवाही विघुत विभाग द्वारा की जानी है। (2) शीट ठीक करा दी गयी है। अतः इस कार्यालय से मद को समाप्त किया जाये। इस कार्य का जवाब मद क्र. 107/2023 में दिया जा चुका है। पीसीई- 1. इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है। 2. मुख्यालय में वाहन स्टैंड के विस्तारीकरण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है। विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ करने से पहले IOW का ऑफिस शिफ्ट किया जाना है जिसके लिये रिक्त कवार्टर में शिफ्ट करने हेतु आवेदन किया है। आवंटन होने के बाद कार्य किया जायेगा। 3.महाप्रबंधक कार्यालय में कैन्टीन के पास से रिसेप्शन की आने जाने वाले कॉरीडोर के ऊपर लगाई गई शेड सीट को बदल दिया गया है। मद समाप्त किया जाए। 4. महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ''फर्नीचर उपलब्ध करने का कार्य इंजीनियरिंग विभाग से सम्बंधित नहीं है GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मंडल वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है। **PCEE**- मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत

	पीसीईईः-इस सम्बंध में आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मंडल वित्त प्रबंधक,जबलपुर के पास भेजा गया है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM-(1) इस संबंध में विघुत विभाग को पत्र भेजा गया है । अग्रिम कार्यवाही विघुत विभाग द्वारा की जानी है। (2) शीट ठीक करा दी गयी है। अतः इस कार्यालय से मद को समाप्त किया जाये। इस कार्य का जवाब मद क्र. 107/2023 में दिया जा चुका है।
MS/ 76/2023 DGM PCEE PCSTE	महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त विभागो में मोड्युलर फर्नीचर एवं सेन्ट्रलाइज्ड एसी उपलब्ध कराने बावत् । महाप्रबंधक कार्यालय के विभिन्न विभागो में वर्षो पुराना फर्नीचर कर्मचारियों के कार्यालय में लगा हुआ है जो देखने में भद्दा प्रतीत होता है तथा अव्यवस्थ तरीके से बैठाया गया है। केवल इंजीनियर व भंडार विभाग में ही मॉडयूलर फर्नीचर, परिचालन, कार्मिक, इलेक्ट्रीक, मैकेनिकल, एण्एण्डटी सामान्य प्रशासन आदि विभागो में मॉडयूलर फर्नीचर नहीं लगाने से कर्मचारियों के कार्यालीन कार्य करने में असुविधा हो रही है इसी प्रकार एकाउन्ट, इलेक्ट्रीकल व मैकेनिकल विभागो को छोडत्रकर अन्य विभागो मे सेन्ट्रालाइज्ड एसी की सुविधा मुहैयार न होने से ग्रीष्म काल में कर्मचारियों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ता है । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM-(1) सामान्य प्रशासन विभाग में मॉडुलर आफिस Setup किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। (2) सामान्य प्रशासन विभाग में Centralised AC लगाये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। एवं उक्त कार्य हेतु धनराशी, संबंधित मद में Approval लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त दोनों कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जायेगें । अतः उपरोक्त मद को समाप्त किया जाए । **PCSTE::**मोड्युलर फर्नीचर के रिवन्यु में फंड ना होने के कारण मुमकिन नही हो पा रहा है। हालाकि सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिये आवश्यक फर्नीचर कार्यालय में उपलब्ध है। मोड्युलर फर्नीचर का प्रावधान प्रकियाधीन है। केन्द्रीकृत वातानुकूलित के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.09.2023 समसंख्यक पत्र दिनांक 11.03.2024 समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2024 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। **PCEE-** मिटींग में चर्चा की जायेगी। PCEE-मॉडयूलर फर्नीचर हेतु प्रक्रिया जारी है। निधि उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। GM office & core office building में एयर कूलिंग के लिए आईआरपीएसएम पर प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा वरि.मं.वित्त प्रबंधक/जबलपुर के पास भेजा गया है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	DGM-(1) सामान्य प्रशासन विभाग में मॉडुलर आफिस Setup किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। (2) इस संबंध में विघुत विभाग को पत्र भेजा गया है । अग्रिम कार्यवाही विघुत विभाग द्वारा की जानी है। उपरोक्त दोनों कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जायेगें । अतः उपरोक्त मद को समाप्त किया जाए ।
MS/107/2023 DGM	महाप्रबंधक कार्यालय में वाहन स्टेन्ड की अव्यवस्थाओ को सुधारने के संबंध में। महाप्रबंधक कार्यालय में वाहन स्टेन्ड कर्मचारियो अधिकारियो की संख्या के अनुरूप काफी कम है। शैड सहित वाहन स्टेन्ड के विस्तार के संबंध में संघ पीएनएम कमांक के माध्यम से केन्द्रीय रेल चिकित्सालय के पीछे स्थित कॉलोनी महाप्रबंधक कार्यालय के मध्य खाली स्थान पर अतिरिक्त वाहन स्टेन्ड बनाने का निर्णय हुआ था परन्तु खेद है कि अब तक वाहन स्टेन्ड उपलब्ध नहीं हो सका । अतः संघ पुनः मांग करता है कि पीएनएम के निर्णयानुसार शेड सहित वाहन स्टेन्ड का चयनित स्थान पर तैयार किया जाना है। साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहन के पार्किग लेवल उपलब्ध कराने के बावजूद बाहर के लोगो के वाहन बिना रोकटोक के महाप्रबंधक कार्यालय में पार्क किये जाते है जिससे कार्यालय की सुरक्षा को खतरा होने के

	साथ वाहन चोरी की आशंका प्रबल हो रही है। साथ ही रेल कर्मचारियो को वाहन पार्क करने का स्थान कम पड़ रहा है।अतः उपरोक्त व्यवस्था को दुरूस्थ कर बाहरी व्यक्तियो के वाहन पार्किंग पर कड़ी रोक लगाई जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **DGM-** "वर्तमान में वाहन पार्किंग चयनित स्थान में ही की जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या एवं वाहनों की स्थिति को देखते हुए नए पार्किंग स्टेंड हेतु स्थान वे.से.रेलवे मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री श्री सतीष कुमार, ए.ई.एन/मुख्या/पमरे, श्री मनोज प्यासी, ए.एब्ल्यू.एस.ओ./सा.प्रष./मुख्या, श्री अतुल मिश्रा एवं मुख्य जॉनिटर/सा.प्रषा./मुख्या श्री व्ही. के. गौतम की समिति द्वारा चयनित किया जा चुका है । इस कार्य को umbrella 2023.24 में sanction किया जा चुका है। इस कार्य हेतु लगभग 97 Lakh का estimate बनाकर IRPSM में division vetting हेतु दिनांक 07.12.2023 भेजा गया है। Division finance की vetting उपरांत इसे HQ vetting एवं GM Approval हेतु भेजा जाएगा इस कार्यालय हेतु अग्रिम कार्यवाही इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जानी है। अतः इस मद को इस कार्यालय से समाप्त किया जायें। HQ में सभी विभागों के कार्यालय स्थित हैं जिसमें मंडल एवं अन्य - अन्य स्थानों से अधिकारी एवं कार्मचारी आते रहते हैं। बाहरी व्यक्तियों एवं अनाधिकृतवाहन पार्किंग रोकने हेतु RPF को निर्देषित किया जा चुका है। अतः इस मद को इस कार्यालय से समाप्त किया जायें।" **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** NIL **प्रशासनिक टिप्पणी** वर्तमान में वाहन पार्किंग चयनित स्थान में ही की जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या एवं वाहनों की स्थिति को देखते हुए नए पार्किंग स्टेंड हेतु स्थान वे.से.रेलवे मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री श्री सतीष कुमार , ए.ई.एन/मुख्या/पमरे, श्री मनोज प्यासी , ए.एब्ल्यू.एस.ओ./सा.प्रष./मुख्या, श्री अतुल मिश्रा एवं मुख्य जॉनिटर/सा.प्रषा./मुख्या श्री व्ही. के. गौतम की समिति द्वारा चयनित किया जा चुका है । इस कार्य को umbrella 2023.24 में sanction किया जा चुका है एवं अग्रिम कार्यवाही इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जा रही है। अतः इस मद को इस कार्यालय से समाप्त किया जायें। HQ में सभी विभागों के कार्यालय स्थित हैं जिसमें मंडल एवं अन्य - अन्य स्थानों से अधिकारी एवं कार्मचारी आते रहते हैं। बाहरी व्यक्तियों एवं अनाधिकृतवाहन पार्किंग रोकने हेतु RPF को निर्देषित किया जा चुका है। अतः इस मद को इस कार्यालय से समाप्त किया जायें।
MS/17/2025 DGM	महाप्रबंधक कार्यालय पमरे में अवैध पार्किंग व पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में। महाप्रबंधक कार्यालय पमरे में लगभग 1500 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत है परन्तु रेल प्रषासन द्वारा चार पहिया , दो पहिया वाहनो के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध नही कराया गया है जिस संबंध में संघ द्वारा लगातार पीएनएम के माध्यम से प्रषासन के समक्ष रखा परन्तु खेद है समस्या के समाधान की दिषा में कोई खास प्रगति नही हुई। पार्किंग के स्थानाभाव के कारण आये दिन वाद विवाद की स्थिति बनती है। रेल प्रषासन ने वाहनो के लिए स्टीकर्स प्रदान किये है परन्तु बाहर के लोगो को वाहन पार्किंग की विषेष सुविधा दी जाती है, कार्यालय बंद होने व अवकाष के दिनो में भी वाहन स्टेण्ड में सैकड़ो बाहरी वाहन पार्क रहते है जबकि उस समय केवल कंट्रोल ऑफिस क्लीनिंग व सिक्यूरिटी स्टॉफ के आलावा कुछ गिने चुने कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर रहते है बाहरी लोगो के वाहन पार्किंग की वजह से ही महाप्रबंधक कार्यालय के कर्मचारियो / अधिकारियो को पार्किंग की वजह से ही जूझना पड़ता है। अतः संघ मांग करता है कि महाप्रबंधक कार्यालय में केवल स्टीकर युक्त वाहनो को ही पार्किंग में प्रवेष दिया जाये व बाहरी वाहनो के वाहन की पार्किंग को सख्ती से रोक दिया। प्रति सप्ताह बाहरी व्यक्तियो के वाहनो की जाँच कर कार्यवाही की जाये।उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** **DGM-** 1. इस विषय को संज्ञान में लेते हुए, अतिरिक्त स्थान आवंटन हेतु एवं वाहन पार्किंग की सुगमता व अनुकूलता हेतु, वरि.उप.महाप्रबंधक व उप.महाप्रबंधक द्वारा स्वयं संभावित स्थान का निरीक्षण किया गया एवं इस हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए । जिसे Minutes of Meeting, दिनांक-17.02.2025 में वर्णित किया गया है ।

	इसी अनुसार इस कार्यालय पत्र क्र- पमरे/मुख्या./ 0100/सामा.प्रशा./पार्किंग_1, दिनांक-18.02.2025 में वरि.मण्डलइंजीनियर (सा) / जबलपुर को उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है । एवं पूर्व में इस कार्यालय पत्र क्र- पमरे/मुख्या./ 0100/सामा.प्रशा./जी.एम.बिल्डिंग_3, दिनांक-12.08.2024 के अनुसार वरि.मण्डल इंजीनियर (सा) / जबलपुर को वाहन स्टैंड में टीन शेड बनाने हेतु , वरि.उप.महाप्रबंधक के अनुमोदन उपरांत, उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है । वर्तमान में उपरोक्त दोनों कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसे जल्द ही क्रियावान्वित किया जाएगा । 2. महाप्रबंधक कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग रोकने के संबंध में । इस संदर्भ में, दिनांक- 22.02.2025 (शनिवार) को RPF के साथ इस कार्यालय द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था । जिसका उद्देश बाहरी अनाधिकृत वाहनो व अवैध्य स्टिकर वाले वाहनो के प्रवेश को रोकना था । Joint Survey Report, दिनांक-22.02.2025 में की गई कार्यवाही का विवरण है । इसी प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर की जाएगी जिससे बाहरी अनाधिकृत वाहनो के प्रवेश को रोका जा सके ।पिछली बैठक दिनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	1. इस विषय को संज्ञान में लेते हुए , अतिरिक्त स्थान आवंटन हेतु एवं वाहन पार्किंग की सुगमता व अनुकूलता हेतु , उप.महाप्रबंधक, मुख्य जॉनिटर/सा.प्रषा./मुख्या एवं इंजीन्यरिंग विभाग द्वारा संभावित स्थान का निरीक्षण किया गया एवं इस हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए । जिसे Minutes of Meeting, दिनांक-17.02.2025 में वर्णित किया गया है । इसी अनुसार इस कार्यालय पत्र क्र- पमरे/मुख्या./ 0100/सामा.प्रशा./पार्किंग_1, दिनांक-18.02.2025 मेंवरि.मण्डल इंजीनियर (सा) / जबलपुर को उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है । एवं पूर्व में इस कार्यालय पत्र क्र- पमरे/मुख्या./ 0100/सामा.प्रशा./जी.एम.बिल्डिंग_3, दिनांक-12.08.2024 के अनुसार वरि.मण्डल इंजीनियर (सा) / जबलपुर को वाहन स्टैंड में टीन शेड बनाने हेतु , वरि.उप.महाप्रबंधक के अनुमोदन उपरांत, उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है । वर्तमान में उपरोक्त दोनों कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसे जल्द ही क्रियावान्वित किया जाएगा । 2. महाप्रबंधक कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग रोकने के संबंध में । इस संदर्भ में, दिनांक- 22.02.2025 (शनिवार) को RPF के साथ इस कार्यालय द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था । जिसका उद्देश बाहरी अनाधिकृत वाहनो व अवैध्य स्टिकर वाले वाहनो के प्रवेश को रोकना था । Joint Survey Report, दिनांक-22.02.2025 में की गई कार्यवाही का विवरण है । इसी प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर की जाएगी जिससे बाहरी अनाधिकृत वाहनो के प्रवेश को रोका जा सके।
MS/52/2025 **DGM** DY.CPO/RECT DY.CPO/GAZ DY.CPO/HRD PCEE भोपलमंडल	भोपाल एवं जबलपुर मंडल की कार्मिक विभाग की समस्याएँ तथा GDCE 01/22 को फाइनल करने के क्रम में । 1. कार्मिक शाखा के कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तथा कुछ विभागों में आवश्यकता से कम मिनिस्ट्रियल स्टॉफ सदस्य है इसके निराकरण हेतु कार्मिक शाखा के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टॉफ की पिन प्वांइटिंग जो वर्षों से लंबित है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर रेलवे इंटर डिवीजन एवं एडीईएन सबडिवीजन टू सबडिवीजन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जा रही है , जबकि कर्मचारी एचआरएमएस से भेज चुका है। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है , एवं जिनके स्थानांतरण हो गए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। 2. सभी विभागों में प्रमोशन समय से एवं उचित कम जैसे 4200/- से 4600/2800/- से 4200/2400/- से 2800/ 1900/-से 2400/- 1800/- से 1900 क्रम में प्रमोशन किए जाये।लगभग सभी विभागों में छुट्टियां एचआरएमएस के माध्यम से दी जा रही हैं लेकिन उसे संबंधित सुपरवाइजर एवं अधिकारियों द्वारा माह के अंतिम दिनों में या माह खत्म होने के बाद स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होगी या अस्वीकृत होगी। संघ का सुझाव है कि कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति आस्वीकृति की जानकारी उसके अवकाश तिथि के 12 घंटे पहले दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो अवकाश स्वतः स्वीकृत माना जाए । विभिन्न प्रापत्रो की रिसीविंग कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष एवं कर्मचारियों को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टी.ए.बिल कोई भी एप्लीकेशन अन्य विभिन्न प्रकार के

	आवेदन सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस के लिए जाये। जिससे पत्र जमा करने की डेट एवं टाइम डिटेक्ट हो सके। 3. GDCE नोटीफिकेशन 01/2022 की प्रोसेस काफी धीमी हो रही है , शीघ्र पूर्ण की जाए। 4. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित करने के संबंध में। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभी हालो में पार्टीसन कर अलग-अलग सेक्षन बनाये गये है जिसके कारण कूलर की हवा पूरे हाल को ठंडा नहीं कर पाती न ही हवा आती है अतः संघ की मांग है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर को वातानुकूलित किया जाये। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** DGM – मिटींग में चर्चा की जायेगी।

MS/31/2020 PCMM	नॉन मिनिस्ट्रियल (DMS) कैडर मुख्यालय का कैडर कन्ट्रोल कटनी से पृथक कर मुख्यालय नियंत्रित करने के संबंध में । उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने संघ को अवगत कराया है कि मुख्यालय में कार्यरत नॉन-मिनिस्ट्रियल स्टॉफ (DMS) का कैडर कटनी के साथ मर्ज है तथा SMM/D/NK.J के अधीन नियंत्रित किया जाता है जिसमें मुख्यालय के 14 पद तथा कटनी के 16 पद अर्थात कुल 30 पद स्वीकृत हैं। मुख्यालय के भंडार विभाग के मिनिस्ट्रियल कैडर समेत मुख्यालय के विभिन्न विभागों के लगभग सभी कैडरो का मुख्यालय से ही पृथक रूप से नियंत्रित है। मुख्यालय के DMS कैडर के कर्मचारियों ने मिनिस्ट्रियल कैडर की भांति मुख्यालय से ही पृथक रूप से नियंत्रित करवाने का आग्रह किया है ताकि भंडार विभाग में एक रूपत्ता तथा एक समान नीति रहे । अतः संघ मांग करता है कि मुख्यालय में कार्यरत DMS कैडर को कटनी से अलग कर पृथक रूप से मुख्यालय नियंत्रित करने की व्यवस्था करें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है। **प्रशासनिक टिप्पणी** इस संबंध में प्रशासन का मत है कि इससे कटनी कैडर के अन्य कर्मचारियों का हित भी प्रभावित होगा एवं भविष्य में प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ई-ऑफिस एवं एचआरएमएस के लागू हो जाने के कारण कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। **पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त** टिप्पणी यथावत् **प्रशासनिक टिप्पणी** इस संबंध में प्रशासन का मत है कि इससे कटनी कैडर के अन्य कर्मचारियों का हित भी प्रभावित होगा एवं भविष्य में प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ई-ऑफिस एवं एचआरएमएस के लागू हो जाने के कारण कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है।" **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमएमः—पीसीएमएम एवंपीसीपीओसंयुक्त रूप से प्रकरण का अवलोकनकरनिर्णय लेंगे।
MS/16/2024 PCMM PCEE PCME PCE PCSTE	मंडल में उच्च गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराने के संबंध में। संदर्भः- (1) रेलवे पत्र क्र.-2017/Transt. cell/civil/03, दि-05.02.2018 (2) रेलवे पत्र क्र.-2018/TF cell/S&T/S&T Uniform, दिक-05.03.2019 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) ट्रैकमैन/कीमैन/पेट्रोलमैन, सिग्नल के टेक्नीशियन / हेल्पर, TRD के टेक्नीशियन / हेल्पर एवं मैकेनिकल के ART व ARME में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक बार रेन कोर्ट, दो वर्ष में एक बार विण्टर जैकेट, एक वर्ष में दो बार सेफ्टी शूज, ल्यूमिनियस वेस्ट एक वर्ष में दो बार,

	ट्रॉई कलर टॉर्च वर्ष में एक बार प्रदान किया जाना है। जिसकी कीमत भी उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार क्रमशः रू-1200, रू.-2500, रु.-1400, रू.-500 और रू. 1000 निर्धारित किया गया है लेकिन संदर्भित पत्रानुसार (1) एवं (2) के अनुसार जिन कर्मचारियों को प्रोटेटिक्व गियर्स दिया जाना है जितने समय में दिया जाना है वह नहीं दिया जा रहा है न ही रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार उस गुणवत्ता का दिया जा रहा है जबकि रेलवे बोर्ड ने कम्पनी तक भी निर्धारित किया है। सेफ्टी शूज ऐसा दिया जा रहा है जिसका ग्रिप अच्छा न होने के कारण कर्मचारी गिरकर घायल हो रहे हैं। संघ का कथन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार व जो समय सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार प्रोटेक्टिव गियर्स का वितरण सुनिश्चित किया जाये नहीं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित रकम का भुगतान वेतन पत्रक के माध्यम से किया जाये जिस प्रकार यूनिफार्म का किया जाता है जिससे कर्मचारी गुणवत्ता व नाप के अनुसार खरीद कर प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर सके। जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCME -इस मद के अनुसार यांत्रिक विभाग के सभी मंडलों एवं कारखानो में वर्ष 2023-24 में दिय गये सभी (प्रोटेक्टिव गियर्स) रेन कोट, विण्टर जेकेट ,ल्यूमिनियसवेस्ट ,सेफ्टी सूज उच्च गुणवत्ता के प्रदान किये गये है। पी.सी.एम.एम. - कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किया जा रहा है | इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralisedप्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अतः मद को समाप्त किया जा सकता है। सडिपुका/भोपाल :- कारख़ाना भोपाल में सेफ़्टी शूज का Dimension & IS Specification के हिसाब से खरीदा जा रहा है | **PCEE**-भोपाल मंडल- टीआरडी विभाग के सेफ्टी केटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को रेनकोट, विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज़ रेट्रोफ्लेक्टिव जेकेट, ट्राई कलर टॉर्च नियमानुसार दिये जा रहे है एवं मंडल के कर्मचारियों के सेफ्टी गियर्स की गुणवत्ता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर मंडल- जबलपुर मंडल के टीआरडी विभाग के हेल्पर्स एवं टेक्नीषियनों को रेन कोट, विन्टर जैकेट, सेफ्टी शूज एवं ल्यमिनस वेस्ट आदि का वितरण समय-समय पर किया जाता है। कोटा मंडल- 1. टीआरडी विभाग के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में सेफ्टी फुटवियर माह जनवरी 2025 में वितरण कर दिये गये है। 2. रेनकोट माह अगस्त 2024 में वितरण कर दिये गये है। 3. ल्यूमिनियस वेस्ट जैकेट को माह जूलाई 2024 में वितरण किया गया है। 4. विंटर जैकेट को माह दिसम्बर 2024 में वितरण किया गया है। 5. ट्राईकलर एलईडी टॉर्च को माह अगस्त 2024 में वितरित किया गया है। टीआरडी विभाग मे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु उचित गुणवत्ता के सेफ्टी फुटवियर वितरित किये गये है। विभाग के सभी कर्मचारी संतुष्ट है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	पीसीएमएमः- अच्छी गुणवत्ता के जूते जूलाई 25 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा। पीसीएसटीईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएमईः- सभी मंडलों से समय पर मांगपत्र भंडार विभाग को देना सुनिश्चित किया जाएगा।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMM- कर्मचारियों को उचित गुणवत्ता का एवं समय से प्रोटेक्टिव गेयर्स का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है| इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स की पांचो मदों को स्टॉक आइटम बनाकर HQ भण्डार द्वारा centralized प्रोक्योरमेंट करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। **कार्यवृत्त दिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमएमः—जूते जूलाई 2025 तक एवं जैकेट सितंबर 25 तक सप्लाई कर दिया जाएगा।
MS/ 28/2025 PCMM DY.CPO/HQ DY.CPO/	भंडार विभाग की समस्याओ के संबंध में । उपरोक्त विषय के अंतर्गत भंडार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में अनेकों बार NFIR/ WCRMS ने रेलवे

HRD	बोर्ड, महाप्रबंधक तथा पीसीएमएम को लिखा है किंतु भंडार विभाग की निम्नलिखित मांगे अभी भी विलंबित है :- 1. सभी 1. विभाग मे लाइन ड्यूटी पास ग्रुप डी कर्मचारी को 3AC का मिले। 2. LDCE OPEN TO ALL हो। 3. भंडार विभाग के कर्मचारियों को भी DRESS ALLOWANCE मिले। 4. 10 साल पूर्ण होने पर MACP पर 1900 के साथ कर्मचारी की पोस्ट ADS से चेंज करके JR. क्लर्क पर प्रमोशन दिया जाये। 5. ग्रुप डी कर्मचारियो को तीनों सुविधा पास 3AC के दिए जाये। 6. ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लाइन पर REST HOUSE की उचित व्यवस्था TC, DRIVER की तर्ज पर की जाये। 7. WCR मे भंडार विभाग में हर साल 33 1/3% व 16 1/2% भर्ती की जाये। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भंडार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं तथा मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कृपया रेलवे बोर्ड स्तर पर सभी मुद्दों को हल करवाने हेतु निवेदन है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	4.रेलवे बोर्ड के नियमानुसार 10 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी को एमएसीपी के तहत् केवल वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, उक्त योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7. 33 1/3% व 16 1/2% प्रमोशनल कोटा है जो कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में चयन के माध्यम से भरा जाता है। उक्त कोटा भर्ती का नहीं है। पी.सी.एम.एम. - कृपया इस बारे में पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें| १. लाइन ड्यूटी पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो कृपया अवगत कराएं। २. भण्डार विभाग में LDCE की परीक्षा के नियम रेल्वे बोर्ड जारी करता है एवं परीक्षा उसी के अनुसार की जा रही है। इस Item में यूनियन का मंतव्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया रेलवे बोर्ड एवं कार्मिक विभाग की पालिसी के अनुसार यूनियन के मंतव्य को स्पष्ट करने का कष्ट करें | ३. रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार भण्डार विभाग के पात्र कर्मचारियों को भी ड्रेस अलाउंस दिया जा रहा है। ४. वर्तमान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। ५. सुविधा पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो अवगत कराएं। ६. ये मुद्दा भण्डार विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ७. वर्तमान में कोई भी इस तरह की भर्ती पेंडिंग नहीं है। उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 तक की Items सभी विभागों से सम्बंधित है। अतः रेलवे बोर्ड स्तर पर इन सभी मुद्दों को हल करवाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा संचालित किया जा सकता है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	PCMM-4.रेलवे बोर्ड के नियमानुसार 10 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी को एमएसीपी के तहत् केवल वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, उक्त योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7. 33 1/3% व 16 1/2% प्रमोशनल कोटा है जो कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में चयन के माध्यम से भरा जाता है। उक्त कोटा भर्ती का नहीं है। पी.सी.एम.एम. - कृपया इस बारे में पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें| १. लाइन ड्यूटी पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो कृपया अवगत कराएं।

	२. भण्डार विभाग में LDCE की परीक्षा के नियम रेल्वे बोर्ड जारी करता है एवं परीक्षा उसी के अनुसार की जा रही है। इस Item में यूनियन का मंतव्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया रेलवे बोर्ड एवं कार्मिक विभाग की पालिसी के अनुसार यूनियन के मंतव्य को स्पष्ट करने का कष्ट करें । ३. रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार भण्डार विभाग के पात्र कर्मचारियों को भी ड्रेस अलाउंस दिया जा रहा है। ४. वर्तमान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। ५. सुविधा पास से सम्बंधित सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जाते है एवं HRMS द्वारा लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को HRMS लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड की पालिसी के अनुसार पास न मिले हो तो अवगत कराएं। ६. ये मुद्दा भण्डार विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ७. वर्तमान में कोई भी इस तरह की भर्ती पेंडिंग नहीं है। उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 तक की Items सभी विभागों से सम्बंधित है। अतः रेलवे बोर्ड स्तर पर इन सभी मुद्दों को हल करवाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा संचालित किया जा सकता है। **कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025** पीसीएमएमः–भंडारविभाग से मदसमाप्त। उप मुख्य मुकाधि :– 1. लाइन ड्यूटीपर 1900 ग्रेड पे का कर्मचारी 3rd AC की पात्रतारखतेहैंग्रुपडीग्रेड पे 1800 का कर्मचारीपात्रतानहींरखता।मदसमाप्त। 2. रेलवेबोर्ड के निर्देशानुसारजबलपुरमंडल द्वारा स.लो.पाय.मेंओपनटूऑलरखा गयाथा। इस सम्बंध मेंरेलवेबोर्ड के पुनः निर्देशआनेपरकार्यवाही की जाएगी।मदसमाप्त। 3. भंडारविभाग के पात्र कर्मचारियोंकोड्रेसअलाउंसदियाजारहाहै। 4. रेलवेबोर्ड के नियमानुसार 10 वर्षपूर्णहोनेपरकर्मचारीको एमएसीपी के तहतकेवलवित्तीय उन्नयनप्रदानकियाजाताहै।कर्मचारी का स्टेट्सनहोंबदलताहै।मदसमाप्त। 5. ग्रुपडीकर्मचारीको (ग्रेड पे 1800) 3rd AC का वर्षमें एकसुविधा पास देय है।मदसमाप्त।
MS/ 30/2025 PCMM DY.CPO/HQ	भंडार डिपो तुगलकाबाद के मुख्य कार्यालय अधीक्षक लेवल 7 के एक पद को स्थाई रूप से बढ़ाने के कम में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक (भंडार) तुगलकाबाद में वर्तमान समय में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के मात्र 2 पद स्वीकृत है जबकि कुल कैडर 13 पदो का सृजित है तथा विद्युत लोको शैड में लोको होल्डिंग 300 से ऊपर है जिसके कारण भंडार विभाग में भी कार्य का अतिरिक्त भार बढ़ा है इसके आलावा उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, कोटा द्वारा किये जा रहे कार्य अब टीकेडी के स्थापना अनुभाग द्वारा किये जा रहे है, जैसे कि HRMS से वेतन भुगतान तथा इंकमटैक्स टैक्स, सेवा पंजिका वेट करवाना, लीव रिकार्ड संबंधित कार्य नियमित वेट करवाना, अंतिम निपटान की राषि का भुगतान तथा CTG इंकमटैक्स के भुगतान, यात्रा भत्ता, लीव इनकैशमेंट की जॉच एवं उसका भुगतान, कर्मचारियो के षिक्षण शुल्क का भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियो की सेवा पंजिका का सुरक्षित रखरखाव कर्मचारियो के एरिएर्स का भुगतान उनके लीव रिकार्ड, एलपीसी इत्यादि जिसके कारण टीकेडी के स्थापना अनुभाग में कार्य के साथ साथ अनुभाग प्रभारी पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुख्य कार्यालय अधीक्षक के कुल कैडर 13 में मात्र 2 पद 15 प्रतिषत ही टीकेडी डिपो हेतु स्वीकृत किये गए जबकि डिपो सामग्री अधीक्षक के कुल कैडर 25 प्रतिषत पद ही टीकेडी डिपो में स्वीकृत है जो कि तर्क संगत नही है। अतः अनुरोध है कि मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पदो के वितरण की पुनः समीक्षा की आवश्यकता है तथा पुनः समीक्षा करके 1 पद बढ़ाकर विसंगति को दूर करने हेतु संबंधित को यथोचित निर्देष देवे। संघ आश्वस्त है कि भंडार डिपो, तुगलकाबाद के मुख्य कार्यालय अधीक्षक लेवल 7 के एक पद शीघ्र ही रिडिस्ट्रीब्यूट कर बढ़ाने हेतु यथायोग्य कार्यवाही कर संघ को सूचित करे ।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	कोटा कारखाना भण्डार डिपो से तुगलकाबाद भंडार डिपो में मु.का.अधी. लेवल-7 के 01 पद को स्थानांतरण करने का अनुरोध वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक/ईएलएस/तुगलकाबाद कार्यालय द्वारा पुर्व में किया गया था, जिसका इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर प्रधान कार्यालय में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सक्षम अधिकारी द्वारा कोटा भण्डार युनिट (कोटा कारखाना भण्डार डिपो, मण्डल भण्डार डिपों कोटा एवं तुगलकाबाद भण्डार डिपो) की केडर पॉजीशन का अवलोकन किया तथा मु.का. अभी लेबल-7 के 01 पद को कोटा कारखाना भण्डार डिपो से तुगलकाबाद भंडार डिपो में स्थानांतरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

	कोटा कारखाना भण्डार डिपो से तुगलकाबाद भण्डार डिपो में मु.का.अधी. लेवल-7 के 01 पद को स्थानांतरण करने का अनुरोध वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक/ईएलएस/तुगलकाबाद कार्यालय द्वारा पुर्व में किया गया था, जिसका इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर प्रधान कार्यालय में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सक्षम अधिकारी(मुख्यक सामग्री प्रबंधक/कैरिज) द्वारा कोटा भण्डार युनिट (कोटा कारखाना भण्डार डिपो, मण्डल भण्डार डिपों कोटा एवं तुगलकाबाद भण्डार डिपो) की केडर पॉजीशन का अवलोकन किया तथा मु.कार्यालय अधीक्षक लेबल-7 के 01 पद को कोटा कारखाना भण्डार डिपो से तुगलकाबाद भंडार डिपो में स्थानांतरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पी.सी.एम.एम. - यद्यपि इस मुद्दे को गहनता से देखा जा रहा है लेकिन प्राथमिक तौर पर पाया गया है कि कोटा कैडर में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के लिए sanctioned स्ट्रेंथ 13 है और मेन ऑन रोल भी 13 है।
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	प्रकरण की समीक्षा की जाएगी।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	डिपो का प्रमुख कैडर कंट्रोल कोटा वर्कशॉप में है जहाँ TKD डिपो के अतिरिक्त मंडल का कैडर कंट्रोल भी है। सभी प्रकार के Promotion/MACP, प्रमोशन परीक्षा (LGS/LDCE) करवाने का कार्य भी कोटा वर्कशॉप के Establishment Section में किया जा रहा है। TKD डिपो में किया जा रहा Establishment से संबंधित कार्य अधिकतर कम्प्यूटर पोर्टल पर किया जा रहा है। TKD डिपो के Establishment से संबंधित कार्य के लिए TKD डिपो में OS/ESTT. की पोस्ट already PIN POINTED की हुई है। कोटा कैडर में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के लिए SANCTIONED STRENGTH 13 है और MAN ON ROLL भी 13 है। इस स्थिति में पोस्ट ट्रांसफर करने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए स्थिति को पूरा जाँचकर ही निर्णय लिया जा सकता है।
	<u>कार्यवृत्तदिनांक12 एवं 13 जून 2025</u> पीसीएमएमः—
MS/ 18/2023 SPORTS OFFICER WCR	पश्चिम मध्य रेल के स्पोर्टस कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में । पमरे के खेल कोटे के खिलाड़ियों को आधा दिन का कार्य से प्रेक्टिस के लिए खेल विभाग से आधादिन की रिलीविंग नही निकाली जा रही है। मंडल (जबलपुर) एवं (भोपाल) के कमार्शियल विभाग के खिलाड़ियों की स्पेशल केशुअल लीव पर रिलीव नहीं किया जा रहा तथा रिलीव किये जाने के बाद कार्य पर आने के बाद परेशान किया जा रहा है। मुख्यालय खेल कूद अधिकारी का पद रिक्त है एवं खेलकूद (WCRSA) के प्रेसिडेंट का पद भी रिक्त है। वाणिज्य एवं परिचालन में छोड़ने में परेशानी आ रही है। नये स्पोर्टस कर्मचारी को टेक्नीकल में पोस्टिंग नहीं किया जाये क्योंकि उनके रिलीविंग में काफी दिक्कतें आती है। उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	NIL
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के स्थायी वार्ता तंत्र के खिलाड़ियों की समस्याओं से संबंधित एजेंडा क्र. 018/2023 का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है। 1. वर्तमान में खिलाड़ियों को अभ्यास हेतु हाफ डे लीव प्रदान किया गया है। 2. पश्चिम मध्य रेल खेल संघ द्वारा सभी टीमों के खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु अवकाश प्रदान किया जा रहा है। किसी खिलाड़ी को रिलीव नहीं किये जाने का मामला संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारियों से फोन पर आग्रह भी किया जाता है। 3. खेलकूद अधिकारी की नियुक्ति रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है। पमरे खेलकूद संघ के अध्यक्ष के पद पर श्री कुशाल सिंह/प्र.मु.वा.प्र./पमरे को नामित किया गया है। 4. पश्चिम मध्य रेल खेलकूद संघ द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यालय एवं मंडलों के खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु रिलीव नहीं किये जाने का मामला संज्ञान में

	आने पर मुख्यालय एवं मंडलों के संबंधित अधिकारियों से फोन पर आग्रह भी किया जाता है। 5. नये खिलाड़ियों की टेक्नीकल कैडर में पोस्टिंग उक्त खिलाड़ियों की शैक्षणिक अर्हता एवं उस स्थान पर पोस्ट की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। उक्त संबंध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया जायेगा।
MS/22/2025 PCSC	श्री राजेष सिंह, प्रआर, रेसुब, सतना के फेफडे के ट्यूमर, हृदय रोग की लाईलाज बीमारी (Suffering from a terminal illness his) 5) से पीड़ित होने व spouse working की श्रेणी में होने पर समयावधी पूर्व स्थानान्तरण बाबत् । श्री राजेष सिंह, प्रआर, रेसुब, सतना पर वर्ष 2021 से प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत है। कर्मचारी की पत्नी श्रीमति योगिता सिंह वरि. लिपिक, रेल सुरक्षा बल, मुख्यालय, जबलपुर के पद पर कार्यरत है। कर्मचारी के फेफडे मे हुए ट्यूमर का आपरेषन 26.04.2024 का रेलवे चिकित्सालय मुम्बई में हुआ है व चिकित्सक महोदय द्वारा अत्यधिक देखभाल, भोजन, दवा आदि के नियमित सेवा हेतु निर्देषित किया गया है। कर्मचारी को पूर्व में दिनांक 15. 03.2013 में हार्ट अटैक आ चुका है। (Suffering from a terminal illness his) जिसका उपचार आजीवन चलने हेतु चिकित्सक महोदय द्वारा बताया गया है। कर्मचारी के परिवार में एक 16 वर्षीय पुत्री व 10 वर्षीय पुत्र है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी व उसकी पत्नि पर ही है। सतना स्थानान्तरित किए जाने के कारण बच्चो को सुरक्षा के लिहाज से घर पर ताले में बंद कर पत्नी की ड्यूटी पर जाना पड़ता है। कर्मचारी की पत्नी रेल सुरक्षा बल से लिपिकीय संवर्ग से है जिनका पद वर्तमान में जबलपुर शहर में ही स्वीकृत है जिसके परिणामस्वरूप वह जोन मुख्यालय/जबलपुर मंडल के किसी भी अन्य शहर या स्टेषन पर चाह कर भी स्थानान्तरण नही हो सकता है। कर्मचारी द्वारा समय-समय पर दम्पति को एक ही स्थान पर पदस्थ किए जाने व लाइलाज बीमार का बेहर उपचार, स्वंय व परिवार की देखभाल का उल्लेख कर रेल सुरक्षा बल में ही कार्यरत दम्पत्ति को एक ही स्थान पर पदस्थ किया जाने हेतु अनेक आवेदन कर चुका है फिर भी कर्मचारी को उसकी पत्नी की तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित नही किया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी विगत वर्षो से अत्यधिक मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत कर रहा है। कर्मचारी की पारिवारिक समस्याओ को देखते हुए पति पत्नी को रेलवे बोर्ड के संदर्भित के अंतर्गत एक ही स्थान पर पदस्थ किया जावें । उपरोक्त बाबत् संघ पी.एन.एम. में विस्तृत चर्चा करना चाहता है।
	प्रशासनिक टिप्पणी
	(i) If personal injury is caused to a workman by accident arising out of and in the course of his employ ment. His employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this chapter.
	पिछली बैठक दिंनाक 11.03.2025/12.03.2025के कार्यवृत्त
	NIL
	प्रशासनिक टिप्पणी
	इस तरह के मामलोंका निस्तारण रेसुब नियम 1987 के अतंर्गतकिया जाता है।